

Ref. No.: LIC/SE/2024-25/55

Date: July 26, 2024

To,  
The Manager  
Listing Department,  
BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Tower,  
Dalal Street,  
Mumbai-400001  
**BSE Security Code: 543526**

The Manager  
Listing Department,  
The National Stock Exchange of India Ltd.,  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot C/1,  
G Block, Bandra Kurla Complex,  
Mumbai-400051  
**NSE Symbol: LICI**

Dear Sir/Madam,

**Sub: Disclosure of Notice of the 3<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Corporation as required under Regulation 30 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015 (Listing Regulations) and the Annual Report for FY 2023-2024.**

Pursuant to Regulation 30 read with Para A of Schedule III of the Listing Regulations, attached herewith is the Notice of the 03<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”) to be held on Thursday, August 22, 2024 at 11:30 AM (IST) through Video Conferencing/ Other Audio-Visual Means and the Annual Report for the F.Y. 2023-24.

The Notice of the AGM and the Annual Report of the Corporation for FY 2023-24 are being sent through electronic mode to all the members of the Corporation at their registered email addresses.

In terms of Regulation 44 of the Listing Regulations, the Corporation is providing the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means on the businesses specified in the Notice convening the AGM of the Corporation (“Remote e-voting”).

The Corporation is also offering the facility to the Members to cast their vote electronically during the AGM. Accordingly, the Corporation has fixed Friday, August 16, 2024 as the cut-off date to determine the eligibility of the members to cast their vote by remote e-voting before the AGM and during the AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date of Friday, August 16, 2024.

The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-24 is also being made available on the website of the Corporation at <https://licindia.in/web/guest/annual-reports>

The calendar of events is as under:

Sr. No	Particulars	Event Dates
1	Cut-off Date for identifying the eligibility of Members holding shares in physical or demat form, for Remote e-voting/voting at the AGM	Friday, August 16, 2024
2	Remote e-voting period will commence on	Monday, August 19, 2024 at 0900 hrs (IST)
3	Remote e-voting period will end on	Wednesday, August 21, 2024 at

		1700 hrs (IST)
4	Annual General Meeting	Thursday, August 22, 2024 at 1130 hrs (IST)

Please take the above information on record and arrange for dissemination. A copy of this intimation is also being made available on the website of the Corporation at [www.licindia.in](http://www.licindia.in).

Yours faithfully,

**For Life Insurance Corporation of India**

**(Anshul Kumar Singh)**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl: a/a


 भारतीय जीवन बीमा निगम  
 LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

**भारतीय जीवन बीमा निगम**

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत गठित)

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या 512

केंद्रीय कार्यालय: 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021

दूरभाष संख्या: 022 - 2202 2079

 ईमेल: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com); वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)
**तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम"/"एलआईसी") के सदस्यों की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 22 अगस्त, 2024 को 1130 बजे (भा.मा.स) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से निम्नलिखित मद्दों पर कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी:

**साधारण व्यवसाय:**

- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24बी, 24सी और 25बी के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों) पर विचार करना एवं बोर्ड और लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को अपनाना।
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना।
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28बी (1) के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुशंसित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10/- प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 6/- का अंतिम लाभांश घोषित करना और ₹ 10/- प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 4/- के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।
- लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्पों को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22, निदेशक मण्डल द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा, निगम के सेवानिवृत्त लेखापरीक्षक, मैसर्स बाटलीबोर्ड एवं पुरोहित, मुंबई (फर्म पंजीकरण संख्या: 101048W) के स्थान पर निगम के लेखापरीक्षक के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षक की नियुक्ति को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऐसे नियमों और शर्तों पर और पारिश्रमिक पर अनुमोदित करते हैं:

क्र. सं.	लेखापरीक्षक का नाम	कैग इम्पैनलमेंट नंबर	प्रधान कार्यालय	फर्म पंजीकरण संख्या (FRN)	नियुक्ति का कार्यकाल
1	मैसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी	बीओ0031	मुंबई	109208W	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22, निदेशक मण्डल द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में, सदस्य एतद्वारा, निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के सेवानिवृत्त लेखापरीक्षक, मैसर्स एआर एंड कंपनी नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 002744 सी) और मैसर्स टोडी तुलश्यान एंड कंपनी, पटना (फर्म पंजीकरण संख्या: 002180 सी) के स्थान पर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के

लेखापरीक्षकों के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऐसे नियमों और शर्तों और पारिश्रमिक पर अनुमोदित करते हैं:

क्र. सं.	लेखा परीक्षक का नाम	कैग इम्पैनलमेंट नंबर	प्रधान कार्यालय	फर्म पंजीकरण संख्या (FRN)	नियुक्ति का कार्यकाल
1	मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी	डीई1187	नई दिल्ली	009571एन/एन500006	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक
2	मैसर्स ए के सालमपुरिया एंड एसोसिएट्स	ईआर0152	पटना	004285सी	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक

**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के साथ पठित जीवन बीमा निगम (सामान्य) नियम, 1956 के नियम 22, निदेशक मण्डल द्वारा निगम के लेखापरीक्षकों के चयन की अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में निगम के निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अवधि एवं नियमों और शर्तों तथा पारिश्रमिक के लिए निगम के अन्य मंडल लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पुनः नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** निगम के निदेशक मंडल (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सहित) को उपरोक्त संकल्पों के संबंध में या आकस्मिक रूप से उठने वाले सभी प्रश्नों को हल करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

#### विशेष व्यवसाय:

5. निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन (डीआईएन: 10358884) की नियुक्ति के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करना:

**“संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(सी) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 3 और 4 के अनुसार, श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन की नियुक्ति भारत सरकार की 14 अगस्त, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में ₹ 2,05,400/- से ₹ 2,24,400/- के वेतनमान में 01 सितंबर, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति प्राप्त करने की तारीख तक (यानी, 31 अगस्त, 2026), या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक की गयी है और तदनुसार इसे बोर्ड द्वारा सिफारिश के अनुसार एतद्वारा अनुमोदित किया जाए।

6. एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (“एलआईसी एमएफ”) के साथ निगम के भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

**संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (“सेबी सूचीबद्धता विनियम”/“सूचीबद्धता विनियम”) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन, उपांतरण या पुनः अधिनियमन समेत तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) की संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति, जो समय-समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिनहे इसके बाद ‘बोर्ड’ के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/ सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं) जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार निगम की संबंधित पक्ष, एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, के साथ अनुबंधों/ व्यवस्थाओं / लेन-देन में प्रवेश करने के लिए और / या पूर्ण करने के लिए और / या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या एकाक लेन-देन को साथ लेकर या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक नहीं होगी, चाहे निरंतरता या नवीनीकरण या विस्तार या संशोधन के माध्यम से पहले के अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा कि यहा उल्लेख किया गया है:

- (i) म्यूचुअल फंड योजनाओं में सीधा लगाना/अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना और उनसे संबंधित लेनदेन
- (ii) समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए;

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जोकि पंद्रह महीने से अधिक की अवधि में नहीं होगी, व्यक्तिगत रूप से और/या समग्र रूप से, ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	म्यूचुअल फंड योजनाओं में सीधा लगाना/अन्य प्रतिभूतियों को जारी या अभिदान करना और उनसे संबंधित लेनदेन	लगभग ₹ 35,000 करोड़ तक
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्ति को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।

7. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("आईडीबीआई बैंक") के साथ निगम के भौतिक संबंधी पक्षकार लेनदेनों के अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

**संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन, उपांतरण या पुनः अधिनियमन समेत तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) की 'संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति', जो समय-समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिनहे इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/ सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं) जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार निगम की संबंधित पक्ष, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, के साथ में अनुबंधों/ व्यवस्थाओं / लेन-देन में प्रवेश करने के लिए और / या पूर्ण करने के लिए और / या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या एकाक लेन-देन को साथ लेकर या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक नहीं होगी, चाहे निरंतरता या नवीनीकरण या विस्तार या संशोधन के माध्यम से पहले के अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा कि यहा उल्लेख किया गया है:

- चालू खाता/बचत खाता (सीएसए) की सुविधाओं का लाभ उठाना और बैंकिंग लेनदेन के लिए निगम के द्वारा प्राप्त सेवा का भुगतान करना;
- आईडीबीआई बैंक में चालू खाता जमा राशियों या सावधि जमा राशियों (जमा राशियों) सहित जमा राशियां (किसी भी रूप में और किसी भी नाम से ज्ञात हों) और उन पर ब्याज;
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार निगम के कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान
- समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए;
- गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र/किसी अन्य प्रतिभूतियों का अभिदान और जारी करने के लिए और उसके आकस्मिक लेनदेन; और

- (vi) सहमत प्रतिफल के बदले या जैसा कि समय-समय की सहमति पर अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/या संसाधनों/सेवाओं का एलआईसी से/को स्थानांतरण और/या जहां निगम प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री, देय शुल्क, शुल्क, राजस्व, ब्रोकरेज या कोई अन्य खर्च, जैसे निगरानी/डिपॉजिटरी सेवाएं, सलाहकार सेवाएं, बीमा सेवाएं, परिसंपत्ति प्रबंधन शुल्क, जारी करने और भुगतान अनुबंध शुल्क, साझा सेवाएं, संग्रह और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जोकि पंद्रह महीने से अधिक की अवधि में नहीं होगी, व्यक्तिगत रूप और/या समग्र रूप से ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	बैंक खाते (किसी भी रूप में और जो भी नाम से जाना जाता है, जमा सहित) और उस पर ब्याज यदि कोई हो।	वास्तविक रूप से, चूंकि बैंक खाते में बनाए रखी शेष राशि दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय संचालन के लिए है, और दैनिक आधार पर भिन्न हो सकती है
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार
	कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/पारिश्रमिक/कमीशन का भुगतान	वास्तविक रूप से, संभावित उत्पादों की शर्तों और व्यवसाय के पैमाने, उत्पाद मिश्रण और विनियमों के अनुसार
	गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना/अभिदान करना और उसके आनुषंगिक लेन-देन	वास्तविक रूप से, संभावित उत्पादों की शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार
	अन्य: <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रतिभूतियों/निवेशों की खरीद और बिक्री</li> <li>• बैंक शुल्क</li> <li>• दलाली</li> <li>• डिपॉजिटरी सेवाएं</li> <li>• सलाहकार सेवाएं</li> </ul>	वास्तविक स्तर पर, उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्ति को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।

8. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ("एलआईसी एचएफएल") के साथ निगम के भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करने के लिए और, यदि उचित समझा जाए तो पारित करना:

**संकल्प किया जाता है कि** जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 4सी के प्रावधानों एवं अन्य सभी लागू प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम) के विनियमन 23 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, उसमें किए गए संशोधन, उपांतरण या पुनः अधिनियमन समेत तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) की 'संबंधित पक्ष लेनदेन की नीति', जो समय-समय पर लागू हो सकती है और निगम की लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार, सदस्य एतद्वारा निदेशक मंडल (जिनहे इसके बाद 'बोर्ड' के रूप में जाना जाएगा, जिसमें लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/ सशक्त किसी भी विधिवत प्राधिकृत समिति भी शामिल है, इस संकल्प के द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं) जिससे निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित सेबी सूचीबद्धता

विनियमों के अनुसार निगम की संबंधित पक्ष, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, के साथ में अनुबंधों/ व्यवस्थाओं / लेन-देन में प्रवेश करने के लिए और / या पूर्ण करने के लिए और / या जारी रखने के लिए, (चाहे व्यक्तिगत लेन-देन या एकाक लेन-देन को साथ लेकर या लेन-देन की श्रृंखला या अन्यथा) जोकि निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक वैध होगी, जिसकी अवधि पंद्रह महीने से अधिक नहीं होगी, चाहे निरंतरता या नवीनीकरण या विस्तार या संशोधन के माध्यम से पहले के अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन या नए और स्वतंत्र लेनदेन (लेनदेनों) के रूप में या अन्यथा जैसा कि यहा उल्लेख किया गया है:

- गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना/अभिदान करना और उसके आनुषंगिक लेन-देन;
- समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए;

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जोकि पंद्रह महीने से अधिक की अवधि में नहीं होगी, व्यक्तिगत रूप से और/या समग्र रूप से ₹ 1,000 करोड़ या वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, से अधिक हो सकते हैं, जो भी कम हो, या कोई अन्य भौतिकता सीमा जो समय-समय पर कानून/विनियमों के तहत लागू हो सकती है, बशर्ते कि संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए जाएंगे, अन्य बातों के साथ-साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

संबंधित पक्ष का नाम	लेन-देन की प्रकृति	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राशि और अगली एजीएम की तारीख तक
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना/अभिदान करना और उसके आनुषंगिक लेन-देन	वास्तविक रूप से, ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों के नियमों और शर्तों के अनुसार
	जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ पूंजी प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए	वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार

आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को, एतद्वारा लागू कानूनों के अनुसार निगम की लेखापरीक्षा समिति और/या निदेशक (ओं) और/या अधिकारी (ओं) को प्रदान की गयी अपनी सभी या किसी भी शक्ति को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए और ऐसे दस्तावेजों, लेखों आदि को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से इस संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे।

बोर्ड के आदेश द्वारा  
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षर/-  
अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 15 जुलाई, 2024

स्थान: मुंबई

केंद्रीय कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम

'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079

ईमेल: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

## टिप्पणियाँ:

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (“एमसीए”) ने अपने परिपत्र संख्या 9/2023 दिनांकित 25 सितंबर, 2023 के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर, 2021 और 28 दिसंबर, 2022 (सामूहिक रूप से “एमसीए परिपत्र” के रूप में संदर्भित) के माध्यम से, 30 सितंबर 2024 तक या उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (“वीसी/ओएवीएम”) के माध्यम से दिनांकित 5 मई, 2020 के एमसीए सामान्य परिपत्र के पैराग्राफ 3 और 4 में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुसार एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने भी अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांकित 7 अक्टूबर, 2023 (सेबी परिपत्र) में सूचीबद्धता विनियमों के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से कुछ छूट प्रदान की है। जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956/एलआईसी अधिनियम) के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 (एलआईसी नियम), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान (लागू सीमा तक) और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम/सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015) के प्रावधानों के अनुपालन में, निगम ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (“वीसी”) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (“ओएवीएम”) (इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक साधन के रूप में संदर्भित) के माध्यम से अपनी तीसरी एजीएम आयोजित करने का निर्णय लिया है अर्थात् सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना।
2. एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 (एलआईसी नियम) के नियम 28 के अनुसरण में एक व्याख्यात्मक विवरण, जो इस सूचना के मद संख्या 3 से 8 के अंतर्गत निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण निर्धारित करता है, इसके साथ संलग्न है।
3. जीवन बीमा निगम (सामान्य) नियम, 1956 के नियम 28 के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसरण में, एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हक है और प्रॉक्सी को निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि, यह एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और एजीएम के स्थल का मार्ग नक्शा इस सूचना में संलग्न नहीं है।
4. सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36 (3) और एलआईसी नियमों के नियम 28 के साथ पठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार तीसरी एजीएम में नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक के संबंध में आवश्यक विवरण इस सूचना के अनुलग्नक - ए के रूप में संलग्न हैं जो व्याख्यात्मक विवरण का हिस्सा है। निगम ने नियुक्ति के लिए निदेशक से संगत प्रकटीकरण/सहमति प्राप्त कर ली है।
5. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम साधन से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। सदस्य नेशनल सिक््योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (‘एनएसडीएल’) की ई-वोटिंग वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर जीवंत कार्यवाही देख सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश इस सूचना के टिप्पणियों का हिस्सा हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के साथ पठित बनाए गए नियमों और विनियमों और आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक - 2 के अनुसार गणपूर्ति की गणना करने हेतु की जाएगी।
6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार (एफसीएफएस) पर सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। बड़े सदस्यों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष, हितधारकों की संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में एजीएम में एफसीएफएस के प्रवेश करने में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
7. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों को बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है, जिसमें उनके प्रतिनिधि को उनकी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। उक्त संकल्प/प्राधिकरण पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से संवीक्षक को [snaco@snaco.net](mailto:snaco@snaco.net) ईमेल पर भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) को अंकित की जाएगी।
8. संयुक्त धारकों के मामले में, एक सदस्य जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार उनके नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में आता है, वह एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा।

9. वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल पते 19 जुलाई, 2024 (शुक्रवार) को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर निगम/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। तीसरी एजीएम बुलाने वाली सूचना निगम की वेबसाइट पर [www.licindia.in](http://www.licindia.in) पर प्रसारित कर दी गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों के संबंधित अनुभाग क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी देखा जा सकता है। सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।
10. लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि:
- अ) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28बी और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, सदस्य ध्यान दें कि बोर्ड ने 27 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 6 के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 19 जुलाई, 2024 थी।
- आ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम लाभांश तीसरी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने के बाद, सदस्यों को 20 सितंबर, 2024 (शुक्रवार) तक भुगतान किया जाएगा, अर्थात्, अनुमोदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों/लाभकारी मालिकों को जिनके नाम शुक्रवार, 19 जुलाई 2024 को व्यावसायिक घंटों के अंत में सदस्यों के रजिस्टर /डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं।
- इ) डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत बैंक विवरण, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते का रखरखाव रखते हैं, का उपयोग निगम द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा। निगम बैंक विवरण या बैंक जनादेश के किसी भी परिवर्तन के लिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। अतः डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और/या बैंक अधिदेश में किसी भी परिवर्तन की सूचना अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को तत्काल दें।
- ई) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वह निगम के आरटीए को निम्नलिखित जानकारी [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) पर ईमेल द्वारा भेज कर अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) अधिकृत पत्र को पंजीकृत करें (i) हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (अर्थात् बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता, IFSC, MICR विवरण), (ii) पैन कार्ड की एक स्व-सत्यापित प्रति और (iii) रद्द चेक की लीफ।
- उ) जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतन नहीं किया है, निगम किसी अन्य अनुमेय साधन के माध्यम से निगम के रिकॉर्ड में पंजीकृत पते पर लाभांश का भुगतान करेगा।
- ऊ) सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी\_आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांकित 3 नवंबर, 2021 (बाद में संशोधित परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी\_आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/687 दिनांकित 14 दिसंबर, 2021, सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांकित 16 मार्च, 2023 और सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांकित 17 नवंबर, 2023 ) के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया है कि 1 अप्रैल, 2024 से, शेयरधारकों (भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को धारित करने वाले) को लाभांश, केवल इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा। ऐसा भुगतान, पैन, नामांकन का चयन, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर सहित संपर्क विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित संगत एफएक्यू को [https://www.sebi.gov.in/sebi\\_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf](https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf) पर देखा जा सकता है।
- ऋ) आयकर अधिनियम, 1961 जैसा की समय-समय पर संशोधित हुआ है, के अनुसरण में, लाभांश आय 01 अप्रैल, 2020 से सदस्यों के देय कर योग्य है और निगम को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों की निर्धारित दरों के लिए, कृपया आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधन देखें।
- एक निवासी व्यक्तिगत सदस्य और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उन्हें पैन के साथ फॉर्म नंबर 15 जी / 15 एच, जैसा लागू हो, में एक घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) सहित अनिवासी सदस्य भारत और उनके निवास देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, जो आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के अधीन है जैसे कि कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होने की घोषणा, लाभकारी

स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाणपत्र, फॉर्म 10 एफ, कोई अन्य दस्तावेज जो कर संधि लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

इसके लिए गुरुवार, 04 जुलाई, 2024 को सदस्यों को एक पत्र भेजा गया था, जिनका ईमेल पता निगम/रजिस्ट्रार/डीपी के पास पंजीकृत था और उनसे शुक्रवार, 19 जुलाई, 2024 को या उससे पहले आवश्यक जानकारी जमा करने का अनुरोध किया गया था।

11. भौतिक शेयरधारिता के संबंध में, धोखाधड़ी वाले लेनदेनों को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वह यथोचित सावधानी बरतें और अपने पते, टेलीफोन नंबर, ई-मेल आईडी, नामांकन या संयुक्त धारकों, जैसा भी मामला हो, में किसी भी परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रार को सूचित करें।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी') ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या ('पैन') प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को पैन जमा करें, जिसके साथ वह अपने डीमैट खाते बनाए हुए हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वह रजिस्ट्रार (आरटीए) को अपना पैन विवरण जमा करें।

12. सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 40 (1) के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को 1 अप्रैल, 2019 से केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र सं SEBI/HO/MIRSD/MIRSDs RT-MB/P/CIR/2022/8 दिनांकित 25 जनवरी, 2022 से सूचीबद्ध कंपनियों को सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करने के लिए अधिदेश है; डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना; अस्वामिक सस्पेंस खाते से दावा; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण/विनियम; अनुमोदन; प्रतिभूति प्रमाण पत्र का उप-विभाजन/विभाजन; प्रतिभूति प्रमाण पत्रों/फोलियो का समेकन; ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन।

इसके अलावा, यह ध्यान दे, कि किसी भी सेवा के अनुरोध को केवल तभी संसाधित किया जा सकता है जब फोलियो केवाईसी अनुपालन हो। सेबी ने 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन के सभी अनुरोधों को केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और डिमटेरियलाइज के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को डिमटेरियलाइज करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए निगम या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

13. जीवन बीमा निगम (सामान्य) विनियम, 2021 के विनियमन 9 के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 5ई के प्रावधानों के अनुसार, शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकते हैं, जिसे शेयरों में सभी अधिकार, एकमात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।
14. सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिकृत पत्र, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तनों यदि कोई हो, तो उसकी सूचना दें।

अ) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए: उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को

आ) भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए: सेबी के मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एसईसीएफ-टीफ/पी/सीआईआर/2023/169 दिनांकित 12 अक्टूबर, 2023 के अनुसार निर्धारित फार्म आईएसआर-1 तथा अन्य प्रपत्रों को, निगम/आरटीए। फोलियो को फ्रीज करने के कारण अनभिप्रेत चुनौतियों को कम करने के लिए सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांकित 17 नवंबर, 2023 द्वारा पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण नहीं रखने वाले फोलियो को फ्रीज करने से संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया है।

15. सेबी ने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ओआईईई/ओआईईई\_आईएडी-1/पी/सीआईआर/2023/131 दिनांकित 31 जुलाई, 2023 के और सेबी/एचओ/ओआईईई/ ओआईईई\_आईएडी-1/पी/सीआईआर/2023/135 दिनांकित 04 अगस्त, 2023 के साथ पठित मास्टर परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / ओआईईई / ओआईईई\_आईएडी-1/पी/सीआईआर/2023/145 दिनांकित 31 जुलाई, 2023 (11 अगस्त, 2023 तक अद्यतन) के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ODR पोर्टल") की स्थापना की है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, आरटीए/निगम के साथ सीधे और मौजूदा स्कोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी शिकायतों को हल करने के विकल्प को समाप्त करने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल (<https://smartodr.in/login>) के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं और इसे निगम की वेबसाइट <https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution> के माध्यम से भी अभिगम किया जा सकता है।

16. सदस्यों से अनुरोध है कि वह ध्यान दे कि एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 28सी के अंतर्गत, अस्वामिक लाभांश खाते में हस्तांतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि तक अस्वामिक या बिना दावे के शेष लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा, उन सभी शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक दावा नहीं किया गया है/ अस्वामिक रहेता है।

17. एजीएम के दौरान सांविधिक रजिस्ट्रों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य या जो इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के संदर्भ में सूचना में निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहते हैं, वह [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

18. उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं है, इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए एवं उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया:

- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे से), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर प्रदान करें।
- यदि शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति) [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) को प्रदान करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूतियों रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप बिंदु संख्या 22 के चरण 1 (ए) में नीचे बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें, यानी, ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि और डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होने की विधि।
- वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं।

19. एजीएम से पहले/दौरान रिमोट ई-वोटिंग:

- एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 23 ए और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 के अनुसरण में, निगम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है; एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को 'रिमोट ई-वोटिंग' (एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से ई-वोटिंग) दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए, निगम ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान दूरस्थ (रिमोट) ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ दूरस्थ ई-वोटिंग का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।
- शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 की कट-ऑफ तिथि पर भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले निगम के सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह एजीएम के पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ-साथ एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। गैर-व्यक्तिगत सदस्य या भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाला कोई भी सदस्य जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और सूचना भेजने के बाद निगम का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 16 अगस्त, 2024 (शुक्रवार) को शेयर रखता है, वह [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य, जो निगम के शेयरों का अधिग्रहण करते हैं और सूचना भेजने के बाद निगम के सदस्य बन जाते हैं और कट-ऑफ तिथि, यानी 16 अगस्त, 2024 (शुक्रवार) को शेयर धारण करते हैं, वह बिंदु संख्या 22 में नीचे उल्लिखित लॉगिन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

- (iv) दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 19 अगस्त, 2024 को 0900 बजे (भा.मा.स) से शुरू होगी और बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को 1700 बजे (भा.मा.स) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी 16 अगस्त, 2024 को निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।
- (v) एजीएम में वीसी कार्यवाही के दौरान सदस्यों को दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, अध्यक्ष द्वारा घोषणा पर ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्प (ओं) पर अपना वोट डाला है, वह भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे संकल्प (ओं) पर फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। अपेक्षित मतों की प्राप्ति के अधीन, प्रस्तावों को बैठक की तारीख यानी 22 अगस्त, 2024 (गुरुवार) को पारित माना जाएगा।
- (vi) एजीएम के दिन रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा बैठक के समापन के 15 मिनट बाद मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।
20. सुश्री अपर्णा गाडगिल (सदस्यता संख्या: एसीएस 14713) और उनके विफल होने पर, श्री विश्वनाथन एस.एन. (सदस्यता संख्या: एसीएस 61955), मैसर्स एसएन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को निगम के सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। संवीक्षक लागू कानूनों के तहत निर्धारित समय के भीतर ई-वोटिंग (एजीएम से पहले/दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) की जांच पूरी होने के बाद अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, जिस पर निगम के शेयर सूचीबद्ध हैं एवं एनएसडीएल और निगम की वेबसाइट [www.licindia.in](http://www.licindia.in) पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के तहत भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसे निगम के केंद्रीय कार्यालय में सूचना बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
21. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:
- (i) सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए पैरा 22 के तहत नीचे दिए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप निगम के नाम के सामने "सामान्य बैठक में शामिल हों" ("Join General Meeting") मेनू के तहत रखा गया "वीसी/ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि सामान्य बैठक में शामिल हों मेनू के तहत रखे गए VC/OAVM लिंक पर क्लिक करें। VC/OAVM के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां निगम का **EVEN (129391)** प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वह अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- (ii) सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति से इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा। सदस्यों को क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, एमएस एज या फ़ायरफ़ॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़े प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- (iii) सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए तीसरी एजीएम में रखे जाने वाले वित्तीय विवरणों या किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अपने प्रश्न अग्रिम रूप से [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर रविवार, 18 अगस्त, 2024 से 0900 बजे (भा. मा. स) से मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 को 1700 बजे (भा. मा. स) तक भेज सकते हैं। सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्नों का निगम द्वारा उपर्युक्त उत्तर दिया जाएगा।
- (iv) जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपीआईआईडी एवं क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) पर रविवार, 18 अगस्त, 2024 को 0900 बजे (भा. मा. स) से मंगलवार, 20 अगस्त 2024 को 1700 बजे (भा. मा. स) के बीच अनुरोध भेजकर खुद को पूर्व-पंजीकृत कर सकते हैं। निगम एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- (v) जिन सदस्यों को बैठक में भाग लेने और भाग लेने के लिए एजीएम से पहले या उसके दौरान तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, वह श्री संजीव यादव, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से [sanjeevy@nsdl.co.in](mailto:sanjeevy@nsdl.co.in) /022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

22. दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 19 अगस्त, 2024 को 0900 बजे (भा. मा. स) से शुरू होगी और बुधवार, 21 अगस्त, 2024 को 1700 बजे (भा. मा. स) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि यानी 16 अगस्त, 2024 को सदस्यों/लाभकारी स्वामी के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान डाल सकते हैं। सदस्यों का मतदान अधिकार 16 अगस्त, 2024 कट-ऑफ तिथि के अनुसार निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कैसे कर सकता हूँ?

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में दो चरण शामिल हैं जो नीचे उल्लिखित हैं:

**चरण 1: NSDL ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंच**

**A) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि:**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर 09 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के संदर्भ में, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वह ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य।	<p>1. एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट अर्थात <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> पर मौजूदा आईडीईएस उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल के माध्यम से जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर “लॉगिन” (“Login”) के तहत “लाभकारी स्वामी” (“Beneficial Owner”) आइकन पर क्लिक करें जो के ‘आईडीईएस’ अनुभाग उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत “ई-वोटिंग तक पहुंच” (“Access to Evoting”) पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज को देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>2. यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प यहां <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> उपलब्ध है</p> <p>“आईडीईएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें” (“Register Online for IDeAS Portal”) को चुने या <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a> पर क्लिक करें।</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। निम्न URL वेब ब्राउज़र पर टाइप करके खोलें: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a> या तो व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज को देख सकते हैं। कंपनी के नाम या <b>ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल</b> पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा।</p> <p>4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप एनएसडीएल स्पीड ("<b>NSDL Speede</b>") सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं ।</p> <p style="text-align: center;"><b>NSDL Mobile App is available on</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
<p>सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों</p>	<p>1. जिन उपयोगकर्ताओं ने ईज़ी/ईज़ीस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईज़ी/ईज़ीस्ट पर लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> पर जाएं और लॉगिन आइकन एवं न्यू सिस्टम माईईज़ी टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा माईईज़ी उपयोगकर्ता का नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें।</p> <p>2. सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीस्ट के उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज को देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>3. यदि उपयोगकर्ता ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प यहां सीडीएसएल वेबसाइट <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> पर उपलब्ध है।</p> <p>और लॉगिन एवं न्यू सिस्टम माईईजी टैब पर क्लिक करके और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p> <p>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से अपने डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। डीमैट खाते में दर्ज किया गया पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहां ई-वोटिंग प्रगति पर है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में सक्षम होंगे।</p>
व्यक्तिगत सदस्यों (डीमैट मोड में धारित प्रतिभूतियां) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं, लॉग-इन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

**महत्वपूर्ण नोट:** जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगट उपयोगकर्ता आईडी और फॉरगट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दों के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> पर अनुरोध भेजकर या 022-4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

इ) ई-वोटिंग में लॉगिन और व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों जो डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले सदस्यों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए विधि।

**एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन कैसे करें?**

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL लिखकर के वेब ब्राउज़र पर लिखकर खोलें: <https://www.evoting.nsdl.com/>
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के तहत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ईसर्विसेज यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsd.com/> लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सेवाओं में लॉग-इन करने के बाद, ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर जा सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत डालें।

4. आपका उपयोगकर्ता आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी  उदाहरण के लिए, अगर आपकी DP ID IN300**** है और क्लाइंट ID 12***** है, तो आपकी यूजर ID IN300****12***** है।
ख) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	16 अंकों का लाभार्थी आईडी  उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12***** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12***** है
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद EVEN नंबर  उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001**** है और EVEN 101456 है तो यूजर आईडी 101456001**** है

5. व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं:

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करें और अपना मत डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' ('Initial Password') प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' ('Initial Password') पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और प्रणाली आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) अगर आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकरण है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाता है। आपके मेल-बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ई-मेल का पता लगाएं, ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी एक .pdf फाइल खोलें। .pdf फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल अकाउंट के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट ID, सीडीएसएल अकाउंट के लिए क्लाइंट ID के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' ('User ID') और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' ('Initial Password') होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।

6. यदि आप पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
  - क) “उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?” (“Forgot User Details/ Password”) पर क्लिक करें (अगर आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर होल्ड कर रहे हैं) जो [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर विकल्प उपलब्ध है।
  - ख) “भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?” (“Physical User Reset Password”) (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) जो [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर विकल्प उपलब्ध है।
  - ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता संख्या /फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।
  - घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मत डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके “नियम और शर्तों” (“Terms and Conditions”) से सहमत पर टिक करें।
8. अब, आपको “लॉगिन” (“Login”) बटन पर क्लिक करना होगा।
9. “लॉगिन” (“Login”) बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

#### चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर सामान्य बैठक में शामिल हों।

##### इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर सामान्य बैठक में कैसे शामिल हों?

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप सभी कंपनियों के “EVEN” को देख पाएंगे जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिसका मतदान चक्र और सामान्य बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. कंपनी के “EVEN” को चुने जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना मत डालना चाहते हैं और सामान्य बैठक के दौरान अपना मत डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको जॉइन जनरल मीटिंग के तहत रखे गए “VC/OAVM” लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपर्युक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात् सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और “सबमिट” (“Submit”) पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर “पुष्टि करें” (“Confirm”) पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, “वोट सफलतापूर्वक डाला गया” (“Vote Cast Successfully”) संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए मतों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

#### वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

- (i) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया दुरुस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
- (ii) केवल वह सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दुरुस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
- (iii) जिन सदस्यों ने दुरुस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वह एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वह एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
- (iv) एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, वह वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

### सदस्यों के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- (i) यह वृद्धता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी घटना में, आपको [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध विकल्प “उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?” या “भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट करें?” पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए जाना होगा।
- (ii) किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं जो [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या 022 - 4886 7000 पर कॉल करें या एनएसडीएल के सहायक प्रबंधक श्री संजीव यादव को नामित ई-मेल आईडी [sanjeevy@nsdl.co.in](mailto:sanjeevy@nsdl.co.in) और/या [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं।

### जीवन बीमा निगम (सामान्य) नियम, 1956 के नियम 28 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण:

#### मद संख्या 3

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956) की धारा 28बी के संदर्भ में, निगम के निदेशक मंडल ने 08 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 4/- प्रति इक्विटी शेयर का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया है, जिसमें वर्ष के दौरान ₹ 2530 करोड़ का नकद बहिर्गमन शामिल है।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 27 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 6/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा घोषणा के अधीन है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसमें ₹ 3795 करोड़ का नकद बहिर्वाह शामिल होगा। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेयर ₹ 10/- है और इसमें ₹ 6325 करोड़ का कुल नकद बहिर्गमन शामिल होगा जो 15.55% के लाभांश भुगतान अनुपात में अनुवाद करता है।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे सूचना में निर्धारित मद संख्या 3 के तहत निहित प्रस्ताव को स्वीकार करें।

#### मद संख्या 4

जीवन बीमा निगम सामान्य नियम, 1956 के नियम 22 के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (एलआईसी अधिनियम, 1956) की धारा 25 और बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निगम के लेखापरीक्षकों के चयन संबंधी नीति और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार निगम के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

निगम के लेखापरीक्षकों में से एक, अर्थात्, मैसर्स बाटलीबोर्ड एवं पुरोहित, मुंबई (फर्म पंजीकरण संख्या: 101048W) और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए दो लेखापरीक्षक; मैसर्स एआर एंड कंपनी, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या: 002744सी) और मैसर्स टोडी तुलश्यान एंड कंपनी, पटना (फर्म पंजीकरण संख्या: 002180सी) 22 अगस्त, 2024 को आयोजित होने वाली निगम की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के समापन पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

एलआईसी अधिनियम, 1956 के पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसरण में और 20 जून, 2024 को आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों और 21 जून, 2024 को आयोजित निगम के निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, निम्नलिखित फर्मों को निगम के लेखापरीक्षक और निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है:

विवरण	मैसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी	मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी	मैसर्स एके सालमपुरिया एंड एसोसिएट्स
संक्षिप्त प्रोफाइल	वर्ष 1952 में फर्म की स्थापना हुई और वर्तमान में पूरे भारत में 03 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान संख्या 16 पूर्णकालिक भागीदार और 40 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।	वर्ष 1977 में फर्म की स्थापना हुई और वर्तमान में पूरे भारत में 8 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान संख्या 33 पूर्णकालिक भागीदार और 132 पूर्णकालिक सीए कर्मचारी हैं।	वर्ष 1987 में फर्म की स्थापना और वर्तमान में पूरे भारत में 6 कार्यालय हैं। फर्म की वर्तमान संख्या 10 पूर्णकालिक भागीदार हैं।
लेखापरीक्षक	निगम के लेखापरीक्षक	उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के लिए लेखापरीक्षक	पूर्व मध्य क्षेत्र, पटना के लिए लेखापरीक्षक

विवरण	मैसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी	मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी	मैसर्स एके सालमपुरिया एंड एसोसिएट्स
फर्म पंजीकरण संख्या (FRN)	109208W	009571N/N500006	004285C
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) पैनल संख्या	BO0031	DE1187	ER0152
मुख्य कार्यालय	मुंबई	नई दिल्ली	पटना
नियुक्ति का कार्यकाल	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक।	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक।	5 साल के लिए, तीसरी एजीएम के समापन से शुरू होकर वर्ष 2029 में आयोजित होने वाली 8वीं एजीएम के समापन तक।

लेखापरीक्षा सेवाओं के अलावा, निगम समय-समय पर अपेक्षित बैंकों एवं सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित विभिन्न सांविधिक विनियमों और प्रमाणपत्रों के अंतर्गत लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षा संबंधी सेवाओं और अन्य अनुमेय गैर-लेखापरीक्षा सेवाओं भी प्राप्त करेगा, जिसके लिए उन्हें लेखापरीक्षा समिति के परामर्श से बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा।

सभी तीन फर्म अर्थात्; मैसर्स वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या: 109208W), मैसर्स एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी (फर्म पंजीकरण संख्या: 009571N/N500006) और मैसर्स एके सालमपुरिया एंड एसोसिएट्स (फर्म पंजीकरण संख्या: 004285C) ने उक्त नियुक्ति के लिए सहमति दी है और पुष्टि की है कि उनकी नियुक्ति, यदि की जाती है, तो लागू कानूनों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होगी।

तदनुसार, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर उपर्युक्त लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए अन्य नियम एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। निगम के लेखापरीक्षकों और क्षेत्रीय कार्यालय के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रस्तावित फर्मों के नाम एजीएम सूचना के मद संख्या 4 के तहत निहित संकल्प में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्ताव है कि निगम के मण्डल कार्यालय के लिए अन्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के निबंधनों के अनुसार और समय-समय पर यथा संशोधित निगम के लेखापरीक्षकों के चयन संबंधी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति और अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई हो, के अनुसार प्राधिकृत किया जाए, जिससे लेखापरीक्षा समिति द्वारा कि गयी सिफारिश पर नियुक्ति के लिए उनकी अवधि और अन्य नियम और शर्तों तथा पारिश्रमिक का अनुमोदन किया जाये। निगम के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह से उक्त प्रस्तावों में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित या इच्छुक नहीं है।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 4 के तहत निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

### मद संख्या 5

भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन को कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से और उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (यानी, 31 अगस्त, 2026) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। श्री रामचंद्रन ने 01 सितंबर 2023 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन को संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शिक्षाविदों में 38 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध अनुभव है। प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन ने संगठन के भीतर कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी / सॉफ्टवेयर विकास), क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन / मुख्य जीवन बीमा सलाहकार), प्रबंधक (पेंशन और समूह योजनाएं), दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई में क्षेत्रीय कोट्टायम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और चेन्नई-ख, थंजावुर एवं पुणे मण्डलों के विपणन प्रबंधक के रूप में कार्य किया है।

राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में रिसर्च एसोसिएट के रूप में, उन्होंने बीमा प्रबंधन/चार्टर्ड वित्तीय योजना में उत्पाद विकास और प्रकरण विकास में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों, सूक्ष्म बीमा, बीमा कानून और विनियम, पर कई परियोजनाओं पर काम किया है।

श्री दुरैस्वामि, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के छात्र सदस्य हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के अनुसार, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन की नियुक्ति का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एजीएम सूचना की मद संख्या 5 के तहत निहित संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है।

श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कोई अन्य निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से मद संख्या 5 के तहत निहित संकल्प पारित करने में संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 5 के तहत निर्धारित संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

#### मद संख्या 6

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या पट्टा, किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त थी, यदि वे व्यवसाय के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष है।

तथापि, सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन के लिए अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों में संशोधन के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन को भौतिक माना जाएगा, यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से है या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 1,000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी कम हो।

निगम ने 22 अगस्त, 2023 को आयोजित निगम की दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में एलआईसी एमएफ के साथ भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है, जो तीसरी एजीएम तक मान्य होगा। इस प्रकार, निगम को भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए शेयरधारकों ऋसे नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा समिति ने वित्त वर्ष 2025 के लिए व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में और निष्पक्ष आधार से संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 6 पर संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्षकार लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्षकार लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

तदनुसार, इसके लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है। वित्त वर्ष 2025 के लिए भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, जैसा कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23(4) के तहत आवश्यक है, जो 29 जुलाई, 2022 को सेबी परिपत्र के साथ पठित है, जिसे 30 जून, 2023 तक अद्यतन किया गया है और सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2023 के अनुसार यहां प्रदान किया गया है:

#### (I) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (सहायक कंपनी)

#### (II) अन्य जानकारी:

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार	
		म्यूचुअल फंड योजनाओं में सीधा लगाना/अन्य प्रतिभूतियों को जारी या अभिदान करना और उनसे संबंधित लेनदेन	समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए
1	लेन-देन का मूल्य	प्रत्यक्ष म्यूचुअल फंड योजनाओं में सभी प्लेसमेंट का योग ₹ 35,000 करोड़ तक है, जो आई आर डी ए आई मानदंडों और निगम की आंतरिक नीतियों के अनुसार सीमा के अधीन है।	उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यापार के पैमाने के अनुसार

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार	
		म्यूचुअल फंड योजनाओं में सीधा लगाना/अन्य प्रतिभूतियों को जारी या अभिदान करना और उनसे संबंधित लेनदेन	समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/निधि प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए
2	भौतिक शर्तें	90 दिन का मोचन	प्राप्त प्रीमियम, उत्पाद के नियमों और शर्तों के अनुसार है
3	संबंध या रुचि की प्रकृति (वित्तीय/अन्यथा)	वित्तीय	वित्तीय
4	लेन-देन की अवधि	90 दिन	पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार एवं चुने गए उत्पाद के अनुसार।
5	लेन-देन के मूल्य का प्रतिशत/पिछले वित्त वर्ष के लिए निगम का वार्षिक समेकित कारोबार (वित्त वर्ष 2024 के समेकित कारोबार के आधार पर)	0.04	लागू नहीं
6	प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण	निवेश योग्य अधिशेष	लागू नहीं
7	निवेश के लिए किए गए वित्तीय ऋणप्रस्तता का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
8	निवेश की लागू शर्तें जैसे कि वाचाएं, कार्यकाल, ब्याज दर, चुकौती अनुसूची, सुरक्षित/असुरक्षित, यदि सुरक्षित हो, सुरक्षा की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं
9	वह उद्देश्य जिसके लिए संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुसार ऐसे धन के अंतिम लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग किया जाएगा	धन की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन	लागू नहीं
10	संबंधित पक्ष लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका औचित्य	धन की अस्थायी पार्किंग और आईआरडीएआई मानदंडों का अनुपालन	निगम कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है। ये उत्पाद उनके कर्मचारियों के लिए मृत्यु दर जोखिम, रुग्णता जोखिम और दीर्घकालिक टर्मिनल लाभों को कवर करते हैं। निगम ऐसी समूह नीतियां/योजनाएं विभिन्न असंबंधित कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं को भी जारी करता है।
11	मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार और इसलिए निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि वह निगम के बोर्ड (जिसे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित के अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ

या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे नवीनीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन (ओं) के माध्यम से या पहले की व्यवस्था/लेनदेन के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (ओं) के रूप में या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि नहीं होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिकता सीमा से अधिक जैसा की ऊपर बताया गया है।

एक सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 6 में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्षकार लेनदेन का पक्ष हो या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित इकाई में अपनी शेयरधारिता/निदेशकता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त समाधान में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 6 के तहत निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

## मद संख्या 7

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या पट्टा, किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त थी, यदि वे व्यवसाय के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष है।

तथापि, सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी सूचीबद्धता विनियमों में संशोधन के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन को भौतिक माना जाएगा, यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹ 1,000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी कम हो।

लेखापरीक्षा समिति ने वित्त वर्ष 2025 के लिए व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में और निष्पक्ष संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 7 पर संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्षकार लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्षकार लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

तदनुसार, इसके लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है। वित्त वर्ष 2025 के लिए भौतिक संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23(4) के तहत आवश्यक है, जो 29 जुलाई, 2022 को सेबी परिपत्र के साथ पठित है, जिसे 30 जून, 2023 तक अद्यतन किया गया है और सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2023 के अनुसार यहां प्रदान किया गया है:

### (I) संबंधित पार्टी का नाम और रिश्ते की प्रकृति:

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (सहयोगी कंपनी)

### (II) अन्य जानकारी:

#### जमा की स्वीकृति

निगम की आवश्यकता के अनुसार निगम आईडीबीआई बैंक सहित विभिन्न बैंकों में चालू खाता जमा/बचत खाता अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य खाते का परिचालन करती है। जब कभी निगम ऐसी सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है, तो वह ऐसा केवल तभी करेगा जब दरें, नियम एवं शर्तें किसी अन्य बैंकिंग संस्था की नियम एवं शर्तों के तुलनीय हों। सुविधा का प्रकार और लेनदेन की शर्तें और अवधि, प्रत्येक मामले में, निगम की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। इसलिए, लेनदेन का मूल्य एलआईसी द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान

में, निगम द्वारा बनाए जा रहे चालू खाता शेष पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है और बैंक विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहकों के नियमों और शर्तों के अनुसार चालू खाते पर सामान्य बैंकिंग शुल्क लगाता है। तथापि, बचत खाते के लिए बैंक निगम को किसी अन्य बैंक की तरह शुल्क/ब्याज का भुगतान करता है। ये लेन-देन निगम के सामान्य कार्य में होते हैं।

### वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित सुविधाएं

निगम व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में विभिन्न बैंकों (संबंधित/असंबंधित पक्षों) से निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। जब कभी निगम ऐसी सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प चुनता है, तो वह ऐसा केवल तभी करेगा जब दरें, नियम एवं शर्तें किसी अन्य बैंकिंग संस्था की नियम एवं शर्तों के तुलनीय हों। सुविधा का प्रकार और लेनदेन की शर्तें और अवधि, प्रत्येक मामले में, निगम की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। बैंक को भुगतान किया गया ब्याज और शुल्क व्यय ऋण, गारंटी, नकद क्रेडिट आदि के रूप में मूल लेनदेन से होने वाले परिणामी लेनदेन हैं। इसलिए, लेनदेन की मात्रा मूल लेनदेन के मूल्य पर निर्भर करती है। आईडीबीआई बैंक के पास भारत में शाखाओं का व्यापक नेटवर्क है जो बैंकिंग सुविधाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

### कॉर्पोरेट एजेंट की तरह जीवन बीमा उत्पादों और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन/पारिश्रमिक का भुगतान

आईडीबीआई बैंक लागू कानूनों के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के साथ पंजीकृत एक कॉर्पोरेट एजेंट है। निगम ने आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है। निगम आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन का भुगतान करता है। भुगतान किए गए शुल्क का स्तर विभिन्न कारकों अर्थात् व्यवसाय की मात्रा, उत्पाद मिश्रण, विनियामक दिशानिर्देशों आदि पर निर्भर करता है। आईडीबीआई बैंक के साथ करार नियामकों द्वारा निर्धारित समझौते की शर्तों और मानदंडों के अनुसार नवीकरण के अधीन है। इस बैंक की साझेदारी के रणनीतिक लाभ बहुआयामी हैं और लंबे समय तक सामने आते रहेंगे।

### जारी समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं के लिए प्रीमियम/ प्राप्त निधि और बीमा पॉलिसी लाभों का भुगतान

वास्तविक रूप से, उत्पादों के नियमों और शर्तों और व्यवसाय के पैमाने के अनुसार।

### गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र /किसी अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना/सदस्यता देना और उसके आकस्मिक लेनदेन

संबंधित पक्षों से प्रतिभूतियों की अभिदान/खरीद सहित लेन-देन निगम द्वारा अपने निवेश गतिविधियों के एक भाग के रूप में किए जाते हैं। निवेश करने का निर्णय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे बाजार की स्थिति, मूल्यांकन, जारी करने का आकार, नियामक सीमाएं आदि और विनियामक अनुमोदन के अधीन है, जो भी लागू हो। इस प्रकार, लेनदेन के मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है। प्राथमिक बाजार में संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों को निगम द्वारा प्रचलित बाजार दर पर और उन्हीं शर्तों पर अभिदान किया जाता है जिन पर इन प्रतिभूतियों को सभी भावी निवेशकों को पेश किया जाता है, जबकि प्रतिभूतियों की द्वितीयक बाजार खरीद प्रचलित बाजार दरों/उचित मूल्यों पर निष्पक्ष आधार पर की जाती है। लेनदेन की अवधि प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी। निगम अपने सामान्य कारोबार क्रम में जोखिम प्रबंधन, चलनिधि प्रबंधन, अपेक्षित विनियामक अनुपात के अनुरक्षण का प्रबंध करने और मूल्य/प्रतिफल उतार-चढ़ाव का लाभ उठाकर व्यापारिक गतिविधियों से लाभ कमाने के लिए उपर्युक्त लेनदेनों में प्रवेश करता है।

### अन्य लेनदेन

फीस, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रीमियम, किराया, प्रतिपूर्ति, किसी अन्य आय/व्यय और डिपॉजिटरी भागीदार, संरक्षक सेवाओं और निवेश बैंकिंग आदि के अनुसरण में की गई गतिविधियों सहित अन्य गतिविधियों की प्रकृति में आईडीबीआई बैंक के साथ अन्य अनुबंध/लेनदेन/व्यवस्थाएं निगम के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में हो सकती हैं।

निगम अपने नियमित कारोबार के दौरान निगम द्वारा ऋण/अग्रिम अथवा निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेन-देन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋणग्रस्तता नहीं उठाता है। उपयुक्त लेनदेनों में संबंधित पक्ष के संबंध/हित की प्रकृति वित्तीय है।

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार और इसलिए निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि वह निगम के बोर्ड (जिसे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित के अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे नवीनीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन

(ओं) के माध्यम से या पहले की व्यवस्था/लेनदेन के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (ओं) के रूप में या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और लिए निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि नहीं होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऊपर बताए अनुसार भौतिकता सीमा से अधिक हो जैसा की ऊपर बताया गया है।

एक सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 7 में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन का पक्ष हो या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित इकाई में अपनी शेरधारिता/निदेशकता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त समाधान में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 7 के तहत निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

#### **मद संख्या 8**

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 सी के अनुसरण में, संबंधित पक्ष लेनदेन जैसे माल या सेवाओं की बिक्री / खरीद, किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय या पट्टा, किसी भी माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति, लाभ के पद पर नियुक्ति और निगम की प्रतिभूतियों / डेरिवेटिव की सदस्यता को हामीदारी करना, संसाधनों के हस्तांतरण आदि के लिए सदस्यों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि लेनदेन ऐसी राशि से अधिक है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे लेन-देन को सदस्यों के पूर्वानुमोदन से छूट प्राप्त थी, यदि वे व्यवसाय के सामान्य क्रम में और निष्पक्ष है।

तथापि, सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार, संबंधित पक्षकार के साथ किसी प्रकार के लेन-देन, यदि भौतिक हो, के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन के लिए अपेक्षित होता है, भले ही ऐसे लेन-देन सामान्य कारोबार में हों और निष्पक्ष हों। 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों में संशोधन के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन को भौतिक माना जाएगा, यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 1,000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी कम हो।

लेखापरीक्षा समिति ने वित्त वर्ष 2025 के लिए व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में और निष्पक्ष संबंधित पक्षों के साथ भौतिक लेनदेन के लिए मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, निगम संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान, पक्षों के बीच लेनदेन की सहमत शर्तों पर मद संख्या 8 पर संकल्प में प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षा समिति ने उक्त संबंधित पक्षकार लेनदेनों को अनुमोदित कर दिया है और नोट किया है कि यद्यपि ये लेन-देन सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में हैं और निष्पक्ष हैं, फिर भी ये सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत भौतिक संबंधी पक्षकार लेन-देन के रूप में पात्र हो सकते हैं।

तदनुसार, इसके लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा जाता है। वित्त वर्ष 2025 के लिए भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 23(4) के तहत आवश्यक है, जो 29 जुलाई, 2022 को सेबी परिपत्र के साथ पठित है, जिसे 30 जून, 2023 तक अपडेट किया गया है और सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2023 के अनुसार यहां प्रदान किया गया है:

#### **(I) संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति:**

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक कंपनी)

## (II) अन्य जानकारी:

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन का प्रकार	
		गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र / किसी अन्य प्रतिभूतियों को जारी या अभिदान करना और उसके आकस्मिक लेनदेन	समूह बीमा पॉलिसियों/योजनाओं में प्रीमियम/ पूंजी प्राप्त करने और बीमा पॉलिसी के लाभों का भुगतान करने के लिए
1	लेन-देन का मूल्य	प्रस्तावित लेनदेनों के मूल्य का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह ऋण प्रतिभूतियों के लिए एलआईसी की बोली के अध्यक्षीन है, यदि एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी किए जाने के लिए कोई प्रस्तावित है।	प्रतिभूतियों के नियमों और शर्तों के अनुसार
2	भौतिक शर्तें	लेनदेन की शर्तें एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार और लागू कानूनों के अनुसार होंगी	प्राप्त प्रीमियम उत्पाद के नियमों और शर्तों के अनुसार है
3	संबंध या रुचि की प्रकृति (वित्तीय/ अन्यथा)	वित्तीय	वित्तीय
4	लेन-देन की अवधि	एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार	पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार चुने गए उत्पाद के अनुसार।
5	लेन-देन के मूल्य का प्रतिशत/पिछले वित्त वर्ष के लिए निगम का वार्षिक समेकित कारोबार (वित्त वर्ष 2024 के समेकित कारोबार के आधार पर)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निवेश के लिए किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
8	निवेश की लागू शर्तें जैसे कि वाचाएं, अवधि, ब्याज दर, चुकौती अनुसूची, सुरक्षित/असुरक्षित, यदि सुरक्षित हो, सुरक्षा की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं
9	वह उद्देश्य जिसके लिए संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुसार ऐसे धन के अंतिम लाभार्थी द्वारा धन का उपयोग किया जाएगा	लागू नहीं	लागू नहीं
10	संबंधित पक्ष लेनदेन सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका औचित्य	निगम लागू कानूनों और प्रस्ताव पत्र के प्रावधानों के अनुसार एलआईसी एचएफएल द्वारा जारी एनसीडी जैसी ऋण प्रतिभूतियों की सदस्यता भी ले सकता है; और सभी निवेशकों को समान रूप से ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान जो निगम के हित में होगा।	निगम कॉर्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है। ये उत्पाद अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु दर जोखिम, रुग्णता जोखिम और दीर्घकालिक टर्मिनल लाभों को कवर करते हैं। निगम ऐसी समूह नीतियां/योजनाएं विभिन्न असंबंधित कारपोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थाओं को भी जारी करता है।
11	मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं

उपर्युक्त सभी लेनदेन निगम द्वारा आयोजित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार और इसलिए निगम के हित में होते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निगम का प्रस्ताव है कि वह निगम के बोर्ड (जिसे इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति सहित बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठित की जाने वाली कोई भी समिति) को अधिकार प्रदान करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है ताकि संकल्प में विनिर्दिष्ट या ऊपर उल्लिखित के अनुसार (चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक साथ या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा) जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ, संबंधित पक्ष होने के नाते, चाहे नवीनीकरण (ओं) या विस्तार (ओं) या संशोधन (ओं) के माध्यम से या पहले की व्यवस्था/लेनदेन के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (ओं) के रूप में या अन्यथा इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान और लिए निगम की अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक जो पंद्रह महीने से अधिक की अवधि नहीं होगी, चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ऊपर बताए अनुसार भौतिकता सीमा से अधिक हो।

एक सदस्य जो निगम से संबंधित पक्ष है, इस सूचना के मद संख्या 8 में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर मतदान नहीं करेगा, भले ही सदस्य विशेष संबंधित पक्ष लेनदेन का पक्ष हो या नहीं।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार निगम में और ऊपर उल्लिखित इकाई में अपनी शेयरधारिता/निदेशकता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपयुक्त समाधान में वित्तीय या अन्यथा संबन्धित नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड एजीएम सूचना के मद संख्या 8 के तहत निर्धारित प्रस्तावों को पारित करने की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से  
कृते भारतीय जीवन बीमा निगम

हस्ताक्षर/-  
अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 15 जुलाई, 2024

स्थान: मुंबई

**केंद्रीय कार्यालय:**

भारतीय जीवन बीमा निगम

'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

दूरभाष नंबर: 022 - 2202 2079

ईमेल: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

## अनुलग्नक – अ

सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत और सचिवीय मानक - 2 के संदर्भ में, नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशक के संदर्भ में विवरण:

निदेशक का नाम	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन
उम्र	58 वर्ष
राष्ट्रीयता	भारतीय
योग्यता	बी.एससी (गणित), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के छात्र सदस्य
डीआईएन	10358884
संक्षिप्त विवरण	<p>इन्हे संचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शिक्षाविदों में 38 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध अनुभव है। प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन ने संगठन के भीतर कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी / सॉफ्टवेयर विकास), क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन / मुख्य जीवन बीमा सलाहकार), दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई में क्षेत्रीय प्रबंधक (पेंशन और समूह योजनाएं), कोट्टायम प्रभाग के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और चेन्नई-ख, तंजावुर और पुणे डिवीजनों के विपणन प्रबंधक के रूप में विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया है।</p> <p>राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में रिसर्च एसोसिएट के रूप में, उन्होंने बीमा प्रबंधन/ चार्टर्ड वित्तीय योजना में उत्पाद विकास और प्रकरण विकास में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों, सूक्ष्म बीमा, बीमा कानून और विनियम, पर कई परियोजनाओं पर काम किया है।</p>
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	प्रशासन, वित्त, विपणन, जीवन बीमा और कॉर्पोरेट प्रशासन
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2023 के अनुसार। अन्य विवरण निगम की वेबसाइट <a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a> पर उपलब्ध हैं
अंतिम आहरित पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2023 के अनुसार
तिथि जिस पर पहली बार बोर्ड में नियुक्त किया गया था	01 सितम्बर 2023
निगम में शेयरधारिता का विवरण	35 इक्विटी शेयर
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध (यदि कोई हो)	कोई नहीं
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कारपोरेट शासन रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 61 पर देखें।
निदेशकों/समिति की अध्यक्षता और अन्य कंपनियों में सदस्यता का विवरण	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कारपोरेट शासन रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 62 पर देखें।
पिछले तीन वर्षों में निदेशक पद से इस्तीफे का विवरण (सूचीबद्ध कंपनियां)	शून्य

**अस्वीकरण:** तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में किसी भी अस्पष्टता/त्रुटि होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में उल्लेखित सूचना को सही माना जायेगा।



## LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956)

IRDAI Registration No. 512

Central Office: 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Mumbai, Maharashtra – 400 021

Tel. No.: 022 – 2202 2079

Email: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com); Website: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

## NOTICE OF THE 3<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE THIRD ANNUAL GENERAL MEETING (“AGM”) OF THE MEMBERS OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (“THE CORPORATION”/ “LIC”) WILL BE HELD ON THURSDAY, THE 22<sup>ND</sup> DAY OF AUGUST, 2024, AT 1130 HRS (IST), THROUGH VIDEO CONFERENCING (“VC”) /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (“OAVM”) TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS:

### ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt the audited financial statements of the Corporation (standalone and consolidated financial statements) for the financial year ended on March 31, 2024, together with the Reports of Board and Auditors thereon, in terms of Section 24B, 24C and 25B of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
2. To consider and adopt the Annual Report of the Corporation for the financial year ended on March 31, 2024, in terms of Section 27 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
3. To confirm the payment of interim dividend of ₹ 4 per equity shares of ₹ 10/- each and to declare final dividend of ₹ 6 per equity share of ₹ 10/- each for the financial year ended on March 31, 2024 as recommended by the Board in terms of Section 28B(1) of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation and other applicable provisions, if any, the members hereby approves the appointment of the following Auditor as Corporation’s Auditor in place of M/s Batliboi & Purohit, Mumbai (Firm Registration No.: 101048W), the retiring Corporation’s Auditor at such terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee:

S. No.	Name of Auditor	CAG Empanelment Number	Head Office	Firm Registration Number (FRN)	Tenure of appointment
1	M/s V. Sankar Aiyar & Co.	BO0031	Mumbai	109208W	5 years commencing from the conclusion of 3 <sup>rd</sup> AGM till the conclusion of the 8 <sup>th</sup> AGM to be held in the year 2029

**RESOLVED FURTHER THAT** pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation and other applicable provisions, if any, the members hereby approves the appointment of following Auditors for Zones of the Corporation in place of M/s AR & Co., New Delhi (Firm Registration No.: 002744C) and M/s Todi Tulshyan & Co., Patna (Firm Registration

No.: 002180C) the retiring Auditors for Zones at such terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee:

S. No.	Name of Auditor	CAG Empanelment Number	Head Office	Firm Registration Number (FRN)	Tenure of appointment
1	M/s ASA & Associates LLP	DE1187	New Delhi	009571N/N500006	5 years commencing from the conclusion of 3 <sup>rd</sup> AGM till the conclusion of the 8 <sup>th</sup> AGM to be held in the year 2029
2	M/s A K Salamपुरia & Associates	ER0152	Patna	004285C	5 years commencing from the conclusion of 3 <sup>rd</sup> AGM till the conclusion of the 8 <sup>th</sup> AGM to be held in the year 2029

**RESOLVED FURTHER THAT** pursuant to Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the Board approved policy on selection of Auditors of the Corporation and other applicable provisions, if any, the Board of Directors of the Corporation be and is hereby authorized to appoint/re-appoint other Divisional Auditors of the Corporation for the terms and on the other terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors on the recommendation of the Audit Committee.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Corporation (including the Audit Committee of the Board), be and are hereby authorised, to settle all questions that may arise in connection with or incidental to giving effect to the above resolutions.”

#### SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an ORDINARY RESOLUTION for appointment of Mr. Doraiswamy Ramchandran (DIN: 10358884) as Managing Director of the Corporation:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Section 4(2)(c) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rule 3 and 4 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956, the appointment of Mr. Doraiswamy Ramchandran as Managing Director of the Corporation vide Government of India’s notification dated August 14, 2023, who assumed charge in the pay scale of ₹ 2,05,400/- to ₹ 2,24,400/- w.e.f., September 01, 2023 and up to the date of his attaining superannuation (i.e., August 31, 2026), or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved as recommended by the Board”.

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with LIC Mutual Fund Asset Management Limited (“LIC MF”):

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations), other applicable provisions of law, if any, including any amendments, modifications or re-enactments thereof (applicable laws), the Policy on dealing with Related Party Transactions of Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as ‘Board’, which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/ empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/ or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2024-25 which shall be valid upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with LIC Mutual Fund Asset Management Limited, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/ arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- issuance of/placement in direct mutual fund schemes/ any other securities and transactions incidental thereto;
- premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes;

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and /or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, which ever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2023-24, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, inter alia as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2024-25 and upto the date of next AGM
LIC Mutual Fund Asset Management Limited	Placement in direct Mutual Fund Schemes / issuance or subscription of any other securities and transactions incidental thereto	Approximately up to ₹ 35,000 crore
	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/ schemes issued	At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business

**RESOLVED FURTHER THAT** Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred, to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions.”

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with IDBI Bank Limited (“IDBI Bank”):

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), other applicable provisions of law, if any, including any amendments, modifications or re-enactments thereof (applicable laws), the ‘Policy on dealing with Related Party Transactions’ of Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as ‘Board’, which term shall be deemed to include any duly authorized Committee constituted/ empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/ or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2024-25 which shall be valid upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with IDBI Bank Limited, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/ arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- (i) availing Current Account/ Savings Account (CASA) facilities and making payment of service as availed by the Corporation for banking transactions;
- (ii) Deposits (in any form and by whatever name called), including Current Account Deposits or Fixed Deposits (“Deposits”) with IDBI Bank and interest thereon;
- (iii) payment of fees / remuneration/commission for distribution of life insurance products, to act as the Corporate agent of the Corporation in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI);
- (iv) premium / fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes;
- (v) issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto; and

- (vi) Other transactions and / or arrangements with and/ or transfer of resources / services from/to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Corporation/its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, fees payable, charges, revenue, brokerage or any other expenses, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities.

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and / or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, whichever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2023-24, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, inter alia as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2024-25 and upto the date of next AGM
IDBI Bank Limited	Bank accounts (in any form and by whatever name called including deposits) and interest thereon, if any	At actuals, since the balances maintained in the bank account are for day-to-day business operations, and may vary on a daily basis
	Premium/fund received/benefits paid towards group insurance policies/ schemes issued to IDBI Bank	At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business
	Payment of fees / remuneration/ commission for distribution of life insurance products as Corporate agent	At actuals, as per the term and conditions of the products, scale of business, product mix and regulatory guidelines
	Issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto	At actuals, as per the terms and conditions of the prospective products and the scale of business
	Others: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sale of securities/ investments</li> <li>• Bank charges</li> <li>• Brokerage</li> <li>• Depository Services</li> <li>• Advisory Services</li> </ul>	At actuals, as per the terms and conditions of the products, scale of business and services

**RESOLVED FURTHER THAT** Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred, to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions.”

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolutions as an ORDINARY RESOLUTION for approval of material related party transactions of the Corporation with LIC Housing Finance Limited (“LIC HFL”):

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 4C and all other applicable provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, Regulation 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), other applicable provisions of law, if any, including any amendments, modifications or re-enactments thereof (applicable laws), the ‘Policy on dealing with Related Party Transactions’ of Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”), as may be applicable from time to time and pursuant to approval of the Audit Committee of the Corporation, the members do hereby accord approval to the Board of Directors (hereinafter referred to as ‘Board’, which term shall be deemed to include any duly authorized Committee

constituted/ empowered by the Board including the Audit Committee, from time to time, to exercise its powers conferred by this resolution), for entering into and/or carrying out and/ or continuing with contracts/arrangements/transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), for the financial year 2024-25 which shall be valid upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months with LIC Housing Finance Limited, being related party of the Corporation as per amended SEBI Listing Regulations, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier contracts/ arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

- (i) issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto;
- (ii) premium/fund received and insurance policy benefits paid towards groups insurance policies/schemes;

notwithstanding the fact that all such aforementioned transactions during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually and / or in aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover, whichever is lower, as per the Corporation's audited financial statements for the financial year 2023-24, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time, provided however, that the contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out at arm's length basis and in the ordinary course of business of the Corporation, inter alia as per the details provided herein below:

Name of the Related Party	Nature of Transactions	Estimated amount for FY 2024-25 and upto the date of next AGM
LIC Housing Finance Limited	issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto	At actuals, as per the terms and conditions of the NCDs/any other securities
	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies / schemes issued	At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business

**RESOLVED FURTHER THAT** Board of Directors, be and is hereby authorized to delegate all or any of its powers herein conferred, to Audit Committee and/or Director(s) and/or official(s) of the Corporation in accordance with applicable laws to do all such acts, deeds, matters and things and also to execute such documents, writings etc. as the Board may in its absolute discretion deem necessary, desirable or expedient to give effect to the above resolutions.”

By Order of the Board  
**For Life Insurance Corporation of India**

Sd/-  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary & Compliance officer

Date: July 15, 2024

Place: Mumbai

**Central Office:**

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema',

Jeevan Bima Marg,

Nariman point, Mumbai – 400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

Website: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

**NOTES:**

1. The Ministry of Corporate Affairs, Government of India (“MCA”) has vide its circular No. 9/2023 dated 25 September, 2023, read with circulars dated 8 April, 2020, 13 April, 2020, 5 May, 2020, 13 January, 2021, 8 December, 2021 and 28 December, 2022 (collectively referred to as “MCA Circulars”) allowing, inter-alia, conducting of AGMs through Video Conferencing facility/ Other Audio-Visual Means (“VC/ OAVM”) on or before September 30, 2024, in accordance with the requirements provided in paragraphs 3 and 4 of the MCA General Circular dated 5 May, 2020. The Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) also vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (“SEBI Circular”) has provided certain relaxations from compliance with certain provisions of the Listing Regulations. In compliance with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”/“LIC Act”) read with Life Insurance Corporation General Rules, 1956 (“LIC Rules”), provisions of the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”/ “SEBI (LODR) Regulations, 2015” / “Listing Regulations”), the Corporation has decided to hold its 3<sup>rd</sup> AGM through Video-conferencing (“VC”) or other audio visual means (“OAVM”) (hereinafter referred to as “electronic means”) i.e. without the physical presence of the members.
2. An Explanatory Statement pursuant to Section 23A of LIC Act, 1956 read with Rule 28 of the Life Insurance Corporation General Rules, 1956, which sets out details relating to ordinary and special business specified under Item Nos. 3 to 8 of this Notice is annexed hereto.
3. **Pursuant to the provisions of the LIC Act, 1956 read with Rule 28 of LIC Rules, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a member of the Corporation. Since, this AGM is being held through VC, the requirement of physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this AGM and hence the proxy form, attendance slip and route map of the AGM venue are not annexed to this notice.**
4. Details as required under Regulation 36(3) of the SEBI Listing Regulations and in terms of Rule 28 of LIC Rules read with Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) in respect of the Director(s) seeking appointment at the 3<sup>rd</sup> AGM are annexed hereto as Annexure - A to the Notice which forms part of the Explanatory Statement. The Corporation has received relevant disclosure/consent from the Director(s) seeking appointment.
5. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and upto 15 minutes after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The Members will be able to view the live proceedings on the National Securities Depository Limited (‘NSDL’) e-Voting website at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). The detailed instructions for joining the Meeting through VC/OAVM form part of the Notes to this Notice. The attendance of the Members in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 23A of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder and the Secretarial Standard – 2 issued by ICSI.
6. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for members on first come first served basis (FCFS). No restrictions on account of FCFS entry into AGM will apply in respect of large members (shareholders holding 2% or more shareholding), promoters, institutional investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders’ Relationship Committee, Auditors, etc.
7. Corporate/Institutional Members are required to send a scanned certified true copy (PDF Format) of the Board Resolution/ Authority Letter, etc., authorising their representative to attend the AGM through VC / OAVM on their behalf and to vote through remote e-voting or during the AGM. The said Resolution/Authorisation may be sent to the Scrutinizer by email through registered email address to [snaco@snaco.net](mailto:snaco@snaco.net) with a copy marked to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)
8. In case of joint holders, a member whose name appears as the first holder in the order of their names as per the Register of Members will be entitled to cast vote at the AGM.

9. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2023-24 is being sent through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Corporation/Depositories as at the close of business hours on July 19, 2024 (Friday). The Notice convening the 3<sup>rd</sup> AGM has been uploaded on the website of the Corporation at [www.licindia.in](http://www.licindia.in) and may also be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively. The Notice is also available on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

10. Record Date for Dividend:

- a) Pursuant to Section 28B of the LIC Act, 1956 and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, members may note that the Board, in its meeting held on May 27, 2024 has recommended a final dividend of ₹ 6 per equity share of face value of ₹ 10 each for the financial year ended March 31, 2024. The Record Date for the purpose of final dividend was Friday, July 19, 2024.
- b) Final Dividend for the financial year 2023-24, once approved by the members in the 3<sup>rd</sup> AGM will be paid to the Members by September 20, 2024 (Friday), i.e., within 30 days from the date of approval to those Members/ beneficial owners whose names appear in the Register of Members/depository records as at the close of business hours on Friday, July 19, 2024.
- c) Members holding shares in demat form are hereby informed that bank particulars registered with their respective Depository Participants with whom they maintain their demat accounts will be used by the Corporation for payment of dividend. The Corporation cannot act on any request received directly from the Members holding shares in demat form for any change of bank particulars or bank mandates. Members holding shares in demat form are, therefore, requested to intimate any change in their addresses and/or bank mandate immediately to their Depository Participants.
- d) Members holding shares in physical form are requested to register their Electronic Clearing Service (ECS) mandate by submitting the (i) scanned copy of the signed letter which shall contain member's name, folio number, bank details (viz. Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR details), (ii) a self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled cheque leaf to the Corporation's RTA, by email at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com).
- e) To the members who have not updated their bank account details, the Corporation will pay the dividend through any other permissible mode to the address registered in Corporation's records.
- f) SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated November 3, 2021 (subsequently amended by Circular Nos. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/687 dated December 14, 2021, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 March 16, 2023 and SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 November 17, 2023) has mandated that with effect from April 1, 2024, dividend to security holders (holding securities in physical form), shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after furnishing the PAN, choice of nomination, contact details including mobile number, bank account details and specimen signature.

Further, relevant FAQs published by SEBI on its website can be viewed at [https://www.sebi.gov.in/sebi\\_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf](https://www.sebi.gov.in/sebi_data/faqfiles/jan-2024/1704433843359.pdf).

- g) Pursuant to Income Tax Act, 1961, as amended from time to time, dividend income is taxable in the hands of the members w.e.f., April 01, 2020 and the Corporation is required to deduct tax at source from dividend paid to the members at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Income Tax Act, 1961 and the amendments thereof.

A resident individual member with PAN and who is not liable to pay income tax is required to submit a declaration in Form No. 15G/ 15H, as is applicable.

Non-resident members including Foreign Institutional Investors (FIIs)/ Foreign Portfolio Investors (FPIs) can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents, i.e., Declaration on No Permanent Establishment, Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits.

A communication for the same was sent to the members on Thursday, July 04, 2024, whose email address were registered with the Corporation/Registrar/DPs and were requested to submit requisite information on or before Friday, July 19, 2024.

11. In respect of the physical shareholding, in order to prevent fraudulent transactions, members are advised to exercise due diligence and notify the Registrar of any change in their addresses, telephone numbers, e-mail ids, nominees or joint holders, as the case may be.

The Securities and Exchange Board of India ('SEBI') has mandated submission of Permanent Account Number ('PAN') by every participant in securities market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit the PAN to their Depository Participant with whom they are maintaining their demat accounts. Members holding shares in physical form are requested to submit their PAN details to the Registrar (RTA).

12. Pursuant to Regulation 40(1) of the Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialised form with effect from April 1, 2019. Members may please note that SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022, has mandated Listed Companies to issue securities in demat form only while processing service requests viz; Issue of duplicate securities certificate; claim from Unclaimed Suspense Account; Renewal/Exchange of securities certificate; Endorsement; Sub-division/Splitting of securities certificate; Consolidation of securities certificates/folios; Transmission and Transposition.

Further, it may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC compliant. SEBI, vide its notification dated January 24, 2022, has mandated that all requests for transmission and transposition shall be processed only in dematerialised form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Members can contact the Corporation or RTA, for assistance in this regard.

13. Pursuant to the provisions of Section 5E of the LIC Act, 1956 read with Regulation 9 of the Life Insurance Corporation General Regulations, 2021, the members holding shares may nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares shall vest in the event of death of the sole holder or all the joint holders. Members holding shares in demat form may contact their respective Depository Participants for availing this facility and the Registrar in respect of shares held in physical form.
14. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.
  - a) For shares held in electronic form: to their Depository Participants ("DPs")
  - b) For shares held in physical form: to the Corporation/RTA in prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/SECFATF/P/ CIR/2023/169 dated October 12, 2023. To mitigate unintended challenges on account of freezing of folios, SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/ CIR/2023/181 dated November 17, 2023, has done away with the provision regarding freezing of folios not having PAN, KYC, and Nomination details.
15. SEBI vide Circular Nos. SEBI/HO/OIAE/OIAE\_IAD-1/P/ CIR/2023/131 dated July 31, 2023, and SEBI/HO/OIAE/OIAE\_IAD-1/P/CIR/2023/135 dated August 4, 2023, read with Master Circular No. SEBI/HO/OIAE/OIAE\_IAD-1/P/CIR/2023/145 dated July 31, 2023 (updated as on August 11, 2023), has established a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market.

Pursuant to above-mentioned circulars, post exhausting the option to resolve their grievances with the RTA/ Corporation directly and through existing SCORES platform, the investors can initiate dispute resolution through the ODR Portal (<https://smartodr.in/login>) and the same can also be accessed through the Corporation's website at <https://www.licindia.in/web/guest/online-dispute-resolution>.

16. Members are requested to note that under Section 28C of the LIC Act, 1956, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

Further, all shares in respect of which dividends remain unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more, are also required to be transferred to designated Demat Account of the IEPF Authority.

17. Members desiring inspection of statutory registers during the AGM or who wish to inspect the relevant documents referred in the Notice in terms of the provisions of the LIC Act, 1956 read with rules and regulations made thereunder, can send their request at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com).

18. Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories / RTA for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

- (i) Members holding shares in physical form, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com).
- (ii) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (scanned self-attested copy of PAN card), AADHAR (scanned self-attested copy of Aadhar Card) to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com). If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained below in para 22 at step 1 (A) i.e., Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.
- (iii) Alternatively, shareholders/members may send a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

19. Remote e-voting before/during the AGM:

- (i) Pursuant to Section 23A of the LIC Act, 1956 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Corporation is pleased to provide the facility of voting by electronic means viz; 'remote e-voting' (e-voting from a place other than venue of the AGM) to its members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Corporation has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The facility for casting votes by a Member using remote e-Voting system as well as remote e-Voting during the AGM will be provided by NSDL.
- (ii) Members of the Corporation holding shares either in physical form or in electronic form as on the cut-off date of Friday, August 16, 2024, may cast their vote by remote e-Voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before the AGM as well as remote e-Voting during the AGM. Any non-individual member or member holding securities in physical mode who acquires shares of the Corporation and becomes a Member of the Corporation after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. August 16, 2024 (Friday), may obtain the User ID and Password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)
- (iii) Individual members holding securities in demat mode, who acquire shares of the Corporation and become a Member of the Corporation after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, i.e., August 16, 2024 (Friday), may follow the login process mentioned below in para 22.

- (iv) The remote e-Voting period commences on Monday, August 19, 2024 at 0900 hrs (IST) and ends on Wednesday, August 21, 2024 at 1700 hrs (IST). The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date i.e., August 16, 2024.
- (v) Members will be provided with the facility for voting through remote electronic voting system during the VC proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting, will be eligible to exercise their right to vote at the end of discussion on such resolutions upon announcement by the Chairperson. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will also be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again. Subject to the receipt of requisite votes, resolutions shall be deemed to be passed on the date of the meeting, i.e., August 22, 2024 (Thursday).
- (vi) The remote e-Voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.
20. Ms. Aparna Gadgil (Membership No. ACS 14713) and failing her, Mr. Viswanathan S.N. (Membership No. ACS 61955) of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutiniser for providing facility to the Members of the Corporation to scrutinise remote e-Voting process as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Scrutiniser will submit his/her report to the Chairperson or to any other person authorised by the Chairperson after the completion of the scrutiny of the e-Voting (votes cast through remote e-Voting before/during the AGM), within the time stipulated under the applicable laws. The result declared along with the Scrutiniser's report shall be communicated to the Stock Exchanges on which the Corporation's shares are listed, NSDL and will also be displayed on the Corporation's website under the 'Investor Relations' section at [www.licindia.in](http://www.licindia.in). It shall also be displayed on the Notice Board at the Central Office of the Corporation.
21. Instructions for Members for attending the AGM through VC/OAVM are as under:
- (i) Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned below under para 22 for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against Corporation's name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the **EVEN (129391)** of Corporation will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice early to avoid last minute rush.
- (ii) Members may join the Meeting through laptops, smartphones, tablets and iPads for better experience. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the Meeting. Members will need the latest version of Chrome, Safari, Internet Explorer 11, MS Edge or Firefox. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via mobile hotspot might experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any glitches.
- (iii) Members are encouraged to submit their questions with regard to the financial statements or any other business to be placed at the 3<sup>rd</sup> AGM, from their registered e-mail address, mentioning their name, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number, in advance at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) from Sunday, August 18, 2024 at 0900 hrs (IST) to Tuesday, August 20, 2024 at 1700 hrs (IST). Such questions by the Members shall be suitably replied to by the Corporation.
- (iv) Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/Folio number, PAN and mobile number at [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com) between Sunday, August 18, 2024 at 0900 hrs (IST) to Tuesday, August 20, 2024 at 1700 hrs (IST). The Corporation reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

- (v) Members who need technical assistance before or during the AGM to access and participate in the Meeting may contact Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager, NSDL at [sanjeevy@nsdl.co.in](mailto:sanjeevy@nsdl.co.in) /022-4886 7000.

22. **Instructions for members for remote e-voting and joining Annual General meeting are as under:**

The remote e-voting period begins on Monday, August 19, 2024 at 0900 hrs (IST) and ends on Wednesday, August 21, 2024 at 1700 hrs (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., August 16, 2024, may cast their vote electronically. The voting right of members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Corporation as on the cut-off date, being August 16, 2024.

**How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?**

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:

**Step 1: Access to NSDL e-Voting system**

**A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Members holding securities in demat mode:**

In terms of SEBI circular dated December 09, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual Members holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual Members holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="677 989 1500 1367">Existing <b>IDeAS</b> user can visit the e-Services website of NSDL Viz. <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the “<b>Beneficial Owner</b>” icon under “<b>Login</b>” which is available under ‘<b>IDeAS</b>’ section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on “<b>Access to e-Voting</b>” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</li> <li data-bbox="677 1367 1500 1516">If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>. Select “<b>Register Online for IDeAS Portal</b>” or click at <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a></li> </ol>

Type of shareholders	Login Method
	<p>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <a href="https://www.evoting.nsd.com/">https://www.evoting.nsd.com/</a> either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/ Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</p> <p>4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</p> <p style="text-align: center;"><b>NSDL Mobile App is available on</b></p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>App Store</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Google Play</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px; margin-top: 10px;">   </div>
<p>Individual Members holding securities in demat mode with CDSL</p>	<p>1. Users who have opted for Easi / Easiest, can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website at <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login icon &amp; New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username &amp; password.</p> <p>2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers’ website directly.</p>

Type of shareholders	Login Method
	<p>3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login &amp; New System Myeasi Tab and then click on registration option.</p> <p>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile &amp; Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>
Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility, upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

**Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.**

**Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL**

Login type	Helpdesk details
Individual Members holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or call at 022-4886 7000
Individual Members holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at toll free no. 1800 22 55 33

**B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for members other than Individual Members holding securities in demat mode and members holding securities in physical mode.**

How to Log-in to NSDL e-Voting website?
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a> either on a Personal Computer or on a mobile.</li> <li>2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.</li> </ol>

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for members other than Individual Members are given below:

- If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- How to retrieve your 'initial password'?
  - If your email ID is registered in your demat account or with the Company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment, i.e., a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
  - If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.

6. If you are unable to retrieve or have not received the “Initial password” or have forgotten your password:
  - a) Click on “Forgot User Details/Password?”(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
  - b) Physical User Reset Password?” (If you are holding shares in physical mode) option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)
  - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
  - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to “Terms and Conditions” by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on “Login” button.
9. After you click on the “Login” button, Home page of e-Voting will open.

**Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.**

**How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?**

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies “**EVEN**” in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select “**EVEN**” of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on “VC/OAVM” link placed under “Join General Meeting”.
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
5. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

**The instructions for e-Voting during the Annual General Meeting (AGM) are as under:**

- (i) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- (ii) Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
- (iii) Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- (iv) The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

**General Guidelines for shareholders:**

- (i) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) to reset the password.
- (ii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders / Members available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager from NSDL at the designated e-mail id: [sanjeevy@nsdl.co.in](mailto:sanjeevy@nsdl.co.in) and/or [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

**STATEMENT PURSUANT TO RULE 28 OF LIFE INSURANCE CORPORATION GENERAL RULES, 1956**

**Item No. 3**

In terms of Section 28B of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”), the Board of Directors of the Corporation in its meeting held on February 08, 2024, has declared 1<sup>st</sup> interim dividend for FY 2023-24 of ₹ 4 per equity share involving a cash outflow of ₹ 2530 crore during the year.

Further, the Board of Directors in its meeting held on May 27, 2024, has also recommended a final dividend of ₹ 6/- per equity share for FY 2023-24, subject to the declaration by the members of the Corporation in Annual General Meeting. The final dividend on equity shares, if approved by the Members, would involve a cash outflow of ₹ 3795 crore. The total dividend for FY 2024 amounts to ₹ 10/- per equity share and would involve a total cash outflow of ₹ 6325 crore which translates into a dividend pay-out ratio of 15.55%.

Accordingly, the members are requested to adopt the proposal contained under item no. 3 set out in the notice.

**Item No. 4**

In terms of Section 25 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“LIC Act, 1956”) read with Rule 22 of Life Insurance Corporation General Rules, 1956 and the Board approved policy on selection of Auditors’ of the Corporation, as amended from time to time and other applicable provisions, if any, the appointment of Auditors’ of the Corporation needs to be approved by the members in the AGM.

One of the Corporation’s Auditors, i.e., M/s Batliboi & Purohit, Mumbai (Firm Registration No.: 101048W) and two Auditors for Zones viz; M/s AR & Co., New Delhi (Firm Registration No.: 002744C) and M/s Todi Tulshyan & Co., Patna (Firm Registration No.: 002180C) are retiring at the conclusion of the 3<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Corporation to be held on August 22, 2024.

Pursuant to the foregoing provisions of LIC Act, 1956 and based on the recommendations of the Audit Committee in its meeting held on June 20, 2024 and the Board of Directors of the Corporation in its meeting held on June 21, 2024, it is proposed to appoint following firms as Corporation’s Auditor and Auditors for Zones of the Corporation:

Particulars	M/s V. Sankar Aiyar & Co.	M/s ASA & Associates LLP	M/s AK Salampuria & Associates
Brief Profile	The firm was established in the year 1952, and presently having 03 offices across India. The present strength of the firm is 16 full-time partners and 40 full-time CA employees.	The firm was established in the year 1977, and presently having 8 offices across India. The present strength of the firm is 33 full-time partners and 132 full-time CA employees	The firm was established in the year 1987, and presently having 6 offices across India. The present strength of the firm is 10 full-time partners.
Auditor	Corporation’s Auditor	Auditor for Northern Zone, New Delhi	Auditor for East Central Zone, Patna

Particulars	M/s V. Sankar Aiyar & Co.	M/s ASA & Associates LLP	M/s AK Salampuria & Associates
Firm Registration Number (FRN)	109208W	009571N/N500006	004285C
Comptroller & Auditor General (CAG) Empanelment Number	BO0031	DE1187	ER0152
Head Office	Mumbai	New Delhi	Patna
Tenure of Appointment	5 years commencing from the conclusion of 3 <sup>rd</sup> AGM till the conclusion of the 8 <sup>th</sup> AGM to be held in the year 2029	5 years commencing from the conclusion of 3 <sup>rd</sup> AGM till the conclusion of the 8 <sup>th</sup> AGM to be held in the year 2029	5 years commencing from the conclusion of 3 <sup>rd</sup> AGM till the conclusion of the 8 <sup>th</sup> AGM to be held in the year 2029

Besides the audit services, the Corporation would also obtain certifications from the Auditors under various statutory regulations and certifications required by banks, statutory authorities, audit related services and other permissible non-audit services as required from time to time, for which they will be remunerated separately on mutually agreed terms, as approved by the Board in consultation with the Audit Committee.

All three firms viz; M/s V. Sankar Aiyar & Co. (Firm Registration No.: 109208W), M/s ASA & Associates LLP (Firm Registration No.: 009571N/N500006) and M/s AK Salampuria & Associates (Firm Registration No.: 004285C), have consented to the said appointment and confirmed that their appointment, if made, would be within the limits specified under the applicable laws.

Accordingly, it is proposed to authorize the Board of Directors to approve other terms and conditions and remuneration for appointment of aforesaid Auditors on the recommendation of the Audit Committee. The names of the firms proposed to be appointed as Corporation's Auditors and Auditors for Zones are given in the resolution contained under item no. 4 of the AGM notice.

Further, it is also proposed to authorize the Board of Directors for appointment of other Auditors for Divisions of the Corporation in terms of Section 25 of the LIC Act, 1956 read with rules made thereunder and as per the Board approved policy on selection of Auditors' of the Corporation, as amended from time to time and other applicable provisions, if any, to approve their terms and on the other terms and conditions and remuneration for appointment on the recommendation of the Audit Committee.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Corporation or their relatives are in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolutions.

Based on the recommendation of Audit Committee, the Board recommends the passing of the resolutions, as set out under item no. 4 of the AGM Notice.

#### Item No. 5

The Government of India vide their notification dated August 14, 2023, has appointed Mr. Doraiswamy Ramchandran as Managing Director of the Corporation w.e.f., the date of assumption of charge of office and upto the date of his superannuation (i.e., August 31, 2026) or until further orders, whichever is earliest. Mr. Ramchandran took charge as Managing Director of the Corporation on September 01, 2023.

Mr. Doraiswamy Ramchandran has more than 38 years of rich and diverse experience in Operations, Marketing, Technology and Academics. Prior to taking charge as Managing Director, Mr. Doraiswamy Ramchandran has held various leadership positions within the Organisation as Executive Director (Information Technology/Software Development), Regional Manager (Marketing / Chief Life Insurance Advisor), Regional Manager (Pension & Group Schemes) at Southern Zonal Office, Chennai, Senior Divisional Manager of Kottayam Division and Marketing Manager of Chennai I, Thanjavur and Pune divisions.

As Research Associate at National Insurance Academy, Pune, he has worked on multiple projects on Micro Insurance, Insurance Law and Regulations, Product Development and Content development for Post Graduate Programmes in Insurance Management / Chartered Financial Planning.

Mr. Doraiswamy is a Graduate in Mathematics from Madurai Kamaraj University, Fellow Member of Insurance Institute of India and a student member of Institute of Actuaries of India.

In terms of Regulation 17 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is proposed to pass the resolution contained under Item No. 5 of the AGM notice for taking formal approval of the appointment of Mr. Doraiswamy Ramchandran as Managing Director of the Corporation.

Except Mr. Doraiswamy Ramchandran and his relatives, no other Director, Key Managerial Personnel or their relatives are in anyway concerned or interested in the passing of resolution contained under Item No. 5.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolution as set out under item no. 5 to the AGM Notice.

#### Item No. 6

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the amendment in SEBI Listing Regulations, effective from April 01, 2022, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Corporation has obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC MF at the 2<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Corporation held on August 22, 2023, which will be valid till the 3<sup>rd</sup> AGM. Thus, the Corporation requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 6, during FY2025, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

Accordingly, the Members' approval is sought for the same. Details of the material related party transaction for FY 2025, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI Circular dated July 29, 2022 updated as on June 30, 2023 and SEBI Master Circular dated July 11, 2023 is provided herewith:

#### (I) Name of the Related Party and Nature of Relationship:

LIC Mutual Fund Asset Management Limited (Associate Company)

#### (II) Other Information:

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Placement in direct Mutual Fund Schemes / issuance or subscription of any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued
1	Value of the transaction	The sum of all the placement in direct Mutual Fund Schemes is upto ₹ 35,000 crore, subject to limits as per IRDAI norms and Corporation's internal policies	As per the terms and conditions of the Products and the scale of business

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Placement in direct Mutual Fund Schemes / issuance or subscription of any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued
2	Material Terms	90 days Redemption	The premium received is as per the terms and conditions of the product
3	Nature of concern or interest (financial/otherwise)	Financial	Financial
4	Tenure of the transaction	90 days	As per policy terms and conditions of the product opted for.
5	% of value of transaction/ the Corporation's annual consolidated turnover for immediately preceding financial year (Based on Consolidated turnover of FY2024)	0.04	Not applicable
6	Details of the source of funds in connection with the proposed transaction	Investible Surplus	Not applicable
7	Details of financial indebtedness incurred for investment	Not Applicable	Not applicable
8	Applicable terms of the investment such as covenants, tenure, interest rate, repayment schedule, secured/unsecured, if secured, nature of security	Not Applicable	Not applicable
9	The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the related party transaction	Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms	Not applicable
10	Justification as to why the Related party transaction is in the interest of the listed entity	Temporary parking of funds and compliance of IRDAI norms	The Corporation provides various Group Insurance products to cater the requirements of corporate entities and financial institutions. These products cover mortality risk, morbidity risk and long-term terminal benefits for their employees. The Corporation also issues such group policies/schemes to various unrelated corporate entities and financial institutions.
11	Valuation or other external party report	Not Applicable	Not applicable

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/ empowered/ to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/ continue with such

arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise) with LIC Mutual Fund Asset Management Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding the fact that all such transactions entered into during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 6 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolutions as set out under item no. 6 of the AGM Notice.

#### Item No. 7

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the amendment in SEBI Listing Regulations, effective from April 01, 2022, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 7, during FY2025, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

Accordingly, the Members' approval is sought for the same. Details of the material related party transaction for FY 2025, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI Circular dated July 29, 2022 updated as on June 30, 2023 and SEBI Master Circular dated July 11, 2023 is provided as under:

**(I) Name of the Related Party and Nature of Relationship:**

IDBI Bank Limited (Associate Company)

**(II) Other Information:**

**Acceptance of Deposits**

LIC operates current account deposits/saving account or any other similar accounts with various banks including IDBI Bank, as per the need of the Corporation. Whenever the Corporation chooses to avail such facility, it would do so only if the rates, terms and conditions are comparable to the terms and conditions of any other banking institution. Type of facility and the term and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of the Corporation. Hence, the value of transactions cannot be determined by LIC. Currently, no interest is paid by the Bank on current account balance maintained

by the Corporation and the Bank levies normal banking charges on the current account, as per the terms and conditions applicable for other customers for various services. However, for savings account, Bank levies charges/pays interest to the Corporation similar to any other banks. These transactions are in the ordinary course of business of the Corporation.

#### **Funded and Non-funded facilities**

The Corporation is availing fund based and non-fund based facilities from various banks (related / unrelated parties) as a part of ordinary course of business. Whenever the Corporation chooses to avail such facility, it would do so only if the rates, terms and conditions are comparable to the terms and conditions of any other banking institution. Type of facility and the term and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of the Corporation. The interest and fee expense paid to the Bank are consequential transactions flowing out of principal transactions in the form of loan, guarantees, cash credit etc. Therefore, the quantum of the transaction depends on the value of the principal transaction. IDBI Bank is having extensive network of branches in India offering wide range of banking facilities.

#### **Payment of fees / remuneration / commission for distribution of life insurance products and other related business as corporate agent**

IDBI Bank is a corporate agent registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI") in accordance with the applicable laws. The Corporation has entered into Corporate Agency agreement for distribution of life insurance products through extensive network of branches of IDBI Bank. The Corporation pays fees/ commission for distribution of life insurance products as per the regulations laid down by IRDAI. The level of fees paid is dependent on various factors, i.e., business volume, product mix, regulatory guidelines etc. The agreement with IDBI Bank is subject to renewal as per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The strategic benefits of this banca partnership is multidimensional and will continue to unfold over a long period of time.

#### **Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/schemes issued**

At actuals, as per the terms and conditions of the products and the scale of business.

#### **Issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto**

Transactions involving subscription/purchase of securities from related parties are carried out by the Corporation as a part of its investing activities. The decision to invest depends on various factors i.e. market condition, valuation, issue size, regulatory limits etc. and subject to regulatory approvals wherever applicable. Thus, value of transactions cannot be ascertained. The securities offered by related parties in the primary market are subscribed by the Corporation at the prevailing market rate and at same terms at which these securities are offered to all prospective investors whereas secondary market purchase of securities is undertaken at prevailing market rates / fair values at an arm's length basis. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities. The Corporation in its ordinary course of business, enters into the above-mentioned transactions for risk management, manage liquidity, to manage maintenance of required regulatory ratio and to earn profits from trading activities by taking advantage of price / yield movements.

#### **Other transactions**

There could be other contracts/ transactions/ arrangements with IDBI Bank inter-alia in the nature of fees, commissions, brokerage, premium, rent, reimbursement, any other income/ expense and other activities including activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services and investment banking etc., in the ordinary course of Corporation's business.

The Corporation, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans/advances or investment by the Corporation. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/ empowered/ to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/ continue with such arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions

or otherwise) with IDBI Bank Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding the fact that all such transactions entered into during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 7 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolutions as set out under item no. 7 of the AGM Notice.

#### **Item No. 8**

Pursuant to Section 4C of LIC Act, 1956, related party transactions such as sale/ purchase of goods or services, disposal or lease of property of any kind, appointment of any agent for purchase or sale of any goods, materials, services or property, appointment to an office of profit and underwriting the subscription of securities/derivatives of the Corporation, transfer of resources, etc., shall require prior approval of Members, if transactions exceeded such sums, as prescribed. Further, such transactions were exempt from the prior approval of Members, if they were in the ordinary course of business and at arms' length.

However, as per SEBI Listing Regulations, any type of transaction with a Related Party, if material, requires prior approval of Members, even if such transactions were in ordinary course of business and at arms' length. Pursuant to the amendment in SEBI Listing Regulations, effective from April 01, 2022, a transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

The Audit Committee had accorded approval for the material transactions with related parties in the ordinary course of business and at arm's length for FY2025. Accordingly, the Corporation proposes to enter into transactions with related parties as provided in resolution at Item No. 8, during FY2025, at the agreed terms of the transactions between the parties. The Audit Committee has approved the said related party transactions and has noted that although these transactions are in the ordinary course of business and are at arm's length, they may qualify as material related party transactions under the SEBI Listing Regulations.

Accordingly, the Members' approval is sought for the same. Details of the material related party transaction for FY 2025, as required under Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations read with SEBI Circular dated July 29, 2022 updated as on June 30, 2023 and SEBI Master Circular dated July 11, 2023 is provided herewith:

**(I) Name of the Related Party and Nature of Relationship:**

LIC Housing Finance Limited (Associate Company)

**(II) Other Information:**

S. No.	Particulars	Type of Transactions	
		Issuance of/ subscription to non-convertible debentures/ any other securities and transactions incidental thereto	Premium/fund received and insurance policy benefits paid towards group insurance policies/ schemes issued
1	Value of the transaction	The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities, if any proposed to be issued by the LIC HFL	As per the terms and conditions of the securities
2	Material Terms	The terms of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the LIC HFL and in accordance with applicable laws	The premium received is as per the terms and conditions of the product
3	Nature of concern or interest (financial/otherwise)	Financial	Financial
4	Tenure of the transaction	As per the terms of the securities issued by the LIC HFL	As per policy terms and conditions of the product opted for.
5	% of value of transaction/ the Corporation's annual consolidated turnover for immediately preceding financial year (Based on Consolidated turnover of FY2024)	Not applicable	Not applicable
6	Details of the source of funds in connection with the proposed transaction	Not applicable	Not applicable
7	Details of financial indebtedness incurred for investment	Not applicable	Not applicable
8	Applicable terms of the investment such as covenants, tenure, interest rate, repayment schedule, secured/ unsecured, if secured, nature of security	Not applicable	Not applicable
9	The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the related party transaction	Not applicable	Not applicable
10	Justification as to why the Related party transaction is in the interest of the listed entity	The Corporation may also subscribe debt securities like NCDs, if any issued by LIC HFL in accordance with the provisions of the applicable laws, offer letter; and payment of interest on such securities uniformly to all investors, in the interest of the Corporation	The Corporation provides various Group Insurance products to cater to the requirements of corporate entities and financial institutions. These products cover mortality risk, morbidity risk and long-term terminal benefits for their employees. The Corporation also issues such group policies to various unrelated corporate entities and financial institutions.
11	Valuation or other external party report	Not Applicable	Not applicable

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Corporation and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Corporation.

In view of the above, the Corporation proposes to obtain approval of the members for granting authority to the Board of the Corporation (which shall be deemed to include any Committee(s) constituted/ empowered/ to be constituted by the Board including Audit Committee from time to time to exercise its powers conferred by this resolution) to carryout/ continue with such arrangements and transactions as specified in the resolution or as mentioned above (whether individually or taken together or series of transactions or otherwise) with LIC Housing Finance Limited, being related party, whether by way of renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise notwithstanding the fact that all such transactions entered into during the financial year 2024-25 and upto the date of the next annual general meeting of the Corporation for a period not exceeding fifteen months, whether individually or in aggregate may exceed materiality threshold as stated above.

A member who is a related party to the Corporation, shall not vote on the resolutions specified in Item No. 8 of this Notice, irrespective of whether the member is a party to the particular related party transaction or not.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, is concerned/interested financially or otherwise in the above resolution, except to the extent of their shareholding/ directorships, if any, in the Corporation and in the entity mentioned above.

Accordingly, the Board recommends the passing of the resolutions as set out under item no. 8 of the AGM Notice.

By order of the Board of Directors  
**For Life Insurance Corporation of India**

Sd/-  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary & Compliance officer

Date: July 15, 2024

Place: Mumbai

**Central Office:**

Life Insurance Corporation of India

'Yogakshema', JeevanBimaMarg,

Nariman point, Mumbai – 400 021

Tel. No: 022 – 2202 2079

Email: [investors@licindia.com](mailto:investors@licindia.com)

Website: [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

## Annexure A

Details under Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Secretarial Standard – 2, in respect of the Director seeking appointment:

Name of Director	Mr. Doraiswamy Ramchandran
Age	58 years
Nationality	Indian
Qualification	B.Sc (Mathematics), Fellow Member of Insurance Institute of India and a Student Member of the Institute of Actuaries of India
DIN	10358884
Brief Resume	<p>He has more than 38 years of rich and diverse experience in Operations, Marketing, Technology and Academics. Prior to taking charge as Managing Director, Mr. Doraiswamy Ramchandran has held various leadership positions within the Organisation as Executive Director (Information Technology/Software Development), Regional Manager (Marketing / Chief Life Insurance Advisor), Regional Manager (Pension &amp; Group Schemes) at Southern Zonal Office, Chennai, Senior Divisional Manager of Kottayam Division and Marketing Manager of Chennai I, Thanjavur and Pune divisions.</p> <p>As Research Associate at National Insurance Academy, Pune, he has worked on multiple projects on Micro Insurance, Insurance Law and Regulations, Product Development and Content development for Post Graduate Programmes in Insurance Management / Chartered Financial Planning.</p>
Expertise in specific functional areas	Administration, Finance, Marketing, Life Insurance and Corporate Governance
Terms and conditions of appointment / reappointment	As per Government of India notification dated August 14, 2023. The other details are available on Corporation's website at <a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
Details of remuneration and remuneration last drawn	As per Government of India notification dated August 14, 2023.
Date on which first appointed on the Board	September 01, 2023
Details of shareholding in the Corporation	35 Equity Shares
Relationship with other Directors/Key Managerial Personnel (if any)	None
Number of Board meetings attended during the year	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 216
Details of Directorships/ Committee chairmanship and memberships in other Companies	Please refer Corporate Governance Report annexed to Annual Report at page no. 217
Details of Resignation from Directorship in the past three years (listed companies)	Nil



*Har Pal Aapke Saath*

## डिजिटल इनोवेशन

स्वीकार्यता ▶ प्रतिबद्धता ▶ कुशलता

## DIGITAL INNOVATION

Engage ▶ Embrace ▶ Excel



**67<sup>वीं</sup>**  
**th**

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24  
Annual Report 2023-24

भारतीय जीवन बीमा निगम  
Life Insurance Corporation of India

# Board of Directors and Key Managerial Personnel

## Board of Directors



**Shri Siddhartha Mohanty**  
Chief Executive Officer &  
Managing Director



**Dr. Maruthi Prasad Tangirala**  
Government Nominee Director



**Shri Jagannath M**  
Managing Director



**Shri Tablesh Pandey**  
Managing Director



**Shri Sat Pal Bhanoo**  
Managing Director



**Shri Doraiswamy  
Ramchandran**  
Managing Director



**Dr. Ranjan Sharma**  
Independent Director



**Shri Vinod Kumar Verma**  
Independent Director



**Prof. Anil Kumar**  
Independent Director



**Smt. Anjuly Chib Duggal**  
Independent Director



**Shri Mahalingam G**  
Independent Director



**Shri Raj Kamal**  
Independent Director



**Dr. V S Parthasarathy**  
Independent Director



**Shri Muthu Raju Paravasa  
Raju Vijay Kumar**  
Independent Director

## Key Managerial Personnel



**Shri Dinesh Pant**  
Appointed Actuary &  
Executive Director (Actuarial)



**Shri Pandiyan Kumaresan**  
Executive Director (Audit) &  
Chief Internal Auditor



**Shri Sudhakar Ravindranath**  
Executive Director  
(Marketing/ PD) &  
Chief Marketing Officer



**Shri Krishna Kumar  
Sukumaran Nair**  
Executive Director  
(Corp Gov/ GJF/Reg.Comp) &  
Chief Compliance Officer



**Shri Sunil Agrawal**  
Chief Financial Officer



**Shri Ratnakar Patnaik**  
Executive Director (INVT-FO) &  
Chief Investment Officer



**Smt. Bella Paul**  
Chief In-Charge (Board  
& Secretarial)



**Shri S Sunder Krishnan**  
Chief Risk Officer



**Shri Anshul Kumar Singh**  
Company Secretary &  
Compliance Officer

## हमारा कल्पना दर्शन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रतिस्पर्धी, विशाल वित्तीय समूह, जो विभिन्न समाजों के लिए महत्वपूर्ण हो एवं भारत का गौरव हो।

## हमारा लक्ष्य

आकांक्षा के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से समुचित लाभ के साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सभी के जीवन स्तर को निरापद रखना एवं उन्नत करना तथा आर्थिक विकास के लिए संसाधन सुनिश्चित करना।

### हमारे मूल्य

अभिरक्षण व शिष्टाचार  
अभिक्रम व नवीनता  
सत्यनिष्ठा व पारदर्शिता  
गुणवत्ता व लाभ  
सहभागिता व संबंध  
विश्वसनीयता व भरोसा

### हमारी संस्कृति

दक्षता  
अनुकूलता  
सहयोग  
प्रतिबद्धता  
अनुशासन  
अधिकृत करना  
संवेदनशीलता  
उत्कृष्टता

## OUR VISION

To transform ourselves into a transnationally competitive financial conglomerate of significance to societies and the Pride of India.

## OUR MISSION


To ensure and enhance the quality of life of people through financial security by providing products and services of aspired attributes with competitive returns and by rendering resources for economic development.

### OUR VALUES

Caring and courtesy  
Initiatives and Innovation  
Integrity and Transparency  
Quality and Returns  
Participation and Relationship  
Trustworthiness and Reliability

### OUR CULTURE


Agility  
Adaptability  
Collaboration  
Commitment  
Discipline  
Empowerment  
Sensitivity  
Excellence



• Market Share as per IRDAI Statement • Composite = (Individual + Group Business)

## PENSION AND GROUP BUSINESS (Conventional Business)

**Achievement from 01.04.2023 to 31.03.2024**



## BUSINESS IN FORCE




Lives covered under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) - 2,89,15,408




## PERFORMANCE PARAMETERS

(₹ in Cr) F.Y.2023-24



\*Excluding Transfer of fund from shareholders A/C

## CLAIM SETTLEMENT PERFORMANCE 2023-24 (INDIVIDUAL, MICRO & GROUP)



**THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK**

## विषय सूची / Table of Contents

<b>निगमित अवलोकन</b>	
एलआईसी - यात्रा	6
अध्यक्ष की कलम से	11
निदेशक मंडल	14
<b>वैधानिक रिपोर्ट</b>	
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	19
बोर्ड रिपोर्ट	39
निगमित शासन रिपोर्ट	58
व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट	112
<b>Corporate Overview</b>	
LIC - The Journey	161
From the desk of Chairperson	166
Board of Directors	169
<b>Statutory Reports</b>	
Management Discussion and Analysis	174
Board's Report	194
Corporate Governance Report	213
Business Responsibility & Sustainability Report	266
<b>वित्तीय विवरण / FINANCIAL STATEMENTS</b>	
परिणामों का सारांश / Summarised Results	317
स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) / Standalone	329
समेकित / Consolidated	601
<b>ADDITIONAL INFORMATION</b>	
Embedded Value Report	782
Glossary of Terms	784

अस्वीकरण: वार्षिक रिपोर्ट के किसी भी खंड/भाग प्रावधानों में अस्पष्टता /विसंगती होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में उल्लेखित खंड/भाग /प्रावधानों को सही माना जाएगा।

# एलआईसी – यात्रा

1956

- 1 सितंबर को भारतीय जीवन बीमा निगम, 245 कंपनियों के राष्ट्रीयकरण से अस्तित्व में आया।
- फिजी और मॉरीशस में विदेशी शाखाएं प्रारम्भ।

1957

- समूह बीमा योजना के अंतर्गत पहली मास्टर पॉलिसी एलआईसी के मुंबई कार्यालय द्वारा जारी की गई थी।
- पहली पेंशन पॉलिसी योजना जारी की गई थी।
- 'योगक्षेम' कॉर्पोरेट पत्रिका मई में एक त्रैमासिक पत्रिका के रूप में शुरू हुई।
- वेतन बचत योजना माध्यम शुरू किया गया जिससे लाखों कर्मचारी एलआईसी पॉलिसी लेने में सक्षम।

1958

- एलआईसी की पहली निवेश नीति 25 अगस्त को संसद के पटल पर रखी गई।
- प्रथम बीमा ग्राम - अमरावती ज़िले में तलनी पूर्णा ग्राम को घोषित किया गया।

1963

- एलआईसी ने कैलेण्डर वर्ष से वित्तीय वर्ष में कार्य करने के परिवर्तन को अपनाया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम के कॉर्पोरेट कार्यालय 'योगक्षेम' एक स्थापत्य स्थल चित्र का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को किया।
- मुंबई और कोलकाता कार्यालयों में पहले कंप्यूटर स्थापित किए गए।

1961

- अधिकारी वर्ग की प्रत्यक्ष भर्ती का पहला बैच निगम में शामिल।

1960

- नागपुर में 16 मई को अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई।
- यू.के. में विदेशी शाखा आरम्भ की गई।

1967

- मुंबई में आईबीएम 1401/1410 कंप्यूटर स्थापित किए गए। ईडीपी विभाग ने काम करना शुरू कर दिया।

1969

- अधिकारी प्रशिक्षण कॉलेज को नागपुर से बोरीवली, मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।

1970

- भारतीय जीवन बीमा को दर्शाने वाले स्मारक टिकट और पोस्ट कार्ड भारतीय डाक और टेलीग्राफ के माध्यम से जारी किये गए। 1870-1970 (भारत में जीवन बीमा की एक सदी)

1972

- पहली कैरियर एजेंटों की शाखाएं 1972 में स्थापित की गईं।
- भारतीय जीवन बीमा निगम अधिकर्ता विनियम तैयार किए गए।
- पुनर्गठन नीति 1971 से 1978 की अवधि में लागू की गई थी। प्रो. ईश्वरदयाल, एक प्रबंधन सलाहकार, को संचालन के पुनर्गठन के लिए लगाया गया जहां शाखाएं प्राथमिक सेवा केंद्र बन गईं, जो वहां उत्पन्न होने वाले सभी कार्यों के 80% को निपटाने में सक्षम थी।
- कैरियर एजेंसी योजना अस्तित्व में आई।
- एजेंट क्लबों के चार स्तर - अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रबंधक, मंडल प्रबंधक और शाखा प्रबंधक के क्लब एजेंसी बल को पेशेवर बनाने के लिए गठित किए गए।

1971

- अधिकर्ता क्लब की अवधारणा 1971 में आरम्भ की गई।

1978

- संयुक्त उद्यम कैम इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का आरम्भ।
- विकास अधिकारियों हेतु प्रोत्साहन बोनस योजना अस्तित्व में आई।

1979

- ग्रामीण कैरियर एजेंसी योजना और शहरी कैरियर एजेंसी योजना अलग से अस्तित्व में आई।

1980

- विकास अधिकारियों की सीधी भर्ती प्रारम्भ।
- साधारण बीमा कम्पनी और उसकी सहायक कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए) की स्थापना की गई।

1987

- भूमिहीन कृषि श्रमिक समूह बीमा (LALGI) अगस्त में शुरू किया गया।

1982

- ईसीआयएल-2958 मेनफ्रेम कम्प्यूटर मुंबई में स्थापित।

1981

- जन रक्षा पॉलिसी ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई।
- माइक्रोप्रोसेसरों की स्थापना पहली बार अक्टूबर में शुरू की गई थी।
- खेल कोटे के तहत भर्ती शुरू।

1988

- मानव संसाधन विकास (एचआरडी) नीति प्रस्तुत की गई।
- ₹ 100 करोड़ की राशि के साथ एक सामाजिक सुरक्षा कोष भारत सरकार द्वारा भारत के समाज के कमजोर वर्गों को कवर करने हेतु स्थापित किया गया।

1989

- भारतीय जीवन बीमा निगम एक वित्तीय समूह में बदल गया।
- एल.आई.सी.हाउसिंग फाइनेंस अस्तित्व में आया।
- एल.आई.सी.म्यूचुअल फंड 20 अप्रैल को ट्रस्ट के रूप में गठित।
- संयुक्त उद्यम एलआईसी इंटरनेशनल बीएससी(सी) बहरीन का उदघाटन।

1993

- केंद्रीय कार्यालय में सॉफ्टवेयर विकास केंद्र स्थापित। 17 जुलाई को 17 शाखा कार्यालयों में फ्रंट एंड एप्लीकेशन पैकेज प्रस्तुत किया गया।

1996

- जीवन सुरक्षा पेंशन योजना एलआईसी की 40<sup>वीं</sup> वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री एच डी देवेगौड़ा द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई।

1995

- ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना (आरजीएलआईएस) 15 अगस्त को प्रारम्भ की गई।

1994

- निगम ध्वज और निगम गीत प्रस्तुत किए गए।

1997

- एलआईसी ने 7 नवंबर को नागरिक चार्टर अपनाया।
- एलआईसी के पहले मेट्रो एरिया नेटवर्क (MAN) का उद्घाटन 22 नवंबर को माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम द्वारा मुंबई में किया गया।

1998

- पहले आईवीआरएस का उद्घाटन 21 अगस्त को मुंबई में किया गया।
- देश भर में 150 टच स्क्रीन आधारित सूचना कियोस्क स्थापित किए गए जिससे ग्राहक पॉलिसियों, नई योजनाओं, बोनस आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

1999

- एल आई सी इंटरनेशनल बीएससी(सी) बहरीन ने 28 सितंबर से कतर में अपने परिचालन का विस्तार किया।

2001

- पहली यूनिट लिंकड बीमा योजना (यूलिप) 'बीमा प्लस' 12 फरवरी को शुरू की गई।
- भारतीय जीवन बीमा निगम ने 6 जून को कॉर्पोरेशन बैंक के साथ अपने पहले रणनीतिक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए।
- 30 जून को शुरू की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना।
- इंटरनेट के माध्यम से प्रीमियम भुगतान की सुविधा 12 सितंबर को शुरू की गई।
- शिक्षण सहयोग योजना का उद्घाटन 31 दिसंबर को किया गया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (नेपाल) लिमिटेड ने 3 दिसंबर को नेपाल में एलआईसी और विशाल समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में उद्घाटन किया।

2000

- 1 जनवरी को 'रणनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया' पर भारतीय जीवन बीमा निगम को सलाह देने के लिए वित्तीय सेवाओं पर प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सलाहकार मैसर्स बूज एलन एंड हैमिल्टन को नियुक्त किया गया।
- वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) का उद्घाटन 2 सितंबर को हुआ।
- सूचना के तेजी से प्रसार के लिए एलआईसी ने अपनी वेबसाइट [www.licindia.in](http://www.licindia.in) और इंटरनेट साइट 'जीवन संचार' लॉन्च की।

2002

- एलआईसी के पहले सूचना केंद्र का मुंबई में उद्घाटन किया गया। देश भर में 8 स्थानों पर कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। नंबर 1251 (यूनिफाइड एक्सेस) के माध्यम से सुलभ आईवीआरएस को 12 अप्रैल को कॉल सेंटर्स के साथ एकीकृत किया गया था।
- कॉर्पोरेट संदेश सेवा समाधान, लागू किया गया।
- यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से लिनक्स, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव था, जो अधिक मजबूत और सुविधा संपन्न था।
- बैंकएश्योरेंस के माध्यम से व्यापार शुरू हुआ। कॉर्पोरेशन बैंक के साथ रणनीतिक गठजोड़।

2004

- ईसीएस और कियोस्क के माध्यम से प्रीमियम भुगतान शुरू।
- एसएमएस सेवा पहल शुरू की गई।
- सऊदी अरब में 20 दिसंबर को एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। (एसआईसीसीआई)
- विद्यानेट (एजेंटों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल) प्रारम्भ किया गया।

2003

- एलआईसी (लंका) लिमिटेड का उद्घाटन 1 मार्च को एलआईसी और श्रीलंका के बार्टलेट समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुआ।
- बीमा स्कूल की अवधारणा प्रस्तुत की गई।
- पुणे मंडल के अंतर्गत राजगुरुनगर 8 मार्च को पहली महिला बीमा ग्राम बनी।
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 14 जुलाई को शुरू की गई।
- 20 दिसंबर को कॉर्पोरेशन बैंक के सहयोग से एटीएम के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम की पहली प्रीमियम भुगतान सुविधा का उद्घाटन किया गया।

2005

- भारतीय जीवन बीमा निगम के पहले सैटेलाइट संपर्क कार्यालय (जिसे बाद में सैटेलाइट कार्यालय का नाम दिया गया) का उद्घाटन 2 सितंबर को राजेंद्र नगर, नई दिल्ली (दिल्ली म.का. -1), उत्तर क्षेत्र में हुआ।
- भारतीय जीवन बीमा निगम और इंडसइंड बैंक ने अक्टूबर में बैंक के खाताधारकों को पहली सामूहिक बीमा योजना प्रदान करने के लिए गठजोड़ किया गया।
- भारतीय जीवन बीमा निगम के वेब पोर्टल का उद्घाटन 15 नवंबर को किया गया।
- एलआईसी की स्वर्ण जयंती प्रदर्शनी, जश्र जिदगी का 4 फरवरी से 10 फरवरी तक नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए), मुंबई में लगाई गई।
- उद्यम दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (ईडीएमएस) का शुभारंभ।
- आने वाले वर्षों में सभी ई-बिजनेस पहलों को संभालने के लिए एंटरप्राइज पोर्टल सॉल्यूशंस का शुभारंभ।
- कॉर्पोरेट सक्रिय डेटा वेयरहाउस का शुभारंभ।

2008

- एलआईसी कार्ड सेवाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
- सीएलआईए चैनल शुरू हुआ।
- एलआईसी पेंशन फंड का शुभारंभ।
- एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एएमसी) को 14 फरवरी को शामिल किया गया था।

2007

- एलआईसी एचएफएल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एलआईसी एचएफएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 31 अक्टूबर को शामिल हुई।

2006

- विले पार्ले में एलआईसी के डाटा सेंटर का उद्घाटन।
- एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन की स्थापना।
- भारतीय जीवन बीमा निगम की स्वर्ण जयंती पॉलिसी बीमा गोल्ड प्रारम्भ की गई।

2009

- प्रीमियम भुगतान के वैकल्पिक चैनल शुरू किए गए।
- सम्बंध नवीनीकरण, सहायता डेस्क, विशेष सी.आर.ई., सहायता पुस्तिका जैसी नई ग्रा.सं.प्र. पहल शुरू हुई।
- एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड 'एलआईसी कार्ड' प्रारम्भ किया।

2010

- ऑनलाइन पेपरलेस बीमांकन प्रस्ताव की स्थिति के लिए एसएमएस पूछताछ सेवा।

2011

- एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस) शुरू की गई।

2014

- एजेंटों के लिए क्लब गैलेक्सी पेश किया गया।

2013

- ऑपरेशनल डेटास्टोर तथा ग्राहक एवं मर्चेन्ट पोर्टल प्रारम्भ।
- दूरस्थ अंकेक्षण का शुभारंभ।
- मा.सं.वि.स/ सं. वि. के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज प्रणाली का शुभारंभ।
- कर्मचारी सूचना प्रबंधन का स्वचालन।

2012

- जीवन अक्षय VI - एलआईसी की पहली पॉलिसी ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध कराई गई।
- पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी LIC (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड शामिल की गई।

2015

- तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का शुभारंभ।
- एल आई सी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड का संयुक्त उद्यम एलआईसी शुरू हुआ।

2016

- आईआरडीए के विनियमों के अनुरूप एलआईसी की ई-सेवाओं को 1 फरवरी को शुरू किया गया।
- उन पॉलिसीधारकों के लिए एकमुश्त हीरक जयंती विशेष प्रत्यावर्ती बोनस की घोषणा की गई, जिनकी पॉलिसियां 01.09.2016 को चालू थीं।

2017

- उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) अवधारणा शुरू।
- 29 करोड़ ग्राहकों के पॉलिसी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा हुआ।
- एसएमएस आधारित ग्राहक हेल्पलाइन शुरू।
- वॉलेट, भीम, यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम भुगतान प्रारम्भ।

2019

- आईडीबीआई बैंक अधिग्रहण।
- एजेंट भर्ती ऐप लॉन्च किया गया।
- केंद्रीय कार्यालय में 'सहायक कंपनियों' विभाग गठित।

2018

- भारतीय जीवन बीमा निगम प्रशिक्षण केंद्र (एमडीसी, ज़ेडटीसी) और के.का. सं.वि. /मा.सं. वि. को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र और बीआईएस मान्यता स्वीकृत।
- एजेंटों के लिए एलआईसी मोबाइल ऐप लॉन्च।

2020

- नवव्यवसाय का डिजिटल एप्लिकेशन आनंदा 19 नवंबर को लॉन्च किया गया जो आत्म निर्भर एजेंट के लिए एक संक्षिप्त नाम है जो एजेंट की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान करता है।
- हिंदी चैटबॉट 'एलआईसी मित्र' लॉन्च किया गया।

2021

- आनंदा (का) मोबाइल ऐप का शुभारंभ - 24 अगस्त
- भारतीय जीवन बीमा निगम ने डाक विभाग, भारत सरकार से प्रिंट टू पोस्ट समाधान के लिए एक करार किया - 27 सितंबर
- जमा संग्रह प्रबंधन केंद्र 5 जनवरी को शुरू किया गया।
- बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में देना बैंक भवन का अधिग्रहण।

2023

- प्रोजेक्ट डाइव लॉन्च (डिजिटल इनोवेशन और वैल्यू एन्हांसमेंट)

2022

- पहली भारतीय एंबेडेड वैल्यू रिपोर्ट - 31.03.2022, प्रस्तुत की गई
- निगम के शेयर 17.05.2022 को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हुए
- निगम की पहली वार्षिक सामान्य बैठक - 27.09.2022 को आयोजित हुई

और यात्रा जारी है...



सिद्धार्थ मोहंती

## अध्यक्ष महोदय का संदेश

भारतीय जीवन बीमा निगम की वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह वर्ष जीवन बीमा क्षेत्र में हमारी उत्कृष्ट गौरवशाली विरासत में एक और नया शानदार अध्याय है। हम अपने राष्ट्र की जीवंत विकास गाथा में एक महत्वपूर्ण शक्ति बने हुए हैं। हमने सम्पूर्ण वर्ष अपने हितधारकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए अपनी मुख्य शक्तियों पर पूरी निष्ठा से ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने का प्रयास किया है। हमने प्रमुख रणनीतिक पहलों की शुरुआत की, जो बदलते बाजार की गतिशीलता का ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण सुधारों के सफल कार्यान्वयन में अवश्य परिणत होगी, जिससे बीमा उद्योग में हमारी स्थिति और अधिक मजबूत होगी।

### वैश्विक/भारतीय परिदृश्य

मध्य-पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों और अभूतपूर्व मौद्रिक सख्ती के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव रहा है। अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजारों और अप्रत्याशित जलवायु झटकों की परिस्थिति में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को लक्ष्यों के अनुरूप बनाए रखने के लिए नीतिगत दरों को स्थिर रखा है। आईएमएफ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) की जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक विकास दर 2024 में 3.1% रहने और 2025 में 3.2% तक बढ़ने का अनुमान है।

एमओएसपीआई (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, वैश्विक प्रतिस्पर्धियों में विकास की धीमी गति के बावजूद, भारत के लिए निकट भविष्य में मजबूत आर्थिक विकास की गति के स्पष्ट संकेत हैं। सामान्य मानसून की उम्मीद के साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि के आंकड़ों के आधार पर, आरबीआई ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भी इस साल की शुरुआत में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है, जो उपभोक्ता मांग में मजबूत वृद्धि और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि से प्रेरित है।

इन सभी कारकों का निकट भविष्य में भारतीय बीमा उद्योग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

### भारतीय जीवन बीमा बाज़ार

अपने विशाल भौगोलिक विस्तार और विविधतापूर्ण जनसंख्या के साथ, भारतीय जीवन बीमा बाजार के संबंध में अपार संभावनाओं वाला एक बड़ा अप्रयुक्त बाजार है। विनियामक नीतियों में अनुकूलता, अनुकूल जनसांख्यिकी के साथ-साथ खर्च करने की क्षमता में वृद्धि, और विनियामक प्राधिकरणों द्वारा बीमा साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों के साथ, यह अनुमान लगाया गया है कि जीवन बीमा सभी सेगमेंट के बीच लोकप्रिय बना रहेगा।

एलआईसी हमेशा ऐसे उत्पाद लेकर आया है जो जीवन बीमा कवरेज और निवेश रिटर्न की निश्चितता का सही मिश्रण हैं। हमारा लक्ष्य एजेंटों के उपलब्ध विशाल नेटवर्क का पूर्ण क्षमता से लाभ उठाना है, और अन्य वैकल्पिक चैनलों सहित डिजिटल चैनल को मजबूत करके सही चैनल मिश्रण बनाना है, ताकि हमारे ग्राहकों को एक सहज डिजिटल यात्रा प्रदान की जा सके।

जबकि हमारा ध्यान मुख्य रूप से बाजार हिस्सेदारी में लाभदायक वृद्धि पर रहता है, हमारा उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए मूल्य निर्माण करना है। एक दूरदर्शी सेवा उन्मुख संगठन के रूप में, हम अपनी सक्रिय डिजिटल सेवाओं और नवीन उत्पादों के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि उनकी लगातार बदलती जरूरतों को पूरा किया जा सके।

## व्यावसायिक प्रदर्शन और रणनीति:

पिछले वित्त वर्ष के अंत तक प्रीमियम और पॉलिसियों की संख्या में एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 58.87% और 69.91% थी। पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% की वृद्धि के साथ कुल प्रीमियम आय ₹ 4,75,070 करोड़ थी।

समूह बीमा कारोबार से एकत्रित प्रीमियम ₹ 1,71,302 रहा तथा व्यक्तिगत व्यवसाय से प्राप्तियां ₹ 57,716 करोड़ रहीं। कुल एयूएम 16.48% बढ़कर ₹ 51,21,887 करोड़ हो गया और सॉल्वेंसी मार्जिन सुधरकर 1.98 हो गया।

भारतीय एंबेडेड वैल्यू (आईईवी) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, यह 31.03.2023 को ₹ 5,82,243 करोड़ थी जो 24.92% की वृद्धि दर के साथ 31.03.2024 को ₹ 7,27,344 करोड़ हो गई।

साथ ही, हमारे दृष्टिकोण में जागरूक बदलाव के कारण व्यक्तिगत श्रेणी के तहत वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (APE) में गैर-भागीदारी व्यवसाय की हिस्सेदारी वर्ष 2024 के दौरान बढ़कर 18.32% हो गई है, जो की वर्ष 2022 में 7.12% एवं वर्ष 2023 में 8.89% थी।

हमने अपने नए व्यवसाय के शुद्ध मूल्य (VNB) में भी वृद्धि दर्ज की है जो पिछले वर्ष के ₹ 9,156 करोड़ की तुलना में ₹ 9,583 करोड़ है। इसी तरह, शुद्ध वीएनबी (VNB) मार्जिन भी 16.2% से बढ़कर 16.8% हो गया।

पिछले वर्ष के दौरान हमने गैर-भागीदारी उत्पादों से व्यवसाय का हिस्सा बढ़ाने की दिशा में बहुत प्रयास किए। हमने ग्राहकों और हमारे फील्ड फोर्स से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अपने उत्पाद बास्केट को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नए गैर-भागीदारी उत्पाद लॉन्च किए। इन सभी पहलों ने उत्पाद पोर्टफोलियो की कमी को पूरा किया, विशेष रूप से एलआईसी की जीवन उत्सव योजना, जो कई मायनों अद्वितीय थी। यह उत्पाद पिछले वर्ष के दौरान हमारे प्रदर्शन के लिए उत्प्रेरक के रूप में उभरा और बाजार द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया।

## वर्ष के दौरान प्रस्तुत उत्पादों की सूची:

- एलआईसी की जीवन उत्सव (व्यक्तिगत, बचत, संपूर्ण जीवन बीमा योजना, प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान गारंटीकृत अतिरिक्त लाभ के साथ)
- एलआईसी की अमृतबाल (बच्चे की उच्च शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक गारंटीकृत अतिरिक्त योजना),
- एलआईसी की इंडेक्स प्लस (यूनिट लिंक्ड, वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीकृत वृद्धि के साथ नियमित प्रीमियम योजना),
- एलआईसी की जीवन धारा II (एक व्यक्तिगत, बचत, आस्थगित वार्षिकी योजना),
- एलआईसी की जीवन किरण (एक टर्म बीमा योजना जिसमें प्रीमियम वापसी का प्रावधान है, अतिरिक्त भुगतान किए गए प्रीमियम को छोड़कर)
- एलआईसी की धन वृद्धि योजना (एकल प्रीमियम जीवन बीमा योजना जो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करती है)
- एलआईसी की समूह सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (एक समूह बचत योजना)

यद्यपि वर्ष के दौरान हमारी कुल प्रीमियम वृद्धि स्थिर रही, फिर भी आगे बढ़ते हुए हम अपने प्रयासों में और अधिक गतिशीलता लाने एवं अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों में वृद्धि की योजना पर कार्य कर रहे हैं।

## पुरस्कार

पिछले वर्ष हमें कई उपलब्धियां हासिल हुईं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- ब्रांड फाइनेंस इंडेक्स 2024 द्वारा हमें विश्व के नंबर 1 बीमा ब्रांड का दर्जा दिया गया है।
- एस एंड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा दी गई रैंकिंग के अनुसार, जीवन और दुर्घटना तथा स्वास्थ्य रिजर्व के आधार पर एलआईसी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी है।
- फॉर्च्यून इंडिया के दिसंबर 2023 अंक के अनुसार हम सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों में तीसरे स्थान पर हैं।
- हम विश्व के 25 सबसे मजबूत ब्रांड्स 2024 की रिपोर्ट, ग्लोबल 500-2024, में 23वें सबसे मजबूत ब्रांड हैं।
- बिजनेस वर्ल्ड, रियल 500 बिजनेस लीडर्स लिस्ट में एलआईसी ने तीसरा स्थान हासिल किया और यहां उल्लेखनीय बात यह है कि एलआईसी इस सूची में एकमात्र बीमा कंपनी है।

मुझे विश्वास है कि आपमें से अधिकांश लोगों ने यह देखा होगा कि बाजार ने इन सभी प्रयासों का जोरदार स्वागत किया है।

## ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन)

एक जिम्मेदार और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध संगठन के रूप में, हम अपने व्यवसाय और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में स्थिरता को अपनाने और योगदान देने की अपनी यात्रा के एक हिस्से के रूप में एक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) ढांचे को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया में हैं। इसका उद्देश्य संसाधनों को प्राथमिकता देकर और उनका अनुकूलन करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के उद्योग मानकों की तुलना में, यदि कोई अंतर है, तो उसे पहचानना और उसका समाधान करना है।

### भावी योजना:

वैश्विक स्तर पर, महामारी के बाद, सभी बीमा कंपनियों ने अपने ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए नए-नए तरीके अपनाए हैं। जबकि बीमा उद्योग तकनीकी प्रगति से प्रेरित प्रतीत होता है, यह भी महसूस किया जाता है कि बीमा उद्योग के मूलभूत पहलू - वहनीयता, पहुंच और विश्वास - किसी भी उपभोक्ता के लिए अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप सही उत्पाद और सही बीमाकर्ता चुनने के लिए आवश्यक कारक बने रहेंगे।

प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, निकट भविष्य में, हम अपने ग्राहकों को अभिनव और अनुकूलित उत्पाद, उपयोगकर्ता के अनुकूल उपयोग में आसान डिजिटल प्लेटफॉर्म और ठोस मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। हम अपने विक्रय वाहिनी बल के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के लिए मजबूत अप-स्किलिंग कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहे हैं ताकि हमारे ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा अनुभव प्रदान किया जा सके।

दीर्घकालिक स्थायी मूल्यों की स्थापना के साथ-साथ, हम वित्त वर्ष 2025 का स्वागत व्यवसाय के मामले में अगले स्तर की छलांग के साथ और अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। हमने पहले ही डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एन्हांसमेंट (DIVE) नामक अपनी प्रतिष्ठित परियोजना शुरू कर दी है।

यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कटौती करेगा और बोर्डिंग से लेकर दावा निपटान तक हमारे सभी हितधारकों के डिजिटल अनुभव को बढ़ाएगा।

अंत में, मैं सभी सम्मानित पॉलिसीधारकों, शेयरधारकों, एजेंटों, कर्मचारियों, नियामकों, सरकार और अन्य हितधारकों को उनके अटूट समर्थन और विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।



हार्दिक शुभकामनाएं

**सिद्धार्थ मोहंती**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक  
(कार्यकारी अध्यक्ष)

## निदेशक मंडल




**श्री सिद्धार्थ मोहंती**  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
एवं प्रबंध निदेशक

श्री मोहंती, जो वर्तमान में दुनिया की अग्रणी बीमा कंपनियों में से एक भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक (पूर्व अध्यक्ष) के रूप में कार्यरत हैं, अपने साथ बहुत सारा अनुभव और शैक्षणिक साख लेकर आए हैं। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा से कानून में स्नातक की डिग्री और कला (राजनीति विज्ञान) में मास्टर डिग्री के साथ-साथ जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर, ओडिशा से बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। वे 29 अप्रैल, 2023 से एलआईसी के शीर्ष पद पर हैं।

वर्तमान भूमिका से पहले, श्री मोहंती ने निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। उस समय, एलआईसी का एक सूचीबद्ध इकाई बनने के लिए महत्वपूर्ण रूपांतरण हुआ। प्रबंध निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल से पहले, श्री मोहंती ने एलआईसी के भीतर विभिन्न क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं, जिसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीओओ और सीईओ शामिल हैं। अपने लंबे और शानदार करियर के दौरान, उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जैसे कि कई मंडलों के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, प्रमुख (कानूनी), प्रमुख (निवेश - बैंक ऑफिस), कार्यकारी निदेशक (कानूनी), इत्यादि। मुंबई में प्रमुख (कानूनी) के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, निगम ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बीमा इन-हाउस कानूनी टीम पुरस्कार जीता।

एलआईसी के अलावा, श्री मोहंती कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त, वे बीमा लोकपाल परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बीमा अकादमी के शासी बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय एकचुअरीज संस्थान की परिषद के सदस्य जैसे प्रमुख पदों पर भी हैं। नवाचार, विश्लेषणात्मक कौशल और रणनीतिक कौशल से चिह्नित उनकी नेतृत्व शैली ने लगातार विभिन्न कार्यों में सफलता दिलाई है। उद्योग परिदृश्य की व्यापक समझ के साथ, वह एलआईसी की निरंतर सफलता के लिए आवश्यक स्तंभों के रूप में डिजिटल परिवर्तन और योग्यता विकास में निवेश की वकालत करते हैं।



**डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला**  
सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला भारतीय डाक और टेलीग्राफ लेखा एवं वित्त सेवा 1990 बैच के अधिकारी हैं। वह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी, आईआईएम कलकत्ता, उस्मानिया विश्वविद्यालय, आईआईपीए और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने कानून और शासन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध प्रबंध भारतीय दूरसंचार सेवा क्षेत्र में विनियामक शासन के संस्थागत पहलुओं पर था, जिसे रूटलेगडे द्वारा एक मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित किया गया है।

सरकार में अपने करियर के दौरान, उन्होंने दूरसंचार नीति, कानून और विनियमन, प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन और प्रशिक्षण, बीमा विनियमन और वित्तीय सेवाओं के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में काम किया है। दूरसंचार के अपने मूल विभाग के अलावा, डॉ. तन्निराला ने बीएसएनएल, ट्राई, यूपीएससी और आईआरडीएआई में विभिन्न पदों पर काम किया है। वह वर्तमान में भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं।



**श्री जगन्नाथ एम**  
प्रबंध निदेशक

श्री जगन्नाथ एम वर्तमान में निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। संगठन के व्यवसाय परिवर्तन और विकास का नेतृत्व करने में उनके पास तीन दशकों से अधिक का समृद्ध और व्यापक अनुभव है। प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वे निगम के दक्षिण मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक थे, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य शामिल हैं। उन्होंने 2009-2013 के बीच सीईओ एवं एमडी एलआईसी (लंका) लिमिटेड, कोलंबो, श्रीलंका के रूप में कार्य किया है और निगम के एर्नाकुलम, धारवाड़ और बेंगलोर-1 मंडलों के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक (प्रभारी) के रूप में भी कार्य किया है।

श्री जगन्नाथ एम के पास वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है और वे भारतीय बीमा संस्थान के एसोसिएट सदस्य हैं। उन्होंने सीए (इंटर), मार्केटिंग में पीजी डिप्लोमा, एवं बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान (आईआईआरएम), हैदराबाद से जीवन बीमा, सामान्य बीमा और जोखिम प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय पीजी डिप्लोमा भी किया है।



**श्री तबलेश पांडे**  
प्रबंध निदेशक

निगम के प्रबंध निदेशक श्री तबलेश पांडे के पास बीमा क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उनके पास कृषि इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री है और वह एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अर्हता प्राप्त एसोसिएट सदस्य भी हैं।

प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, श्री पांडे निगम के कार्यकारी निदेशक (उद्यम जोखिम प्रबंधन) और मुख्य जोखिम अधिकारी थे। उन्होंने निगम के मध्य क्षेत्र, पूर्व मध्य क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में प्रमुख (एक्चुरियल), प्रमुख (पेंशन और समूह योजनाएं) और क्षेत्रीय प्रबंधक (आईटी) जैसे विभिन्न नेतृत्व पदों पर भी कार्य किया है।



**श्री सतपाल भानू**  
प्रबंध निदेशक

निगम के प्रबंध निदेशक श्री सतपाल भानू अपने साथ बीमा के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध और व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। इस पद पर आने से पहले वह केन्द्रीय क्षेत्र, भोपाल के क्षेत्रीय प्रबंधक थे। उन्होंने निगम में कई अन्य प्रमुख पदों पर कार्य किया है जैसे कि बेंगलोर-1 और शिमला मण्डल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के क्षेत्रीय प्रबंधक (माइक्रो इश्योरेंस), क्षेत्रीय प्रबंधक (कॉर्पोरेट संचार), क्षेत्रीय प्रबंधक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध) और अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल। वे केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में प्रमुख (विपणन/वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी) भी रहे हैं।

श्री सतपाल भानू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।



श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन  
प्रबंध निदेशक

निगम के प्रबंध निदेशक श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन (आर. दुरैस्वामि) के पास परिचालन, विपणन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में 38 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है। प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, श्री आर. दुरैस्वामि ने निगम में विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया है जैसे कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर विकास), दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई, के क्षेत्रीय प्रबंधक (विपणन/मुख्य जीवन बीमा सलाहकार) एवं क्षेत्रीय प्रबंधक (पेंशन और समूह योजनाएँ), कोट्टायम मण्डल के वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक और चेन्नई I, तंजावुर और पुणे मंडलों के विपणन प्रबंधक रहे हैं। राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में अनुसंधान सहयोगी के रूप में उन्होंने सूक्ष्म बीमा, बीमा कानून और विनियमन, बीमा प्रबंधन / चार्टर्ड वित्तीय योजना में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उत्पाद विकास एवं सामाग्री विकास सहित कई परियोजनाओं पर काम किया है।

श्री दुरैस्वामि मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक हैं, भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य हैं तथा भारतीय एकचुअरीज संस्थान के छात्र सदस्य हैं।



डॉ. रंजन शर्मा  
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. रंजन शर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से कला में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने 2011 में डॉ. राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र (भूगोल) में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है।

डॉ. शर्मा श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा, उत्तर प्रदेश में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 1990 से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं।

डॉ. शर्मा को शिक्षा और कॉर्पोरेट प्रशासन के क्षेत्र में लगभग 34 वर्षों का अनुभव है।



श्री विनोद कुमार वर्मा  
स्वतंत्र निदेशक

श्री विनोद कुमार वर्मा ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और वह इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के व्यवसाय में लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और वह व्यवसाय, बिक्री और विपणन के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान रखते हैं।



**प्रो. अनिल कुमार**  
स्वतंत्र निदेशक

प्रो. अनिल कुमार श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 30 से अधिक वर्षों तक प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर (वित्त और कॉर्पोरेट प्रशासन) हैं। वह डीयू फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी हैं। एसआरसीसी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र, प्रो. कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वाणिज्य में स्नातकोत्तर किया। प्रो. कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉर्पोरेट प्रशासन में डॉक्टरेट (पीएचडी) की उपाधि प्राप्त की है।

प्रो. अनिल कुमार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनेक शोध आलेखों का योगदान दिया है; कॉर्पोरेट प्रशासन और सीएसआर पर दस से अधिक पुस्तकें लिखी हैं; भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोध कार्य प्रस्तुत किए हैं; तथा सरकारी अधिकारियों, कॉर्पोरेट अधिकारियों और निदेशकों के लिए अनेक कार्यकारी विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं।



**श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल**  
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल ने पंजाब विश्वविद्यालय से कला में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। श्रीमती दुग्गल पंजाब कैडर (1981 बैच) से सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले, श्रीमती दुग्गल ने अन्य पदों और क्षेत्रों के अलावा, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव और भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में काम किया है।

श्रीमती दुग्गल ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।



**श्री महालिंगम जी**  
स्वतंत्र निदेशक

श्री गुरुमूर्ति महालिंगम (महालिंगम जी) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से विज्ञान (सांख्यिकी) में स्नातकोत्तर उपाधि तथा बर्मिंघम विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।

इससे पहले, वह अन्य पदों के अलावा, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य थे और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक भी थे तथा उन्हें वित्तीय और प्रतिभूति क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है।



श्री राज कमल  
स्वतंत्र निदेशक

श्री राज कमल एक कुशल नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास वित्तीय सेवाओं और तकनीक-सक्षम व्यवसायों में व्यवसाय संचालन, निवेश, सिविल सेवा और रणनीति परामर्श का लगभग 30 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने अपना करियर आईएएस से शुरू किया, जहाँ उन्होंने कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट सहित कई भूमिकाएँ निभाईं। आईएएस के बाद, राज मैकिन्से एंड कंपनी में भागीदार और पेयू (एक प्रोसेस कंपनी) में निवेश के वैश्विक प्रमुख बने। वह वर्तमान में ट्रांस-फाई इंक (एक कंपनी जो सीमा पार भुगतान और फिनटेक पर केंद्रित है) और एसएमआईटी कंसल्टिंग (एक परामर्श कंपनी) के सीईओ हैं। वह ट्राइडेंट लिमिटेड के बोर्ड में भी हैं।



डॉ. वी एस पार्थसारथी  
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. पार्थसारथी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के फेलो सदस्य हैं और उन्होंने इंग्लैंड और वेल्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से योग्यता प्राप्त की है। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है और 2022 में मुंबई विश्वविद्यालय से प्रबंधन अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है।

डॉ. पार्थसारथी एनआईआईटी, पेन्नार, एवरएनवायरो, ग्रीनसेल और सेवा (SEWA) सहित कई कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। वे सेवा (SEWA) के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं।

इससे पहले, वे महिंद्रा समूह के समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी और समूह मुख्य सूचना अधिकारी तथा बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई) के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉ. पार्थसारथी को संगठनात्मक परिवर्तन, नेतृत्व, रणनीतिक योजना, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव हैं।



श्री मुथु राजू परवासा राजू  
विजय कुमार  
स्वतंत्र निदेशक

श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार (एम. पी. विजय कुमार) एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हैं। वह वर्तमान में नैस्टैक में सूचीबद्ध कंपनी सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। श्री विजय कुमार, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड और ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री विजय कुमार अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की IFRS व्याख्या समिति के सदस्य, IFRS सलाहकार परिषद, लंदन के सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के फेलो भी हैं।

इससे पहले उन्होंने सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की निवेश बैंकिंग सहायक कंपनी के लिए 7 साल से अधिक समय तक काम किया और 8 साल से अधिक समय तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेशेवर अभ्यास का काम किया। उन्हें उद्योग में 31 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के लेखा मानक बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) के पदेन सदस्य थे।

## प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

### 1. प्रस्तावना

भारतीय जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 27 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34 के अनुसार 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी 67वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

### 2. वैश्विक आर्थिक वातावरण


आईएमएफ की जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक विकास दर 2024 में 3.1% रहने और 2025 में 3.2% तक बढ़ने का अनुमान है। मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए केंद्रीय बैंक की बढ़ी हुई दरें और उच्च ऋण के बीच राजकोषीय समर्थन वापस लेने से आर्थिक गतिविधि पर असर पड़ता है। आपूर्ति-पक्ष के मुद्दों और प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति के बीच, अधिकांश क्षेत्रों में मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक तेजी से गिर रही है। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2024 में 5.8% और 2025 में 4.4% तक गिरने की उम्मीद है, 2025 के पूर्वानुमान को संशोधित किया गया है।

### 3. भारत में व्यापक-आर्थिक वातावरण

हमारा व्यवसाय, वित्तीय स्वास्थ्य, संचालन के परिणाम और नकदी प्रवाह भारत में मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों से काफी प्रभावित होते हैं, जहाँ हम अधिकांश व्यवसाय संचालित करते हैं और अपनी सारी आय यहाँ से ही प्राप्त करते हैं। जबकि हमारा व्यवसाय समग्र अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से जीवन बीमा क्षेत्र में बढ़ते उपभोक्ता विश्वास से लाभान्वित होता है, भारत में प्रतिकूल मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियाँ हमारे उत्पादों की माँग को कम कर सकती हैं, पॉलिसी सरेंडर और निकासी की संख्या बढ़ा सकती हैं, हमारी निवेश गतिविधियों से मिलने वाले रिटर्न को कम कर सकती हैं और अन्यथा हमारे संचालन के परिणामों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। भारत में बढ़ते लेकिन कम विकसित जीवन बीमा उद्योग के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि प्रक्षेपवक्र और अनुकूल जनसांख्यिकी, शहरीकरण, समग्र आर्थिक विकास दर, घरेलू आय वृद्धि दर और वित्तीय बचत के प्रति उपभोक्ता दृष्टिकोण शामिल हैं। ये कारक अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों की तुलना में बीमा उत्पादों में निवेश की गई घरेलू बचत के अनुपात को प्रभावित करते हैं, जिसमें रियल एस्टेट और सोना जैसी भौतिक संपत्ति से लेकर बैंक जमा, भविष्य निधि और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय बचत साधन शामिल हैं। मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियाँ विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश के मिश्रण को भी प्रभावित करती हैं। मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), मुद्रास्फीति, रोजगार, खर्च और मौद्रिक और राजकोषीय नीति के रुझान शामिल हैं।


- (i) **जीडीपी विकास दर:** सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सीधे बीमा क्षेत्र को प्रभावित करती है। उच्च जीडीपी विकास के साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था बीमा उत्पादों की माँग को बढ़ाती है। भारत आने वाले वर्षों में प्रभावशाली विकास का लक्ष्य रखता है। फोकस क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटलीकरण और कौशल संवर्धन शामिल हैं। संक्षेप में, भारत की जीडीपी विकास प्रक्षेपवक्र लचीलापन और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। जैसे-जैसे राष्ट्र आर्थिक जटिलताओं से निपटता है, रणनीतिक नीतियाँ और वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अल्पकालिक चुनौतियों के बावजूद, भारत का मध्यम से दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, अगले दशक में अनुमानित औसत वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7% है।
- (ii) **रोजगार:** 2022-23 और 2023-24 के दौरान श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार हुआ। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 2022-23 में बेरोजगारी दर (यूआर) घटकर 3.2% (पिछले वर्ष 4.1 से) हो गई, साथ ही श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में 55.2% की वृद्धि हुई। महामारी के बाद प्रगतिशील सामान्यीकरण के साथ। 2017-18 में पीएलएफएस श्रृंखला की शुरुआत के बाद से 2022-23 के लिए एलएफपीआर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) सबसे अधिक था। ग्रामीण और शहरी दोनों मामलों में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ।
- (iii) **डिस्पोजेबल आय:** व्यक्तियों की डिस्पोजेबल आय उनकी खर्च करने की क्षमता निर्धारित करती है। उच्च डिस्पोजेबल आय अक्सर बीमा कवरेज खरीदने की अधिक इच्छा में तब्दील हो जाती है।

(iv) **घरेलू बचत:** किसी देश में घरेलू बचत का स्तर निवेश के लिए धन की उपलब्धता को प्रभावित करता है। अधिक बचत से बीमा पॉलिसियों में निवेश बढ़ सकता है।



(v) **घरेलू वित्तीय बचत:** परिवारों की वित्तीय सेहत बीमा खरीदने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। जब परिवारों के पास अतिरिक्त बचत होती है, तो वे जीवन बीमा में निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं।

(₹ बिलियन में)



(vi) **मुद्रास्फीति:** वैश्विक स्तर पर, मुद्रास्फीति 2022 में अपने बहु-दशकीय शिखर से 2023 में कम हो गई, लेकिन यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्यों और महामारी-पूर्व स्तरों से ऊपर रही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.7% से घटकर 2023 में 6.8% है, हालांकि यह 2010-19 के दौरान 3.5% के औसत से ऊपर रही।

भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति मई 2023 में 4.3% के अंतर-वर्ष के निचले स्तर से बढ़कर अक्टूबर में 7.4% के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन दिसंबर में 5.7% तक मजबूत हुई और फिर मार्च 2024 में 4.9% तक कम हो गई, जो खाद्य कीमतों में अस्थिरता को दर्शाती है। 2023-24 के दौरान, कोर मुद्रास्फीति एक साल पहले के 6.1% से कम होकर 4.3% हो गई, क्योंकि सितंबर-मार्च के दौरान व्यापक-आधारित अवस्फीति ने गति पकड़ी।

खाद्य मूल्य दिक्कतों के बावजूद 2023-24 में सीपीआई मुद्रास्फीति कम हुई। यह कमी निरंतर मुद्रास्फीति विरोधी मौद्रिक नीति रुख, सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन उपायों और वैश्विक कमोडिटी कीमतों में सुधार का परिणाम थी। जून 2023 से कोर मुद्रास्फीति में व्यापक आधार पर गिरावट देखी गई और 2023 के अंत तक यह 4% से नीचे चली गई। जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023-24 (जुलाई-अगस्त को छोड़कर) में सहनीय बैंड में गिर गई, यह मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर रही। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण आपूर्ति श्रृंखला पर नए सिरे से दबाव, जलाशयों के निचले स्तर और प्रमुख फसलों के उत्पादन में गिरावट से आगे चलकर हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए जोखिम बढ़ गया है।

(vii) **व्यापार और विदेशी मुद्रा:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रुपये (₹) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है, एक ऐसा कदम जिसे विदेशी व्यापार में रुपये (₹) के अधिक उपयोग को सक्षम करने के लिए एक दीर्घकालिक कदम के रूप में देखा जा रहा है और इसने भारतीय रुपये को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्यता दिलाने में सहायता की है। भारत में, 2023-24 के दौरान व्यापारिक निर्यात के साथ-साथ आयात (यूएस डॉलर के संदर्भ में) में गिरावट आई। निर्यात की तुलना में आयात में गिरावट के साथ, 2023-24 में व्यापारिक व्यापार घाटा कम हो गया। 2023-24 के दौरान व्यापारिक आयात में 5.7% की कमी आई और यह 675.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर आ गया, जिसका मुख्य कारण कम कीमतें थीं। आयात में गिरावट का नेतृत्व पीओएल (पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक), कोयला, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, उर्वरक और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों ने किया। वैश्विक

मांग कमजोर होने के कारण 2023-24 में सेवा निर्यात वृद्धि में कमी आई। भारत ने 2023 के दौरान शीर्ष पांच निर्यातक (सेवा) देशों में अपना स्थान बरकरार रखा। शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह 2023-24 के दौरान एक साल पहले के 28.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि, भारत से एफडीआई के प्रत्यावर्तन में वृद्धि के कारण शुद्ध एफडीआई प्रवाह कम रहा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2023-24 के दौरान वृद्धि हुई, जिससे बाहरी जोखिमों और स्पिलओवर को कम करने के लिए बफर मजबूत हुआ। 31 मार्च 2024 तक वे 646.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर थे, जो मार्च 2023 के अंत की तुलना में 68.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि थी। मार्च 2024 के अंत में, विदेशी मुद्रा भंडार ने 2023-24 के लिए 11.4 महीने के आयात का कवर प्रदान किया।

(viii) **विनियामक परिवर्तन:** विनियामक निकायों (जैसे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण - IRDAI) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश बीमाकर्ताओं के संचालन और लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं। उत्पाद विनियमन, बीमा सुगम, बीमा वाहक, खाता एग्रीगेटर जैसी उभरती हुई विनियामक पहलों को जीवन बीमा में सुरक्षा अंतर को पाटने के साथ-साथ ग्रामीण भारत में जीवन बीमा पैठ बढ़ाने के तरीकों के रूप में देखा जा रहा है, जो अभी भी बहुत कम पहुंच वाला है।


#### 4. भारत में जीवन बीमा उद्योग पर दृष्टिकोण

भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक है। 2032 तक, यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा बीमा बाजार बनने का अनुमान है, जो 2022 में दसवें सबसे बड़े बाजार से बढ़कर 131 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वैश्विक बीमा प्रीमियम में 1.9% हिस्सेदारी के साथ) हो जाएगा। अगले दशक में कुल बीमा प्रीमियम (जीवन और गैर-जीवन दोनों) नाममात्र स्थानीय मुद्रा शर्तों में औसतन 14% सालाना (वास्तविक शर्तों में 9% प्रति वर्ष के बराबर) बढ़ने की उम्मीद है। विशेष रूप से, जीवन बीमा प्रीमियम 2032 तक सालाना 9% (वास्तविक शर्तों में) बढ़ने का अनुमान है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर पाँचवाँ सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार बन जाएगा। भारत के लिए विकास का दृष्टिकोण मजबूत आर्थिक विकास, बढ़ती डिस्पोजेबल आय, युवा आबादी, जोखिम जागरूकता में वृद्धि, डिजिटल पैठ और नियामक विकास पर आधारित है।

#### 5. बीमा उद्योग के लिए अवसर

- भारत की जनसंख्या दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है: 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या ~1.25 बिलियन थी और इसमें लगभग 245 मिलियन परिवार शामिल थे। 2001 से 2011 के बीच लगभग 1.5% CAGR की दर से बढ़ी जनसंख्या के 2011 से 2021 के बीच 1.1% CAGR की दर से बढ़कर 1.4 बिलियन होने की उम्मीद है। 2031 तक जनसंख्या 1.5 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है और इसी अवधि में घरों की संख्या 376 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।
- अनुकूल जनसांख्यिकी: वर्ष 2020 तक, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसकी औसत आयु 28 वर्ष है। कैलेंडर वर्ष 2031 तक लगभग 87% भारतीय अभी भी 60 वर्ष से कम आयु के होंगे। क्रिसिल रिपोर्ट का अनुमान है कि उनमें से 64% 15 से 59 वर्ष के बीच होंगे।


भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश



\*प्रोजेक्टेड (अनुमानित)



नोट: पूर्णांकन के कारण आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते हैं

(iii) **शहरीकरण:** दुनिया भर में शहरीकरण बढ़ा है और इसी तरह की प्रवृत्ति रही है भारत में वर्तमान में लगभग 35% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है और विश्व शहरीकरण संभावना 2018 के अनुसार 2050 तक इसके 52.8% तक बढ़ने का अनुमान है। भारत का शहरीकरण सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के विकास में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे रोजगार सृजन, आधुनिक उपभोक्ता सेवाओं का विकास और बचत जुटाने की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। शहरीकरण में वृद्धि से जीवन शैली में सुधार हुआ है और बचत और निवेश के माध्यम से वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए जागरूकता बढ़ी है।



स्रोत: संयुक्त राष्ट्र विश्व शहरीकरण संभावनाएँ, 2018

(iv) **भारत में कम जीवन बीमा प्रवेश और बीमा घनत्व:** बीमा प्रवेश और घनत्व दो मीट्रिक हैं, अन्य के अलावा, अक्सर किसी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि बीमा प्रवेश को सकल घरेलू उत्पाद में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, बीमा घनत्व की गणना प्रीमियम से जनसंख्या (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) के अनुपात के रूप में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में जीवन बीमा में मजबूत वृद्धि के बावजूद, बीमा पैठ और बीमा घनत्व जैसे संकेतक संकेत देते हैं कि भारत अभी भी दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और जापान जैसे उन्नत एशिया प्रशांत देशों की तुलना में कम बीमाकृत है।



# डेटा वित्तीय वर्ष से संबंधित है, अन्य डेटा कैलेंडर वर्ष से संबंधित है।

1- बीमा घनत्व को कुल जनसंख्या में प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में मापा जाता है और बीमा पैठ को जीडीपी में प्रीमियम के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

## 6. व्यवसाय प्रदर्शन

### ए. नव व्यवसाय

#### (i) व्यक्तिगत नव व्यवसाय

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने व्यक्तिगत नव व्यवसाय के तहत, ₹ 57,716 करोड़ की नई व्यवसाय प्रीमियम आय के साथ 2,03,92,973 पॉलिसियाँ खरीदी हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मिलेनियल ग्राहकों को 91.89 लाख व्यक्तिगत पॉलिसियाँ बेची गईं। कुल बेची गई व्यक्तिगत पॉलिसियों की संख्या में मिलेनियल ग्राहकों को बेची गई व्यक्तिगत पॉलिसियों का प्रतिशत 45.06% है।

#### (ii) व्यक्तिगत नव व्यवसाय बीमित राशि

व्यक्तिगत नव व्यवसाय बीमित राशि एक निश्चित अवधि में लिखे गए व्यक्तिगत नव व्यवसाय पर मृत्यु दर और रुग्णता जोखिमों के लिए हमारे द्वारा बीमित कुल राशि को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने ₹ 6,30,114.40 करोड़ की कुल नव व्यवसाय बीमा राशि का कारोबार किया।

**(iii) ग्रामीण चुनौतियाँ**

जीवन बीमा के संदेश को ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों तक ले जाने के लिए निरंतर और सचेत प्रयास किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों से नव व्यवसाय में लगातार वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से व्यक्तिगत नव व्यवसाय प्रीमियम ₹ 17,770.78 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 30.85% है। ग्रामीण/सामाजिक क्षेत्र की परिभाषा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है।

**(iv) व्यक्तिगत अभिकर्ता और पीओएसपी-एलआई (पारंपरिक/जुड़े हुए) चैनल**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पारंपरिक चैनल ने कुल ₹ 55,296 करोड़ का नव व्यवसाय प्रीमियम और 198.16 लाख पॉलिसियाँ प्राप्त कीं। निगम के प्रदर्शन में चैनल की हिस्सेदारी पॉलिसियों में 97.17% और नव व्यवसाय प्रीमियम में 96.00% रही।

**(v) बैंकाश्योरेंस और वैकल्पिक चैनल (बीएंडएसी)**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बीएंडएसी चैनल ने 3.32 लाख पॉलिसियों के तहत कुल ₹ 2,078.37 करोड़ जुटाए। निगम के प्रदर्शन में चैनल की हिस्सेदारी पॉलिसियों में 1.63% और नव व्यवसाय प्रीमियम में 3.61% रही।

अब चैनल ने वर्ष के दौरान जोड़े गए वीएलई/आरएपी सहित 85 बैंकों, 83 कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, 301 ब्रोकर्स, 143 आईएमएफ और कॉमन सर्विस सेंटर के साथ गठजोड़ किया है।

बीएंडएसी चैनल में प्रमुख योगदानकर्ता बैंक भागीदार हैं क्योंकि उनकी हिस्सेदारी पॉलिसी गणना में 43.61% और एफवाईपीआई गणना में 78.91% रही।

वैकल्पिक चैनल भागीदारों पर अधिक ध्यान देने के साथ ही ब्रोकर्स और आईएमएफ के प्रदर्शन में वृद्धि हुई है, जिसमें ब्रोकर्स ने FYPI में 109% की सराहनीय वृद्धि दिखाई है, IMF ने FYPI में 10.52% की वृद्धि दिखाई है और अन्य कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं ने 1.11% की मामूली वृद्धि दिखाई है।

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का प्रदर्शन 31.03.2023 को ₹ 75.29 करोड़ से बढ़कर 31.03.2024 को ₹ 168.43 करोड़ हो गया है।

**(vi) सूक्ष्म बीमा**

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूक्ष्म बीमा अभिकर्ता/जुड़े अभिकर्ताओं द्वारा ₹ 134.85 करोड़ के NBP के साथ 2.39 लाख पॉलिसियाँ पूरी की गईं।

**(vii) डिजिटल मार्केटिंग**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, डिजिटल मार्केटिंग विभाग ने ₹ 222.61 करोड़ के नव व्यवसाय प्रथम प्रीमियम के साथ 8,235 पॉलिसियाँ पूरी कीं। इसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा वित्तपोषित व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त 2,232 पॉलिसियाँ और ₹ 134.72 करोड़ का प्रथम प्रीमियम शामिल है, जिसे ऑनलाइन पूरा किया गया।

प्री-पॉलिसी मेडिकल शेड्यूलिंग, अंडरराइटिंग, भुगतान तंत्र और पॉलिसी के पूरा होने सहित संपूर्ण ग्राहक ऑनबोर्डिंग कार्य पेपरलेस है।

डिजिटल परिवर्तन (प्रोजेक्ट DIVE) के तहत, विभाग ने MarTech समाधानों के लिए प्रस्ताव दिया है।

**(viii) पेंशन और समूह योजनाओं का नव व्यवसाय प्रीमियम**

वर्ष 2023-24 के दौरान, P&GS ने 4,14,17,962 लोगों को कवर करते हुए 37,332 योजनाएँ पूरी कीं, जिसमें ₹ 1,64,926 करोड़ की नव व्यवसाय प्रीमियम आय (NBPI) थी।

**बी. अभिकर्ता**

**(i) एजेंसी की संख्या**

31.03.2024 को हमारे रोल पर अभिकर्ताओं की कुल संख्या 14,14,743 है, जबकि 31.03.2023 को 13,47,325 थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 2,71,721 अभिकर्ताओं की भर्ती की गई, कुल भर्ती में से 2,07,062 अभिकर्ता 18-40 वर्ष की आयु के हैं।

(ii) अभिकर्ता क्लब की सदस्यता

एजेंसी संख्या के बीच उच्च और लगातार प्रदर्शन करने वालों को प्रेरित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए विभिन्न क्लबों का गठन किया गया है। क्लबों की सदस्यता संख्या का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विभिन्न अभिकर्ता क्लब के सदस्य

क्लब का नाम	सदस्यता वर्ष 2023-24
कॉर्पोरेट	455
गैलेक्सी	1,792
अध्यक्ष	44,047
क्षेत्रीय प्रबंधक	34,135
मंडल प्रबंधक	50,334
शाखा प्रबंधक	34,399
प्रतिष्ठित अभिकर्ता क्लब	14,188
कुल	1,79,350

(iii) कैरियर एजेंट योजना

निगम के पास एजेंसी संख्या को पेशेवर बनाने के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए शहरी कैरियर एजेंटों और ग्रामीण कैरियर एजेंटों के लिए एक योजना है। उन्हें अपने कैरियर की शुरुआत में भत्ता दिया जाता है ताकि वे पेशे में स्थिर हो सकें। 31 मार्च 2024 तक 1,215 शहरी कैरियर एजेंट और 54,267 ग्रामीण कैरियर एजेंट हैं।

सभी विकास अधिकारियों को भत्ता देने वाले एजेंटों की भर्ती करने का अवसर प्रदान करने के लिए 2010 में सिटी कैरियर एजेंट योजना शुरू की गई थी। 31 मार्च 2024 तक 16,671 सिटी कैरियर एजेंट हैं।

(iv) वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगी

उच्च प्रदर्शन करने वाले विकास अधिकारियों को मान्यता देने और उन्हें कुछ वित्तीय और गैर-वित्तीय कार्यों से सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2009 में SBA योजना शुरू की गई थी।

(v) LIC सहयोगी योजना

LICA योजना 01.04.2016 से शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य एक अभिनव वितरण चैनल शुरू करना और सेवानिवृत्त वरिष्ठ व्यवसाय सहयोगियों की मूल्यवान विपणन प्रतिभा को लाभप्रद रूप से पुनः नियोजित करके वितरण प्रणाली को मजबूत करना था।

(vi) मुख्य जीवन बीमा सलाहकार

LIC ने एजेंसी और नव व्यवसाय में वृद्धि के लिए मौजूदा उच्च प्रदर्शन करने वाले अभिकर्ताओं की क्षमताओं का उपयोग करके बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से 12.04.2008 को मुख्य जीवन बीमा सलाहकार योजना 2008 शुरू की।

2023-24 के दौरान एसबीए, एलआईसीए और सीएलआईए के माध्यम से प्राप्त नव व्यवसाय

विवरण	पॉलिसियों की संख्या	प्रथम वर्ष प्रीमियम आय (₹ करोड़ में)
एसबीए	51,15,645	14,106
एलआईसीए	9,95,332	3,166
सीएलआईए	36,51,307	9,376

## 7. वित्तीय विवरणों का विश्लेषण (स्टैंडअलोन)

### ए. आय विवरण विश्लेषण

#### (i) राजस्व खाता (पॉलिसीधारक खाता)

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निगम के राजस्व खाते का सारांश तुलनात्मक विश्लेषण के साथ इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वृद्धि %
शुद्ध प्रीमियम आय	4,75,070	4,74,005	0.22
निवेश से आय (शुद्ध)	3,63,944	3,06,390	18.78
अन्य आय	14,648	7,649	91.50
शेयरधारकों के खाते से योगदान - अतिरिक्त EOM के कारण	13	9	38.58
<b>कुल (ए)</b>	<b>8,53,675</b>	<b>7,88,053</b>	<b>8.33</b>
शुद्ध कमीशन	25,959	25,094	3.45
परिचालन व्यय	48,122	48,632	0.48
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (बड़े खाते में डाले गए खराब ऋणों सहित)	(1,011)	(1,942)	(47.94)
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान और संदिग्ध ऋण और बाँड के लिए प्रावधान	(1,908)	(12,905)	(85.21)
लिंकड शुल्कों पर माल एवं सेवा कर	134	109	22.94
करों के लिए प्रावधान	5,825	5,243	11.10
भुगतान किए गए लाभ (शुद्ध)	3,88,809	3,42,577	13.5
एक्चुरियल देयता में परिवर्तन	3,53,036	3,43,383	2.81
<b>कुल (बी)</b>	<b>8,18,966</b>	<b>7,50,191</b>	<b>9.17</b>
<b>अधिशेष/घाटा (ए-बी)</b>	<b>34,709</b>	<b>37,862</b>	<b>(8.33)</b>
शेयरधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर-तकनीकी लेखा)	2,598	262	892.24
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	37,307	38,123	(2.14)
<b>विनियोजन</b>			
क. शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरित	40,022	36,049	11.02
ख. भविष्य के विनियोजन के लिए निधि	(2,715)	2,074	

एलआईसीआई (भारतीय जीवन बीमा निगम) के राजस्व खाते का विश्लेषण करने से इसके वित्तीय प्रदर्शन, राजस्व स्रोतों और पॉलिसीधारकों के खाते में अधिशेष/घाटे के बारे में जानकारी मिल सकती है।

**क. प्रीमियम आय**

निम्न तालिका में दर्शाई गई अवधि के लिए खंड स्तर पर प्रीमियम आय का सारांश दिया गया है

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24					वित्तीय वर्ष 2022-23					वृद्धि %
	पार	गैर-पार	लिंकड	सीआरएसी	कुल	पार	गैर-पार	लिंकड	सीआरएसी	कुल	
वित्त वर्ष प्रीमियम	29,072	2,791	748	-	32,611	31,835	607	589	-	33,031	(1.27)
एकल प्रीमियम	4,485	16,921	3,699	-	25,105	6,935	15,593	3,198	-	25,726	(2.41)
कुल एनबीपी	33,557	19,712	4,447	-	57,716	38,770	16,200	3,787	-	58,757	(1.77)
नवीनीकरण प्रीमियम	2,42,033	1,940	2,078	1	2,46,052	2,31,277	1,578	1,149	2	2,34,006	5.15
कुल प्रीमियम (व्यक्तिगत)	2,75,590	21,652	6,525	1	3,03,768	2,70,047	17,778	4,936	2	2,92,763	3.76
पीएंडजीएस प्रीमियम	-	1,71,300	2	-	1,71,302	-	1,81,241	1	-	1,81,242	(5.48)
कुल प्रीमियम	2,75,590	1,92,952	6,527	1	4,75,070	2,70,047	1,99,019	4,937	2	4,74,005	0.22

कुल प्रीमियम वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 4,74,005 करोड़ से 0.22% की मामूली वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 4,75,070 करोड़ हो गया। व्यक्तिगत व्यवसाय के गैर-भागीदारी खंड ने वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 17,778 करोड़ से वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 21,652 करोड़ तक 21.79% की मजबूत वृद्धि दिखाई है। व्यक्तिगत व्यवसाय के यूनिट-लिंकड सेगमेंट ने भी वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 4,936 करोड़ से 32.19% की मजबूत वृद्धि दिखाई, जो वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 6,525 करोड़ हो गई।

- ख. निवेश आय:** इसमें एलआईसी द्वारा किए गए निवेश से ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ शामिल हैं। शुद्ध निवेश आय वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 3,06,390 करोड़ से 18.78% बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 3,63,944 करोड़ हो गई। वर्ष 2023-24 के लिए एस्टेट पोर्टफोलियो से किराये की आय ₹ 559.26 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की किराये की आय से 10.36% अधिक है।
- ग. अन्य आय:** अन्य आय वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 7,649 करोड़ से 91.50% बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 14,648 करोड़ हो गई। अन्य आय में वृद्धि मुख्य रूप से आकलन वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक आयकर के लिए ₹ 7,692.59 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन करने के कारण हुई।
- घ. राजस्व विश्लेषण:** राजस्व में बीमा पॉलिसियों, निवेश आय और आय के किसी भी अन्य स्रोत से अर्जित प्रीमियम शामिल हैं। कुल आय वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 7,88,053 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 8,53,675 करोड़ हो गई, जो मुख्य रूप से निवेश आय में वृद्धि के कारण है।
- ड. कमीशन व्यय:** निम्न तालिका कमीशन व्यय का तुलनात्मक सारांश दिखाती है

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वृद्धि %
	2023-24	2022-23	
प्रथम वर्ष कमीशन	10,397.52	10,791.81	(3.65)
एकल कमीशन	485.56	514.76	(5.67)
<b>कुल</b>	<b>10,883.08</b>	<b>11,306.57</b>	<b>(3.74)</b>
नवीनीकरण कमीशन	13,115.56	12,507.00	4.87
<b>कुल</b>	<b>23,998.64</b>	<b>23,813.57</b>	<b>0.78</b>
मध्यस्थों को पुरस्कार और पारिश्रमिक	1,960.48	1,280.01	53.16
<b>कुल कमीशन</b>	<b>25,959.12</b>	<b>25,093.58</b>	<b>3.45</b>

कुल कमीशन में वृद्धि हुई वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 25,093.58 करोड़ से 3.45% बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 25,959.12 करोड़ हो गया है, जो मुख्य रूप से मध्यस्थों को पुरस्कार और पारिश्रमिक में वृद्धि के कारण है।

च. बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय: निम्न तालिका परिचालन व्यय (₹ करोड़ में) का तुलनात्मक सारांश दिखाती है (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वृद्धि %
कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभ	39,584	40,094	(1.27)
प्रबंधन को अन्य व्यय	8,538	8,538	0.00
कुल	48,122	48,632	(1.05)

कुल परिचालन व्यय वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 48,632 करोड़ से 1.05% की मामूली कमी के साथ वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 48,122 करोड़ हो गया।

छ. देय लाभ: पॉलिसीधारकों को दावों और लाभों में भुगतान की गई राशि का आकलन करें। इसमें मृत्यु लाभ, परिपक्वता लाभ, वार्षिकी भुगतान, समर्पण, निकासी, अंतरिम बोनस भुगतान और अन्य दावे शामिल हैं।

भुगतान किये गये लाभों का सारांश निम्नानुसार है (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वृद्धि %
मृत्यु दावा	22,625	23,423	(3.41)
परिपक्वता दावा	2,08,136	1,85,044	12.48
वार्षिकियां	20,107	17,893	12.37
अभ्यर्पण आदि			
गैर सम्बद्ध (इंडल)	40,198	35,841	12.16
सम्बद्ध (इंडि.)	2,393	1,760	35.97
पी एंड जीएस(अभ्यर्पण)	2,604	694	275.22
कुल अभ्यर्पण	45,195	38,295	18.02
पी एंड जीएस (निकासी)	88,631	73,631	20.37
अन्य दावा लागत(अदावा राशि पर ब्याज) और अन्य	1,255	1,027	22.20
अन्तरिम बोनस का भुगतान	2,860	3,264	(12.38)
कुल भुगतान किये गये लाभ	3,88,809	3,42,577	13.50

कुल भुगतान लाभ वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 3,42,577 करोड़ से 13.50% बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में ₹ 3,88,809 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से परिपक्वता और समर्पण दावों में वृद्धि के कारण हुई, जो वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 1,85,044 करोड़ और ₹ 38,295 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में क्रमशः ₹ 2,08,136 करोड़ और 45,195 करोड़ हो गए, आंशिक रूप से मृत्यु दावों में कमी और अंतरिम बोनस भुगतान से इसकी भरपाई हुई।

(ii) लाभ और हानि खाता (शेयरधारक खाता)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम के लाभ-हानि खाते का सारांश तुलनात्मक विश्लेषण सहित निम्नानुसार है:  
(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वृद्धि %
पॉलिसीधारकों के खाते से स्थानांतरण	40,022	36,049	11.02
शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय			
क. निवेश आय	3,695	1,148	221.15
ख. अन्य आय	-	3	-
बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों के अलावा अन्य व्यय	246	0	0
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान - अतिरिक्त EOM की ओर	13	9	38.58
पॉलिसीधारकों के लिए हस्तांतरित राशि	2,598	262	892.24
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान (बट्टे खाते में डालने सहित)	-	-	-
निवेशों और अन्य के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	72	471	(84.71)
कर से पहले लाभ	40,787	36,457	11.88
कर के लिए प्रावधान	111	59	88.14
कर के बाद और असाधारण मदों से पहले लाभ	40,676	36,397	11.76
असाधारण मदें (कर व्यय के बाद शुद्ध)	-	-	-
कर और असाधारण मदों के बाद लाभ	40,676	36,397	11.76

**कर पश्चात लाभ:**

- 31/03/2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹ 40,676 करोड़ है, जबकि 31/03/2023 को समाप्त वर्ष के लिए यह ₹ 36,397 करोड़ था।
- निगम ने सितंबर, 2022 में गैर-भागीदारी पॉलिसीधारकों के खाते से शेयरधारकों के खाते में उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन पर अभिवृद्धि से संबंधित राशि के हस्तांतरण के संबंध में अपनी लेखा नीति में बदलाव किया था और तदनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹ 29,518.75 करोड़ (कर के बाद शुद्ध) की राशि हस्तांतरित की, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह राशि ₹ 27,240.75 करोड़ थी, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही से संबंधित ₹ 4,542.31 करोड़ की राशि शामिल थी।

बी. वित्तीय स्नैपशॉट – बैलेंस शीट: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम की बैलेंस शीट का सारांश तुलनात्मक विश्लेषण के साथ इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वृद्धि %
<b>निधियों के स्रोत</b>			
<b>शेयरधारकों की निधि:</b>			
शेयर पूंजी	6,325	6,325	0.00
आरक्षित और अधिशेष	75,740	39,492	91.79
उचित मूल्य परिवर्तन खाता	(127)	(148)	(14.04)
<b>पॉलिसीधारकों की निधि:</b>			
उचित मूल्य परिवर्तन खाता	6,92,682	3,48,280	98.89
पॉलिसी देयताएं	43,95,325	40,51,248	8.49
बंद पॉलिसियों के लिए निधि			
(i) प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण बंद	394	163	141.88
(ii) अन्य	14	14	0.00
बीमा रिज़र्व	15,594	15,678	(0.54)
संबद्ध देनदारियों के लिए प्रावधान	34,876	26,159	33.32
<b>उप-योग</b>	<b>51,38,885</b>	<b>44,41,543</b>	<b>15.70</b>
भविष्य के विनियोजन के लिए निधि	1,215	3,919	(69.00)
<b>कुल</b>	<b>52,22,038</b>	<b>44,91,131</b>	<b>16.27</b>
<b>निधियों का उपयोग</b>			
निवेश-शेयरधारक	63,744	29,364	117.09
निवेश-पॉलिसीधारक	48,76,512	41,89,178	16.41
संबद्ध देनदारियों को कवर करने के लिए रखी गई संपत्तियां	35,258	26,310	34.01
ऋण	1,20,258	1,15,562	4.06
स्थायी संपत्तियां	4,057	3,820	6.21
शुद्ध चालू संपत्तियां	1,22,209	1,26,899	(3.70)
<b>कुल</b>	<b>52,22,038</b>	<b>44,91,131</b>	<b>16.27</b>

- ए) रिजर्व और अधिशेष: रिजर्व और अधिशेष (शेयरधारकों का कोष) 31 मार्च, 2023 तक ₹ 39,492 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹ 75,740 करोड़ हो गया।
- बी) उचित मूल्य परिवर्तन खाता: उचित मूल्य परिवर्तन खाता (पॉलिसीधारकों का कोष) 31 मार्च, 2023 को ₹ 3,48,280 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹ 6,92,682 करोड़ हो गया। 98.89% की वृद्धि मुख्य रूप से चालू वित्त वर्ष के दौरान शेयर की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है।
- सी) पॉलिसी देयताएं: मृत्यु दर, रुग्णता, निवेश उपज, सततावृत्ति, व्यय और मुद्रास्फिति इत्यादि जैसे विभिन्न अंतर्निहित मापदंडों के संबंध में अपेक्षित भविष्य के अनुभव ध्यान में रखते हुए पॉलिसी देयताएं जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में मूल्यांकन की तारीख को व्यवसाय की मात्रा, मिश्रण और बीमांकिक मान्यताओं पर निर्भर करती है।
- डी) संबद्ध देनदारियों के लिए प्रावधान: संबद्ध देनदारियों (पॉलिसीधारकों के फंड) के लिए प्रावधान 31 मार्च, 2023 को ₹ 26,159 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹ 34,876 करोड़ हो गया। पॉलिसीधारकों की संबद्ध देनदारियाँ संबद्ध व्यवसाय के संबंध में इकाई देयता को परिलक्षित करती हैं और इसे मूल्यांकन तिथि को नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके पॉलिसीधारकों के क्रेडिट में उपलब्ध इकाइयों के मूल्य के रूप में माना गया है।

ई) निवेश: जीवन बीमा कंपनियाँ अपनी परिसंपत्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी आदि जैसे निवेशों में रखती हैं। तुलनात्मक आंकड़ों के साथ 31 मार्च, 2024 को निवेश का सारांश इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
<b>निवेश</b>		
ए) शेयरधारकों का	63,744	29,364
बी) पॉलिसीधारकों का	48,76,512	41,89,178
संबद्ध देनदारियों को कवर करने के लिए रखी गई संपत्तियाँ	35,258	26,310
<b>कुल निवेश</b>	<b>49,75,514</b>	<b>42,44,852</b>

कुल निवेश 31 मार्च, 2023 को 42,44,852 करोड़ से ₹ 7,30,662 करोड़ बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹ 49,75,514 करोड़ हो गया। कुल इक्विटी निवेश पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 8,39,662 करोड़ के मुकाबले ₹ 12,39,740 करोड़, जबकि अन्य निवेश वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 34,05,190 करोड़ के मुकाबले ₹ 37,35,774 करोड़ हैं। निवेश के विस्तृत श्रेणीवार विवरण के लिए, वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8, 8ए और 8बी देखें। पॉलिसीधारकों के निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि उपलब्ध अधिशेष में वृद्धि के कारण हुई है जोकि प्रीमियम और निवेश आय एवं प्रबंधन के खर्च और दावों का अंतर है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निवेश पर प्रतिफल (शेयरधारकों के फंड पर) बिना अवास्तविक लाभ के 8.02% है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निवेश पर प्रतिफल (पॉलिसीधारकों के फंड पर) बिना अवास्तविक लाभ के 8.93% है।

एफ) **अचल संपत्तियाँ:** अचल संपत्तियाँ (मूल्यहास के बाद) 31 मार्च, 2023 को ₹ 3,820 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹ 4,057 करोड़ हो गई हैं।

जी) **शुद्ध चालू संपत्तियाँ:** शुद्ध चालू संपत्तियाँ 31 मार्च, 2023 को ₹ 1,26,899 करोड़ से 3.70% घटकर 31 मार्च 2024 को ₹ 1,22,209 करोड़ हो गई हैं।

#### सी. नकदी प्रवाह विवरण

निम्नलिखित तालिका में, निर्दिष्ट अवधि के लिए नकदी प्रवाह का सारांश दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	28,484.35	59,718.02
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	(27,702.65)	(58,196.10)
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न/(उपयोग की गई) शुद्ध नकदी	(4,427.20)	(948.59)
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	<b>34,711.53</b>	<b>38,445.10</b>

#### (i) परिचालन गतिविधियाँ

परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह वित्त वर्ष 2023 में ₹ 59,718.02 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2024 में ₹ 28,484.35 करोड़ हो गया, मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2023 में ₹ 3,47,296.28 करोड़ से वित्त वर्ष 2024 में ₹ 3,89,546 करोड़ तक की भरपाई आंशिक रूप से अन्य परिचालन व्यय आदि के भुगतान में कमी से हुई।

#### (ii) निवेश गतिविधियाँ

निवेश की बिक्री वित्त वर्ष 2023 में ₹ 2,20,844.28 करोड़ से वित्त वर्ष 2024 में ₹ 2,55,745.58 करोड़ बढ़ी। साथ ही, प्राप्त किराया/ब्याज/लाभांश वित्त वर्ष 2023 में ₹ 2,67,739.28 करोड़ से वित्त वर्ष 2024 में ₹ 2,91,778.40 करोड़ बढ़ गया। उपरोक्त के कारण शुद्ध नकदी प्रवाह पर प्रभाव आंशिक रूप से निवेश आदि की खरीद से हो गया।

**(iii) वित्तीय गतिविधियाँ**

वित्तपोषण गतिविधियों के लिए शुद्ध नकदी प्रवाह, व्यवसाय की मात्रा के साथ-साथ भुगतान किए गए ब्याज/लाभांश में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023 में ₹ 948.59 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹ 4,427.20 करोड़ हो गया।

**डी. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण:**

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है और वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में इसका खुलासा किया गया है।

**8. प्रमुख प्रदर्शन संकेतक**

निम्नलिखित प्रमुख पैरामीटर हैं जिनके आधार पर निगम के प्रदर्शन को मापा जा सकता है।

**(i) बाजार हिस्सेदारी:** भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय जीवन बीमा बाजार में एक प्रमुख स्थान रखा है। अपने व्यापक नेटवर्क और छह दशकों से अधिक की मौजूदगी के साथ, LIC ने पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है, यानी 31 मार्च 2024 तक देश में कुल जीवन बीमा कारोबार का 58.87% हिस्सा प्रथम वर्ष प्रीमियम आय के हिसाब से है। व्यक्तिगत प्रथम वर्ष प्रीमियम आय के मामले में, LIC की बाजार हिस्सेदारी 38.44% है। FYPI में P&GS की बाजार हिस्सेदारी 72.30% है। जबकि पॉलिसियों में, LIC की कुल बाजार हिस्सेदारी 69.91% है। यह महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी एलआईसी की व्यापक पहुंच, ब्रांड पहचान और भारतीय उपभोक्ताओं के बीच इसके भरोसे को रेखांकित करती है।

जबकि एलआईसी को निजी बीमा कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका बाजार प्रभुत्व लचीला बना हुआ है, जिसे इसके बीमा उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, मजबूत वितरण नेटवर्क और सरकारी समर्थन से समर्थन प्राप्त है। हालांकि, चल रहे बाजार की गतिशीलता और नियामक परिवर्तन समय के साथ एलआईसी के बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए निरंतर रणनीतिक अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

**(ii) उत्पाद मिश्रण:** एलआईसी विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने वाले जीवन बीमा उत्पादों का एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है। इसके उत्पाद मिश्रण में पारंपरिक बंदोबस्ती योजनाएँ, संपूर्ण जीवन योजना, टर्म बीमा योजनाएँ, पेंशन योजनाएँ, यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाएँ (यूएलआईपी), स्वास्थ्य बीमा और माइक्रोइंश्योरेंस उत्पाद शामिल हैं। पारंपरिक योजनाएँ, जैसे कि संपूर्ण जीवन और मनी-बैंक योजनाएँ एलआईसी के उत्पाद पेशकशों की आधारशिला रही हैं, जो पॉलिसीधारकों को दीर्घकालिक बचत और सुरक्षा लाभ प्रदान करती हैं।

हाल के वर्षों में, एलआईसी ने बाजार की बदलती माँगों के अनुरूप नए उत्पाद भी पेश किए हैं, जैसे कि निवेश विकल्पों के साथ यूनिट-लिंक्ड योजनाएँ और व्यापक कवरेज के साथ संपूर्ण जीवन बीमा योजनाएँ। यह संतुलित उत्पाद मिश्रण LIC को व्यापक ग्राहक आधार को आकर्षित करने में सक्षम बनाता है, जिसमें बुनियादी जीवन कवरेज चाहने वाले व्यक्तियों से लेकर निवेश-लिंक्ड बीमा समाधानों में रुचि रखने वाले लोग शामिल हैं।

प्रभावी विपणन रणनीतियों के साथ-साथ निरंतर उत्पाद नवाचार, LIC को अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और बाजार के रुझानों के अनुकूल होने में सक्षम बनाता है।

**खंड-वार या उत्पाद-वार प्रदर्शन:**

खंड-वार या उत्पाद-वार प्रदर्शन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

**(iii) वितरण मिश्रण:** LIC का व्यापक वितरण नेटवर्क इसकी प्रमुख शक्तियों में से एक है, जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पहुँच और ग्राहक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है। कंपनी अभिकर्ताओं, बैंकाशोरेंस भागीदारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म को शामिल करते हुए एक बहु-चैनल वितरण ढांचे के माध्यम से काम करती है।

LIC के अभिकर्ताओं का व्यापक नेटवर्क, जिसे अक्सर बीमा सलाहकार कहा जाता है, ग्राहकों तक पहुँचने, उन्हें बीमा उत्पादों के बारे में शिक्षित करने और पॉलिसी की बिक्री और सर्विसिंग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्रणी बैंकों, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, दलालों और IMF के साथ बैंकाशोरेंस गठजोड़ LIC की वितरण पहुँच का और विस्तार करता है, जिससे यह भागीदार संगठनों के मौजूदा ग्राहक आधार का लाभ उठाने में सक्षम होता है।


पारंपरिक चैनलों के अलावा, LIC ने ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और वितरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटलीकरण को अपनाया है। कंपनी पॉलिसी खरीद, प्रीमियम भुगतान, दावा प्रसंस्करण और ग्राहक सेवा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन प्रदान करती है, जो तकनीक-प्रेमी उपभोक्ताओं और मिलेनियल्स को सेवा प्रदान करती है।

विविध वितरण मिश्रण का लाभ उठाकर, LIC अपने ग्राहक खंडों की बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करती है, जबकि व्यापक बाजार में पैठ और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करती है।

- (iv) प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियाँ (एयूएम): निगम का 31 मार्च 2023 को समेकित एयूएम 16.48% की बढ़त से 31 मार्च 2024 को ₹ 43,97,205 करोड़ से बढ़कर ₹ 51,21,887 करोड़ हो गया।

(₹ करोड़ में)

#### प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियाँ



#### (v) प्रबंधन व्यय का अनुपात

परिचालन व्यय को कम करने के लिए निगम लगातार लागत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हमारा कुल प्रबंधन व्यय अनुपात वित्त वर्ष 2023 में 15.53% से आंशिक रूप से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 15.57% हो गया।

#### (vi) कमीशन अनुपात


निगम कमीशन अनुपात वित्त वर्ष 2023 में 5.39% से आंशिक रूप से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 5.46% हो गया।

- (vii) **लाभप्रदता:** कर के बाद लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2023 में ₹ 36,397 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹ 40,675 करोड़ हो गया, जो मुख्य रूप से गैर-भागीदारी वाले खंड से अधिशेष में वृद्धि के कारण हुआ (गैर-भागीदारी खाते से शेयरधारकों के खाते में उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन पर अभिवृद्धि से संबंधित राशि का हस्तांतरण)। कृपया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभ में वृद्धि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले खातों के लिए नोट्स की अनुसूची 15 (ए) (सी) की नोट संख्या देखें।

- (viii) **निवल मूल्य:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निवल मूल्य 31 मार्च 2023 को ₹ 45,669.40 करोड़ से 79.42% बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹ 81,938.16 करोड़ हो गया है। एलआईसी की निवल मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है। निवल संपत्ति में वृद्धि, लाभ में वृद्धि के कारण हुई है।

(₹ करोड़ में)

#### एलआईसीआई का निवल मूल्य



लाभप्रदता और निवल मूल्य भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता के प्रमुख संकेतक हैं।

- (ix) **प्रति शेयर आय (ईपीएस)** ईपीएस प्रति शेयर के आधार पर कंपनी की लाभप्रदता को दर्शाता है। असाधारण मर्दों (कर व्यय के बाद शुद्ध) से पहले मूल और अशुद्ध ईपीएस 31 मार्च 2023 को ₹ 57.55 से बढ़कर 31 मार्च 2024 को ₹ 64.31 हो गया है।
- (x) **सॉल्वेंसी:** सॉल्वेंसी अनुपात भारतीय बीमा कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता का एक नियामक उपाय है और इसकी गणना बीमाकर्ता के उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन को उसके आवश्यक सॉल्वेंसी मार्जिन से विभाजित करके की जाती है, प्रत्येक की गणना IRDAI दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम सॉल्वेंसी अनुपात 1.50 की नियंत्रण सीमा है, जैसा कि IRDAI द्वारा निर्धारित किया गया है। कॉर्पोरेशन सॉल्वेंसी अनुपात (भारत व्यवसाय के भीतर) 31 मार्च 2023 को 1.87 से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 1.98 हो गया।

- (xi) **दृढ़ता:** दृढ़ता अनुपात किए गए व्यवसाय के प्रतिशत को मापता है जो एक निश्चित अवधि के बाद भी लागू रहता है और प्रीमियम का भुगतान करता है। हमारे परिचालन के परिणामों के लिए उच्च स्तर की निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागू पॉलिसियों का एक बड़ा ब्लॉक हमें नियमित प्रीमियम के रूप में नियमित राजस्व प्रदान करता है।

व्यक्तिगत उत्पाद	13वां महीना	25वां महीना	37वां महीना	49वां महीना	61वां महीना
पॉलिसियों की संख्या के आधार पर					
वित्त वर्ष 2023 (% में)	64.28	56.97	56.90	51.05	49.86
वित्त वर्ष 2024 (% में)	<b>66.99</b>	<b>57.47</b>	<b>52.50</b>	<b>53.23</b>	<b>48.59</b>
प्रीमियम के आधार पर					
वित्त वर्ष 2023 (% में)	77.09	69.93	70.05	63.53	61.80
वित्त वर्ष 2024 (% में)	<b>77.66</b>	<b>71.00</b>	<b>65.47</b>	<b>66.31</b>	<b>60.88</b>

- (xii) **वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (एपीई):** निगम का कुल एपीई वित्त वर्ष 2023 में ₹ 56,682 करोड़ से 0.51% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹ 56,970 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण समूह व्यवसाय के लिए एपीई में 2.90% की वृद्धि है जो वित्त वर्ष 2023 में ₹ 18,015 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹ 18,537 करोड़ हो गया।


- (xiii) **नए व्यवसाय का मूल्य और (वीओएनबी) और वीओएनबी मार्जिन:** वीओएनबी लाभप्रदता का एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है क्योंकि यह किसी भी अवधि के दौरान नई नीतियां लिखने की गतिविधि के माध्यम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य को दर्शाता है। वीओएनबी मार्जिन प्रासंगिक अवधि के लिए वीओएनबी और एपीई का अनुपात है और प्रतिशत के संदर्भ में नए व्यवसाय की अपेक्षित लाभप्रदता का एक उपाय है।

वित्त वर्ष 2023 के लिए निगम का वीओएनबी और वीओएनबी मार्जिन क्रमशः ₹ 9,156 करोड़ और 16.2% था। वित्त वर्ष 2024 के लिए हमारा वीओएनबी और वीओएनबी मार्जिन क्रमशः ₹ 9,583 करोड़ और 16.8% था।

- (xiv) **भारतीय एम्बेडेड मूल्य (आईईवी):** आईईवी वित्त वर्ष 2023 में ₹ 5,82,243 करोड़ से 24.92% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹ 7,27,344 करोड़ हो गया। आईईवी में वृद्धि का श्रेय (i) चालू व्यवसाय (वीआईएफ) के मूल्य में 22.71% की वृद्धि को दिया जाता है, जो वित्त वर्ष 2023 में ₹ 5,36,128 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹ 6,57,902 करोड़ हो गई और (ii) समायोजित निवल संपत्ति (एएनडबल्यू) वित्त वर्ष 2023 में ₹ 46,115 करोड़ से 50.59% बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹ 69,443 करोड़ हो गया।

(₹ करोड़ में)

#### भारतीय एम्बेडेड मूल्य



#### 9. सॉफ्टवेयर विकास:

LIC ने अपने ग्राहकों, फील्ड फोर्स और कर्मचारियों की सुविधा के लिए कई तरह की सेवाएं शुरू करके भौतिक से डिजिटल होकर डिजिटल यात्रा शुरू की है। एलआईसी के ग्राहक पोर्टल और एलआईसी डिजिटल मोबाइल ऐप, संग्रह के लिए डिजिटल चैनल, इन-हाउस कोर बीमा पैकेज, ई-एफईएपी ने हमारे ग्राहकों को सेवा और सूचना वितरण की सुविधा के लिए एंटरप्राइज़ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (ईडीएमएस) के साथ-साथ हमारे आंतरिक संचालन को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। ऑनलाइन सेवा अनुरोध मॉड्यूल विभिन्न ग्राहक सेवा अनुरोधों को प्रस्तुत करने और पूरा करने में सक्षम बनाता है।

#### शुरू की गई प्रमुख पहल:

कृपया वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 41 एवं 42 देखें।

## 10. मानव संसाधन:

### ए) कर्मचारियों की संख्या

31.03.2024 तक निगम के कर्मचारियों की संख्या 98,661 है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में यह संख्या 98,463 थी।

### बी) महिलाओं का सशक्तिकरण

कार्यबल का 23.56% हिस्सा विभिन्न संवर्गों में महिला कर्मचारियों का है। हमारे केंद्रीय कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और मंडल कार्यालयों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समिति है और ऐसी सभी समितियाँ प्रभावी रूप से काम कर रही हैं। निगम कमजोर वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर सभी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

## 11. एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन

एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2006 में एलआईसी की सामुदायिक सेवा पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। फाउंडेशन के उद्देश्य गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा का विकास, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य वस्तु का विकास हैं। एलआईसी फाउंडेशन के कोष में एकमात्र योगदानकर्ता है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इसने ₹ 100 करोड़ का योगदान दिया है। 31.03.2024 तक फाउंडेशन के पास ₹ 460 करोड़ का कोष है। कोष पर अर्जित ब्याज का उपयोग विभिन्न धार्मिक परियोजनाओं और छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए किया जाता है।

स्थापना के बाद से, फाउंडेशन ने पूरे भारत में गैर सरकारी संगठनों का सहयोग किया है जो उपरोक्त उद्देश्यों की दिशा में काम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या और राशि क्रमशः 116 और ₹ 33.82 करोड़ है।

एलआईसी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना फाउंडेशन की एक और पहल है, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को स्नातक / व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। फाउंडेशन स्नातक पाठ्यक्रम के आधार पर ₹ 20,000/- से ₹ 40,000/- प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति प्रदान करता है और 10+2 शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को ₹ 15,000/- की विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लाभार्थियों की कुल संख्या और वितरित छात्रवृत्ति राशि क्रमशः 9,616 और ₹ 10.20 करोड़ है।

## 12. एलआईसीआई समूह संरचना





**जी. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (सहयोगी-भारतीय जीवन बीमा निगम की हिस्सेदारी: 49.24%)**

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को जनवरी 2019 में एक सहायक कंपनी के रूप में अधिग्रहित किया गया, बैंक दिसंबर 2020 में हमारी सहयोगी कंपनी बन गई। मुंबई में मुख्यालय वाले इस बैंक की 2,000 से अधिक शाखाओं और 3,300 से अधिक एटीएम की पूरे भारत में उपस्थिति है। आईडीबीआई बैंक एक पूर्ण-सेवा वाला विश्वव्यापी बैंक है। बैंक एलआईसी का सबसे बड़ा बैंकएश्योरेंस पार्टनर है। 31.03.2024 तक जमा राशि ₹ 2,77,657 करोड़ और अग्रिम ₹ 1,88,621 करोड़ है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल आय ₹ 17,797 करोड़ है और 31.03.2024 तक पीएटी ₹ 5,634 करोड़ है।

**एच. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (एसोसिएट-भारतीय जीवन बीमा निगम की हिस्सेदारी: 29.84%)**

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईटीएसएल) को अगस्त 2000 में शामिल किया गया था और 2001 में सेबी के साथ पंजीकृत किया गया था। आईटीएसएल कॉरपोरेट्स को ट्रस्टीशिप सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल आय ₹ 99.12 करोड़ है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लाभ ₹ 57.37 करोड़ है।

**14. विदेश परिचालन**

**ए. विदेशी शाखाएँ**

निगम फिजी (सुवा और लौटोका), मॉरीशस (पोर्ट लुइस) और यूनाइटेड किंगडम (वाटफोर्ड) में अपने शाखा कार्यालयों के माध्यम से सीधे परिचालन करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, विदेशी शाखाओं ने मिलकर ₹ 144.20 करोड़ की प्रथम प्रीमियम आय के साथ 10,951 पॉलिसियाँ जारी कीं।

**बी. विदेशी सहायक कंपनियाँ**

**लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (इंटरनेशनल) बीएससी (सी):**

लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (इंटरनेशनल) बीएससी (सी) की स्थापना बहरीन में भारतीय जीवन बीमा निगम की सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरधारिता 99.66% है। परिचालन 23 जुलाई, 1989 को शुरू हुआ और शुरू में अनिवासी भारतीयों (NRI) की जीवन बीमा आवश्यकताओं को पूरा किया और बाद में अमेरिकी डॉलर में जीवन बीमा पॉलिसियाँ जारी करके खाड़ी देशों में स्थानीय आबादी तक विस्तारित किया गया। कंपनी बहरीन, कुवैत, यूएई (दुबई और अबू धाबी) और कतर के 4 जीसीसी देशों में काम करती है। कंपनी ने 31.12.2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान 1,551 पॉलिसियाँ बेचीं, जिसकी पहली प्रीमियम आय ₹ 307.79 करोड़ थी।

**लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड:**

लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सहायक कंपनी है, जो विशाल ग्रुप के साथ सार्वजनिक शेयरधारिता में रहते हुए साझेदारी करती है और इसकी स्थापना 1 सितंबर, 2001 को हुई थी। यह एक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसके शेयरों का नेपाल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता है। कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम की हिस्सेदारी 55% है। कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान 59,574 पॉलिसियाँ बेचीं, जिससे प्रथम प्रीमियम आय ₹ 141.47 करोड़ थी।

**लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (लंका) लिमिटेड:**

लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (लंका) लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सहायक कंपनी है, जो बार्टलेट ट्रांसकैपिटल लिमिटेड के साथ साझेदारी करती है और इसकी स्थापना 7 अक्टूबर, 2002 को हुई थी। कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम की हिस्सेदारी 90.91% है। कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान 4,188 पॉलिसियाँ बेचीं, जिससे प्रथम प्रीमियम आय ₹ 23.11 करोड़ थी।

**लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड:**

लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड, स्ट्रैटेजिक इक्रीटी मैनेजमेंट लिमिटेड और म्यूचुअल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सहायक कंपनी है और इसे 14.12.2015 को बांग्लादेश के कंपनी अधिनियम (अधिनियम XVIII) 1994 के तहत निगमित किया गया है। कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम की हिस्सेदारी 83.33% है। कंपनी ने 31.03.2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 4,491 पॉलिसियाँ बेचीं, जिनसे प्रथम प्रीमियम आय ₹ 8.53 करोड़ हुई।



### शीर्ष जोखिम और प्रमुख जोखिम संकेतक:

निगम के लिए शीर्ष जोखिमों की पहचान निगम द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों की भौतिकता/प्रभाव का विश्लेषण करके की जाती है। प्रमुख जोखिम संकेतकों का मूल्यांकन हर तिमाही में पूरा किया जाता है। शीर्ष जोखिम और संबंधित प्रमुख जोखिम संकेतक वार्षिक आधार पर अपडेट किए जाते हैं।

### व्यावसायिक निरंतरता उपाय (बीसीएम):

निगम के पास व्यवसाय निरंतरता के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना है। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और तकनीकी व्यवधानों आदि जैसी घटनाओं का सामना करने के लिए किए जाने वाले उपायों को प्रदान करने के लिए निरंतरता योजना को औपचारिक रूप दिया गया है।

### उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे के तहत विभिन्न जोखिमों के लिए शमन रणनीतियाँ:

एलआईसी भारतीय वित्तीय बाजारों में एक प्रमुख संस्थागत निवेशक है। इसके फंड को आईआरडीएआई (निवेश) विनियमों के अनुरूप परिसंपत्ति वर्गों में निवेश किया जाता है। निगम को बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, अनुपालन जोखिम, नैतिकता और धोखाधड़ी जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है। उद्यम जोखिमों की व्यवस्थित रूप से पहचान की गई है और इन जोखिमों को संबोधित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू किया गया है ताकि न केवल पॉलिसीधारकों के फंड सुरक्षित रहें बल्कि उनकी उचित अपेक्षाएं भी पूरी हों।

### 16. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

निगम ने वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, परिचालन और रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर समय पर प्रतिक्रिया, नीतियों, प्रक्रियाओं, कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रक्रियाओं में लेखा परीक्षा, निरीक्षण और सतर्कता के माध्यम से एक मजबूत और व्यापक आंतरिक नियंत्रण तंत्र को संस्थागत रूप दिया है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में स्वतंत्र और उचित आश्वासन प्रदान करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा एक आंतरिक लेखा परीक्षा टीम और सह-स्रोत लेखा परीक्षक (एक बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म) द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षा नियोजन गतिविधि निगम के सभी कार्यालयों में निगम की व्यावसायिक प्रक्रिया और लेनदेन की कवरेज सुनिश्चित करती है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और रिपोर्ट भी करता है।

बोर्ड द्वारा स्वीकृत निरीक्षण नीति में यह प्रावधान है कि भारत में निगम के प्रत्येक कार्यालय का निरीक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण की प्रक्रिया प्रणालीगत खामियों के विरुद्ध एक पूर्व-निवारक उपाय है।

धोखाधड़ी के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में सूचना के प्रसार के माध्यम से निवारक सतर्कता पर अधिक ध्यान दिया गया।

सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हमारे संगठन की खरीद प्रक्रियाओं में सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) को लागू किया जा रहा है। भंडार खरीद और भवन निर्माण अनुबंधों के संबंध में, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सीवीसी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करने में सक्रिय और निवारक सतर्कता उपाय किए गए और केंद्रीय कार्यालय के संबंधित नियंत्रण विभागों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सुझाव दिए गए।

भौतिक जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए निगम के पास एक अच्छी तरह से स्थापित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है। ईआरएम ढांचा निगम की रणनीति और व्यावसायिक निर्णयों को निगम की जोखिम क्षमता के साथ संरेखित करता है।

### 17. राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निगम को 'आशीर्वाद - साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन' द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर लगातार नौवीं बार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा निगम के 36 कार्यालयों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

### 18. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम ने केंद्रीय कार्यालय के अलावा अपने सभी मंडल और क्षेत्रीय कार्यालयों में सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति की है।

निगम के सभी कार्यालयों के सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण एलआईसी की वेबसाइट <https://licindia.in/web/guest/rti-center> पर उपलब्ध है।

## बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशक मंडल (“बोर्ड”) को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम (“निगम” या “एलआईसीआई” या “एलआईसी”) की 67वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

### 1. वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के लिए निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं नीचे प्रस्तुत की गई हैं:

विवरण	2023-24	2022-23	संवृद्धि (%)
नया व्यवसाय प्रीमियम (पुनर्बीमा का शुद्ध)			
प्रथम वर्ष का प्रीमियम	39,007.99	39,054.94	-0.12
एकल प्रीमियम	1,83,633.45	1,92,960.65	-4.83
नवीकरण प्रीमियम	2,52,428.14	2,41,989.02	4.31
कुल प्रीमियम	4,75,069.58	4,74,004.61	0.22
निवेश और अन्य आय	3,78,605.26	3,14,048.03	20.56
कुल आय	8,53,674.84	7,88,052.64	8.33
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	40,676.00	36,397.39	11.75

अन्य प्रमुख मानदंड :

विवरण	2023-24	2022-23	संवृद्धि (%)
निगम के वार्षिक प्रीमियम समतुल्य (एपीई) (₹ करोड़ में)	56,970.00	56,682.00	0.51
प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	51,21,886.90	43,97,204.59	16.48
एम्बेडेड मूल्य (₹ करोड़ में)	7,27,344.00	5,82,243.00	24.92
*शोधक सीमांत	1.98	1.87	-

\*शोधक सीमांत की गणना, वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर विचार करने से पहले की गयी है।

आपके निगम वित्त वर्ष 2024 में विकास और निरंतर प्रदर्शन का साक्षी बना है। निगम के कुछ अन्य प्रमुख मानदंड इस प्रकार हैं:

- सकल एनपीए वित्त वर्ष 2023 में ₹ 12,031.36 करोड़ से 11.09% घटकर वित्त वर्ष 2024 में ₹ 10,697.53 करोड़ हो गया है।
- शुद्ध एनपीए वित्त वर्ष 2023 में ₹ 5.93 करोड़ से 13.32% घटकर वित्त वर्ष 2024 में ₹ 5.14 करोड़ हो गया है।
- वित्त वर्ष 2024 के लिए मूल एवं द्रवित ईपीएस ₹ 64.31 है।
- वित्त वर्ष 2024 के लिए शुद्ध प्रतिधारण अनुपात 99.86% है।

### 2. लाभांश और आरक्षित निधियां:

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“एलआईसी अधिनियम, 1956”) की धारा 28बी के अंतर्गत, निगम के निदेशक मंडल ने 08 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 10/- अंकित मूल्य के 632,49,97,701 इक्विटी शेयरों पर ₹ 4 प्रति इक्विटी शेयर का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया, जिसमें ₹ 2,530 करोड़ का नकद बहिर्गमन शामिल है। जिसका भुगतान 01 मार्च, 2024 को किया गया था।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 27 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 10/- अंकित मूल्य के 632,49,97,701 इक्विटी शेयरों पर ₹ 6/- प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की, जो तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक में निगम के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो इसमें ₹ 3,795 करोड़ का नकद बहिर्गमन शामिल होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेयर ₹ 10/- है और इसमें ₹ 6,325 करोड़ का कुल बहिर्गमन शामिल होगा जो 15.55% के लाभांश भुगतान अनुपात में रूपांतरित हो जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (“सेबी लिस्टिंग विनियम” या “लिस्टिंग विनियम”) के विनियमन 43अ के अनुसार, निगम ने एक लाभांश वितरण नीति (“लाभांश नीति”) तैयार की है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। निगम की लाभांश नीति निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है <https://licindia.in/documents/20121/46602/Dividend-distribution-policy.pdf/a099808b-9f30-9c88-29cd-1d3e63d19456?t=1665744390416>

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निगम ने ₹ 36,248.29 करोड़ का लाभ अपने भंडार में जोड़ा है। 31 मार्च, 2024 तक निगम ने ₹ 75,711.26 करोड़ का लाभ अर्जित किया है।

### 3. पूंजी और शेयरधारिता:

निगम ने इस वर्ष के दौरान कोई नये इक्विटी शेयर जारी नहीं किये हैं। निगम की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 25,000 करोड़ है जिसे ₹ 10/- प्रति शेयर के 2,500 करोड़ शेयरों में विभाजित किया गया है और 31 मार्च, 2024 को निगम की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 63,24,99,77,010 है, जिसमें ₹ 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 6,32,49,97,701 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के अनुसार, निगम को निम्नलिखित अनुमोदन प्राप्त हुए हैं:

- प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम (एससीआरआर) 1957 के नियम 19ए (6) के अनुसार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने 20 दिसंबर, 2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निगम को सूचीबद्धता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर यानी मई 2032 तक 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) प्राप्त करने के लिए एकमुश्त छूट दी है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (‘सेबी’) ने अपने पत्र दिनांकित 14 मई, 2024 के माध्यम से प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी)(iv) के तहत 10% सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए निगम को 3 साल अर्थात, सूचीबद्धता की तारीख से 5 साल की अवधि के भीतर, यानी, 16 मई, 2027 तक का अतिरिक्त समय देने का अपना निर्णय अवगत किया है।

### 4. उत्पाद:

निगम विभिन्न प्रकार के उत्पादों की पेशकश करता है, जो समाज के विभिन्न ग्राहक वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने 6 नए व्यक्तिगत उत्पादों जैसे एलआईसी धन वृद्धि, एलआईसी जीवन किरण, एलआईसी जीवन उत्सव, एलआईसी जीवन धारा II, एलआईसी इंडेक्स प्लस, एलआईसी अमृतबाल और 1 समूह उत्पाद अर्थात एलआईसी समूह पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनेफिट प्लान पेश किया है।

इसके अतिरिक्त, निगम ने 4 व्यक्तिगत उत्पादों के संशोधित संस्करण भी पेश किए जो कि एलआईसी कैंसर कवर, एलआईसी धन वृद्धि, एलआईसी जीवन अक्षय-VII और एलआईसी नई जीवन शांति और 2 समूह उत्पाद अर्थात एलआईसी न्यू वन ईयर रिन्यूएबल ग्रुप टर्म एश्योरेंस योजना-I और एलआईसी की न्यू वन ईयर रिन्यूएबल ग्रुप टर्म एश्योरेंस योजना-II हैं।

वित्तीय वर्ष 2023 -24 के अंत तक, निगम के पास 41 व्यक्तिगत उत्पाद, 12 समूह उत्पाद, 7 व्यक्तिगत अनुवृद्धि और 1 समूह अनुवृद्धि बिक्री के लिए उपलब्ध है।

### 5. ग्राहक संबंध प्रबंधन:

#### (क) पॉलिसी सेवा:

पॉलिसियों की सेवा जीवन बीमा के लिए मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, खासकर अनुबंध की लंबी अवधि होने के कारण। ग्राहक सेवा सुविधाएं हमारे शाखा कार्यालयों / सैटेलाइट कार्यालयों से शुरू होती हैं जिनके माध्यम से ग्राहक सभी आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे नामांकन, स्वत्वार्पण, पते में परिवर्तन, ऋण, अभ्यर्पण इत्यादि। ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने के प्रयास में हमने ‘कहीं भी सेवाएं’ जैसे अनेक कदम उठाए हैं, जहां पॉलिसीधारक सेवा शाखा और ग्राहक पोर्टल के अलावा अन्य शाखाओं में सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं ताकि अधिकांश सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाया जा सके। प्रीमियम के भुगतान के लिए कई चैनल उपलब्ध हैं जिनमें एलआईसी ग्राहक पोर्टल पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ई-वॉलेट के माध्यम से डिजिटल भुगतान शामिल हैं। प्रीमियम का भुगतान ऑटो डेबिट, नैच और इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से भी किया जा सकता है। ऑफलाइन चैनल जैसे आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी यूनिन बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), सुविधा इन्फोसर्व, एमपी ऑनलाइन और एपीटी ऑनलाइन तथा चयनित एजेंटों/विकास अधिकारियों/एसबीए द्वारा प्रचालित प्रीमियम भुगतान केंद्र जहां पर प्रीमियम का भुगतान नकद या चेक के माध्यम से सक्षम किया जाता है। एलआईसी ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) प्लेटफॉर्म को भी ऑन-बोर्ड किया है एवं बीबीपीएस पारिस्थितिकी तंत्र की सभी परिचालन इकाइयों के माध्यम से ग्राहक नवीकरण प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।

एलआईसी के पास 24x7 परिचालित केंद्रीकृत कॉल सेंटर है जिस पर 022-68276827 पर कॉल करके संपर्क किया जा सकता है। इन कॉल सेंटर पर अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा आठ क्षेत्रीय भाषाओं (बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल और तेलुगु) में सेवाएं उपलब्ध हैं। पूरे भारत में 74 ग्राहक क्षेत्र काम कर रहे हैं जो सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक काम करते हैं। ग्राहक अब हमारी नई व्हाट्सएप सेवा नंबर 8976862050 के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।

हमने एसएमएस सुविधा प्रदान की है जिसे 'एलआईसीहेल्प' कहा जाता है जहां 9222492224 पर पॉलिसीधारक एलआईसीहेल्प <पॉलिसी न> पर एसएमएस कर सकते हैं। ग्राहक क्षेत्र के एक अधिकारी, पॉलिसी की सेवा शाखा से संपर्क करते हैं एवं किसी भी सेवा अनुरोध के लिए ग्राहक से संपर्क और सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं।

निगम के पास ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें भारतीय जीवन बीमा के ग्राहक पोर्टल पर पंजीकृत पॉलिसीधारक शिकायत दर्ज करा सकते हैं और हमारे वेबसाइट [www.licindia.in](http://www.licindia.in) पर उपलब्ध एलआईसी की ई-सेवा के माध्यम से उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के शिकायत प्रबंधन प्रणाली- बीमा भरोसा के अंतर्गत दर्ज शिकायतें एलआईसी के शिकायत प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। निगम ने शाखा/मंडल/क्षेत्रिय/केंद्रीय कार्यालय में ग्राहकों की शिकायत के समाधान के लिए शिकायत समाधान अधिकारी (जीआरओ) उपलब्ध हैं एवं उनके नाम हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित जीआरओ पर सोमवार को दोपहर बाद 2.30 से 4.30 तक ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अपने कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। पूर्व समय निश्चित करके ग्राहक जीआरओ से अन्य दिनों में भी मिल सकते हैं। ग्राहकों द्वारा संबन्धित सेवा कार्यालय/जीआरओ को डाक, ई-मेल द्वारा भी शिकायतें भेजी जा सकती हैं।

#### (ख) दावा संबंधित प्रदर्शन:

वर्ष के दौरान, निगम ने ₹ 2,30,272.54 करोड़ (व्यक्तिगत, सूक्ष्म बीमा और पेंशन और समूह योजनाओं सहित) की राशि के 221.80 लाख दावों का निपटान किया है। सभी दावा भुगतान डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किए गए हैं यानी एनईएफटी के माध्यम से 100% भुगतान किया गया है।

#### 6. निरंतरता:

प्रीमियम के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत नियमित प्रीमियम व्यवसाय के लिए 13वें महीने की निरंतरता, वित्त वर्ष 2022-23 के 77% की तुलना में 78% है, और उसी के लिए 61वें महीने की निरंतरता वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2022-23 के 62% की तुलना में 61% है।

पॉलिसियों की संख्या के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत नियमित प्रीमियम व्यवसाय के लिए 13वें महीने की निरंतरता, वित्त वर्ष 2022-23 के 64% की तुलना में 67% है और उसी के लिए 61वें महीने की निरंतरता वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2022-23 के 50% की तुलना में 49% है।

#### 7. सूचना प्रौद्योगिकी:

प्रौद्योगिकी आज के युग में प्रमुख प्रदर्शन विभेदक है। सूचना प्रौद्योगिकी में नवाचारों ने पहले ही एलआईसी के संचालन में दक्षता हासिल कर ली है और निगम नई डिजिटल पहलुओं को अपनाने, डिजिटल क्षमताओं को उन्नत करने और एलआईसी की परिचालन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने की दिशा में काम कर रहा है। एलआईसी को एक अग्रणी तकनीकी सक्षम डिजिटल संगठन में बदलने के लिए निम्नलिखित तकनीकी पहल की गई है, जिससे ग्राहकों, शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों के लिए मूल्य का सृजन हुआ है:

##### (i) मुख्य व्यवसाय एप्लीकेशन – ईएफईएपी:

निगम का आंतरिक रूप से विकसित मुख्य बीमा समाधान, ईएफईएपी, निगम के सभी कार्यालयों को नए व्यवसाय चरण में पॉलिसी जीवन चक्र की शुरुआत से लेकर पॉलिसी सेवाओं और अंततः दावा निपटान और मानव संसाधन और ग्राहक प्रबंधन संबंध से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।

##### (ii) एलआईसी ग्राहक पोर्टल और एलआईसी डिजिटल मोबाइल ऐप:

एक सहज और सुविधाजनक स्व-सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए, ग्राहक पोर्टल और एलआईसी डिजिटल मोबाइल ऐप स्वयं-सेवा कार्यात्मकताओं की श्रृंखला, व्यापक सूचना सेवाओं और उपयोगकर्ता के अनुकूल अंतरपृष्ठ प्रदान करते हैं। उपयुक्त प्लेटफॉर्म 2.73 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं (प्रीमियर/साधारण) की प्रोफाइल बनाने और अपडेट करने, पॉलिसी और उनके प्रस्ताव

की छवियों को देखने, प्रीमियम भुगतान सहित अग्रिम प्रीमियम भुगतान आदि के लिए सेवा सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऑनलाइन सेवा अनुरोध मॉड्यूल जैसे ऋण ब्याज भुगतान, ऋण पुनः भुगतान, पते में परिवर्तन, भुगतान विधि परिवर्तन, यूलिप फंड स्विच, ई-एनएसीएच, ऑनलाइन पैन और एनईएफटी डेटा पंजीकरण आदि विभिन्न ग्राहक सेवा अनुरोधों को प्रस्तुत करने और पूरा करने में सक्षम बनाते हैं।

**(iii) सरकारी प्लेटफार्मों के साथ निर्बाध एकीकरण:**

उपयोगकर्ता अनुभव को और सुव्यवस्थित करने के लिए, पॉलिसी प्रशासन प्लेटफार्मों को सरकार द्वारा सक्षम सार्वजनिक सेवा प्लेटफार्मों जैसे आधार, पैन, उमंग और डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण निर्बाध पैन/आधार सत्यापन, ई-केवाईसी और ई-साइन जैसी क्षमताओं को अनुमति देता है एवं बीमा खातों का प्रबंधन करते समय एक सुरक्षित और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करता है।

**(iv) एआई/एमएल, व्हाट्सपप व्यवसाय और ग्राहक सेवाएं में संचार समाधान:**

- क) एआई/एमएल-संचालित एलआईसी मित्र (चैटबॉट) एक व्यापक ज्ञान आधार से सुसज्जित है जिसमें ग्राहकों को त्वरित और सटीक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ एलआईसी उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- ख) जीवन साक्ष्य ऐप एक एआई-संचालित चेहरा मिलान और जीवंतता जांच तंत्र है जो वार्षिकीकर्ताओं और पेंशनभोगियों को अपने घरों से ऑनलाइन अस्तित्व प्रमाण पत्र जमा करने में सक्षम बनाता है।
- ग) व्हाट्सपप व्यवसाय समाधान को ग्राहक सहभागिता/जुड़ाव को और बेहतर बनाने और सेवा वितरण को कारगर करने के लिए शामिल किया गया है।
- घ) हमने उत्पादकता बढ़ाने के लिए संचार चैनल भी स्थापित किए हैं जैसे समर्पित वीसी समाधान, एसएमएस और ईमेल प्रणाली जोकि आंतरिक और बाहरी हितधारकों के बीच सहयोग प्रदान करते हैं।

**(v) निर्बाध ग्राहक ऑन-बोर्डिंग:**

एलआईसी ने ग्राहकों के लिए एक नया डिजिटल ऑन-बोर्डिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो स्मार्ट समाधानों के साथ ग्राहक की सेवा यात्रा का अनुकूलन करता है, जैसे की बेहतर यूआई / यूएक्स, ई-केवाईसी के साथ एकीकृत, सी-केवाईसी डेटा के माध्यम से पूर्ण में भरे फॉर्म और ग्राहक आईडी का उपयोग करके वास्तविक समय में बैंक खाता का सत्यापन करता है।

**(vi) भुगतान/प्राप्तियों का आधुनिकीकरण:**

ई-एनएसीएच/एनईएफटी एक कुशल, कागज रहित विकल्प प्रदान करता है, जो एलआईसी ग्राहकों को अपने बैंक खातों से प्रीमियम की स्वचालित कटौती के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अधिदेश को अधिकृत करने और दावा भुगतान को सरल और तेज करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**(vii) डिजिटल परिवर्तन (DIVE) परियोजना**

LIC ने DIVE (डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एन्हांसमेंट) नामक एक महत्वाकांक्षी डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया है। DIVE का उद्देश्य डिजिटल यात्रा की पुनः कल्पना करना और बिक्री के साथ-साथ ग्राहकों के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्रदान करना है।

**8. मानव संसाधन:**

31 मार्च, 2024 तक, निगम में कुल 98,661 कर्मचारी हैं जिनमें 23,250 महिला कर्मचारी (कुल कर्मचारियों का 23.56% से अधिक) शामिल हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	पुरुष	महिला	कुल
प्रथम श्रेणी	22,809	7,017	29,826
द्वितीय श्रेणी	20,885	2,188	23,073
तृतीय श्रेणी	30,632	13,691	44,323
चतुर्थ श्रेणी	1,085	354	1,439
<b>कुल</b>	<b>75,411</b>	<b>23,250</b>	<b>98,661</b>

## 9. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार, निगम ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है। निगम में हर स्तर पर महिला अधिकारियों/कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निगम में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और मंडल कार्यालय स्तर पर समितियां प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। 31 मार्च, 2024 तक मामलों का सारांश इस प्रकार है:

पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	कुल मामले	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	31.03.2024 तक लंबित मामलों की संख्या
04	14	18	16	02*

\*इस रिपोर्ट की तारीख तक, दोनों लंबित शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।

## 10. उद्यम जोखिम प्रबंधन:

निगम को परिचालन के पैमाने, व्यवसाय और जटिलता के मामले में काफी जोखिम का सामना करना पड़ता है और इसलिए निगम को जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एक मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे की आवश्यकता होती है। जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, शमन और निगरानी के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे में एक कुशल तंत्र है। जोखिम को प्रबंधित करने के लिए रक्षा की तीन परतें हैं- परत 1- विभाग, क्षेत्रीय, मंडल और शाखाएँ जो जोखिम के स्वामी हैं। परत-2- जोखिम प्रबंधन विभाग जो जोखिम की समीक्षा करेगा और परत 3- लेखापरीक्षा जो जोखिम प्रबंधन की जांच करेगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन मापांक (मॉड्यूल) का उपयोग किया जाता है।

बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन से संबंधित जिम्मेदारी बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को सौंपी है। निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रवृत्ति विवरण और व्यवसाय सातत्य योजना है। इन नीतियों की समीक्षा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड के सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है। आरएमसीबी तिमाही आधार पर पूरे संगठन में निष्पादित उद्यम जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा करता है।

जोखिम प्रवृत्ति विवरण, जोखिम रजिस्टर, घटना प्रबंधन ढांचा और धोखाधड़ी निगरानी, शीर्ष जोखिम और प्रमुख जोखिम संकेतक जोकि प्रमुख जोखिम प्रबंधन उपकरण हैं।

जोखिम को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है जैसे की बाज़ार जोखिम, तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम, बीमा जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, नैतिकता जोखिम और धोखाधड़ी जोखिम।

## 11. आंतरिक निरीक्षण:

आपके निगम की बोर्ड अनुमोदित निरीक्षण नीति है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि भारत में निगम के प्रत्येक कार्यालय का आंतरिक निरीक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन्हें सुधारने का एक उपाय है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने मंडल कार्यालयों और पेंशन एवं समूह स्कीम इकाइयों के लिए एक प्रदर्शन मैट्रिक्स प्रस्तुत किया, जिसमें निगम के लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन के प्रमुख परिणाम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमारी सभी इकाइयों को विपणन और ग्राहक सेवा दोनों पर समान ध्यान केंद्रित करने एवं संवेदनशील बनाने के लिए इस तरह के मैट्रिक्स की आवश्यकता महसूस की गई, जो न केवल उन्हें निगम के उद्देश्य के साथ अपनी गतिविधियों को संरेखित करने में सक्षम बनाएगी, बल्कि साथ ही उन्हें निरीक्षण में उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करने में भी सक्षम बनाएगी।

हमारी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार की गति को ध्यान में रखते हुए, प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के साथ, दूरस्थ निरीक्षण पैकेज में और विकास किया गया, जिससे इकाइयों के निरीक्षण के शुरु होने से पहले निरीक्षण कार्य का एक बड़ा हिस्सा पूरा किया जा सकता है, जिससे कीमती समय की बचत होगी।

समीक्षा वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 15 मार्च, 2024 तक सभी सैटेलाइट कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय का निरीक्षण पूरा कर लिया है और 61.48% शाखा कार्यालयों और 96.46% मंडल कार्यालयों को 'उत्कृष्ट' दर्जा दिया गया है। आवश्यक प्रणालीगत सुधारों के लिए केंद्रीय कार्यालय में कार्यात्मक प्रमुखों के साथ सामान्य अनियमितताओं को भी साझा किया गया है।

## 12. आंतरिक लेखापरीक्षा:

आपके निगम के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की देखरेख केंद्रीय कार्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। निगम के बारह लेखापरीक्षा केंद्र हैं जो लेखापरीक्षा आयोजित करते हैं। केंद्रीय कार्यालय का लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा केंद्रों के संचालन की निगरानी के साथ-साथ केंद्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों के लेखापरीक्षा की व्यवस्था करता है।

कार्यालयों के अंकेक्षण के प्रति व्यवसायिक दृष्टिकोण लाने के लिए, वित्त वर्ष 2022-2023 से 1/3 मंडल कार्यालयों और इनकी शाखाओं सहित पेंशन एवं समूह स्कीम इकाइयों, का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्मों द्वारा किया गया। हम वित्त वर्ष 2024-25 में सीए फर्मों के माध्यम से 1/3 मंडल और इनकी शाखाओं सहित पेंशन एवं समूह स्कीम इकाइयों का अंकेक्षण जारी रखेंगे ताकि तीन साल की अवधि में एक बार, निगम के सभी मंडल और शाखा कार्यालयों सहित पेंशन एवं समूह स्कीम इकाइयों का सीए फर्मों द्वारा अंकेक्षण किया जा सकेगा।

अंकेक्षण के लिए विभाग द्वारा प्रशावली विकसित की गयी है जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) के प्रश्न शामिल है जिसके आधार पर निगम के प्रत्येक स्तर अर्थात शाखा, मंडल, क्षेत्रीय और केंद्रीय कार्यालय की सभी इकाइयों में अंकेक्षण किया जाता है।

वर्ष के दौरान, हमने निगम का आईएफसी अंकेक्षण किया और रिपोर्ट पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा की और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान प्रमुख निष्कर्षों को नियमित रूप से केंद्रीय कार्यालय में कार्यात्मक प्रमुखों के साथ साझा किया गया है, जो सुधारवादी कार्रवाई के लिए परिचालन इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी करते हैं, साथ ही जहां भी आवश्यक हो, प्रणालीगत नियंत्रण को सुव्यवस्थित करते हैं।

इसके अतिरिक्त, हमारे धोखाधड़ी निगरानी ढांचे के अनुसार, 1 करोड़ रुपए (एक करोड़ रुपए) से अधिक मूल्य की धोखाधड़ियों को केन्द्रीय धोखाधड़ी निगरानी समिति और जोखिम प्रबंधन हेतु कार्यपालकों की समिति के माध्यम से जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किया जाता है।

## 13. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु हितधारकों के लिए वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, निगम की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जा रहा है, और यह कि निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहा हैं, और (3) निगम की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या बिक्री की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

## 14. संबंधित पक्ष लेनदेन:

वर्ष के दौरान, निगम ने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है। संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का विवरण समय-समय पर अनुमोदन के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया है एवं लागू लेखा मानकों के तहत उपयुक्त प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट्स में उपयुक्त प्रकटीकरण किया गया है।

सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार, दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक में, निगम के सदस्यों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए और अगली एजीएम की तारीख तक संबंधित पक्षकार से निगम द्वारा दर्ज किए जाने वाले भौतिक लेनदेन को मंजूरी दी है।

निदेशक मंडल ने जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकार लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटान पर भी एक नीति तैयार की है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की अद्यतन नीति निगम की वेबसाइट <https://licindia.in/documents/20121/46602/Revised-RPT-Policy-Version3.pdf/8c03ebdf-e096-8cf1-6485-f58f89a14eba?t=1674020688256> पर उपलब्ध की गई है।

संबंधित पक्षकार लेनदेन पर प्रकटीकरण, लागू लेखा मानकों और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 23(9) की आवश्यकताओं के अनुसार दर समाप्त छमाही 30 सितंबर, 2023 और 31 मार्च, 2024 में, निगम द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है और साथ ही निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

### 15. Ind AS के कार्यान्वयन हेतु:

Ind AS 117 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी है। आईआरडीएआई ने Ind AS की तैयारी के संबंध में बीमाकर्ताओं को अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं।

वर्ष के दौरान, निगम ने भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के कार्यान्वयन का अंतराल विश्लेषण और प्रभाव आकलन किया है। गुणात्मक और अंतराल विश्लेषण से संबंधित अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और निर्धारित योजना के अनुसार वित्तीय प्रभाव मूल्यांकन प्रगति पर है।

### 16. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

इस रिपोर्ट की तारीख तक, निगम के बोर्ड में चौदह (14) निदेशक अर्थात् एक (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक, आठ (8) स्वतंत्र निदेशक और पांच (5) पूर्णकालिक निदेशक जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक और चार प्रबंध निदेशक शामिल हैं। 'निदेशक नीति' निगम की वेबसाइट पर <https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609> प्रसारित की गई है

#### अ) बोर्ड संरचना में परिवर्तन:

##### ➤ निदेशकों की नियुक्ति/ पुनः पद स्थापना:

- (i) श्री तबलेश पांडे (डीआईएन: 10119561): भारत सरकार ने 13 मार्च, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री तबलेश पांडे को 01 अप्रैल, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। निगम के निदेशक मण्डल ने इसे संज्ञान में लिया।  
निगम के सदस्यों ने 22 अगस्त, 2023 को आयोजित निगम की दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक में श्री तबलेश पांडे की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
- (ii) डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला (डीआईएन: 03609968): भारत सरकार ने 28 जून, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री सुचिन्द्र मिश्र के स्थान पर तत्कालिक प्रभाव से और अगले आदेश तक डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला को निगम का सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया है। निगम के निदेशक मण्डल ने इसे संज्ञान में लिया।  
निगम के सदस्यों ने 22 अगस्त, 2023 को आयोजित निगम की दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक में डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
- (iii) श्री सतपाल भानू (डीआईएन: 10482731): भारत सरकार ने 19 जुलाई, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री सतपाल भानू को 20 जुलाई, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।  
निगम के सदस्यों ने 22 अगस्त, 2023 को आयोजित निगम की दूसरी वार्षिक सामान्य बैठक में श्री सतपाल भानू की नियुक्ति को मंजूरी दी है।
- (iv) श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन (डीआईएन: 10358884): भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन को 01 सितंबर, 2023 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।  
निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन की नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रस्ताव और उनके संक्षिप्त विवरण के साथ सदस्यों के औपचारिक अनुमोदन के लिए तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में शामिल किया गया है।
- (v) श्री सिद्धार्थ मोहंती (डीआईएन: 08058830): भारत सरकार के 28 अप्रैल 2023 की अधिसूचना के माध्यम से 30 जून 2024 को श्री सिद्धार्थ मोहंती, पूर्णकालिक अध्यक्ष की पुनः पद स्थापना मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में की गयी है।

➤ **निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति:**

- (i) श्री सुचिंद्र मिश्र (डीआईएन: 01873568): भारत सरकार ने 28 जून, 2023 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला को तत्कालिक प्रभाव से श्री सुचिंद्र मिश्र के स्थान पर निगम का सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया।
- (ii) श्रीमती मिनी आईप (डीआईएन: 07791184): श्रीमती मिनी आईप ने भारत सरकार की 05 जुलाई, 2021 की अधिसूचना के अनुसार 31 अगस्त, 2023 से कार्यालय समय की समाप्ति के उपरान्त सेवानिवृत्ती होने पर निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में पद धारण करना समाप्त कर दिया है।
- (iii) श्री संजीव नौटियाल (डीआईएन: 08075972): श्री संजीव नौटियाल ने उज्जीवन स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप इस्तीफा देने के बाद 31 मई, 2024 को दिन की समाप्ति से निगम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक का पद धारण करना समाप्त कर दिया है।

बोर्ड श्री सुचिंद्र मिश्र, श्रीमती मिनी आईप और श्री संजीव नौटियाल द्वारा क्रमशः सरकारी नामित निदेशक, प्रबंध निदेशक और स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किए गए बहुमूल्य योगदान की सराहना करता है और निगम को उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए प्रशंसा व्यक्त करता है।

मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (फर्म का पंजीकरण संख्या P1991MH040400) का प्रमाण पत्र, करता है कि निगम के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं ठहराया गया है।

**आ) स्वतंत्र निदेशक:**

आपके निगम को सभी स्वतंत्र निदेशकों से घोषणाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें यह पुष्टि की गई है कि वह एलआईसी अधिनियम की धारा 4 (3) के साथ पठित नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित 'स्वतंत्रता के मानदंडों' को पूरा करते हैं।

बोर्ड की यह राय है कि सभी स्वतंत्र निदेशक एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4(3) के साथ पठित लागू नियमों एवं विनियमों तथा सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत निदृष्टि स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी स्थिति से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की संरचना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ('कॉर्पोरेट शासन' / 'कॉर्पोरेट प्रशासन') रिपोर्ट में दी गई है जिसे अलग से प्रस्तुत किया है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

**ई) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और परिवर्तन, यदि कोई हो**

सूचीबद्धता विनियमों के साथ पठित आईआरडीएआई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के संदर्भ में, निगम के निम्नलिखित वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी मार्च 31, 2024 तक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पदों पर थे:

क्र. सं.	केएमपी का नाम	पदनाम
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष
2	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक
3	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक
4	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक
5	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक
6	श्री दिनेश पंत	कार्यकारी निदेशक (बीमांकक ) एवं नियुक्त बीमांकक
7	श्री पांडियन कुमारेसन	कार्यकारी निदेशक (लेखापरीक्षा) एवं मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक
8	श्री सुधाकर रविन्द्रनाथ	कार्यकारी निदेशक (विपणन) एवं मुख्य विपणन अधिकारी
9	श्री कृष्णा कुमार सुकुमारन नायर	कार्यकारी निदेशक (कॉर्प. गवर्नेंस/जीजेएफ़/विनियमिक अनु.) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी



निदेशको, बोर्ड और बोर्ड के अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रदर्शन का मूल्यांकन आईओएस-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से मूल्यांकन किया गया है।

#### **‘उपयुक्त और उचित’ मानदंड:**

निगम के सभी निदेशकों ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित निदेशक की नीति के तहत निर्धारित प्रारूप पर ‘उपयुक्त एवं उचित’ मानदंड के अनुपालन की पुष्टि की है।

#### **निदेशक और अधिकारी देयता बीमा:**

सूचीकरण विनियमों के विनियमन 25(10) के अनुसार, जिसमें कंपनियों से अपने सभी स्वतंत्र निदेशकों के लिए निदेशक और अधिकारी देयता बीमा (डी एंड ओ) लेने की अपेक्षा की गई है, निगम ने अपने सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित मात्रा और जोखिमों के लिए डी एंड ओ बीमा लिया है।

#### **उत्तराधिकार योजना:**

उत्तराधिकार योजना पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के संदर्भ में, बोर्ड की एनआरसी समिति प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन और निगम के अन्य प्रमुख अधिकारियों के उत्तराधिकार योजना से संबंधित मामलों की देखरेख करता है। एनआरसी, बोर्ड में रिक्तियों को भरने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की भी सिफारिश करती है।

#### **बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकें, उपस्थिति और विभिन्न समितियों का गठन:**

वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और बोर्ड की समितियों की बैठकों, निदेशकों की उपस्थिति और बोर्ड की विभिन्न समितियों के गठन का ब्यौरा, कारपोरेट शासन रिपोर्ट का भाग है, जिसे अलग से प्रस्तुत किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

#### **पारिश्रमिक नीति:**

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19बी के प्रावधानों के अनुसरण में, बोर्ड ने बोर्ड की एनआरसी द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक नीति को मंजूरी दी है। नीति निगम की वेबसाइट <https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609> पर प्रसारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों की पारिश्रमिक के बारे में ब्यौरा कारपोरेट शासन रिपोर्ट के अंतर्गत दिया गया है जिसे अलग से प्रस्तुत किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

#### **सचिवीय मानक:**

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के साथ पठित, उसके तहत बनाये गए नियम एवं विनियम के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार निगम, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है।

### **17. कॉर्पोरेट गवर्नेंस:**

निगम अपने हितधारकों को सफलता में भागीदार मानता है, और हितधारकों को मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम का मानना है कि हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए एक मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन तंत्र महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप तरीके से अपने मामलों का प्रबंधन करता है एवं यह पूरे संगठन में समग्र जिम्मेदारियों को कठोरता और लगन से निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।

निगम विभिन्न कॉर्पोरेट शासन प्रथाओं का पालन करते हुए अपना व्यवसाय संचालन करता है ताकि यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सके कि परिचालन पारदर्शिता, सूचना साझाकरण, जवाबदेही और हमारे सभी हितधारकों के साथ निरंतर संवाद स्थापित हो। निगम के पास मानक संचालन प्रक्रियाएं या नियमवाली हैं जो प्रत्येक कार्य के लिए पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रियाओं का विवरण देते हैं। निगम की कई बोर्ड उप-समितियां हैं जो निगम के कॉर्पोरेट प्रशासन तंत्र को मजबूत करती हैं और ब्रांड इकट्टी को बढ़ाती हैं, शेयरधारकों के हिस्से को मजबूत करती हैं और संगठन के भीतर एक स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखती हैं।

सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों से प्रमाण-पत्र के साथ कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट अलग से इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

### 18. एलआईसी स्वर्ण जयंती फाउंडेशन (एलआईसी जीजेएफ):

एलआईसी स्वर्ण जयंती फाउंडेशन (एलआईसी जीजेएफ) की स्थापना वर्ष 2006 में एलआईसी की सामुदायिक सेवा पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। फाउंडेशन के उद्देश्य गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा की उन्नति, चिकित्सा राहत और सामान्य सावर्जनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति हैं।

वर्ष के दौरान, निगम ने फाउंडेशन को ₹ 100/- करोड़ प्रदान किए हैं और 31 मार्च, 2024 तक, एलआईसी जीजेएफ का कुल कोष ₹ 460 करोड़ है। कोष पर अर्जित ब्याज का उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। स्थापना के बाद से, फाउंडेशन ने देश भर में स्थित गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन किया है और ₹ 179.33 करोड़ के 839 परियोजनाओं के माध्यम से उपरोक्त उद्देश्यों के लिए समर्पित किया है। 2023-24 के दौरान, फाउंडेशन ने 116 परियोजनाओं के लिए ₹ 33.82 करोड़ मंजूर किए हैं। फाउंडेशन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रदान की गई आधारभूत सहायता के माध्यम से समाज के कई वंचित वर्गों तक पहुंचा है। एलआईसी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को जोकि ₹ 40,000/- प्रति वर्ष बीएएमएस/एमबीबीएस आदि जैसी पूर्णकालिक मेडिकल डिग्री हासिल करने वाले छात्रों के लिए, ₹ 30,000/- प्रति वर्ष बी.टेक/बी.ई. जैसी तकनीकी डिग्री हासिल करने वाले छात्रों के लिए, बी.एससी, बी.ए., वोकेशनल कोर्स आदि जैसे नियमित पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए ₹ 20,000/- प्रति वर्ष और उच्चतर माध्यमिक (+2) शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बालिकाओं के लिए ₹ 15,000/- प्रति वर्ष की विशेष छात्रवृत्ति। 2023-24 के दौरान, ₹ 10.20 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई। अपनी स्थापना से लेकर अब तक एलआईसी जीजेएफ ने 27,792 छात्रों को ₹ 69.22 करोड़ की छात्रवृत्तियां वितरित की हैं।

### 19. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27अ के संदर्भ में निवेश का विवरण:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27ए के प्रावधानों के अनुसरण में, 31 मार्च, 2024 तक के निवेश का उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 325 में किया गया है और वर्ष 2023-2024 के लिए बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में निवेश का उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 326 पर किया गया है।

### 20. सहायक, सहयोगी कंपनियां और विदेशी शाखाएँ:

मार्च 31, 2024 तक, निगम की तीन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां, चार सहायक कंपनियां और छह सहयोगी कंपनियां हैं।

निगम के पास कोई भौतिक सहायक कंपनी नहीं है। ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो वर्ष के दौरान निगम की सहायक कंपनियां, या सहयोगी बन गई या बंद हो गई। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के कारोबार के बारे में संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था की स्वरूप	व्यावसायिक गतिविधि	एलआईसी द्वारा धारित शेयरों का%
1	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड (“एलआईसीसीएसएल”)	<sup>1</sup> पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	एलआईसीसीएसएल पालिसीधारकों, कर्मचारियों और निगम के एजेंटों एवं सामान्य जनता को चैनल भागीदार बैंकों (आईडीबीआई बैंक; एक्सिस बैंक; आईडीएफसी फर्स्ट बैंक) के क्रेडिट कार्डों का विपणन और वितरण करता है। उन्होंने गिफ्ट कार्ड जारी करने के लिए एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक के साथ सह-ब्रांडिंग की है। कंपनी ने एलआईसी के कर्मचारियों को भोजन कार्ड जारी करने के लिए मैसर्स सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसएसवीसी) के साथ एक समझौता भी किया है और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में भी इसी तरह की व्यवस्था के विस्तार का प्रस्ताव रखा है।	100%
2	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड (“एलआईसीपीएफएल”)	<sup>1</sup> पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	एलआईसीपीएफएल, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित पेंशन फंड योजनाओं के लिए पेंशन फंड का कारोबार करती है।	100%

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था की स्वरूप	व्यावसायिक गतिविधि	एलआईसी द्वारा धारित शेयरों का%
3	लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड (“एलआईसी सिंगापुर”)	<sup>2</sup> पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	एलआईसी सिंगापुर जीवन बीमा के कारोबार में लगी हुई है।	100%
4	लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (इंटरनेशनल) बीएससी (सी) (“एलआईसी बहरीन”)	<sup>3</sup> सहायक	एलआईसी बहरीन बहरीन और जीसीसी देशों में जीवन बीमा के कारोबार में लगी हुई है।	99.66%
5	लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (लंका) लिमिटेड (“एलआईसी लंका”)	<sup>3</sup> सहायक	एलआईसी लंका जीवन बीमा के कारोबार में लगी हुई है।	90.91%
6	लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड (“एलआईसी नेपाल”)	<sup>3</sup> सहायक	एलआईसी नेपाल जीवन बीमा के कारोबार में लगी हुई है।	55%
7	लाईफ इंश्युरेंस कॉर्पोरेशन (एलआईसी) ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड (“एलआईसी बांग्लादेश”)	<sup>3</sup> सहायक	एलआईसी बांग्लादेश, जीवन और पूरक स्वास्थ्य कवरेज को करके, व्यक्तिगत और समूह योजनाओं के तहत दुर्घटना लाभ और पेंशन बीमा व्यवसाय प्रदान करके जीवन बीमा सेवाओं और सभी प्रकार की गारंटी और क्षतिपूर्ति व्यवसाय के व्यवसाय में लगा हुआ है।	83.33%
8	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (“एलआईसीएमएफ ट्रस्टी”)	<sup>4</sup> सहयोगी	एलआईसीएमएफ ट्रस्टी, एलआईसी म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करता है।	49%
9	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (“एलआईसीएमएफ”)	<sup>4</sup> सहयोगी	एलआईसीएमएफ एसेट मैनेजमेंट, एलआईसी म्यूचुअल फंड की योजनाओं के लिए निवेश प्रबंधकों के रूप में कार्य करता है।	44.61%
10	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (“एलआईसीएचएफएल”)	<sup>4</sup> सहयोगी	एलआईसीएचएफएल किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, कंपनी या निगम, सोसाइटी या एसोसिएशन और विशेष रूप से, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी पॉलिसियों के धारकों को आवासीय उद्देश्यों के लिए घर या फ्लैट का निर्माण या खरीद करने के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है, और किराए खरीद या आस्थगित भुगतान या अन्य समान आधार के माध्यम से बेचे जाने वाले आवासीय उद्देश्य के लिए घरों या फ्लैटों के निर्माण के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को दीर्घकालिक वित्त भी प्रदान करती है।	45.24%
11	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (“एलआईसीएचएफएल एएमसी”)	<sup>4</sup> सहयोगी	एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड निवेश प्रबंधक के रूप में वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)/वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) का प्रबंध करती है।	5.38%
12	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (“आईडीबीआई बैंक”)	<sup>4</sup> सहयोगी	आईडीबीआई बैंक भारत के भीतर और बाहर सभी रूपों में बैंकिंग व्यवसाय के कार्य में है।	49.24%

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था की स्वरूप	व्यावसायिक गतिविधि	एलआईसी द्वारा धारित शेयरों का%
13	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (“आईटीएसएल”)	<sup>4</sup> सहयोगी	आईटीएसएल कॉर्पोरेट्स को ट्रस्टीशिप सेवाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। आईटीएसएल सूचीबद्ध शेयरों के बदले ऋण के लिए गिरवी शेयरों की निगरानी की सेवाएं एवं एस्क्रो और सुविधा एजेंसी सेवाओं को भी प्रदान करता है।	29.84%

(<sup>1</sup>भारतीय पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनियां; <sup>2</sup>विदेशी पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी; <sup>3</sup>विदेशी सहायक कंपनियां और <sup>4</sup>भारतीय सहयोगी कंपनियां) निगम फिजी (सुवा और लुटोका), मॉरीशस (पोर्ट लुइस) और यूनाइटेड किंगडम (वाटफोर्ड) में अपने शाखा कार्यालयों के माध्यम से सीधे संचालित होता है।

### निधियों का विभाजन:

एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 24 और धारा 28 के संशोधित प्रावधान 30 जून, 2021 से लागू हुए। धारा 24 में निगम को भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों के निधि और गैर-भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों के निधि को बनाए रखने का प्रावधान है और धारा 28 में प्रावधान है कि ऐसे अलग-अलग निधि बनाए रखने पर:

- भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों के निधि के संबंध में, भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों के लिए अधिशेष का नब्बे प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशत आवंटित या आरक्षित करना और शेष अधिशेष सदस्यों को देना और
- गैर-भागीदारी वाले पॉलिसीधारकों के निधि के संबंध में, अधिशेष का एक सौ प्रतिशत सदस्यों के लिए आवंटित या आरक्षित किया जाना।

उपरोक्त प्रावधानों को भारत में निगम की निधियों के लिए प्रभावी बनाया गया था।

हालांकि, तीन विदेशी शाखाओं (फ़िजी, मॉरीशस और यूनाइटेड किंगडम) में, एक ही निधि बनाए रखा जा रहा है और पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के बीच अधिशेष वितरण ढांचा 95:5 है।

निगम ने इस संबंध में भारत सरकार से छूट/निर्देश मांगे हैं। इस प्रकार यूके, मॉरीशस और फिजी में एलआईसी की विदेशी शाखाएं काम करना जारी रखेंगी:

अ. एकल पॉलिसीधारक निधि, और

ब. पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के बीच अधिशेष वितरण 95:5 के रूप में

विदेशी शाखाएं संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत शासित होती हैं, इसलिए उपरोक्त स्थिति आवश्यक है।

बोर्ड ने विनियामक अनुमोदन के अधीन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात में निगम का एक शाखा कार्यालय स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, बोर्ड ने भारत के भीतर और भारत के बाहर सहायक कंपनियों की भौतिकता का निर्धारण करने के लिए नीति को अनुमोदित किया है। नीतियों को निगम की वेबसाइट पर निम्नानुसार रखा गया है:

भारत के भीतर	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-for-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf/84ecdaa9-f927-7a18-26ef-f2af9430e11a?t=1668407223421">https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-for-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf/84ecdaa9-f927-7a18-26ef-f2af9430e11a?t=1668407223421</a>
भारत के बाहर	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-on-Material-Subsidiaries-outside-India.pdf/a6377617-f33a-6dd3-9f0d-82589934140c?t=1668407278203">https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-on-Material-Subsidiaries-outside-India.pdf/a6377617-f33a-6dd3-9f0d-82589934140c?t=1668407278203</a>

निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है।

## 21. समेकित वित्तीय विवरण:

एलआईसी अधिनियम, 1956 (वित्त अधिनियम 2021 द्वारा संशोधित) की धारा 24बी और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 के अनुसार, सहायक और सहयोगी कंपनियों से मिलकर निगम के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार किए गए हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और उसके बाद जारी किए गए परिपत्रों और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लागू लेखा मानकों अर्थात् एएस 21 (AS 21): समेकित वित्तीय विवरण और एएस 23 (AS 23): सीएफएस में सहयोगी में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार सीएफएस तैयार किया है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

विदेशी सहायक कंपनियों (जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) “एलआईसी बहरीन” को छोड़कर) का वित्तीय विवरण तीन (3) महीने की वृद्धि के साथ निगम की रिपोर्टिंग अवधि के साथ में समेकित किया गया है।

## 22. ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्व:

विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार, निगम ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपने ग्रामीण और सामाजिक दायित्वों को पूरा किया है। न्यूनतम 20% की तुलना में, निगम ने ग्रामीण क्षेत्र में 47.72% पॉलिसियां जारी की हैं जो जीवन बीमा समावेशन के प्रति निगम के दृष्टिकोण की पुष्टि करती हैं। इसके अतिरिक्त, निगम द्वारा कवर किए गए 32,67,163 नए जीवन (पूर्ववर्ती वर्ष में सम्मिलित किए गए कुल नए जीवन का 5.73% हैं) जो वंचित सामाजिक क्षेत्र से हैं, जबकि पिछले वर्ष में कवर किए गए कुल जीवन के कम से कम 5% की विनियामक आवश्यकता थी। परिणामतः निगम ने आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम सामाजिक और ग्रामीण नियामक मानदंडों को पूरा किया है।

## 23. प्रबंधन रिपोर्ट:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 के विनियमन 3 के प्रावधानों के अनुसरण में, प्रबंधन रिपोर्ट को अलग से संलग्न किया गया है और यह वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

## 24. सांविधिक लेखापरीक्षक:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार, निगम ने उचित सिफारिशों और अनुमोदन के बाद वित्त वर्ष 2024 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 327 पर संलग्न किया है।

## 25. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:

सदस्यों को प्रस्तुत की जाने वाली सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (उसके अनुलग्नक सहित) में कोई योग्यता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है, इसलिए एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24सी(1)(एफ) के तहत किसी अन्य टिप्पणी नहीं मांगी गई है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी धोखाधड़ी की पहचान नहीं की गई है।

## 26. सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:

सूचीकरण विनियमों के विनियम 24ए के अनुसरण में, निगम ने मैसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, मुंबई को निगम के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। लेखापरीक्षक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं किया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए निगम के सचिवीय लेखापरीक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक ‘घ’ के रूप में निगमित शासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है और जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

## 27. मुख्य अनुपालन अधिकारी से प्रमाण पत्र (आईआरडीएआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश, 2016 के तहत):

कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट गवर्नेंस/नियामक अनुपालन/जीजेएफ) जिन्हें आईआरडीएआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के तहत मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है उनके द्वारा जारी आईआरडीएआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए एक अनुपालन प्रमाण पत्र अनुलग्नक ‘ग’ के रूप में निगमित शासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है और जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

## 28. निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली भौतिक घटनाएं की परिवर्तन और प्रतिबद्धता:

वित्तीय वर्ष के अंत से, जिससे तुलन पत्र (बैलेंस शीट) संबंधित है और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुईं जिससे निगम की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई हो।

## 29. नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश जो निगम की उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान की स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए थे जो निगम की सतत समुत्थान की स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं।

सिविल मुकदमेबाजी के संबंध में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) दिनांक 26.04.2022 और प्रॉस्पेक्टस दिनांक 12.05.2022 में किए गए खुलासे के अलावा, जो गैर-मात्रात्मक लेकिन मानी जाने वाली भौतिकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका 366/2022 और संबंधित मामलों में अपने आदेश दिनांक 12.10.2023 के माध्यम से वकीलों को मामले में सभी दलीलें और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ये मामले वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित हैं।

## 30. निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान:

एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 सी (2) और कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के संदर्भ में, आपके निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं;

- (क) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करने में महत्वपूर्ण परिवर्तन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- (ख) उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लिए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2024 को निगम के कार्य की स्थिति और समाप्त वर्ष की तिथि पर निगम के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- (ग) उन्होंने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने हेतु एलआईसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की ;
- (घ) उन्होंने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सतत समुत्थान के आधार पर लेखा तैयार किया है;
- (ई) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 (1) (एच) के तहत निर्दिष्ट सतर्कता प्रशासन केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधीक्षण के अधीन निगम में परिचालन है और इसके अतिरिक्त उन्होंने निगम द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और
- (च) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

## 31. निवेशक संबंध:

निगम ने हमेशा अपने ग्राहक संबंधों को महत्व दिया है और हमारा प्रयास है कि सभी हितधारकों को इसकी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे इसकी भविष्य की संभावनाओं का सटीक आकलन कर सकें। निगम नियमित आधार पर अपने संचालन और पहलों के बारे में जानकारी प्रसारित करता है। निगम की वेबसाइट ([www.licindia.in](http://www.licindia.in)) अपने सभी हितधारकों के लिए एक प्रमुख जागरूकता सुविधा के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें अपनी सुविधानुसार जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देती है। यह निगम की रणनीति, वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन प्रदर्शन और नवीनतम प्रेस विज्ञप्तियों पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है। निगम तिमाही आधार पर वित्तीय परिणाम प्रकाशित करता है। निगम के वर्तमान और पिछले वर्षों के लिए तैयार वित्तीय परिणाम उसकी वेबसाइट पर प्रेषित किए गए हैं। निवेशक संबंध टीम प्रत्येक परिणाम घोषणा के बाद आय कॉल का आयोजन करती है और निवेशकों की प्रस्तुतियां, प्रतिलेख और विश्लेषक कॉल रिकॉर्डिंग, आवश्यकतानुसार, निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा प्रमुख प्रतिभूति फर्मों द्वारा आयोजित विभिन्न इक्विटी सम्मेलनों में निगम के वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्य भाग लेते हैं। वर्ष के दौरान, जून 2023 के महीने में, निगम ने विकास की कहानी बताने और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बीच भारत के एलआईसी के बारे में समग्र जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ग्लोबल नॉन डील रोड शो आयोजित किया। ग्लोबल नॉन डील रोड शो में एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थानों को शामिल किया गया।

## 32. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट और व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट:

सूचीबद्धता विनियम के विनियमन 34 के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट और व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) के साथ-साथ स्वतंत्र आश्वासन प्रदाता की रिपोर्ट अलग-अलग वर्गों में प्रस्तुत की गयी है और इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

इसके अतिरिक्त, सेबी ने दिनांक 12 जुलाई, 2023 के अपने परिपत्र संख्या: सेबी /एचओ/सीएफडी/ सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122 के तहत बीआरएसआर कोर को शामिल करने के लिए बीआरएसआर के प्रारूप का अद्यतन किया है। बीआरएसआर कोर जोकि बीआरएसआर का एक सबसेट है, जिसमें नौ ईएसजी विशेषताओं के तहत प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई)/मैट्रिक्स का एक सेट शामिल है, जो एक स्वतंत्र आश्वासन प्रदाता द्वारा अनिवार्य उचित आश्वासन के अधीन हैं। तदनुसार, निगम ने बाटलीबोर्ड एवं पुरोहित को एक आश्वासन प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है।

सूचीबद्धता विनियमों के अनुपालन में, निगम के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूपरेखा पर एक रिपोर्ट, लागू विनियमों (आईआरडीएआई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों सहित) के तहत आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ, इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

### 33. आईआरडीएआई लाइसेंस:

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीवन बीमा व्यवसाय को जारी रखने के लिए निगम के वार्षिक लाइसेंस का नवीनीकरण किया है।

### 34. सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति:

व्यावसायिकता, ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निगम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामलों का संचालन करने में विश्वास करता है और एक ऐसी संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां सभी हितधारक सुरक्षित होकर अनैतिक और अनुचित व्यवहार और कदाचार की किसी भी घटना के बारे में चिंता व्यक्त कर सकते हो।

- सतर्कता संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए नया ऑन-लाइन शिकायत पोर्टल “सतर्कता शिकायत द्वार” शुरू किया गया है जो ग्राहक सेवा टैब के अंतर्गत [www.licindia.in](http://www.licindia.in) पर उपलब्ध है। सतर्कता संबंधी सभी शिकायतों को मॉड्यूल के माध्यम से पंजीकृत और ट्रैक किया जा सकता है।
- एलआईसी के पास निदेशकों और कर्मचारियों या वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा को लेकर निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सुस्थापित निगरानी तंत्र है। इसमें धोखाधड़ी की रोकथाम, पता लगाने और जांच करने तथा व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए एक नीति है (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी)। यह कर्मचारियों और विभिन्न हितधारकों को किसी भी प्रकार के प्रतिशोध, भेदभाव, उत्पीड़न या उत्पीड़न के डर के बिना नैतिक मानदंडों, कानूनी या नियामक प्रावधानों, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी आदि के समझौता/उल्लंघन से जुड़े किसी भी मुद्दे को ध्यान में लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्राप्त हुए व्हिसल ब्लोअर शिकायतों/ चिंताओं और उसके बाद में की गई कार्यवाहियों का विवरण और व्हिसल ब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा तिमाही में की जाती है।
- एलआईसी ने अनुशासनात्मक मामलों/सतर्कता मामलों के निपटान में लगने वाले समय को कम करने के लिए यूडीआईटी मॉड्यूल (प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से उन्नत अनुशासनात्मक कार्यप्रवाह) विकसित और कार्यान्वित किया है।

व्हिसल ब्लोअर नीति निगम की वेबसाइट <https://licindia.in/documents/20121/46602/Whistle+Blower+Policy.pdf/49f509abc255-1506-033e-9ffeaded4680?t=1709189590811> पर प्रसारित की गई है।

### 35. पुरस्कार और मान्यताएं:

आपके निगम को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मोबाइल ऐप, डिजिटल मार्केटिंग अभियान, ग्राहक सेवा, बीमा प्रसार के लिए रणनीतियां, नेतृत्व, दावा सेवा, सबसे पसंदीदा कार्यस्थल, परियोजना कार्यान्वयन आदि के क्षेत्रों में विभिन्न पुरस्कार और प्रशंसा प्राप्त हुई है। जिसमें से कुछ प्रमुख नीचे सूचीबद्ध हैं:

#### पुरस्कार और मान्यताएं 2023-24

- ✓ प्रतिनिधि और उद्योग व्यवसाय बैंकिंग द्वारा **ANANDA APP** के लिए बैंकिंग फ्रंटियर/इनोवेशन -फिननोविटी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
- ✓ वीव और एमकैनवास द्वारा वर्ष के **डिजिटल मार्केटिंग अभियान** के लिए ग्रेट इंडियन बीएफएसआई पुरस्कार के तीसरा संस्करण में सम्मानित किया गया।
- ✓ एफआईसीसीआई बीमा उद्योग पुरस्कार 2022 द्वारा प्रदान किया गया **विशेष जूरी पुरस्कार** (अप्रैल 2023 में प्राप्त)
- ✓ फन एंड जॉय अट वर्क द्वारा बीएफएसआई में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय पुरस्कार के 10 वें संस्करण में **ग्राहक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ मोबाइल एप्लिकेशन और एजेंसी वितरण में उत्कृष्टता के लिए** तीन पुरस्कार प्रदान किए गए।

- ✓ चौथा इमर्जिंग एशिया इंश्योरेंस कॉन्क्लेव एंड पुरस्कार, 2023 में इकोनॉमिक अफेयर एंड पॉलिसी, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) द्वारा वर्ष में बीमा प्रसार के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीतियों के लिए सम्मानित किया गया।
- ✓ ET NOW इंश्योरेंस समिट एंड पुरस्कार के 10वां वार्षिक संस्करण में ET NOW द्वारा वर्ष 2023 के लिए लाइफ इंश्योरेंस में स्मार्ट इंश्योर -लार्ज कैटेगरी में सम्मानित किया है।
- ✓ डन एंड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी (सार्वजनिक) से सम्मानित किया गया
- ✓ बीएफएसआई 2023-24 मीडिया पार्टनर बिजनेस स्टैंडर्ड के सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के दूसरा संस्करण में टीम मार्क्समेन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सबसे पसंदीदा कार्यस्थल 2023 के लिए सम्मानित किया गया।
- ✓ बीमा अलर्ट द्वारा 7 वें वार्षिक बीमा कॉन्क्लेव और पुरस्कार में भारत की सर्वश्रेष्ठ बीमा कंपनी का पुरस्कार दिया गया।
- ✓ बैंकिंग फ्रंटियर्स द्वारा इनश्योरनैक्सट एंड इनश्योर टेक कॉन्क्लेव एंड पुरस्कार, 2024 में साल की सर्वश्रेष्ठ बीमा कंपनी से सम्मानित किया गया।
- ✓ आईआईटीएफ 23 द्वारा 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला - 2023 के दौरान पीएसयू और पीएसबी - रजत श्रेणी में पीएसयू और पीएसबी मंडप में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
- ✓ एसएपी एस अवाडर्स 2023 निवेश विभाग के सफल परियोजना कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया
- ✓ वित्तीय सेवा विपणन शिखर सम्मेलन और पुरस्कार में फन एंड जॉय अट वर्क द्वारा दो (2) श्रेणी में पुरस्कारों से 1. वर्ष की बीमा कंपनी -लाइफ, 2. क्लेम सर्विस लीडर -लार्ज - सम्मानित किया गया।
- ✓ नवभारत बीएफएसआई पुरस्कार 2023 उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया-मोस्ट कस्टमर फ्रेंडली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से नवभारत द्वारा सम्मानित किया गया
- ✓ धनम बिजनेस मीडिया द्वारा एलआईसी ऑफ इंडिया को वर्ष 2023 के जीवन बीमाकर्ता के धनम के लिए सम्मानित करा गया।

#### सराहना:

#### ब्रांड रैंकिंग 2023-24

क्र. सं.	रैंकिंग	संक्षिप्त विवरण
1	1 <sup>st</sup>	25 मार्च, 2024 को प्रकाशित ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम दुनिया का नंबर 1 सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड है
2	1 <sup>st</sup>	दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल मई 2024 के संस्करण के साथ कलेक्टर संस्करण के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम "वर्ष की सर्वश्रेष्ठ बीमा कंपनी" और "सर्वश्रेष्ठ पीएसयू बीमा कंपनी" है।
3	3 <sup>rd</sup>	भारतीय जीवन बीमा निगम को फॉर्च्यून इंडिया दिसंबर 2023 अंक के अनुसार सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों में तीसरा स्थान दिया गया है।
4	3 <sup>rd</sup>	बीडब्ल्यू रियल 500 सूची में बिजनेस वर्ल्ड द्वारा सूचीबद्ध में शीर्ष पंद्रहा कंपनियों में तीसरा स्थान है और एलआईसी इस सूची में एकमात्र बीमा कंपनी है
5	4 <sup>th</sup>	S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा 2022 के कंपनियों के जीवन और दुर्घटना और स्वास्थ्य भंडार के आधार पर की गयी रैंकिंग के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बीमाकर्ता है। (2023 में प्राप्त हुआ)
6	9 <sup>th</sup>	भारतीय जीवन बीमा निगम ने टीआरए ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2024- भारत के 1000 सबसे विश्वसनीय ब्रांडों के वार्षिक अनावरण के अनुसार चौथा स्थान हासिल किया है।
7	11 <sup>th</sup>	एलआईसी को कांतार ब्रांडज़ 2023-भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड के अनुसार 11वां स्थान दिया गया है।

#### उपलब्धियों:

- एएम बेस्ट द्वारा वैश्विक बीमाकर्ताओं रैंकिंग में एलआईसी आगे बढ़ा है - रुपये के मूल्यहास के बावजूद भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) गैर-बैंक परिसंपत्तियों के मामले में बीमाकर्ताओं की रैंकिंग में ऊपर चला गया है। एएम बेस्ट द्वारा 02 जनवरी, 2024 को संकलित वैश्विक सूची में एलआईसी 12वें स्थान पर है।

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की पहचान भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआई) के रूप में की जा रही है।

### 36. बोर्ड की नीतियां:

एलआईसी अधिनियम, 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के विनियमों के तहत, निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अपनाई गई नीतियों का विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है।

### 37. अभिस्वीकृति और प्रशंसा:

निदेशक विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय समर्थन, सलाह और सहयोग के लिए कार्यालयों का दौरा करने वाली माननीय संसदीय समितियों, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री, माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री (व्यय, बैंकिंग और बीमा), वित्त मंत्रालय के बीमा विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

निदेशक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार (जीओआई) के निरंतर सहयोग, समर्थन और सलाह के लिए आभारी हैं। निदेशक इस अवसर पर मूल्यवान पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के प्रति उनके निरंतर विश्वास और संरक्षण के लिए अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

निदेशक समय-समय पर लेखापरीक्षकों और सांविधिक प्राधिकरणों से प्राप्त सलाह, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक उन सभी कर्मचारियों, एजेंटों, कॉरपोरेट एजेंटों और दलालों, वितरकों, पुनर्बीमाकर्ताओं, बैंकों और रजिस्ट्रारों की सहायता करते हैं जो उत्कृष्ट व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना जारी रखते हैं, जिससे संगठन अपने व्यावसायिक कार्यों में बाजार नेतृत्व बनाए रखने में सक्षम है।

### कृते निदेशक मंडल की ओर से

(सिद्धार्थ मोहंती)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक  
(डीआईएन: 08058830)

(दुरैस्वामि रामचंद्रन)  
प्रबंध निदेशक  
(डीआईएन: 10358884)

(मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार)  
स्वतंत्र निदेशक  
(डीआईएन: 05170323)

दिनांक: 15 जुलाई, 2024

स्थान: मुंबई

## अनुलग्नक I

## बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के वेबलिंग

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, संशोधित रूप से, सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए कुछ नीतियों के सूत्रीकरण को अनिवार्य बनाते हैं। निगम के निदेशक मंडल द्वारा नीतियों की समीक्षा की जाती है और विनियामक परिवर्तनों के अनुसार समय-समय पर संशोधन किया जाता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां निगम की वेबसाइट <https://licindia.in/web/guest/policies-and-code-of-conduct> पर प्रसारित हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों का विवरण इस प्रकार है:

नीति का नाम	वेब लिंक
निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और बोर्ड विविधता नीति	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Code-of-conduct-for-Directors-and-senior-mgmt.pdf/f4d9e8f8-66fe-5394-e2df-b8fe22dc028e?t=1665744390714">https://licindia.in/documents/20121/46602/Code-of-conduct-for-Directors-and-senior-mgmt.pdf/f4d9e8f8-66fe-5394-e2df-b8fe22dc028e?t=1665744390714</a>
लाभांश वितरण नीति	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Dividend-distribution-policy.pdf/a099808b-9f30-9c88-29cd-1d3e63d19456?t=1665744390416">https://licindia.in/documents/20121/46602/Dividend-distribution-policy.pdf/a099808b-9f30-9c88-29cd-1d3e63d19456?t=1665744390416</a>
घटनाओं/सूचना की भौतिकता और प्रकटीकरण के निर्धारण पर नीति	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Materiality-policy+%281%29.pdf/6bd19207-95d7-b89f-23ce-f4483aa6bf5?t=1696491405129">https://licindia.in/documents/20121/46602/Materiality-policy+%281%29.pdf/6bd19207-95d7-b89f-23ce-f4483aa6bf5?t=1696491405129</a>
भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति (भारत में)	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-for-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf/84ecdaa9-f927-7a18-26ef-f2af9430e11a?t=1668407223421">https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-for-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf/84ecdaa9-f927-7a18-26ef-f2af9430e11a?t=1668407223421</a>
भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति (भारत के बाहर)	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-on-Material-Subsidiaries-outside-India.pdf/a6377617-f33a-6dd3-9f0d-82589934140c?t=1668407278203">https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-on-Material-Subsidiaries-outside-India.pdf/a6377617-f33a-6dd3-9f0d-82589934140c?t=1668407278203</a>
एलआईसी की निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता, वैध उद्देश्यों के निर्धारण के लिए नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता और रिसाव और यूपीएसआई की नीति	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/LIC-Code-as-per-SEBI PIT -Regulations-2015.pdf/4ee158ab-f1d7-cf1c-50f0-a7081f98d3cf?t=1668408620699">https://licindia.in/documents/20121/46602/LIC-Code-as-per-SEBI PIT -Regulations-2015.pdf/4ee158ab-f1d7-cf1c-50f0-a7081f98d3cf?t=1668408620699</a>
संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Revised-RPT-Policy-Version3.pdf/8c03ebdf-e096-8cf1-6485-f58f89a14eba?t=1674020688256">https://licindia.in/documents/20121/46602/Revised-RPT-Policy-Version3.pdf/8c03ebdf-e096-8cf1-6485-f58f89a14eba?t=1674020688256</a>
जीवन बीमा निगम के दस्तावेजों के संरक्षण पर नीति	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Preservation-of-Records.pdf/480de9df-24ee-f6a5-963a-fe039d002aa4?t=1668408679890">https://licindia.in/documents/20121/46602/Preservation-of-Records.pdf/480de9df-24ee-f6a5-963a-fe039d002aa4?t=1668408679890</a>
निगम की अधिशेष वितरण नीति	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Surplus-Distribution-Policy.pdf/bacfc45a-788c-fc9e-2ffb-33df66cecf64?t=1668407139728">https://licindia.in/documents/20121/46602/Surplus-Distribution-Policy.pdf/bacfc45a-788c-fc9e-2ffb-33df66cecf64?t=1668407139728</a>
व्हिसल ब्लोअर नीति	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Whistle+Blower+Policy.pdf/49f509ab-c255-1506-033e-9ffeaded4680?t=1709189590811">https://licindia.in/documents/20121/46602/Whistle+Blower+Policy.pdf/49f509ab-c255-1506-033e-9ffeaded4680?t=1709189590811</a>
अभिलेखीय नीति	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Archival Policy-%281%29.pdf/f5e40682-4323-35af-b47d-9d41cef35639?t=1668407560823">https://licindia.in/documents/20121/46602/Archival Policy-%281%29.pdf/f5e40682-4323-35af-b47d-9d41cef35639?t=1668407560823</a>

# निगमित शासन रिपोर्ट

## 1. निगमित शासन पर निगम का दर्शन

भारतीय जीवन बीमा निगम (“एलआईसी ऑफ इंडिया/एलआईसी/एलआईसीआई/निगम”) दृढ़ता से सुशासन प्रथाओं, नैतिकता, निष्पक्षता में विश्वास करता है, एवं पारदर्शी तरीके से निगम के मामलों के नैतिक और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है, भरोसा और विश्वास का निर्माण करता है और अपने हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने में मदद करता है।

निगम, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“एलआईसी अधिनियम, 1956” या “एलआईसी अधिनियम”), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) निगमित शासन दिशानिर्देश, 2016 (लागू सीमा तक), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (एलओडीआर) विनियम, 2015 (सेबी “सूचीबद्धता विनियम” या “सूचीबद्धता विनियम”) और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई) के अनुसार शासन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करता है। निगम के पास, अन्य बातों के साथ-साथ, निगमित शासन के कार्यान्वयन के लिए सुपरिभाषित नीतियां और ढांचा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता
- एलआईसी की निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता, वैध उद्देश्यों के निर्धारण के लिए नीति, इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता और रिसाव और यूपीएसआई की नीति
- उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति
- व्हिसल ब्लोअर नीति
- पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा पर नीति
- संबंधित पक्ष लेनदेन पर नीति (भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन शामिल है)
- भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति (भारत के भीतर और भारत के बाहर)
- दस्तावेजों के संरक्षण के लिए नीति
- लाभांश वितरण नीति
- निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए भौतिक, वाणिज्यिक और वित्तीय लेनदेन के प्रकटीकरण के लिए नीति
- निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और निदेशक मंडल विविधता के लिए नीति
- भौतिकता के निर्धारण और घटनाओं / सूचना के प्रकटीकरण के लिए नीति

## 2. निदेशक मंडल

### क) निदेशक मंडल की संरचना

निगम के निदेशक मंडल का गठन जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। निगम के निदेशक मंडल में कार्यकारी (पूर्णकालिक) निदेशक, गैर-कार्यकारी सरकारी नामित निदेशक और गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक (एक महिला निदेशक सहित) शामिल हैं।

निदेशक मंडल में नियुक्त निदेशकों का कार्यकाल निम्नानुसार है:

- i) पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति पांच वर्ष तक की अवधि के लिए की जाती है जैसा कि केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट करती है और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं।
- ii) सरकार द्वारा नामित निदेशक को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- iii) स्वतंत्र निदेशकों को चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वह चार साल के एक और कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। तथापि, प्रथम तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अधिकतम छह माह की अवधि के लिए की जाती है और वह चार वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। तदनुसार, पहले तीन स्वतंत्र निदेशकों को छह महीने का पहला कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात चार साल के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है।



निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	पदनाम
श्री तबलेश पांडे	बी.टेक (कृषि इंजीनियरिंग), भारतीय एकचुरियल संस्थान के एसोसिएट सदस्य	प्रबंध निदेशक
श्री सतपाल भानू	बीए इतिहास (ऑनर्स)	प्रबंध निदेशक
श्री दुर्गेश्वराम रामचंद्रन	बीएससी (गणित), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य	प्रबंध निदेशक
डॉ. रंजन शर्मा	एमए, पीएचडी	स्वतंत्र निदेशक
श्री विनोद कुमार वर्मा	बीए	स्वतंत्र निदेशक
प्रो. अनिल कुमार	बी कॉम (ऑनर्स), एम कॉम, पीएचडी	स्वतंत्र निदेशक
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	एमए	स्वतंत्र निदेशक
श्री महालिंगम जी	एमएससी (सांख्यिकी), एमबीए	स्वतंत्र निदेशक
श्री राज कमल	बीटेक (मेकेनिकल इंजीनियरिंग), व्यवसाय प्रबंधन में पीजी प्रोग्राम	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. वी एस पार्थसारथी	सीए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एएमपी के पूर्व छात्र, पीएचडी	स्वतंत्र निदेशक
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	बी कॉम, एफसीए, एफसीएमए और एफसीएस	स्वतंत्र निदेशक

\* भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.04.2023 के अनुसार दिनांक 29.06.2024 तक पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर कार्यरत एवं दिनांक 30.06.2024 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः पदनामित किया गया।

#### ग) निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान निदेशक मंडल की तेरह (13) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें मुंबई में आयोजित की गई थीं। बैठकों की कार्यसूची पत्र और अन्य सहायक दस्तावेज निदेशकों को अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। तथापि, आकस्मिक प्रस्तावों को निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाता है और अध्यक्ष के अनुमोदन तथा अन्य निदेशकों की सहमति से उन पर विचार किया जाता है। निदेशकों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान किया जाता है। निदेशक मंडल की बैठकों में निर्णय लेने की सुविधा के लिए कार्यसूची मर्दानों के लिए कार्यकारी सारांश प्रदान किए जाते हैं। निदेशक मंडल निगम के तिमाही प्रदर्शन और वित्तीय परिणामों, नीतियों और अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा करता है। निदेशक मंडल नियमित अंतरालों पर अपनी सहायक/सहयोगी कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा भी करता है। निदेशक मंडल को विभिन्न लागू नियमों, विनियमों और कानूनों के तहत निर्धारित प्रासंगिक जानकारी प्रदान की गई थी। हरित पहल का समर्थन करने के लिए, कागजरहित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसमें कार्यसूची के कागजात और अन्य सहायक दस्तावेजों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाता है, जिन्हें निदेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। कार्यवृत्त बैठक के तुरंत बाद तैयार किए जाते हैं और निदेशकों को उनकी टिप्पणियों, यदि कोई हों, के लिए परिचालित किए जाते हैं। अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद, कार्यवृत्त को कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभागों को परिचालित किया जाता है एवं की गई कार्रवाई रिपोर्टें भी निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती हैं।

वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

अनुक्रमांक	दिनांक	निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	25.04.2023	14	13
2	15.05.2023	14	14
3	24.05.2023	14	14
4	23.06.2023	14	13
5	10.08.2023	15	15
6	10.10.2023	15	15
7	10.11.2023	15	15

अनुक्रमांक	दिनांक	निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
8	26.11.2023	15	14
9	11.12.2023	15	11
10	08.01.2024	15	15
11	08.02.2024	15	15
12	24.02.2024	15	13
13	14.03.2024	15	14

घ) वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति													वार्षिक सामान्य सभा में उपस्थिति		
	25-04-2023	15-05-2023	24-05-2023	23-06-2023	10-08-2023	10-10-2023	10-11-2023	26-11-2023	11-12-2023	08-01-2024	08-02-2024	24-02-2024	14-03-2024		22-08-2023	
श्री सिद्धार्थ मोहंती	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
श्री सुचिन्द्र मिश्र*	✓	✓	✓	×	दिनांक 28.06.2023 से निदेशक पद से समाप्ति											
डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला**	दिनांक 28.06.2023 से निदेशक के रूप में नियुक्ति				✓	✓	✓	×	×	✓	✓	×	✓	×		
श्रीमती मिनी आईप***	✓	✓	✓	✓	✓	दिनांक 31.08.2023 को सेवानिवृत्ति पर निदेशक पद से समाप्ति										✓
श्री जगन्नाथ एम	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
श्री तबलेश पांडे	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
श्री सतपाल भानू®	दिनांक 20.07.2023 से निदेशक के रूप में नियुक्ति				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓		
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन®	दिनांक 01.09.2023 से निदेशक के रूप में नियुक्ति				✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓			
डॉ. रंजन शर्मा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
श्री विनोद कुमार वर्मा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
प्रो. अनिल कुमार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓		
श्री महालिंगम जी	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
श्री राज कमल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
डॉ. वी एस पार्थसारथी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	✓		
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
श्री संजीव नौटियाल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
% में उपस्थिति	92.86	100	100	92.86	100	100	100	93.33	73.33	100	100	86.67	93.33	93.33		

\*दिनांक 28.06.2023 से निदेशक पद से समाप्ति

\*\*दिनांक 28.06.2023 से निदेशक के रूप में नियुक्ति

\*\*\*दिनांक 31.08.2023 को सेवानिवृत्ति पर निदेशक पद से समाप्ति

•दिनांक 20.07.2023 से निदेशक के रूप में नियुक्ति

•दिनांक 01.09.2023 से निदेशक के रूप में नियुक्ति

ड) निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति एवं उनके निदेशक पद का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इक्विटी सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	31 मार्च, 2024 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2024 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2024 को)
पूर्णकालिक निदेशक					
श्री सिद्धार्थ मोहंती (डीआईएन - 08058830)	13/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक) और अध्यक्ष</li> </ul>	1	-	-
श्रीमती मिनी आईप (डीआईएन - 07791184) (31.08.2023 तक)	05/05	-	-	-	-
श्री जगन्नाथ एम (डीआईएन - 10090437)	13/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - नामित निदेशक (गैर -कार्यकारी निदेशक)</li> <li>बीएसई लिमिटेड - गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक</li> </ul>	2	2	1
श्री तबलेश पांडे (डीआईएन -10119561)	13/13	-	-	2	-
श्री सतपाल भानू (डीआईएन -10482731) (20.07.2023 से)	08/09	-	-	-	-
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन (डीआईएन - 10358884) (01.09.2023 से)	07/08	-	-	-	-

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इकटिरी सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	31 मार्च, 2024 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2024 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2024 को)
<b>गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)</b>					
श्री सुचिंद्र मिश्र (डीआईएन - 01873568) (28.06.2023 तक)	3/4	-	-	-	-
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला (डीआईएन - 03609968) (28.06.2023 से)	6/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>जनरल इश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (जीआईसीरी)- गैर कार्यकारी- नामित निदेशक</li> <li>इंडियन बैंक- गैर कार्यकारी- नामित निदेशक</li> </ul>	2	-	-
<b>गैर-कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)</b>					
डॉ. रंजन शर्मा (डीआईएन -09573799)	13/13	-	-	-	-
श्री विनोद कुमार वर्मा (डीआईएन -09309031)	13/13	-	-	-	-
प्रो. अनिल कुमार (डीआईएन - 09477565)	13/13	-	-	-	-
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल (डीआईएन -05264033)	12/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिलेट इंडिया लिमिटेड- गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक</li> </ul>	1	1	-

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इक्विटी सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	31 मार्च, 2024 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2024 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2024 को)
श्री महालिंगम जी (डीआईएन - 09660723)	12/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड- गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक</li> <li>केयर रेटिंग्स लिमिटेड गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक</li> <li>सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक</li> </ul>	3	4	1
श्री राज कमल (डीआईएन - 07653591)	13/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>ट्राइडेंट लिमिटेड- गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक</li> </ul>	1	1	-
डॉ. वी एस पार्थसारथी (डीआईएन - 00125299)	11/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम लिमिटेड - गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक</li> <li>पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड - गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक</li> </ul>	2	5	4
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार (डीआईएन - 05170323)	13/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>हेरिटेज फूड्स लिमिटेड - गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक</li> <li>जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड- गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक</li> </ul>	2	2	-

निदेशक का नाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में से उपस्थित रहने वाली बैठकों की संख्या	अन्य इक्विटी सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी	31 मार्च, 2024 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या	*अन्य कंपनियों में समितियों की सदस्यता (संख्या) (31 मार्च, 2024 को)	*अन्य कंपनियों में समितियों के अध्यक्ष (संख्या) (31 मार्च, 2024 को)
श्री संजीव नौटियाल (डीआईएन - 08075972)	13/13	-	-	-	-

\* सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता में पब्लिक लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं, लेकिन इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, विदेशी कंपनियां, उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध कंपनियां और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां शामिल नहीं हैं। निदेशक मंडल समितियों और अध्यक्षता की सीमा के निर्धारण के उद्देश्य से, लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति की अध्यक्षता या सदस्यता को लिया गया है।

#### च) निदेशक मंडल के विचारार्थ विषय:

- (क) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे सभी कार्य और चीजें करना जो निगम द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं।
- (ख) वार्षिक परिचालन योजनाओं एवं बजट और कोई भी अद्यतन को मंजूरी देना।
- (ग) पूंजी बजट और किसी भी अद्यतन को मंजूरी देना।
- (घ) निगम और उसके परिचालन प्रभागों या व्यावसायिक खंडों के तिमाही परिणामों को मंजूरी देना।
- (ङ) निदेशक मंडल की अनिवार्य समितियों (लागू संविधि के अनुसार) और निदेशक मंडल की अन्य समितियों (आवश्यकता अनुसार) का गठन करना।
- (च) निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा करना।
- (छ) मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या हटाने एवं निदेशक मंडल के स्तर के ठीक नीचे वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक की जानकारी।
- (ज) लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निगम के आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना।
- (झ) ऐसे संबंधित पार्टी लेनदेन को मंजूरी देना जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में या आर्म-लेंथ आधार पर नहीं हैं।
- (ञ) शेयरधारकों की आम बैठक, एजीएम या पोस्टल बैलट बुलाना।
- (ट) निगम की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी देना।
- (ठ) अंतिम लाभांश की सिफारिश करना और/या अंतरिम लाभांश घोषित करना।
- (ड) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ विनियमों को मंजूरी देना।
- (ढ) निगम पर लागू सभी कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की समय-समय पर समीक्षा करना।
- (ण) निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करना।
- (त) निगम के नियंत्रण कार्यों पर निगरानी रखना।
- (थ) निगम की विभिन्न नीतियों को मंजूरी देना।
- (द) कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस, जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, की जानकारी लेना।
- (ध) घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी भौतिक प्रवाह या प्रदूषण की समस्याएं की जानकारी लेना।

- (न) निगम के लिए और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी भौतिक चूक, या सूचीबद्ध इकाई द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त गैर-भुगतान।
- (प) कोई भी मुद्दा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जिसमें कोई निर्णय या आदेश शामिल है, जो निगम के आचरण पर आलोचना कर सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकता है जिसका निगम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- (फ) किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
- (ब) ऐसे सौदे जिनमें ख्याति, ब्रांड इक्विटी अथवा बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल हो।
- (भ) महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- (म) ऐसे निवेशों की बिक्री जो भौतिक प्रकृति की हों तथा जो कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में न हों।
- (य) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का तिमाही ब्यौरा और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन के जोखिमों, यदि महत्वपूर्ण हो, को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम की समीक्षा करना।
- (र) किसी भी विनियामक, सांविधिक या लिस्टिंग आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा का गैर-अनुपालन जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि।

#### छ) अन्य कंपनियों में निदेशक:

- निगम का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक नहीं है।
- निगम का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में एक स्वतंत्र निदेशक (किसी भी वैकल्पिक निर्देशकत्व सहित) के रूप में कार्य नहीं करता है अथवा यदि निदेशक किसी सूचीबद्ध संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यरत है, तब वह तीन इक्विटी सूचीबद्ध कंपनियों से अधिक में एक स्वतंत्र निदेशक (किसी भी वैकल्पिक निर्देशकत्व सहित) के रूप में कार्य नहीं करता है।
- इसके अलावा, निगम का कोई भी निदेशक, किसी भी भारतीय पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जिसमें कि वह निदेशक है, दस से अधिक समितियों का सदस्य या पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। निदेशक मंडल समितियों की सीमा के निर्धारण के उद्देश्य में, लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति की अध्यक्षता या सदस्यता को लिया जाता है।
- निगम के निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है।

#### ज) आचार संहिता:

निदेशक मंडल द्वारा निगम के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधितों को परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट पर भी प्रचालित किया गया है। निगम के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है और उनके द्वारा किसी भी भौतिक वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन की सूचना नहीं दी गई थी, जिसका निगम के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है।

#### झ) सत्यनिष्ठा समझौता:

एलआईसी ने अनुबंध देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 05.09.2015 से सत्यनिष्ठा समझौता अपनाया है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित माल की खरीद के लिए मैनुअल और परामर्श सेवाओं के मैनुअल के अनुसार, प्रारंभिक मूल्य ऐसा होना चाहिए जो इसके खरीद व्यय के थोक (मूल्य से 80-90%) को कवर करे। सत्यनिष्ठा समझौता अब निविदा दस्तावेजों का एक हिस्सा बन गया है और केवल उन्हीं विक्रेताओं/बोलीदाताओं पर बोली प्रक्रिया में विचार किया जाएगा जो सत्यनिष्ठा समझौते का पालन कर रहे हैं। वर्तमान में, सभी निविदाओं में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा एक स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएम) नामित किया गया है। सत्यनिष्ठा समझौता अखिल भारतीय स्तर पर इंजीनियरिंग विभाग के लिए ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के निविदा मूल्य के लिए और केंद्रीय कार्यालय में अन्य सभी विभागों के लिए ₹ 1 करोड़ के मूल्य के निविदाओं के लिए लागू होता है। क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों के लिए, सभी विभागों (इंजीनियरिंग विभाग को छोड़कर) के लिए ₹ 10 लाख और उससे अधिक मूल्य की निविदाएं सत्यनिष्ठा समझौते के दायरे में आएंगी।

सीवीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष के दौरान, अध्यक्ष के साथ आईईएम की एक संरचित बैठक और आईईएम के साथ चार नियमित बैठकें (2 आईईएम के साथ 2 बैठकें और 1 आईईएम के साथ 2 बैठकें) आयोजित की गई थीं। उपरोक्त सीमा मूल्य के आधार पर, वर्ष 2023-2024 के दौरान 42 निविदाएं सत्यनिष्ठा समझौते के दायरे में आईं और दो शिकायतें प्राप्त हुईं। 31 मार्च 2024 तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।

ज) निगम में गैर-कार्यपालक निदेशकों की शेरधारिता: शून्य

ट) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रम: स्वतंत्र निदेशकों को निगम में उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ उद्योग की प्रकृति के साथ-साथ प्रेरण कार्यक्रमों के माध्यम से और समय-समय पर वित्त, बीमांकिक मूल्यांकन, निगमित शासन, विपणन, ग्राहक संबंध प्रबंधन, आदि पर सत्रों के माध्यम से परिचित कराया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों के लिए चार परिचित कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वतंत्र निदेशक के लिए परिचित कार्यक्रम के बारे में जानकारी <https://licindia.in/documents/d/guest/familiarisation-programmes-2023-24-for-website> पर उपलब्ध है।

ठ) निदेशक मंडल की विशेषज्ञता / कौशल / निपुणता / क्षमता का क्षेत्र:

निदेशक मंडल में समृद्ध पेशेवर अनुभव वाले योग्य सदस्य शामिल हैं जिनके पास निगम के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता है जो निम्नानुसार हैं:

अनुक्रमांक	निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	विशिष्टीकरण का क्षेत्र / कौशल / कार्यक्षेत्र / क्षमता					
			शासन	विपणन	व्यवसाय प्रबंधन	लेखा और वित्त	बीमा	जोखिम प्रबंधन
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	एमए, एलएलबी, पीजीसीबीएम, भारतीय बीमा संस्थान के लाइसेंसधारी	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला	बीई (सिविल), पीजीडीएम, एलएलबी, एम.फिल, पीएचडी	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	श्री जगन्नाथ एम	बीकॉम, सीए (इंटर), पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग, इंटरनेशनल पीजी डिप्लोमा इन लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	श्री तबलेश पांडे	बी.टेक (कृषि इंजीनियरिंग), भारतीय एक्चुरियल संस्थान के एसोसिएट सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	श्री सतपाल भानू	बीए इतिहास (ऑनर्स)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	बीएससी (गणित), भारतीय बीमा संस्थान के फेलो सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	डॉ. रंजन शर्मा	एमए, पीएचडी	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	श्री विनोद कुमार वर्मा	बीए	✓	✓	✓	-	✓	-
9	प्रो. अनिल कुमार	बी कॉम (ऑनर्स), एम कॉम, पीएचडी	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	एम ए	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	श्री महालिंगम जी	एमएससी (सांख्यिकी), एमबीए	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	श्री राज कमल	बीटेक (मेकेनिकल इंजीनियरिंग), व्यवसाय प्रबंधन में पीजी प्रोग्राम	✓	✓	✓	✓	✓	✓

अनुक्रमांक	निदेशकों के नाम	शैक्षणिक योग्यता	विशिष्टीकरण का क्षेत्र / कौशल / कार्यक्षेत्र / क्षमता					
			शासन	विपणन	व्यवसाय प्रबंधन	लेखा और वित्त	बीमा	जोखिम प्रबंधन
13	डॉ. वी एस पार्थसारथी	सीए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एएमपी के पूर्व छात्र, पीएचडी	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	बी कॉम, एफसीए, एफसीएमए और एफसीएस	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	श्री संजीव नौटियाल	बीए, एमबीए, सीएआईआईबी	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- ड) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के साथ पठित एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (3) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि वह ऐसी किसी भी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं है (जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित हो सकती है) जो कि उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को बाधित या प्रभावित कर सकती है। उन्होंने यह भी पुष्टि की है कि वे स्वतंत्रता के मानदंडों को पूर्ण करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के संबंध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा तैयार मानदंडों को भी पूर्ण करते हैं। निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूर्ण करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।
- ढ) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक: सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 25 (3) और (4) के संदर्भ में, निगम के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक 15 मार्च, 2024 को आयोजित की गई थी। डॉ. वी एस पार्थसारथी को छोड़कर सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक की कार्यसूची में अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मंडल, अध्यक्ष, गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन की त्वरित समीक्षा और प्रबंधन से निदेशक मंडल को सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता शामिल थी।

### 3. निदेशक मंडल की समितियां

निगम में 12 निदेशक मंडल स्तर की समितियां हैं, जैसे कार्यकारी समिति, निवेश समिति, लेखा परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, पॉलिसीधारक संरक्षण समिति, लाभ सहित समिति, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों के निदेशकों की निर्वाचन समिति, सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति, भवन सलाहकार समिति, इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर्स) पर समीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति, और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति।

#### क. कार्यकारी समिति

कार्यकारी समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19 (1) के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

- i. कार्यकारी समिति में 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य
5	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य
6	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य
7	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
8	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
9	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
10	डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

ii. कार्यकारी समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

1. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 में निर्दिष्ट नियम 12, 18, 39, 40 और 86 के प्रावधानों के अनुसार और तदनुसार कार्यों को निष्पादित करना;
  - (अ) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर के संवर्गों और समकक्ष संवर्गों में अधिकारियों की नियुक्ति करना।
  - (आ) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 में विनिर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
  - (इ) अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर के संवर्गों और समकक्ष संवर्गों के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना और भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 39 (1) (एफ) से (जे) के तहत जुर्माना लगाना।
  - (ई) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 39 (1) (ए) से (ई) के तहत मामूली दंड के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर के कैडर और समकक्ष संवर्गों के अधिकारियों से प्राप्त अपीलों पर विचार करने के लिए, कार्यकारी समिति अपीलीय प्राधिकारी है।
  - (उ) उप आंचलिक प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल प्रबंधक/मंडल प्रबंधक और समकक्ष संवर्गों के संवर्ग में अधिकारियों से प्राप्त अपीलों पर विचार करने के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 39 (1) (एफ) से (जे) के तहत प्रमुख दंड के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
  - (ऊ) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियमावली, 1960 के नियम 86 के उपबंध के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियमावली, 1960 के किसी उपबंध में छूट देना।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार और तदनुसार कार्यों को निष्पादित करना;
  - (अ) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 के नियम 2 (एफ) के अनुसार, कार्यकारी समिति नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्रावधानों के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे ऊपर और समकक्ष संवर्गों के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
  - (आ) नियम 48 (1) के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनभोगियों) से निगम को हुए आर्थिक नुकसान की वसूली और/या पेंशन या उसके एक हिस्से को रोकने/वापस लेने के लिए कोई अंतिम आदेश पारित करने से पहले कार्यकारी समिति से परामर्श किया जाएगा।
3. वित्तीय/परिचालन मामलों (एफपीएसओ के माध्यम से) के संबंध में निगम में विभिन्न प्राधिकरणों के कार्यों और शक्तियों को नियंत्रित करने वाले स्थायी आदेश जारी करना।
4. एफपीएसओ के अनुसार कार्यकारी समिति के पास मौजूद वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करना।
5. कर्मचारी लाभ से संबंधित मामले, जो भारत सरकार को भेजे जाने हैं, को निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
6. उन शक्तियों का प्रयोग करना, (यदि कोई) जो अधिनियम, नियमों, विनियमों और निदेशक मंडल द्वारा आगे सौंपे गए कार्यों में संशोधन से प्राप्त होती हैं।

iii. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित कार्यकारी समिति की आठ (8) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें								कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति	
			05-04-2023	25-04-2023	22-06-2023	29-08-2023	15-09-2023	16-11-2023	07-02-2024	05-03-2024		
श्री सिद्धार्थ मोहंती®	पूर्णकालिक अध्यक्ष	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8
श्री सुचिन्द्र मिश्र*	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	✓	✗	✗						3	1
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला**	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य				✓	✓	✗	✗	✓	5	3
श्रीमती मिनी आईप***	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓					4	4
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	8	7
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	8	7
श्री सतपाल भानू§	प्रबंध निदेशक	सदस्य				✓	✓	✓	✓	✓	5	5
श्री दुर्गैस्वामि रामचंद्रन§§	प्रबंध निदेशक	सदस्य					✓	✓	✓	✓	4	4
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	8	7
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	7
डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	77.78	77.78	90	100	90	80	100		

@ दिनांक 28.04.2023 तक निदेशक एवं प्रभारी और उसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष

\* दिनांक 28.06.2023 से निदेशक पद से समाप्ति

\*\*दिनांक 03.07.2023 से सदस्य के रूप में शामिल

\*\*\* दिनांक 31.08.2023 को सेवानिवृत्ति पर निदेशक पद से समाप्ति

§ दिनांक 21.07.2023 से सदस्य के रूप में शामिल

§§ दिनांक 05.09.2023 से सदस्य के रूप में शामिल



iii. वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित निवेश समिति की सोलह (16) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	23-05-2023	06-07-2023	04-08-2023	05-09-2023	20-09-2023	11-10-2023	01-11-2023	16-11-2023	04-12-2023
श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	अध्यक्ष	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓
श्रीमती मिनी आईप*	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓						
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री सतपाल भानू**	प्रबंध निदेशक	सदस्य			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन***	प्रबंध निदेशक	सदस्य					✓	✓	✓	✓	*
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100	100	71.43	87.50	100	100	100	87.50

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	29-12-2023	31-01-2024	06-02-2024	17-02-2024	23-02-2024	28-02-2024	28-03-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	15
श्रीमती मिनी आईप*	प्रबंध निदेशक	सदस्य								03	03
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	*	*	✓	*	✓	16	12
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	16	15
श्री सतपाल भानू**	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14	14
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन***	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	12	10
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	15
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	16	15
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	16
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	87.50	75	87.50	100	75	100		

\*दिनांक 31.08.2023 को सेवानिवृत्ति पर निदेशक पद से समाप्ति

\*\*दिनांक 21.07.2023 से सदस्य के रूप में शामिल

\*\*\*दिनांक 05.09.2023 से सदस्य के रूप में शामिल

वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित निवेश समिति की सोलह (16) बैठकों में विशेष आमंत्रितों की उपस्थिति में उपस्थिति निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम	23-05-2023	06-07-2023	04-08-2023	05-09-2023	20-09-2023	11-10-2023	01-11-2023	16-11-2023	04-12-2023	29-12-2023	31-01-2024	06-02-2024	17-02-2024	23-02-2024	28-02-2024	28-03-2024
श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकिक)	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	✓	×	✓	×	×	×	×	✓
श्री राजेश अलावादी	कार्यकारी निदेशक (विधि)	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	✓	✓	✓	×	×	×	×	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	×
श्री जगत सिंह टोलिया	कार्यकारी निदेशक (निवेश मध्य कार्यालय)	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	×	×	✓	✓	×	✓	×	✓	×
श्री रत्नाकर पटनायक	कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट ऑफिस) एवं मुख्य निवेश अधिकारी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री प्रताप चंद्र पैकरे*	कार्यकारी निदेशक (ईआरएम) एवं मुख्य जोखिम अधिकारी	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×							
श्री शेष गिरिधर कुप्पोली	कार्यकारी निदेशक (निवेश बैंक ऑफिस)	✓	✓	✓	×	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	×	×	×	✓	×
श्री एस सुंदर कृष्णन**	मुख्य जोखिम अधिकारी										✓	✓	✓	✓	×	✓	✓

\*दिनांक 27.12.2023 से मुख्य जोखिम अधिकारी के पद से समाप्ति

\*\*दिनांक 27.12.2023 से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्ति

#### ग. लेखापरीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19सी, आईआरडीएआई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2016 (लागू सीमा तक) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 18 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

i. लेखापरीक्षा समिति में 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य: श्री सतपाल भानू, प्रबंध निदेशक

- ii. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
1. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;
  2. सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, मानदेय और नियुक्ति की शर्तों के लिए सिफारिश;
  3. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सेवाओं के लिए (यदि अधिनियम / नियमों / विनियमों के तहत अनुमति है) भुगतान की स्वीकृति।
  4. निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
    - क) एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24सी (2) के अनुसार निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले
    - ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं और उसके कारणों में परिवर्तन, यदि कोई हो;
    - ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;
    - घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
    - ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्ध और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
    - च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण;
    - छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय;
  5. अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;
  6. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/आवेदन के विवरण की समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरणिका/सूचना में वर्णित निधियों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और सार्वजनिक या राइट्स इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए निदेशक मंडल को उचित सिफारिशें करना;
  7. लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
  8. संबंधित पक्षों के साथ निगम के लेन-देन का पूर्व अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;
  9. अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा; यदि कोई हो
  10. सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं आवश्यक हो;
  11. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
  12. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
  13. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारीगण और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा;
  14. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही;
  15. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है, की समीक्षा करना और मामले को निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना;
  16. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा के बाद की चर्चा;
  17. शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की समीक्षा;

18. सतर्कता तंत्र के कामकाज की समीक्षा;
19. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक और मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृति;
20. लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में उल्लेखित किसी अन्य कार्य को करना।
21. सहायक कंपनी में हाल्डिंग कंपनी द्वारा ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना, जो 100 करोड़ से अधिक हो या सहायक कंपनी के संपत्ति के आकार का 10% हो, इनमें से जो भी कम है, जिसमें इन प्रावधानों के लागू होने की तारीख तक मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल है।
22. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारक पर विलय, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी।
23. वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;
24. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
25. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट; तथा
26. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, हटाने और मानदेय की शर्तों की समीक्षा;
27. विचलन का विवरण:
  - क) विनियमन 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को विचलन (ओं) का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित, यदि लागू हो।
  - ख) विनियमन 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज/प्रोस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।
28. किसी अन्य भूमिका को निभाना जो समय-समय पर नियामक/सांविधिक दिशा-निर्देशों के तहत इसके लिए अनिवार्य की जा सकती है।

iii. वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समिति की नौ (09) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	25-04-2023	15-05-2023	24-05-2023	22-06-2023	10-08-2023	09-10-2023	10-11-2023	09-01-2024	08-02-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
			✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓		
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
श्री सुचिन्द्र मिश्र*	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✗						4	3
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला**	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य					✓	✗	✓	✗	✓	5	3
श्रीमती मिनी आईप***	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓					5	5
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन <sup>§</sup>	प्रबंध निदेशक	सदस्य						✓	✓	✓	✓	4	4

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	25-04-2023	15-05-2023	24-05-2023	22-06-2023	10-08-2023	09-10-2023	10-11-2023	09-01-2024	08-02-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100	100	83.33	100	83.33	100	83.33	100		
<b>विशेष आमंत्रित:-</b>													
श्री जगन्नाथ एम <sup>^</sup>	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓					5	5
श्री सतपाल भानू <sup>^^</sup>	प्रबंध निदेशक	सदस्य						✓	✓	*	✓	4	3

\* दिनांक 28.06.2023 से निदेशक पद से समाप्ति

\*\*दिनांक 03.07.2023 से सदस्य के रूप में शामिल

\*\*\*दिनांक 31.08.2023 को सेवानिवृत्ति पर निदेशक पद से समाप्ति

§दिनांक 05.09.2023 से सदस्य के रूप में शामिल

^दिनांक 04.09.2023 तक विशेष आमंत्रित सदस्य

^^ दिनांक 05.09.2023 से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल

#### घ. जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आईआरडीएआई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2016 (लागू सीमा तक) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 21 के अनुरूप किया गया है।

i. जोखिम प्रबंधन समिति में 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	श्री संजीव नौटियाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	श्री एस सुंदर कृष्णन	मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य

ii. जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

1. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - क. विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित निगम द्वारा झेले जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा।
  - ख. पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय।
  - ग. कारोबार निरंतरता योजना।
2. यह सुनिश्चित करना कि निगम के संचालन से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;
3. जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखभाल करना;
4. उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करके, जोखिम प्रबंधन नीति की वार्षिक रूप से आवधिक समीक्षा करना;
5. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित करना;
6. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और मानदेय की शर्तों की समीक्षा।
7. जोखिम प्रबंधन समिति अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार करेगी, ऐसे मामलों में जहां ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप होता है।
8. जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा
9. धोखाधड़ी रोधी नीति, धन शोधन रोधी नीति, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, जोखिम की क्षमता विवरण आदि की समीक्षा और अनुमोदन के लिए उपरोक्त नीतियों की निदेशक मंडल को अनुशंसा करना।
10. जोखिम सहने की सीमा निर्धारित करना और जोखिम एक्सपोजर से जुड़ी लागत और लाभों का आकलन करना।
11. समग्र नीतिगत उद्देश्यों के साथ सरेखित करने के लिए निगम के जोखिम-प्रतिफल प्रदर्शन की समीक्षा करना।
12. बाजार में जोखिम प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा और विचार करें और संबंधित कार्यों की सलाह देना;
13. विशेष विश्लेषण और गुणवत्ता समीक्षा करके जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी संचालन में निदेशक मंडल की सहायता करना;
14. बीमा जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, कानूनी जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, आदि सहित जोखिम की सभी श्रेणियों के लिए निगम के जोखिम प्रोफाइल पर एक समग्र दृष्टिकोण बनाए रखना।
15. निगमित रणनीति, विलय और अधिग्रहण और संबंधित मामलों जैसे रणनीतिक और परिचालन मामलों के संबंध में जोखिम प्रबंधन निर्णयों के संबंध में निदेशक मंडल को सूझाव देना।
16. जोखिम एक्सपोजर पर विवरण और एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए की गई कार्रवाई; समीक्षा, निगरानी और चुनौती, निगम द्वारा लिए गए जोखिम संबंधित सूचना की निदेशक मंडल को प्रस्तुति (जहां आवश्यक हो),
17. नियमित आधार पर निगम की शोधन क्षमता की स्थिति की समीक्षा करना।
18. व्यापार निरंतरता पर नियमित अपडेट की निगरानी और समीक्षा करना।

19. धोखाधड़ी के प्रभावी निवारण, रोकथाम, पता लगाने और शमन के लिए धोखाधड़ी-रोधी नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
20. बीमा धोखाधड़ी निगरानी फ्रेमवर्क आईआरडीए/एसडीडी/एमआईएससी/सीआईआर/009/01/2013 दिनांक 21/01/2013 पर दिशानिर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करना।
21. निगम की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति के अनुसार परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) से संबंधित मामलों की निगरानी करना
22. जोखिम प्रबंधन समिति को बीमाकर्ता द्वारा की गई आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं के बारे में समय-समय पर अवगत कराया जाएगा और इस बात की पुष्टि भी की जाएगी कि वे शर्तों का अनुपालन करते हैं और साथ ही आंतरिक नीति उनके सामने रखी जाती है।

iii. वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की छह (6) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	उपस्थिति						कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
			03-05-2023	16-05-2023	23-05-2023	13-09-2023	27-12-2023	21-03-2024		
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	×	✓	✓	×	6	4
श्री संजीव नौटियाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
श्री प्रताप चंद्र पैकरे*	कार्यकारी निदेशक (ईआरएम) एवं मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓		5	5
श्री एस सुंदर कृष्णन**	मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य						✓	1	1
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100	83.33	100	100	83.33		

\*दिनांक 27.12.2023 से मुख्य जोखिम अधिकारी के पद से समाप्ति

\*\*दिनांक 27.12.2023 से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्ति

## ड. पॉलिसीधारक संरक्षण समिति

पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का गठन आईआरडीएआई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2016 (लागू सीमा तक) के अनुरूप किया गया है।

i. पॉलिसीधारक संरक्षण समिति में 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री संजीव नौटियाल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	डॉ. स्नेहलता देशमुख	विशेषज्ञ	सदस्य

ii. पॉलिसीधारक संरक्षण समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

1. ग्राहक के साथ उचित व्यवहार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाना, जिसमें नीति के लिए समय-सीमा और दावा सेवा मानकों और उसके कार्यान्वयन की निगरानी शामिल है।
2. मध्यस्थकों द्वारा प्रदर्शित गलत बिक्री सहित पॉलिसीधारकों की शिकायतों और शिकायतों को दूर करने के लिए समीक्षा तंत्र।
3. बीमा लोकपाल/उपभोक्ता मंचों द्वारा दिए गए अधिनिर्वयों की समीक्षा।
4. ग्राहक शिकायतों के मूल कारणों का विश्लेषण करना और बाजार के आचरण के मुद्दों की पहचान करना और
5. व्यवस्थागत मुद्दों को सुधारने के लिए प्रबंधन को उचित सलाह देना, यदि कोई हों।
6. बीमा लोकपाल/उपभोक्ता मंचों द्वारा दिए गए सभी निर्णयों की कारण सहित समीक्षा करना, जो तीन (3) महीने से अधिक समय तक लागू नहीं हुए हैं, और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए बोर्ड को रिपोर्ट करना।
7. उपायों की समीक्षा करना और समय-समय पर ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के लिए उचित कदम उठाना।
8. नियामक ढांचे में निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा करना।
9. पॉलिसीधारकों को भौतिक जानकारी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता सुनिश्चित करना। ये प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा बिक्री के स्थान पर और आवधिक अंतरालों पर निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।
10. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवधिक अंतराल पर शिकायतों का विवरण प्रदान करना।
11. पॉलिसीधारकों को बीमा लोकपाल का विवरण प्रदान सुनिश्चित करना।
12. बकाया दावों की उम्र बढ़ने के साथ बकाया दावों की स्थिति सहित दावों की रिपोर्ट की समीक्षा करना।
13. कारणों के विश्लेषण के साथ अस्वीकृत दावों की समीक्षा करना।
14. समर्पण, ऋण, आंशिक निकासी अनुरोध आदि जैसे अन्य ग्राहक लाभ भुगतान के निपटान की स्थिति की समीक्षा करना।
15. प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि की समीक्षा करना।
16. निगम के व्यवसाय के स्थान को उसी शहर, कस्बे या गांव के भीतर स्थानांतरित करने और बाद में पहले के व्यवसाय के स्थान को बंद करने से संबंधित मामलों।
17. मिनी कार्यालयों को सैटेलाइट कार्यालयों में अपग्रेड करने के परिणामस्वरूप बंद करने की मंजूरी।
18. एक ही शहर, कस्बे या गांव के भीतर व्यवसाय के किसी भी स्थान के स्थानांतरण के लिए अग्रिम स्वीकृति।

iii. वर्ष 2023-2024 के दौरान पॉलिसीधारकों की सुरक्षा समिति (पीपीसी) की चार (4) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है :

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	14-06-2023	21-09-2023	27-12-2023	21-03-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री संजीव नौटियाल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	4	4
श्रीमती मिनी आईप*	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓				1	1
श्री जगन्नाथ एम**	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓				1	1
श्री सतपाल भानू***	प्रबंध निदेशक	सदस्य		✓	✓	✓	3	3
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन <sup>§</sup>	प्रबंध निदेशक	सदस्य		✓	✓	✓	3	3
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
डॉ. स्नेहलता देशमुख	निपुण	सदस्य	✓	✓	x	x	4	2
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	100	83.33	83.33		

\* दिनांक 31.08.2023 को सेवानिवृत्ति पर निदेशक पद से समाप्ति

\*\* दिनांक 04.09.2023 तक सदस्य

\*\*\* दिनांक 05.09.2023 से सदस्य के रूप में शामिल

§ दिनांक 05.09.2023 से सदस्य के रूप में शामिल

#### च. लाभ सहित समिति

लाभ सहित समिति का गठन आईआरडीएआई (गैर-लिंक्ड बीमा उत्पाद) विनियम, 2019 के अनुरूप किया गया है।

i. लाभ सहित समिति में 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री साई श्रीनिवास धुलिपाला	स्वतंत्र बीमांकक	सदस्य
4	श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक और कार्यकारी निदेशक (बीमांकक)	सदस्य
5	श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य

ii. लाभ सहित समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- व्यय के लिए कटौती और परिसंपत्ति शेयर और अन्य संबद्ध तत्वों में निवेश प्रतिफल जमा करने सहित परिसंपत्ति साझा पद्धति (परिसंपत्ति शेयर पद्धति) को मंजूरी देना।
- समिति के दृष्टिकोण का सारांश देते हुए आईआरडीए को बीमांकन रिपोर्ट और सार के साथ भेजे जाने वाली एक रिपोर्ट तैयार करना।

iii. वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित लाभ समिति (डब्ल्यूपीसी) की एक (1) बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	16-05-2023	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	अध्यक्ष	✓	1	1
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	1	1
श्री साई श्रीनिवास धुलिपाला	स्वतंत्र बीमांकक	सदस्य	✓	1	1
श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक एवं कार्यकारी निदेशक (बीमांकक)	सदस्य	✓	1	1
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य	✓	1	1
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100		

छ. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में शेयरधारकों के निदेशकों की निर्वाचन समिति

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारकों के निदेशकों की निर्वाचन समिति का गठन वित्त मंत्रालय के पत्र सं. 16/11/2012-बीओ-1 दिनांक 03.04.2012 के अनुसार किया गया है।

i. पीएसबी में शेयरधारकों के निदेशकों की निर्वाचन समिति में 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य

ii. पीएसबी में शेयरधारकों के निदेशकों की निर्वाचन समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:-

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारक निदेशक के लिए चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवारों का अवलोकन करना और उनका चयन करना।

iii. वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित पीएसबी में शेयरधारकों के निदेशकों की निर्वाचन समिति की एक (1) बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	19-12-2023	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	अध्यक्ष	✓	1	1
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	1	1
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	1	1
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100		

ज. सूचना प्रौद्योगिकी (सू.प्रौ.) रणनीति समिति

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति का गठन निगम के निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार किया गया है।

i. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति में 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य
4	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	प्रोफेसर (डॉ) ओम दमानी	सलाहकार	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य: श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन, प्रबंध निदेशक

ii. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

1. निगम में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक व्हिजन, दर्शन, सिद्धांतों और रणनीतिक लक्ष्यों का विकास करना।
2. ऐसी नीतियां स्थापित करना जो दीर्घकाल में सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति पर कार्यकारी निर्णयों के लिए रूपरेखा के रूप में काम करे जैसे जीवन चक्र लागत विश्लेषण, भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, सुरक्षा पहुंच इत्यादि शामिल है।
3. पटल पर लाए गए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों में निदेशक मंडल को तकनीकी सलाह प्रदान करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है।
5. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश जोखिम को सुनिश्चित करते हुए संसाधन और जनशक्ति योजना और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है और यह कि बजट स्वीकार्य हैं।
6. सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और आईटी के कुल वित्त पोषण की निगरानी करना।
7. सभी स्वीकृत रणनीतिक पहलों की स्थिति की निगरानी करना, विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय सीमा के साथ, और महत्वपूर्ण पहलों को समय पर पूर्ण करने के लिए बाधा को दूर करने में सहायता करना।
8. समग्र सूचना प्रौद्योगिकी प्रदर्शन माप की समीक्षा करना और व्यवसाय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का गठन करना।
9. सूचना सुरक्षा संचालन समिति द्वारा गतिविधियों की समीक्षा जो पहले जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जा रही थी।
10. परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन की स्वीकृति।

iii. वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति की पांच (5) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	15-05-2023	21-09-2023	16-11-2023	18-12-2023	07-02-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✗	✓	✓	✗	5	3
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
प्रो (डॉ.) ओम दमानी	सलाहकार	सदस्य	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
<b>उपस्थिति (प्रतिशत में)</b>			<b>100</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80</b>		
<b>विशेष आमंत्रित:-</b>									
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन*	प्रबंध निदेशक	विशेष आमंत्रित सदस्य		✓	✓	✗	✓	4	3

\*दिनांक 05.09.2023 से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल

दिनांक 18.12.2023 को आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति की बैठक में कार्यकारी समिति के सदस्य आमंत्रित किये गए थे। विशेष आमंत्रित कार्यकारी समिति के सदस्यों (सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति सदस्यों के अलावा) की सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है :

सदस्य का नाम	पदनाम	18-12-2023
श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	✓
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	✓
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	✗
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	✓
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	✓
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	✓
डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	✓

#### इ. भवन सलाहकार समिति

भवन सलाहकार समिति का गठन निदेशक मंडल के निर्देशानुसार किया गया है ।

i. भवन सलाहकार समिति में 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4	श्री अंजन मुखर्जी	बाहरी सदस्य	सदस्य
5	डॉ. सौविक बनर्जी	बाहरी सदस्य	सदस्य

- ii. भवन सलाहकार समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:
  1. संपत्तियों की खरीद और बिक्री के प्रस्ताव और भवन के निर्माण और रखरखाव और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों और इसे प्रस्तुत किए गए किसी भी अन्य मामलों की जांच करना।
  2. ऐसे सभी प्रस्तावों को स्वीकार करना जो निगम के वित्तीय शक्तियों के स्थायी आदेश के प्रावधानों (समय-समय पर स्वीकृत) के अनुसार वित्तीय मूल्य के तहत समिति के समक्ष लाये गए हो।
- iii. वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित भवन सलाहकार समिति की एक (1) बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	26-03-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	अध्यक्ष	✓	1	1
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓	1	1
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	1	1
श्री अंजन मुखर्जी	बाहरी सदस्य	सदस्य	✓	1	1
श्री सौविक बनर्जी	बाहरी सदस्य	सदस्य	✓	1	1
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100		

**ज. इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) पर समीक्षा समिति**

इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) पर समीक्षा समिति का गठन आरबीआई के मास्टर परिपत्र दिनांक 01.07.2014 और 07.01.2015 के अनुसार किया गया है।

- i. इरादतन चूककर्ता पर समीक्षा समिति में 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3	श्री संजीव नौटियाल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

- ii. इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) पर समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:
  1. आंतरिक इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर्स) समिति के आदेशों/किसी उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णयों की समीक्षा करना।
  2. समय-समय पर नियामक/सांविधिक दिशा-निर्देशों के तहत कोई भी ऐसी अन्य भूमिका निभाना जोकि इसके लिए अनिवार्य हो सकती है।
- iii. वर्ष 2023-2024 के दौरान इरादतन चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) पर समीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

## ट. हितधारक संबंध समिति एसआरसी

हितधारक संबंध समिति का गठन सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियमन 20 के अनुसार किया गया है।

i. हितधारक संबंध समिति में 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	सदस्य
3	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

ii. हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- (1) सूचीबद्ध संस्था के शेयरधारकों की शिकायतों का समाधान करना जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना, सामान्य बैठक आदि से संबंधित शिकायते इत्यादि का समाधान करना।
- (2) शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।
- (3) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में निगम द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा करना।
- (4) कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना।

iii. वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित हितधारक संबंध समिति की तीन (3) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	25-04-2023	10-11-2023	07-02-2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	3	3
श्रीमती मिनी आईप*	प्रबंध निदेशक	सदस्य	✓			1	1
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन**	प्रबंध निदेशक	सदस्य		✓	✓	2	2
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	3	3
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	×	✓	3	2
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	3	3
उपस्थिति (प्रतिशत में)			100	80	100		

\* दिनांक 31.08.2023 को सेवानिवृत्ति पर निदेशक पद से समाप्ति

\*\* दिनांक 05.09.2023 से सदस्य के रूप में शामिल

iv. श्री पवन अग्रवाल पूर्णकालिक सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण दिनांक 18.01.2024 से कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के पद से सेवा मुक्त हो गए एवं उसके बाद श्री अंशुल कुमार सिंह को निगम के कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया।

v. निवेशकों की शिकायतों का विवरण:

वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान निवेशकों से निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुईं (स्टॉक एक्सचेंज/सेबी स्कोर्स सहित):

1 अप्रैल, 2023 तक लंबित शिकायतें	शून्य
1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें	2,278
1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2,254
31 मार्च, 2024 तक लंबित शिकायतें	24

ठ. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 19 बी एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 19 के अनुसार किया गया है।

i. नामांकन और पारिश्रमिक समिति में 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार
1	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2	डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
3	श्री सिद्धार्थ मोहंती	निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष	सदस्य
4	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के मानदेय से संबंधित नीति की अनुशंसा करना;
- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करना और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक के लिए आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करना। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल को अनुशंसित व्यक्ति के पास विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होनी चाहिए। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के हेतु, समिति कर सकती है।
  - आवश्यक होने पर बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग
  - विविधता को ध्यान में रखते हुए, पृष्ठभूमि की एक विस्तृत श्रृंखला से उम्मीदवारों पर विचार; तथा
  - उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार।
- निदेशक मंडल को एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अनुशंसा करना;
- स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल विविधता पर नीति तैयार करना;
- उन व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं या जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति को उनकी नियुक्ति और हटाने की अनुशंसा करना;
- स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाने या जारी रखने का निर्धारण करना;

8. निदेशक मंडल को एलआईसी अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ई) या (एफ) या (जी) के तहत नामित या नियुक्त निदेशक को बैठक शुल्क के रूप में देय राशि से संबंधित नीति की सिफारिश करना, बशर्ते ऐसे शुल्क की सीमा उस सीमा से अधिक न हो जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के निदेशक को देय बैठक शुल्क के संबंध में लागू है;
  9. निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति को वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी मानदेय, किसी भी रूप में, अनुशंसित करना; तथा
  10. ऐसे अन्य कार्यों को करना जो समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट या एलआईसी अधिनियम या सेबी सूचीबद्ध (सूचीबद्ध) विनियमों के तहत संशोधित रूप में या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट / प्रदान किए जा सकते हैं।
- iii. वर्ष 2023-2024 के दौरान आयोजित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की चार (4) बैठकों में उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	पदनाम	सदस्यता का प्रकार	सदस्यता का अवधि				कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उपस्थिति
			05-04-2023	22-06-2023	10-10-2023	11-12-2023		
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	✓	✓	✓	✓	4	4
श्री सुचिन्द्र मिश्र*	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	✓	*			2	1
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला**	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य			✓	*	2	1
श्री सिद्धार्थ मोहंती***	निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	✓	✓	✓	✓	4	4
<b>उपस्थिति (प्रतिशत में)</b>			<b>100</b>	<b>83.33</b>	<b>100</b>	<b>83.33</b>		

\*दिनांक 28.06.2023 से निदेशक पद से समाप्ति

\*\*दिनांक 03.07.2023 से सदस्य के रूप में शामिल

\*\*\*दिनांक 28.04.2023 तक प्रबंध निदेशक एवं प्रभारी और उसके बाद निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष

- iv. स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड

निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड निर्धारित किए हैं और इसका उल्लेख निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और निदेशक मंडल विविधता नीति के अनुच्छेद 5.2 (v) के तहत किया गया है जिसे वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है; <https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609>

#### 4. निदेशकों का पारिश्रमिक:

क) वर्ष 2023-2024 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन	अन्य लाभ और अनुलाभ	निगम का पेंशन में अनुदान	कुल पारिश्रमिक
श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	39.59	31.78	18.33	2.69	92.39
श्रीमती मिनी आईप	प्रबंध निदेशक	15.46	31.31	6.52	1.07	54.36
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	36.32	2.22	7.02	2.48	48.04
श्री तबलेश पांडे	प्रबंध निदेशक	36.27	0.66	10.58	2.48	50.00
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	25.40	0.65	8.88	1.72	36.64
श्री दुर्गैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	21.24	0.65	8.28	1.44	31.60

नोट:

- वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्णकालिक निदेशक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक को लिया गया है।
- निगम के पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रदर्शन मापदंडों के अनुसार प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देय हैं।
- वर्ष के दौरान निगम द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए गए हैं।
- पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष (सेवा के निश्चित नियम और शर्तें) नियम, 1988 और भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशको (सेवा के निश्चित नियमों और शर्तों में संशोधन) नियम, 1988 (''एमडी सेवा शर्तें नियम'') यथासंशोधित के प्रावधानों द्वारा विनियमित होती हैं।

ख) सरकार द्वारा नामित निदेशक को कोई पारिश्रमिक, बैठक शुल्क आदि का भुगतान नहीं किया जाता है। निदेशकों की योग्यता, नामांकन, नियुक्ति, पारिश्रमिक, मूल्यांकन और निदेशक मंडल विविधता पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसरण में, जीवन बीमा निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त स्वतंत्र निदेशक की यात्रा की प्रतिपूर्ति के अलावा निदेशक मंडल की प्रति बैठक ₹ 80,000 और समितियों की प्रति बैठक ₹ 60,000 का बैठक शुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं एवं इसके अलावा निदेशकों द्वारा बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए ठहरने और परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति भी निगम द्वारा की जाती है। निगम के किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के साथ निगम द्वारा कोई अन्य आर्थिक संबंध या व्यावसायिक लेनदेन नहीं किया गया है।

वर्ष 2023-2024 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

बैठक का नाम	डॉ. रंजन शर्मा	श्री विनोद कुमार वर्मा	प्रो. अनिल कुमार	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	श्री महालिंगम जी	श्री राज कमल	डॉ. वी एस पार्थसारथी	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	श्री संजीव नौटियाल	कुल योग
निदेशक मंडल	10.40	10.40	10.40	9.60	9.60	10.40	8.80	10.40	10.40	90.40
कार्यकारी समिति	4.80	-	-	4.20	4.20	-	4.80	-	-	18.00
लेखापरीक्षा समिति	5.40	-	5.40	-	-	-	5.40	5.40	-	21.60
भवन सलाहकार समिति	-	-	-	-	-	0.60	-	-	-	0.60

बैठक का नाम	डॉ. रंजन शर्मा	श्री विनोद कुमार वर्मा	प्रो. अनिल कुमार	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	श्री महालिंगम जी	श्री राज कमल	डॉ. वी एस पार्थसारथी	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	श्री संजीव नौटियाल	कुल योग
निवेश समिति	-	-	-	-	9.00	9.00	-	9.60	-	27.60
स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	-	0.60	0.60	4.80
सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति	0.60	-	-	0.60	0.60	3.00	0.60	3.00	-	8.40
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	2.40	2.40	2.40	-	2.40	-	-	-	-	9.60
पॉलिसीधारक संरक्षण समिति	-	2.40	-	2.40	-	-	-	-	2.40	7.20
जोखिम प्रबंधन समिति	-	-	-	-	3.60	-	2.40	-	3.60	9.60
हितधारक संबंध समिति	1.80	-	1.80	1.20	-	-	-	1.80	-	6.60
लाभ सहित समिति	-	-	-	-	-	0.60	-	-	-	0.60
<b>कुल शुल्क</b>	<b>26.00</b>	<b>15.80</b>	<b>20.60</b>	<b>18.60</b>	<b>30.00</b>	<b>24.20</b>	<b>22.00</b>	<b>30.80</b>	<b>17.00</b>	<b>205.00</b>

## 5. सामान्य शेयरधारक जानकारी

### (क) निगम की जानकारी का अशुचित्र:

क्र.सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	संस्थापन की तिथि	भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत हुई है।
2	केंद्रीय कार्यालय का पता	भारतीय जीवन बीमा निगम 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 021
3	निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
4	आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या	512
5	वित्तीय वर्ष	अप्रैल 1, 2023 से मार्च 31, 2024
6	आगामी तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक (दिन, तिथि, समय और स्थान)	गुरुवार, अगस्त 22, 2024 को 11:30 बजे (भारतीय समयानुसार) वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनो (OAVM) के माध्यम से आयोजित की जाएगी
7	लाभांश भुगतान तिथि	अंतिम लाभांश, अगर अनुमोदित किया जाता है, तो सितंबर 20, 2024 को या उससे पहले भुगतान किया जाएगा

क्र.सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण												
8	स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग	<p>निगम के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और बीएसई लिमिटेड (BSE) में सूचीबद्ध हैं। संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का पता नीचे दिया गया है:</p> <p><b>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड:</b> एक्सचेंज प्लाजा, सी -1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.</p> <p><b>बीएसई लिमिटेड:</b> फिरोज जीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001.</p>												
9	सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान	निगम ने NSE और BSE को प्रासंगिक अवधि के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया है												
10	स्टॉक कोड	<p>एनएसई प्रतीक: <b>LICI</b></p> <p>BSE सुरक्षा कोड: <b>543526</b></p>												
11	आईएसआईएन (इक्विटी)	<b>INE0J1Y01017</b>												
12	रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट:	<p>निगम के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं। सभी शेयरों के हस्तांतरण और संबंधित संचालन आरटीए द्वारा संचालित किए जाते हैं।</p> <p><b>केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड</b> यूनिट: भारतीय जीवन बीमा निगम, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032.</p> <p>ईमेल पता: <a href="mailto:inward.ris@kfintech.com">inward.ris@kfintech.com</a> वेबसाइट: <a href="http://www.kfintech.com">www.kfintech.com</a> टोल फ्री नं.: 1800-309-4001 व्हाट्सएप नंबर: (91) 910 009 4099</p>												
13	शेयर हस्तांतरण प्रणाली	समय-समय पर यथा संशोधित सेबी सूचीकरण विनियमों के अनुसरण में, शेयरों का हस्तांतरण, संचरण और स्थानांतरण केवल अभौतिकीकृत रूप में ही प्रभावी होगा। हालांकि, निवेशकों को भौतिक रूप में शेयर रखने से रोक नहीं है।												
14	शेयरों और चल निधि का अभौतिकीकरण	<p>निगम के इक्विटी शेयरों को नियमित रूप से एनएसई और बीएसई पर अभौतिकीकृत रूप में कारोबार किया जाता है। मार्च 31, 2024 को, निगम के सभी इक्विटी शेयर अभौतिकीकृत रूप में हैं।</p> <p>मार्च 31, 2024 को निगम के इक्विटी शेयर रखने के तरीके का विवरण नीचे दिया गया है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>इक्विटी शेयरों का विवरण</th> <th>संख्या</th> <th>कुल का %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे हुए</td> <td>6,32,49,97,701</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>भौतिक रूप में रखे हुए</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td><b>कुल</b></td> <td><b>6,32,49,97,701</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> </tbody> </table>	इक्विटी शेयरों का विवरण	संख्या	कुल का %	डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे हुए	6,32,49,97,701	100	भौतिक रूप में रखे हुए	शून्य	शून्य	<b>कुल</b>	<b>6,32,49,97,701</b>	<b>100</b>
इक्विटी शेयरों का विवरण	संख्या	कुल का %												
डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे हुए	6,32,49,97,701	100												
भौतिक रूप में रखे हुए	शून्य	शून्य												
<b>कुल</b>	<b>6,32,49,97,701</b>	<b>100</b>												

क्र.सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
15	बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव	निगम ने ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की हैं।
16	कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव व्यवस्था गतिविधियां	निगम पर लागू नहीं है क्योंकि निगम न तो कोई वस्तु व्यवसाय करता है और न ही विदेशी मुद्राओं के लिए कोई जोखिम है जिसके लिए किसी भी बचाव रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।
17	संयंत्र का स्थान	निगम जीवन बीमा के व्यवसाय में है, इसलिए संयंत्र के स्थान के संबंध में प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
18	पत्राचार के लिए पता	<p><b>वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रश्नों के लिए:</b></p> <p>श्री सुनील अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, तीसरी मंजिल, पश्चिमी स्कंध, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र</p> <p>ईमेल पता: <a href="mailto:cfo@licindia.com">cfo@licindia.com</a> दूरभाष संख्या: 022-22028086 वेबसाइट: <a href="http://www.licindia.in">www.licindia.in</a></p> <p><b>निवेशकों से संबंधित पत्राचार:</b></p> <p>श्री संजय आर. बजाज प्रमुख (निवेशक संबंध), भारतीय जीवन बीमा निगम, तीसरी मंजिल, पश्चिमी स्कंध, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र</p> <p>ईमेल पता: <a href="mailto:investorrelations@licindia.com">investorrelations@licindia.com</a> दूरभाष संख्या: 022 - 6659 9479 वेबसाइट: <a href="http://www.licindia.in">www.licindia.in</a></p> <p><b>शेयर/लाभांश/सचिवीय अनुपालन से संबंधित प्रश्नों के लिए :</b></p> <p>श्री अंशुल कुमार सिंह कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम, 7 वीं मंजिल, पूर्वी स्कंध, जीवन बीमा मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, महाराष्ट्र</p> <p>ईमेल पता: <a href="mailto:investors@licindia.com">investors@licindia.com</a> दूरभाष संख्या: 022-2202 2079 वेबसाइट: <a href="http://www.licindia.in">www.licindia.in</a></p>

क्र.सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
19	संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी संशोधन के साथ इकाई द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची, ऐसी इकाई के सभी ऋण उपकरणों या किसी सावधि जमा कार्यक्रम या किसी भी योजना या सूचीबद्ध इकाई के प्रस्ताव जिसमें धन जुटाना शामिल है, चाहे वह भारत में या विदेश में	लागू नहीं


**(ख) शेयर बाजार मूल्य निदिष्ट:**

निगम के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर सूचीबद्ध हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बीएसई और एनएसई पर कारोबार किए गए निगम के इक्विटी शेयरों की मासिक उच्चतम और निम्नतम बंद कीमतें और मात्रा निम्नानुसार है:


माह	बीएसई			एनएसई		
	उच्चतम कीमत	निम्नतम कीमत	शेयरों की संख्या	उच्चतम कीमत	निम्नतम कीमत	शेयरों की संख्या
अप्रैल-23	556.45	537.75	12,33,172	556.40	537.60	1,39,41,846
मई-23	615.65	549.25	28,44,044	615.50	549.10	3,42,37,875
जून-23	653.75	594.00	27,25,089	654.00	593.50	2,55,52,616
जुलाई-23	642.25	614.15	17,43,923	642.90	614.25	1,68,50,709
अगस्त-23	676.95	634.50	21,95,672	679.00	634.00	2,78,26,106
सितम्बर-23	690.00	643.00	22,12,800	691.00	643.05	2,73,28,206
अक्टूबर-23	651.95	597.65	12,59,962	651.85	597.35	1,53,17,729
नवम्बर-23	698.75	598.50	36,97,564	699.00	598.25	4,68,66,407
दिसम्बर-23	843.70	666.25	70,28,707	843.90	667.15	11,74,92,901
जनवरी-24	971.80	820.05	66,70,338	971.90	819.30	10,37,03,359
फरवरी-24	1175.00	926.30	92,50,074	1175.00	926.00	7,09,21,184
मार्च-24	1049.55	865.20	41,68,038	1049.00	865.00	16,10,72,105

व्यापक आधार वाले सूचकांकों की तुलना में शेयर मूल्य प्रदर्शन - बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी शेयर मूल्य संचलन (बीएसई और एनएसई):

**बीएसई सेंसेक्स शेयर की मूल्य संचलन**



## एनएसई निफ्टी शेयर मूल्य संचलन



### (ग) निगम का शेयरधारिता विवरण:

- (i) इक्विटी शेयरधारिता का वितरण: 31 मार्च, 2024 को निगम की इक्विटी शेयरधारिता (बिना पैन समूहीकरण के) का श्रेणीवार वितरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	श्रेणी (शेयर)	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का%	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1	1-5000	27,27,343	99.1893	9,14,21,581	1.4454
2	5001- 10000	12,375	0.4501	92,69,756	0.1466
3	10001- 20000	5,210	0.1895	75,44,393	0.1193
4	20001- 30000	1,650	0.06	41,08,970	0.065
5	30001- 40000	682	0.0248	24,07,772	0.0381
6	40001- 50000	680	0.0247	31,49,476	0.0498
7	50001- 100000	845	0.0307	62,10,269	0.0982
8	100001 ऊपर	850	0.0309	6,20,08,85,484	98.0378
कुल		27,49,635	100	6,32,49,97,701	100

- (ii) शेयरधारिता स्वरूप: मार्च 31, 2024 को निगम का शेयरधारिता स्वरूप निम्नानुसार है:

क्रमांक	शेयरधारको की श्रेणी	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का%
1	भारत के राष्ट्रपति	6,10,36,22,781	96.5
2	निवासी व्यक्ति	12,81,26,778	2.0257
3	म्युचुअल फंड	4,32,80,825	0.6843
4	निकाय कॉर्पोरेट	2,10,63,806	0.3330
5	योग्य संस्थागत खरीदार	66,37,194	0.1049
6	बैंकों	37,33,520	0.059
7	विदेशी पोर्टफोलियो - निगम	91,73,501	0.145

क्रमांक	शेयरधारको की श्रेणी	इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का%
8	एचयूएफ	40,61,416	0.0642
9	अनिवासी भारतीय	29,15,730	0.0461
10	अनिवासी भारतीय गैर प्रत्यावर्तनीय	10,37,841	0.0164
11	समाशोधन सदस्य	4,059	0.0001
12	ट्रस्ट	3,03,282	0.0048
13	एनबीएफसी	1,23,735	0.002
14	वैकल्पिक निवेश कोष	8,98,124	0.0142
15	भारतीय वित्तीय संस्थान	15,109	0.0002
	<b>कुल</b>	<b>6,32,49,97,701</b>	<b>100</b>

(घ) सामान्य बैठकें/डाक मतपत्र:

- (i) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के अनुसार, पिछली दो वार्षिक सामान्य बैठकों और उनमें पारित विशेष संकल्पों का विवरण निम्नलिखित है:

सामान्य बैठक	वित्तीय वर्ष	सामान्य बैठक कार्यक्रम-स्थल	सामान्य बैठक की तिथि	बैठक का समय	विशेष प्रस्ताव पारित
पहली	2021-22	बैठक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो-विजुअल साधन के माध्यम से आयोजित की गई थी	सितम्बर 27, 2022	14:30 बजे (भारतीय समयानुसार)	स्वतंत्र निदेशक के रूप में डॉ. रंजन शर्मा की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री विनोद कुमार वर्मा की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रो. अनिल कुमार की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री महालिंगम जी की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री राज कमल की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री वी एस पार्थसारथी की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार की नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजीव नौटियाल की नियुक्ति
दूसरी	2022-23	बैठक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो-विजुअल साधन के माध्यम से आयोजित की गई थी	अगस्त 22, 2023	11:30 बजे (भारतीय समयानुसार)	कोई नहीं

## (ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आयोजित असाधारण सामान्य बैठकों और उनमें पारित विशेष संकल्पों का ब्यौरा:

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 23ए के अनुसार, सामान्य बैठक केवल तभी आयोजित की जाएगी जब निगम में केंद्र सरकार के अलावा अन्य सदस्य हों जो मतदान के हकदार हैं। निगम के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) और बीएसई लिमिटेड (BSE) में 17 मई 2022 को सूचीबद्ध हुए थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान निगम के सदस्यों की कोई असाधारण सामान्य बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

## (iii) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए के डाक मतपत्र माध्यम से किए गए व्यवसाय का विवरण:

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

## (iv) क्या डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित किए जाने का प्रस्ताव है:

निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख तक डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प करने का प्रस्ताव नहीं है।

## (ड) अवैतनिक/अस्वामिक लाभांश:

## (i) अस्वामिक लाभांश और संबंधित शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरण:

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी (5) में यह प्रावधान है कि अस्वामिक लाभांश खाते में भुगतान के लिए देय तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक और भुगतान न की गई राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी (6) के अनुसार, वे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, निगम द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के नाम पर हस्तांतरित किए जाएंगे।

आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तिथि के साथ बिना दावे वाले लाभांश के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	लाभांश का प्रकार	प्रति शेयर लाभांश (₹)	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तारीख
2021-22	अंतिम	₹ 1.50 प्रति इक्विटी शेयर	सितम्बर 27, 2022	अक्टूबर 26, 2029
2022-23	अंतिम	₹ 3.00 प्रति इक्विटी शेयर	अगस्त 22, 2023	सितम्बर 20, 2030
2023-24	अंतरिम	₹ 4.00 प्रति इक्विटी शेयर	फरवरी 08, 2024	मार्च 08, 2031

उन सदस्यों की सूची जिनके लाभांश भुगतान न किए गए/दावा न किए गए लाभांश खाते में पड़े हैं, निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है <https://licindia.in/web/guest/unclaimed-dividend-detail>

## (ii) आईपीओ (IPO) आवंटन डीमैट उचंत खाता:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) के साथ पठित अनुसूची V के भाग एफ के संदर्भ में, आईपीओ आवंटन डीमैट उचंत खाते में मौजूद शेयरों के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
1.	वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत में बकाया शेयर	01	15
2.	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान डीमैट उचंत खाते में हस्तांतरित किए गए शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य
3.	वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए निगम से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	शून्य	शून्य
4.	डीमैट उचंत खाते से संबंधित शेयरधारकों को हस्तांतरित शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य
5.	*मार्च 31, 2024 को डीमैट उचंत खाते में पड़े बकाया शेयर	01	15

\*निगम के एक शेयरधारक से संबंधित 15 शेयरों का अंतिम लॉट 02 अप्रैल, 2024 को लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था और इस वार्षिक रिपोर्ट की तिथि को आईपीओ आवंटन डीमैट उचंत खाते में कोई बकाया शेयर नहीं है।

### (च) संचार के साधन:

सूचना का प्रभावी संचार निगमित शासन का एक अनिवार्य घटक है। यह सभी हितधारकों को सूचना, अवधारणा, विचार, राय और योजनाओं को साझा करने की एक प्रक्रिया है जो प्रबंधन-शेयरधारक संबंधों को बढ़ावा देती है। आपके निगम का मानना है कि सभी हितधारकों को अपनी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए ताकि वे इसकी भविष्य की क्षमता का सही आकलन कर सकें। तदनुसार, निगम नियमित आधार पर अपने प्रचालनों और पहलों के बारे में सूचना का प्रसार करता है। निगम की वेबसाइट, अर्थात्, [www.licindia.in](http://www.licindia.in) अपने सभी हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण जागरूकता सुविधा के रूप में कार्य करती है, जिससे उन्हें अपनी सुविधानुसार जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यह निगम की रणनीति, वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन प्रदर्शन और नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है।

निगम के निवेशक संबंध कर्मी विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देते हैं और विश्लेषकों और निवेशकों दोनों को जानकारी प्रसारित करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सभी जानकारी जो निगम के शेयर मूल्य पर एक भौतिक असर डाल सकती है, नियामक आवश्यकताओं के अनुसार जारी की जाती है। यह सूचना समय-समय पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को भी भेजी जाती है। अन्य जानकारी जैसे प्रेस विज्ञप्ति, स्टॉक एक्सचेंज प्रकटीकरण और विश्लेषक / निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां आदि नियमित रूप से निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं। सूचीबद्धता विनियमों के तहत वित्तीय और अन्य जानकारी और अपेक्षित/निर्धारित विभिन्न अनुपालन एनएसई और बीएसई के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाते हैं और उनकी संबंधित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं और साथ ही निगम की वेबसाइट पर भी प्रसारित किए जाते हैं।

निगम के त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम अंग्रेजी में अग्रणी राष्ट्रीय व्यावसायिक समाचार पत्र बिजनेस स्टैंडर्ड और मराठी समाचार पत्र नवशक्ति और फ्री प्रेस जर्नल में भी प्रकाशित किए जाते हैं। उपरोक्त के अलावा, परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी संस्करण) में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

### (छ) वेबसाइट:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 46 के संदर्भ में, निगम की वेबसाइट अर्थात् [www.licindia.in](http://www.licindia.in) में एक समर्पित अनुभाग “निवेशक संबंध” शामिल है जो विभिन्न हितधारकों के हित की जानकारी प्रदर्शित करता है।

### (ज) समाचार विज्ञप्ति:

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती हैं, और उन्हें निगम की वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जाता है।

### (झ) संस्थागत निवेशकों/विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुति:

संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतियां दी जाती हैं और इन्हें निगम की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाता है।

## 6. वरिष्ठ प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण निगमित शासन रिपोर्ट के अनुलग्नक ‘ख’ में प्रस्तुत किया गया है।

## 7. अन्य प्रकटीकरण

- क. **संबंधित पक्ष लेनदेन:** संबंधित पक्ष लेनदेन के बारे में विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में दिया गया है, जो अलग से प्रस्तुत की गई है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- ख. **पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर निगम द्वारा गैर-अनुपालन, स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निगम पर लगाए गए जुर्माने, सख्ती का विवरण:** निगम 17 मई, 2022 से पूंजी बाजार नियामक की जांच के दायरे में है। इस अवधि के दौरान निगम द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले का अनुपालन न किए जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है।
- ग. **सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति:** सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति से संबंधित विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में दिया गया है, जो अलग से प्रस्तुत की गई है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

- घ. अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण: निगम ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) (बी) से 46 (2) (आई) में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताओं और निगमित शासन से संबंधित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं (संभव सीमा तक) का भी अनुपालन किया है, जो निम्नानुसार है:

क्रमांक	विवेकाधीन आवश्यकताएं	दर्जा
1	एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर एक अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दे सकता है	लागू नहीं
2	पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की अर्ध-वार्षिक घोषणा, शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को भेजी जा सकती है	तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं तथा शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की सूचना के लिए निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंजों को प्रसारित किए जाते हैं।
3	सूचीबद्ध इकाई असंशोधित अंकेक्षण राय के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है	निगम के लेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर असंशोधित राय के साथ एक अंकेक्षण रिपोर्ट जारी की है।
4	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अलग पद सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जैसे कि अध्यक्ष - (ए) एक गैर-कार्यकारी निदेशक हो; और (बी) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित रिश्तेदार शब्द की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित नहीं होना चाहिए	एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 (2) (ए) (ii) के अनुसार, 3 साल की प्रारंभिक अवधि के बाद, यानी 29 जून, 2024 के बाद, निदेशक मंडल के अध्यक्ष को, केंद्र सरकार द्वारा नामित या नामित किए जाने वाले गैर-कार्यकारी निदेशकों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा एवं उक्त तिथि से पूर्णकालिक अध्यक्ष की वर्तमान स्थिति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा। तदनुसार, निगम के पूर्णकालिक अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ मोहंती को दिनांक 30.06.2024 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवम प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः पदनामित किया गया है।
5	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है	प्रमुख आंतरिक लेखा परीक्षक निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को सीधे रिपोर्ट करता है।

- ड. कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण: वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों में कार्रवाई नहीं की है।
- च. विनियम 32(7ए) के अंतर्गत यथा विनिदष्ट अधिमानी आवंटन अथवा अर्हक संस्थाओं के नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण: वित्तीय वर्ष के दौरान, निगम ने अधिमानी आवंटन अथवा अर्हक संस्थाओं के नियोजन के माध्यम से कोई निधि नहीं जुटाई है।
- छ. कंपनी सचिव द्वारा दिया गया ऐसा प्रमाण पत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशक मंडल/कारपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा निरहित किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है: जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत अपेक्षित है, मैसर्स एसएन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, ने प्रमाणित किया है कि निगम के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा निगम के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ड' के रूप में संलग्न है।
- ज. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा जहां निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल की किसी भी समिति की संस्तुति को स्वीकार नहीं किया गया हो।

- झ. सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं को भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है: सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस से संबंधित विवरण अनुसूची 3 और वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां में दिया गया है।
- ञ. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम का विवरण: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार, निगम ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है। निगम में हर स्तर पर महिला अधिकारियों/कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निगम में, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समितियां केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और मंडल कार्यालय स्तरों पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या से संबंधित ब्यौरा बोर्ड की रिपोर्ट में दिया गया है, जो अलग से प्रस्तुत की गई है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- ट. सूचीबद्ध संस्था और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उन फर्मों/कंपनियों को ऋण और अग्रिम के बारे में प्रकटीकरण जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं: शून्य
- ठ. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की यह निगमित शासन रिपोर्ट सूचीकरण विनियमों के तहत निगमित गवर्नेंस (लागू सीमा तक) की आवश्यकताओं के अनुपालन में है।
- ड. निगम ने सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 17 से 27 और विनियमन 46 के उप-विनियमन (2) के खंड (बी) से (आई) में विनिदष्ट सभी आवश्यकताओं का लागू सीमा तक अनुपालन किया है।
- ढ. निगम की भौतिक सहायक कंपनियों को निर्धारित करने के लिए एक नीति है जो निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसके लिए वेब-लिंक है <https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-for-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf/84ecd9-f927-7a18-26ef-f2af9430e11a?t=1668407223421>
- सेबी (एलओडीआर), विनियम 2015 के प्रावधानों के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार, निगम की कोई भी सहायक कंपनी 31 मार्च, 2024 को भौतिक सहायक कंपनी नहीं है।
- ण. निगमित शासन प्रतिवेदन में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची त के खंड सी के उप पैरा (2) से (10) के तहत वर्णित किसी भी आवश्यकता की गैर-अनुपालना: निगम ने निगमित शासन प्रतिवेदन के लिए सभी आवश्यकताओं (लागू सीमा तक) का अनुपालन किया।
- त. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 30ए के अनुसार शेरधारकों, प्रमोटरों, प्रमोटर समूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, सूचीबद्ध इकाई या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आपस में या सूचीबद्ध इकाई के साथ या किसी तीसरे पक्ष के साथ किए गए समझौते, अकेले या संयुक्त रूप से, जो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिसका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या सूचीबद्ध इकाई पर कोई प्रतिबंध लगाना या कोई दायित्व बनाना : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने ऐसा कोई समझौता नहीं किया है।

## अनुलग्नक 'क'

## निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा निगम की आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि निगम ने निदेशक मंडल सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के हेतु आचार संहिता निर्धारित की है और इसे निगम की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निगम के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(सिद्धार्थ मोहंती)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवम प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 15 जुलाई, 2024

31 मार्च, 2024 को वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का नाम	31 मार्च, 2024 को पदनाम
श्री अश्विनी घई	निदेशक, प्रबंधन विकास केंद्र, मुंबई
श्री प्रमोद रंजन मिश्रा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एलआईसी एचएफएल केयर होम्स लिमिटेड)
श्री एम सी चतुर्वेदी	मुख्य कार्यकारी (एलआईसी एचएफएल वित्तीय सेवा लिमिटेड)
श्री रघुपाल सिंह	मुख्य कार्यकारी (एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड)
श्री कमल कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई
श्री आर्य लाहिड़ी	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता
श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता	क्षेत्रीय प्रबंधक(प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर
श्री जगन्नाथन चक्रपाणि	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नई
श्री लाकुंडी कृष्णासामसुन्दर	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद
श्रीमती उमा राव	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, हैदराबाद
श्रीमती गीता प्रभाकरन	कार्यकारी निदेशक (सहायक कंपनियों)
श्रीमती सीमा श्रीधर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एलआईसी एचएफएल एएमसी), मुंबई
श्री अशोक के आर	कार्यकारी निदेशक (बीमांकक/एडमीन/आईटी आईएमपी)
श्री रजनीकांत रायभरम	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जीवन बीमा निगम (लंका) लिमिटेड)
श्री पान सिंह नेगी	कार्यकारी निदेशक, आईटी (एसडी/बीपीआर/बीमा तकनीक) एवं मुख्य तकनीकी अधिकारी
श्री सोमा नंदन सत्पथी	महासचिव (भारतीय बीमा संस्थान)
श्री सलिल विश्वनाथ	कार्यकारी निदेशक (एचआरडी/ओडी/आरटीआई)
श्री हेमन्त बुच	कार्यकारी निदेशक (एमबीएसी)
श्रीमती आराधना दुग्गल	कार्यकारी निदेशक (नव व्यवसाय एवं पुनर्बीमा)
श्री आदित्य गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (सीसी)
सुश्री रचना खरे	कार्यकारी निदेशक (सीआरएम/पीएस)
श्री अनिर्वाण सरकार	कार्यकारी निदेशक (कार्मिक)
श्रीमती मंजू बग्गा	कार्यकारी निदेशक (पेंशन एवं समूह बीमा)
श्री प्रवीण कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एलआईसी कार्डस् लिमिटेड), दिल्ली
श्री रवि कुमार झा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एलआईसी एचएफएल एएमसी), मुंबई
श्री एल.सी.मीना	अतिरिक्त निदेशक, प्रबंधन विकास केंद्र, मुंबई
श्री राजेश ऐलावादी	कार्यकारी निदेशक (विधि)
श्री डी पी पटनायक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यकारी निदेशक (जीवन बीमा निगम (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी))
श्री प्रफुल्ल जयपुरिया	निदेशक (बीमा महाविद्यालय), मुंबई
श्री सत्यब्रत नायक	महासचिव(बीमा लोकपाल परिषद), मुंबई
श्री महताबुज्रमान	कार्यकारी निदेशक (एसबीयूआईओ)
श्री उदय कुमार नवानी	संकाय सदस्य, राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे
श्री अजय कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता



वर्ष 2023-24 के दौरान निकासी

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का नाम	निकासी के समय पदनाम	निकासी का कारण	निकासी की तिथि
श्री सतपाल भानू	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	प्रबंध-निदेशक पद पर नियुक्ति	19 जुलाई, 2023
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	कार्यकारी निदेशक आईटी (एसडी)	प्रबंध-निदेशक पद पर नियुक्ति	31 अगस्त, 2023
श्री दिनेश कुमार भगत	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	सेवा-निवृत्ति	31 जुलाई, 2023
श्री प्रकाश चंद	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	सेवा-निवृत्ति	31 मई, 2023
श्री योगेन्द्र सिंह	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, भोपाल	सेवा-निवृत्ति	31 जुलाई, 2023
श्री राजीव गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (समन्वय)	सेवा-निवृत्ति	30 नवंबर, 2023
श्री बिजय शंकर मिश्रा	क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	सेवा-निवृत्ति	30 अप्रैल, 2023
श्रीमती त्रिताला सुब्रमण्यम रामकृष्णन	कार्यकारी निदेशक (समन्वय)	सेवा-निवृत्ति	31 दिसंबर, 2023
श्री तपन अरंधरा	ओ.एस.डी., क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	सेवा-निवृत्ति	30 अप्रैल, 2023
श्री विश्वनाथ गौड़ येरूर	कार्यकारी निदेशक (समन्वय)	सेवा-निवृत्ति	31 जुलाई, 2023
श्री राजेश के दुबे	कार्यकारी निदेशक (कार्मिक)	सेवा-निवृत्ति	29 फरवरी, 2024
श्री तिरुवेंकटाचारी	कार्यकारी निदेशक (सीआरएम/सीएलएमएस/वार्षिकी)	सेवा-निवृत्ति	30 नवंबर, 2023
श्री संजय दीक्षित	कार्यकारी निदेशक (एचआरडी/ओडी)	सेवा-निवृत्ति	30 अप्रैल, 2023
श्रीमती प्रमिला शेखर	कार्यकारी निदेशक, प्रबंधन विकास केंद्र, मुंबई	सेवा-निवृत्ति	31 जनवरी, 2024
श्रीमती मलिका प्रसाद	कार्यकारी निदेशक (आरटीआई)	सेवा-निवृत्ति	31 जनवरी, 2024
श्री गजराज सिंह गिल	कार्यकारी निदेशक (एसबीए)	सेवा-निवृत्ति	31 अगस्त, 2023
श्री अजय प्रोवर	निदेशक, प्रबंधन विकास केंद्र, मुंबई	सेवा-निवृत्ति	30 जून, 2023
श्री तपन रंजन मल्लिक	कार्यकारी निदेशक (सीएलआईए)	सेवा-निवृत्ति	31 मई, 2023
श्री बिबेकानंद आचार्य	आतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता	सेवा-निवृत्ति	30 सितम्बर, 2023
श्री रबीनारायण मिश्र	कार्यकारी निदेशक (सीपी/एनपीआरजे)	सेवा-निवृत्ति	31 दिसंबर, 2023
श्री बिबेकानंद प्रधान	निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, जमशेदपुर	सेवा-निवृत्ति	30 जून, 2023
श्री अरूप कुंडू	कार्यकारी निदेशक (इंजीनियरिंग)	सेवा-निवृत्ति	31 दिसंबर, 2023

**टिप्पणी:** सभी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की परिभाषा में आते हैं, जिनका प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में उपयुक्त स्थान पर दिया गया है।



भारत में बीमा कंपनियों के लिए आईआरडीएआई निगमित प्रशासन दिशानिर्देश, 2016 / अनुलग्नक - 8 / वित्त वर्ष 2023-24

“निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु प्रमाण-पत्र”

मैं, कृष्ण कुमार एस, प्रमाणित करता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने समय-समय पर उल्लिखित बीमा कंपनियों के लिए निगमित प्रशासन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है और कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर : एस. कृष्ण कुमार

नाम : कृष्ण कुमार एस

पद : कार्यकारी निदेशक (सीजी/जीजेएफ/आरसी) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी



# S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

## Company Secretaries

10/25-26, दूसरी मंजिल, बृंदाबन,  
ठाणे (पश्चिम) - 400 601

टी: +91 22 25345648 | +91 22 25432704

ई: snaco@snaco.net | वे: [www.snaco.net](http://www.snaco.net)

ICSI अद्वितीय कोड: P1991MH040400

### फार्म सं. एमआर-3

#### सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियों (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पठित सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24- के अनुसार

सेवा में,

सदस्यगण,

भारतीय जीवन बीमा निगम

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग,

मुंबई 400021

हमने भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे इसके बाद 'निगम' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उच्चतम कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की थी। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई थी कि हमें कॉर्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया था।

निगम की बहियों, कागजातों, मिनट बुक, दायर किए गए फॉर्म और रिटर्न और निगम द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान निगम, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, निगम ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि निगम के पास इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके और अध्यधीन उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच इन प्रावधानों के अनुसार की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), और उसके तहत बनाए गए नियम- निगम पर लागू सीमा तक;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरएफ') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप-विधियां;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक - लागू नहीं;



- बैठक से पहले कार्यसूची मर्दों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।  
बोर्ड और समिति की बैठक के सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत के साथ किए गए थे।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि निगम द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर और आईआरडीएआई अनुपालन के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से कंपनी सचिव द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र (ओं) के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठकों में रिकॉर्ड पर लिया गया है, जो निगम और उसकी सहायक कंपनियों के सभी विभागों द्वारा जारी / प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर है, हमारी राय है कि निगम में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए निगम के आकार और संचालन के अनुरूप हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में निगम के मामलों पर कोई बड़ा असर डालने वाली कोई विशिष्ट घटनाएं/कार्य नहीं थे।

इस रिपोर्ट को हमारे सम तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुबंध क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी के लिए  
कंपनी सचिव  
आईसीएसआई अद्वितीय कोड: P1991MH040400  
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 5218/2023

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन  
हिस्सेदार  
एफसीएस: 4206 | सीओपी नं.: 1774  
आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206F000454238  
27 मई, 2024 | ठाणे



# S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

## Company Secretaries

अनुलग्नक - ए

सेवा में,  
सदस्यगण,  
भारतीय जीवन बीमा निगम  
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग,  
मुंबई 400021

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की हमारी सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

### प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय रिकॉर्ड बनाए रखना, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं, निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालन के संबंध में निगम द्वारा पालन किए जाने वाले इन सचिवीय रिकॉर्ड, मानकों और प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना है।
3. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी लागू लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा आयोजित की है।
4. हम मानते हैं कि निगम के प्रबंधन से प्राप्त ऑडिट साक्ष्य और जानकारी हमारे लिए हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।
5. जहां भी आवश्यक हो, हमने उचित आश्वासन प्राप्त किया है कि निगम द्वारा बनाए गए सचिवीय लेखा परीक्षा के संबंध में तैयार किए गए बयान, दस्तावेज या रिकॉर्ड गलत विवरण से मुक्त हैं या नहीं।
6. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

### अस्वीकरण

7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।
8. हमने निगम के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी के लिए  
कंपनी सचिव

आईसीएसआई अद्वितीय कोड: P1991MH040400

सहकर्मि समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 5218/2023

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन

हिस्सेदार

एफसीएस: 4206 | सीओपी नं.: 1774

आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206F000454238

27 मई, 2024 | ठाणे



# S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

## Company Secretaries

10/25-26, दूसरी मंजिल, बृंदाबन,  
ठाणे (पश्चिम) - 400 601  
टी: +91 22 25345648 | +91 22 25432704  
ई: snaco@snaco.net | वे: [www.snaco.net](http://www.snaco.net)  
ICSI अद्वितीय कोड: P1991MH040400

### निगमित शासन प्रमाण पत्र

विनियमन के अनुसार 34(3) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की अनुसूची V पैरा ई  
(सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015

#### 1. पृष्ठभूमि

हमें भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम/एलआईसी) द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्ध विनियम) में निर्धारित निगम द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है।

#### 2. प्रबंधन की जिम्मेदारी

सूचीकरण विनियमों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। प्रबंधन निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं तैयार करेगा।

#### 3. हमारी जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी निगम द्वारा अपनाई गई प्रणालियों, आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं की जांच करने और निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने और उस पर रिपोर्ट करने तक सीमित है।

#### 4. कार्यप्रणाली

- 4.1. हमारी परीक्षा आयोजित करने के लिए, हमें प्रासंगिक दस्तावेज और जानकारी प्रदान की गई थी, जिसमें स्पष्टीकरण भी शामिल था, जहां भी आवश्यक थी।
- 4.2. हमारी परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी जिसने हमें निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने और उस पर प्रमाणित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई प्रणालियों, आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए उचित आधार प्रदान किया था।

#### 5. राय

उपरोक्त के रूप में हमारी जांच के आधार पर, प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी, स्पष्टीकरण और अभ्यावेदन, हम प्रमाणित करते हैं कि, निगम ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सूचीबद्ध विनियमों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

## 6. अस्वीकरण

- 6.1. हमने निगम के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
- 6.2. यह रिपोर्ट न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी के लिए  
कंपनी सचिव  
आईसीएसआई अद्वितीय कोड: P1991MH040400  
सहकर्मि समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 5218/2023

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन  
हिस्सेदार  
एफसीएस: 4206 | सीओपी नं.: 1774  
आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206F000454359  
27 मई, 2024 | ठाणे



## S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO Company Secretaries

10/25-26, दूसरी मंजिल, बृंदाबन,  
ठाणे (पश्चिम) - 400 601  
टी: +91 22 25345648 | +91 22 25432704  
ई: snaco@snaco.net | वे: [www.snaco.net](http://www.snaco.net)  
ICSI अद्वितीय कोड: P1991MH040400

### निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण पत्र

विनियमन के अनुसार 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015

सेवा में,  
भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्य  
योगक्षेमा, जीवन बीमा मार्ग,  
मुंबई 400021

हमने निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की है:

- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के तहत आवश्यक गैर-अयोग्यता की घोषणा;
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और जीवन बीमा निगम (सामान्य) नियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार चिंता या हितों का प्रकटीकरण;

जैसा कि भारतीय जीवन बीमा निगम ('निगम'/एलआईसी) के निदेशकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिनका पंजीकृत कार्यालय योगक्षेमा, जीवन मार्ग मुंबई 400021 में है, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम ('बोर्ड') के निदेशक मंडल को और निगम द्वारा बनाए गए प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म और रिटर्न और जैसा कि इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमें उपलब्ध कराया गया है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा सी खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के साथ। हमने गैर-अयोग्यता को नियामक / सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा गैर-प्रतिषेध को शामिल करने के लिए माना है।

यह निदेशकों की जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण और सटीक जानकारी के साथ प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर एक राय व्यक्त करें।

पूर्वोक्त के रूप में हमारी परीक्षा और हमारे द्वारा किए गए इस तरह के अन्य सत्यापनों के आधार पर आवश्यक और पर्याप्त समझा गया (पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in), जहां भी उपलब्ध हो), हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार और निगम, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में, निगम के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को, जैसा कि यहां सूचीबद्ध किया गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
01	श्री रंजन शर्मा	09573799	29/10/2021	-
02	श्री विनोद कुमार वर्मा	09309031	29/10/ 2021	-
03	श्री अनिल कुमार	09477565	20/01/2022	-
04	सुश्री अंजुली चिब दुग्गल	05264033	29/01/2022	-
05	श्री गुरुमूर्ति महालिंगम	09660723	29/01/2022	-
06	श्री राज कमल	07653591	29/01/2022	-
07	श्री वी. एस. पार्थसारथी	00125299	29/01/2022	-
08	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	05170323	29/01/2022	-
09	श्री संजीव नौटियाल	08075972	29/01/2022	-
10	श्री सिद्धार्थ मोहंती	08058830	02/02/2021	-
11	सुश्री मिनी आईपे	07791184	02/08/2021	31/08/2023
12	श्री सुचिंद्र मिश्र	01873568	04/07/2022	28/06/2023
13	श्री एम जगन्नाथ	10090437	13/03/2023	-
14	श्री तबलेश पांडे	10119561	01/04/2023	-
15	श्री एम. पी. तन्निराला	03609968	28/06/2023	-
16	श्री सतपाल भानू	10482731	20/07/2023	-
17	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	10358884	01/09/2023	-

यह प्रमाणपत्र न तो निगम की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी निगमित शासन रिपोर्ट में प्रकटीकरण करने के लिए निगम के अनुरोध पर जारी किया गया है।

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी के लिए  
कंपनी सचिव

आईसीएसआई अद्वितीय कोड: P1991MH040400

सहकर्म समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 5218/2023

एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन

हिस्सेदार

एफसीएस: 4206 | सीओपी नं. : 1774

आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206F000454381

27 मई, 2024 | ठाणे

# व्यापार जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट

## खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण

### I. सूचीबद्ध संस्था का विवरण

1. सूचीबद्ध संस्था की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)-
  - लागू नहीं
  - आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या- 512
2. सूचीबद्ध संस्था का नाम-
  - भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत गठित)
3. निगमन का वर्ष-
  - 1956
4. पंजीकृत कार्यालय का पता-
  - केंद्रीय कार्यालय- योगक्षेम, जेबी मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021
5. कॉर्पोरेट पता
  - केंद्रीय कार्यालय- योगक्षेम, जेबी मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021
6. ई-मेल
  - निगमित नियोजन: [ed\\_cpnp@licindia.com](mailto:ed_cpnp@licindia.com)
7. दूरभाष
  - 022-22022615
8. वेबसाइट
  - [www.licindia.in](http://www.licindia.in)
9. वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है-
  - वित्तीय वर्ष 2023-24
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं
  - एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) और बीएसई लिमिटेड
11. प्रदत्तपूंजी
  - ₹ 6,324.99 करोड़, 10 ₹ प्रत्येक शेयर मूल्य के 6,32,49,97,701 इक्विटी शेयरों में विभाजित।
12. उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के संबंध में संपर्क किया जा सकता है-
  - सुश्री रोसलिन कुरियन (निदेशक - निगमित नियोजन)/ 022-22022615/ [ed\\_cpnp@licindia.com](mailto:ed_cpnp@licindia.com)
13. रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटन स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल संस्था के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात संस्था और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया)।
  - इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटन स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाये।

14. एशुरेंस प्रदाता का नाम: बाटलीबोर्ड एंड पुरोहित, चार्टर्ड अकाउंटेंट
15. प्राप्त एशुरेंस का प्रकार: व्यापार ज़िम्मेदारी एवं स्थिरता रिपोर्ट का एशुरेंस। एशुरेंस प्रदाता द्वारा जारी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न की गयी है।

## II. उत्पाद/सेवाएँ

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार का 90% हिस्सा):

अनुक्रमांक	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	संस्था के कारोबार का %
1.	बीमा सेवाएं (पेंशन एवं स्वास्थ्य सहित)	जीवन बीमा	100%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के कारोबार का 90% हिस्सा)

अनुक्रमांक	उत्पाद / सेवा	एनआईसी कोड	संस्था के कारोबार का %
1.	जीवन बीमा	65110	100%

## III. संचालन:

18. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और / या संचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	5,004	5,004
अंतरराष्ट्रीय	लागू नहीं	*नीचे देखें	147

\* कुल कार्यालयों की संख्या:

क्र. स.	यूनिट	कॉर्पोरेट	शाखा कार्यालय
1	एलआईसी फ़िजी		3
2	एलआईसी मॉरीशस		2
3	एलआईसी यू.के.		1
4	एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन	1	6
5	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	1	76
6	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	1	29
7	एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	1	12
8	एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड	1	0
9	केन इंडिया एशुरेंस को. लिमिटेड	1	11
10	एसआईसीसीआई		1
	कुल :	6	141
			147

19. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

### क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या)	36* (भारत के सभी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र)
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	14

\*28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

- ख. संस्था के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है?

शून्य

### ग. ग्राहकों के प्रकार का संक्षिप्त विवरण

जीवन बीमा निगम का प्राथमिक व्यवसाय है। हमारे ग्राहकों में वेतनभोगी या स्व-रोज़गार वाले व्यक्ति शामिल हैं जो ऐसे बीमा उत्पाद चाहते हैं जो मृत्यु और गंभीर बीमारी जैसी आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे उत्पाद व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उन्हें अपने परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों जैसे

बच्चे की शिक्षा, विवाह आदि को प्राप्त करने में मदद करते हैं। हमारे समूह बीमा उत्पाद विभिन्न संगठनों के लिए उनके कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति, अवकाश नकदीकरण आदि का प्रबंधन करने के लिए बनाए गए हैं।

#### IV. कर्मचारी

##### 20. वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में विवरण:

##### क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांगजन सहित):

कर्मचारी					
विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिलाएं	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
स्थायी (घ)	98,661	75,411	76.43	23,250	23.57
स्थायी के अलावा (च)	6	5	83.33	1	16.66
कुल कर्मचारी (घ + च)	98,667	75,416	76.43	23,251	23.57
श्रमिक					
विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिलाएं	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
स्थायी (छ)		लागू नहीं			
स्थायी के अलावा (ज)					
कुल कर्मचारी (छ + ज)					

##### ख. दिव्यांगजन कर्मचारी और कर्मी

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिलाएं	
			संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)
दिव्यांगजन कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	1,026	832	81.09	194	18.91
2.	स्थायी के अलावा (च)	0	0	0	0	0
3.	कुल विकलांग कर्मचारी (घ + च)	1,026	832	81.09	194	18.91
दिव्यांगजन कर्मचारी						
4.	स्थायी (छ)		लागू नहीं			
5.	स्थायी के अलावा (ज)					
6.	कुल विकलांग कर्मचारी (छ + ज)					

##### 21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	संख्या व महिलाओं का प्रतिशत	
		संख्या(ख)	% (ख / क)
निदेशक मंडल	15	1	6.67
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	9	1	11.1

##### 22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर : (पिछले 3 वर्षों के रुझानों को प्रकट करें)

	स्थायी कर्मचारियों के लिए टर्नओवर दर								
	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2022-23 (गत वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2021-22 (गत वित्त वर्ष से एक वर्ष पूर्व में टर्नओवर दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	6.80	5.67	6.54	5.97	3.97	5.50	6.08	4.6	5.74

नोट : निगम के कर्मचारियों में 'श्रमिकों' की कोई श्रेणी नहीं है

V. होलडिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों (संयुक्त उद्यम सहित)

23. (क) होलडिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों (संयुक्त उद्यम सहित)

क्रमांक	होलडिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	होलडिंग/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम इंगित करें	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में इंगित संस्था सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां नहीं)
राष्ट्रीय				
1	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
2	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
3	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	49.24	नहीं
4	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	49.00	नहीं
5	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	45.24	नहीं
6	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	44.61	नहीं
7	आईडीबीआई बैंक ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	29.84	नहीं
8	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	5.38	नहीं
अंतरराष्ट्रीय				
1	एलआईसी फ़िजी	शाखा	100	नहीं
2	एलआईसी मॉरीशस	शाखा	100	नहीं
3	एलआईसी यूके	शाखा	100	नहीं
4	एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन	सहायक	99.66	नहीं
5	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	सहायक	55	नहीं
6	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	सहायक	90.91	नहीं
7	एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	सहायक	83.33	नहीं
8	एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड	सहायक	100	नहीं
9	केन इंडिया एशुरेंस को. लिमिटेड	इंकिटि हिस्सेदारी	10.21	नहीं
10	एसआईसीसीआई	इंकिटि हिस्सेदारी	4.98	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: नहीं

- भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना एलआईसी अधिनियम 1956 द्वारा की गई थी, जिसे भारत में जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस प्रकार एलआईसी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों द्वारा शासित कंपनी नहीं है।

निगम एलआईसी अधिनियम, 1956 में हाल के संशोधनों के बाद भी भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य सीएसआर गतिविधियों के दायरे से बाहर है। एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के तहत चैरिटी कमिश्नर के साथ पंजीकृत एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एलआईसी के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान वर्ष 2006 में गठित, स्वेच्छा से विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। फाउंडेशन का उद्देश्य गरीबी या संकट से राहत, शिक्षा की उन्नति, चिकित्सा राहत और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी अन्य परियोजना की उन्नति है।

फाउंडेशन समाज के वंचित, हाशिए पर और वंचित वर्गों को प्राथमिकता देते हुए देश भर में सामुदायिक विकास गतिविधियाँ चलाता है। परियोजनाओं में छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य पहल, ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत सहायता प्रदान करना शामिल है। स्थापना के बाद से, 31.03.2024 तक फाउंडेशन ने ₹ 179.35 करोड़ की 839 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

- (ii) टर्नओवर (₹ में) - 4,75,751.92 करोड़ (भारतीय जीवन बीमा निगम की)  
 (iii) शुद्ध आय (₹ में) - 81,938.16 करोड़ (भारतीय जीवन बीमा निगम की)

## VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

### 25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवेदनाएं:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त-वर्ष 2023-24			वित्त-वर्ष 2022-23		
		वर्तमान वित्तीय वर्ष			गत वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
शेयरधारक	हां, निगम ने शेयरधारकों को शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए ईमेल आईडी (investors@licindia.com) और पोर्टल निर्दिष्ट किया है। निगम ने शेयरधारकों की सेवाओं से संबंधित उनकी शिकायतों और प्रश्नों को हल करने में सहायता प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को निगम के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों की सहायता हेतु लिंक: <a href="https://licindia.in/web/guest/investors-support">https://licindia.in/web/guest/investors-support</a>	2,278	24		16,414	0	
कर्मचारी	हां। परिपत्र संदर्भ: कें.का./कार्मिक / का.स.-प्र./285/2022 दिनांक 10.02.2022	518	29**	**	296	71	
ग्राहक	<a href="https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders">https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders</a>	81,202	शून्य		81515	शून्य	
मूल्य श्रृंखला साझीदार	--	--	--	--	--	--	**
अन्य-मंत्रालय	ईमेल के माध्यम से मंत्रालय का अनुपालन	102	2	फॉलोअप चल रहा है	103	6	वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी 6 लंबित शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।

\*\* अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के लिए शिकायत को हल करने की समय सीमा 90 दिन है। चूंकि समय व्यतीत नहीं हुआ है इसलिए इसे लंबित के रूप में दिखाया गया है।

## 26. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित के अनुसार प्रारूप पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, और जो कि इसके वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ जोखिम को अनुकूलित या कम करने के लिए समान दृष्टिकोण की पहचान का आधार हैं।

क्र.स.	विषय वस्तु समस्या की पहचान	इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (ठ/ज)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का आधार	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ इंगित करें)
	मानव पूंजी विकास	जोखिम और अवसर	<b>अवसर:</b> ज्ञान उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, हमारी मानव पूंजी ताकत और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का एक प्रमुख स्रोत है। निरंतर कौशल विकास हमें अपनी नेतृत्व स्थिति को मजबूत करने और उद्योग के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा। <b>जोखिम:</b> वर्तमान प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और तेजी से बदलती विपणन स्थितियों में, प्रमुख प्रतिभा को बनाए रखना एक चुनौती है।	एलआईसी लगभग एक लाख कर्मचारियों वाला एक विशाल ट्रांस नेशनल संगठन है। आकार और भौगोलिक विस्तार के साथ-साथ कार्मिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए संगठन में निरंतर ऊर्ध्वाधर और पार्श्व आंदोलन होता रहता है। इन सभी कारकों के लिए आवश्यक है कि संगठन के भीतर कौशल विकास और ज्ञान के आधार को बढ़ाने की एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। महामारी की स्थिति ने संगठन को डिजिटल मोड के माध्यम से स्वयं सीखने की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसने भौतिक बुनियादी ढांचे और फैसिलिटीटर्स पर निर्भरता के बिना मानकीकृत सामग्री को सक्षम किया है और क्रोम/फ़ायरफ़ॉक्स वेब ब्राउज़र पर इंटरनेट/इंटरनेट पर कहीं भी, किसी भी समय उपलब्ध है। वर्तमान फोकस नए कार्य अनुभव के हिस्से के रूप में संचार और सहयोग को आसानी से उपलब्ध कराने पर रहा है। इसके अलावा, स्व-शिक्षा/स्व-कौशल के उद्देश्य से, कर्मचारियों के लिए एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, “एलआईसी ज्ञानपीठ” शुरू की गई थी।	उच्च कर्मचारी टर्नओवर से उत्पादकता में कमी हो सकती है, भर्ती लागत में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से वरिष्ठ स्तर पर भर्तियों से उत्पन्न हो सकती है और सामान्य रूप से कम कर्मचारी मनोबल हो सकता है।

### खंड बी : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न	झ1	झ2	झ3	झ4	झ5	झ6	झ7	झ8	झ9
<b>नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ</b>									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	ना	हां	हां

प्रकटीकरण प्रश्न	झ1	झ2	झ3	झ4	झ5	झ6	झ7	झ8	झ9
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	<a href="https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct">https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct</a> निगम की कुछ नीतियाँ सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध है।								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में रूपांतरित किया है। (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां / नहीं)	हमारे मूल्य श्रृंखला भागीदार सुरक्षा और स्वस्थ वातावरण, बाल श्रम और जबरन श्रम पर रोक, गैर-भेदभाव, रोजगार की स्थिति, मजदूरी के प्रावधान और काम के घंटों से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अनुबंधित रूप से बाध्य हैं।								
4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम (उदाहरण के लिए वन प्रबंधन परिषद, निष्पक्ष व्यापार, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टी) आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए मानक (ई जी एसए 8000, ओएचएसएस, आईएसओ, बीआईएस) और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए।	ईआरएम हेतु आईएसओ 31000 व बीसीपी हेतु आईएसओ 22301								
5. विशिष्ट समय-सीमा के साथ संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, गोल और लक्ष्य, यदि कोई हों।	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, गोल्स और लक्ष्यों के प्रति संस्था का निष्पादन, उन कारणों के साथ जिनसे वे पूरे नहीं होते हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण</b>									
7. व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा विवरण, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों को उजागर करना (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण की नियुक्ति के संबंध में लचीलापन है)	व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के संबंध में और निगम के ईएसजी मुद्दों की पहचान और प्रबंधन करने की समग्र जिम्मेदारी बोर्ड की है								
8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (ओं) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	नाम: श्री सिद्धार्थ मोहंती पूर्णकालिक अध्यक्ष डीआईएन :08058830								
9. क्या संस्था के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।	हां निगम के अभिशासन और स्थिरताके आचरण की समग्र जिम्मेदारी बोर्ड की है, बोर्ड की कई समितियां लेखा परीक्षा समिति, कार्यकारी समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और पॉलिसीधारक संरक्षण समिति 'इसजी' मुद्दों की पहचान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।								
<b>10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:</b>									
उपरोक्त नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	-								
बताएं कि क्या समीक्षा निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी	-								
आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	-								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार									

प्रकटीकरण प्रश्न	झ1	झ2	झ3	झ4	झ5	झ6	झ7	झ8	झ9
11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/निर्धारण किया है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	निगम की सभी नीतियों का मूल्यांकन आंतरिक रूप से किया जाता है								

12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर नहीं है, अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो बताए जाने वाले कारण:

प्रश्न	झ1	झ2	झ3	झ4	झ5	झ6	झ7	झ8	झ9
संस्था अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों की सामग्री पर विचार नहीं करती है (हां/नहीं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/ नहीं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### खंड सी : सिद्धांत के अनुसार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में तथा उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को आवश्यक और नेतृत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक संस्था द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1 व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाब देह तरीके से संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।

#### आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	4	एक जीवन बीमा कंपनी में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम निदेशकों का विकास कार्यक्रम	88.89%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	9	नैतिकता और शासन पर सत्र, धोखाधड़ी का पता लगाना, जीवन बीमा कंपनी में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी, एलआईसी अधिकारियों के लिए आईएनडी-एस पर प्रशिक्षण सत्र, नामित निदेशकों के लिए मास्टर क्लास, द ग्रेट इंडियन बोर्ड रीबूट, बीमांकिक सेमिनार और सम्मेलन, दक्षिण एशियाई बीमांकिक सम्मेलन, कोलंबो, श्रीलंका, बीमा संबंधी मामले और पुनर्बीमा	50%

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
बीओडी और केएमपी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी	4,175	नेतृत्व विकास, सामरिक कौशल, प्रबंधकीय इनपुट, वित्तीय इनपुट, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक/उद्योग प्रथाएं, प्रबंधकीय, तकनीकी (आईटी/डिजिटल संबंधित), ग्राहक केंद्रित, प्रेरण प्रशिक्षण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारियों/ लिपिकीय और विभागीय/शाखा पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कार्यात्मक प्रशिक्षण	89%
श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

\*उपर्युक्त दी गई जानकारी केवल स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित है।

प्रशिक्षण गतिविधियाँ इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों और बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से की जाती हैं।

क्र.स.	कार्यालय	प्रशिक्षण का प्रकार	चालू वित्त वर्ष 23-24		गत वित्त वर्ष 22-23	
			कवर किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या	कवर किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल कर्मचारियों की संख्या
1		फायर ड्रिल	39,791	98,661	39,843	98,463
2		कर्मचारियों को दिया गया अन्य कोई प्रशिक्षण (मा.स.वि. द्वारा नामित किए गए के अलावा)	1,392	-	1,173	-
		<b>कुल</b>	<b>41,183</b>	<b>98,661</b>	<b>41,016</b>	<b>98,463</b>

#### इन-हाउस प्रशिक्षण:

एलआईसी के अपने कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर इन- हाउस प्रशिक्षणकेंद्र हैं। एमडीसी और क्षे.प्र.के. प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और छात्रावास के कमरे, प्रशिक्षणकक्षाओं, सभागार, कंप्यूटरकक्ष, एलसीडी सुविधा, खेल और मनोरंजन सुविधाओं, योग सत्र आदि जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। फील्डफोर्स, प्रशासनिक कर्मचारियों, मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एलआईसी के निम्नलिखित आंतरिक प्रशिक्षण केंद्र हैं :

- प्रबंधन विकास केंद्र (एमडीसी) निगम का शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र है।
- प्रत्येक क्षेत्र (कुल 08 क्षेत्र) में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (क्षे.प्र.के.) है।
- 113 मंडलों के पास कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र (क.प्र.के.)/कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र (कं.प्र.के.) हैं।

#### बाहरी प्रशिक्षण:

नए दृष्टिकोण और नवीन दृष्टिकोण प्रदान करने, उद्योग विशेषज्ञों से विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल करने और चीजों को विभिन्न कोणों से देखने के लिए, हमारे अधिकारियों को प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर, लखनऊ, रायपुर और काशीपुर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज, मुंबई, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, कॉलेज ऑफ इश्योरेंस, मुंबई, सीएसआई, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आदि के माध्यम से प्रासंगिक विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया जाता है।

प्रशासनिक कर्मचारियों/ प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सांख्यिकी इस प्रकार है :

प्रशिक्षण संस्थान	प्रशिक्षित की संख्या	
	2022-23	2023-24
आंतरिक प्रशिक्षण	1,01,865	94,179
बाहरी प्रशिक्षण	5,821	6,407
*प्रशिक्षित कुल प्रशासनिक कर्मचारी	1,07,686	1,00,586
नामांकन अनुपात में उपस्थिति	95.31%	96.28%

\*कुछ कर्मचारियों ने उसी वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान विभिन्न विषयों को कवर करने वाले अन्य प्रशिक्षणों में भाग लिया है।

#### अल्पावधि वेबिनार:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बड़ी संख्या में कर्मचारियों और फील्ड फोर्स को कवर करने के उद्देश्य से, ईआरएम, सीआरएम दावे, वित्तीय जैसे विभिन्न विषयों पर कॉलेज ऑफ इंडियोरेंस और इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों जैसे संस्थानों के माध्यम से विभिन्न छोटी अवधि के वेबिनार आयोजित किए गए थे। बाजार और यूलिप, वार्षिकी, आनंद, वर्ष के दौरान लॉन्च किए गए नए उत्पाद, एलआईसी के नॉन पार उत्पादों की स्थिति, ई-एनएसीएच, नैतिकता और शासन, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग आदि। इसमें लगभग 1,06,377 कर्मचारी व फील्ड फोर्स को कवर किया गया। यह वेबिनार बहुत उपयोगी थे और कर्मचारियों और फील्ड फोर्स द्वारा इन्हें खूब सराहा गया।

#### एलआईसी ज्ञानपीठ-स्व:शिक्षण प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल:

- स्व-शिक्षण/स्व-कौशल शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य से 'एलआईसी ज्ञानपीठ' को वर्ष 2020 में पेश किया गया था। इसने भौतिक बुनियादी ढांचे और सुविधाकर्ताओं पर निर्भरता के बिना मानकीकृत सामग्री को सक्षम किया है और कर्मचारियों के लिए क्रोम/फ़ायरफ़ॉक्स वेब ब्राउज़र पर इंटरनेट/इंटरनेट पर कहीं भी उपलब्ध है।
- स्व-शिक्षण पोर्टल 'एलआईसी ज्ञानपीठ' को पोर्टल के उन्नयन के लिए निरंतर, निरंतर प्रयासों और गतिविधियों के साथ कार्यात्मक पहलुओं पर निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 31.03.2024 तक इसमें 6,381 एमसीक्यू के साथ 14 मुख्य मॉड्यूल और 134 उप मॉड्यूल शामिल हैं।

'एलआईसी ज्ञानपीठ' के आंकड़े इस प्रकार हैं:

व्यौरा	दिनांक 31.03.2023 तक	वित्त वर्ष 23-24 के दौरान	दिनांक 31.03.2024 तक
जारी किए गए मुख्य मॉड्यूल प्रमाणपत्रों की संख्या	1,36,507	26,090	1,62,597
जारी किए गए सब मॉड्यूल प्रमाणपत्रों की संख्या	12,51,006	2,22,041	14,73,047
जारी किए गए प्रमाणपत्रों की कुल संख्या	13,87,513	2,48,131	16,35,644

'एलआईसी ज्ञानपीठ' को कर्मचारियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। लगभग 64,590 (65.99%) कर्मचारियों ने कुल 16,35,644 एलआईसी ज्ञानपीठ प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों / केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/शास्ति/न्यायिक दंड /कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में (नोट: संस्था सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार अहमियत के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट के.का. विभागों द्वारा प्रदान की गई और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर दंड की जानकारी इस प्रकार है:

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसी/न्यायिक संस्थान का नाम	राशि (₹ में)	केस की संछिप्त जानकारी	क्या अपील को वरीयता दी गयी है। (हाँ/ना)
दंड/ जुर्माना	कोई नहीं	राजस्व प्राधिकारी जैसे आईटी, जीएसटी आदि	529.54 करोड़	आयकर, इनपुट कर क्रेडिट की विवेचना/गणना में असमानता	हाँ सभी केस में
निपटारा	कोई नहीं	राजस्व प्राधिकारी जैसे आईटी, जीएसटी आदि	76.19 करोड़	आयकर, इनपुट कर क्रेडिट की विवेचना/गणना में असमानता	कोई नहीं
कमपाउन्डिंग शुल्क	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसी/न्यायिक संस्थान का नाम	राशि (₹ में)	क्या अपील को वरीयता दी गयी है। (हाँ/ना)	केस की संछिप्त जानकारी
सजा	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	
जुर्माना	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में से, उन मामलों में अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

केस विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसी/न्यायिक संस्थान का नाम
आयकर, इनपुट कर क्रेडिट की विवेचना/गणना में असमानता	हाँ सभी केस में

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्त विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लंक प्रदान करें।

निगम एक रिश्त विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति रखता है निगम के पास एक व्हिसिल ब्लोअर नीति है। इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 32 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य को मामूली मूल्य से अधिक के उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। रिश्त विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति के लिए लिंक नीचे दिया गया है:

(<https://licindia.in/documents/d/guest/anti-bribery-and-anti-corruption-policy-1->)

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मियों की संख्या जिनके खिलाफ किसी कानून प्रवर्तन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (गत वित्तीय वर्ष)
निदेशक	कोई नहीं	कोई नहीं
केएमपी	कोई नहीं	कोई नहीं
कर्मचारी	कोई नहीं	कोई नहीं

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)		वित्त वर्ष 2022-23 (गत वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणियाँ	संख्या	टिप्पणियाँ
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/जुर्माना/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कोई नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों की दिनों की संख्या ((देय खाते \*365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (गत वित्तीय वर्ष)
देय खातों के दिनों की संख्या	11.85	5.07

9. बाजार का खुला-पन

निम्नलिखित प्रारूप में व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता के साथ-साथ ऋण और अग्रिम और निवेश का विवरण प्रदान करें:

द्वितीयक बाजार में स्टॉक एक्सचेंज शामिल होते हैं जो निवेशकों को प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए मंच प्रदान करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म केवल ब्रोकर के माध्यम से ही पहुंच योग्य हैं और प्रतिभूतियों का व्यापार केवल स्टॉक एक्सचेंजों तक ही सीमित है। इसलिए एलआईसी केवल ब्रोकरों के माध्यम से द्वितीयक बाजार व्यापार करता है।

विवरण निम्न है :-

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (गत वित्तीय वर्ष)
खरीदारी का संकेन्द्रण	क. ट्रेडिंग से खरीदारी कुल खरीद के % के रूप में ब्रोकर	100% द्वितीयक बाजार व्यापार	100% द्वितीयक बाजार व्यापार
	ख. ट्रेडिंग ब्रोकर्स की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	143	144
	सी. ट्रेडिंग हाउसों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 ट्रेडिंग ब्रोकर्स से खरीद	9.13%	9.06%
बिक्री का संकेन्द्रण	क. कुल बिक्री में से ब्रोकरों को बिक्री का प्रतिशत	100% द्वितीयक बाजार व्यापार	100% द्वितीयक बाजार व्यापार
	ख. उन ब्रोकरों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	143	144
	सी. ब्रोकरों को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 ब्रोकरों को बिक्री	9.52%	9.52%

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (गत वित्तीय वर्ष)
आरपीटी का हिस्सा	क. सहायक विभाग द्वारा खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	IDBI बैंक से शगुन कार्ड की खरीद- 1356.82* पूंजी की खरीद- एलआईसी एचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड- 1558.76** एलआईसीएमएफ की इकाइयों की खरीद- 1720000** आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं की खरीद- 2474.62** निफ्टी मिडकैप ईटीएफ- 50000 इक्रिटी पूंजी की सदस्यता 2499.33**	उद्यम पूंजी निधि की खरीद- 1783.53** एलआईसी एमएफ की इकाइयों की खरीद- 885409**
	निवेश विभाग द्वारा क्रय (संबंधित पक्षों के साथ क्रय / कुल क्रय)	0.88%	0.96%
	ख. सहायक विभाग द्वारा बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री)	शहरी विकास निधि की इकाइयों की बिक्री- 236.16** एलआईसीएचएफएल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एआईएफ ख की इकाइयों की बिक्री- 1658.22** एलआईसी एमएफ एएम की इकाइयों की बिक्री 1718068.64**	वेंचर कैपिटल फंड की बिक्री- 219.03** एलआईसी एमएफ की इकाइयों की बिक्री- 1012661.24**
	निवेश विभाग द्वारा बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री)	1.12%	1.09%
	ग. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)	लागू नहीं	लागू नहीं
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों को निवेश / कुल निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं

## नेतृत्व संकेतक

- वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
3800	बैंकायोरेंस विभाग द्वारा मूल्य श्रृंखला भागीदारों को उत्पाद प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, पीएंडजीएस विभाग मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आवश्यकताओं के अनुसार नियमित कार्यक्रम आयोजित करता है।	21%
1	सहायक विभाग द्वारा समूह संस्थाओं के साथ आरपीटी की पहचान/आरपीटी का समाधान	90%

- बोर्ड सदस्यों के हितों के टकराव की स्थिति से बचने हेतुसंस्थानद्वारा क्या कोई प्रक्रिया अपनाई गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें
  - हां, हितों का प्रकटीकरण और साथ ही निदेशकों की स्वतंत्रता पर घोषणा नियमित रूप से निदेशकों से प्राप्त की जा रही है और बोर्ड को प्रस्तुत की जा रही है। हितों के टकराव से बचने के लिए, निदेशक किसी भी एजेंडा आइटम में भाग लेने से खुद को अलग कर लेते हैं, जहां भी उन्हें रुचि दिखाई देती है, बैठक में चर्चा की जा रही है।

सिद्धांत 2 व्यवसाय को ऐसे तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों।

## आवश्यक संकेतक

- संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में शोध एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत

हमारा प्राथमिक ध्यान हमारी जीवन बीमा सेवाओं से संबंधित तकनीकी बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर विकास और डिजिटल समाधानों पर है। हमारा अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए साइबर-सुरक्षा उपायों, डिजिटल नवाचारों और तकनीकी संवर्द्धन जैसी प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों के साथ-साथ पूरे संगठन में कागज के उपयोग को कम करने के लिए कई पहलों को शुरू करने में सहायता के लिए निर्देशित है।

- क. क्या स्थायी सोर्सिंग के लिए संस्था के पास प्रक्रियाएं हैं?

ख. यदि हाँ तो कितने प्रतिशत इनपुट को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया था?

➤ हाँ।

बीमा उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के हिस्से के रूप में, हमारा परिचालन मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर विकास और डिजिटल समाधानों के इर्द-गिर्द घूमता है। हालांकि हमारी प्रक्रियाएँ सीधे तौर पर पारंपरिक विनिर्माण या उत्पाद-उन्मुख निकाय को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती हैं, हम उन दिशानिर्देशों और प्रथाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं जो प्रौद्योगिकी-संबंधित इनपुट के नैतिक और टिकाऊ सोर्सिंग को बढ़ावा देते हैं।

हमारे परिचालन की प्रकृति को देखते हुए, स्थायी सोर्सिंग और पहचान प्रतिशत के पारंपरिक उपाय सीधे लागू नहीं हो सकते हैं। हालांकि, हम सभी पहलुओं में स्थिरता बढ़ाने के लिए व्यापक संगठनात्मक पहल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं

- उपयोगिता के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क)प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट। (वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के बाद आईटीबीपीआर का जवाब दिया जाएगा)

चूंकि निगम बीमा व्यवसाय में है, इसलिए पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग की सीमित गुंजाइश है। हालांकि, हमारे कार्यालयों को ई-अपशिष्ट को रीसायकल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जैसे कि सर्वर, कंप्यूटर, कार्ट्रिज, रिबन प्राथमिक ई-अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं और अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं। जो सभी स्थानों से डिस्मेंटलिंग/डिगॉसिंग के बाद हार्डवेयर उठाता है, उसे सरकार द्वारा अधिकृत ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग विक्रेता से री-साइक्लिंग प्रमाणपत्र भी प्राप्त होता है। सुरक्षित निपटान के लिए ई-कचरे और बिजली के कचरे के संग्रह और निपटान के लिए योगक्षेम भवन परिसर में संग्रह बक्से रखे गए हैं।

निगम ने हमारे कार्यालयों में कागजों के उपयोग को कम करने के लिए उन कार्यों का डिजिटलीकरण करके नई पहल की है, इस प्रकार कागज के उपयोग को कम किया गया है।

कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक फोल्डर/ बोटलों का उपयोग कम से कम करना, ज प्लास्टिक फोल्डर को पेपर फोल्डर से बदलना, पौधों के लिए प्लास्टिक के बर्तनों को मिट्टी के बर्तनों से बदलना, रिफिल खत्म होने के बाद कुछ कार्यालय के सभी विभागों में पेपर पेन की आपूर्ति, बीज वाले इन कलमों को फूल और सब्जी देने वाले पौधों को उगाने के लिए लगाया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए डिस्पोजेबल कप को स्टेनलेस स्टील कॉफी/चाय के मग से बदलना।

जिन हार्डवेयर वस्तुओं की जीवन अवधि समाप्त हो जाती है उन्हें बायबैक के तहत हार्डवेयर आपूर्ति विक्रेता को दे दिया जाता है। विक्रेता, बदले में, एक ई-कचरा निपटान विक्रेता नियुक्त करता है जो निराकरण/डीगॉसिंग के बाद सभी स्थानों से हार्डवेयर उठाता है और संबंधित एलआईसी कार्यालय को फॉर्म -2 में एक प्रमाण पत्र देता है। हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 116 मीट्रिक टन ई-कचरा और 2022-23 में 337 मीट्रिक टन ई-कचरा का निपटान किया है।

- 4 क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां / नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) निगम की गतिविधियों पर लागू नहीं है।

#### नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

लागू नहीं

2. यदि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाने गए आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, संक्षेप में इसका वर्णन करें और साथ ही इसे कम करने के लिए की गई कार्रवाई का भी उल्लेख करें।

लागू नहीं

3. उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) के लिए पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

लागू नहीं

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग की गई, पुनर्नवीनीकरण की गई और सुरक्षित रूप से निपटाई गई:

लागू नहीं

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः दावा किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

लागू नहीं



2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्तमान वित्तीय वर्ष			विगत वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों में से शामिल किए गए कर्मचारियों का %	कुल श्रमिकों में से शामिल किए गए श्रमिकों का %	कटौती के बाद प्राधिकरण के पास जमा (हां/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों में से शामिल किए गए कर्मचारियों का %	कुल श्रमिकों में से शामिल किए गए श्रमिकों का %	कटौती के बाद प्राधिकरण के पास जमा (हां/नहीं/लागू नहीं)
भ.नि. (पीएफ)**	69.44%	निगम में कोई भी श्रमिक नहीं हैं।	निगम का अपना भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य निधि नियम संख्या 1 है तथा इसका प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है।	75.31%	-	निगम का अपना भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य निधि नियम संख्या 1 है तथा इसका प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है।
उपदान	100%		निगम के पास एक समूह ग्रेच्युटी नीति है और इसका प्रबंधन निगम के पी एंड जीएस विभाग द्वारा किया जाता है।	100%	-	निगम के पास एक समूह ग्रेच्युटी नीति है और इसका प्रबंधन निगम के पी एंड जीएस विभाग द्वारा किया जाता है।
ईएसआई	लागू नहीं		लागू नहीं			लागू नहीं
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें#)	100%		सभी योजनाओं का प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है। प्रबंधन के पास न्यू इंडिया इश्योरेंस की ओर से ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी है।	100%	-	सभी योजनाओं का प्रबंधन निगम द्वारा किया जाता है। प्रबंधन के पास न्यू इंडिया इश्योरेंस की ओर से ग्रुप मेडिकलेम पॉलिसी है।

(#)निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी / अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद के विभिन्न लाभों के हकदार हैं, जिसमें विशेषाधिकार छुट्टी का नकदीकरण, समूह बीमा योजना, समूह मेडिकलेम योजना, सामूहिक बचत से जुड़ी बीमा योजना का संचय, पेंशन लाभ शामिल हैं, जिन्होंने इसका विकल्प चुना है।

(\*)01.04.2010 को या उसके बाद निगम की सेवाओं में नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होते हैं और एलआईसी ऑफ इंडिया भविष्य निधि नियम संख्या 1 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

3. कार्यस्थलों की सुगमता

क्या दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, क्या संस्था के परिसर/कार्यालय अलग-अलग सक्षम कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है?

हमारे क्षेत्रीय और मंडल कार्यालयों में दिव्यांगजन व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप रैंप, ग्रेब रेल इत्यादि जैसी विशेष सुविधाएं हैं, हमारे कार्यालयों में रैंप स्थापित किए गए हैं। स्वच्छता पखवाड़ा 2.0 के तहत वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार मुंबई में हमारे केंद्रीय कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए शौचालय के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

निगम ने दिव्यांगजन लोगों के अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार समान अवसर नीति तैयार की है। निगम के सभी कार्यालयों को यह सलाह दी गई है कि बाधा मुक्त पहुंच और दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए अन्य प्रावधान किए जाएं।

4. क्या दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, निगम ने दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और नियमों के अनुसार समान अवसर नीति अपनाई है जो कि दिव्यांगजन व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध एक ढांचा प्रदान करता है। समान अवसर नीति का लिंक इस प्रकार है:

लिंक: <https://licindia.in/Equal-Opportunity-Policy>

5. अभिभावकीय अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों की कार्य वापसी दर व प्रतिधारण दर :

विवरण	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
	कार्य वापसी दर	प्रतिधारण दर	कार्य वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	
महिला	100%	100%		
कुल	100%	100%		

नोट: निगम में कर्मचारियों की कोई भी श्रेणी 'श्रमिक' के रूप में इंगित नहीं हैं।

6. क्या कर्मचारियों और श्रमिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

श्रेणी	हां / नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं
गैर स्थायी श्रमिक	
स्थायी कर्मचारी	कर्मचारी शिकायत निवारण पोर्टल ई-समाधान लागू है। शिकायतों को कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जाता है। अगले उच्च अधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। शिकायत निवारण की समय-सीमा 90 दिन है। केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियां भी हैं जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निपटारा करती हैं।
गैर स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं

नोट: निगम में कर्मचारियों की कोई भी श्रेणी 'श्रमिक' के रूप में इंगित नहीं हैं।

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (संघों) या यूनियनों में कर्मचारियों और कर्मों की सदस्यता:

लागू नहीं निगम किसी संघ को मान्यता नहीं देता है।

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2022-23 विगत वित्तीय वर्ष		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं	% (ख/क) लागू नहीं	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन या यूनियन का हिस्सा हैं	% (घ/ग) लागू नहीं
	क	ख	% (ख/क)	ग	घ	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	98,661	निगम किसी भी संघ को मान्यता नहीं देता है।	लागू नहीं	98,463	निगम किसी भी संघ को मान्यता नहीं देता है।	लागू नहीं
- पुरुष	75,411	इसलिए डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है।		75,306	इसलिए डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है।	
- महिला	23,250			23,157		
कुल स्थायी श्रमिक						
- पुरुष						
- महिला						
			लागू नहीं			

नोट: निगम में कर्मचारियों की कोई भी श्रेणी 'श्रमिक' के रूप में इंगित नहीं हैं।

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष				वित्तीय वर्ष 2022-23 विगत वित्तीय वर्ष					
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/ क)	संख्या (ग)	% (ग/ क)		संख्या (च)	% (च/घ)	संख्या (छ)	% (छ/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	75,411	*	*	66,362	88.00%	78,898	*	*	78,898	100
महिला	23,250	*	*	21,012	90.37%	28,788	*	*	28,788	100
कुल	98,661	*	*	87,374	88.55%	1,07,686	*	*	1,07,686	100
श्रमिक**										
पुरुष										
महिला										
कुल										

\*अभिलेख यह सुनिश्चित किया गया कि हमारे सभी इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'योग और स्वास्थ्य' सत्र शामिल किए जाएं।

49 ऑनलाइन 'स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए योग' सत्र आयोजित किए गए, जिनमें भारत भर में हमारे कार्यालयों के लगभग 4900 अधिकारियों ने भाग लिया।

सभी 113 मंडल कार्यालयों द्वारा एक दिवसीय कर्मचारी सहभागिता कार्यक्रम (ईईपी) का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यालयों (केंद्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मंडल कार्यालय और शाखा कार्यालय) के रिकॉर्ड क्लर्क से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक के कर्मचारी शामिल हुए। इन संवर्गों के हमारे 93.12% कर्मचारियों ने कर्मचारी सहभागिता कार्यक्रम में भाग लिया। ईईपी के दौरान 'स्वास्थ्य और सुरक्षा - कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) और कार्य जीवन संतुलन' पर सत्र आयोजित किए गए।

\*\*निगम में कर्मचारियों की कोई भी श्रेणी 'श्रमिक' के रूप में इंगित नहीं हैं।

9. कर्मचारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2022-23 विगत वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
पुरुष	75,411	75,411	100	75,306	75,306	100
महिला	23,250	23,250	100	23,157	23,157	100
कुल	98,661	98,661	100	98,463	98,463	100

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/ना) यदि हाँ, प्रणाली का विवरण दें।

कर्मचारियों और निगम की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगम के कड़े दिशानिर्देश हैं। इसमें अग्नि सुरक्षा के लिए नीति, अग्नि सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें अग्निशमन उपकरणों से संबंधित नियम शामिल हैं, अग्निशमन अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, हमारे सभी कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा समितियों का गठन, बिजली और अग्नि सुरक्षा मानकों पर आवधिक जांच आदि कहीं भी आयोजित की जाती हैं। आवश्यक है, कोर विभागों पर भी प्रतिबंधात्मक पहुंच शुरू की गई है। कर्मचारियों को समूह बीमा, समूह सावधि बीमा और 24 घंटे समूह व्यक्तिगत दुर्घटना नीति के तहत भी कवर किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा कर्मचारियों को समूह मेडिकलेम योजना के तहत कवर किया जाता है, जहां कर्मचारियों और उनके परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर कवर किया जाता है, जिसमें उनके और उनके परिवार के लिए अतिरिक्त कवर लेने का विकल्प होता है। निवारक स्वास्थ्य जांच योजना और उच्च लागत उपचार के मामले में चिकित्सा व्यय की अनुग्रह प्रतिपूर्ति की योजना भी कर्मचारियों के लिए अन्य लाभ हैं।

- ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं? **लागू नहीं**
- ग. क्या आपके पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए श्रमिकों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हाँ/नहीं) **लागू नहीं**
- घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हाँ/नहीं) **लागू नहीं**

#### 11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
		वर्तमान वित्तीय वर्ष	विगत वित्तीय वर्ष
विगत समय चोट लगने की आवृत्ति दर (इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट) (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख- व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
मरने वालों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं

#### 12. एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

निगम ने कार्यालय परिसर और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड और चौकीदार नियुक्त किए हैं। हमारे केंद्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर बैगेज स्कैनर लगाए गए हैं।

कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और केंद्रीय कार्यालय के कुछ विभागों में प्रवेश को सीमित करने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रत्येक कार्यालय में अग्नि सुरक्षा समिति का गठन किया गया है और सदस्यों को अग्नि सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। निकासी ड्रिल आयोजित की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

निगम का प्रत्येक कर्मचारी त्रैमासिक एंबिएंस पोल में अपनी रेटिंग देता है, जहां रेटिंग कार्यालयों में स्वच्छता के विभिन्न मापदंडों पर आधारित होती है। सभी कार्यालयों को सप्ताह में दो बार सैनिटाइज किया जाता है और कार्यालयों में हैंड्स फ्री सैनिटाइजर लगाए जाते हैं।

सुरक्षित और स्वच्छ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए नियमित कीट नियंत्रण सेवाएं, कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों की सफाई, स्क्रेप का निपटान, खाली स्थानों की पहचान और उचित उपयोग, पौधे लगाना, वर्षा जल संचयन, दिव्यांगों के लिए रैंप और रेलिंग की स्थापना, सौर पैनलों की स्थापना आदि गतिविधियां की जा रही हैं।

आज की तारीख में हमारे अधिकांश कार्यालय एलईडी बल्बों का उपयोग कर रहे हैं।

हमने अपने सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध प्रचलित नीति के बारे में जागरूक किया है तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र और प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्तमान वित्तीय वर्ष			विगत वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	अभ्युक्तियाँ	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	अभ्युक्तियाँ
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट: निगम में कर्मचारियों की कोई भी श्रेणी 'श्रमिक' के रूप में इंगित नहीं है।

14. सम्पूर्ण वर्ष का मूल्यांकन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (किसी इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	शून्य
काम करने की स्थिति	शून्य

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज देती है। हां निगम किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को सहायता के रूप में निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है।

1. समूह बीमा-2004 यदि चयन किया गया है।
2. समूह सावधि बीमा जो परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जाता है। यह विशेष रूप से पेंशन के संराशीकरण के नुकसान की रक्षा के लिए प्रदान किया जाता है, अगर कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक निगम की सेवाओं में जारी रहता है।
3. समूह बचत योजित बीमा का जोखिम एवं बचत भाग
4. दुर्घटना के कारण कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में 24 घंटे का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना कवर

इसके अलावा मृत कर्मचारी के परिवार को निम्नलिखित सावधि देय राशियों का भुगतान किया जाता है :

1. कर्मचारी ने लगातार पांच साल की सेवा पूरी नहीं की हो तब भी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, ग्रेच्युटी की गणना एलआईसी ऑफ इंडिया (स्टाफ) नियम, 1960 व ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 में से जो भी अधिक हो के अनुसार की जाती है और, मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जाता है। पीएल नकदीकरण के एवज में एकमुश्त भुगतान भी किया जाता है।
2. यदि मृत कर्मचारी एक अधिकारी था तो परिवार को अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाता है।
3. पारिवारिक पेंशन (यदि मृतक कर्मचारी ने पेंशन का विकल्प चुना था)
4. भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान
5. भविष्य निधि के लिए निगम अंशदान (केवल पीएफ चुनने वाले कर्मचारियों के लिए)

अनुकम्पा के आधार पर मृतक कर्मचारी के पति/पत्नी या आयु योग्य बच्चे को भी रोजगार का अवसर दिया जाता है।

2. संस्था द्वारा किए गए उपाय बताएं जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों (वैल्यू चैन पार्टनर) द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है।

निगम यह सुनिश्चित करता है कि निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लेन-देन पर लागू करों की कटौती और जमा मौजूदा नियमों के अनुसार किया जाए। इस गतिविधि की समीक्षा आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में भी की जाती है। निगम अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों से अपेक्षा करता है कि वे व्यावसायिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों और पारदर्शिता और जवाबदेही के मूल्यों को बनाए रखें।

3. उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या प्रदान करें, जिन्हें काम से संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की ट11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया:

शून्य

4. क्या संस्था निरन्तर रोजगार योग्यता को सुगम बनाने तथा सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? हाँ/ना हां

सभी कर्मचारियों को निगम में अपने पूरे करियर के दौरान निरंतर सीखने के लिए इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्रों और बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण मंच प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वे अपने प्रबंधकीय, कार्यात्मक और व्यवहारिक कौशल में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। इस तरह के निरंतर प्रशिक्षण कर्मचारियों को कौशल बढ़ाने और उनके कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। निगम के पास एक स्व-शिक्षण और स्व-मूल्यांकन पोर्टल “ज्ञानपीठ” भी है, जो निगम के विभिन्न कार्यों और नियमों/विनियमों को कवर करने वाली सामग्री प्रदान करता है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों (वैल्यू चैन पार्टनर) के आकलनों का विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य द्वारा) का% जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	अनुबंध/समझौते में सरकार/अन्य वैधानिक एजेंसियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप शर्तें रखी जाती हैं और यह निहित होता है कि वे औसत से बेहतर कार्य स्थितियों के साथ लागू वैधानिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं का पालन कर रहे हैं।
काम करने की स्थिति	अनुबंध/समझौते में सरकार/अन्य वैधानिक एजेंसियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप शर्तें बनाई जाती हैं और यह निहित होता है कि वे लागू वैधानिक कार्य शर्तों का पालन कर रहे हैं।

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के (वैल्यू चैन पार्टनर) स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थिति के मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

जीवन बीमा के हमारे व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, हमारे जोखिम और अवसर मानव पूंजी, जिम्मेदारी भरा निवेश, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा, वित्त तक पहुंच, उभरते जोखिम और शासन के इर्द-गिर्द घूमते हैं। तदनुसार, हमारे प्रमुख हितधारकों को आंतरिक हितधारकों और बाहरी हितधारकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंतरिक हितधारकों की पहचान हमारे कर्मचारियों के रूप में की जा सकती है जबकि बाहरी हितधारक वे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यवसाय में योगदान करते हैं। तदनुसार हमारे मुख्य हितधारक हैं:

- निवेशक व शेयरधारक
- ग्राहक
- कर्मचारी
- सरकारी व नियामक संस्थाएं

- व्यवसाय हिस्सेदार (सीए/ब्रोकर/आईएमएफ़/सीएससी)
- वितरण माध्यम
- विभिन्न समुदायिक एवं गैर सरकारी संगठन

2. अपनी संस्था के लिए मुख्य के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ संलग्नता की आवृत्ति की सूची बनाएं।

हितधारक समूह	क्या सुभेद्य और अधिकारहीन समूह के रूपमें इसकी पहचान हुई है	संचार के चैनल (ई मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	संलग्नता की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह की संलग्नता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा।
समुदाय	नहीं	समाचार पत्र, विज्ञापन आदि	नियमित रूप से	बीमा के बारे में जागरूकता
निवेशक व शेयरधारक	नहीं	आवश्यकता के अनुसार: ईमेल, वार्षिक आम बैठक, तिमाही परिणाम, स्टॉक एक्सचेंजों में फाइलिंग, प्रेस विज्ञापि।	त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परिणाम और वार्षिक आम बैठक। स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कॉर्पोरेट घोषणाओं की फाइलिंग।	निगम की रणनीति पर अद्यतन प्रदान करना, विभिन्न नियामक तंत्र के माध्यम से शिकायतों का निवारण।
कर्मचारी	नहीं	सीधा संपर्क, ई-मेल, प्रतिदिन संपर्क, एसएमएस, कॉल, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड	नियमित रूप से	सूचना साझा करना, तथा प्रश्नों का समाधान करना।
ग्राहक	नहीं	सीधा संपर्क, ई-मेल, एसएमएस, विज्ञापन, वेबसाइट	लगातार और जब भी आवश्यक हो	नए ग्राहकों तक पहुँचने और मौजूदा ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने हेतु
व्यवसाय हिस्सेदार (सीए/ब्रोकर/आईएमएफ़/सीएससी)	नहीं	ई-मेल, एसएमएस, बैठकें व वेबसाइट के माध्यम से	लगातार और जब भी आवश्यक हो	मौजूदा व्यवसाय को सेवाएँ देना व आगे विस्तार की व्यापकता
सरकारी व नियामक संस्थाएँ	नहीं	ईमेल, व्यक्तिगत बैठकें, कॉल, वीडियो कॉल	जब और जब आवश्यक हो	विनियामक अनुपालन, निरीक्षण, और शिकायत मामलों के लिए
वितरण चैनल: प्रीमियम पॉइंट, अभिकर्ता, सीएलआए, सीओएस, डीएसएस, सीएलआईए/सीओ के तहत पर्यवेक्षित एजेंट	नहीं	संचार के कई चैनल-भौतिक व डिजिटल	लगातार और जब भी आवश्यक हो	मौजूदा ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करना व नए व्यवसाय लाना

नेतृत्व संकेतक

1. कमजोर/हाशिए के हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

- एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम करते हुए पारदर्शी और ईमानदार होने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजनाओं और छात्रवृत्ति के चयन का मानदंड पारदर्शी है। एलआईसी जीजेएफ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए परियोजनाओं का समर्थन करता है, जो इसके उद्देश्यों- गरीबी से राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और देश भर में आम सार्वजनिक उपयोगिता के किसी भी अन्य वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ जुड़ाव का तरीका परियोजना स्थल के पास स्थित एलआईसी मंडल कार्यालयों में सेवा प्रतिनिधियों के माध्यम से है।
- माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसियों के रूप में विशेष रूप से डिज़ाइन की गई योजनाएँ उपलब्ध हैं, भुगतान के सुविधाजनक तरीके, जिनमें प्रीमियम के साप्ताहिक भुगतान का तरीका भी शामिल है। हमारे माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसीधारकों को टाइड एजेंटों के अलावा एनजीओ के माध्यम से भी सेवा दी जाती है।

- माइक्रो इश्योरेंस पॉलिसियों के रूप में विशेष रूप से डिज़ाइन की गई योजनाएँ उपलब्ध हैं, भुगतान के सुविधाजनक तरीके, जिनमें प्रीमियम के साप्ताहिक भुगतान का तरीका भी शामिल है। हमारे माइक्रो इश्योरेंस पॉलिसीधारकों को टाइड एजेंटों के अलावा एनजीओ के माध्यम से भी सेवा दी जाती है

फाउंडेशन पारदर्शी और ईमानदार होने के लिए प्रतिबद्ध है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है। परियोजनाओं और छात्रवृत्ति के चयन के मानदंड पारदर्शी हैं। एलआईसी जीजेएफ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए परियोजनाओं का समर्थन करता है, जो इसके उद्देश्यों- गरीबी से राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और देश भर में सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी भी अन्य वस्तु के अनुरूप है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ जुड़ने का तरीका परियोजना स्थान के पास स्थित एलआईसी मंडल कार्यालयों में सेवा प्रतिनिधियों के माध्यम से है।

निगम की निवेशक संबंध टीम निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के साथ मिलकर काम करती है। विश्लेषकों की रिपोर्ट के मुख्य संकेतक और निवेशक सम्मेलन से प्राप्त फीडबैक निगम के बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

2. क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।

शेयरधारकों द्वारा उठाई गई शिकायतों और प्रश्नों तथा समाधान की स्थिति को बोर्ड की स्टैकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी के समक्ष रखा जाता है, जिसकी प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होती है, साथ ही प्रत्येक तिमाही के अंत में निगम के बोर्ड के समक्ष भी रखा जाता है। आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर उठाए गए प्रश्नों को, यदि कोई हो, चर्चा के लिए रखा जाता है।

3. छोटे हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ सहभागिता के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

- बोर्ड की पॉलिसीधारक संरक्षण समिति पॉलिसीधारकों के हितों से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करती है।

सिद्धांत 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित रूप में कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और इकाई की नीति (ओं) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्तमान वित्तीय वर्ष			विगत वित्तीय वर्ष		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
स्थायी	98,661	23,545	23.86%	98,463	98,463	100
गैर-स्थायी	6	0	0	3	0	0
<b>कुल कर्मचारी</b>	<b>98,667</b>	<b>23,545</b>	<b>23.86%</b>	<b>98,466</b>	<b>98,463</b>	<b>100</b>
श्रमिक**						
स्थायी	लागू नहीं					
गैर-स्थायी						
<b>कुल श्रमिक</b>						

\*\*निगम में कर्मचारियों की कोई भी श्रेणी 'श्रमिक' के रूप में इंगित नहीं हैं।

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्न प्रारूप में:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24					वित्तीय वर्ष 2022-23				
	वर्तमान वित्तीय वर्ष					विगत वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
संख्या (ख)		% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)	संख्या (च)		% (च/घ)	संख्या (छ)	% (छ/घ)	
कर्मचारी										
स्थायी	98,661	0	0	98,661	100	98,463	0	0	98,463	100
पुरुष	75,411	0	0	75,411	100	75,306	0	0	75,306	100
महिला	23,250	0	0	23,250	100	23,157	0	0	23,157	100
गैर-स्थायी	6	0	0	6	100	3	0	0	3	100
पुरुष	5	0	0	5	100	2	0	0	2	100
महिला	1	0	0	1	100	1	0	0	1	100
श्रमिक**										
स्थायी	लागू नहीं									
पुरुष										
महिला										
गैर-स्थायी										
पुरुष										
महिला										

\*\*निगम में कर्मचारियों की कोई भी श्रेणी 'श्रमिक' के रूप में इंगित नहीं हैं।

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

बोर्ड:-

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
<b>निदेशक मंडल (बीओडी)</b>				
(i) पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक)	5	भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसद के एक अधिनियम,	0	भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसद के एक अधिनियम,
(ii) सरकारी नामित निदेशक (गैर-कार्यकारी)	1	भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा की गई थी।	0	भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा की गई थी।
(iii) गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	8	मध्य पारिश्रमिक की अवधारणा निगम पर लागू नहीं होती है क्योंकि निगम कंपनी अधिनियम, 2013 (जहां तक लागू हो) के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं है।  इसके अलावा, निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकट किया जाता है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होता है।	1	मध्य पारिश्रमिक की अवधारणा निगम पर लागू नहीं होती है क्योंकि निगम कंपनी अधिनियम, 2013 (जहां तक लागू हो) के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं है।  इसके अलावा, निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकट किया जाता है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होता है।

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	8	मध्य पारिश्रमिक की अवधारणा निगम पर लागू नहीं होती है क्योंकि निगम कंपनी अधिनियम, 2013 (जहां तक लागू हो) के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं है।	1	मध्य पारिश्रमिक की अवधारणा निगम पर लागू नहीं होती है क्योंकि निगम कंपनी अधिनियम, 2013 (जहां तक लागू हो) के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं है।

4. क्या आपके पास व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? हां

कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) जो मानव संसाधन प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, किसी भी मानव अधिकार प्रभाव या व्यवसाय से संबंधित या योगदान देने वाले मुद्दों से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे की देखरेख और समाधान करेंगे।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

निगम ने शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र प्रणाली विकसित की है। इस उद्देश्य के लिए इंटरनेट साइट पर ई-समाधान नामक एक पोर्टल बनाया गया है, जहाँ कोई भी कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसे कर्मचारी शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन भेजा जाएगा। पोर्टल के माध्यम से अगले उच्च अधिकारी के पास अपील करने का भी प्रावधान है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार विभाग ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं तथा उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है। निगम की महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों के समान ही माना जाता है। निगम के सभी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति के नाम से एक समिति गठित की गई है।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्तमान वित्तीय वर्ष			विगत वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	14	2(*)		14	4	
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेतन	वेतन संरचना में समानता					
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(\*) इस रिपोर्ट की तारीख तक, दोनों लंबित शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	14	14
POSH पर महिला कर्मचारियों/श्रमिकों की शिकायतों का प्रतिशत	0.0006%	0.0006%
POSH पर शिकायतें बरकरार रखी गईं	शून्य	शून्य

**8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र**

➤ कार्यबल के लिए निगम की प्रतिबद्धता निम्न के प्रति है:

- भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें प्रगति में भागीदार बनाना,
- उनकी नौकरी से संतुष्टि और गर्व की भावना सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना,
- उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए सक्षम करने के लिए एक वातावरण और विकास के अवसर प्रदान करना;
- पेशेवर कौशल विकसित करने के लिए कदम उठाना ताकि वे अपने मूल्यांकनों को अधिक कुशलता से संभाल सकें।

निगम के कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 48 (2) (सीसी) के तहत उनके पास निहित शक्ति के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित हैं। कर्मचारी संबंधी नीतियां इन नियमों के आधार पर तैयार की जाती हैं जो भेदभाव रहित हैं और सभी व्यक्तियों को उनके लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, आयु, समुदाय, शारीरिक क्षमता या यौन अभिविन्यास के बावजूद समान अवसर प्रदान करती हैं। निगम एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, ताकि कर्मचारी बिना किसी भ्रम के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। निगम ने कार्यस्थल उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न से संबंधित कर्मचारियों की चिंताओं की जांच के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण प्रक्रिया स्थापित की है और एक आचार संहिता, कर्मचारी सेवा नियम और कार्यस्थल नीति पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम की स्थापना की है जो स्पष्ट रूप से कर्मचारी जिम्मेदारियों और स्वीकार्य कर्मचारी आचरण का वर्णन करती है।

**9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यापार समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)**

➤ हां (जहाँ आवश्यक हो)

**10. सम्पूर्ण वर्ष का मूल्यांकन**

\*निगम लागू कानून का अनुपालन करता है

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

**11. उपरोक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

➤ लागू नहीं

**नेतृत्व संकेतक**

**1. मानवाधिकार शिकायतों/परिवादों को संबोधित करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण:**

निगम का मानना है कि उसने अपने सभी कार्यों में मानवाधिकारों के मूल सिद्धांतों को बरकरार रखा है। यह उसके मानवाधिकार कथन के अनुरूप है। निगम नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों को आचार संहिता के बारे में जागरूक करता है।

कर्मचारियों को किसी भी पॉलिसी या प्रक्रिया में किसी उल्लंघन/बाधा के संबंध में किसी भी शिकायत को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, या किसी भी कार्य की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो निगम की आचार संहिता या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम सहित लागू अन्य पॉलिसियों के उल्लंघन में है जैसे रिश्ततखोरी रोधी और भ्रष्टाचार रोधी पॉलिसी, धन शोधन रोधी पॉलिसी, अंदरूनी व्यापार संहिता, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, धोखाधड़ी रोधी पॉलिसी, सूचना और साइबर सुरक्षा पॉलिसी या कार्यस्थल पर कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाली कोई अन्य पॉलिसी जिसे समय-समय पर या किसी भी समय परिभाषित किया जा सकता है या अन्य वैधानिक या नियामक कानून जो लागू हो सकते हैं।

निगम एक सुरक्षित और सकारात्मक कार्य वातावरण प्रदान करने का इच्छुक है। कर्मचारियों के पास विभिन्न चरणों में शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच होती है जहां वे कार्यस्थल पर सामने आने वाले मामलों या चिंताओं को उजागर कर सकते हैं। यह ई-समाधान नामक एक अच्छी तरह से स्थापित, मजबूत और आंतरिक रूप से विकसित शिकायत समाधान तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पॉलिसी, धोखाधड़ी-विरोधी पॉलिसी, धन-शोधन-रोधी पॉलिसी सहित, किसी भी नियम के उल्लंघन या किसी भी नियम के उल्लंघन, निगम की संहिता और आचरण या लागू अन्य पॉलिसियों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत को उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पॉलिसी, इनसाइडर ट्रेडिंग पॉलिसी, व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी, सूचना और साइबर सुरक्षा पॉलिसियां, मानव संसाधन पॉलिसियां या कोई अन्य पॉलिसी जो कर्मचारी कार्यस्थल पर आचरण करती है जिसे समय-समय पर परिभाषित किया जा सकता है या कोई वैधानिक या नियामक कानून जो वर्तमान में लागू हो सकते हैं।

## 2. किए गए किसी भी मानवाधिकार के दायरे और कवरेज का विवरण।

कंपनी की शासन प्रक्रिया के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है।

## 3. क्या दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर/कार्यालय अलग-अलग सक्षम आगंतुकों के लिए सुलभ है?

- निगम ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार समान अवसर नीति तैयार की है। निगम के सभी कार्यालयों को सलाह दी गई है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित पहुंच और अन्य प्रावधान किए जाएं। योगक्षेम स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है।
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं एवं सुख-सुविधाओं का प्रावधान किया गया है ताकि वे संस्थान में अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। कुछ कार्यालयों में रैंप, ग्रेब रेल लिफ्ट लगे हैं, केंद्रीय कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए शौचालय निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है।

## 4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
यौन उत्पीड़न	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य
बाल श्रम	शून्य
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य
वेतन	शून्य
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	शून्य

## 5. उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- लागू नहीं

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (विगत वित्त वर्ष)
<b>नवीकरणीय स्रोतों से</b>		
कुल बिजली खपत (क)	डेटा एकत्र नहीं किया गया	डेटा एकत्र नहीं किया गया
कुल ईंधन खपत (ख)	डेटा एकत्र नहीं किया गया	डेटा एकत्र नहीं किया गया
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)(सोलर)	30596 GJ	16005 GJ
<b>कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग)</b>	<b>30596 GJ</b>	<b>16005 GJ</b>
<b>गैर-नवीकरणीय स्रोतों से</b>		
कुल बिजली खपत (घ)	329308 GJ	318768 GJ
कुल ईंधन खपत (च)	394649 GJ	डेटा एकत्र नहीं किया गया
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (छ)	-	-
<b>कुल ऊर्जा खपत (घ + च + छ)</b>	<b>723957 GJ</b>	<b>318768 GJ</b>
<b>सकल ऊर्जा खपत (क+ख+ग + घ + च + छ)</b>	<b>754553 GJ</b>	<b>334773 GJ</b>
<b>प्रति रुपए टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता</b> (खपत की गई कुल ऊर्जा / संचालन से राजस्व)	<b>0.848059</b>	डेटा एकत्र नहीं किया गया
<b>क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए ऊर्जा तीव्रता</b> (कुल ऊर्जा खपत / संचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)		
<b>भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता</b>		
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं

2. क्या निगम के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

➤ नहीं

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

निगम का जल उपयोग केवल मानव उपभोग के लिए सीमित है। व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए निर्धारित तालिका निगम पर लागू नहीं होती। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि पानी का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए।

प्रबंधन विकास केंद्र (एमडीसी) में, वर्षा जल एकत्र करने के लिए एक वर्षा जल संचयन इकाई स्थापित की गई है। यह निगम के पास के बोरवेल से जुड़ी हुई है जिसके कारण बोरवेल रिचार्ज हो जाता है और बोरवेल के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-2024 (मौजूदा वित्तीय वर्ष) (किलो लीटर में)	वित्त वर्ष 2022-2023 (पहले का वित्तीय वर्ष) (किलो लीटर में)
<b>पानी निकासी द्वारा स्रोत (किलोलीटर में)</b>		
(i) सतह पानी		
(ii) भूजल		
(iii) बाहरी अन्य स्रोत से पानी		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत पानी		
(v) अन्य		
<b>कुल पानी निकासी का आयतन (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)</b>		
<b>कुल पानी की खपत का आयतन (किलोलीटर में)</b>	<b>3,55,06,901.984</b>	2,26,59,637.167
<b>प्रति रुपया टर्नओवर पर जल तीव्रता (कुल पानी उपभोग / आय से संचालन)</b>	<b>0.0000041</b>	0.0000029
<b>क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर में जल तीव्रता (कुल पानी उपभोग / आय से संचालन समायोजित के लिए पीपीपी)</b>		
<b>जल की तीव्रता के संदर्भ में भौतिक आउटपुट</b>		
<b>जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है</b>		

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है?

नहीं

4. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

जल का उपयोग मुख्य रूप से मानव उपभोग के लिए किया जाता है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रबंधित सीवरों के माध्यम से पानी की निकासी की जाती है। हमारे पास पानी के डिस्चार्ज के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इसे मापा नहीं जा रहा है।

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
<b>पानी स्राव होना द्वारा गंतव्य और स्तर का इलाज (में किलोलीटर)</b>		
(i) सतही जल के लिए		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल के लिए		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल को		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
<b>छोड़ा गया कुल पानी (किलोलीटर में)</b>	<b>लागू नहीं</b>	<b>लागू नहीं</b>

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है?

5. क्या निगम ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

6. कृपया निगम द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें

➤ लागू नहीं

पैरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2023-24 (मौजूदा वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
NOx			
SOx			
कणिका तत्व (पीएम)			
लगातार जैविक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
खतरनाक हवा प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य-कृपया उल्लिखित करें			
		<b>लागू नहीं</b>	<b>लागू नहीं</b>

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है?

➤ लागू नहीं

7. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल दायरा 1 उत्सर्जन (जीएचजी का( सीओ <sub>2</sub> , सीएच <sub>4</sub> , एन <sub>2</sub> ओ, एचएफसी, पीएफसी एस एफ 6, एन एफ 3, में विभाजन, (यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO <sub>2</sub> समतुल्य	13,107.89	डेटा एकत्र नहीं किया गया
कुल क्षेत्र 2 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ <sub>2</sub> , सीएच <sub>4</sub> , एन <sub>2</sub> ओ, एचएफसी, पीएफसी में विभाजन, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO <sub>2</sub> समतुल्य	67,250.14	डेटा एकत्र नहीं किया गया
कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता प्रति रुपये टर्नओवर (कुल दायरा 1 और दायरा 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व)		0.0941	डेटा एकत्र नहीं किया गया
कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता प्रति रुपया का टर्नओवर समायोजित		-	-

8. क्या निगम के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

निगम डेस्कटॉप के लिए बिजली बचत समाधान की खरीद की प्रक्रिया में है।

- ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं और ईएसजी पहलों के निर्माण के एक हिस्से के रूप में हमने 148 स्थानों पर कुल 6575 किलोवाट क्षमता के सौर पीवी पैनल स्थापित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2024 तक प्रति वर्ष 5453.96 टन कार्बन कटौती हुई है। साथ ही, हमारे विपणन और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच रोजमर्रा के उपयोग के लिए ईवी की खरीद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण के एक हिस्से के रूप में, इस वित्तीय वर्ष में देश भर में 29 लाख पौधे लगाए गए हैं।

9. निगम द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
<b>कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)</b>		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	4,080.939	28.776
ई - अपशिष्ट (बी)	116	337
जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)	-	-
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी)	-	-
बैटरी अपशिष्ट (इ)	-	-
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट कृपया उल्लिखित करें, अगर कोई हो (जी)	-	-
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच)। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (टूटना द्वारा संघटन अर्थात् क्षेत्र से संबंधित सामग्री)	-	4,756.929
<b>कुल (ए+बी + सी+डी+ई+एफ+जी +एच)</b>	<b>4,201.411</b>	<b>5,127.852</b>
<b>प्रति रुपए टर्नओवर पर अपशिष्ट की तीव्रता</b> (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/संचालन से राजस्व) (MT/ INR Crores)	<b>0.004921</b>	<b>0.0065</b>
<b>क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये की अपशिष्ट की तीव्रता</b> (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / संचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	-	-

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
अपशिष्ट तीव्रता के संदर्भ में भौतिक आउटपुट	-	-
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित		
(ii) पुनः उपयोग किया जाना		
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य		
कुल		
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण		
(ii) लैंडफिलिंग		
(iii) अन्य निपटान कार्य		
कुल		

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन: दिया गया है?

(हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

10. आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

हम अपशिष्ट प्रबंधन में स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जबकि हमारे परिचालन में मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास, प्रौद्योगिकी अवसंरचना और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं, हम जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को पहचानते हैं। हमारी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में शामिल हैं:

**ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढाँचा:** हम संसाधन खपत को कम करने के लिए ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढाँचे के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं।

**इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन:** हमने इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के उचित पुनर्चक्रण और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित निपटान भागीदारों के साथ सहयोग करते हुए एक व्यापक ई-कचरा प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया है।

**कागज रहित पहल:** हम कागज रहित प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं और अपने दैनिक कार्यों में भौतिक सामग्रियों पर निर्भरता को कम करने के लिए नई पहल करते हैं।

11. यदि निगम के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/आस-पास परिचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता है, तो कृपया निर्दिष्ट करें निम्नलिखित प्रारूप में विवरण:

लागू नहीं

क्रम स.	संचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरण अनुमोदन/अनुमति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण एवं यदि कोई हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
			लागू नहीं

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:  
लागू नहीं

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में सूचित कर दिए गए हैं (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

13. क्या निगम भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम। (Y/N) यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

क्रम सं.	उस कानून/विनियम/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा किया गया कोई जुर्माना/जुर्माना/कार्रवाई बोर्डों या न्यायालयों द्वारा	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
निगम व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर लागू पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन करती है।				

#### नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):  
जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
- क्षेत्र का नाम - लागू नहीं
  - परिचालन की प्रकृति - लागू नहीं
  - निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:- लागू नहीं

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
(ii) भूजल		
(iii) तीसरे पक्ष का पानी		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रति रुपए टर्नओवर में जल की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)		
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) प्रासंगिक मेट्रिक इकाई द्वारा किया जा सकता है		
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ कृपया उपचार का स्तर उल्लिखित करें		

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान) वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
(ii) भूजल में - कोई उपचार नहीं - उपचार के साथ कृपया उपचार का स्तर उल्लिखित करें	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) समुद्री जल में - कोई उपचार नहीं - उपचार के साथ कृपया उपचार का स्तर उल्लिखित करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया - कोई उपचार नहीं - उपचार के साथ कृपया उपचार का स्तर उल्लिखित करें		
(v) अन्य - कोई उपचार नहीं - उपचार के साथ कृपया उपचार का स्तर उल्लिखित करें		
कुल पानी निकासी (में किलोलीटर)		

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान) वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल दायरा 3 उत्सर्जन (जीएचजी का सीओ <sub>2</sub> , सीएच <sub>4</sub> , एन <sub>2</sub> ओ, एचएफसी, पीएफसी में विभाजन, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO <sub>2</sub> का समकक्ष	निगम वर्तमान में क्षेत्र 3 उत्सर्जन की ट्रेकिंग नहीं कर रहा है।	
कुल दायरा 3 उत्सर्जन टर्नओवर का प्रति रुपया			
कुल दायरा 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक हो सकता है इकाई द्वारा चयनित			

नोट: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

लागू नहीं

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं, क्योंकि हम बीमा व्यवसाय में हैं।

4. यदि निगम ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया उसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहल के परिणाम भी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें।

लागू नहीं, क्योंकि हम बीमा व्यवसाय में हैं।

क. स.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, साथ में सारांश प्रदान किया जा सकता है)	पहल का परिणाम
		लागू नहीं	

5. क्या निगम के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? विवरण 100 शब्दों/वेब लिंक में दें।

व्यवसाय-रूकावट जोखिम परिचालन जोखिम का एक अभिन्न अंग है। निगम को कई तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है जो मामूली से लेकर विनाशकारी तक हो सकती हैं और दिन-प्रतिदिन के कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति व्यवसाय निरंतरता (बीसीपी) निगम में मौजूद है। बीसीपी व्यवसाय निरंतरता ढांचे को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए समग्र दिशानिर्देश प्रदान करता है। बीसीपी ढांचा, आपदा की स्थिति का जवाब देने के लिए निर्देश/दिशानिर्देश प्रदान करता है और इसमें मानव जीवन की सुरक्षा और न्यूनतम डाउन टाइम के उपाय भी शामिल हैं। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और तकनीकी व्यवधान आदि जैसी घटनाओं का जवाब देने के लिए किए जाने वाले उपाय प्रदान करने के लिए निरंतरता योजना को औपचारिक रूप दिया गया है।

आपातकालीन स्थिति में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित की गई है। महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए और व्यापार-रूकावट के जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए व्यापार निरंतरता अभ्यास नियमित आधार पर किए जाते हैं।

6. निगम की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में निगम द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

लागू नहीं है क्योंकि निगम जीवन बीमा के व्यवसाय में है

7. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था।

➤ शून्य

सिद्धांत 7 व्यवसायों को, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. अ. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

निगम का 15 से अधिक व्यापार और उद्योग मंडलों /संघों से जुड़ाव है

- ब. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों /संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो संस्था सदस्य/संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/ एसोसिएशनों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय प्रशिक्षण एवं विकास सोसायटी (आईएसटीडी)	राष्ट्रीय
2	राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क (एनएचआरडी)	राष्ट्रीय
3	बॉम्बे उत्पादकता परिषद (बीपीसी)	राज्य
4	आईएमसी आर्थिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र	राष्ट्रीय
5	एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)	राष्ट्रीय
6	भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद	राष्ट्रीय

क्र. सं.	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/ एसोसिएशनों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
7	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद (एएससीआई)	राष्ट्रीय
8	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
9	भारतीय बीमा संस्था (आईआईआई )	राष्ट्रीय
10	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
11	बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (बीसीसीआई)	राष्ट्रीय
12	प्रबंधन विकास संस्थान सोसायटी (एमडीआईएस), गुडगांव	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, निगम द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया।

#### नेतृत्व संकेतक

1. निगम द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

- एलआईसी ने खुद को पसंद के बीमाकर्ता के रूप में स्थापित किया है और उदारीकरण के 22 वर्षों के बाद मुख्य रूप से एजेंसी बल के माध्यम से भाग लेने वाले व्यवसाय से आने वाले प्रमुख व्यावसायिक मिश्रण के साथ अपनी नेतृत्व की स्थिति को बरकरार रखा है। इसके अलावा, एलआईसी ने जीवन बीमा के बारे में बढ़ती जागरूकता का फायदा उठाया है और ग्राहकों को फिजिकल से डिजिटल यानी “फिजिटल” मोड में स्थानांतरित करने के साथ डिजिटल जुड़ाव और सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी को आगे बढ़ा रहा है। एजेंसी बल को डिजिटल टूल और एनालिटिक्स के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करके बायोमिक एजेंटों की रणनीतिक तैनाती की प्रक्रिया चल रही है।

हम पॉलिसी धारक और बड़े पैमाने पर बीमा उद्योग के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा परिषद के माध्यम से नियामक को विभिन्न एक्सपोजर ड्राफ्ट, नियमों में प्रस्तावित संशोधन आदि पर इनपुट/विचार/सुझाव प्रदान करते हैं।

हम हर साल पूरे भारत में बीमा जागरूकता अभियान (आईएसी) चलाते हैं। आईएसी के तहत हमने अपनी उपलब्धियों, अपने उत्पाद पोर्टफोलियो और पॉलिसीधारकों को प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं पर प्रकाश डालते हुए पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। हम टीवी के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रिंट विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों के बारे में शिक्षित करते हैं। पूरे भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार/संगीत और सामान्य मनोरंजन चैनलों पर बीमा की आवश्यकता पर प्रकाश डालने वाले एनिमेटेड वीडियो के साथ-साथ लोगों को अपने पहले वेतन से बीमा खरीदने का आग्रह करने वाले विज्ञापन। क्रिएटिव विभिन्न आईएसी के लिए तैयार किए जाते हैं जैसे, आपके केवाईसी को अपडेट करना और एनईएफटी विवरण जमा करना, नीतियों का पुनरुद्धार, नई योजनाएं/उत्पाद। बीमा के बारे में प्रासंगिक संदेश पोस्ट करके सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है।

बीमा जागरूकता बढ़ाने और बीमा पैठ बढ़ाने के लिए एलआईसी को आईआरडीएआई द्वारा असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रोजेक्ट लीड के रूप में नामित किया गया है। हम नई पहलों की जांच के लिए लाइफ काउंसिल द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों का भी हिस्सा हैं।

सिद्धांत 8 व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

#### आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

एलआईसी- गोल्डन जुबली फाउंडेशन ने प्रभाव अध्ययन करने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को शामिल नहीं किया है। हालाँकि, फाउंडेशन द्वारा की गई पहलों के प्रभाव का आकलन करने के लिए फाउंडेशन हर साल एक आंतरिक प्रभाव अध्ययन करता है। जीजेएफ परियोजनाओं का निरीक्षण जोनल निरीक्षण टीम द्वारा यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि जीजेएफ द्वारा वित्त पोषित परियोजना का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे वित्त पोषित किया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को लाभ मिलता है।

2. आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) के लिए निम्नलिखित प्रारूप में परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें:

क्रम सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए R&R चल रहा है	राज्य	ज़िला	परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएफ)	R&R द्वारा कवर किए गए PAF का %	वित्तीय वर्ष में पीएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय ₹ में)
लागू नहीं						

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें।

फाउंडेशन द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी देने और विद्वानों के चयन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है। इसमें निगम के विभिन्न स्तरों को शामिल करते हुए तीन स्तरीय प्रणाली शामिल है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को फाउंडेशन की गतिविधियों के माध्यम से लाभ मिले। फाउंडेशन (पूरे भारत में) की धर्मार्थ गतिविधियों का पूरा विवरण हमारी वेबसाइट [www.licindia.in](http://www.licindia.in) पर उपलब्ध है। किसी भी शिकायत के मामले में व्यक्ति/निगम डिवीजन कार्यालय स्तर पर प्रबंधक (सेल्स) से संपर्क कर सकता है। हालाँकि, 31 मार्च 2024 तक कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

यह लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी बीमा व्यवसाय में है।

	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
सीधे एमएसएमई/ लघु उद्योगों से प्राप्त	लागू नहीं	
सीधे भारत के भीतर से		

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल वेतन लागत के % के रूप में भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा करें

स्थल	वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
ग्रामीण	0.57%	0.6%
अर्ध शहरी	27.49%	27.5%
शहरी	33.76%	33.2%
महानगर	38.18%	38.7%

(आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया जाने वाला स्थान – ग्रामीण / अर्ध-शहरी / शहरी / महानगरीय)

#### नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

सामाजिक प्रभाव आकलन के संबंध में कोई भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव संज्ञान में नहीं आया है।

2. सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए निर्दिष्ट आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

फाउंडेशन की सामुदायिक विकास गतिविधियाँ पूरे देश में फैली हुई हैं। भारत सरकार द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों के लिए, फाउंडेशन ने 32 परियोजनाओं के साथ 20 जिलों को कवर किया है। परियोजनाओं में स्कूल भवन का निर्माण, कौशल विकास केंद्र का निर्माण, बहुउद्देशीय हॉल, आदिवासी लड़कियों के लिए कमरे और शौचालय ब्लॉक, पैथोलॉजी इकाइयों का निर्माण, डे केयर सेंटर का निर्माण, महिला सशक्तिकरण परियोजनाएं, स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए वाहन, एम्बुलेंस, मरीजों के परिवहन के लिए मोबाइल मेडिकल वैन, भोजन उपलब्ध कराने के लिए भोजन वितरण वाहन आदि शामिल हैं।

3. (ए) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां नहीं)

हाँ

(बी) आप किन सीमांत /कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर सूक्ष्म, लघु उद्यम (एमएसई) के तहत पंजीकृत विक्रेताओं और एमएसएमई के तहत पंजीकृत एससी/एसटी विक्रेताओं को प्राथमिकता दी गई।

(सी) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

	चालू वित्त वर्ष 23-24			पिछला वित्त वर्ष 22-23		
	एमएसई/एससी/एसटी विक्रेताओं से खरीद	कार्यालय द्वारा की गई कुल खरीद	%	एमएसई/एससी/एसटी विक्रेताओं से खरीद	कार्यालय द्वारा की गई कुल खरीद	%
एमएसई विक्रेताओं से खरीद	1,75,22,48,131	2,65,96,15,598	65.88	1,37,48,91,091	1,99,06,22,688	69.07
एमएसई के अंतर्गत एससी/एसटी विक्रेता	2,80,05,094		1.05	1,69,00,517		0.85

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी इकाई (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

लागू नहीं, क्योंकि हम आविष्कारों, या वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले किसी भी कलात्मक कार्य के व्यवसाय में नहीं हैं, जिसके लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) मालिकों को आईपी कानूनों के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। हालाँकि हमारे इन-हाउस विकसित एप्लिकेशन हमारे परिचालन की आंतरिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान करते हैं और हम व्यापक उद्योग और समुदाय के साथ ज्ञान साझा करने और सहयोग में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है

ऐसा कोई उदाहरण नहीं

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लाभार्थी हैं:

**गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** चिकित्सा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से विशेष रूप से विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए छात्रावास, स्कूल भवन, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, स्कूल बस, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक चिकित्सा उपकरण और ऑडियो विजुअल उपकरण जैसे शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए फाउंडेशन द्वारा योगदान, एलआईसी में साक्षरता अभियान, जीजेएफ ने 100% साक्षरता के लिए गोविंदपुर गांव को गोद लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 27792 योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ₹ 69.20 करोड़ की राशि खर्च की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के योग्य छात्रों को हर साल छात्रवृत्ति जारी की जाती है। दिव्यांग बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।

**अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण:** फाउंडेशन ने चिकित्सा उपकरण, आईसीयू एम्बुलेंस, मेडिकल वैन, अस्पतालों का निर्माण, कैंसर रोगियों के लिए उपचार, हृदय शल्य चिकित्सा, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सर्जरी और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी प्रदान करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविरों के माध्यम से भी गरीब रोगियों की पहचान की जाती है और उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया जाता है।

**प्राकृतिक आपदा के प्रति राहत:** फाउंडेशन ने चेन्नई बाढ़, केरल बाढ़, चक्रवात फानी के दौरान सहायता प्रदान की है और ओडिशा के चक्रवात प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मयूरभंज जिले के उदला में बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय का निर्माण किया है।

**सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष:** भारतीय रक्षा बल के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा पूर्व सैनिकों, पूर्व सैनिकों की विधवाओं के कल्याण और के पुनर्वास के लिए स्थापित सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में योगदान।

**क्लाइमेट एक्शन:** फाउंडेशन ने स्कूल छात्रावास भवन, वृद्धाश्रम और विद्युत शवदाह गृह में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए योगदान दिया है। सौर पैनल के उपयोग से बिजली बिल की लागत कम हो गई है।

**स्वच्छ जल एवं स्वच्छता:** हरि तीर्थम, कन्याकुमारी में जल निकायों के नवीनीकरण और समुदायों के लिए ताजे पानी की उपलब्धता को सक्षम करने के लिए एलआईसी जीजेएफ द्वारा योगदान। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार के दर्शनार्थियों को स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर वैंडिंग मशीनें उपलब्ध कराना।

**कोल्हापुर की मलिन बस्तियों में 'एक घर एक शौचालय योजना' के तहत शौचालयों के निर्माण में योगदान।** देश भर के 113 स्कूलों में 169 शौचालयों, विभिन्न स्कूलों में शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए वित्त पोषित। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एलआईसी द्वारा गोद लिए गए गांव गोविंदपुर में दो सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में एलआईसी जीजेएफ द्वारा योगदान, ताकि गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाया जा सके। बद्री धाम में ई-शौचालय के निर्माण में योगदान और गंगा नदी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए स्वच्छ गंगा निधि के लिए वित्त पोषित किया गया।

**आर्टगैलरी का संरक्षण और सुरक्षा:** फाउंडेशन ने ओडिशा के रायगड़ा जिले के तीन लांजिया सौरा गांवों में प्रचलित सौरा पेंटिंग और कलाकारों के संरक्षण, संरक्षण, प्रचार और विकास के लिए आर्ट गैलरी के निर्माण के लिए वित्त पोषण किया है।

**भूमि पर जीवन:** कानपुर चिड़ियाघर में विश्व जानवरों के परिवहन और बचाव के लिए एम्बुलेंस की खरीद में योगदान, उत्तर प्रदेश के मथुरा में हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, ग्राम गोपालपुर खेड़ा में लाइफ टाइम पशु अभयारण्य में सौर संयंत्र की स्थापना, गुड़गांव जो पशु बचाव और पुनर्वास के लिए आश्रय गृह है।

**सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए**

#### आवश्यक संकेतक

#### 1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें

ग्राहक संबंधों और ग्राहक देखभाल की भावना हमारी शिकायत निवारण प्रणाली में समाहित हो गई है, जिसमें सभी संपर्क बिंदुओं पर ग्राहक उन्मुख कर्मियों को रखने पर जोर दिया गया है। मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने और शिकायतों को कम करने के लिए आईटी सक्षम सहायता प्रणाली चालू की गई है।

निगम के पास एक ग्राहक अनुकूल ऑनलाइन प्रणाली है जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्राहक पोर्टल पर पंजीकृत पॉलिसीधारक हमारी वेबसाइट <https://licindia.in/> पर उपलब्ध 'एलआईसी की ई-सेवाओं' के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है और अपनी स्थिति को ट्रैक कर सकता है। IRDAI की शिकायत प्रबंधन प्रणाली-बीमा भरोसा के तहत दर्ज की गई शिकायतें LIC की शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ समन्वयित हैं। ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए निगम के पास शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी हैं उनके नाम हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संबंधित जीआरओ अपने कार्यालयों में ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सभी सोमवार को दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच उपलब्ध रहते हैं। ग्राहक पूर्व अपॉइंटमेंट के साथ अन्य दिनों में भी जीआरओ से मिल सकते हैं। ग्राहक अपनी शिकायतें डाक, ई-मेल आदि के माध्यम से संबंधित सर्विसिंग कार्यालयों/जीआरओ को भी भेज सकते हैं।

भारत भर में कुल 74 ग्राहक क्षेत्र सुबह 8.00 बजे से शाम 8.00 बजे तक संचालित होते हैं, जो 'गुणवत्ता अनुभव' पर विशेष जोर देने के साथ ग्राहक की सभी सेवा आवश्यकताओं के समाधान के लिए 'वन-स्टॉप सेंटर' के रूप में काम करते हैं।

एलआईसी के पास एकल केंद्रीकृत कॉल सेंटर सेवा 24\*7 उपलब्ध है। नंबर 022-68276827 है जिसमें व्यापक आईवीआरएस मेनू के साथ-साथ विशिष्ट प्रश्नों और सूचनाओं के लिए कॉल सेंटर के कार्यकारी से बात करने और शिकायत के लिए सीसीएस (कॉल सेंटर सर्विसेज) टिकट लेने का विकल्प भी है। ये सेवाएँ हिंदी, अंग्रेजी और आठ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं।

हमारे पास LICHELP नामक एक एसएमएस पहल है, जहां पॉलिसीधारकों को 9222492224 पर एक एसएमएस LICHELP<POLICYNO> भेजना होता है। एक एसएमएस प्राप्त होने पर पॉलिसी की सर्विसिंग शाखा में मैप किए गए ग्राहक क्षेत्र से एक अधिकारी ग्राहक से उसकी शिकायत या अनुरोध के समाधान के लिए संपर्क करता है। हम पॉलिसी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में ग्राहकों को एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से अपडेट करते हैं।

अस्वीकृत मृत्यु दावों से संबंधित शिकायतों पर ध्यान देने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर दावा समीक्षा समितियाँ स्थापित की जाती हैं। समिति में एलआईसी के दो या दो से अधिक वरिष्ठ अधिकारी और जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय के एक माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होते हैं।

एलआईसी की भारत सरकार के दो ऑनलाइन प्लेटफार्मों के तहत भूमिका-आधारित पहुंच है। 1) सीपीजीआरएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) और 2) एनसीएच (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) – इनग्राम मॉड्यूल (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) पॉलिसीधारकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए उपलब्ध है, जिसका सीधे जवाब दिया जाता है।

एलआईसी ने बीमा कंपनियों के लिए आईआरडीआई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के खंड 7.4 के अनुसार पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति का गठन किया है।

IRDAI के पॉलिसीधारक के हितों की सुरक्षा विनियम, 2017 के अनुसार LIC के पास एक व्यापक बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए पॉलिसी 2022' है।

**2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का कारोबार, जिनके बारे में जानकारी होती है:**

➤ लागू नहीं

कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में

उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड

सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग

पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान।

**3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	चालू वित्त वर्ष 23-24 वर्ष के दौरान प्राप्त		टिप्पणी	पिछला वित्त वर्ष 22-23 वर्ष के अंत में लंबित समाधान		टिप्पणी
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवैसी	शून्य	शून्य	--	शून्य	शून्य	--
विज्ञापन	शून्य	शून्य	--	शून्य	शून्य	--
साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	--	शून्य	शून्य	--
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	शून्य	शून्य	--	शून्य	शून्य	--
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	शून्य	शून्य	--	शून्य	शून्य	--
अनुचित व्यापार व्यवहार	2,984	शून्य	--	3,516	शून्य	--
अन्य	78,531	शून्य	--	1,10,928	शून्य	--

**4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:**

➤ लागू नहीं

	संख्या	कारण का कारण
स्वैच्छिक वापसी	लागू नहीं	लागू नहीं
मजबूरन वापसी	लागू नहीं	लागू नहीं

**5. क्या निगम के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब-लिनक प्रदान करें।**

हाँ, निगम के पास साइबर सुरक्षा पर नीति है जो निगम के इंटरनेट पर सभी आंतरिक हितधारकों के लिए उपलब्ध है।

निगम की गोपनीयता नीति हमारी वेबसाइट पर दी गई है, जिस पर नीचे दिए गए यूआरएल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है:

<https://licindia.in/web/guest/privacy-policy>

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई।

निगम को ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित कोई मुद्दा या शिकायत नहीं मिली है।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क) प्रभाव सहित डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या

शून्य

ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

शून्य

ग) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि, कोई हो

लागू नहीं

#### नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें) वेब लिंक

उत्पाद और सेवाओं की जानकारी हमारी वेबसाइट ([www.licindia.in](http://www.licindia.in)) पर उपलब्ध है। इसके अलावा, निगम अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में अपने ग्राहकों को शिक्षित करने और उनसे जुड़े रहने के लिए विभिन्न स्थानीय माध्यमों, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सक्रिय रूप से उपयोग करता है। विभिन्न सोशल मीडिया/डिजिटल प्लेटफॉर्मों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- मोबाइल ऐप: "MyLIC"
- फेस बुक,
- यूट्यूब,
- इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) हैंडल: LICIndiaForever
- व्हाट्सएप: 8976862090
- कॉल सेंटर: 022- 6827 6827

2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

- बीमा एक अमूर्त उत्पाद है इसलिए सामान्य उपयोग और सुरक्षा मानदंड इस पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि जोखिम कवर जारी रखने के लिए, प्रीमियम का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। जहां भी मोबाइल नंबर पॉलिसी रिकॉर्ड में पंजीकृत है, पॉलिसीधारकों को भुगतान के लिए देय प्रीमियम के बारे में सूचित करने के लिए एसएमएस भेजा जाता है। जहां पॉलिसी रिकॉर्ड में कोई मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, हम पॉलिसी धारकों को पॉलिसी को लागू रखने और पॉलिसी के तहत बीमा लाभों का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए पॉलिसीधारकों को प्रीमियम की सूचना डाक द्वारा भेज रहे हैं। जालसाजों से सावधान रहने के लिए ग्राहकों को एसएमएस भेजे जाते हैं। किसी भी ऑनलाइन लेनदेन के लिए हमारे लिंक पर आने वाले ग्राहकों के लिए सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।
- व्हाट्सएप पर एलआईसी की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जहां पॉलिसीधारक अपने प्रीमियम बकाया को जान सकते हैं, ऋण और ऋण पुनर्भुगतान कोटेशन, प्रीमियम भुगतान प्रमाण पत्र, यूनिट यूनिट स्टेटमेंट आदि प्राप्त कर सकते हैं।
- सक्रिय ग्राहकों को केवाईसी जमा करने के लिए फर्जी कॉल और झूठी कॉल के बारे में शिक्षित करने के लिए समय-समय पर सूचना भेजी जाती है। इसके अलावा नकली कॉल अस्वीकरण हमारे ग्राहक संचार का हिस्सा है। हम इन-हाउस डिजिटल प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देते हैं जो ग्राहकों को समय-समय पर विभिन्न ग्राहक सेवाएं प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया पर अलर्ट दिए जाते हैं।
- हम दावों के निपटान की आवश्यकताओं के बारे में सूचित करते हुए क्षेत्रीय, हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज आदि पर अपने विज्ञापन नियमित रूप से प्रदर्शित करके ग्राहकों को सूचित और शिक्षित भी कर रहे हैं।

**3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र।**

पॉलिसीधारकों को उनके द्वारा अनुरोधित सेवाओं के बारे में एसएमएस के माध्यम से अद्यतन रखा जाता है। प्राकृतिक आपदा के मामले में ग्राहकों को दावा प्रसंस्करण में सहायता के बारे में सूचित करते हुए नए अखबारों में विज्ञापन दिया जाता है ताकि दावे को तेजी से और परेशानी मुक्त तरीके से संसाधित किया जा सके।

सेवा में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम को कम करने के लिए हमारे पास मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ एक व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) भी है।

**4. क्या इकाई उत्पाद पर स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी से अधिक जानकारी प्रदर्शित करती है?**

लागू नहीं।

**क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है?**

कार्य के समग्र अनुभव पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, ग्राहक बैठकों और भुगतान प्राधिकारियों के दौरों के माध्यम से प्रतिक्रिया मांगी जाती है जहां अधिक संख्या में ग्राहक उपलब्ध होते हैं।

**Batliboi & Purohit**  
 CHARTERED ACCOUNTANTS

Head Office (Mumbai) : National Insurance Building,  
 204, Dadabhoy Naoroji Road, Fort, Mumbai - 400 001  
 Tel. : 2207 7941 / 2207 4260  
 E-mail : info@batliboipurohit.com  
 Website : www.batliboipurohit.com

**INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT ON IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) 2023-24**

To,  
 The Board of Directors,  
 Life Insurance Corporation of India,  
 Mumbai.

Assurance report on the sustainability disclosures in the Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) Core Format<sup>1</sup> (called 'Identified Sustainability Information' (ISI) of Life Insurance Corporation of India (the 'Corporation') for the period from 1 April 2023 to 31 March 2024. The ISI is included in the Business Responsibility and Sustainability Reporting of the Corporation for the period from 1 April 2023 to 31 March 2024.

**Opinion:**

We have performed a reasonable assurance engagement on whether the Corporation's sustainability disclosures in the BRSR Core Format (refer to Annexure 1) for the period from 1 April 2023 to 31 March 2024 has been prepared in accordance with the reporting criteria (refer table below).

Identified Sustainability Information (ISI) subject to assurance	Period subject to assurance	Reporting criteria
BRSR Core (refer Annexure 1)	From 1 April 2023 to 31 March 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirements (SEBI LODR)</li> <li>- Guidance note for BRSR format issued by SEBI</li> <li>- World Resource Institute (WRI) / World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) Protocol (A Corporate Accounting and Reporting Standards)</li> </ul>

For the purposes of our assurance report, 'Information subject to Reasonable Assurance' refers to the Identified Sustainability Information identified above that was subject to reasonable assurance

<sup>1</sup> Notified by SEBI vide circular number SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated 12 July 2023



**Reasonable assurance opinion:**

In our opinion, the Corporation's Identified Sustainability Information in the Business Responsibility and Sustainability Reporting for the period 1st April, 2023 to 31st March, 2024, subject to reasonable assurance is prepared, in all material respects, in accordance with the Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirements (SEBI LODR) and World Resources Institute (WRI) / World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) Protocol (A Corporate Accounting and Reporting Standards) (Revised).

We do not express an assurance opinion on information in respect of any other information included in the Integrated Annual Report 2024 or linked from the Sustainability Information or from the Integrated Annual Report 2023, including any images, audio files or embedded videos.

**Basis for opinion:**

We conducted our engagement in accordance with Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, 'Assurance Engagements on Sustainability Information' and SAE 3410 'Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements' issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). Our responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities' section of our report.

We are required to comply with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

Our firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, 'Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements' issued by the ICAI. This standard requires the firm to maintain a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our reasonable assurance opinion.

**Other information:**

Management and the Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Corporation's Annual Report (but does not include the ISI and assurance report thereon). The Corporation's Annual Report is expected to be made available to us after the date of this assurance report.

Our reasonable assurance on BRSR core attributes does not cover the other information and we will not express any form of assurance opinion thereon.



## Batliboi & Purohit CHARTERED ACCOUNTANTS

In connection with our assurance on the ISI, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available, and in doing so, consider whether other information is materially inconsistent with the ISI, or our knowledge obtained in the assurance, or otherwise appears to be materially misstated. When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and describe actions applicable under the applicable laws and regulations

### **Intended use or purpose:**

The ISI and our reasonable assurance report are intended for users who have reasonable knowledge of the BRSR core attributes, the reporting criteria and ISI and who have read the information in the ISI with reasonable diligence and understand that the ISI is prepared and assured at appropriate levels of materiality.

### **Responsibilities for the Assured Sustainability Information:**

The management of the Corporation acknowledge and understand their responsibility for:

- designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation of the Assured Sustainability Information that is free from material misstatement, whether due to fraud or error;
- selecting or developing suitable criteria for preparing the Assured Sustainability Information and appropriately referring to or describing the criteria; and
- preparing the Assured Sustainability Information in accordance with the Applicable Criteria

Those charged with governance are responsible for overseeing the reporting process for the Corporation's Assured Sustainability Information.

### **Exclusions:**

Our assurance scope excludes the following and therefore we will not express a opinion on the same:

- Operations of the Corporation other than those mentioned in the 'Scope of Assurance';
- Aspects of the BRSR core attributes and the data/information (qualitative or quantitative) other than the ISI;
- Data and information outside the defined reporting period i.e., 1st April, 2023 to 31st March, 2024; and
- The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions provided by the Corporation.

### **Inherent limitations:**

The preparation of the Corporation's BRSR information requires the management to establish or interpret the criteria, make determinations about the relevancy of information to be included, and make estimates and assumptions that affect the reported information.



Measurement of certain amounts and BRSR core metrics, some of which are estimates, is subject to substantial inherent measurement uncertainty, for example GHG emissions, water footprint, energy footprint. Obtaining sufficient appropriate evidence to support our opinion does not reduce the uncertainty in the amount and metrics.

**Our Responsibilities:**

We are responsible for:

- planning and performing the engagement to obtain reasonable assurance about whether the Assured Sustainability Information is free from material misstatement, whether due to fraud or error;
- forming an independent reasonable assurance opinion and based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained; and
- reporting our reasonable assurance opinion to the Board of Directors of Corporation.

**Summary of the work we performed as the basis for our opinion:**

We exercised professional judgment and maintained professional skepticism throughout the engagement. We designed and performed our procedures to obtain evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our reasonable assurance opinion.

**Reasonable assurance opinion:**

The nature, timing, and extent of the procedures selected depended on our judgment, including an assessment of the risks of material misstatement of the information subject to reasonable assurance, whether due to fraud or error. We identified and assessed the risks of material misstatement through understanding the information subject to reasonable assurance and the engagement circumstances. We also obtained an understanding of the internal control relevant to the information subject to reasonable assurance in order to design procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal controls. In carrying out our engagement, we:

- assessed the suitability of the criteria used by the Corporation in preparing the reasonable assurance information;
- evaluated the appropriateness of reporting policies, quantification methods and models used in the preparation of the information subject to reasonable assurance and the reasonableness of estimates made by the Corporation; and
- evaluated the overall presentation of the information subject to reasonable assurance.



# Batliboi & Purohit

CHARTERED ACCOUNTANTS

**Restriction on use:**

Our reasonable assurance report, including the conclusion, has been prepared and addressed to the Board of Directors of the Corporation at the request of the Corporation, solely, to assist the Corporation in reporting on its sustainability performance and activities. Accordingly, we accept no liability to anyone, other than the Corporation. Our deliverables should not be used for any other purpose or by any person other than the addressees of our deliverables. The firm neither accepts nor assumes any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Batliboi & Purohit,  
Chartered Accountants  
FRN 101048W



Parag Hangekar  
Partner

M. No.: 110096

UDIN: 24110096BKCX1G6278



Place: MUMBAI

Date: 20/06/2024

Sr. No.	BRSR Core Indicator	Description of Indicator
1.	Section C – Principle 1 – E8	Number of days of accounts payable
2.	Section C – Principle 1 – E9	Concentration of purchases & sales done with trading houses, dealers, and related parties Loans and advances & investments with related parties
3.	Section C – Principle 3 – E1(c)	Spending on measures towards well-being of employees and workers – cost incurred as a % of total revenue of the Corporation
4.	Section C – Principle 3 – E11	Details of safety related incidents including lost time injury frequency rate, recordable work-related injuries, no. of fatalities
5.	Section C – Principle 5 – E3(b)	Gross wages paid to females as % of wages paid
6.	Section C – Principle 5 – E7	Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, including complaints reported, complaints as a % of female employees, and complaints upheld
7.	Section C – Principle 6 – E1	Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and its intensity
8.	Section C – Principle 6 – E3	Total volume of water withdrawal by source in Kilolitres and its intensity
9.	Section C – Principle 6 – E4	Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)
10.	Section C – Principle 6 – E7	Details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) and its intensity
11.	Section C – Principle 6 – E9	Details related to waste generated by category, waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations, waste disposed by nature of disposal method and its intensity
12.	Section C – Principle 8 – E4	Input material sourced from following sources as % of total purchases – Directly sourced from MSMEs/small producers and from within India
13.	Section C – Principle 8 – E5	Job creation in smaller towns – Wages paid to persons employed in smaller towns (permanent or non-permanent/on contract) as % of total wage cost
14.	Section C – Principle 9 – E7	Instances involving loss/breach of data of customers as a percentage of total data breaches or cyber security events



# LIC - THE JOURNEY

1956

- Nationalization of 245 Companies and LIC came into being on 1<sup>st</sup> September.
- Foreign Branches in Fiji and Mauritius started.

1957

- First Master Policy for a Group Insurance Scheme was issued by the Mumbai Office of LIC
- First Group Superannuation Policy was issued.
- 'Yogakshema' Corporate Magazine started as a quarterly magazine in May.
- Salary Savings Scheme mode launched enabling employees to take LIC Policy.

1958

- LIC's First Investment Policy placed on the table of Parliament on 25<sup>th</sup> August.
- First Bima Gram- Talni Purna Village in Amravati Distt declared.

1963

- LIC adopted the Change over from Calendar Year to Financial Year working.
- 'Yogakshema', an architectural landmark, Corporate Office of LIC inaugurated by Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on 26<sup>th</sup> December.
- First Computers were installed – one each in Mumbai and Kolkata Offices.

1961

- The First Batch of Direct Recruit Officers joined the Corporation.

1960

- Officer's Training College founded at Nagpur on 16<sup>th</sup> May.
- Foreign Branch in UK started

1967

- IBM 1401/1410 Computer installed at Mumbai. EDP Department started functioning.

1969

- Officer's Training College shifted from Nagpur to Borivali, Mumbai.

1970

- Commemorative Stamp and Post Card issued through Indian Posts and Telegraphs depicting Indian Life Insurance. 1870-1970. (A Century of Life Insurance in India).

1972

- The first Career Agents' Branches were set up in 1972.
- LIC of India(Agents) Regulations were formulated.
- The Reorganisation Policy was implemented from the period 1971 to 1978. Prof. Ishwar Dayal, a Management Consultant engaged to restructure the operations where Branches became the primary servicing centres equipped to dispose off 80% of all work originated there.
- Career Agency Scheme comes into existence.
- Four Levels of Agents' Clubs – Chairman's, Zonal Manager's, Divisional Manager's and Branch Manager's Clubs formed to professionalise Agency Force.

1971

- The concept of Agents' Clubs was introduced in 1971.

1978

- Joint Venture Kenindia Assurance Co. Limited started
- Scheme of Incentive Bonus to Development Officers came into existence.

1979

- Rural Career Agency Scheme and Urban Career Agency Scheme came into existence separately.

1980

- Direct Recruitment of Development Officers began .
- The National Insurance Academy(NIA) sponsored jointly with GIC and its subsidiaries, was founded.

1987

- Landless Agricultural Labourers' Group Insurance (LALGI) was introduced in August.

1982

- ECIL-2958 Mainframe computer installed at Mumbai

1981

- Jana Raksha Policy launched to cater to the rural masses.
- Installation of Microprocessors was first initiated in October.
- Recruitment under sports quota started.

1988

- Human Resource Development (HRD) policy was introduced.
- A Social Security Fund with a corpus of ₹ 100 crore was set up by Govt. Of India covering weaker sections of society.

1989

- LIC turns into a financial conglomerate
- LIC Housing Finance came into existence
- LIC Mutual Fund constituted as a Trust on 20<sup>th</sup> April
- Joint Venture LIC International BSC(c) Bahrain inaugurated

1993

- Software Development Centre established at Corporate Office. Front End Applications Package introduced on 17<sup>th</sup> July in 17 BOs.

1996

- Jeevan Suraksha Pension Plan dedicated to the nation by the then Prime Minister Shri H D DeveGowda on the occasion of LIC's 40<sup>th</sup> anniversary.

1995

- The Rural Group Life Insurance Scheme (RGLIS) was launched on 15<sup>th</sup> August.

1994

- The Corporate Flag and the Corporate Anthem (Nigam Geet) were introduced.

1997

- LIC adopted Citizens' Charter on 7<sup>th</sup> November.
- LIC's first Metro Area Network(MAN) inaugurated in Mumbai by Shri P. Chidambaram, Hon'ble Finance Minister on 22<sup>nd</sup> November.

1998

- First IVRS inaugurated in Mumbai on 21<sup>st</sup> August.
- 150 Touch Screen based Information Kiosks were set up across the country enabling Customers to get information about policies, new plans, bonus etc.

1999

- LIC International BSC(C) Bahrain extended its operations to Qatar with effect from 28<sup>th</sup> September.

2001

- The First Unit Linked Insurance Plan(ULIP) 'Bima Plus' launched on 12<sup>th</sup> February.
- LIC signs its first strategic alliance with Corporation Bank on 6<sup>th</sup> June.
- Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana launched on 30<sup>th</sup> June.
- Premium payment facility through internet introduced on 12<sup>th</sup> September.
- Shikshan Sahyog Yojana inaugurated on 31<sup>st</sup> December.
- LIC (Nepal) Ltd. inaugurated as a joint venture between LIC and Vishal Group in Nepal on 3<sup>rd</sup> December.

2000

- LIC engages M/s Booz Allen & Hamilton, the renowned international consultants on financial services to advise LIC on 'Process of Strategic Transformation' on 1<sup>st</sup> January.
- Wide Area Network (WAN) inaugurated on 2<sup>nd</sup> September.
- For faster dissemination of information LIC launched its website [www.licindia.in](http://www.licindia.in) and intranet Site 'Jeevan Sanchar'.

2002

- LIC's first Info Centre inaugurated in Mumbai. Call Centres Set up at 8 locations across the Country.
- Corporate Messaging Solution implemented.
- Shift from Unix operating System to Linux, an open source Operating System, which was more robust and feature rich.
- Business through Bancassurance started. Strategic Tie-up with Corporation Bank.

2004

- Premium Payment through ECS and Kiosk started.
- SMS Service initiative launched.
- MOU signed for establishing a Joint Stock company in Saudi Arabia on 20<sup>th</sup> December. (SICCI)
- Vidyanet (an Online training Portal for Agents) launched.

2003

- LIC (Lanka) Ltd inaugurated as a Joint Venture between LIC and Bartleet Group of Sri Lanka on 1<sup>st</sup> March.
- Bima School concept introduced.
- Rajgurunagar under Pune Division became the first Women Bima Gram on 8<sup>th</sup> March.
- Varishtha Pension Bima Yojana launched on 14<sup>th</sup> July.
- LIC's first ever Premium Payment Facility through ATM inaugurated in collaboration with Corporation Bank on 20<sup>th</sup> December.

2005

- LIC's First Satellite Sampark Office (later renamed as Satellite Office) inaugurated in Rajendra Nagar, New Delhi (Delhi DO-1), NZ on 2<sup>nd</sup> September.
- LIC and IndusInd Bank tie up for providing the first ever group insurance scheme to Account Holders of the Bank in October.
- LIC's Web Portal Inaugurated on 15<sup>th</sup> November.
- LIC's Golden Jubilee Exhibition, Jashn Zindagi Ka put up at National Centre for Performing Arts(NCPA), Mumbai from 4<sup>th</sup> Feb to 10<sup>th</sup> Feb.
- Launch of Enterprise Document Management System (EDMS) .
- Launch of Enterprise Portal Solutions to handle all e-business initiatives in years to come.
- Launch of Corporate Active Data Warehouse.

2008

- LIC Cards Services Ltd. incorporated as a wholly owned subsidiary of LIC
- Chief Life Insurance Advisor (CLIA) Channel started.
- Launch of LIC Pension Fund Ltd.
- LIC HFL Asset Management Company Ltd. (AMC) was incorporated on 14<sup>th</sup> February

2007

- LIC HFL Financial Services Ltd, wholly owned subsidiary of LIC HFL incorporated on 31<sup>st</sup> October

2006

- Inauguration of LIC's Data Centre at Ville Parle.
- LIC's Golden Jubilee Foundation established.
- LIC's Golden Jubilee Policy Bima Gold Launched.

2009

- Alternate Channels of premium payment started.
- New CRM initiatives like Relationship Renewal program, Help Desk, Exclusive CRE, Help Book started.
- LIC launched Credit Card 'LIC Card'.

2010

- On-line paperless underwriting, SMS Enquiry Service for proposal status

2011

- Integrated Complaint Management System (ICMS) launched.

2014

- Club Galaxy introduced for Agents

2013

- 'Launch of Operational Data Store, Customer & Merchant Portal
- Launch of Remote Audit.
- Launch of the Results Framework Document System for HRD/OD
- Automation of Employee Information Management.

2012

- Jeevan Akshay VI-first policy of LIC to be made available for online sale.
- Wholly owned subsidiary LIC (Singapore) Pte Ltd. incorporated

2015

- Launch of three social security schemes Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY).
- Joint Venture LIC of Bangladesh Ltd started

2016

- LIC's eServices, compliant to IRDA regulations was launched on 1<sup>st</sup> February.
- One time Diamond Jubilee Special Reversionary bonus announced for policyholders whose policies were in force as on 01.09.2016.

2017

- Enterprise Risk Management (ERM) Concept launched
- Digitization of policy records for 29 Crore customers completed
- SMS based customer helpline started
- Premium payment through wallets, BHIM, UPI enabled.

2019

- IDBI bank acquisition.
- Agent recruitment app launched.
- Subsidiaries Department formed at Central Office

2018

- LIC Training Centres (MDC, ZTCs) and CO OD/HRD awarded ISO9001:2015 Certificate and BIS accreditation approved
- LIC mobile app launched for Agents

2020

- ANANDA - an acronym for Atma Nirbhar Agent NB Digital Application launched on 19<sup>th</sup> November which provides for Life Insurance Policy through a Paperless module with the help of Agent.
- Hindi Chatbot 'LIC Mitra' launched.

2021

- Launch of ANANDA Mobile App - 24<sup>th</sup> August
- LIC and The Department of Posts, GOI entered into an agreement for Print to Post Solutions - 27<sup>th</sup> September
- Deposit Collection Management Centre launched on 5<sup>th</sup> January.
- Dena Bank Building in Bandra Kurla Complex acquired.

2023

- Project DIVE Launched (Digital Innovation and Value Enhancement)

2022

- First Indian Embedded Value Report as on 31.03.2022 presented
- Corporation's Shares Listed on Indian Stock Exchanges on 17.05.2022
- First Annual General Meeting of the Corporation held on 27.09.2022

*and the journey continues...*



**SHRI SIDDHARTHA MOHANTY**

## CHAIRPERSON'S MESSAGE

It gives me immense pride and pleasure to present you the Annual Report of Life Insurance Corporation of India for the fiscal year 2023-24. The year marked yet another illustrious chapter in our enduring legacy of excellence in the life insurance sector. We continue to be a pivotal force in the vibrant growth narrative of our nation. We focused diligently on our core strengths and endeavored to leverage cutting-edge technologies, while remaining unwaveringly committed to our stakeholders, throughout the year. We embarked on major strategic initiatives which are bound to culminate in the successful implementation of significant reforms taking care of changing market dynamics thereby reinforcing our position in the industry.

### **Global /Indian Scenario**

The global economy has displayed a remarkable resilience amidst the escalating geopolitical risks in the Middle East and unprecedented monetary tightening. Against the backdrop of volatile global financial markets and unexpected climate setbacks, major central banks in advanced economies (AEs) have kept policy rates on hold to ensure the aligning of inflation with targets. As per IMF (International Monetary Fund) January 2024 report, global growth is projected to stay at 3.1% in 2024 and rise to 3.2% in 2025.

Going by the latest statistics released by MoSPI (Ministry of Statistics and Program Implementation) in February 2024, India is showing clear signs of strong economic growth momentum in near-term as against the sluggish growth seen amongst global peers. Based on the figures of strong growth in manufacturing and servicing sector combined with the expectation of normal monsoon, RBI has recently projected the real GDP growth for FY 2024-25 as 7%. International rating agencies like Asian Development Bank (ADB) have also raised India's GDP growth forecast for FY 2024-25 to 7% earlier this year, driven by robust growth in consumer demand and increase in public and private sector investment.

All these factors are expected to have a positive impact on the Indian Insurance Industry in the near future as well.

### **Indian Life Insurance Market**

With its huge geographic spread and diverse population, there is a large untapped market with huge potential in respect of the Indian life insurance market. With easing of regulatory policies, favorable demographics coupled with increased spending capabilities, and measures taken to drive insurance literacy and inclusion, it is anticipated that life insurance will continue to find favour amongst all segments.

LIC, has always launched products that provide optimum life coverage and investment returns. Our goal is to leverage the available vast network of agents to its fullest capacity, and to create the right channel mix by also strengthening other alternate channels including digital channel to provide our customers a seamless digital journey.

While our focus remains primarily on profitable growth in market share, our objective is to create value for all stakeholders. As a forward looking service oriented organization, we are completely focused on customer acquisition and retention with our proactive digital services and innovative products to cater to their ever changing needs.

## Business Performance and Strategy:

LIC's market share by premium and number of policies stood at 58.87% and 69.91% respectively as at the end of the previous financial year. Total premium income was ₹ 4,75,070 Crores with an increase of 0.22% over the previous year. Premium collected from Group Insurance business was ₹ 1,71,302 Crores and from Individual Business was ₹ 57,716 Crores. Total AUM increased by 16.48% to ₹ 51,21,887 Crores and solvency margin improved to 1.98. There has been significant increase in the Indian Embedded Value (IEV) from ₹ 5,82,243 Crores as at 31.03.2023 to ₹ 7,27,344 Crores as at 31.03.2024, which is a 24.92% increase. Also the share of non-participating business in Annualized Premium Equivalent (APE) under individual category increased to 18.32% from 7.12% during the year 2022 and 8.89% in 2023, due to a conscious paradigm shift in our approach. We have also registered a growth in our Net Value of New Business (VNB) which stands at ₹ 9,583 Crores compared to ₹ 9,156 Crores the previous year. On similar lines, net VNB margin also increased to 16.8% from 16.2%.

During the past year we put in immense efforts towards increasing the share of business from Non-Participating products. We launched several new non-participating products with an objective of strengthening our product basket based on feedback obtained from customers and our field force. All these initiatives plugged the product portfolio gap, and especially LIC's Jeevan Utsav, which was unique in various ways. This product emerged as a catalyst for our performance during the last year and was well accepted by the market.

List of products introduced during the year,

- LIC's Jeevan Utsav (Individual, Savings, Whole Life Insurance plan with Guaranteed Additions throughout Premium Paying Term)
- LIC's AmritBaal (A guaranteed addition plan to meet the higher education and other needs of the child),
- LIC's Index Plus (Unit Linked, Regular Premium plan with Guaranteed additions as a percentage of Annualized Premium),
- LIC's Jeevan Dhara II (An Individual, Savings, Deferred Annuity Plan),
- LIC's Jeevan Kiran (A term insurance plan with provision of refund of premium, excluding any extra premium paid)
- LIC's Dhan Vriddhi Plan (Single Premium Life Insurance plan which offers a combination of protection and savings under individual category)
- LIC's Group Post Retirement Medical Benefit Plan (A group savings plan)

While our total premium growth was stable during the year, going forward we are planning to intensify our efforts and deploy all necessary resources to enhance our market share.

## Accolades

The previous year provided us with many feathers in our cap, some of which are:

- We were ranked as the World's No.1 Insurance Brand as per the Brand Finance Insurance 2024.
- LIC is the fourth largest insurer in the world based on life and accident and health reserves, as ranked by S&P Global Market Intelligence.
- We were ranked 3<sup>rd</sup> amongst the largest Indian Companies as per Fortune India, December 2023 issue.
- We were the 23<sup>rd</sup> Strongest Brand in the World's 25 Strongest Brands, 2024 – The Global 500, 2024 Report.
- LIC achieved Rank 3 in the Business World, Real 500 Business Leaders List and the noteworthy point here is that LIC is the only Insurance Company on the list.

I am sure most of you might have noticed that the market has given a resounding reception to all these efforts.

## ESG (Environmental, Social, and Governance)

As a responsible and socially committed organization, we are in the process of formalizing an Environmental, Social and Governance (ESG) framework as a part of our journey to embrace and contribute towards sustainability in various aspects of our business and day to day activities. The objective is to identify and address gaps, if any, in comparison with industry standards, both national and international by prioritizing and optimizing resources.

### Road ahead:

Globally, post-pandemic, all insurers have adopted innovative methods to attract and retain their customers. Whilst the insurance industry appears to be driven by technological advances, it is also felt that the fundamental aspects of insurance industry — Affordability, Accessibility and Trust — will remain the essential factors for any consumer to choose the right product and the right insurer suiting their needs and goals.

As a commitment to progress, in the near future, we plan to offer innovative and customized products, user friendly easy to use digital platforms and solid human centric approach to our customers. We plan to have robust up skilling programs for our field force as well as our employees so that excellent service experiences can be offered to our customers.

To create long-lasting sustained value, we plan to welcome FY 2025 with the next level leap in terms of business and by providing a best-in-class experience to our customers. We have already rolled out our prestigious project called Digital Innovation and Value Enhancement (DIVE). This will cut across the entire value chain and enhance the digital experience of all our stakeholders from on boarding to claim settlement.

In conclusion, I express my gratitude to all esteemed policyholders, shareholders, agents, employees, regulators, government and other stakeholders for their unwavering support and confidence.



Warm Regards

**Shri Siddhartha Mohanty**

Chief Executive Officer and Managing Director  
(Executive Chairperson)

## BOARD OF DIRECTORS



**SHRI SIDDHARTHA  
MOHANTY**


Chief Executive Officer and  
Managing Director

Shri Mohanty, currently serving as the Chief Executive Officer and Managing Director (erstwhile Chairperson) of LIC of India, one of the world's leading insurers, brings with him a wealth of experience and academic credentials. He holds a Bachelor's degree in Law and a Master's degree in Arts (Political Science) from Utkal University, Bhubaneswar, Odisha, along with a Post Graduate Certification in Business Management from the Xavier Institute of Management, Bhubaneswar, Odisha. He has been at the helm of LIC since April 29, 2023.

Before the present role, Shri Mohanty served as Managing Director of the Corporation. LIC underwent significant transformation at that point to become a listed entity. Prior to becoming Managing Director, Shri Mohanty played pivotal roles in various capacities within LIC, including COO and CEO of LIC Housing Finance Limited. During his long and illustrious career, he has held various core positions in LIC of India, such as, Senior Divisional Manager of multiple Divisions, Chief (Legal), Chief (Investment – Back Office), Executive Director (Legal), amongst others. During his tenure as Chief (Legal), Mumbai, the Corporation won the "Best Insurance In-House Legal Team of the Year" Award.

Beyond LIC, Shri Mohanty chairs the boards of several national and international subsidiaries and associate companies. Additionally, he holds key positions such as Chairperson of the Council of Insurance Ombudsman, Chairman of the Governing Board of the National Insurance Academy, and membership in the Council of the Institute of Actuaries of India.

His leadership style, marked by innovation, analytical prowess, and strategic acumen, has consistently delivered success across diverse assignments. With a comprehensive understanding of the industry landscape, he advocates for digital transformation and investment in competency development as essential pillars for LIC's continued success.



**Dr. MARUTHI PRASAD  
TANGIRALA**

Government Nominee Director

Dr. Maruthi Prasad Tangirala is a 1990 batch officer of the Indian P&T Accounts and Finance Service. He is an alumnus of College of Engineering, Guindy, IIM Calcutta, Osmania University, IIPA, and Jawaharlal Nehru University, where he obtained his PhD in law and governance. His thesis was on the institutional aspects of regulatory governance in the Indian telecom services sector, published as a monograph by Routledge.

In his career in government, he has worked in different functional areas of telecom policy, law, and regulation, administration, personnel management and training, insurance regulation, and financial services. Apart from his parent department of telecommunications, Dr. Tangirala has worked in various capacities in BSNL, TRAI, UPSC, and IRDAI. He is at present Additional Secretary in the Department of Financial Services, Government of India.



**SHRI JAGANNATH M**  
Managing Director

Shri Jagannath M currently serves as the Managing Director of the Corporation. He has more than three decades of rich and extensive experience in leading business change and growth of the organization. Prior to taking charge as Managing Director, he was Zonal Manager, South Central Zone of the Corporation which comprises of Telengana, Andhra Pradesh and Karnataka states. He has served as CEO & MD of LIC(Lanka) Limited, Colombo, Sri Lanka between 2009-2013 and also as the Senior Divisional Manager in-charge of Ernakulam, Dharwad and Bangalore-I Divisions of the Corporation.

Shri Jagannath M holds a Bachelor's degree in Commerce and is an Associate Member of the Insurance Institute of India. He has also qualified CA (Inter), PG Diploma in Marketing, International PG Diploma in Life Insurance, General Insurance and Risk Management from the Institute of Insurance and Risk Management (IIRM), Hyderabad.



**SHRI TABLESH PANDEY**  
Managing Director

Shri Tablesh Pandey, Managing Director of the Corporation, brings with him more than three decades of rich experience in insurance. He holds a B.Tech degree in Agricultural Engineering and is also a qualified Associate Member of Actuarial Society of India.

Prior to joining as Managing Director, Shri Pandey was Executive Director (Enterprise Risk Management) and Chief Risk Officer of the Corporation. He has also held different leadership positions as Chief (Actuarial) , Chief (Pension & Group Schemes) and Regional Manager (IT) in Central Zone, East Central Zone & South Zone of the Corporation.



**SHRI SAT PAL BHANOO**  
Managing Director

Shri Sat Pal Bhanoo, Managing Director of the Corporation, brings with him more than three decades of rich and vast experience in insurance. Prior to this role, he was Zonal Manager of Central Zone, Bhopal. He held various other prominent positions in the Corporation such as Sr. Divisional Manager of Bangalore-I & Shimla Divisions, Regional Manager (Micro Insurance), Regional Manager (Corporate Communications), Regional Manager (Personnel & Industrial Relations) of Northern Zone, New Delhi and Additional Director, Zonal Training Centre, Bhopal. He was also Chief (Marketing / Senior Business Associate) in Central Office, Mumbai.

Shri Sat Pal Bhanoo holds a Bachelor's Degree in History (Honors) from Himachal Pradesh University, Shimla.



**SHRI DORAISWAMY  
 RAMCHANDRAN**  
 Managing Director

Shri Doraiswamy Ramchandran (R. Doraiswamy), Managing Director of the Corporation has more than 38 years of rich and diverse experience in Operations, Marketing, Technology and Academics. Prior to taking charge as Managing Director, Shri R. Doraiswamy has held various leadership positions within the Organisation as Executive Director (Information Technology/Software Development), Regional Manager (Marketing / Chief Life Insurance Advisor), Regional Manager (Pension & Group Schemes) at Southern Zonal Office, Chennai, Senior Divisional Manager of Kottayam Division and Marketing Manager of Chennai-I, Thanjavur and Pune divisions.

As Research Associate at National Insurance Academy, Pune he has worked on multiple projects on Micro Insurance, Insurance Law and Regulations, Product Development and Content development for Post Graduate Programmes in Insurance Management / Chartered Financial Planning.

Shri Doraiswamy is a Graduate in Mathematics from Madurai Kamaraj University, Fellow Member of Insurance Institute of India and a student member of Institute of Actuaries of India.



**DR. RANJAN SHARMA**  
 Independent Director

Dr. Sharma holds Master's degree of arts from University of Allahabad, Uttar Pradesh. He has also pursued his Doctorate in Philosophy (Geography) from Dr. Ram Manohar Lohia, Avadh University in 2011.

Dr. Sharma an Associate Professor at Shri Lal Bahadur Shastri Degree College, Gonda, Uttar Pradesh has been associated with the Institution since 1990.

Dr. Sharma has an experience of around 34 years in the field of academics and Corporate governance.



**SHRI VINOD KUMAR  
 VERMA**  
 Independent Director

Shri Verma holds Bachelor's degree in Arts from Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh and is deeply involved in Business of Electronics Goods and having experience and knowledge in the fields of business, sales and marketing.



**PROF. ANIL KUMAR**  
Independent Director

Prof Anil Kumar is Professor (Finance & Corporate Governance) at Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi after serving as Professor at Shri Ram College of Commerce for more than 30 years. He is also Chief Executive Officer (CEO) of DU Foundation. An alumnus of SRCC and Harvard Business School, he did his post-graduation in commerce from Delhi School of Economics, Delhi University. Prof. Kumar holds a doctorate (Ph.D.) in Corporate Governance from the University of Delhi.

Prof. Anil Kumar has contributed number of research articles in national and international journals; authored more than ten books in corporate governance and CSR; presented his research work at international conferences in India and abroad; and has conducted several executive development and training programmes for government officers, corporate executives and directors.



**SMT. ANJULY CHIB  
DUGGAL**  
Independent Director

Smt. Anjuly Chib Duggal holds a master's degree in arts from Punjab University. Smt. Duggal is retired Indian Administrative Service officer from the Punjab cadre (batch of 1981). Previously, Smt Duggal has worked, amongst other positions and areas, as Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, and as Secretary in the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

Smt. Duggal has also served as Director on the boards of Reserve Bank of India and State Bank of India.



**SHRI MAHALINGAM G**  
Independent Director

Shri Gurumoorthy Mahalingam (Mahalingam G) holds a Master's Degree in Science (Statistics) from Indian Institute of Technology, Kanpur and a Master's degree in Business Administration (International Banking and Finance) from the University of Birmingham.

Previously, he was, amongst others, Whole-time member of SEBI and was also Executive Director of Reserve Bank of India and has numerous years of experience in the financial and Securities sector.



**SHRI RAJ KAMAL**  
Independent Director

Shri Raj Kamal is an accomplished leader with nearly 30 years of track record of operating business, investing, civil service and strategy consulting across financial services and tech-enabled businesses. He started his career in the IAS where he played multiple roles including being Collector & District Magistrate. Post the IAS, Raj went on to be a Partner at McKinsey & Company and Global Head of investments at PayU (a Prosus company). He is currently CEO of Trans-Fi Inc (a company focused on cross-border payments and fintech) and SMIT Consulting (a consulting company). He is also on the Board of Trident Limited.




**DR. V S  
PARTHASARATHY**  
Independent Director

Dr. Parthasarathy is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and had qualified from the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. He holds a bachelor's degree in commerce from Gujarat University has done Advance Management Program from Havard Business School and did doctorate in Management Studies from University of Mumbai in 2022.

Dr. Parthasarathy is independent director on the boards of many companies including NIIT, Pennar, Everenviro, Greencell and SEWA. He is engaged in social work with SEWA.

Previously, he was the Group Chief Financial Officer and Group Chief Information Officer of the Mahindra Group and President of the Bombay Chamber of Commerce & Industry (BCCI). Dr. Parthasarathy has rich experience in the areas of Organizational Transformation, Leadership, Strategic Planning, Finance, International Operations.



**SHRI MUTHU RAJU  
PARAVASA RAJU VIJAY  
KUMAR**  
Independent Director

Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar (M. P. Vijay Kumar) is a Chartered Accountant, Cost Accountant and Company Secretary. He is presently Executive Director and Group Chief Financial Officer of Sify Technologies Limited, a company listed at Nasdaq. Shri Vijay Kumar is an Independent Director on the boards of, amongst others, Geojit Financial Services Limited, Heritage Foods Limited and ONGC Petro Additions Limited. Shri Vijay Kumar is also a member of the IFRS Interpretation Committee of International Accounting Standards Board, member of IFRS Advisory Council, London and a fellow of the Institute of Directors.

He earlier worked for the Investment banking subsidiary of Sundaram Finance Limited for over 7 years and was a Chartered Accountant in practice for over 8 years. He has experience of more than 31 years in professional practice as well as industry and was Chairman, Accounting Standards Board of Institute of Chartered Accountants of India and Ex Officio member of National Financial Reporting Authority (NFRA).

# MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

## 1. PREAMBLE

The Life Insurance Corporation of India has pleasure in presenting its 67<sup>th</sup> Annual Report as per section 27 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 and Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for the Financial Year ending 31.03.2024.

## 2. GLOBAL ECONOMIC ENVIRONMENT

As per IMF January 2024 report, Global growth is projected to stay at 3.1% in 2024 and rise to 3.2% in 2025. Elevated central bank rates to fight inflation and a withdrawal of fiscal support amid high debt weigh on economic activity. Inflation is falling faster than expected in most regions, amid unwinding supply-side issues and restrictive monetary policy. Global headline inflation is expected to fall to 5.8% in 2024 and 4.4% in 2025, with the 2025 forecast having been revised down.

## 3. MACRO - ECONOMIC ENVIRONMENT IN INDIA

Our business, financial health, results of operations and cash flows are significantly affected by macroeconomic conditions in India, where we conduct vast majority of business and generate substantially all of our income. While our business tends to benefit from increased consumer confidence in the overall economy and the life insurance sector in particular, adverse macroeconomic conditions in India may reduce demand for our products, increase the number of policy surrenders and withdrawals, reduce the returns from our investment activities and otherwise adversely affect our results of operations.


Key macroeconomic factors affecting the performance of the growing but under penetrated life insurance industry in India include India's population growth trajectory and favourable demographics, urbanisation, overall economic growth rates, household income growth rate and consumer attitudes towards financial savings.

These factors affect the proportion of household savings invested in insurance products relative to others competing products ranging from physical assets such as real estates and gold, to financial saving instruments, such as bank deposits, provident and mutual funds. Macroeconomic conditions also affect the mix of investments across various asset classes.


The macro environment includes trends in the Gross Domestic Product (GDP), inflation, employment, spending and monetary and fiscal policy.

- (i) **GDP Growth Rate:** The rate of growth of **Gross Domestic Product (GDP)** directly impacts the insurance sector. A robust economy with higher GDP growth tends to drive demand for insurance products. India aims for impressive growth in the coming years. Focus areas include infrastructure development, digitalization and skill enhancement. In summary, India's GDP growth trajectory reflects resilience and adaptability. As the nation navigates economic complexities, strategic policies and global cooperation will play pivotal roles. Despite the short-term challenges, India's **medium- to long-term outlook** remains positive, with an estimated average annual real GDP growth of **6.7%** over the next decade.
- (ii) **Employment:** Labour Market Conditions improved during 2022-23 and 2023-24. According to the annual Periodic labour force survey (PLFS), the unemployment rate (UR) declined further to 3.2% in 2022-23 (from 4.1 in the previous year) alongside a rise in the labour force participation rate (LFPR) to 55.2%, with the progressive normalisation after the pandemic. LFPR and Worker Population Ratio (WPR) for 2022-23 were the highest since the inception of the PLFS series in 2017-18. The employment situation improved in both rural and urban cases.
- (iii) **Disposable Income:** The disposable income of individuals determines their spending capacity. Higher disposable income often translates to greater willingness to buy insurance coverage.

- (iv) **Domestic Savings:** The level of domestic savings in a country affects the availability of funds for investment. Higher savings can lead to increased investments in insurance policies.



- (v) **Household Financial Savings:** The financial health of households influences their ability to purchase insurance. When households have surplus savings, they are more likely to invest in life insurance.



- (vi) **Inflation:** Globally, inflation eased in 2023 from its multi-decadal peak in 2022, but it ruled above targets and pre-pandemic levels across major economies. According to International Monetary Fund (IMF), global inflation fell to 6.8% in 2023 from 8.7% in 2022, although it remained above the average of 3.5% during 2010-19. India's headline inflation rose from an intra-year low of 4.3% in May 2023 to a peak of 7.4% in October but firmed up to 5.7% in December and then softened to 4.9% in March 2024, reflecting the volatility in food prices. During 2023-24, core inflation moderated to 4.3% from 6.1% a year ago, as broad-based disinflation gathered momentum during September – March.

CPI inflation moderated in 2023-24 despite overlapping food price shocks. The softening was the outcome of the sustained anti-inflationary monetary policy stance, proactive supply management measures by the government and correction in global commodity prices. Core inflation exhibited a broad-based disinflation since June 2023 and moved below 4% by end 2023. While headline inflation dipped into the tolerance band in 2023-24 (barring July- August), it hovered above the inflation target. Lingering geopolitical uncertainties, renewed supply chain pressures due to geopolitical developments in the Middle East, lower reservoir levels and fall in production of major crops pose upside risks to headline inflation going forward.

- (vii) **Trade and Forex:** The Reserve Bank of India (RBI) has put in place a mechanism to facilitate international trade in rupees (₹), a move which is being looked upon as a long-term step to enable greater use of ₹ in foreign trade and has aided in recognition of the Indian rupee as an international currency.

In India, merchandise exports as well as imports (US\$ terms) declined during 2023-24. With a fall in imports exceeding exports, the merchandise trade deficit narrowed in 2023-24. Merchandise import at US\$ 675.4 billion contracted by 5.7% during 2023-24, mainly due to lower prices. The decline in imports was led by POL (Petroleum, Oil and Lubricants), coal, pearls, precious and semi-precious stones, fertilisers and organic and inorganic chemicals. Service export growth decelerated in 2023-24 due to weakening global demand. India retained its position in the top five exporting (service) countries during 2023.

Net Foreign Direct Investment (FDI) flow fell to US\$ 10.6 billion during 2023-24 from US\$ 28.0 billion in a year ago. Net FDI flows were, however, lower on account of a rise in repatriation of FDI from India.

India's foreign exchange reserves rose during 2023-24, strengthening the buffer for mitigating external risks and spillovers. They were placed at US\$ 646.4 billion as at 31<sup>st</sup> March 2024, an increase of US\$ 68.0 billion over end-March 2023. At the end of March 2024, foreign exchange reserves provided a cover of 11.4 months of imports for 2023-24.

(viii) **Regulatory Changes:** Guidelines set by regulatory bodies (such as the **Insurance Regulatory and Development Authority of India - IRDAI**) influence insurers' operations and profitability. Emerging regulatory initiatives like Product Regulations, Bima Sugam, Bima Vahak, Account Aggregator are being looked upon as ways for bridging the protection gap in life insurance as well as increasing the life insurance penetration in rural India, which is still highly under penetrated.


#### 4. OUTLOOK ON THE LIFE INSURANCE INDUSTRY IN INDIA

India is one of the **fastest-growing insurance markets** globally. By **2032**, it is forecasted to become the **sixth-largest insurance market** in the world, up from the **tenth-largest** in 2022 with a premium volume of USD 131 billion (with 1.9% share in global insurance premium) . Total insurance premiums (both life and non-life) are expected to grow by an average of **14% annually** in nominal local currency terms (equivalent to **9% per annum in real terms**) over the next decade. Specifically, **life insurance premiums** are projected to grow by **9% annually** (in real terms) by 2032, positioning India as the **fifth-largest life insurance market** globally. The growth outlook for India is based on strong economic growth, rising disposable income, a young population, increased risk awareness, digital penetration and regulatory developments.

#### 5. OPPORTUNITIES FOR INSURANCE INDUSTRY

- (i) India has the World's second Largest Population: As per Census 2011, India's population was ~1.25 billion and comprised nearly 245 million households. The population, which grew at nearly 1.5% CAGR between 2001 and 2011 is expected to increase at 1.1% CAGR between 2011 and 2021, to 1.4 billion. The population is expected to reach 1.5 billion by 2031 and number of households are expected to reach ~376 million over the same period.
- (ii) Favourable demographics: As of year 2020, India has one of the largest young populations in the world, with a median age of 28 years. About 87% of Indians will still be below the age of 60 by calendar 2031. CRISIL Report forecasts that 64% of them will be between 15 and 59 years.


**India's Demographic Dividend**



\*Projected

**Note:** Figures may not add up to total due to rounding off



- (iii) **Urbanisation:** Urbanisation across the world has increased and similar trend has been observed in India, currently, close to 35% of the population live in urban areas and this is estimated to increase to 52.8% by 2050 as per World Urbanisation Prospects 2018. Urbanisation of India is one of the most important drive as it will drive substantial investments in infrastructure development, which, in turn, is expected to lead to job creation, development of modern consumer services and increased ability to mobilise savings. An increase in urbanisation has led to improvement in the style of living and awareness to secure financial stability through saving and investments.



Source: United Nations World Urbanisation Prospects, 2018

- (iv) **Low Life Insurance Penetration and insurance density in India:** Insurance penetration and density are two metrics, among others, often used to assess the level of development of insurance sector in a country. While insurance penetration is measured as the percentage of insurance premiums to GDP, insurance density is calculated as the ratio of premium to population (per capita premium).

Despite the strong growth in life insurance in India over the years, indicators such as insurance penetration and insurance density indicate that India is still under-insured as compared to Advance Asia Pacific countries such as South Korea, Taiwan, Singapore and Japan etc.



# Data relates to F.Y., other data relates to calendar year.

1- Insurance density is measured as ratio of premium (in US Dollar) to total population and Insurance penetration is measured as ratio of premium to GDP.

## 6. BUSINESS PERFORMANCE

### A. New Business

#### (i) Individual New Business

During the financial year 2023-24, the Corporation under Individual New Business, has procured 2,03,92,973 Policies with a New Business Premium Income of ₹ 57,716 crore.

During the financial year 2023-24, 91.89 lakh individual policies sold to millennial customers. The percentage of individual policies sold to millennial customers to total number of individual policies sold is 45.06%.

#### (ii) Individual New Business Sum Assured

Individual new business sum assured represents the total sum insured by us for mortality and morbidity risks on the Individual new business written in a given period. During the financial year 2023-24, the Corporation sold total New Business Sum Assured of ₹ 6,30,114.40 crore.

**(iii) Rural Thrust**

Sustained and conscious efforts are made to carry the message of Life Insurance to the rural areas, especially the backward and remote areas. As a result, there has been steady growth of New Business from these areas. The Individual New Business Premium from rural areas amounts to ₹ 17,770.78 crore representing 30.85% completed during the Financial Year 2023-24. The definition of rural/social sector is as approved by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

**(iv) Individual Agent and POSP-LI (Conventional /Tied) Channel**

During the Financial Year 2023-24, conventional channel garnered total ₹ 55,296 crore new business premium and 198.16 lakh policies. Share of the channel in Corporation's performance stood at 97.17% in policies and 96.00% in New Business Premium.

**(v) Bancassurance and Alternate Channels (B&AC)**

During the Financial Year 2023-24, B&AC channel garnered total ₹ 2,078.37 Cr under 3.32 lakh policies. Share of channel in Corporation's performance stood at 1.63% in policies and 3.61% in New Business Premium.

Now the channel has tie up with 85 Banks, 83 Corporate Agents, 301 Brokers, 143 IMFs & Common Service Centre through VLEs/RAPs including those added during the year.

Major contributor in B&AC channel are Bank partners as their share stood at 43.61% on policy count and 78.91% on FYPI count.

With increased focus on alternate channel partners the performance of Brokers and IMFs has increased with Brokers showing a commendable growth of 109% in FYPI, IMFs showing growth of 10.52% in FYPI and Other Corporate agents showing a marginal growth of 1.11%.

The performance of Common Service Centre (CSC) has increased from ₹ 75.29 crore as on 31.03.2023 to ₹ 168.43 crore as on 31.03.2024.

**(vi) Micro Insurance**

In the Financial year 2023-24, 2.39 lakh policies with NBP of ₹ 134.85 crore were completed by Micro agents/tied agents.

**(vii) Digital Marketing**

During the FY 2023-24, the Digital Marketing Department completed 8,235 policies with New Business First Premium of ₹ 222.61 Crores. This includes 2,232 policies & First Premium of ₹ 134.72 Crores sourced through National Pension System (NPS) funded business completed online.

The entire customer onboarding journey including pre-policy medical scheduling, Underwriting, payment mechanism and completion of the policy is paperless.

Under Digital Transformation (Project DIVE), the department has proposed for MarTech solutions.

**(viii) Pension and Group Schemes New Business Premium**

During the year 2023-24, the P&GS vertical completed 37,332 Schemes covering 4,14,17,962 lives with New Business Premium Income (NBPI) of ₹ 1,64,926 crore.

**B. AGENTS**

**(i) Agency Strength**

The total number of Agents on our Roll is 14,14,743 as at 31.03.2024 as against 13,47,325 as on 31.03.2023. During the Financial Year 2023-24, total 2,71,721 agents were recruited out of which 2,07,062 agents were in the age group of 18-40 years.

**(ii) Agent's Club Membership**

In order to motivate and recognize high and consistent performers amongst the agency force, various Clubs have been formed. The details of membership strength of the Clubs are furnished in the Table below:

**MEMBERS OF VARIOUS AGENTS' CLUB**

Name of Club	Membership Year 2023-24
Corporate	455
Galaxy	1,792
Chairman	44,047
Zonal Manager	34,135
Divisional Manager	50,334
Branch Manager	34,399
Distinguished Agents Club	14,188
Total	1,79,350

**(iii) Career Agents Scheme**

The Corporation has a scheme for Urban Career Agents and Rural Career Agents to promote the cause of professionalizing the Agency force. They are given stipends at the start of their career to enable them to settle down in the profession. As on 31<sup>st</sup> March 2024 there are 1,215 Urban Career Agents and 54,267 Rural Career Agents.

City Career Agents Scheme was introduced in 2010 to provide all Development Officers an opportunity to recruit stipendiary Agents. As on 31<sup>st</sup> March 2024 there are 16,671 City Career Agents.

**(iv) Senior Business Associates**

The SBA Scheme was introduced in the year 2009 to recognize high performing Development Officers and to empower them with certain financial and non-financial functions.

**(v) LIC Associates Scheme**

The LICA scheme was introduced from 01.04.2016 with an objective to introduce an innovative distribution channel and strengthening the distribution system by gainfully redeploying the valuable marketing talent of retired Senior Business Associates.

**(vi) Chief Life Insurance Advisor**

LIC introduced the Chief Life Insurance Advisor Scheme 2008 on 12.04.2008 with the objective of increasing the market presence by utilizing the capabilities of existing high performing agents for growth in Agency and New Business.

**New Business Procured through SBAs, LICAs & CLIAs During 2023-24**

Particulars	Number of Policies	First Year Premium Income (₹ in Cr)
SBA	51,15,645	14,106
LICA	9,95,332	3,166
CLIA	36,51,307	9,376

## 7. ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

### A. Income Statement Analysis

#### (i) Revenue Account (Policyholders Account)

The summary of Revenue Account of the Corporation for Financial year 2023-24 along with comparative analysis is as follows:

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2023-24	Financial Year 2022-23	Growth %
Net premium income	4,75,070	4,74,005	0.22
Income from investments (Net)	3,63,944	3,06,390	18.78
Other income	14,648	7,649	91.50
Contribution from Shareholders' A/c - Towards Excess EOM	13	9	38.58
<b>Total (A)</b>	<b>8,53,675</b>	<b>7,88,053</b>	<b>8.33</b>
Net Commission	25,959	25,094	3.45
Operating Expenses	48,122	48,632	0.48
Provisions for doubtful debts (including bad debts written off)	(1,011)	(1,942)	(47.94)
Provisions for diminution in value of investments and Provision for doubtful Debt and Bonds	(1,908)	(12,905)	(85.21)
Goods & Service tax on linked charges	134	109	22.94
Provision for taxes	5,825	5,243	11.10
Benefits Paid(Net)	3,88,809	3,42,577	13.5
Change in actuarial liability	3,53,036	3,43,383	2.81
<b>Total (B)</b>	<b>8,18,966</b>	<b>7,50,191</b>	<b>9.17</b>
<b>Surplus/Deficit (A-B)</b>	<b>34,709</b>	<b>37,862</b>	<b>(8.33)</b>
Amount transferred from Shareholder's Account (Non Technical Account)	2,598	262	892.24
Amount available for appropriation	37,307	38,123	(2.14)
<b>Appropriations</b>			
a. Transferred to Shareholders A/c	40,022	36,049	11.02
b. Funds for Future Appropriations	(2,715)	2,074	

Analysing the Revenue Account of LIC (Life Insurance Corporation of India) can provide insights into its financial performance, revenue sources and surplus/deficit in Policyholders Account.

**a. Premium Income**

The following table sets forth summary of premium income at segment level for the period indicated

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2023-24					Financial Year 2022-23					Growth %
	PAR	Non-Par	Linked	CRAC	Total	PAR	Non-Par	Linked	CRAC	Total	
FY Premium	29,072	2,791	748	-	32,611	31,835	607	589	-	33,031	(1.27)
Single Premium	4,485	16,921	3,699	-	25,105	6,935	15,593	3,198	-	25,726	(2.41)
Total NBP	33,557	19,712	4,447	-	57,716	38,770	16,200	3,787	-	58,757	(1.77)
Renewal Premium	2,42,033	1,940	2,078	1	2,46,052	2,31,277	1,578	1,149	2	2,34,006	5.15
Total Premium (Individual)	2,75,590	21,652	6,525	1	3,03,768	2,70,047	17,778	4,936	2	2,92,763	3.76
P&GS Premium	-	1,71,300	2	-	1,71,302	-	1,81,241	1	-	1,81,242	(5.48)
Total Premium	2,75,590	1,92,952	6,527	1	4,75,070	2,70,047	1,99,019	4,937	2	4,74,005	0.22

Total premium increased marginally by 0.22% from ₹ 4,74,005 crore in FY 2022-23 to ₹ 4,75,070 crore in FY 2023-24. The Non-Participating segment of Individual business has shown a strong growth by 21.79% from ₹ 17,778 crore in FY 2022-23 to ₹ 21,652 crore in FY 2023-24. Unit-Linked segment of Individual business also shown a strong growth by 32.19% from ₹ 4,936 crore in FY 2022-23 to ₹ 6,525 crore in FY 2023-24.

- b. Investment Income:** It includes interest, dividends, and capital gains from investments made by LIC. Net Investment income increased by 18.78% from ₹ 3,06,390 crore in FY 2022-23 to ₹ 3,63,944 crore in FY 2023-24. The rental income from the Estate portfolio for the year 2023-24 is ₹ 559.26 crore, which is an increase of 10.36% over the rental income for the last year.
- c. Other Income:** Other income increased by 91.50% from ₹ 7,649 crore in FY 2022-23 to ₹ 14,648 crore in FY 2023-24. Growth in other income was primarily due to excess provision of income tax of ₹ 7,692.59 crore write-back, pertaining to Assessment Year 2011-12 to 2019-20.
- d. Revenue Analysis:** Revenue includes premiums earned from insurance policies, investment income, and any other sources of income. Total Income increased from ₹ 7,88,053 crore in FY 2022-23 to ₹ 8,53,675 crore in FY 2023-24 primarily on account of an increase in investment income.
- e. Commission expenses:** The following table shows the comparative summary of commission expenses

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2023-24	Financial Year 2022-23	Growth %
First year commission	10,397.52	10,791.81	(3.65)
Single commission	485.56	514.76	(5.67)
<b>Total</b>	<b>10,883.08</b>	<b>11,306.57</b>	<b>(3.74)</b>
Renewal commission	13,115.56	12,507.00	4.87
<b>Total</b>	<b>23,998.64</b>	<b>23,813.57</b>	<b>0.78</b>
Rewards and Remuneration to Intermediaries	1,960.48	1,280.01	53.16
<b>Total Commission</b>	<b>25,959.12</b>	<b>25,093.58</b>	<b>3.45</b>

Total commission increased by 3.45% from ₹ 25,093.58 crore in FY 2022-23 to ₹ 25,959.12 crore in FY 2023-24 primarily on account of increase in rewards and remuneration to intermediaries.

- f. **Operating Expenses related to insurance business:** The following table shows the comparative summary of operating expenses (₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2023-24	Financial Year 2022-23	Growth %
Salaries and other benefits to employees	39,584	40,094	(1.27)
Other Expenses to Management	8,538	8,538	0.00
Total	48,122	48,632	(1.05)

Total operating expenses decreased marginally by 1.05% from ₹ 48,632 crore in FY 2022-23 to ₹ 48,122 crore in FY 2023-24.

- g. **Benefits Paid:** Assess the amount paid out in claims and benefits to policyholders. This includes death benefits, maturity benefits, annuity payments, surrender, withdrawal, interim bonus paid and other claims.

A summary of benefits paid is as under (₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2023-24	Financial Year 2022-23	Growth %
Claims by Death	22,625	23,423	(3.41)
Claims by Maturity	2,08,136	1,85,044	12.48
Annuities	20,107	17,893	12.37
Surrenders etc			
Non linked (Incl)	40,198	35,841	12.16
Linked (Incl.)	2,393	1,760	35.97
P &GS(surrender)	2,604	694	275.22
Total Surrender	45,195	38,295	18.02
P&GS(Withdrawal)	88,631	73,631	20.37
Other Claim Cost(interest on unclaimed amounts) and others	1,255	1,027	22.20
Interim Bonus paid	2,860	3,264	(12.38)
Total Benefits paid	3,88,809	3,42,577	13.50

Total benefits paid increased by 13.50% from ₹ 3,42,577 crore in FY 2022-23 to ₹ 3,88,809 crore in FY 2023-24. The increase was primarily on account of an increase in maturity and surrender claims from ₹ 1,85,044 crore and ₹ 38,295 crore in FY 2022-23 to ₹ 2,08,136 crore and ₹ 45,195 crore in FY 2023-24 respectively, partly offset by decrease in death claims and interim bonus paid.

**(ii) Profit and Loss Account (Shareholders Account)**

The summary of Profit and Loss Account of the Corporation for Financial year 2023-24 along with comparative analysis is as follows: (₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2023-24	Financial Year 2022-23	Growth %
Transfer from Policyholders' Account	40,022	36,049	11.02
Total income under Shareholders' Account			
a. Investment Income	3,695	1,148	221.15
b. Other income	-	3	-
Expenses other than those related to insurance business	246	0	0
Contribution to Policyholders' A/c - Towards Excess EOM	13	9	38.58
Amount transferred to Policyholders' A/c	2,598	262	892.24
Provisions for doubtful debts (including write off)	-	-	-
Provisions for diminution in value of investments & Others	72	471	(84.71)
Profit before tax	40,787	36,457	11.88
Provisions for tax	111	59	88.14
Profit after tax and before Extraordinary Items	40,676	36,397	11.76
Extraordinary Items (Net of tax expenses)	-	-	-
Profit after tax and Extraordinary Items	40,676	36,397	11.76

**Profit After Tax:**

- Profit after Tax (PAT) for the year ended 31/03/2024 is ₹ 40,676 crore as compared to ₹ 36,397 crore for the year ended 31/03/2023.
- The Corporation had changed its accounting policy in September, 2022 regarding transfer of amount pertaining to the accretion on the available solvency margin from Non-Participating Policyholders account to Shareholders account and accordingly transferred a total amount of ₹ 29,518.75 crore (net of tax) in the financial year 2023-24 compared to ₹ 27,240.75 crore in the FY2022-23, which included an amount of ₹ 4,542.31 crore pertaining to the quarter ended March 31, 2022.

- B. Financial Snapshot - Balance Sheet:** The summary of Balance Sheet of the Corporation for Financial year 2023-24 along with comparative analysis is as follows:

(₹ in crore)

Particulars	Financial Year 2023-24	Financial Year 2022-23	Growth %
<b>SOURCES OF FUNDS</b>			
<b>SHAREHOLDERS FUNDS:</b>			
Share Capital	6,325	6,325	0.00
Reserves and Surplus	75,740	39,492	91.79
Fair Value Change Account	(127)	(148)	(14.04)
<b>POLICYHOLDERS' FUNDS:</b>			
Fair Value Change Account	6,92,682	3,48,280	98.89
Policy Liabilities	43,95,325	40,51,248	8.49
Funds for Discontinued Policies			
(i) Discontinued on Account of non-payment of premiums	394	163	141.88
(ii) Others	14	14	0.00
Insurance Reserves	15,594	15,678	(0.54)
Provision for Linked Liabilities	34,876	26,159	33.32
<b>Sub-Total</b>	<b>51,38,885</b>	<b>44,41,543</b>	<b>15.70</b>
Fund for Future Appropriations	1,215	3,919	(69.00)
<b>TOTAL</b>	<b>52,22,038</b>	<b>44,91,131</b>	<b>16.27</b>
<b>APPLICATION OF FUNDS</b>			
Investment-Shareholders'	63,744	29,364	117.09
Investments-Policyholders'	48,76,512	41,89,178	16.41
Assets held to cover Linked Liabilities	35,258	26,310	34.01
Loans	1,20,258	1,15,562	4.06
Fixed Assets	4,057	3,820	6.21
Net Current Assets	1,22,209	1,26,899	(3.70)
<b>TOTAL</b>	<b>52,22,038</b>	<b>44,91,131</b>	<b>16.27</b>

- a) **Reserve and Surplus:** Reserve and surplus (Shareholders' fund) as at 31.03.2024 increased to ₹ 75,740 crore from ₹ 39,492 crore as at 31<sup>st</sup> March, 2023.
- b) **Fair Value Change Account:** Fair Value Change Account (Policyholders' fund) increased from ₹ 3,48,280 crore as at 31<sup>st</sup> March, 2023 to ₹ 6,92,682 crore as at 31<sup>st</sup> March 2024. The increase of 98.89% is primarily due to increase in share prices during the current financial year.
- c) **Policy Liabilities:** The Policy Liability in respect of the Life Insurance Business as on date of valuation depends upon the Business volume and mix and the actuarial assumptions considering the expected future experience in respect of various underlying parameters such as mortality, morbidity, investment yields, persistency, expenses and inflation, etc.
- d) **Provision for Linked Liabilities:** Provision for linked liabilities (Policyholders' fund) increased from ₹ 26,159 crore as at 31<sup>st</sup> March, 2023 to ₹ 34,876 crore as at 31<sup>st</sup> March 2024. The Policyholders Linked Liabilities represents the unit liability in respect of Linked business and has been considered as the value of the units standing to the credit of the policyholders, using the Net Assets Value (NAV) as on valuation date.

- e) **Investments:** Life insurance companies hold a significant portion of their assets in investments such as government securities, debentures, corporate bonds, mutual funds, equities etc. The summary of investments as on 31<sup>st</sup> March, 2024 along with comparative figures are as follows:

(₹ in crore)		
Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
<b>Investments</b>		
a. Shareholders'	63,744	29,364
b. Policyholders'	48,76,512	41,89,178
Assets held to cover linked liabilities	35,258	26,310
<b>Total Investments</b>	<b>49,75,514</b>	<b>42,44,852</b>

Total investment grew by ₹ 7,30,662 crore from ₹ 42,44,852 crore as at 31<sup>st</sup> March, 2023 to ₹ 49,75,514 crore as at 31<sup>st</sup> March 2024. Total Equity Investment Portfolio constitute ₹ 12,39,740 crore as against ₹ 8,39,662 crore in FY 2022-23, whereas other investments constitute ₹ 37,35,774 cr as against ₹ 34,05,190 cr in FY 2022-23. For detailed category wise breakup of investments, refer Schedule 8, 8A and 8B of Financial Statements. Increase in policyholders' investment portfolio is attributable to increase in difference between available surplus which is the premium and investment income and expenses of management and claims.

The yield on investments (on shareholders' fund) for the financial year 2023-24, without unrealised gains is 8.02% and yield on investments (on policyholders' fund) for the financial year 2023-24, without unrealised gains is 8.93%.

- f) **Fixed Assets:** Fixed Assets (net of depreciation) have increased from ₹ 3,820 crore as at 31<sup>st</sup> March, 2023 to ₹4,057 crore as at 31<sup>st</sup> March 2024.
- g) **Net Current Assets:** Net Current Assets have decreased by 3.70% from ₹ 1,26,899 crore as at 31<sup>st</sup> March, 2023 to ₹ 1,22,209 crore as at 31<sup>st</sup> March 2024.

### C. Cash flow statement

The following table set forth, for the period indicated, a summary of the cash flows:

(₹ in crore)		
Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Net cash generated from/(used in) operating Activities	28,484.35	59,718.02
Net cash generated from/(used in) investing Activities	(27,702.65)	(58,196.10)
Net cash generated from/(used in) financing Activities	(4,427.20)	(948.59)
Cash and cash equivalent at the end of period	34,711.53	38,445.10

#### (i) Operating Activities

Net cash flow generated from operating activities decreased from ₹ 59718.02 crore in FY2023 to ₹ 28,484.35 crore in FY2024 primarily on account of an increase in policy benefits paid from ₹ 3,47,296.28 crore in FY2023 to ₹ 3,89,546.77 crore in FY2024 offset in part by decrease in payment of other operating expenses etc.

#### (ii) Investing Activities

Sale of investment increased from ₹ 2,20,844.28 crore in FY 2023 to ₹ 2,55,745.58 crore in FY2024. Also, rent/ interest/dividend received increased from ₹ 2,67,739.28 crore in FY 2023 to ₹ 2,91,778.40 crore in FY 2024. The impact on net cash flow on account of the above was offset in part by purchase of investments etc.

### (iii) Financing Activities

Net cash flow for financing activities increased from ₹ 948.59 crore in in FY 2023 to ₹ 4,427.20 crore in FY 2024 due to increase in volume of business as well as in interest/dividends paid.

### D. Disclosure of Accounting Treatment:

While preparing financial statements, Corporation has complied with accounting standards notified under section 133 of the companies act 2013 and same has been disclosed in significant accounting policies forming part of financial statements.

## 8. KEY PERFORMANCE INDICATORS

Following are the key parameters on which performance of the Corporation can be measured

- (i) **Market Share:** Life Insurance Corporation (LIC) of India has historically held a dominant position in the Indian life insurance market. With its extensive network and over six decades long presence, LIC has maintained a substantial market share, i.e. 58.87% of the total life insurance business in the country as at 31<sup>st</sup> March 2024 by First Year Premium Income. In terms of Individual First Year Premium Income, LIC market share is 38.44%. P&GS Market Share in FYPI is 72.30%, while in policies, LIC overall market share is 69.91%. This significant market share underscores LIC's widespread reach, brand recognition and the trust it commands among Indian consumers.

While LIC faces increasing competition from private insurers, its market dominance remains resilient, supported by its wide range of insurance products, strong distribution network and government backing. However, ongoing market dynamics and regulatory changes may influence LIC's market share over time, necessitating continuous strategic adaptation to maintain its competitive edge.

- (ii) **Product Mix:** LIC offers a diverse portfolio of life insurance products catering to varied customer needs and preferences. Its product mix includes traditional endowment plans, whole life plan, term insurance plans, pension plans, unit-linked insurance plans (ULIPs), health insurance and microinsurance products. Traditional plans, such as whole life and money-back plans have been the cornerstone of LIC's product offerings, providing long-term savings and protection benefits to policyholders.

In recent years, LIC has also introduced innovative products tailored to evolving market demands, such as unit-linked plans with investment options and whole life insurance plans with comprehensive coverage. This balanced product mix allows LIC to appeal to a broad customer base, ranging from individuals seeking basic life coverage to those interested in investment-linked insurance solutions.

Continuous product innovation, coupled with effective marketing strategies, enables LIC to maintain its leadership position and adapt to changing consumer preferences and market trends.

### SEGMENT-WISE OR PRODUCT-WISE PERFORMANCE:

Segment-Wise or product-wise performance is available in the Financial Statements, which form a part of this Annual Report.

- (iii) **Distribution Mix:** LIC's extensive distribution network is one of its key strengths, facilitating widespread accessibility and customer outreach across urban and rural areas in India. The company operates through a multi-channel distribution framework encompassing agents, bancassurance partnerships and digital platforms.

LIC's extensive network of agents, often referred to as insurance advisors, plays a pivotal role in reaching out to customers, educating them about insurance products and facilitating policy sales and servicing. Bancassurance tie-ups with leading banks, Corporate Agents, Brokers and IMFs further expand LIC's distribution reach, enabling it to leverage the existing customer base of partner organizations.

In addition to traditional channels, LIC has embraced digitalization to enhance customer engagement and streamline distribution processes. The company offers online platforms and mobile applications for policy purchase, premium payments, claims processing and customer service catering to tech-savvy consumers and millennials.

By leveraging a diverse distribution mix, LIC effectively addresses the varying needs and preferences of its customer segments while ensuring widespread market penetration and customer satisfaction.

- (iv) **Assets Under Management (AUM):** The Corporation's consolidated AUM increased by 16.48% from ₹ 43,97,205 crore as at 31<sup>st</sup> March 2023 to ₹ 51,21,887 crore as on 31<sup>st</sup> March 2024.

(₹ in crore)

#### Assets Under Management



- (v) **Expenses of Management Ratio**

The Corporation continuously focuses on cost to reduce operating expenses. Our total Expenses of Management Ratio marginally increased from 15.53% in FY 2023 to 15.57% in FY 2024.

- (vi) **Commission Ratio**

The Corporation Commission Ratio marginally increased from 5.39% in FY 2023 to 5.46% in FY 2024.

- (vii) **Profitability:** Profit after tax (PAT) increased from ₹ 36,397 crore in FY2023 to ₹ 40,675 crore in FY 2024 primarily due to increase in surplus from non- participating segment (transfer of amount pertaining to the accretion on the available solvency margin from non-participating account to Shareholders account). Please refer Note No. of Schedule 15 (A) (C) of Notes to Accounts forming part of Standalone Financial Statement, for increase in profit for FY 2023-24.

- (viii) **Net Worth:** During the Financial Year 2023-24, the net worth has increased by 79.42% from ₹ 45,669.40 crore as at March 31<sup>st</sup> 2023 to ₹ 81,938.16 crore as at March 31<sup>st</sup> 2024. The net worth of LIC has consistently increased. The increase in net worth is on account of increase in profit.

(₹ in crore)

#### Net worth of LIC



Profitability and net worth are key indicators of the financial health and stability of Life Insurance Corporation (LIC) of India.

- (ix) **Earnings Per Share (EPS)** EPS reflects the company's profitability on a per-share basis. Basic and diluted EPS before extraordinary items (net of tax expenses) has increased from ₹ 57.55 as at 31<sup>st</sup> March 2023 to ₹ 64.31 as at 31<sup>st</sup> March 2024.
- (x) **Solvency:** Solvency ratio is a regulatory measure of capital adequacy for Indian Insurance companies and is calculated by dividing an insurer's available solvency margin by its required solvency margin, each as calculated in accordance with IRDAI guidelines. The minimum Solvency Ratio required to be maintained is the control limit of 1.50, as set by the IRDAI. The Corporation Solvency Ratio (within India business) increased from 1.87 as at March 31<sup>st</sup> 2023 to 1.98 as at March 31<sup>st</sup> 2024.

- (xi) **Persistency:** Persistency Ratio measures the percentage of the issued business that remains in force and premium paying after a certain period of time. Maintaining a high level of persistency is important for our results of operations, as a large block of in-force policies provides us with regular revenue in the form of regular premiums.

Individual Products	13 <sup>th</sup> Month	25 <sup>th</sup> Month	37 <sup>th</sup> Month	49 <sup>th</sup> Month	61 <sup>st</sup> Month
On number of policies basis					
FY 2023 (in %)	64.28	56.97	56.90	51.05	49.86
FY 2024 (in %)	<b>66.99</b>	<b>57.47</b>	<b>52.50</b>	<b>53.23</b>	<b>48.59</b>
On premium basis					
FY 2023 (in %)	77.09	69.93	70.05	63.53	61.80
FY 2024 (in %)	<b>77.66</b>	<b>71.00</b>	<b>65.47</b>	<b>66.31</b>	<b>60.88</b>

- (xii) **Annualised Premium Equivalent (APE):** The Corporation total APE increased by 0.51% from ₹ 56,682 crore in FY 2023 to ₹ 56,970 crore in FY 2024 primarily due to increase in APE for Group business by 2.90% from ₹ 18,015 crore in FY 2023 to ₹ 18,537 crore in FY 2024.


- (xiii) **Value of New Business and (VoNB) and VoNB Margin:** VoNB is an important metric of profitability as it reflects the additional value generated through the activity of writing new policies during any given period. VoNB margin is the ratio of VNB to APE for the relevant period and is a measure of expected profitability of new business in percentage terms.

The Corporation's VoNB and VoNB margins for FY 2023 were ₹ 9,156 crore and 16.2% respectively. For FY 2024 our VoNB and VoNB margins were ₹ 9,583 crore and 16.8% respectively.

- (xiv) **Indian Embedded Value (IEV):** IEV increased by 24.92% from ₹ 5,82,243 crore in FY 2023 to ₹ 7,27,344 crore in FY 2024. The increase in IEV is attributed to increase in (i) Value of In-force (VIF) business by 22.71% from ₹ 5,36,128 crore in FY 2023 to ₹ 6,57,902 crore in FY 2024 and (ii) Adjusted Net Worth (ANW) by 50.59% from ₹ 46,115 crore in FY 2023 to ₹ 69,443 crore in FY 2024.

(₹ in crore)

#### Indian Embedded Value



## 9. SOFTWARE DEVELOPMENT

LIC has embraced its digital journey by going physical to digital by introducing a range of services for customers, field force and employees convenience. LIC's customer portal and LIC Digital Mobile App, digital channel for collections, in-house core insurance package, e-FEAP has fully digitalised our internal operations along with Enterprise Document Management Systems (EDMS) to facilitate servicing and information delivery to our customers. Online service request modules enable submission and fulfilment of various customer servicing requests.

### Major initiatives undertaken:

Please refer Page No. 196 and 197 of Annual Report.

## 10. HUMAN RESOURCES:

### a) Staff Strength

The number of employees of the Corporation as on 31.03.2024 is 98,661 as against 98,463 at the end of the previous financial year.

### b) Empowerment of Women

23.56% of the workforce consists of women employees in different cadres. Our Central Office and all Zonal Offices and Divisional Offices have Internal Complaint Committee for the prevention of sexual harassment at workplace and all such committees are functioning effectively.

The Corporation is mindful of its responsibilities towards the weaker sections and adheres to all government Guidelines on reservation to Scheduled Caste/Scheduled Tribes and Other Backward Classes, persons with disabilities as well as Ex-Servicemen, Economically Weaker Sections.


## 11. LIC GOLDEN JUBILEE FOUNDATION

LIC Golden Jubilee Foundation was established in the year 2006 as a part of LIC's Community Service initiatives. The objectives of the Foundation are Relief of Poverty or Distress, Advancement of Education, Medical Relief and Advancement of any other object of General Public Utility. LIC is the sole contributor to the Corpus of the Foundation and contributed ₹ 100 Crore during the Financial Year 2023-24. As on 31.03.2024, the Foundation has a Corpus of ₹ 460 Crore. Interest earned on the corpus is utilised for funding various charitable projects and scholarships to students.

Since inception, Foundation has supported NGOs pan India which are working towards the above objectives. The total number of sanctioned projects and amount during the Financial Year 2023-24 are 116 and ₹ 33.82 crore respectively.

LIC Golden Jubilee Scholarship Scheme is another initiative of the Foundation, which provides scholarships to children from economically weaker sections of the society to pursue higher education till completion of graduation /professional course. GJF provides scholarships varying from ₹ 20,000/- to ₹ 40,000/- p.a. depending on the course of graduation and ₹ 15,000/- special scholarship to girl child for pursuing 10 + 2 education. The total number of beneficiaries and scholarship amount disbursed during the Financial Year 2023-24 are 9,616 and ₹ 10.20 crore respectively.

## 12. LIC GROUP STRUCTURE



### 13. PERFORMANCE OF INDIAN SUBSIDIARIES, ASSOCIATES & JOINT VENTURES

Life Insurance Corporation of India has the following Subsidiaries and Associate Companies operating in India:

#### A. LIC HOUSING FINANCE LIMITED (Associate- LIC's stake: 45.24%)

LIC Housing Finance Ltd. was incorporated in 1989 and has its Corporate Office in Mumbai. It has 9 Regional Offices, 23 Back Offices, 310 Marketing Offices and 1 Customer Service Point in the country and a representative office in Dubai. The Company's shares are listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange. The Company is rated 'AAA Stable' by CRISIL & CARE.

Total Assets of the Company is ₹ 2,91,205 crore as at 31.03.2024. Loan disbursement for the year 2023-24 is ₹ 58,937 crore. Outstanding loan portfolio as at 31.03.2024 is ₹ 2,86,844 crore. Total Income for FY 2023-24 is ₹ 27,234.64 crore and PAT as at 31.03.2024 is ₹ 4,765.41 crore.

#### B. LIC HFL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED (Associate-LIC's stake: 5.38%)

LIC HFL Asset Management Company Limited was incorporated in 2008. LIC HFL Asset Management Co Ltd manages Alternative Investment Fund (AIF) / Venture Capital Fund (VCF) as Investment Manager.

Total income for FY 2023-24 is ₹ 15.83 crore and PAT is ₹ 6.58 crore.

#### C. LIC MUTUAL FUND ASSET MANAGEMENT LIMITED (Associate-LIC's stake: 44.61%)

LIC Mutual Fund (the "Mutual Fund") has been constituted as a trust on 20.04.1989, with LIC of India as the Sponsor, LIC Mutual Fund Trustee Private Ltd. as the Trustee and LIC Mutual Fund Asset Management Ltd as the Investment Manager to LIC Mutual Fund. With a network of 187 Investor service centers, 36 Area Offices and 197 Sales Team members, LIC MF is present in around 200 locations spread over length and breadth of the country.

As of 31<sup>st</sup> March 2024, LIC Mutual Fund has been managing 39 schemes. During the year 2023-24, the AMC has mobilized gross sales of ₹ 1,14,107 crore from all live schemes. The total number of investors as on 31.03.2024 stood at 5,80,269. Average Assets under Management (AAUM) was ₹ 30,490 crore for the last quarter of 2023-24 and it ranked 23<sup>rd</sup> in terms of AAUM in the Industry. Total income for FY 2023-24 is ₹ 94.60 crore and PAT as at 31.03.2024 is ₹ 10.98 crore.

#### D. LIC MUTUAL FUND TRUSTEE PRIVATE LIMITED (Associate-LIC's stake: 49.00%)

LIC Mutual Fund Trustee Pvt. Ltd. is the Appointed Trustee (corporate entity) and holds the fiduciary responsibility of LIC Mutual Fund. It functions as the Trustee Company to LIC Mutual Fund.

Total income for the year ended 31.03.2024 is ₹ 0.52 crore and PAT as at 31.03.2024 is ₹ 0.24 crore.

#### E. LIC PENSION FUND LIMITED (Wholly owned subsidiary of LIC)

LIC Pension Fund Limited was incorporated in 2007 under the Companies Act, 1956 by Life Insurance Corporation of India, and has its Corporate Office in Mumbai. It acts as a Fund Manager for managing the funds received from NPS Trust.

The total Assets under Management (AUM) was ₹ 3,22,161.92 crore as on 31<sup>st</sup> March 2024. Total income for FY 2023-24 is ₹ 133.85 crore and PAT as at 31.03.2024 is ₹ 57.96 crore.

#### F. LIC CARDS SERVICES LIMITED (Wholly owned subsidiary of LIC)

LIC Cards Services Ltd., (LIC CSL) was incorporated on 11<sup>th</sup> November 2008 as a wholly owned subsidiary of LIC of India. The Company has its Corporate Office in Delhi and 12 Area Offices, 281 City Sales Managers, 781 Chief Cards Service Advisors and 32,405 Sales representatives. LIC CSL is in the business of distribution of cards and has tie-ups with Axis Bank, IDFC First Bank and IDBI Bank. The Company has also entered into an Agreement with M/s Sodexo SVC India Pvt Ltd (SSVC) for issuing Meal Cards to employees of LIC.

Total Number of cards sold for the FY 2023-24 is 78,820 and No. of Outstanding cards as on 31.03.2024 is 5,58,002. Total income for FY 2023-24 is ₹ 29.14 crore and PAT as at 31.03.2024 is ₹ 8.24 crore.

**G. IDBI BANK LIMITED (Associate–LIC's stake: 49.24%)**

Acquired as a Subsidiary in January 2019, the Bank became our Associate Company in December 2020. Headquartered in Mumbai, the Bank has a pan-India presence of over 2,000 branches and over 3,300 ATMs. IDBI Bank is a full-service universal bank. The Bank is the largest Bancassurance partner of LIC.

Deposits as at 31.03.2024 is ₹ 2,77,657 crore and Advances is ₹ 1,88,621 crore. Total income for FY 2023-24 is ₹ 17,797 crore and PAT as at 31.03.2024 is ₹ 5,634 crore.

**H. IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED (Associate–LIC's stake: 29.84%)**

IDBI Trusteeship Services Limited (ITSL) was incorporated in August 2000 and was registered with SEBI in 2001. ITSL provides a wide spectrum of trusteeship services to Corporates.

Total income for FY 2023-24 is ₹ 99.12 crore and Profit for FY 2023-24 is ₹ 57.37 crore.

**14. OVERSEAS OPERATIONS**

**a) Overseas Branches:**

The Corporation directly operates through its branch offices in Fiji (Suva and Lautoka), Mauritius (Port Louis) and United Kingdom (Watford). During the year 2023-24, the Overseas Branches put together issued 10,951 policies with a New Business Premium Income of ₹ 144.20 Cr.

**b) Overseas Subsidiaries:**

**Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c):**

Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) was established in Bahrain as a subsidiary of Life Insurance Corporation of India. Share holding of LIC of India in the Company is 99.66%. The operations commenced on 23<sup>rd</sup> of July 1989 and initially catered to the life insurance needs of Non-Resident Indians (NRIs) and later extended to the local population in the Gulf countries by issuing life insurance policies in US Dollars. The Company operates in 4 GCC countries of Bahrain, Kuwait, UAE (Dubai & Abu Dhabi), and Qatar. The Company sold 1,551 policies during Financial Year ending 31.12.2023 with a New Business Premium Income of ₹ 307.79 Cr.

**Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.:**

Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with Vishal Group alongwith public share holding and was established on 1<sup>st</sup> of Sep 2001. It is a listed Company whose shares are traded on the Nepal Stock Exchange. Share holding of LIC of India in the Company is 55%. The Company sold 59,574 policies during Financial Year ending on 31.03.2024 with a New Business Premium Income of ₹ 141.47Cr.

**Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd.:**

Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with BartleetTranscapital Ltd. and was established on 7<sup>th</sup> of Oct. 2002. Share holding of LIC of India in the Company is 90.91%. The Company sold 4,188 policies during Financial Year ending on 31.03.2024 with a New Business Premium Income of ₹ 23.11Cr.

**Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.:**

Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd. is a subsidiary of LIC of India partnering with Strategic Equity Management Ltd. and Mutual Trust Bank Ltd. and is incorporated under the Companies Act (Act XVIII) of 1994 of Bangladesh on 14.12.2015. Share holding of LIC of India in the Company is 83.33% The Company sold 4,491 policies during the Financial Year ending 31.03.2024 with a New Business Premium Income of ₹ 8.53 Cr.

**c) Foreign Wholly Owned Subsidiary:**

**Life Insurance Corporation (Singapore) Pte.Ltd.:**

Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd., a Wholly Owned Subsidiary was incorporated on 30<sup>th</sup> of April, 2012 in Singapore. The Company sold 250 policies during the Financial Year ending 31.03.2024 with a New Business Premium Income of ₹ 87.40 Cr.

**d) Overseas presence by way of Equity participation:**

**Kenindia Assurance Company Ltd.:**

Kenindia Assurance Company Ltd, formed with Equity participation by LIC of India, General Insurance Corporation of India and others, was established on 6<sup>th</sup> of December 1978 in Kenya. Share holding of LIC of India in the Company is 10.21%. The Company transacts both life and non-life business. The Company sold 6,725 Individual Life Insurance policies during Financial Year ending on 31.12.2023 with a First Premium Income of ₹ 426.49 Cr.

**Saudi Indian Company for Co-operative Insurance:**

Saudi Indian Company for Co-operative Insurance (SICCI) (Wafa Insurance) is a Saudi Joint Stock Company established on 7<sup>th</sup> of August, 2007 with Equity participation by LIC of India wherein the current Share holding is 4.98%.

**e) Branch Office at Gift City:**

Board gave in principle approval to setup a Branch office of the corporation at International Financial Service Centre, Gift City, Gandhi Nagar Gujarat, subject to regulatory approval(s).

**15. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)**

Life Insurance Corporation has a robust Enterprise Risk Management framework to conduct its business in an orderly fashion. The framework considers all the risks faced by the Corporation and ensures that there are adequate systems, processes and trained personnel in place.

**Organisation Structure**

The department governed by Managing Director, Executive Director and Chief Risk Officer reports to Risk Management Committee of the Board, which proposes policies to be reviewed and approved by the Board.

**Risk Governance Frame Work:**

Based upon the recommendations of the Risk Management Committee the Board approves the Enterprise Risk Management Policy, Risk Appetite statement, ALM Policy and Business Continuity Plan of the Corporation on an annual basis. There are three lines of defence to manage the risks – Line of Defence 1 - the Departments, Zones, Divisions and Branches who own the Risks, the Risk Management Department in Line of Defence 2 to review the risks and audit in Line of Defence 3 to audit the effectiveness and reliability of risk management systems, policies, processes and Personnel.

**Key Risk Management Tools:**

**ERM Module:**

An enterprise risk management module is used to assess qualitative and quantitative risks and the resultant reports are discussed in the CERM and RMCB.

Key Risk Management tools are Risk Appetite Statements, Risk Registers, Incident Management Framework (fraud monitoring), Top Risks and Key Risk Indicators. The tools are used by the three lines of defence and decisions are taken by the management to mitigate the risks.

### Top Risks and Key Risk Indicators:

The top risks for the Corporation are identified by analysing the materiality / impact of key risks faced by the Corporation. The assessment of Key Risk Indicators is completed every quarter. The Top Risks and associated Key Risk Indicators are updated on an annual basis.

### Business Continuity Measures (BCM):

The Corporation has Board approved plan for business continuity. The continuity plan has been formalized to provide measures to be taken to respond to events such as natural disasters, pandemic and technical disruptions etc.

### The mitigation strategies for various risks as under Enterprise Risk Management framework:

LIC is a premier institutional investor in the Indian Financial Markets. Its funds are invested in asset classes in line with the IRDAI (Investment) Regulations. The Corporation is exposed to various risks like market risk, credit risk, interest rate risk, liquidity risk, counterparty risk, compliance risk, ethics and fraud risk to name a few. The enterprise risks are systematically identified and systems & procedures have been implemented to address these risks so that not only the policyholders' funds are protected but also their reasonable expectations are met.

## 16. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY

The Corporation has institutionalised a robust and comprehensive internal control mechanism through Audit, Inspection and Vigilance across key processes to ensure reliability of financial reporting, timely feedback on achievement of operational and strategic goals, compliance with policies, procedures, laws and regulations. The internal audit function provides independent and reasonable assurance about the adequacy and operating effectiveness of internal controls to the Board and Audit Committee. Internal Audits are conducted by an in-house Internal Audit team and by the co-sourced auditor (an external Chartered Accountant Firm). The internal audit planning activity ensures coverage of the Corporation business process and transactions across all offices of the Corporation. The internal audit function also tests and reports on adequacy and operating effectiveness of internal financial controls.

The Inspection Policy approved by the Board stipulates that every office of the Corporation in India shall be inspected at least once a year by Officers of Inspection Department. The exercise of Inspection is a pre-emptive measure against systemic lapses.

More focus was on preventive Vigilance through dissemination of information in areas susceptible to fraud.

As per guidelines of CVC, Integrity Pact (IP) is being implemented in procurement processes of our organisation. As regards Stores Purchase and Building Contracts, it is being ensured that CVC guidelines are strictly followed.

Proactive and Preventive Vigilance measures were taken in identifying systemic issues and suggestions made for corrective action to the respective Controlling Departments of Central Office.

The Corporation has a well-established Enterprise Risk Management (ERM) framework in place to actively manage material risks. The ERM framework aligns the Corporation's strategy and business decisions with risk appetite of the Corporation.

## 17. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

The Corporation has been awarded the first prize at the All India level for the ninth consecutive time by 'Aashirwad - Literary, Social and Cultural Organization' for its excellent work in the field of official language.

36 offices of the Corporation were honored with various awards by the Government of India, Ministry of Home Affairs and Town Official Language Implementation Committees.

There is a Hindi Version of Annual Report available in this volume itself.

## 18. RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT, 2005

To ensure easy access to information under the RTI Act, 2005, LIC of India has appointed CPIOs and Appellate Authorities at all its Divisional and Zonal Offices apart from the Central Office.

The Details of CPIOs and Appellate Authorities Pan India are available on LIC website at <https://licindia.in/web/guest/rTI-center>.

# BOARD'S REPORT

Dear Members,

Your Board of Directors ("Board") is pleased to present the 67<sup>th</sup> Annual Report of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation" or "LIC" or "LIC"), together with the audited financial statements for the year ended March 31, 2024

## 1. HIGHLIGHTS OF FINANCIAL PERFORMANCE:

The highlights of the standalone financial performance of the Corporation for the financial year under review, are presented below:

(₹ in crore)

Particulars	2023-24	2022-23	Growth (%)
New business Premium (Net of Reinsurance)			
First Year Premium	39,007.99	39,054.94	-0.12
Single Premium	1,83,633.45	1,92,960.65	-4.83
Renewal Premium	2,52,428.14	2,41,989.02	4.31
Total Premium	4,75,069.58	4,74,004.61	0.22
Investment & Other income	3,78,605.26	3,14,048.03	20.56
Total Income	8,53,674.84	7,88,052.64	8.33
Profit after Tax (PAT)	40,676.00	36,397.39	11.75

Other Key Parameters:

Particulars	2023-24	2022-23	Growth (%)
Corporation's Annual Premium Equivalent (APE) (₹ in crore)	56,970.00	56,682.00	0.51
Assets under Management (₹ in crore)	51,21,886.90	43,97,204.59	16.48
Embedded Value (₹ in crore)	7,27,344.00	5,82,243.00	24.92
*Solvency Margin	1.98	1.87	-

\*Solvency margin is calculated before considering the proposed final dividend for the FY

Your Corporation witnessed consistent performance and growth in the FY 2024. Some of the other key parameters of the Corporation are as follows:

- Gross NPA has decreased by 11.09 % from ₹ 12,031.36 crore in the FY 2023 to ₹ 10,697.53 crore in the FY 2024.
- Net NPA has decreased by 13.32 % from ₹ 5.93 crore in the FY 2023 to ₹ 5.14 crore in the FY 2024.
- Basic & Diluted EPS for the FY 2024 is ₹ 64.31.
- Net retention ratio for the FY 2024 is 99.86%

## 2. DIVIDEND AND RESERVES:

In terms of Section 28B of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956"), the Board of Directors of the Corporation in its meeting held on February 08, 2024, declared 1<sup>st</sup> interim dividend of ₹ 4 per equity share on 632,49,97,701 equity shares of ₹ 10/- each, for the FY 2023-24 involving a cash outflow of ₹ 2,530 crore. The same was paid on March 01, 2024.

Further, the Board of Directors in its meeting held on May 27, 2024, recommended a final dividend of ₹ 6/- per equity share on 632,49,97,701 equity shares of ₹ 10/- each, for the FY 2023-24, subject to the approval by the members of the Corporation in the 3<sup>rd</sup> Annual General Meeting. The final dividend on equity shares, if approved by the Members, would involve a cash outflow of ₹ 3,795 crore. The total dividend for the FY 2023-24 amounts to ₹ 10/- per equity share and would involve a total cash outflow of ₹ 6,325 crore which translates into a dividend pay-out ratio of 15.55%.

In terms of Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations” or “Listing Regulations”), the Corporation has formulated a Dividend Distribution Policy (“Dividend Policy”), which has been approved by the Board of Directors. The Dividend Policy of the Corporation is also available on the website of the Corporation at <https://licindia.in/documents/20121/46602/Dividend-distribution-policy.pdf/a099808b-9f30-9c88-29cd-1d3e63d19456?t=1665744390416>

The Corporation has carried forward a profit amounting to ₹ 36,248.29 crores during the FY 2023-24 to the Reserves. The Corporation has accumulated profit of ₹ 75,711.26 crores as at March 31, 2024.

### 3. CAPITAL AND SHAREHOLDING:

The Corporation has not issued any fresh equity shares during the year. The Authorised Share Capital of the Corporation is ₹ 25,000 crore divided into 2,500 crore shares of ₹ 10/- each and the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Corporation as at March 31, 2024 is ₹ 63,24,99,77,010 comprising of 6,32,49,97,701 equity shares of the face value of ₹ 10/- each.

In terms of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, the Corporation has received the following approvals:

- Pursuant to Rule 19A (6) of the Securities Contract (Regulations) Rules (SCRR) 1957, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance vide Office Memorandum dated December 20, 2023 has granted one-time exemption allowing the Corporation to achieve 25% Minimum Public Shareholding (MPS) within 10 years from the date of listing i.e., till May 2032 in the public interest.
- Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) vide its letter dated May 14, 2024 has conveyed its decision, to grant additional time of 3 years to the Corporation to achieve 10% public shareholding under Rule 19(2)(b)(iv) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, i.e., within a period of 5 years from the date of listing, i.e., till May 16, 2027.

### 4. PRODUCTS:

Your Corporation offers a wide variety of products, which fulfil the needs of different customer segments of the society.

During the financial year 2023-24, the Corporation introduced six (6) new Individual Products viz. LIC’s Dhan Vriddhi, LIC’s Jeevan Kiran, LIC’s Jeevan Utsav, LIC’s Jeevan Dhara - II, LIC’s Index Plus and LIC’s Amritbaal and one (1) Group Product viz. LIC’s Group Post-Retirement Medical Benefit Plan.

In addition, the Corporation also introduced modified versions of four (4) Individual Products viz. LIC’s Cancer Cover, LIC’s Dhan Vriddhi, LIC’s New Jeevan Shanti, LIC’s Jeevan Akshay-VII and two (2) Group Products viz. LIC’s New One Year Renewable Group Term Assurance Plan-I and LIC’s New One Year Renewable Group Term Assurance Plan-II.

As at the end of the financial year 2023-24, the Corporation had forty-one (41) Individual Products, twelve (12) Group Products, seven (7) Individual Riders and one (1) Group Rider, available for sale.

### 5. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT:

#### (A) Policy Servicing:

Servicing of policies is one of the important aspects in the value chain for life insurance, especially due to the contracts being for long-terms. Customer service facilities start with our Branch Offices/ Satellite Offices through which the customers can avail all the required services, like nomination, assignment, change of address, loan, surrender etc. In an endeavor to provide best services to Customers we have taken many initiatives like ‘Anywhere Services’ where policy holder can avail services at branches other than servicing branch, customer portal has been created to avail most of the services online. There are many channels available for payment of premium which include digital payment through net banking, credit card, debit card, UPI, e-wallets on LIC Customer portal. Premium can also be paid through Auto Debit, NACH and Electronic Bill pay process. Offline channels where premium can be paid in cash or through Cheque are enabled at IDBI Bank, Axis Bank, City Union Bank, Common Service Centre (CSC), Suvidha Infoserve, MP Online and APT Online and Premium paying points operated by selected Agents/Development Officers/SBAs. LIC has also on-boarded Bharat Bill Payment System (BBPS) platform and the customer can pay Renewal Premium through all Operating Units of BBPS ecosystem.

LIC has centralized call center which is operational 24x7 by calling at 022-68276827. Services are available in eight Regional languages (Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Tamil and Telugu) in addition to English and Hindi. There are 74 Customer Zones operative across India which functions from 8.00 a.m. to 8.00 p.m. Customers can also connect now through our new WhatsApp services Number 8976862050.

An initiative called LICHELP enables policyholders to send SMS LICHELP<POLICYNO> to 9222492224 and an official from Customer Zone mapped to the servicing branch of the policy, contacts the customer and supports for any service requirement.

The Corporation has a system wherein a policyholder registered on the Customer Portal of LIC of India can register complaint online and track its status online on our website [www.licindia.in](http://www.licindia.in). The Complaints registered under Insurance Regulatory Development Authority of India IRDAI's Grievance Management System-BIMA BHAROSA are synced with LIC's Complaint Management System. The Corporation has Grievance Redressal Officers (GROs) at Branch/ Divisional/Zonal/Central Office levels to redress grievances of customers. Their names are available on our website. The respective GROs are available at their Offices for personal interaction with the customers on all Mondays between 2.30 p.m. and 4.30 p.m. Customers can meet the GROs on other days with prior appointment. Customers may also send their grievances through Post, by email etc. to the respective servicing offices / GROs.

**(B) Claims Related Performance:**

During the year, the Corporation has settled 221.80 lakh claims amounting to ₹ 2,30,272.54 Crores (Including Individual, Micro Insurance and Pension & Group Schemes) All payments were made through digital mode i.e., 100% payment through NEFT.

**6. PERSISTENCY:**

The 13<sup>th</sup> month persistency for Individual Regular Premium Business, by premium, for the FY 2023-24 is 78% as against 77% for the FY 2022-23 and the 61<sup>st</sup> month persistency for the same is 61% for the FY 2023-24 as against 62% for the FY 2022-23.

The 13<sup>th</sup> month persistency for Individual Regular Premium Business, by number of policies for the FY 2023-24 is 67% as against 64% for the FY 2022-23 and the 61<sup>st</sup> month persistency for the same is 49% for the FY 2023-24 as against 50% for the FY 2022-23.

**7. INFORMATION TECHNOLOGY:**

Technology is the key performance differentiator in today's era. Innovations in Information Technology has already led to efficiency in LIC's operations and Corporation is working towards adopting new digital initiatives, upgrading digital capabilities and automating LIC's operational processes. The following technological initiatives have been undertaken to transform LIC into a tech enabled digital first organization, creating value for customers, shareholders and all other stakeholders:

**(i) Core Business Application – eFEAP:**

eFEAP, the in-house developed core insurance solution of the Corporation, enables all the offices of the Corporation to carry out the activities right from the start of policy life cycle at New Business stage to Policy Servicing and ultimately to Claim settlement and also HR and CRM related activities.

**(ii) LIC Customer Portal and LIC 'Digital' mobile App:**

To provide a seamless and convenient self-service experience, the Customer Portal and the LIC Digital mobile app offer a range of self-service functionalities, comprehensive informational services and a user-friendly interface. The above platforms provide service functionalities for more than 2.73 Crores registered users (Premier/ Normal) for creation and updating of profile, viewing policy and proposal images, premium payments including advance premium payments etc.

Online Service request modules such as for loan interest payments, loan repayments, change of address, mode change, ULIP fund switch, eNACH, Online PAN and NEFT data registration, etc. enable submission and fulfillment of various customer servicing requests.

**(iii) Seamless Integration with Government Platforms:**

To further streamline the user experience, the policy administration platforms have been integrated with government-enabled public service platforms such as Aadhaar, PAN, UMANG, and Digilocker. This integration allows seamless PAN/Aadhaar validations, e-KYC, and e-Sign capabilities, ensuring a secure and hassle-free experience while managing insurance accounts.

**(iv) AI/ML, WhatsApp Business and Communication Solutions in Customer Service:**

- AI/ML-powered **LIC Mitra** (Chatbot) is equipped with an extensive knowledge base encompassing a wide range of LIC products and services along with providing customers with prompt and accurate assistance.
- Jeevan Saakshya App is an AI-driven face match and aliveness check mechanisms to enable annuitants and pensioners in submitting their existence certificates online from the comfort of their own homes.
- WhatsApp Business solution has been incorporated to further enhance customer interactions/engagement and streamline service delivery.
- We have also established Communication channels for productivity enhancement viz. dedicated VC Solution, SMS and email systems to provide collaboration among internal and external stakeholders.

**(v) Seamless Customer On-boarding:**

LIC has launched a new Digital onboarding platform for customers, optimizing the customer journey with smarter solutions, improved UI/UX, integrated with e-KYC, pre-filled forms using cKYC data and customer id along with real-time Bank Account Verification.

**(vi) Modernizing Payment / Receipts:**

e-NACH / NEFT offers an efficient, paperless alternative, allowing LIC customers to electronically authorize mandates for the automatic deduction of premium from their bank accounts and claim payments marking a significant step in simplifying and expediting payment transactions.

**(vii) Digital Transformation (DIVE) project**

LIC has kicked off an ambitious digital transformation programme named DIVE (Digital Innovation & Value Enhancement). DIVE aims to re-imagine the digital journeys and provide best-in-class experience for sales as well as customers.

**8. HUMAN RESOURCE:**

As on March 31, 2024, the Corporation has a total of 98,661 employees on roll which includes 23,250 female employees (constitutes more than 23.56% of total employees). The details are as under:

Particulars	Male	Female	Total
CLASS-I	22,809	7,017	29,826
CLASS-II	20,885	2,188	23,073
CLASS-III	30,632	13,691	44,323
CLASS-IV	1,085	354	1,439
<b>Total</b>	<b>75,411</b>	<b>23,250</b>	<b>98,661</b>

## 9. PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT THE WORKPLACE:

In accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention Prohibition and Redressal) Act 2013, the Corporation has initiated various steps to improve the status of women and worked for their economic empowerment. At every level in the Corporation, women officers/employees have contributed significantly. In the Corporation, Committees for prevention of sexual harassment at workplace are functioning effectively at Central Office, Zonal Office and Divisional Office levels. The summary of cases as at March 31, 2024 are as under:

No. of cases pending at the end of previous Financial Year	No. of cases received during the year	Total cases	Cases disposed of during the year	No. of pending cases as on 31.03.2024
04	14	18	16	02*

*\*As on the date of this Report, both the pending complaints were closed.*

## 10. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT:

LIC faces considerable risk in terms of scale of operations, business and complexity and therefore the Corporation requires a robust Enterprise Risk Management (ERM) framework to manage the risk faced by the Corporation. The ERM framework has efficient mechanism for risk identification, assessing, mitigating and monitoring of the risks. There are three lines of defence to manage risk: Layer 1 - the Departments, Zones, Division and Branches who own the risks; Layer 2 - the risk management department to review the risk and Layer 3 - audit to check the Risk Management. A Risk Management module is used to ensure the same.

The Board has delegated the responsibility relating to Risk Management to Risk Management Committee of Board (RMCB). Corporation has Board approved Enterprise Risk Management Policy, Risk Appetite Statement and Business Continuity Plan. These policies are reviewed by the Risk Management Committee of the Board and the Board on yearly basis. RMCB reviews Enterprise Risk Management activities executed across the organization on quarterly basis.

Key Risk Management tools are Risk Appetite Statements, Risk Registers, Incident Management Framework & fraud monitoring, Top Risks and Key Risk Indicators.

The risks are classified in different categories like Market Risk, Liquidity Risk, Credit risk, Insurance Risk, Operational Risk, Compliance Risk, Ethics Risk and Fraud Risk.

## 11. INTERNAL INSPECTION:

Your Corporation has a Board approved Inspection Policy which stipulates that every office of the Corporation in India shall be inspected at least once a year by the Officers of Internal Inspection department. The exercise of Inspection is a measure to detect and rectify systemic lapses.

During the financial year 2023-24, Corporation has introduced a Performance Matrix for Divisional Offices and P&GS Units encompassing the Key Result Areas of performance aligned to the Corporate goals. The need for such a matrix was felt to sensitize all our units to have equal focus on both marketing & Customer Services which would not only enable them to align their activities with the objective of the Corporation but at the same time would also enable them to achieve "Excellent" rating in Inspection.

Keeping with the pace of improving our systems and procedures, with the intervention of technology, further development was made in the Remote Inspection Package, whereby a substantial portion of inspection job can be completed before the commencement of Inspection of Units, thereby saving on precious time.

During the year of review, your Corporation has completed the inspection of all Satellite Offices, Branch Offices, Divisional Offices, Zonal Offices and Central Office by March 15, 2024 and 61.48% Branch Offices and 96.46% of Divisional Offices were rated "Excellent". Common Irregularities were shared with functional heads at Central Office for necessary systemic improvements.

## 12. INTERNAL AUDIT:

Your Corporation's Internal Audit functions are overseen by the Internal Audit Department at the Central Office (CO). There are twelve Audit Centers which conduct the audit. The CO Audit department besides monitoring the operations of the Audit Centers, arranges for the audits of various Departments of Central Office.

To bring in the professional approach towards the auditing of Offices, since the FY 2022-23, 1/3<sup>rd</sup> of the Divisional Offices and the Branches under those Divisions including P&GS units were audited by CA firms. We will be continuing auditing 1/3<sup>rd</sup> of Divisions and its Branches including P&GS units through CA firms in the FY 2024 - 25, as a result all Divisional and Branch offices of the Corporation including P&GS units will be audited by CA firms once in the period of three years.

Audit is carried out in all the Units based on Department-wise Questionnaires developed for this purpose which include Internal Financial Control (IFC) questions in respect of each tier of the Corporation viz. Branch, Division, Zone and Central Office.

During the year, we carried out IFC audit of the Corporation and the report was discussed with the Statutory Auditors and was placed before the Audit Committee.

Major findings during the Internal Audit are regularly shared with functional heads at Central Office, who issue necessary instructions to the operating units for corrective action as well as streamline systemic controls wherever required.

Further, as per our fraud monitoring framework, the frauds reported for value of more than ₹ 1 crore (Rupees One crore) are placed before the Risk Management Committee through the Central Fraud Monitoring Committee and Committee of Executives for Risk Management.

## 13. INTERNAL FINANCIAL CONTROLS:

The Corporation's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for stakeholders in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflects the transactions and dispositions of the assets of the Corporation, (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the Corporation, and (3) provides reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the financial statements.

## 14. RELATED PARTY TRANSACTIONS:

During the year, the Corporation has entered into transactions with the related parties in the ordinary course of business. The details of the transactions with related parties were placed before the Audit Committee from time to time for approval. Suitable disclosure as required under applicable Accounting Standards has been made in the notes to the Financial Statements.

Pursuant to Listing Regulations, in the 2<sup>nd</sup> Annual General meeting, the members of the Corporation have approved the material related party transactions to be entered into by the Corporation in the FY 2023-24 and upto the date of next AGM.

The Board of Directors have formulated a policy on materiality of Related Party Transactions (RPTs) and also on dealing with Related Party Transactions pursuant to the provisions of the LIC Act, 1956 and Listing Regulations. The updated Policy on dealing with RPTs as approved by the Board is uploaded on the Corporation's website at <https://licindia.in/documents/20121/46602/Revised-RPT-Policy-Version3.pdf/8c03ebdf-e096-8cf1-6485-f58f89a14eba?t=1674020688256>.

The disclosure on Related Party Transactions, drawn in accordance with applicable accounting standards and as per the requirements of Regulation 23(9) of Listing Regulations for the half year ended September 30, 2023 and March 31, 2024 has been submitted by the Corporation with the Stock Exchanges as well as published on the Corporation's website.

## 15. IND AS IMPLEMENTATION

Ind AS 117 is yet to be notified by Ministry of Corporate Affairs (MCA). IRDAI has issued instructions/guidelines to the insurers regarding preparedness of Ind AS.

During the year, the Corporation has carried out the Gap Analysis and Impact Assessment of Indian Accounting Standards (Ind AS) implementation. Majority of the qualitative and gap analysis related work has been completed and Financial Impact assessment is in progress as per scheduled.

## 16. BOARD OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

As on the date of this report, the Corporation's Board comprises of Fourteen (14) Directors viz., One (1) Government Nominee Director, Eight (8) Independent Directors and Five (5) Whole Time Directors including Chief Executive officer and Managing Director and Four Managing Directors. The 'Directors' Policy' is hosted on the website of the Corporation at <https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609>

### A) Changes in Board Composition:

#### ➤ Appointment of Directors/ Change in Designation:

- (i) Shri Tablesh Pandey (DIN: 10119561): The Government of India, vide their notification dated March 13, 2023, has appointed Shri Tablesh Pandey as Managing Director of the Corporation w.e.f., April 01, 2023 till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earliest. The Board of the Corporation took note of the same.

The members of the Corporation have approved the appointment of Shri Tablesh Pandey in the 2<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Corporation held on August 22, 2023.

- (ii) Dr. Maruthi Prasad Tangirala (DIN: 03609968): The Government of India, vide their notification dated June 28, 2023, has appointed Dr. Maruthi Prasad Tangirala as Government Nominee Director of the Corporation with immediate effect and until further orders, in place of Shri Suchindra Misra. The Board of the Corporation took note of the same.

The members of the Corporation have approved the appointment of Dr. Maruthi Prasad Tangirala in the 2<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Corporation held on August 22, 2023.

- (iii) Shri Sat Pal Bhanoo (DIN: 10482731): The Government of India vide their notification dated July 19, 2023, has appointed Shri Sat Pal Bhanoo as Managing Director of the Corporation w.e.f., July 20, 2023 till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earliest.

The members of the Corporation have approved the appointment of Shri Sat Pal Bhanoo in the 2<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Corporation held on August 22, 2023.

- (iv) Shri Doraiswamy Ramchandran (DIN: 10358884): The Government of India vide their notification dated August 14, 2023, has appointed Shri Doraiswamy Ramchandran as Managing Director of the Corporation w.e.f., September 01, 2023 till the date of his superannuation or until further orders, whichever is earliest.

The necessary resolution for appointment of Shri Doraiswamy Ramchandran as Managing Director of the Corporation along with his brief profile has been included in the notice of the 3<sup>rd</sup> AGM, for formal approval of the members.

- (v) Shri Siddhartha Mohanty (DIN: 08058830): Shri Siddhartha Mohanty, Whole Time Chairperson has been re-designated as Chief Executive Officer and Managing Director on June 30, 2024 in terms of Government of India, notification dated April 28, 2023.

The members of the Corporation have approved the appointment of Shri Siddhartha Mohanty in the 2<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Corporation held on August 22, 2023.

➤ **Cessation of Directors:**

- (i) Shri Suchindra Misra (DIN: 01873568): The Government of India, vide their notification dated June 28, 2023, has appointed Dr. Maruti Prasad Tangirala as Government Nominee Director of the Corporation in place of Shri Suchindra Misra with immediate effect.
- (ii) Smt. Mini Ipe (DIN: 07791184): Smt. Mini Ipe ceased to hold office as Managing Director of the Corporation, with effect from August 31, 2023, after close of office hours, upon her superannuation, in terms of Government of India's Notification dated July 05, 2021.
- (iii) Shri Sanjeev Nautiyal (DIN: 08075972): Shri Sanjeev Nautiyal ceased to hold the position of Independent Director on the Board of the Corporation, with effect from the close of day on May 31, 2024, upon his resignation consequent to his appointment as MD & CEO of Ujjivan Small Finance Bank Limited.

The Board acknowledges the valuable contributions made by Shri Suchindra Misra, Smt. Mini Ipe and Shri Sanjeev Nautiyal during their tenure as Government Nominee Director, Managing Director and Independent Director respectively and places its deep appreciation for their guidance to the Corporation.

The Certificate from M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries (Firm's Registration No. P1991MH040400), confirms that none of the Directors of the Corporation are debarred or disqualified from being appointed or continuing as Director on the Board by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs or any such authority or other authority.

**B) Independent Directors:**

Your Corporation has received declarations from all the Independent Directors confirming that they meet the 'Criteria of Independence' as laid down under Section 4(3) of the LIC Act, 1956 read with the Rules and Regulations made thereunder.

The Board is of the opinion that all the Independent Directors fulfill the conditions relating to their status as Independent Director as specified under Section 4(3) of the LIC Act, 1956 read with the Rules and Regulations made thereunder and applicable provisions of the SEBI Listing Regulations and are independent of the management.

The composition of Board during the FY 2023-24, is given in the Corporate Governance Report which is placed separately and forms part of the Annual Report.

**C) Key Managerial Personnel (KMP) and changes, if any**

In terms of the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI read with Listing Regulations, the following senior management employees of the Corporation were holding positions of KMPs as on March 31, 2024:

S. No.	Name of KMP	Designation
1	Shri Siddhartha Mohanty	Whole Time Chairperson
2	Shri Jagannath M	Managing Director
3	Shri Tablesh Pandey	Managing Director
4	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director
5	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director
6	Shri Dinesh Pant	Executive Director (Actuarial) & Appointed Actuary
7	Shri Pandiyan Kumaresan	Executive Director (Audit) & Chief Internal Auditor
8	Shri Sudhakar Ravindranath	Executive Director (Marketing) & Chief Marketing Officer
9	Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	Executive Director (Corp.Gov./GJF/Reg.Comp.) & Chief Compliance Officer

S. No.	Name of KMP	Designation
10	Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer
11	Shri Ratnakar Patnaik	Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer
12	Smt. Bella Paul	Chief-In-charge (Board & Secretarial)
13	Shri S Sunder Krishnan	Chief Risk Officer
14	Shri Anshul Kumar Singh	Company Secretary & Compliance Officer

As on the date of this report, the Board of Directors of the Corporation, has approved the following changes in Key Managerial Personnel positions of the Corporation on the recommendation of Nomination and Remuneration Committee:

S. No.	Name of KMP	Designation/Change in Designation	Remarks
1	Shri Siddhartha Mohanty	Chief Executive officer & Managing Director	Re-designated as Chief Executive Officer and Managing Director w.e.f. June 30, 2024
2	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Appointed as Managing Director w.e.f. April 01, 2023
3	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Appointed as Managing Director w.e.f. July 20, 2023
4	Smt. Mini Ipe	Managing Director	Ceased to hold position of Managing Director, upon superannuation on August 31, 2023
5	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Appointed as Managing Director w.e.f. September 01, 2023
6	Shri Pratap Chandra Paikray	Chief Risk Officer	Appointed as Chief Risk Officer w.e.f., April 01, 2023, upon elevation of Mr. Tablesh Pandey to the position of Managing Director Ceased to hold position of Chief Risk Officer w.e.f., December 27, 2023, upon appointment of new Chief Risk Officer
7	Shri S Sunder Krishnan	Chief Risk Officer	Appointed Chief Risk Officer w.e.f., December 27, 2023
8	Shri Pawan Agrawal	Company Secretary & Compliance Officer	Ceased to hold position of Company Secretary & Compliance Officer w.e.f., January 18, 2024, upon retirement from full time active service.
9	Smt. Bella Paul	Chief-In-charge (Board & Secretarial)	Appointed as Chief-In-charge (Board & Secretarial) w.e.f., January 18, 2024
10	Shri Anshul Kumar Singh	Company Secretary & Compliance Officer	Appointed as Company Secretary & Compliance Officer w.e.f., January 18, 2024

#### Performance Evaluation of the Board:

In terms of Section 19B of the LIC Act, 1956, Nomination & Remuneration Committee (NRC) will carry out the evaluation of performance of Directors appointed under section 4(2) (f) and (g) of the LIC Act, 1956. In terms of Regulation 17 of Listing Regulations, the evaluation of Independent Directors shall be done by entire Board. Further, in terms of Regulations 25 of the Listing Regulations, the Independent Directors shall review the performance of non-Independent Directors, Chairperson and the Board of Directors as a whole.

Pursuant to the foregoing provisions of LIC Act, 1956 and Listing Regulations, the entire Board including the members of NRC of the Corporation, undertook the performance evaluation of Independent Directors for the financial year ended on March 31, 2024.

Further, all Independent Directors (except Dr. V.S. Parthasarthy) met separately, without the attendance of non-Independent Directors and members of the management, and inter-alia reviewed the performance of the non-independent Directors, Board as a whole; and that of the Chairperson of the Corporation. They further assessed the quality, quantity and timeliness of the flow of information between the Corporation, Management and the Board.

The evaluation of the Individual Performance of Directors, the Board, and the Chairperson of the Board was undertaken through an iOS-based application meant for evaluation.

**'Fit and Proper' criteria:**

All the Directors of the Corporation have confirmed compliance with the 'fit and proper' criteria on the format prescribed under the Director's Policy approved by the Board.

**Directors & Officers Liability Insurance:**

As per Regulation 25 (10) of the Listing Regulations requiring the Companies to take Directors and Officers Liability Insurance (D&O) for all its Independent Directors, the Corporation has taken D&O Insurance for all its Directors and Members of the Senior Management Team for such quantum and risks as determined by the Board.

**Succession Planning:**

In terms of the Board approved policy on succession planning, the NRC of the Board oversees matters related to succession planning of KMPs, Senior Management and other key executives of the Corporation. NRC also recommends the appointment of Independent Directors to fill vacancies on the Board.

**Meetings of the Board and its Committees, attendance and constitution of various Committees:**

The details of meetings of the Board and Committees of the Board held during the year, attendance of Directors and constitution of various Committees of the Board, form part of the Corporate Governance Report, which is placed separately and forms part of the Annual Report.

**Remuneration Policy:**

Pursuant to the provisions of Section 19B of LIC Act, 1956, the Board has approved the remuneration policy as recommended by the NRC of the Board. The Policy is placed on the website of the Corporation at <https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609>

Further, details about remuneration to Directors including Whole-time Directors are provided under report on Corporate Governance, which is placed separately and forms part of this report.

**Secretarial Standards:**

The Corporation is obliged to comply with Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) in terms of provisions contained under Life Insurance Corporation Act, 1956 read with Rules and Regulations made thereunder.

**17. CORPORATE GOVERNANCE:**

The Corporation considers its stakeholders as partners in success, and remains committed to delivering value to stakeholders. The Corporation believes that a sound Corporate Governance Mechanism is critical to retain and enhance stakeholders' trust. It is committed to exercise overall responsibilities rigorously and diligently throughout the organization, managing its affairs in a manner consistent with Corporate Governance requirements and expectations.

The Corporation conducts its business while adhering to various Corporate Governance practices to help ensure that there is operational transparency, information sharing, accountability and continuous dialogue with all our stakeholders. The Corporation has standard operating procedures or manuals in place that detail procedures to be followed for each function. The Corporation has several Board sub-committees that overlook Corporation's Corporate Governance and enhance brand equity, strengthen the stakes of Shareholders and maintain a healthy working environment within the organization.

Pursuant to the provisions of the Listing Regulations, a Report on Corporate Governance along with Certificate from Auditors regarding compliance of conditions of Corporate Governance is annexed to this Annual Report.

## 18. LIC GOLDEN JUBILEE FOUNDATION (LICGJF):

LIC Golden Jubilee Foundation was established in the year 2006 as a part of LIC's Community Service initiatives. The objectives of the Foundation are Relief of Poverty or Distress, Advancement of Education, Medical Relief and Advancement of any other object of General Public Utility.

During the year, the Corporation has provided ₹ 100/- Crore to the Foundation and as on March 31, 2024, LIC GJF's total corpus is ₹ 460 Crore. The interest earned on the corpus is utilised for funding various projects for charitable purposes. Since inception, the Foundation has supported NGOs located across the country and dedicated to the above objectives through 839 projects amounting to ₹ 179.33 Crores. During the FY 2023-24 the Foundation has sanctioned ₹ 33.82 Crores for 116 projects. The Foundation has reached out to many deprived sections of the society through infrastructural support provided in the above areas. LIC Golden Jubilee scholarship Scheme provides scholarships to children from economically weaker sections of the society, amounting to ₹ 40,000/- p.a for students pursuing full time medical degree such as BAMS/MBBS etc., ₹ 30,000/- p.a for students pursuing Technical degree such as B.Tech/BE, ₹ 20,000/- p.a for students pursuing regular courses like B.Sc, B.A., vocational courses etc., and a special scholarship ₹ 15,000/- p.a for girl children for higher secondary (+2) education. During 2023-24, scholarship of ₹ 10.20 crores was disbursed. Since inception, LICGJF has disbursed scholarships of ₹ 69.22 crores to 27,792 students.

## 19. PARTICULARS OF INVESTMENT IN TERMS OF SECTION 27A OF INSURANCE ACT, 1938:

Pursuant to the provisions of Section 27A of the Insurance Act, 1938, the investments as at March 31, 2024 are mentioned at page no. 325 of the Annual Report and the investments in infrastructure and social sector for the year 2023-2024 are mentioned at page no. 326 of the Annual Report.

## 20. SUBSIDIARY, ASSOCIATE COMPANIES AND FOREIGN BRANCHES:

As on March 31, 2024, the Corporation has three wholly owned subsidiary companies, four subsidiary companies and six associate companies.

The Corporation does not have any material subsidiary and associate company. There were no entities which became or ceased to be the Corporation's subsidiaries or associates during the year. The brief details about business of the wholly owned subsidiaries, subsidiaries, associates companies and foreign branches are as under:

S. No.	Name of the entity	Nature of entity	Business activity	% of shares held by LIC
1	LIC Cards Services Limited ("LICCSL")	'Wholly owned subsidiary	LICCSL markets and distributes Credit Cards of Channel Partner Banks (IDBI Bank; Axis Bank; IDFC First Bank) to the Policyholders, Employees and Agents of the Corporation and the general public. They have co-branded with Axis Bank and IDBI Bank for issue of gift cards. The Company has also entered into an Agreement with M/s Sodexo SVC India Pvt. Ltd (SSVC) for issuing Meal Cards to employees of LIC and proposes to extend the similar arrangement to the other Public Sector Undertakings and Banks.	100%
2	LIC Pension Fund Limited ("LICPFL")	'Wholly owned subsidiary	LICPFL carries on the business of Pension Fund for pension fund schemes as regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).	100%

S. No.	Name of the entity	Nature of entity	Business activity	% of shares held by LIC
3	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd. ("LIC Singapore")	<sup>2</sup> Wholly owned subsidiary	LIC Singapore is engaged in the business of life insurance.	100%
4	Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) ("LIC Bahrain")	<sup>3</sup> Subsidiary	LIC Bahrain is engaged in the business of life insurance in Bahrain and GCC countries.	99.66%
5	Life Insurance Corporation (Lanka) Limited ("LIC Lanka")	<sup>3</sup> Subsidiary	LIC Lanka is engaged in the business of life insurance.	90.91%
6	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd. ("LIC Nepal")	<sup>3</sup> Subsidiary	LIC Nepal is engaged in the business of life insurance.	55%
7	Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Limited ("LIC Bangladesh")	<sup>3</sup> Subsidiary	LIC Bangladesh is engaged in the business of, among other things, life insurance services by carrying out life and supplementary health coverage, providing accident benefit and pension insurance business under individual and group schemes and all kinds of guarantee and indemnity business.	83.33%
8	LIC Mutual Fund Trustee Private Limited ("LICMF Trustee")	<sup>4</sup> Associate	LICMF Trustee functions as the Trustee Company to LIC Mutual Fund.	49%
9	LIC Mutual Fund Asset Management Limited ("LICMF")	<sup>4</sup> Associate	LICMF Asset Management acts as Investment Managers for schemes of LIC Mutual fund.	44.61%
10	LIC Housing Finance Limited ("LICHFL")	<sup>4</sup> Associate	LICHFL is engaged in the business of providing long term finance to any person or persons, company or corporation, society or association and, in particular, to holders of policies issued by LIC of India, to construct or purchase a house or flat for residential purposes, and also provides long term finance to persons engaged in the business of construction of houses or flats for residential purpose to be sold by them by way of hire purchase or on deferred payment or other similar basis.	45.24%
11	LIC HFL Asset Management Company Limited ("LICHFL AMC")	<sup>4</sup> Associate	LICHFL Asset Management Co Ltd manages Alternative Investment Fund (AIF) / Venture Capital Fund (VCF) as investment manager.	5.38%
12	IDBI Bank Limited ("IDBI Bank")	<sup>4</sup> Associate	IDBI Bank is engaged in the business of banking in all forms within and outside India.	49.24%

S. No.	Name of the entity	Nature of entity	Business activity	% of shares held by LIC
13	IDBI Trusteeship Services Limited ("ITSL")	<sup>4</sup> Associate	ITSL provides a wide spectrum of trusteeship services to corporates. ITSL also extends the monitoring facility of listed pledged shares for loan against shares, escrow and facility agency services.	29.84%

<sup>1</sup>Indian wholly owned subsidiary companies; <sup>2</sup>foreign wholly owned subsidiary company; <sup>3</sup>foreign subsidiary companies; and <sup>4</sup>Indian associate companies

The Corporation also operates directly through its branch offices in Fiji (Suva and Lautoka), Mauritius (Port Louis) and United Kingdom (Watford)

#### Bifurcation of Funds:

The amended provisions of Section 24 and Section 28 of the LIC Act 1956 came into force w.e.f. 30.06.2021. Section 24 provides for the Corporation to maintain participating policyholders fund and non-participating policyholders fund and Section 28 provides that upon maintaining such separate funds:

- i) in respect of participating policyholders fund, to allocate or reserve 90% or such higher percentage of surplus, for the participating policyholders and the remaining surplus to the members and
- ii) in respect of non- participating policyholders fund, 100% of surplus to be allocated or reserved for the members.

The above provisions were made effective for the funds of the Corporation in India.

However, in the three overseas branches (Fiji, Mauritius and United Kingdom), a single fund is being maintained and surplus distribution pattern between the policyholders and shareholders is at 95:5.

Corporation has sought exemption/instructions from the Government of India, in this regard. As such the overseas branches of LIC in UK, Mauritius and Fiji will continue to operate with:

- a. single policyholders fund, and
- b. surplus distribution between the policyholders and shareholders as 95:5

The above is necessitated as the foreign branches are governed under respective local laws.

Board gave in principle approval to setup a Branch office of the corporation at International Financial Service Centre, Gift city, Gandhi Nagar, Gujarat, subject to regulatory approval(s).

Pursuant to the provisions of Listing Regulations, the Board has approved the policy for determining the materiality of subsidiaries within India and outside India. The policies are placed on website of the Corporation are as under:

Within India	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-for-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf/84ecdaa9-f927-7a18-26ef-f2af9430e11a?t=1668407223421">https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-for-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf/84ecdaa9-f927-7a18-26ef-f2af9430e11a?t=1668407223421</a>
--------------	---

Outside India	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-on-Material-Subsidiaries-outside-India.pdf/a6377617-f33a-6dd3-9f0d-82589934140c?t=1668407278203">https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-on-Material-Subsidiaries-outside-India.pdf/a6377617-f33a-6dd3-9f0d-82589934140c?t=1668407278203</a>
---------------	---

The financial position and performance of each of the Corporation's Wholly Owned Subsidiary Companies, Subsidiary Companies and Associate Companies is available in the Annual Report.

**21. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS:**

In accordance with Section 24B of the LIC Act, 1956 (As amended by Finance Act 2021) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, Consolidated Financial Statements (CFS) of the Corporation consisting of subsidiaries and associates have been prepared. The CFS have been prepared in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the circulars issued thereafter and the applicable Accounting Standards i.e. AS 21: Consolidated Financial Statements and AS 23: Accounting for Investments in Associates in CFS issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and forms part of the Annual report.

The financial statement of foreign subsidiaries (except Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c) "LIC Bahrain") are consolidated for incremental three (3) months to coincide with the reporting period of the Corporation.

**22. RURAL AND SOCIAL SECTOR OBLIGATIONS:**

As per the Regulatory requirements, the Corporation has met its Rural and Social obligations for the FY 2024. As against the minimum of 20%, the Corporation has issued 47.72% policies in the rural sector which affirms the Corporation's approach towards life insurance inclusion. Further, 32,67,163 new lives covered (5.73% of the total new lives covered in preceding year) by the Corporation are from the underprivileged social sector as against the regulatory requirement of at least 5% of total lives covered in preceding year. Consequently, the Corporation has met the minimum social and rural regulatory norms laid down by the IRDAI.

**23. MANAGEMENT REPORT:**

Pursuant to the provisions of Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Management Report is placed separately and forms part of the Annual Report.

**24. STATUTORY AUDITORS:**

Pursuant to Section 25 of the LIC Act, 1956, the Corporation has appointed the Statutory Auditors of the Corporation for the FY 2024 after due recommendations and approvals. The details of the Statutory Auditors are available at page no. 328 of the Annual Report.

**25. STATUTORY AUDITORS' REPORT:**

The Statutory Auditors' Report (including annexure thereof) to the Members does not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer hence do not call for any further comments u/s 24C(1)(f) of the LIC Act, 1956. There were no reportable frauds identified by the statutory auditors during the FY 2024.

**26. SECRETARIAL AUDITORS' REPORT:**

Pursuant to Regulation 24A of the Listing Regulations, the Corporation has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretary, Mumbai as the Secretarial Auditor of the Corporation. The Auditor has not made any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer in his report for the FY 2024. The detailed report on Secretarial Audit of the Corporation for the FY 2024 is annexed and forms part of the Corporate Governance Report as Annexure 'D'.

**27. CERTIFICATE FROM CHIEF COMPLIANCE OFFICER (UNDER THE IRDAI CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES, 2016):**

A Compliance Certificate, for complying with IRDAI Corporate Governance Guidelines, issued by the Executive Director (Corporate Governance/Regulatory Compliance/GJF), designated as the Chief Compliance Officer under the IRDAI Corporate Governance Guidelines, is annexed and forms part of the Corporate Governance Report as Annexure 'C'.

**28. MATERIAL EVENTS, CHANGES AND COMMITMENT AFFECTING FINANCIAL POSITION OF THE CORPORATION:**

There have been no material changes and commitments, affecting the financial position of the Corporation, which have occurred from the end of the financial year to which the Balance Sheet relates and the date of this report.

**29. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND OPERATIONS OF THE CORPORATION:**

During the FY 2023-24, no significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the going concern status and operations of the Corporation.

Further to the disclosures made in the Red Herring Prospectus (RHP) dated 26.04.2022 and the Prospectus dated 12.05.2022 with respect to the Civil Litigation that is Non-Quantifiable but Deemed Material. The Hon'ble Supreme Court vide its order dated 12.10.2023 in the Writ Petition 366/2022 and connected matters directed the counsels to submit all pleading and documents in the matter. These matters are currently pending to be heard before the Supreme Court of India.

**30. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:**

In terms of Section 24C(2) of LIC Act, 1956 and the Corporate Governance Guidelines, your Directors confirm that;

- (a) in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2024, the applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation as on March 31, 2024 and of the profit of the Corporation for the year ended on that date;
- (c) they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the LIC Act, 1956 for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) they have prepared the accounts for the current financial year ended March 31, 2024 on a going concern basis;
- (e) the vigilance administration referred under Section 8(1)(h) of the Central Vigilance Commission Act, 2003 is in operation in the Corporation under the superintendence of the Central Vigilance Commission and in addition they have laid down internal financial controls to be followed by the Corporation and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- (f) they have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

**31. INVESTOR RELATIONS:**

The Corporation has always valued its customer relationships and it is our endeavor that all stakeholders should have access to complete information regarding its position to enable them to accurately assess its future potential. The Corporation disseminates information on its operations and initiatives on a regular basis. The Corporation's website ([www.licindia.in](http://www.licindia.in)) serves as a key awareness facility for all its stakeholders, allowing them to access information at their convenience. It provides comprehensive information on the Corporation's strategy, financial performance, operational performance and the latest press releases. The Corporation publishes financial results on a quarterly basis. The financial results of the Corporation are prepared and posted on its website for the current as well as previous years. The Investor Relations team organises earnings calls post each results declaration and the investors presentations, transcripts and analyst call recordings are uploaded, as required, on Corporation's website. Also various equity conferences organized by leading securities firms are attended by senior management team members of the Corporation. During the year, in the month of June 2023, the Corporation conducted a Global Non Deal Roadshow, to convey the growth story and enhance overall awareness about LIC of India amongst international investors. Locations across Asia, Europe and United States were covered in the Global Non Deal Roadshow.

**32. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT, REPORT ON THE CORPORATE GOVERNANCE AND BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORT:**

Pursuant to Regulation 34 of the Listing Regulations, Management Discussion and Analysis (MD&A) Report and Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) along with the report of Independent Assurance provider are presented in separate sections and form part of the Annual report.

Further, SEBI vide its circular ref: SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023 has updated the format of BRSR to incorporate BRSR core. BRSR core is a subset of BRSR, consisting of a set of Key Performance Indicators (KPIs)/ metrics under nine ESG attributes, which are subject to mandatory reasonable assurance by an independent assurance provider. Accordingly, the Corporation has appointed Batliboi & Purohit as an assurance provider.

In compliance with Listing Regulations, a Report on the Corporate Governance framework of the Corporation, with certifications as required under applicable Regulations (including guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI) forms part of this Annual report.

### 33. IRDAI LICENSE:

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) have renewed the annual licence of the Corporation to continue the Life Insurance Business for the FY 2025.

### 34. VIGIL MECHANISM/ WHISTLE BLOWER POLICY:

The Corporation believes to conduct the affairs in a fair and transparent manner by adopting highest standards of professionalism, honesty and ethical behavior and committed to develop a culture where it is safe for all stakeholders to raise concerns about unethical and unfair practice and any event of misconduct.

- New On-Line Complaint Portal has been introduced for registering Vigilance related complaint “Satarkata Shikayat Dwar” which is available on [www.licindia.in](http://www.licindia.in) under Customer Services tab. All vigilance related complaints can be registered and tracked through the module.
- LIC has a well-established vigil mechanism for Directors and employees for adequate safeguard against victimization of Directors and employees or any other person who report genuine concerns. It has a policy for prevention, detection and investigation of frauds and protection of whistle blowers (The Whistle blower policy). It encourages employees and various stakeholders to bring to its notice any issue involving compromise/violation of ethical norms, legal or regulatory provisions, actual or suspected fraud, etc without any fear of reprisal, discrimination, harassment or victimization of any kind. The details of whistle blower complaints/concerns received and subsequent actions taken and the functioning of the whistle blower mechanism is reviewed quarterly by the Audit Committee of the Board.
- LIC has developed and implemented UDIT Module (Upgraded Disciplinary Workflow through Integration of Technology) for reducing turnaround time in disposal of disciplinary matters/vigilance cases.

The Whistle Blower Policy is hosted on the Corporation’s website at <https://licindia.in/documents/20121/46602/Whistle+Blower+Policy.pdf/49f509ab-c255-1506-033e-9ffeaded4680?t=1709189590811>

### 35. AWARDS & RECOGNITIONS:

Your Corporation has received various awards and accolades during the year under review in areas of Mobile App, Digital Marketing Campaign, Customer Service, Strategies for Insurance Spreading, Leadership, Claim Service, Most preferred workplace, Project implementation, etc. Some of the key ones are listed below:

#### AWARDS & RECOGNITIONS 2023-24

- ✓ Banking Frontier/Innovation -Finnoviti Awards 2023 for **ANANDA APP** awarded by Delegate & Industry Engagement Banking
- ✓ 3<sup>rd</sup> Edition of the Great Indian BFSI Awards given for **Digital Marketing Campaign of the year** awarded by Veve and Mcanvas
- ✓ **Special Jury** Award awarded by FICCI Insurance Industry Awards 2022 (received in April 2023)
- ✓ 10<sup>th</sup> Edition National Awards for Excellence in BFSI for **Customer Service Excellence Awards, Best Mobile Application and Excellence in Agency Distribution** – Three awards awarded by Fun & Joy at work

- ✓ 4<sup>th</sup> Emerging Asia Insurance Conclave & Awards, 2023 for **Best Strategies for Insurance Spreading for the Year** awarded by Economic Affair & Policy, Indian Chamber of Commerce (ICC)
- ✓ ET NOW INSURANCE SUMMIT & AWARDS-10<sup>th</sup> annual edition for **Smart insurer in the life insurance-large category** for the year 2023 awarded by ET NOW
- ✓ **India's Leading Life Insurance Company (Public)** awarded by Dun & Bradstreet
- ✓ 2<sup>nd</sup> Edition Most preferred Workplace in BFSI 2023-24 Media partner Business Standard for **Most preferred Workplace 2023** awarded by Team Marksmen Network Pvt Ltd.
- ✓ 7<sup>th</sup> Annual Insurance Conclave & Awards for **India's Best Insurance Company** award given by Insurance Alerts
- ✓ InsureNext & InsureTech Conclave and Awards 2024 for **Best Life Insurance Company of the Year** awarded by Banking Frontiers
- ✓ PSU's and PSB – Silver Category for **Excellence in display at the PSU and PSB pavilion** during 42<sup>nd</sup> India International Trade Fair – 2023 awarded by IITF 23
- ✓ SAP ACE Awards 2023 for **Successful Project Implementation of Investment Dept**
- ✓ Two awards awarded by Fun & Joy at work in the category for **1. Insurance Company of the Year –LIFE, 2. Claims Service Leader –LARGE** – in Financial Services Marketing Summit and Awards
- ✓ Navabharat BFSI Awards 2023 for Certificate of excellence awarded to LIC of India-**Most Customer Friendly Life Insurance Company** awarded by Navabharat
- ✓ DHANAM for **LIFE INSURER OF THE YEAR 2023** presented to LIC OF INDIA awarded by Dhanam Business Media

**Accolades:**

**Brand Ranking 2023-24**

S. No.	Ranking	Brief Details
1	1 <sup>st</sup>	LIC of India is the WORLD's no.1 strongest Insurance Brand as per the Brand Finance Insurance 2024 report published on March 25, 2024
2	1 <sup>st</sup>	LIC of India is the "Best Insurance Company of the Year" and "Best PSU Insurance Company" as per Collector's Edition with Dalal Street Investment Journal May 2024 Edition.
3	3 <sup>rd</sup>	LIC of India has been ranked 3 <sup>rd</sup> amongst largest Indian Companies as per Fortune India December 2023 issue.
4	3 <sup>rd</sup>	Third amongst top 15 companies listed by Business World in the BW Real 500 list-LIC is the only Insurance company in the list
5	4 <sup>th</sup>	Life Insurance Corporation of India (LIC) was ranked the fourth largest insurer in the world, based on life and accident & health reserves of companies in 2022 by S&P Global Market Intelligence. (Received in 2023)
6	9 <sup>th</sup>	LIC of India secured the ninth rank as per the TRA Brand Trust Report 2024 an annual unveiling of India's 1000 Most Trusted Brands
7	11 <sup>th</sup>	LIC has been ranked 11 <sup>th</sup> as per the Kantar Brandz 2023-Most Valuable India Brands.

**Achievements:**

- LIC moves up in AM Best ranking of global insurers - The Life Insurance Corporation of India (LIC) has moved up in the rankings of insurers in terms of non-bank assets despite the depreciation of the rupee, LIC is at the 12<sup>th</sup> position on the global list compiled by AM Best on January 02, 2024.

- Life Insurance Corporation of India (LIC) continues to be identified as Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs) by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI).

### 36. BOARD POLICIES:

The details of the policies approved and adopted by the Board of Directors of the Corporation as mandated under the LIC Act, 1956 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Regulations are annexed as Annexure I to this report.

### 37. ACKNOWLEDGEMENTS AND APPRECIATIONS:

The Directors express their sincere thanks to the Hon'ble Parliamentary Committees which visited its offices, the Hon'ble Union Finance Minister, Hon'ble Union Minister of State for Finance (Expenditure, Banking and Insurance), the Insurance Division of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs for their active support, advice and co-operation on various issues.

The Directors are grateful to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) for their continued co-operation, support and advice. The Directors would also like to take this opportunity to express their sincere gratitude to the valued Policyholders and Shareholders for their continued trust and patronage.

The Directors also express their gratitude for the advice, guidance and support received from time to time, from the Auditors, and Statutory Authorities. The Directors express their deep sense of appreciation to all the Employees, Agents, Corporate Agents and Brokers, Distributors, Re-insurers, Bankers and the Registrars who continue to display outstanding professionalism and commitment, enabling the organization to retain market leadership in its business operations.

### For and on behalf of the Board of Directors

Siddhartha Mohanty  
Chief Executive Officer &  
Managing Director  
(DIN: 08058830)

(Doraiswamy Ramchandran)  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

(Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar)  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

Date: 15<sup>th</sup> July, 2024

Place: Mumbai

### Web-link of Board approved policies

The Life Insurance Corporation Act, 1956 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, mandates the formulation of certain policies for listed entities. The policies are reviewed by the Board of Directors of the Corporation and amended time to time in accordance with regulatory changes. The Board approved policies are available on the Corporation's website at <https://licindia.in/web/guest/policies-and-code-of-conduct>. The details of Board approved policies are as follows:

Name of the Policy	Web Link
Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity Policy	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609">https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609</a>
Code of conduct for Directors and Senior Management	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Code-of-conduct-for-Directors-and-senior-mgmt.pdf/f4d9e8f8-66fe-5394-e2df-b8fe22dc028e?t=1665744390714">https://licindia.in/documents/20121/46602/Code-of-conduct-for-Directors-and-senior-mgmt.pdf/f4d9e8f8-66fe-5394-e2df-b8fe22dc028e?t=1665744390714</a>
Dividend Distribution Policy	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Dividend-distribution-policy.pdf/a099808b-9f30-9c88-29cd-1d3e63d19456?t=1665744390416">https://licindia.in/documents/20121/46602/Dividend-distribution-policy.pdf/a099808b-9f30-9c88-29cd-1d3e63d19456?t=1665744390416</a>
Policy on determination of Materiality and Disclosure of Events/Information	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Materiality-policy+%281%29.pdf/6bd19207-95d7-b89f-23ce-f4483aa6bfb5?t=1696491405129">https://licindia.in/documents/20121/46602/Materiality-policy+%281%29.pdf/6bd19207-95d7-b89f-23ce-f4483aa6bfb5?t=1696491405129</a>
Policy for determining Material Subsidiaries (In India)	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-for-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf/84ecdaa9-f927-7a18-26ef-f2af9430e11a?t=1668407223421">https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-for-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf/84ecdaa9-f927-7a18-26ef-f2af9430e11a?t=1668407223421</a>
Policy for determining Material Subsidiaries (Outside India)	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-on-Material-Subsidiaries-outside-India.pdf/a6377617-f33a-6dd3-9f0d-82589934140c?t=1668407278203">https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-on-Material-Subsidiaries-outside-India.pdf/a6377617-f33a-6dd3-9f0d-82589934140c?t=1668407278203</a>
LIC's Code of Fair Disclosure, Policy for Determination of Legitimate Purposes, Code of Conduct for Prevention of Insider Trading and Policy on Leakage and of UPSI	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/LIC-Code-as-per-SEBI_PIT_Regulations-2015.pdf/4ee158ab-f1d7-cf1c-50f0-a7081f98d3cf?t=1668408620699">https://licindia.in/documents/20121/46602/LIC-Code-as-per-SEBI_PIT_Regulations-2015.pdf/4ee158ab-f1d7-cf1c-50f0-a7081f98d3cf?t=1668408620699</a>
Policy on Related Party Transactions	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Revised-RPT-Policy-Version3.pdf/8c03ebdf-e096-8cf1-6485-f58f89a14eba?t=1674020688256">https://licindia.in/documents/20121/46602/Revised-RPT-Policy-Version3.pdf/8c03ebdf-e096-8cf1-6485-f58f89a14eba?t=1674020688256</a>
Policy on Life Insurance Corporation's Preservation of Documents	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Preservation-of-Records.pdf/480de9df-24ee-f6a5-963a-fe039d002aa4?t=1668408679890">https://licindia.in/documents/20121/46602/Preservation-of-Records.pdf/480de9df-24ee-f6a5-963a-fe039d002aa4?t=1668408679890</a>
Surplus distribution policy of the Corporation	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Surplus-Distribution-Policy.pdf/bacfc45a-788c-fc9e-2ffb-33df66cecf64?t=1668407139728">https://licindia.in/documents/20121/46602/Surplus-Distribution-Policy.pdf/bacfc45a-788c-fc9e-2ffb-33df66cecf64?t=1668407139728</a>
Whistle Blower Policy	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Whistle+Blower+Policy.pdf/49f509ab-c255-1506-033e-9ffeaded4680?t=1709189590811">https://licindia.in/documents/20121/46602/Whistle+Blower+Policy.pdf/49f509ab-c255-1506-033e-9ffeaded4680?t=1709189590811</a>
Archival Policy	<a href="https://licindia.in/documents/20121/46602/Archival_Policy-%281%29.pdf/f5e40682-4323-35af-b47d-9d41cef35639?t=1668407560823">https://licindia.in/documents/20121/46602/Archival_Policy-%281%29.pdf/f5e40682-4323-35af-b47d-9d41cef35639?t=1668407560823</a>

# CORPORATE GOVERNANCE REPORT

## 1. Corporation's Philosophy on Corporate Governance

Life Insurance Corporation of India ("LIC of India" or "LIC" or "LIC" or "the Corporation") strongly believes in good Governance practices, ethics, fairness, and ensures ethical and efficient conduct of the affairs of the Corporation in a transparent manner, builds the trust and confidence and helps in maximizing the value for its Stakeholders.

The Corporation follows governance and compliance requirements as per the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ("LIC Act, 1956" or "LIC Act"), Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI) Corporate Governance Guidelines, 2016 (to the extent applicable) ("IRDAI CG Guidelines"), Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations" or "Listing Regulations") and other applicable provisions if any. The Corporation has, *inter-alia*, well-defined policies and framework for the implementation of the Corporate Governance consisting of, *inter-alia*, the following:

- Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel
- LIC's Code of Fair Disclosure, Policy for Determination of Legitimate Purposes, Code of Conduct for Prevention of Insider Trading and Policy on Leakage and of UPSI
- Enterprise Risk Management Policy
- Whistle Blower Policy
- Policy on Protection of Policyholders' Interests
- Policy on Related Party Transactions (includes Material RPTs)
- Policy for determining Material Subsidiaries (within India and outside India)
- Policy for Preservation of Documents
- Dividend Distribution Policy
- Policy for Directors and Senior Management Personnel Disclosure of Material Commercial and Financial Transactions
- Policy for Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity.
- Policy for Determination of Materiality and Disclosure of Events/Information

## 2. Board of Directors

### a) Composition of Board of Directors

The Board of the Corporation is constituted in accordance with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 and the rules and regulations made thereunder. The Board of the Corporation comprises of Executive (Whole-time) Directors, Non-Executive Government Nominee Director and Non-Executive Independent Directors (including one woman director).

The tenure of the Directors appointed on the Board is as under:

- i) Whole – time Directors are appointed for a period upto five years as the Central Government may specify and are eligible for re-appointment.
- ii) Government Nominee Director is nominated by the Central Government.
- iii) Independent Directors are appointed for a term of four years and are eligible for re-appointment for one further term of four years. However, the first three independent Directors are appointed for a term not exceeding six months and are eligible for re-appointment for one further term, of four years. Accordingly, the first three Independent Directors have been re-appointed for second term of four years after completing their first term of six months.

In terms of the Life Insurance Corporation Act, 1956, the total number of Directors on the Board of the Corporation shall not exceed 18 Directors (including not more than four Managing Directors). As on 31<sup>st</sup> March, 2024, Board comprises of 15 Directors, which includes (i) Whole Time Chairperson; (ii) one Government Nominee Director; (iii) four Managing Directors; (iv) nine Independent Directors including one woman Director.

The composition of the Board as on 31<sup>st</sup> March, 2024 is given below:

Sr. No.	Name of the Directors	Category	Designation	Date of Appointment	Tenure as on March 31, 2024 (in years)
1	Shri Siddhartha Mohanty*	Executive Director	Whole-Time Chairperson	02.02.2021	3.16
2	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Non-Executive Director	Government Nominee Director	28.06.2023	0.76
3	Shri Jagannath M	Executive Director	Managing Director	13.03.2023	1.05
4	Shri Tablesh Pandey	Executive Director	Managing Director	01.04.2023	1.00
5	Shri Sat Pal Bhanoo	Executive Director	Managing Director	20.07.2023	0.70
6	Shri Doraiswamy Ramchandran	Executive Director	Managing Director	01.09.2023	0.58
7	Dr. Ranjan Sharma	Non-Executive Director	Independent Director	29.10.2021	2.42
8	Shri Vinod Kumar Verma	Non-Executive Director	Independent Director	29.10.2021	2.42
9	Prof. Anil Kumar	Non-Executive Director	Independent Director	20.01.2022	2.19
10	Smt. Anjuly Chib Duggal	Non-Executive Director	Independent Director	29.01.2022	2.17
11	Shri Mahalingam G	Non-Executive Director	Independent Director	29.01.2022	2.17
12	Shri Raj Kamal	Non-Executive Director	Independent Director	29.01.2022	2.17
13	Dr. V S Parthasarathy	Non-Executive Director	Independent Director	29.01.2022	2.17
14	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Non-Executive Director	Independent Director	29.01.2022	2.17
15	Shri Sanjeev Nautiyal**	Non-Executive Director	Independent Director	29.01.2022	2.17

\* Managing Director (In charge) till April 28, 2023 and thereafter appointed as whole-time chairperson of the corporation.

\*\* Shri Sanjeev Nautiyal ceased to hold the position of Independent Director on the Board of the corporation w.e.f. the close of day on 31.05.2024, upon his resignation consequent to his appointment as MD & CEO, Ujjivan Small Finance Bank Ltd., and there was no other reason for his resignation.

**b) Current Directors of the Corporation (As on 15<sup>th</sup> July, 2024)**

Name of Directors	Educational Qualification	Designation
Shri Siddhartha Mohanty*	MA, LLB, PGCBM, Licentiate of Insurance Institute of India	Chief Executive Officer and Managing Director
Dr. Maruthi Prasad Tangirala	BE (Civil), PG Diploma in Management, LLB, MPhil, PhD	Government Nominee Director
Shri Jagannath M	B.Com, CA(Inter), PG Diploma in Marketing, International PG Diploma in Life Insurance, General Insurance & Risk Management, Associate Member of Insurance Institute of India	Managing Director

Name of Directors	Educational Qualification	Designation
Shri Tablesh Pandey	B.Tech(Agricultural Engineering), Associate Member of Institute of Actuaries of India	Managing Director
Shri Sat Pal Bhanoo	BA History (Hons)	Managing Director
Shri Doraiswamy Ramchandran	B.SC.(Maths), Fellow of Insurance Institute of India	Managing Director
Dr. Ranjan Sharma	MA, PhD	Independent Director
Shri Vinod Kumar Verma	BA	Independent Director
Prof. Anil Kumar	B Com (Hons), M Com, PhD	Independent Director
Smt. Anjuly Chib Duggal	MA	Independent Director
Shri Mahalingam G	M.Sc (Stat), MBA	Independent Director
Shri Raj Kamal	B. Tech (Mech Engg), PG Program in Business Management	Independent Director
Dr. V S Parthasarathy	CA, Alumnus of Harvard Business School's AMP, PhD	Independent Director
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	B Com, FCA, FCMA & FCS	Independent Director

\* Served as whole time Chairperson of the corporation till 29<sup>th</sup> June, 2024 and thereafter re-designated as Chief Executive Officer and Managing Director of the corporation w.e.f. 30<sup>th</sup> June, 2024, as per Government of India's notification dated 28<sup>th</sup> April, 2023.

### c) Board Meetings

Thirteen (13) Board Meetings were held during the Financial Year 2023-2024. These meetings were held in Mumbai. The agenda papers and other supporting documents of the meetings are circulated to the Directors in advance. However, emergent proposals are tabled at the Board Meeting and are considered with the approval of the Chairperson and consent of other Directors. The Directors are provided with the option to participate in the Meetings through Video Conferencing also. Executive Summaries for the agenda items are being provided to facilitate the decision-making at the Board Meetings. Board reviews Corporation's quarterly performance and financial results, policies and other related matters. Board also reviews the performance of its Subsidiary / Associate companies at regular intervals. The Board was provided with relevant information as stipulated under various applicable rules, regulations and laws. In order to support the green initiative, paperless meetings are held wherein the Agenda papers and other supporting documents are uploaded on a digital platform which can be accessed by the Directors electronically on in a secured manner. The Minutes are prepared promptly after the meeting and are circulated to the Directors for their comments, if any. After the approval of Chairperson, the minutes are then circulated to the departments concerned for implementation. The Action taken Reports are also submitted to the Board.

Details of Board Meetings held during the year 2023-2024 are as under:

Sl. No	Date	Board Strength	No. of Directors present
1	25.04.2023	14	13
2	15.05.2023	14	14
3	24.05.2023	14	14
4	23.06.2023	14	13
5	10.08.2023	15	15
6	10.10.2023	15	15
7	10.11.2023	15	15

Sl. No	Date	Board Strength	No. of Directors present
8	26.11.2023	15	14
9	11.12.2023	15	11
10	08.01.2024	15	15
11	08.02.2024	15	15
12	24.02.2024	15	13
13	14.03.2024	15	14

d) **Attendance of Directors at Board Meetings and Annual General Meeting (AGM) during the Financial Year 2023-2024**

Attendance at Board Meetings														Attend ance at the AGM held on
Name of Director	25-04-2023	15-05-2023	24-05-2023	23-06-2023	10-08-2023	10-10-2023	10-11-2023	26-11-2023	11-12-2023	08-01-2024	08-02-2024	24-02-2024	14-03-2024	
Shri Siddhartha Mohanty	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Suchindra Misra*	✓	✓	✓	x	Cessation from Directorship w.e.f. 28.06.2023									
Dr. Maruthi Prasad Tangirala**	Appointed as Director w.e.f. 28.06.2023				✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	✓	x
Smt. Mini Ipe***	✓	✓	✓	✓	✓	Cessation from Directorship upon superannuation on 31.08.2023								✓
Shri Jagannath M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Tablesh Pandey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Sat Pal Bhanoo®	Appointed as Director w.e.f.20.07.2023				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓
Shri Doraiswamy Ramchandran®®	Appointed as Director w.e.f.01.09.2023					✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	
Dr. Ranjan Sharma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Vinod Kumar Verma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prof. Anil Kumar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smt. Anjuly Chib Duggal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Mahalingam G	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Raj Kamal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dr. V S Parthasarathy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	✓
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Sanjeev Nautiyal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attendance in %age	92.86	100	100	92.86	100	100	100	93.33	73.33	100	100	86.67	93.33	93.33

\*Cessation from Directorship w.e.f. 28.06.2023

\*\*Appointed as Director w.e.f. 28.06.2023

\*\*\*Cessation from Directorship upon superannuation on 31.08.2023

®Appointed as Director w.e.f. 20.07.2023

®®Appointed as Director w.e.f. 01.09.2023

e) **Details of attendance of Directors at the Board Meetings and their Directorship as per the statement below:**

Name of the Director	No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director	Names of the other Equity Listed entities where the person is a director and the category of directorship	No. of Directorship in other listed entities as on March 31, 2024	*Membership of Committees (Nos.) in other Companies as on March 31, 2024	*Chairperson of Committees (Nos) in other Companies as on March 31, 2024
Whole – Time Directors					
Shri Siddhartha Mohanty (DIN – 08058830)	13/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>LIC Housing Finance Limited – Nominee Director (Non-Executive Director) &amp; Chairman</li> </ul>	1	-	-
Smt. Mini Ipe (DIN -07791184) (up to 31.08.2023)	05/05	-	-	-	-
Shri Jagannath M (DIN- 10090437)	13/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>LIC Housing Finance Limited – Nominee Director (Non-Executive Director)</li> <li>BSE Limited – Non-Executive Non-Independent Director</li> </ul>	2	2	1
Shri Tablesh Pandey (DIN - 10119561)	13/13	-	-	2	-
Shri Sat Pal Bhanoo (DIN - 10482731) (w. e. f. 20. 07. 2023)	08/09	-	-	-	-
Shri Doraiswamy Ramchandran (DIN - 10358884) (w. e. f. 01. 09. 2023)	07/08	-	-	-	-

Name of the Director	No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director	Names of the other Equity Listed entities where the person is a director and the category of directorship	No. of Directorship in other listed entities as on March 31, 2024	*Membership of Committees (Nos.) in other Companies as on March 31, 2024	*Chairperson of Committees (Nos) in other Companies as on March 31, 2024
<b>Non-Executive Directors (Government Nominee)</b>					
Shri Suchindra Misra (DIN- 01873568) (up to 28.06.2023)	3/4	-	-	-	-
Dr. Maruthi Prasad Tangirala (DIN - 03609968) (w.e.f. 28.06.2023)	6/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>General Insurance Corporation of India (GIC Re) – Non Executive-Nominee Director</li> <li>Indian Bank- Non Executive-Nominee Director</li> </ul>	2	-	-
<b>Non-Executive Directors (Independent Director)</b>					
Dr. Ranjan Sharma (DIN -09573799)	13/13	-	-	-	-
Shri Vinod Kumar Verma (DIN -09309031)	13/13	-	-	-	-
Prof. Anil Kumar (DIN - 09477565)	13/13	-	-	-	-
Smt. Anjuly Chib Duggal (DIN -05264033)	12/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gillette India Limited- Non-Executive - Independent Director</li> </ul>	1	1	-

Name of the Director	No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director	Names of the other Equity Listed entities where the person is a director and the category of directorship	No. of Directorship in other listed entities as on March 31, 2024	*Membership of Committees (Nos.) in other Companies as on March 31, 2024	*Chairperson of Committees (Nos) in other Companies as on March 31, 2024
Shri Mahalingam G (DIN – 09660723)	12/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>City Union Bank Limited- Non-Executive - Independent Director</li> <li>CARE Ratings Limited Non-Executive - Independent Director</li> <li>Central Depository Services Ltd. Non-Executive - Independent Director</li> </ul>	3	4	1
Shri Raj Kamal (DIN – 07653591)	13/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trident Limited- Non-Executive – Independent Director</li> </ul>	1	1	-
Dr. V S Parthasarathy (DIN – 00125299)	11/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>NIIT learning Systems Limited – Non-Executive - Independent Director</li> <li>Pennar Industries Limited – Non-Executive - Independent Director</li> </ul>	2	5	4
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar (DIN – 05170323)	13/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Heritage Foods Limited - Non-Executive - Independent Director</li> <li>Geojit Financial Services Limited- Non-Executive - Independent Director</li> </ul>	2	2	-

Name of the Director	No. of Board Meetings attended out of meetings held during the tenure of Director	Names of the other Equity Listed entities where the person is a director and the category of directorship	No. of Directorship in other listed entities as on March 31, 2024	*Membership of Committees (Nos.) in other Companies as on March 31, 2024	*Chairperson of Committees (Nos) in other Companies as on March 31, 2024
Shri Sanjeev Nautiyal (DIN - 08075972)	13/13	-	-	-	-

\* Pursuant to SEBI Listing Regulations, the Membership held by Directors, as mentioned above, include public limited companies, but do not include the private limited companies, foreign companies, high value debt listed entities and companies registered under section 8 of the Companies Act, 2013. Positions held by Directors as Chairman and/or member of Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee are considered.

**f) Terms of Reference of Board**

- 1) To exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Corporation.
- 2) To approve Annual operating plans and budgets and any updates.
- 3) To approve Capital budgets and any updates.
- 4) To approve Quarterly results of the Corporation and its operating divisions or business segments.
- 5) To constitute mandatory Committees of the Board as required by applicable Statute and other Committees of the Board as it may deem fit.
- 6) Minutes of meetings of Audit committee and other committees of the Board of Directors.
- 7) The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the level of Board of Directors, including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.
- 8) To appoint on recommendation of the Audit Committee, Internal Auditor of the Corporation.
- 9) To Approve Related Party Transactions which are not in the ordinary course of business or on Arms-length basis.
- 10) To convene General Meeting(s) of Shareholders, AGM or Postal Ballot.
- 11) To approve Annual Report of the Corporation.
- 12) To recommend final dividend and/or to declare interim dividend.
- 13) To approve Regulations with previous approval of Central Government.
- 14) To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Corporation.
- 15) To lay down a code of conduct for all members of Board of Directors and Senior Management.
- 16) To have oversight over the control functions of the Corporation.
- 17) To approve various Policies of the Corporation.
- 18) Show cause, demand, prosecution notices and penalty notice, which are materially important.
- 19) Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.

- 20) Any material default in financial obligations to and by the Corporation, or substantial non-payment for goods sold by the listed entity.
- 21) Any issue, which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgement or order which, may have passed strictures on the conduct of the Corporation or taken an adverse view regarding another enterprise that may have negative implications on the Corporation.
- 22) Details of any joint venture or collaboration agreement.
- 23) Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity or intellectual property.
- 24) Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in Human Resources/ Industrial Relations front like signing of wage agreement, implementation of Voluntary Retirement Scheme etc.
- 25) Sale of investments, subsidiaries, assets which are material in nature and not in normal course of business.
- 26) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.
- 27) Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

**g) Directorships in other Companies**

- None of the Directors of the Corporation is a director in more than seven listed entities.
- None of the Directors of the Corporation acts as an independent director (including any alternate directorships) in more than seven listed companies or three equity listed companies in case he / she serves as a whole-time director in the listed entity.
- Further, none of the Directors of the Corporation is a member of more than ten committees or chairperson of more than five committees, across all the Indian public limited companies in which he/ she is a director. For the purpose of determination of limit of the Board Committees, Chairmanship or Membership of Audit Committee & Stakeholders' Relationship Committee has been considered.
- The Directors of the Corporation do not have any relationships inter-se.

**h) Code of Conduct**

The Corporation have a Board approved Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel of the Corporation, which is circulated to all concerned and is also hosted on the website of the Corporation. The Directors and Senior Management Personnel of the Corporation have affirmed compliance with the provisions of the Code of conduct for the year ended March 31, 2024 and no material financial or commercial transactions, which may have a potential conflict with the interest of the Corporation, were reported by them. A declaration duly signed by the CEO & MD is enclosed as Annexure 'A' to this report.

**i) Integrity Pact:**

LIC has adopted Integrity Pact from 05.09.2015 to enhance transparency in the process of awarding contracts. As per Board approved Manual for Procurement of Goods and Manual of Consultancy Services, the threshold value should be such as to cover bulk (80-90% by value) of its procurement expenditure. The Integrity Pact has now become a part of tender documents and only those vendors / bidders who are abiding by the Integrity Pact shall be considered in the bidding process. Presently, one Independent External Monitor (IEM) has been nominated by the Central Vigilance Commission to monitor the implementation of Integrity Pact in all tenders. The Integrity Pact becomes applicable for engineering department at PAN India level for the tender value of ₹ 10 crore and above and for all other departments at Central Office for tenders having value of ₹ 1 crore. For Zonal and Divisional Offices, tenders having value of ₹ 10 lakh and above for all Departments (excluding Engineering Department) shall come under the purview of the Integrity Pact.

As per guidelines issued by CVC, during the year, one structured meeting of IEM with the Chairperson and four regular meetings with IEMs (2 meetings with 2 IEMs and 2 meetings with 1 IEM) were held. Based on the above threshold value, 42 tenders came under the purview of the Integrity Pact during the year 2023-2024 and two complaints were received. There are no pending complaints as on March 2024.

**j) Shareholding of Non-Executive Directors in the Corporation: Nil**

**k) Familiarization programme for Independent Directors:** Independent Directors have been familiarized with their roles, rights and responsibilities in the Corporation as well as with the nature of Industry through induction programs and also through sessions on Finance, Actuarial Valuation, Corporate Governance, Marketing, Customer Relationship Management, etc from time to time. During the Year 2023-24, four Familiarization Programme were conducted for Independent Directors. The information regarding the Familiarization Programme for Independent Director is available on LIC's website at <https://licindia.in/documents/d/guest/familiarisation-programmes-2023-24-for-website>

**l) Field of Specialization / Skills / Expertise / Competence of the Board of Directors:**

The Board comprises of qualified members with rich professional experience who possess the relevant skills/ expertise/ competence to ensure the effective functioning of the Corporation which are as follows:

Sr No	Name of the Directors	Educational Qualification	Field of Specialization / Skills / Expertise / Competence					
			Governance	Marketing	Business Management	Accountancy & Finance	Insurance	Risk Management
1	Shri Siddhartha Mohanty	MA, LLB, PGCBM, Licentiate of Insurance Institute of India	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	BE(Civil), PGDM, LL.B, M. Phil, PhD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Shri Jagannath M	B.Com, CA(Inter), PG Diploma in Marketing, International PG Diploma in Life Insurance, General Insurance & Risk Management, Associate Member of Insurance Institute of India	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Shri Tablesh Pandey	B. Tech (Agricultural Engineering), Associate Member of Institute of Actuaries of India	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Shri Sat Pal Bhanoo	Bachelor's Degree in History (Hons)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Shri Doraiswamy Ramchandran	B.SC.(Maths), Fellow of Insurance Institute of India	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Dr. Ranjan Sharma	MA, PhD	✓	-	✓	✓	✓	✓
8	Shri Vinod Kumar Verma	BA	✓	✓	✓	-	✓	-
9	Prof. Anil Kumar	B Com (Hons), M Com, PhD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Smt. Anjuly Chib Duggal	M.A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Shri Mahalingam G	M.Sc (Stat), MBA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Shri Raj Kamal	B. Tech (Mech Engg), Post-Graduate Program in Business Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sr No	Name of the Directors	Educational Qualification	Field of Specialization / Skills / Expertise / Competence					
			Governance	Marketing	Business Management	Accountancy & Finance	Insurance	Risk Management
13	Dr. V S Parthasarathy	CA, Alumnus of Harvard Business School's AMP, PhD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	B.Com, FCA, FCMA & FCS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Shri Sanjeev Nautiyal	BA, MBA, CAIIB	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- m) **Declaration by Independent Directors:** Independent Directors, as per Section 4 (3) of the LIC Act, 1956 read with Section 149 (6) of the Companies Act, 2013, have confirmed that they are not aware of any circumstance or situation which exists or may be reasonably anticipated that could impair or impact their ability to discharge their duties. They have also confirmed that they meet the criteria of independence and are independent of the management and also satisfy the criteria framed by Nomination & Remuneration Committee regarding qualifications, positive attributes and independence. In the opinion of the Board, Independent Directors fulfill the prescribed mandatory conditions and are independent of the management.
- n) **Meeting of Independent Directors:** In terms of Regulation 25(3) and (4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Meeting of Independent Directors of the Corporation was held on March 15, 2024. All Independent Directors except Dr. V.S.Parthasarthy attended the Meeting. The agenda of the Meeting covered inter-alia the quick review of the performance of the Board, the Chairperson, the non-Independent Directors and the quality, quantity and the timeliness of the flow of information to the board from the Management.

### 3. COMMITTEES OF THE BOARD

The Corporation has 12 Board level Committees, viz. Executive Committee, Investment Committee, Audit Committee, Risk Management Committee, Policyholders' Protection Committee, With – Profit Committee, Election of Shareholders' Directors Committee in Public Sector Banks (PSBs), Information Technology (IT) Strategy Committee, Building Advisory Committee, Review Committee on Wilful Defaulters, Stakeholders' Relationship Committee and Nomination & Remuneration Committee.

#### A. EXECUTIVE COMMITTEE (EC)

The Executive Committee has been constituted in line with the provisions of Section 19 (1) of the LIC Act, 1956.

- i. The Executive Committee comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

Sl No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Whole time Chairperson	Chairperson
2	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	Member
3	Shri Jagannath M	Managing Director	Member
4	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member
5	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member
6	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member
7	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member
8	Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member
9	Shri Mahalingam G	Independent Director	Member
10	Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member

- ii. The Terms of Reference of the Executive Committee is as under:
1. To execute the functions in accordance with provisions of Rule 12, 18, 39, 40 and 86 specified in the Life Insurance Corporation of India(Staff) Rules, 1960 and accordingly;
    - (a) To appoint officers in the cadres of Zonal Manager and above and equivalent cadres, Executive Committee being the Appointing Authority as per Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
    - (b) As appointing authority, to execute the functions specified in the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
    - (c) To take disciplinary action against the officers in the cadres of Zonal Manager and above and equivalent cadres as Disciplinary authority and impose penalty under Rule 39 (1) (f) to (j) of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
    - (d) To consider the appeals received from the officers in the cadre of Zonal Manager and above and equivalent cadres, Executive Committee being the Appellate Authority, for minor penalties under Rule 39 (1)(a) to (e) of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
    - (e) To consider the appeals received from the officers in the cadre of Deputy Zonal Manager/Senior Divisional Manager/ Divisional Manager and equivalent cadres, Executive Committee being the Appellate Authority for major penalties under Rule 39(1)(f) to (j) of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
    - (f) To relax any of the provisions of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 in accordance with provision of Rule 86 of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960.
  2. To execute the functions in accordance with provisions specified in the Life Insurance Corporation of India (Employees) Pension Rules, 1995 and accordingly;
    - (a) As per Rule 2 (f) of LIC of India (Employees) Pension Rules, 1995, Executive Committee is the Competent Authority for the cadres of Zonal Manager and above and equivalent cadres for the provisions specified as per the Rules.
    - (b) As per Rule 48 (1) Executive Committee shall be consulted before passing any final order for recovery of pecuniary loss caused to the Corporation from retired employees (Pensioners) and/or for withholding/ withdrawal of pension or a part thereof.
  3. To issue Standing Order governing the functions and powers of various authorities in the Corporation with regard to financial/operational matters (through FPSO).
  4. To exercise the financial/administrative powers which are with Executive Committee as per FPSO.
  5. To recommend to Board, matters related to Employee benefits being referred to the Govt. of India.
  6. To exercise those powers, if any, deriving from amendments to Act, Rules, Regulations and those functions further assigned by the Board.

- iii. The attendance at the eight (8) meetings of the Executive Committee held during the year 2023-2024 is given below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	05-04-2023	25-04-2023	22-06-2023	29-08-2023	15-09-2023	16-11-2023	07-02-2024	05-03-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty <sup>@</sup>	Whole time Chairperson	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8
Shri Suchindra Misra <sup>*</sup>	Government Nominee Director	Member	✓	✗	✗						3	1
Dr. Maruthi Prasad Tangirala <sup>**</sup>	Government Nominee Director	Member				✓	✓	✗	✗	✓	5	3
Smt. Mini Ipe <sup>***</sup>	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓					4	4
Shri Jagannath M	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	8	7
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	8	7
Shri Sat Pal Bhanoo <sup>§</sup>	Managing Director	Member				✓	✓	✓	✓	✓	5	5
Shri Doraiswamy Ramchandran <sup>§§</sup>	Managing Director	Member					✓	✓	✓	✓	4	4
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8
Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	8	7
Shri Mahalingam G	Independent Director	Member	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	7
Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	8
Attendance in %age			100	77.78	77.78	90	100	90	80	100		

<sup>@</sup> Managing Director & In-Charge till 28.04.2023 and thereafter Whole Time Chairperson

<sup>\*</sup> Cessation from Directorship w.e.f. 28.06.2023

<sup>\*\*</sup> Inducted as Member w.e.f. 03.07.2023

<sup>\*\*\*</sup> Cessation from Directorship upon superannuation on 31.08.2023

<sup>§</sup> Inducted as Member w.e.f. 21.07.2023

<sup>§§</sup> Inducted as Member w.e.f. 05.09.2023

## B. INVESTMENT COMMITTEE

The Investment Committee has been constituted in line with the provisions of Section 19A of the LIC Act, 1956 read with IRDAI Corporate Governance Guidelines, 2016 (to the extent applicable).

i. The Investment Committee comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

Sl No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Whole Time Chairperson	Chairperson
2	Shri Jagannath M	Managing Director	Member
3	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member
4	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member
5	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member
6	Shri Mahalingam G	Independent Director	Member
7	Shri Raj Kamal	Independent Director	Member
8	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member

Special Invitees: Appointed Actuary and Officers of the Corporation heading the functions dealing with finance, risk, investment and law.

ii. The Terms of Reference of the Investment Committee is as under:

1. To take decisions in matters relating to the investment of the funds of the Corporation.
2. To review the performance of Investments on quarterly basis.
3. To take note of reporting items submitted to the Investment Committee
4. To review and recommend to the Board Investment Policy (IP) and lay down the operational framework for the investment operations. Such review of the Investment Policy to be done on a half yearly basis or at such short intervals as may be decided. To ensure that regulatory norms and Section 27A of Insurance Act 1938 as made applicable to LIC by Government Notification u/s 43(2) of LIC Act, 1956 are adhered to while making investments.
5. To approve the "Standard Operating Procedures" of the Corporation with respect to its investment functions on an annual basis and any need based modification thereof from time to time. The provisions of SOP may be reviewed from time to time depending on economic scenario, regulatory provisions and other factors, and may be changed after approval of Investment Committee.
6. To lay out guidelines for various investment functions.
7. The Investment Policy, as approved by the Board, shall be implemented by the Investment Committee.
8. For assessment of credit risk and market risk, the members of the Committee should not be influenced only by the credit rating. The committee should independently review their investment decisions and ensure that support by the internal due diligence process is an input in making appropriate investment decisions.
9. The Committee shall formulate an effective reporting system to ensure compliance with the policy set out by it apart from Internal /Concurrent Audit mechanisms for a sustained and ongoing monitoring of Investment Operations.
10. The Committee shall submit a report to the Board on the performance of the investment portfolio with regard to its safety and soundness.
11. The Committee shall analyze and review of non-performing assets of investments on a quarterly periodicity.

- iii. The attendance at the sixteen (16) meetings of the Investment Committee held during the year 2023-2024 is given below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	23-05-2023	06-07-2023	04-08-2023	05-09-2023	20-09-2023	11-10-2023	01-11-2023	16-11-2023	04-12-2023
Shri Siddhartha Mohanty	Whole time Chairperson	Chairperson	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Smt. Mini Ipe*	Managing Director	Member	✓	✓	✓						
Shri Jagannath M	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Sat Pal Bhanoo**	Managing Director	Member			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Doraiswamy Ramchandran***	Managing Director	Member					✓	✓	✓	✓	✗
Shri Mahalingam G	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Shri Raj Kamal	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attendance in %age			100	100	100	71.43	87.50	100	100	100	87.50

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	29-12-2023	31-01-2024	06-02-2024	17-02-2024	23-02-2024	28-02-2024	28-03-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty	Whole time Chairperson	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	15
Smt. Mini Ipe*	Managing Director	Member								03	03
Shri Jagannath M	Managing Director	Member	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	16	12
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	16	15
Shri Sat Pal Bhanoo**	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14	14
Shri Doraiswamy Ramchandran***	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	12	10
Shri Mahalingam G	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	15
Shri Raj Kamal	Independent Director	Member	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	16	15
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	16
Attendance in %age			100	87.50	75	87.50	100	75	100		

\* Cessation from Directorship upon superannuation on 31.08.2023

\*\* Inducted as Member w.e.f. 21.07.2023

\*\*\* Inducted as Member w.e.f. 05.09.2023

The attendance of Special Invitees at the sixteen (16) meetings of the Investment Committee held during the year 2023-2024 is given below:

Name	Designation	23-05-2023	06-07-2023	04-08-2023	05-09-2023	20-09-2023	11-10-2023	01-11-2023	16-11-2023	04-12-2023	29-12-2023	31-01-2024	06-02-2024	17-02-2024	23-02-2024	28-02-2024	28-03-2024
Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	✓	x	✓	x	x	x	x	✓
Shri Rajesh Ailawadi	Executive Director (Legal)	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	x
Shri Jagat Singh Tolia	Executive Director (Investment Mid Office)	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	x	x	✓	✓	x	✓	x	✓	x
Shri Ratnakar Patnaik	Executive Director (Investment Front Office) & Chief Investment Officer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Pratap Chandra Paikray*	Executive Director (ERM) & Chief Risk Officer	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x							
Shri Sessa Giridhar Kuppoli	Executive Director (Investment Back Office)	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	x	x	x	✓	x
Shri S Sunder Krishnan**	Chief Risk Officer										✓	✓	✓	✓	x	✓	✓

\*Cessation from the post of Chief Risk Officer w.e.f. 27.12.2023

\*\*Appointed as Chief Risk Officer w.e.f. 27.12.2023

### C. AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee has been constituted in line with the provisions of Section 19C of the LIC Act, 1956, read with IRDAI Corporate Governance Guidelines, 2016 (to the extent applicable) and Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

i. The Audit Committee comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

Sl No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Chairperson
2	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	Member
3	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member
4	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member
5	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member
6	Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member

Special Invitee: Shri Sat Pal Bhanoo, Managing Director

- ii. The Terms of Reference of the Audit Committee is as under:
1. Oversight of financial reporting process and the disclosure of financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;
  2. Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of Statutory auditors;
  3. Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors, if permissible under the Act / Rules / Regulations.
  4. Reviewing the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the board for approval, with particular reference to:
    - a) Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the board's report in terms of Section 24C (2) of the LIC Act, 1956
    - b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;
    - c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;
    - d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;
    - e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;
    - f) Disclosure of any related party transactions;
    - g) Modified opinion(s) in the draft audit report;
  5. Reviewing the quarterly financial statements before submission to the board for approval;
  6. Reviewing the statement of uses / application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document / prospectus / notice and the report submitted by the monitoring agency monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the board to take up steps in this matter;
  7. Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;
  8. Prior Approval or any subsequent modification of transactions of the Corporation with related parties;
  9. Scrutiny of inter-corporate loans and investments; if any
  10. Valuation of undertakings or assets of the listed entity, wherever it is necessary;
  11. Evaluation of internal financial controls and risk management systems;
  12. Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;
  13. Review of adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;
  14. Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;
  15. Review the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the board;
  16. Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
  17. Review of the reasons for substantial defaults in the payment to the shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;

18. Review the functioning of Vigil Mechanism;
19. Approval of appointment of Chief Financial Officer, Chief Internal Auditor and Chief Compliance Officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;
20. Carrying out any other function as is mentioned in the terms of reference of the audit committee.
21. Reviewing the utilization of loans and/ or advances from/investment by the holding company in the subsidiary exceeding ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans / advances / investments existing as on the date of coming into force of this provision.
22. Consider and comment on rationale, cost-benefits and impact of schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., on the listed entity and its shareholder.
23. Management discussion and analysis of financial condition and results of operations;
24. Management letters / letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;
25. Internal audit reports relating to internal control weaknesses;
26. The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Internal Auditor shall be subject to review by the audit committee.
27. Statement of deviations:
  - a) Quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1).
  - b) Annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/notice in terms of Regulation 32(7).
28. To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory / statutory guidelines from time to time.

iii. The attendance at the nine (09) meetings of the Audit Committee held during the year 2023-2024 is given below:

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	25-04-2023	15-05-2023	24-05-2023	22-06-2023	10-08-2023	09-10-2023	10-11-2023	09-01-2024	08-02-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
Shri Suchindra Misra*	Government Nominee Director	Member	✓	✓	✓	x						4	3
Dr. Maruthi Prasad Tangirala**	Government Nominee Director	Member					✓	x	✓	x	✓	5	3
Smt. Mini Ipe***	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓					5	5
Shri Doraiswamy Ramchandran <sup>§</sup>	Managing Director	Member						✓	✓	✓	✓	4	4

Name of the Member	Designation	Nature of Membership	25-04-2023	15-05-2023	24-05-2023	22-06-2023	10-08-2023	09-10-2023	10-11-2023	09-01-2024	08-02-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	9
Attendance in % age			100	100	100	83.33	100	83.33	100	83.33	100		
<b>Special Invitee:-</b>													
Shri Jagannath M ^	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓					5	5
Shri Sat Pal Bhanoo <sup>^</sup>	Managing Director	Member						✓	✓	*	✓	4	3

\* Cessation from Directorship w.e.f. 28.06.2023

\*\*Inducted as Member w.e.f. 03.07.2023

\*\*\* Cessation from Directorship upon superannuation on 31.08.2023

§ Inducted as Member w.e.f. 05.09.2023

^ Special Invitee till 04.09.2023

^^ Special Invitee w.e.f. 05.09.2023

#### D. RISK MANAGEMENT COMMITTEE [RMC]

The Risk Management Committee has been constituted in line with IRDAI Corporate Governance Guidelines, 2016 (to the extent applicable) and Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

i. The RMC comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

Sl No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Shri Mahalingam G	Independent Director	Chairperson
2	Shri Jagannath M	Managing Director	Member
3	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member
4	Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member
5	Shri Sanjeev Nautiyal	Independent Director	Member
6	Shri S Sunder Krishnan	Chief Risk Officer	Member

- ii. The Terms of Reference of the RMC is as under:
1. To formulate a detailed risk management policy which shall include:
    - a. A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the Corporation, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.
    - b. Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks.
    - c. Business continuity plan.
  2. To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the operations of the Corporation;
  3. To monitor and oversee implementation of the risk management policy, including evaluating the adequacy of risk management systems;
  4. To periodically review the risk management policy, annually, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;
  5. To keep the board of directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken;
  6. The appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Risk Officer (if any) shall be subject to review by the Risk Management Committee.
  7. The Risk Management Committee shall coordinate its activities with other committees, in instances where there is any overlap with activities of such committees, as per the framework laid down by the board of directors.
  8. Review of Risk Management framework
  9. Review of Anti-Fraud Policy, Anti Money Laundering Policy, Asset Liability Management Policy, Risk Appetite Statement etc and recommendation of the above Policies to the Board for approval.
  10. Setting of the risk tolerance limits and assess the cost and benefits associated with risk exposure.
  11. Review of Corporation's risk-reward performance to align with overall policy objectives.
  12. Discuss and consider best practices in risk management in the market and advise the respective functions;
  13. Assist the Board in effective operation of the risk management system by performing specialized analyses and quality reviews;
  14. Maintain an aggregated view on the risk profile of the Corporation for all categories of risk including insurance risk, market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk, etc.
  15. Advise the Board with regard to risk management decisions in relation to strategic and operational matters such as corporate strategy, mergers and acquisitions and related matters.
  16. Report to the Board, details on the risk exposures and the actions taken to manage the exposures; review, monitor and challenge where necessary, risks undertaken by the Corporation
  17. Review the solvency position of the Corporation on a regular basis.
  18. Monitor and review regular updates on business continuity.

19. Monitor implementation of Anti-fraud policy for effective deterrence, prevention, detection and mitigation of frauds.
  20. Review compliance with the guidelines on Insurance Fraud Monitoring Framework IRDA/SDD/MISC/CIR/009/01/2013 dated 21/01/2013.
  21. Oversee matters related to Asset Liability Management (ALM) as per the Corporation's ALM Policy
  22. The Risk Management Committee shall be periodically apprised about the Outsourcing arrangements entered into by the insurer and also confirmation to the effect that they comply with the stipulations as well as the internal policy be placed before them.
- iii. The attendance at the six (6) meetings of the Risk Management Committee (RMC) held during the year 2023-2024 is given below:

Name of the Director	Designation	Nature of Membership	03-05-2023	16-05-2023	23-05-2023	13-09-2023	27-12-2023	21-03-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Mahalingam G	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
Shri Jagannath M	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	Member	✓	✓	✗	✓	✓	✗	6	4
Shri Sanjeev Nautiyal	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	6
Shri Pratap Chand Paikray*	Executive Director (ERM) & Chief Risk Officer	Member	✓	✓	✓	✓	✓		5	5
Shri S Sunder Krishnan**	Chief Risk Officer	Member						✓	1	1
Attendance in % age			100	100	83.33	100	100	83.33		

\*Cessation from the post of Chief Risk Officer w.e.f. 27.12.2023

\*\*Appointed as Chief Risk Officer w.e.f. 27.12.2023

## E. POLICYHOLDERS' PROTECTION COMMITTEE [PPC]

The Policyholders' Protection Committee [PPC] has been constituted in line with IRDAI Corporate Governance Guidelines, 2016 (to the extent applicable)

i. The PPC comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

Sl No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Shri Sanjeev Nautiyal	Independent Director	Chairperson
2	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member
3	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member
4	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
5	Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member
6	Dr. Snehalata Deshmukh	Expert	Member

ii. The Terms of Reference of the PPC is as under:

1. Adoption of standard operating procedures to treat the customer fairly including time-frames for policy and claims servicing parameters and monitoring implementation thereof.
2. Review mechanism to address complaints and grievances of policyholders including mis-selling by intermediaries.
3. Review of awards given by Insurance Ombudsman/Consumer Forums.
4. Analyze the root cause of customer complaints, identify market conduct issues and
5. Advise the management appropriately about rectifying systemic issues, if any.
6. Review all the awards given by Insurance Ombudsman/Consumer Forums remaining unimplemented for more than three (3) months with reasons therefor and report the same to the Board for initiating remedial action, where necessary.
7. Review the measures and take steps to reduce customer complaints at periodic intervals.
8. Review compliance with the statutory requirements as laid down in the regulatory framework.
9. Ensure adequacy of disclosure of "material information" to the policyholders. These disclosures shall comply with the requirements laid down by the Authority both at the point of sale and at periodic intervals.
10. Provide details of grievances at periodic intervals in such formats as may be prescribed by the Authority.
11. Ensure that details of insurance ombudsmen are provided to the policyholders.
12. Review of Claims Report, including status of Outstanding Claims with ageing of outstanding claims.
13. Reviewing Repudiated claims with analysis of reasons.
14. Review status of settlement of other customer benefit payouts like Surrenders, Loan, Partial withdrawal requests etc.
15. Review of unclaimed amounts of Policyholders, as required under the Circulars and guidelines issued by the Authority.
16. Matters relating to relocation of Place of Business of the Corporation within the same city, town or village and subsequent closure of earlier Place of Business.
17. Approve closure of Mini offices consequent upon their up gradation to Satellite offices.
18. Approval in advance for relocation of any place of business within the same city, town or Village.

- iii. The attendance at the four (4) meetings of the Policyholders' Protection Committee (PPC) held during the year 2023-2024 is given below:

Name of the Director	Designation	Nature of Membership	14-06-2023	21-09-2023	27-12-2023	21-03-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Sanjeev Nautiyal	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	4	4
Smt. Mini Ipe*	Managing Director	Member	✓				1	1
Shri Jagannath M**	Managing Director	Member	✓				1	1
Shri Sat Pal Bhanoo***	Managing Director	Member		✓	✓	✓	3	3
Shri Doraiswamy Ramchandran <sup>§</sup>	Managing Director	Member		✓	✓	✓	3	3
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Dr. Snehlata Deshmukh	Expert	Member	✓	✓	x	x	4	2
<b>Attendance in % age</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>83.33</b>	<b>83.33</b>		

\* Cessation from Directorship upon superannuation on 31.08.2023

\*\* Member till 04.09.2023

\*\*\* Inducted as member w.e.f. 05.09.2023

§ Inducted as member w.e.f. 05.09.2023

#### F. WITH – PROFIT COMMITTEE [WPC]

The With – Profit Committee [WPC] has been constituted in line with IRDAI (Non-Linked Insurance Products) Regulations, 2019

- i. The WPC comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

Sl No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Whole time Chairperson	Chairperson
2	Shri Raj Kamal	Independent Director	Member
3	Shri Sai Srinivas Dhulipala	Independent Actuary	Member
4	Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	Member
5	Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	Member

- ii. The Terms of Reference of the WPC is as under:

1. Approve the asset share methodology including the deductions for expenses and crediting of investment return to the asset share and other associated elements.
2. Prepare a report summarizing the Committee's view to be sent to IRDA along with Actuarial Report and Abstract.

- iii. The attendance at the one (1) meeting of the With – Profit Committee [WPC] held during the year 2023-2024 is given below:

Name of the Director	Designation	Nature of Membership	16-05-2023	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty	Whole time Chairperson	Chairperson	✓	1	1
Shri Raj Kamal	Independent Director	Member	✓	1	1
Shri Sai Srinivas Dhulipala	Independent Actuary	Member	✓	1	1
Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary & Executive Director (Actuarial)	Member	✓	1	1
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	Member	✓	1	1
<b>Attendance in % age</b>			<b>100</b>		

#### G. ELECTION OF SHAREHOLDERS' DIRECTORS COMMITTEE IN PUBLIC SECTOR BANKS (PSBs)

The Election of Shareholders' Directors Committee in PSBs has been constituted as per MOF Letter no 16/11/2012-BO-I dated 03.04.2012.

- i. The Election of Shareholders' Directors Committee in PSBs comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

Sl No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Whole time Chairperson	Chairperson
2	Shri Jagannath M	Managing Director	Member
3	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member

- ii. The Terms of Reference of the Election of Shareholders' Directors Committee in PSBs is as under:
- Scanning and selecting the candidates standing for election for Shareholder Director in Public Sector Banks.
- iii. The attendance at the one (1) meeting of Election of Shareholders' Directors Committee in PSBs held during the year 2023-2024 is given below:

Name of the Director	Designation	Nature of Membership	19-12-2023	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty	Whole time Chairperson	Chairperson	✓	1	1
Shri Jagannath M	Managing Director	Member	✓	1	1
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	1	1
<b>Attendance in % age</b>			<b>100</b>		

## H. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

The IT Strategy Committee has been constituted as per directives of Board of the Corporation.

i. The IT Strategy Committee comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

SI No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Shri Raj Kamal	Independent Director	Chairperson
2	Shri Jagannath M	Managing Director	Member
3	Shri Tables Pandey	Managing Director	Member
4	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member
5	Prof (Dr.) Om Damani	Consultant	Member

Special Invitee: Shri Doraiswamy Ramchandran, Managing Director

ii. The Terms of Reference of the IT Strategy Committee is as under:

1. Develop a vision, philosophy, principles and strategic goals for IT in LIC.
2. Establish policies that will serve as framework for executive decisions on long-term IT strategy – to include life – cycle cost analysis, roles, responsibilities, delegation of authority, security access etc.
3. Providing technical advisory to the board in IT related matters brought to the table
4. Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction
5. Resource and manpower planning ensuring IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable.
6. Evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risk and overseeing the aggregate funding of IT.
7. Monitoring the status of all approved strategic initiatives, especially those with critical deadlines, and assisting in removing obstacle to ensure timely completion of critical initiatives.
8. Reviewing overall IT performance measurement and constitution of IT to business
9. Review of activities by Information Security Steering Committee which was earlier being done by Risk Management Committee
10. Approval of Technical evaluation of projects.

- iii. The attendance at the five (5) meetings of the Information Technology Strategy Committee held during the year 2023-2024 is given below:

Name of the Director	Designation	Nature of Member-ship	15-05-2023	21-09-2023	16-11-2023	18-12-2023	07-02-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Raj Kamal	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
Shri Jagannath M	Managing Director	Member	✓	✗	✓	✓	✗	5	3
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
Prof. (Dr.) Om Damani	Consultant	Member	✓	✓	✓	✓	✓	5	5
<b>Attendance in % age</b>			<b>100</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80</b>		
<b>Special Invitee:-</b>									
Shri Doraiswamy Ramchandran®	Managing Director	Special Invitee		✓	✓	✗	✓	4	3

® Inducted as special Invitee w.e.f. 05.09.2023

Executive Committee Members (other than ITSC) joined the meeting of ITSC held on 18-12-2023 as special Invitee. The Attendance of the Executive Committee Members (other than ITSC Members) are as under:

Name of the Director	Designation	18-12-2023
Shri Siddhartha Mohanty	Whole time Chairperson	✓
Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	✓
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	✗
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	✓
Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	✓
Shri Mahalingam G	Independent Director	✓
Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	✓

#### I. BUILDING ADVISORY COMMITTEE [BAC]

The Building Advisory Committee has been constituted as per directives of the Board.

- i. The Building Advisory Committee comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

Sl No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Whole time Chairperson	Chairperson
2	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member
3	Shri Raj Kamal	Independent Director	Member
4	Shri Anjan Mukherjee	External Member	Member
5	Dr. Sauvik Banerjee	External Member	Member

- ii. The Terms of Reference of the Building Advisory Committee is as under:
- To scrutinize proposal for purchase and sale of properties and construction and maintenance of building and all other matters incidental thereto and any other matters submitted to it.
  - To approve all such proposals submitted to it of value as per the provisions of the Financial Powers Standing Order of the Corporation as approved from time to time
- iii. The attendance at the one (1) meeting of the Building Advisory Committee held during the year 2023-2024 is given below:

Name of the Director	Designation	Nature of Membership	26-03-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Shri Siddhartha Mohanty	Whole Time Chairperson	Chairperson	✓	1	1
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	Member	✓	1	1
Shri Raj Kamal	Independent Director	Member	✓	1	1
Shri Anjan Mukherjee	External Member	Member	✓	1	1
Dr. Sauvik Banerjee	External Member	Member	✓	1	1
<b>Attendance in % age</b>			<b>100</b>		

#### J. REVIEW COMMITTEE ON WILFUL DEFAULTER

The Review Committee on Wilful Defaulter has been constituted as per RBI Master Circular dated 01.07.2014 and 07.01.2015.

- i. The Review Committee on Wilful Defaulter comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

Sl No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Shri Siddhartha Mohanty	Whole time Chairperson	Chairperson
2	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
3	Shri Sanjeev Nautiyal	Independent Director	Member

- ii. The Terms of Reference of the Review Committee on Wilful Defaulter is as under:
- To review the internal Wilful Defaulters Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as Wilful defaulter;
  - To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.
- iii. No meetings of Review Committee on Wilful Defaulter were required to be held during the year 2023-2024.

## K. STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE [SRC]

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted as per Regulation 20 of SEBI (LODR), Regulations 2015

i. The Stakeholders Relationship Committee comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

Sl No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Chairperson
2	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	Member
3	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member
4	Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member
5	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member

ii. The Terms of Reference of the Stakeholders Relationship Committee is as under:

- (1) Resolving the grievances of the security holders of the listed entity including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- (2) Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
- (3) Review of adherence to the service standards adopted by the Corporation in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
- (4) Review of the various measures and initiatives taken by the Corporation for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/annual reports/ statutory notices by the shareholders of the company.

iii. The attendance at the three (3) meetings of the Stakeholders Relationship Committee held during the year 2023-2024 is given below:

Name of the Director	Designation	Nature of Membership	25-04-2023	10-11-2023	07-02-2024	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	3	3
Smt. Mini Ipe*	Managing Director	Member	✓			1	1
Shri Doraiswamy Ramchandran**	Managing Director	Member		✓	✓	2	2
Prof. Anil Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	3	3
Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	Member	✓	✗	✓	3	2
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	Member	✓	✓	✓	3	3
<b>Attendance in % age</b>			<b>100</b>	<b>80</b>	<b>100</b>		

\* Cessation from Directorship upon superannuation on 31.08.2023

\*\* Member inducted w.e.f. 05.09.2023

iv. Shri Pawan Agrawal ceased to hold the position of Company Secretary & Compliance Officer w.e.f. from 18.01.2024 upon his retirement from full time active service and thereafter Shri Anshul Kumar Singh is appointed as Company Secretary & Compliance Officer of the corporation.

v. Details of Investor Complaints:

During FY 2023-2024 following complaints were received from the investors (Including Stock Exchanges/ SEBI SCORES):

Complaints pending as on April 1, 2023	Nil
Complaints received during the period from April 1, 2023 to March 31, 2024	2,278
Complaints disposed of during the period from April 1, 2023 to March 31, 2024	2,254
Complaints pending as on March 31, 2024	24

**L. NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE [NRC]**

The Nomination & Remuneration Committee has been constituted as per Section 19B of the LIC Act, 1956 and Regulation 19 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015

i. The Nomination & Remuneration Committee comprised of the following members as on 31<sup>st</sup> March, 2024:

Sl No.	Name	Designation	Nature of Membership
1	Prof. Anil Kumar	Independent Director	Chairperson
2	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	Member
3	Shri Siddhartha Mohanty	Whole Time Chairperson of the Corporation	Member
4	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member
5	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member
6	Shri Mahalingam G	Independent Director	Member

ii. The Terms of Reference of the Nomination & Remuneration Committee is as under:

1. Formulating the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommending to the Board a policy, relating to the remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;
2. For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:
  - i. use the services of external agencies, if required;
  - ii. consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
  - iii. consider the time commitments of the candidates.
3. To recommend the appointment of an independent director to Board;
4. Formulating of criteria for evaluation of the performance of the independent directors and the Board;
5. Devising a policy on Board diversity;
6. Identifying persons who qualify to become directors or who may be appointed in senior management in accordance with the criteria laid down, recommending to the Executive Committee of the Board their appointment and removal;
7. Determining whether to extend or continue the term of appointment of the independent director, on the basis of the report of performance evaluation of independent directors;

8. Recommend to the Board a policy relating to the sum payable as sitting fees to a director nominated or appointed under clauses (e) or (f) or (g) of sub-section (2) of section 4 of the LIC Act, subject to such fees not exceeding such limit as may apply in respect of sitting fees payable to a director of a company under the Companies Act, 2013;
  9. Recommend to the Executive Committee of the board, all remuneration, in whatever form, payable to senior management; and
  10. Carrying out such other functions as may be specified by the Board from time to time or specified/provided under the LIC Act or the SEBI Listing Regulations, each as amended or by any other regulatory authority
- iii. The attendance at the four (4) meetings of the Nomination & Remuneration Committee held during the year 2023-2024 is given below:

Name of the Director	Designation	Nature of Membership	05-04-2023	22-06-2023	10-10-2023	11-12-2023	Total Meetings held during the tenure	Meetings attended during the tenure
Prof. Anil Kumar	Independent Director	Chairperson	✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Suchindra Misra *	Government Nominee Director	Member	✓	✗			2	1
Dr. Maruti Prasad Tangirala**	Government Nominee Director	Member			✓	✗	2	1
Shri Siddhartha Mohanty***	Whole time Chairperson of the Corporation	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
Shri Mahalingam G	Independent Director	Member	✓	✓	✓	✓	4	4
<b>Attendance in % age</b>			<b>100</b>	<b>83.33</b>	<b>100</b>	<b>83.33</b>		

\*Cessation from Directorship w.e.f. 28.06.2023

\*\*Inducted as Member w.e.f. 03.07.2023

\*\*\*Managing Director and In-Charge till 28.04.2023 and thereafter whole time Chairperson

- iv. Performance evaluation criteria for Independent Directors

The Nomination & Remuneration Committee of the Board determined the performance evaluation criteria for Independent Directors and the same has been mentioned under para 5.2 (v) of the Policy for Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity placed at <https://licindia.in/documents/20121/46602/Director-s-Policy.pdf/e17d3aa6-7027-a578-9dec-f4a6bee8043e?t=1668407463609>

#### 4. REMUNERATION OF DIRECTORS:

- a) The remuneration paid to Whole-time Directors during the year 2023-2024 is as under:

(₹ in lakhs)

Name of the Director	Designation	Salaries & Allowances	Performance Linked Incentive	Other Benefits & Perquisites	Corporation's Contribution to Pension	Total Remuneration
Shri Siddhartha Mohanty	Whole time Chairperson	39.59	31.78	18.33	2.69	92.39
Smt. Mini Ipe	Managing Director	15.46	31.31	6.52	1.07	54.36
Shri Jagannath M	Managing Director	36.32	2.22	7.02	2.48	48.04
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	36.27	0.66	10.58	2.48	50.00
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	25.40	0.65	8.88	1.72	36.64
Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	21.24	0.65	8.28	1.44	31.60

Note:

1. Remuneration drawn as a Whole-Time Director during the Financial Year is considered.
  2. Performance Linked Incentives are payable to the Whole-Time Directors of the Corporation as per the Government of India's guidelines and performance parameters as approved by the Board on the recommendation of Nomination and Remuneration Committee.
  3. During the year no stock options were issued by the Corporation to Whole-Time Directors.
  4. The terms of appointment of the Whole-time Directors are governed by the provisions of Life Insurance Corporation of India Chairman (Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1988 and Life Insurance Corporation of India Managing Directors (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1988 ("MD Conditions of Services Rules") as amended.
- b) The Government Nominee Director is not paid any remuneration, sitting fees, etc. pursuant to the Board approved policy on Directors' Qualification, Nomination, Appointment, Remuneration, Evaluation and Board Diversity. Independent Directors appointed under the provisions of the Life Insurance Corporation Act, are entitled to receive sitting fees of ₹ 80,000 per meeting of the Board and ₹ 60,000 per meeting of the committees, apart from reimbursement of travel, stay and transport expenses for attending the meetings by directors. There has been no other pecuniary relationship or business transactions, by the Corporation with any of the Non-Executive Directors of the Corporation.

The details of sitting fees paid to Independent Directors during the year 2023-2024 are as follows:

(₹ in lakhs)

Name of Meeting	Dr. Ranjan Sharma	Shri Vinod Kumar Verma	Prof. Anil Kumar	Smt. Anjuly Chib Duggal	Shri Mahalingam G	Shri Raj Kamal	Dr. V S Parthasarathy	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Shri Sanjeev Nautiyal	Grand Total
Board	10.40	10.40	10.40	9.60	9.60	10.40	8.80	10.40	10.40	90.40
Executive Committee	4.80	-	-	4.20	4.20	-	4.80	-	-	18.00
Audit Committee	5.40	-	5.40	-	-	-	5.40	5.40	-	21.60
Building Advisory Committee	-	-	-	-	-	0.60	-	-	-	0.60

Name of Meeting	Dr. Ranjan Sharma	Shri Vinod Kumar Verma	Prof. Anil Kumar	Smt. Anjuly Chib Duggal	Shri Mahalingam G	Shri Raj Kamal	Dr. V S Parthasarathy	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Shri Sanjeev Nautiyal	Grand Total
Investment Committee	-	-	-	-	9.00	9.00	-	9.60	-	27.60
Independent Directors Meeting	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	-	0.60	0.60	4.80
Information Technology Strategy Committee	0.60	-	-	0.60	0.60	3.00	0.60	3.00	-	8.40
Nomination & Remuneration Committee	2.40	2.40	2.40	-	2.40	-	-	-	-	9.60
Policyholders Protection Committee	-	2.40	-	2.40	-	-	-	-	2.40	7.20
Risk Management Committee	-	-	-	-	3.60	-	2.40	-	3.60	9.60
Stakeholders Relationship Committee	1.80	-	1.80	1.20	-	-	-	1.80	-	6.60
With Profit Committee	-	-	-	-	-	0.60	-	-	-	0.60
Grand Total	26.00	15.80	20.60	18.60	30.00	24.20	22.00	30.80	17.00	205.00

## 5. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION

### (A) Snapshot of Corporation's Information:

S. No.	Particulars	Brief Description
1	Date of Incorporation	On September 1, 1956, Life Insurance Corporation of India was established under the Life Insurance Corporation Act, 1956
2	Central Office Address	Life Insurance Corporation of India 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra – 400 021
3	Corporate Identification Number (CIN)	Not Applicable
4	IRDAI Registration Number	512
5	Financial Year	April 1, 2023 to March 31, 2024
6	Forthcoming 3 <sup>rd</sup> Annual General Meeting (Day, Date, Time & Venue)	Thursday, August 22, 2024 at 1130 hrs (IST) Annual General Meeting ("AGM") will be held through Video-Conferencing (VC) or Other Audio - Visual Means (OAVM)
7	Dividend Payment Date	Final dividend, if approved, shall be paid on or before September 20, 2024

S. No.	Particulars	Brief Description												
8	Listing on Stock Exchanges	<p>The equity shares of the Corporation are listed at National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE). The address of respective Stock Exchanges is given below:</p> <p><b>National Stock Exchange of India Limited:</b> Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.</p> <p><b>BSE Limited:</b> Phiroze Jeejibhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001.</p>												
9	Payment of listing fees	The Corporation has paid the annual listing fees for the relevant periods to NSE and BSE												
10	Stock Code	NSE Symbol: <b>LICI</b> BSE Security Code: <b>543526</b>												
11	ISIN (Equity)	<b>INE0J1Y01017</b>												
12	Registrar to an issue and share Transfer Agents:	<p>The Corporation's Registrar and Transfer Agent is KFin Technologies Limited. All shares' transfers and related operations are conducted by RTA.</p> <p><b>KFin Technologies Limited</b> Unit: Life Insurance Corporation of India, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032.</p> <p>Email address: <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a> Website: <a href="http://www.kfintech.com">www.kfintech.com</a> Toll Free No.: 1800-309-4001 WhatsApp No.: (91) 910 009 4099</p>												
13	Share Transfer System	Pursuant to SEBI Listing Regulations, as amended from time to time, transfer, transmission and transposition of shares shall be effected only in dematerialized form. However, investors are not barred from holding shares in physical.												
14	Dematerialization of Shares & Liquidity	<p>The Corporation's equity shares are regularly traded in dematerialised form on NSE and BSE. As at March 31, 2024, all equity shares of Corporation are held in dematerialised form.</p> <p>The details of mode of holding equity shares of the Corporation as on March 31, 2024 is given below:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars of Equity Shares</th> <th>Number</th> <th>% of Total Shares</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Held in electronic mode with Depositories</td> <td>6,32,49,97,701</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Held in Physical mode</td> <td>NIL</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>6,32,49,97,701</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> </tbody> </table>	Particulars of Equity Shares	Number	% of Total Shares	Held in electronic mode with Depositories	6,32,49,97,701	100	Held in Physical mode	NIL	NIL	<b>Total</b>	<b>6,32,49,97,701</b>	<b>100</b>
Particulars of Equity Shares	Number	% of Total Shares												
Held in electronic mode with Depositories	6,32,49,97,701	100												
Held in Physical mode	NIL	NIL												
<b>Total</b>	<b>6,32,49,97,701</b>	<b>100</b>												

S. No.	Particulars	Brief Description
15	Outstanding Global Depository receipts or American Depository Receipts or Warrants or any Convertible Instruments, conversion date and likely impact on Equity:	The Corporation has not issued any such securities.
16	Commodity Price Risk or Foreign Exchange Risk and hedging activities	Not applicable to the Corporation as the Corporation neither undertakes any commodities business nor has any exposure to foreign currencies that may require implementing any hedging strategies.
17	Plant Location	Since, the Corporation is in the business of Life Insurance, the disclosure with regard to plant location is not applicable
18	Address for Correspondence	<p><b>For queries related to the Financial Statements:</b></p> <p>Shri Sunil Agrawal Chief Financial Officer, Life Insurance Corporation of India, 3<sup>rd</sup> Floor, West Wing, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Maharashtra</p> <p>Email address: <a href="mailto:cfo@licindia.com">cfo@licindia.com</a> Tel No.: 022-22028086 Website: <a href="http://www.licindia.in">www.licindia.in</a></p> <p><b>Investors' Correspondence:</b></p> <p>Shri Sanjay R. Bajaj Head (Investor Relations), Life Insurance Corporation of India, 3<sup>rd</sup> Floor, West Wing, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Maharashtra</p> <p>Email address: <a href="mailto:investorrelations@licindia.com">investorrelations@licindia.com</a> Tel. Nos.: 022 – 6659 9479 Website: <a href="http://www.licindia.in">www.licindia.in</a></p> <p><b>For queries related to Shares/Dividend/Secretarial Compliances:</b></p> <p>Shri Anshul Kumar Singh Company Secretary &amp; Compliance Officer Life Insurance Corporation of India, 7<sup>th</sup> Floor, East Wing, Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021, Maharashtra</p> <p>Email address: <a href="mailto:investors@licindia.com">investors@licindia.com</a> Tel Nos.: 022-2202 2079 Website: <a href="http://www.licindia.in">www.licindia.in</a></p>

S. No.	Particulars	Brief Description
19	List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad.	Not Applicable

**(B) Stock Market Price Data:**


The Equity Shares of the Corporation are listed on BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE).

The reported high and low closing prices and volume of equity shares of the Corporation traded on BSE and NSE for the FY 2023-24 are as under:


Month	BSE			NSE		
	High Price	Low Price	No. of Shares	High Price	Low Price	No. of Shares
Apr-23	556.45	537.75	12,33,172	556.40	537.60	1,39,41,846
May-23	615.65	549.25	28,44,044	615.50	549.10	3,42,37,875
Jun-23	653.75	594.00	27,25,089	654.00	593.50	2,55,52,616
Jul-23	642.25	614.15	17,43,923	642.90	614.25	1,68,50,709
Aug-23	676.95	634.50	21,95,672	679.00	634.00	2,78,26,106
Sep-23	690.00	643.00	22,12,800	691.00	643.05	2,73,28,206
Oct-23	651.95	597.65	12,59,962	651.85	597.35	1,53,17,729
Nov-23	698.75	598.50	36,97,564	699.00	598.25	4,68,66,407
Dec-23	843.70	666.25	70,28,707	843.90	667.15	11,74,92,901
Jan-24	971.80	820.05	66,70,338	971.90	819.30	10,37,03,359
Feb-24	1175.00	926.30	92,50,074	1175.00	926.00	7,09,21,184
Mar-24	1049.55	865.20	41,68,038	1049.00	865.00	16,10,72,105

Share Price performance in comparison to broad based indices - BSE Sensex and NSE Nifty Share Price Movement (BSE and NSE):

**BSE Sensex Share Price Movement**



## NSE NIFTY Share Price Movement



### (C) Shareholding Details of the Corporation:

- (i) **Distribution of Equity Shareholding: Category wise distribution of equity shareholding (without PAN Grouping) of the Corporation as at March 31, 2024 is as under:**

Sr. No.	Category (Shares)	Number of Shareholders	% to Total Shareholders	Number of Shares	% to Total Shares
1	1-5000	27,27,343	99.1893	9,14,21,581	1.4454
2	5001- 10000	12,375	0.4501	92,69,756	0.1466
3	10001- 20000	5,210	0.1895	75,44,393	0.1193
4	20001- 30000	1,650	0.06	41,08,970	0.065
5	30001- 40000	682	0.0248	24,07,772	0.0381
6	40001- 50000	680	0.0247	31,49,476	0.0498
7	50001- 100000	845	0.0307	62,10,269	0.0982
8	100001 & Above	850	0.0309	6,20,08,85,484	98.0378
<b>Total</b>		<b>27,49,635</b>	<b>100</b>	<b>6,32,49,97,701</b>	<b>100</b>

- (ii) **Shareholding Pattern: The shareholding pattern of the Corporation as at March 31, 2024 is as under:**

Sr. No.	Category of Shareholder	Number of Equity Shares	% to Total Equity Shares
1	President of India	6,10,36,22,781	96.5
2	Resident Individuals	12,81,26,778	2.0257
3	Mutual Funds	4,32,80,825	0.6843
4	Bodies Corporates	2,10,63,806	0.3330
5	Qualified Institutional Buyers	66,37,194	0.1049
6	Banks	37,33,520	0.059
7	Foreign Portfolio - Corporation	91,73,501	0.145

Sr. No.	Category of Shareholder	Number of Equity Shares	% to Total Equity Shares
8	HUF	40,61,416	0.0642
9	Non-Resident Indians	29,15,730	0.0461
10	Non-Resident Indian Non Repatriable	10,37,841	0.0164
11	Clearing Members	4,059	0.0001
12	Trusts	3,03,282	0.0048
13	NBFC	1,23,735	0.002
14	Alternative Investment Fund	8,98,124	0.0142
15	Indian Financial Institutions	15,109	0.0002
	<b>Total</b>	<b>6,32,49,97,701</b>	<b>100</b>

**(D) General Meetings/ Postal Ballot:**

**(i) Details of the past two Annual General Meetings, in terms of Section 23A of Life Insurance Corporation Act, 1956 and Special Resolutions passed there at:**

AGM	Financial Year	AGM Venue	Date of AGM	Time of Meeting	Special Resolutions passed
1 <sup>st</sup>	2021-22	The Meeting was held through Video-conferencing/ Other Audio-Visual Means	September 27, 2022	1430 hrs (IST)	<p>Appointment of Dr. Ranjan Sharma as an Independent Director</p> <p>Appointment of Shri Vinod Kumar Verma as an Independent Director</p> <p>Appointment of Prof. Anil Kumar as an Independent Director</p> <p>Appointment of Smt. Anjuly Chib Duggal as an Independent Director</p> <p>Appointment of Shri Mahalingam G as an Independent Director</p> <p>Appointment of Shri Raj Kamal as an Independent Director</p> <p>Appointment of Shri V S Parthasarathy as an Independent Director</p> <p>Appointment of Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar as an Independent Director</p> <p>Appointment of Shri Sanjeev Nautiyal as an Independent Director</p>
2 <sup>nd</sup>	2022-23	The Meeting was held through Video-conferencing/ Other Audio-Visual Means	August 22, 2023	1130 hrs (IST)	None

(ii) **Details of Extra-ordinary General Meetings held in previous three financial years, and special resolutions passed there at:**

No extraordinary general meeting of the members of the Corporation was held during the financial year 2023-24.

As per Section 23A of the Life Insurance Corporation Act, 1956, a general meeting shall be held only if the corporation has members other than the Central Government who are entitled to vote. The equity shares of the corporation were listed on the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) on 17 May 2022. No extraordinary general meeting of the members of the Corporation was organized during the financial years 2022-23 and 2023-24.

(iii) **Details of Business transacted through Postal Ballot for the FY 2023-24:**

No resolution was passed through postal ballot for the FY 2023-24.

(iv) **Whether any special resolution is proposed to be transacted through postal ballot:**

As on the date of Directors' report, no special resolution is proposed to be transacted through postal ballot.

**(E) Unclaimed/ Unpaid Dividend:**

(i) **Transfer of unclaimed dividend and corresponding shares to Investor Education and Protection Fund:**

Section 28C (5) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 provides that the amount remaining unclaimed and unpaid for a period of seven years from the date it becomes due for payment in Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (1) of Section 125 of Companies Act, 2013.

In terms of Section 28C (6) of Life Insurance Corporation Act, 1956, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Corporation in the name of the Investor Education and Protection Fund.

The details regarding unclaimed dividend along with the due date for transfer to IEPF are given below:

Financial Year	Type of Dividend	Dividend per Share (₹)	Date of Declaration	Due date of transfer to IEPF
2021-22	Final	₹ 1.50 per equity share	September 27, 2022	October 26, 2029
2022-23	Final	₹ 3.00 per equity share	August 22, 2023	September 20, 2030
2023-24	Interim	₹ 4.00 per equity share	February 08, 2024	March 08, 2031

The list of members whose dividend are lying in unpaid/unclaimed dividend account is available on the website of the Corporation at <https://licindia.in/web/guest/unclaimed-dividend-detail>.

(ii) **IPO Allotment Demat Suspense Account:**

In terms of Regulation 34(3) read with Part F of Schedule V of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the details regarding shares lying in IPO Allotment Demat Suspense Account are given below:

Sr. No.	Particulars	Number of Shareholders	Number of Shares
1.	Outstanding Shares at the beginning of the FY 2023-24	01	15
2.	No. of Shares transferred to Demat Suspense Account during the FY 2023-24	NIL	NIL
3.	No. of shareholders who approached the Corporation for transfer of shares from suspense account during the year	NIL	NIL
4.	No. of shares transferred to respective shareholders from Demat Suspense Account	NIL	NIL
5.	*Outstanding shares lying in Demat Suspense Account as at March 31, 2024	01	15

*\*The last lot of 15 shares pertaining to one shareholder of the Corporation were transferred to beneficiary account on April 02, 2024 and as on date of this annual report no outstanding shares are lying in the IPO allotment demat suspense account.*

**(F) Means of Communication:**

Effective communication of information is an essential component of Corporate Governance. It is a process of sharing information, ideas, thoughts, opinions and plans to all stakeholders which promotes management-shareholder relations. Your Corporation believes that all stakeholders should have access to complete information regarding its position to enable them to accurately assess its future potential. Accordingly, the Corporation disseminates information on its operations and initiatives on a regular basis. The Corporation's website, i.e., [www.licindia.in](http://www.licindia.in) serves as a key awareness facility for all its stakeholders, allowing them to access information at their convenience. It provides comprehensive information on the Corporation's strategy, financial performance, operational performance and the latest press releases.

The Corporation's investor relations personnel respond to specific queries and play a proactive role in disseminating information to both analysts and investors. All information which could have a material bearing on the Corporation's share price is released through as per regulatory requirements. The information is also disseminated to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE) from time to time. Other information such as press releases, stock exchange disclosures & presentations made to analyst/investors etc. are regularly displayed on corporation's website. The financial and other information and the various compliances as required/ prescribed under the Listing Regulations are filed electronically with NSE and BSE and are also available on their respective websites as well as disseminated on the Corporation's website.

The Corporation's Quarterly/Half-Yearly/Annual Financial results are published in Business Standard, the leading National Business Newspaper in English and Navshakti a Marathi newspaper and also in Free Press Journal. Apart from above, the results are also published in Business Standard (Hindi edition).

**(G) Website:**

In terms of Regulation 46 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Corporation's website i.e., [www.licindia.in](http://www.licindia.in) contains a dedicated section "Investor Relations" which displays information of interest to various stakeholders.

**(H) News Releases:**

Official press releases are submitted to Stock Exchanges, and the same are also disseminated on the website of the Corporation.

**(I) Presentation to Institutional Investors/ Analysts:**

Detailed presentations are made to institutional investors and analysts and the same are disseminated on the Corporation's website.

**6. Senior Management**

The particulars of senior management including the changes during the Financial year 2023-24 are presented in Annexure 'B' of the Corporate Governance Report.

**7. Other Disclosures**

- a. **Related Party Transactions:** The details regarding related party transactions are provided in the Board's Report which is placed separately and forms part of Annual Report.
- b. **Details of non-compliance by the Corporation, penalties, strictures imposed on the Corporation by Stock Exchanges or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years:** The Corporation is under the scanner of capital market regulator since 17<sup>th</sup> May, 2022. There were no cases of non-compliance by the Corporation of any matter related to capital markets during the last three years.
- c. **Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy:** The details regarding Vigil Mechanism/Whistle Blower Policy are provided in the Board's Report which is placed separately and forms part of Annual Report.

- d. **Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non-mandatory requirements:** The Corporation has complied with all the mandatory requirements specified in the Regulations 17 to 27 and Regulation 46 (2) (b) to 46 (2)(i) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and also the non-mandatory requirements pertaining to Corporate Governance stipulated therein to the extent possible as under:

Sr. No	Discretionary Requirements	Status
1	A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his / her duties	Not Applicable
2	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders	Quarterly and half-yearly financial results are published in newspapers as well as disseminated to the Stock Exchanges immediately after the Board approval for information of shareholders and other stakeholders.
3	The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	Corporation's Auditor have issued an Audit Report with unmodified opinion on the Annual Audited Financial Results of the Corporation for year ended on March 31, 2024 .
4	Separate post of Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer  The listed entity may appoint separate persons to the post of the Chairperson and the Managing Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall –  (a) be a non-executive director; and  (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013	Presently, LIC has a Whole Time Chariperson. As per Section 4 (2) (a) (ii) of the LIC Act, 1956, after the initial period of 3 years, i.e., after 29 <sup>th</sup> June, 2024, the Chairperson of the Board will be appointed by Central Government amongst the Non-Executive Directors nominated or to be nominated by the Central Government and w.e.f. the said date, the present position of the whole time chairperson would be re-designated as Chief Executive officer and Managing Director. Accordingly Shri Siddhartha Mohanty, whole time Chairperson of the Corporation re-designated as Chief Executive Officer and Managing Director of the Corporation w.e.f. from 30 <sup>th</sup> June, 2024.
5	The internal auditor may report directly to the audit committee	Internal Auditor reports directly to the Audit Committee of the Board.

- e. **Disclosure of commodity price risks and commodity hedging activities:** During the financial year, the Corporation has not dealt in commodity hedging activities.
- f. **Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A):** During the financial year, the Corporation has not raised any funds through preferential allotment or Qualified Institutions Placement.
- g. **A certificate from a company secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority:** As required under the SEBI (LODR) Regulations, M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretary, has certified that none of the directors on the Board of the Corporation has been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Director of the Corporation by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory or other authority. A certificate issued by the Practicing Company Secretary is attached as Annexure 'E' of this report.
- h. There were no instances where the Board had not accepted any recommendation of any Committees of the Board during the financial year ended March 31, 2024.

- i. Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part** –Details relating to fees paid to the Statutory Auditors are given in Schedule 3 and related notes to the Financial Statements.
- j. The details of prevention of sexual harassment of women at the workplace:** In accordance with the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention Prohibition and Redressal) Act 2013, the Corporation has initiated various steps to improve the status of women and worked for their economic empowerment. At every stage in the Corporation, women officers/employees have contributed significantly. In the Corporation, Committees for prevention of sexual harassment at workplace are functioning effectively at Central Office, Zonal Office and Divisional Office levels.
- The details regarding number of complaints on sexual harassment of women at workplace are provided in the Board's Report which is placed separately and forms part of Annual Report.
- k. Disclosure by listed entity and its subsidiaries of 'Loans and advances in the nature of loans to firms/companies in which directors are interested:** NIL
- l.** This Corporate Governance Report of the Corporation for the financial year ended March 31, 2024 is in compliance with the requirements of Corporate Governance under the Listing Regulations, as applicable.
- m.** The Corporation has complied with all the applicable requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 of the Listing Regulations, to the extent applicable
- n.** The Corporation has a policy for determining the "material" subsidiaries which is available on the website of the Corporation and the web-link for the same is <https://licindia.in/documents/20121/46602/Policy-for-determining-Material-Subsidiaries-in-India.pdf/84ecdaa9-f927-7a18-26ef-f2af9430e11a?t=1668407223421>
- None of the Subsidiaries of the Corporation is/are material Subsidiary as on March 31, 2024, as per the definition given under provisions of SEBI (LODR), Regulations 2015.
- o. Non Compliance of any requirement of corporate governance report of sub paras (2) to (10) of clause C of the schedule V of the SEBI (LODR) Regulations, 2015:** The Corporation complied with all the requirements( to the extent applicable) for the corporate governance report.
- p. Agreements entered into by the shareholders, promoters, promoter group entities, related parties, directors, key managerial personnel, employees of the listed entity or of its holding, subsidiary or associate company, among themselves or with the listed entity or with a third party, solely or jointly, which, either directly or indirectly or potentially or whose purpose and effect is to, impact the management or control of the listed entity or impose any restriction or create any liability upon the listed entity, as per Regulation 30A of SEBI (LODR), Regulations, 2015 :** During the Financial Year 2023-24, Corporation has not entered into any such agreement(s).

## **DECLARATION REGARDING COMPLIANCE BY BOARD MEMBERS AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL WITH THE CORPORATION'S CODE OF CONDUCT**

This is to certify that the Corporation has laid down the Code of Conduct for Board Members and Senior Management of the Corporation and the same is uploaded on the website of the Corporation.

It is further certified that the Directors and Senior Management Personnel of the Corporation have affirmed compliance with the said Code of Conduct for the year ended on 31<sup>st</sup> March, 2024.

(Siddhartha Mohanty)  
Chief Executive Officer and Managing Director

Place: Mumbai

Date: 15<sup>th</sup> July, 2024

## Annexure 'B'

Particulars of Senior Management as on 31<sup>st</sup> March, 2024

Name of Senior Management Personnel	Designation as on 31 <sup>st</sup> March, 2024
Shri Ashwani Ghai	Director, Management Development Centre, Mumbai
Shri Pramoda Ranjan Mishra	Chief Executive Officer (LIC HFL Care Homes Ltd.)
Shri M C Chaturvedi	Chief Executive (LIC HFL Financial Services Ltd)
Shri Raghupal Singh	Chief Executive (LIC Pension Fund Ltd.)
Shri Kamal Kumar	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Mumbai
Shri Arya Lahiri	Director, ZTC, Kolkata
Shri Rajendra Prasad Gupta	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Kanpur
Shri Jagannathan Chakrapani	Director, ZTC, Chennai
Shri Lakundi Krishnashamsunder	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Hyderabad
Smt. Uma Rao	Director, ZTC, Hyderabad
Smt. Geeta Prabhakaran	Executive Director (Subsidiaries)
Smt. Seema Sridhar	Chief Executive Officer (LIC HFL AMC), Mumbai
Shri Ashok K R	Executive Director (Actl/Admn/IT Imp)
Shri Rajnikanth Rayabharam	Managing Director & Chief Executive Officer (Life Insurance Corporation (Lanka) Limited)
Shri Pan Singh Negi	Executive Director, IT (SD/BPR/Insure Tech) & Chief Technical Officer
Shri Soma Nandan Satpathy	Secretary General (Insurance Institute of India), Mumbai
Shri Salil Vishwanath	Executive Director (HRD/OD/RTI)
Shri Hemant Buch	Executive Director (MBAC)
Smt. Aradhana Duggal	Executive Director (NB&R)
Shri Aditya Gupta	Executive Director (CC)
Ms. Rachna Khare	Executive Director (CRM/PS)
Shri Anirban Sarkar	Executive Director (Personnel)
Smt. Manju Bagga	Executive Director (P&GS)
Shri Praveen Kumar	Chief Executive Officer ( LIC Cards Ltd.), Delhi
Shri Ravi Kumar Jha	Chief Executive Officer (LIC HFL AMC), Mumbai
Shri L.C.Meena	Additional Director, Management Development Centre, Mumbai
Shri Rajesh Ailawadi	Executive Director (Legal)
Shri D P Pattanaik	Chief Executive Officer & Executive Director (Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c))
Shri Prafulla Jaipuria	Director (College of Insurance), Mumbai
Shri Satyabrata Nayak	Secretary General (Council for Insurance Ombudsmen), Mumbai
Shri Mahtabuzzaman	Executive Director (SBU-IO), Central Office, Mumbai
Shri Uday Kumar Navani	Faculty Member, National Insurance Academy, Pune
Shri Ajay Kumar	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Kolkata

Name of Senior Management Personnel	Designation as on 31 <sup>st</sup> March, 2024
Shri Rajeev Sachdev	Director, ZTC, Agra
Shri Venkataramanan Gopal	Zonal Manager(I/C), Zonal Office, Chennai
Shri Shrawan Kumar	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Patna
Smt. Anjubala Purshottam	Executive Director (CRM/CLMS/Annuities)

#### Additions during the financial year 2023-24

Name of Senior Management Personnel	Designation as on 31 <sup>st</sup> March, 2024	Date of Entry as SMP
Shri Kothandaraman Murlidar	Executive Director (Digital Mktg & Digital Transformation)	24 <sup>th</sup> April, 2023
Smt. Richaa Kapoor	Chief Operating Officer( LIC Cards Ltd), Delhi	27 <sup>th</sup> April, 2023
Smt. Santha Varkey	Executive Director(Inspection)	12 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Jagat Singh Tolia	Executive Director(Invt-Mid Office)	13 <sup>th</sup> April, 2023
Smt. Meenu Sarkar	Executive Director (P&GS/IT/CRM)	10 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Pankaj Gopal	Executive Director (CLIA)	24 <sup>th</sup> April, 2023
Smt. Pratibha Singh	Executive Director (Liaison)	27 <sup>th</sup> April, 2023
Ms. Rosaline Kurien	Executive Director (Research/Strategy/CP/NPRJ)	10 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Pradeep Kumar Malhotra	Managing Director & Chief Executive Officer (IDBI Trusteeship Services Ltd)	11 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Pratap Chandra Paikray	Executive Director (ERM)	10 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Tribhuwan Adhikary	Chief Executive Officer (LIC Housing Finance Limited), Mumbai	26 <sup>th</sup> April, 2023
Smt. Aruna Seth	Executive Director (OS/Estates)	24 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Indraneel Roy	Faculty Member, National Insurance Academy, Pune	24 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Baliram Bapurao Jadhav	Executive Director (Engg)	10 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Sessa Giridhar Kuppoli	Executive Director (Invt-Back Office)	17 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Verandani Ghansham Deomal	Director, Zonal Training Centre, Pune-Akurdi	13 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Subhash Chander	Additional Director, Zonal Training Centre, Agra	26 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Rajesh Kumar	Director, Zonal Training Centre, Gurgaon	10 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Jatindar Pal Singh Bajaj	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Delhi	10 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Kuldeep Tickoo	Director, Zonal Training Centre, Bhopal	26 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Baghrai Majhi	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Bhopal	24 <sup>th</sup> April, 2023

### Exit During the year 2023-24

Name of Senior Management Personnel	Designation at the time of exit	Reason for Exit	Date of Exit
Shri Sat Pal Bhanoo	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Bhopal	Appointment as Managing Director	19 <sup>th</sup> July, 2023
Shri Doraiswamy Ramchandran	Executive Director IT (SD)	Appointment as Managing Director	31 <sup>st</sup> August, 2023
Shri Dinesh Kumar Bhagat	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Delhi	Superannuation	31 <sup>st</sup> July, 2023
Shri Parkash Chand	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Bhopal	Superannuation	31 <sup>st</sup> May, 2023
Shri Yogendra Singh	Director, Zonal Training Centre, Bhopal	Superannuation	31 <sup>st</sup> July, 2023
Shri Rajiv Gupta	Executive Director (Coordination)	Superannuation	30 <sup>th</sup> November, 2023
Shri Bijoy Sankar Mishra	Zonal Manager (In-Charge), Zonal Office, Mumbai	Superannuation	30 <sup>th</sup> April, 2023
Smt. Tritala Subramanian Ramakrishnan	Executive Director (Coordination)	Superannuation	31 <sup>st</sup> December, 2023
Shri Tapan Arandhara	O.S.D, Zonal Office, Delhi	Superannuation	30 <sup>th</sup> April, 2023
Shri Vishwanatha Gowd Yerur	Executive Director (Coordination)	Superannuation	31 <sup>st</sup> July, 2023
Shri Rajesh K Dubey	Executive Director (Personnel)	Superannuation	29 <sup>th</sup> February, 2024
Shri Thiruvengkatachari	Executive Director (CRM/CLMS/Annuities)	Superannuation	30 <sup>th</sup> November, 2023
Shri Sanjay Dixit	Executive Director (HRD/OD)	Superannuation	30 <sup>th</sup> April, 2023
Smt. Pramila Shekhar	Executive Director, Management Development Centre, Mumbai	Superannuation	31 <sup>st</sup> January, 2024
Smt. Malika Prasad	Executive Director (RTI)	Superannuation	31 <sup>st</sup> January, 2024
Shri Gajraj Singh Gill	Executive Director (SBA)	Superannuation	31 <sup>st</sup> August, 2023
Shri Ajay Grover	Director, Management Development Centre, Mumbai	Superannuation	30 <sup>th</sup> June, 2023
Shri Tapan Ranjan Mallick	Executive Director (CLIA)	Superannuation	31 <sup>st</sup> May, 2023
Shri Bibekananda Acharya	Additional Director, ZTC, Kolkata	Superannuation	30 <sup>th</sup> September, 2023
Shri Rabinarayan Mishra	Executive Director (CP/NPRJ)	Superannuation	31 <sup>st</sup> December, 2023
Shri Bibekananda Pradhan	Director, ZTC, Jamshedpur	Superannuation	30 <sup>th</sup> June, 2023
Shri Arup Kundu	Executive Director (Engg)	Superannuation	31 <sup>st</sup> December, 2023

**Note:** All the Key Managerial Persons (KMPs) falls under the definition of Senior Management Personnel, for which appropriate disclosures given in the Annual Report at appropriate place.



IRDAI Corporate Governance Guidelines for Insurers in India, 2016 / Annexure - 8 / FY2023-24

**"Certification for Compliance of the Corporate Governance Guidelines"**

I, **KRISHNA KUMAR. S**, hereby certify that **LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA** has complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies as mentioned from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Signature :                     *Krishna*                      
Full Name : **KRISHNA KUMAR. S**  
Designation : **Executive Director (CG/GJF/RC)**  
                    **& Chief Compliance Officer**

केन्द्रीय कार्यालय, "योगशेमा", जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400 021.  
दूरभाष : 66598000

Central office, "Yogakshema", Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400 021.  
Tel.: 66598000



# S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

## Company Secretaries

10/25-26, 2<sup>nd</sup> Floor, Brindaban,  
Thane (W) – 400 601  
T: +91 22 25345648 | +91 22 25432704  
E: [snaco@snaco.net](mailto:snaco@snaco.net) W: [www.snaco.net](http://www.snaco.net)  
ICSI Unique Code: P1991MH040400

Form No. MR-3  
SECRETARIAL AUDIT REPORT  
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH, 2024

*[Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]*

To  
**The Members,**  
**Life Insurance Corporation of India**  
**Yogakshema, Jeevan Marg,**  
**Mumbai 400021.**

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Life Insurance Corporation of India** (hereinafter called 'the Corporation'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Corporation's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Corporation and also the information provided by the Corporation, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Corporation has, during the audit period covering the financial year ended **31<sup>st</sup> March, 2024**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Corporation has proper board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Corporation for the financial year ended on **31<sup>st</sup> March, 2024** according to the provisions of:

- i. The Companies Act, 2013 ('the Act'), and the rules made thereunder- **to the extent applicable to the Corporation;**
- ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder-
- iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings : **Not Applicable to the extent of Foreign Direct Investment and External Commercial Borrowings;**

- v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
  - a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
  - b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 ;
  - c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018- Not Applicable as there was no reportable event during the period under review;
  - d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 – **Not Applicable as the Corporation has not issued any shares/ options to directors/ employees under the said regulations during the period under review;**
  - e. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client - **Not Applicable as the Corporation is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the period under review;**
  - f. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 - **Not applicable as the Corporation has not delisted / proposed to delist its Equity Shares from any stock exchange during the period under review;**
  - g. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 - **Not applicable as the Corporation has not bought back / propose to buy back its equity shares during the period under review;**
  - h. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 - **Not Applicable as the entity has not issued and listed any non-convertible securities with the Stock Exchanges during the period under review;**
  - i. The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 .
- vi. The Management has identified and confirmed the following laws as specifically applicable to the Corporation:
  - i. The Life Insurance Corporation Act, 1956 (LIC Act) and the Rules & Regulations made there under,
  - ii. The Insurance Act, 1938 and the Rules & Regulations made there under (to the extent the same are consistent with LIC Act)
  - iii. Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the Rules, Regulations and Guidelines made there under, (to the extent the same are consistent with the LIC Act, Rules & Regulations)
  - iv. Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Rules made thereunder

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards with regard to Meeting of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;
- (ii) Listing Agreement(s) entered into with the Stock Exchanges..

During the period under review the Corporation has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc., mentioned above

**We further report that:**

- The Board of Directors of the Corporation is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors including at least one Women Independent Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the applicable Act.
- Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings/Committee Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent seven days in advance before the meeting except where consent of directors was received for circulation of the notice, Agenda and notes on Agenda at a shorter notice.
- There exists system for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

➤ All decisions of the Board and Committee meeting were carried with requisite majority.

**We further report that** based on review of compliance mechanism established by the Corporation and on the basis of the Compliance Certificate(s) issued by the Company Secretary jointly with the Chief Compliance Officer for IRDAI Compliances and taken on record by the Board of Directors at their meeting(s) based on the Compliance certificates issued by / obtained from all departments of the Corporation and its subsidiaries, we are of the opinion that there are adequate systems and processes in place in the Corporation which is commensurate with the size and operations of the Corporation to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

**We further report that** during the review period there were no specific events/actions having a major bearing on Corporation's affairs in pursuance of the above-referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc., referred to above.

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

**For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.**

**Company Secretaries**

**ICSI Unique Code: P1991MH040400**

**Peer Review Cert. No.: 5218/2023**

**S. N. Ananthasubramanian**

**Partner**

**FCS: 4206 | COP No.: 1774**

ICSI UDIN: F004206F000454238

27 May, 2024 | Thane



# **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO**

## **Company Secretaries**

10/25-26, 2<sup>nd</sup> Floor, Brindaban,  
Thane (W) – 400 601  
T: +91 22 25345648 | +91 22 25432704  
E: [snaco@snaco.net](mailto:snaco@snaco.net) W: [www.snaco.net](http://www.snaco.net)  
ICSI Unique Code: P1991MH040400

**Annexure – A**

To,  
The Members,  
**Life Insurance Corporation of India**  
**Yogakshema , Jeevan Marg,**  
**Mumbai 400021**

Our Secretarial Audit Report for the financial year ended **31<sup>st</sup> March 2024** of even date is to be read along with this letter.

### **Management's Responsibility**

1. It is the responsibility of the management of the Corporation to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

### **Auditor's Responsibility**

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Corporation with respect to secretarial compliances.
3. We have conducted the Audit as per the applicable Auditing Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.
4. We believe that audit evidence and information obtained from the Corporation's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
5. Wherever required, we have obtained reasonable assurance whether the statements prepared, documents or Records, in relation to Secretarial Audit, maintained by the Corporation, are free from misstatement.
6. Wherever required, we have obtained the Management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

### **Disclaimer**

7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.
8. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Corporation.

**For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.**  
**Company Secretaries**  
**ICSI Unique Code: P1991MH040400**  
**Peer Review Cert. No.: 5218/2023**

**S. N. Ananthasubramanian**  
**Partner**  
**FCS: 4206 | COP No.: 1774**  
**ICSI UDIN: F004206F000454238**

27 May, 2024 | Thane



# S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

## Company Secretaries

10/25-26, 2<sup>nd</sup> Floor, Brindaban,  
Thane (W) – 400 601  
T: +91 22 25345648 | +91 22 25432704  
E: [snaco@snaco.net](mailto:snaco@snaco.net) W: [www.snaco.net](http://www.snaco.net)  
ICSI Unique Code: P1991MH040400

### CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

*[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para E of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]*

#### 1. Background

We have been appointed by **Life Insurance Corporation of India** (“the Corporation / LIC”) to examine the compliance with the conditions of Corporate Governance by the Corporation, as stipulated in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the “SEBI Listing Regulations”), as amended from time to time, for the financial year ended on **31<sup>st</sup> March 2024**.

#### 2. Management’s Responsibility

The Compliance of conditions of Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations is the responsibility of the management of the Corporation. The management shall devise adequate systems, internal controls and processes to monitor and ensure compliance of the same.

#### 3. Our Responsibility

Our responsibility is limited to conducting an examination of the systems, internal controls and processes adopted by the Corporation and implementation thereof to monitor and ensure compliance with the conditions of Corporate Governance and report thereon.

#### 4. Methodology

- 4.1. In order to conduct our examination, we were provided with the relevant documents and information including explanations, wherever required.
- 4.2. Our examination was conducted in a manner which provided us with a reasonable basis for evaluating the systems, internal controls and processes adopted by the Corporation to monitor and ensure compliance with the conditions of Corporate Governance and to certify thereon.

#### 5. Opinion

Based on our examination as aforesaid, the information, explanations and representations provided by the management, we certify that, the Corporation has complied with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations, for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March 2024.

#### 6. Disclaimer

- 6.1. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Corporation.
- 6.2. This report is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

**For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.**

**Company Secretaries**

ICSI Unique Code: P1991MH040400

Peer Review Cert. No.: 5218/2023

**S. N. Ananthasubramanian**  
**Partner**

FCS: 4206 | COP No.: 1774

UDIN: F004206F000454359

27 May, 2024 | Thane



# S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO

## Company Secretaries

10/25-26, 2<sup>nd</sup> Floor, Brindaban,  
Thane (W) – 400 601  
T: +91 22 25345648 | +91 22 25432704  
E: [snaco@snaco.net](mailto:snaco@snaco.net) W: [www.snaco.net](http://www.snaco.net)  
ICSI Unique Code: P1991MH040400

### CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

*[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause (10) (i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]*

To  
**The Members of**  
**Life Insurance Corporation of India**  
Yogakshema, Jeevan Marg,  
Mumbai 400021

We have examined the following documents:

- i) Declaration of non-disqualification as required under the Life Insurance Corporation Act 1956;
- ii) Disclosure of concern or interests as required the Life insurance Corporation Act, 1956 and Life Insurance Corporation (General) Rules, 1956;

as submitted by the Directors of **Life Insurance Corporation of India** ('the Corporation'/ LIC) having its registered office at Yogakshema, Jeevan Marg Mumbai 400021, to the Board of Directors of the Corporation ('the Board') for the **Financial Year 2023-24 and Financial Year 2024-25** and relevant registers, records, forms and returns maintained by the Corporation and as made available to us for the purpose of issuing this Certificate in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. We have considered non-disqualification to include non-debarment by Regulatory / Statutory Authorities.

It is the responsibility of Directors to submit relevant documents with complete and accurate information in accordance with the provisions of the Act.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Corporation. Our responsibility is to express an opinion based on our verification.

Based on our examination as aforesaid and such other verifications carried out by us as deemed necessary and adequate (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in), wherever available), in our opinion and to the best of our information and knowledge and according to the explanations provided by the Corporation, its officers and authorized representatives, we hereby certify that as at the **Financial Year ended 31<sup>st</sup> March 2024**, none of the Directors on the Board of the Corporation, as listed hereunder have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory or other authority.

Sr. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment	Date of Cessation
01	Mr. Ranjan Sharma	09573799	29/10/2021	-
02	Mr. Vinod Kumar Verma	09309031	29/10/ 2021	-
03	Mr. Anil Kumar	09477565	20/01/2022	-
04	Ms. Anjuly Chib Duggal	05264033	29/01/2022	-
05	Mr. Gurumoorthy Mahalingam	09660723	29/01/2022	-
06	Mr. Raj Kamal	07653591	29/01/2022	-
07	Mr. V. S. Parthasarathy	00125299	29/01/2022	-
08	Mr. Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	05170323	29/01/2022	-
09	Mr. Sanjeev Nautiyal	08075972	29/01/2022	-
10	Mr. Siddhartha Mohanty	08058830	02/02/2021	-
11	Ms. Mini Ipe	07791184	02/08/2021	31/08/2023
12	Mr. Suchindra Mishra	01873568	04/07/2022	28/06/2023
13	Mr. Jagannath M	10090437	13/03/2023	-
14	Mr. Tablesh Pandey	10119561	01/04/2023	-
15	Mr . M. P. Tangirala	03609968	28/06/2023	-
16	Mr. Sat Pal Bhanoo	10482731	20/07/2023	-
17	Mr. Doraiswamy Ramachandran	10358884	01/09/2023	-

This Certificate is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

This Certificate has been issued at the request of the Corporation to make disclosure in its Corporate Governance Report for the **Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2024.**

**For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.**

**Company Secretaries**

**ICSI Unique Code P1991MH040400**

**Peer Review Cert. No. 5218/2023**

**S. N. Ananthasubramanian**

**Partner**

**FCS: 4206 | COP No. : 1774**

ICSI UDIN: F004206F000454381

27 May, 2024 | Thane

# BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT

## SECTION A: GENERAL DISCLOSURES:

### I. Details of the listed entity:

#### 1. Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity

- Not Applicable
- IRDAI Registration Number - 512

#### 2. Name of the Listed Entity

- Life Insurance Corporation of India (Constituted under Life insurance Corporation Act- 1956)

#### 3. Year of incorporation

- 1956

#### 4. Registered office address

- Central Office, Yogakshema, Jeevan Bima, Nariman Point, Mumbai-400021.

#### 5. Corporate address

- Central Office, Yogakshema, Jeevan Bima, Nariman Point, Mumbai-400021.

#### 6. E-mail

- Corporate Planning: ed\_cpnp@licindia.com

#### 7. Telephone

- 022-22022615

#### 8. Website

- [www.licindia.in](http://www.licindia.in)

#### 9. Financial year for which reporting is being done

- FY 2023-24.

#### 10. Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed

- National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited

#### 11. Paid-up Capital:

- ₹ 6,324.99 crore divided into 6,32,49,97,701 Nos. of Equity Shares of ₹ 10 each.

#### 12. Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report-

- Ms Rosaline Kurien / 022-22022615 / ed\_cpnp@licindia.com

#### 13. Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).

- The disclosures under this report are made on a standalone basis, unless otherwise specified.

14. **Name of assurance provider:** Batliboi & Purohit, Chartered Accountants
15. **Type of assurance obtained:** Assurance for Business Responsibility and Sustainability Report. The report issued by Assurance Provider is annexured as Annexure 1 of this report.

## II. Products/services

### 16. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Insurance Services including Pension and Health	Life Insurance	100%

### 17. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of Turnover of the entity
1.	Life Insurance	65110	100%

## III. Operations:

### 18. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

Location	Number of plants	Number of offices	Total
National	NA	5,004	5,004
International	NA	*See details below	147

\* Total no. of Offices (International):

Sr. No	Unit	Corporate	Branch Office
1	LIC Fiji		3
2	LIC Mauritius		2
3	LIC UK		1
4	LIC (International) BSC (c), Bahrain	1	6
5	LIC (Nepal) Ltd.	1	76
6	LIC (Lanka) Ltd.	1	29
7	LIC of Bangladesh Ltd.	1	12
8	LIC (Singapore) Pte. Ltd.	1	0
9	Kenindia Assurance Co. Ltd.	1	11
10	SICCI		1
		<b>6</b>	<b>141</b>
<b>Total :</b>			<b>147</b>

### 19. Markets served by the entity:

#### a. Number of locations

Locations	Number
National (No. of States/UT)	36* (All states and UTs in India)
International (No. of Countries)	14

\*Includes 28 states and 8 Union Territories

#### b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

Nil

#### c. A brief on types of customers

Life Insurance is the primary business of the Corporation. Our customers include salaried or self employed individuals seeking insurance products which provide financial protection in case of exigencies such as death and critical illness. Our products cater to needs of individuals and help them to secure their family's financial future

and achieve the long term financial goals viz. child's education, marriage, etc. Our Group insurance products are developed for various organisations to manage their gratuity, superannuation, leave encashment, etc. for their employees.

#### IV. Employees

##### 20. Details as at the end of Financial Year 2023-24:

###### a. Employees and workers (including differently abled):

Employees					
Particulars	TOTAL (A)	MALE		FEMALE	
		No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
Permanent (D)	98,661	75,411	76.43	23,250	23.57
Other Than Permanent (E)	6	5	83.33	1	16.66
<b>Total Employees (D+E)</b>	<b>98,667</b>	<b>75,416</b>	<b>76.43</b>	<b>23,251</b>	<b>23.57</b>
workers					
Particulars	TOTAL (A)	MALE		FEMALE	
		No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
Permanent (F)		Not Applicable			
Other Than Permanent (G)					
Total Employees (F+G)					

###### b. Differently abled Employees and workers:

S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B / A)	No. (C)	% (C / A)
<b>DIFFERENTLY ABLED EMPLOYEES</b>						
1.	Permanent (D)	1,026	832	81.09	194	18.91
2.	Other than Permanent (E)	0	0	0	0	0
3.	Total differently abled employees (D + E)	1,026	832	81.09	194	18.91
<b>DIFFERENTLY ABLED WORKERS</b>						
4.	Permanent (F)		Not Applicable			
5.	Other than permanent (G)					
6.	Total differently abled workers (F + G)					

##### 21. Participation/Inclusion/Representation of women

	Total (A)	No. and percentage of Females	
		No. (B)	% (B / A)
Board of Directors	15	1	6.67
Key Management Personnel	9	1	11.1

##### 22. Turnover rate for permanent employees and workers: (Disclose trends for the past 3 years)

Turnover rate for permanent employees									
	FY 2023-24 Turnover rate in current FY			FY 2022-23 Turnover rate in previous FY			FY 2021-22 Turnover rate in year prior to the previous FY		
	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL
Permanent Employees	6.80	5.67	6.54	5.97	3.97	5.50	6.08	4.6	5.74

Note: There is no class of employees as "Workers" in the Corporation

## V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

### 23. (a) Names of holding / subsidiary / associate companies / joint ventures

Sl No	Name of the holding subsidiary associate/joint venture	Indicate whether holding/ subsidiary/joint venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at Column A participate in the business responsibility initiatives of the listed entity (Y/N)
National				
1	LIC Pension Fund Ltd	Subsidiary	100	No
2	LIC Cards Services Ltd	Subsidiary	100	No
3	IDBI Bank Ltd.	Associate	49.24	No
4	LIC Mutual Fund Trustee Co. Pvt. Ltd.	Associate	49.00	No
5	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	45.24	No
6	LIC MF Asset Management Ltd.	Associate	44.61	No
7	IDBI Trusteeship Services Ltd.	Associate	29.84	No
8	LIC HFL AMC Ltd.	Associate	5.38	No
International				
1	LIC Fiji	Branch	100	No
2	LIC Mauritius	Branch	100	No
3	LIC UK	Branch	100	No
4	LIC (International) BSC (c), Bahrain	Subsidiary	99.66	No
5	LIC (Nepal) Ltd.	Subsidiary	55.00	No
6	LIC (Lanka) Ltd.	Subsidiary	90.91	No
7	LIC of Bangladesh Ltd.	Subsidiary	83.33	No
8	LIC (Singapore) Pte. Ltd.	Subsidiary	100	No
9	Kenindia Assurance Co. Ltd.	Equity Participation	10.21	No
10	SICCI	Equity Participation	4.98	No

## VI. CSR Details

### 24. (i) Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: No

- Life Insurance Corporation of India was established by the LIC Act 1956, enacted by the Parliament to nationalize life insurance industry in India. As such, LIC is not a company governed by the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013.

The Corporation is outside the purview of CSR activities mandated under the Indian Companies Act, 2013 even after the recent amendments to the LIC Act, 1956. LIC Golden Jubilee Foundation, a Charitable Trust registered with Charity Commissioner under the Bombay Public Trust Act, 1950, formed in the year 2006, during the golden jubilee year of LIC has been voluntarily carrying out various community development activities. The objectives of the Foundation are Relief of Poverty or Distress, Advancement of Education, Medical Relief and Advancement of any other Project of general public utility.

The Foundation undertakes Community Development activities across the Country giving preference to disadvantaged, marginalized and underprivileged sections of the society. The projects range from scholarships, health initiatives, rural education programmes and providing infrastructural support in fields of education and health. Since inception, the Foundation has sanctioned 839 projects for ₹ 179.35 crores as on 31.03.2024.

(ii) Turnover (in ₹)- 4,75,751.92 crores (of LIC of India)

(iii) Net Worth (in ₹) – 81,938.16 crores (of LIC of India)

## VII. Transparency and Disclosures Compliances

### 25. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No)  (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 2023-24			FY 2022-23		
		Current Financial Year			Previous Financial Year		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	
Investors (other than shareholders)	NIL	NIL	NIL		NIL	NIL	
Shareholders	Yes, the Corporation has dedicated Email id (investors@licindia.com) and portal for shareholders to enable them to raise the grievances. The Corporation has appointed KFin Technologies Ltd. as Registrar and Share Transfer Agent of the Corporation to provide assistance to resolve their grievances and queries pertaining to shareholders Services Link for investor support: <a href="https://licindia.in/web/guest/investors-support">https://licindia.in/web/guest/investors-support</a>	2,278	24		16,414	0	
Employees	Yes. Circular Ref: CO/Per/ER-A/285/2022 dated 10.02.2022 attached	518	29**	**	296	71	
Customers	<a href="https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders">https://licindia.in/web/guest/policy-for-protection-of-interests-of-policyholders</a>	81,202	NIL		81,515	NIL	
Value Chain Partners	--	--	--	--	--	--	**
Others-Ministry	Compliance to Ministry through Emails	102	2	Follow up in process	103	6	All 6 pending complaints are resolved in FY 2023-24.

\*\* The time frame to resolve the complaint is 90 days for final appellate authority. Since the time is not elapsed, it is shown as Pending.

## 26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
	Human Capital Development	Risk and Opportunity	<p><b>Opportunity:</b> As a key player in a knowledge industry, our human capital is a major source of strength and competitive advantage. Continuous up skilling will enable us to strengthen our leadership position and combat all challenges facing the industry in a better way.</p> <p><b>Risk:</b> In the current competitive scenario and rapidly changing marketing conditions, it is a challenge to retain the key talent.</p>	<p>LIC is a mammoth Trans National organization with approximately one lac employees. On account of the size and geographical spread as well as keeping with the personnel policies there is continuous vertical and lateral movement in the organisation. All these factors necessitate that there has to be a continuous process of skill development and upscaling the knowledge base within the organization. The pandemic situation necessitated and propelled the organization to move towards self learning through digital mode. This has enabled standardized content without dependence on physical infrastructure and facilitators and is available anywhere any time on intranet/internet on Chrome/Firefox web browsers. The current focus has been to make communication and collaboration easily available as part of the new work experience. Further, with the aim of self-learning/self-skilling, a Learning Management System, "LIC Gyanpeeth" was introduced for the employees.</p>	<p>High employee turnover may lead to decrease in productivity, increase in hiring cost, particularly arising from recruitments at Senior Levels and low employee morale in general.</p>

## SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements. **(National Guidelines on Responsible Business Conduct)**

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
<b>Policy and management processes</b>									
1. a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/ No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
c. Web Link of the Policies, if available	<a href="https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct">https://licindia.in/Investor-Relations/Policies-and-Code-of-Conduct</a> . Some of the policies of the Corporation are available only for employees								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	Our value chain partners are contractually obliged to comply with requirements pertaining to safety and healthy environment, prohibition of child labor and forced labor, non discrimination, employment condition, provision of wages and working hours.								
4. Name of the national and international codes/certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fair trade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	ISO 31000 for ERM and ISO 22301 for BCP								
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Governance, leadership and oversight</b>									
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)	The Board has overall responsibility regarding Business responsibility report and to identify and manage ESG issues of the Corporation.								
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies)	Shri Siddhartha Mohanty, Whole Time Chairperson DIN :08058830								
9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.	Yes, Board has overall responsibility of Corporation's Governance and Sustainability practices. Other Board committees such as Audit, Executive, Risk Management and Policyholders committee also identify and manage ESG issues.								
<b>10. Details of Review of NGRBCs by the Company</b>									
Performance against above policies and follow up action	-								
Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee	-								
Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)	-								
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles and rectification of any non-compliances									

Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.	All policies of the Corporation are evaluated internally								

12. If answer to question (1) above is “No” i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Any other reason (please specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE:

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as “Essential” and “Leadership”. While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally and ethically responsible.

**PRINCIPLE 1 Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.**

#### Essential Indicators

1. **Percentage coverage by training and awareness programs on any of the Principles during the financial year:**

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	% age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	4	Performance Monitoring through Key Performance Indicators in a Life Insurance Company Familiarization Program for Independent Directors Directors' Development Program	88.89%
Key Managerial Personnel	9	Session on Ethics and Governance, Fraud Detection, Performance Monitoring through Key Performance Indicators in a Life Insurance Company, Training Session on Ind-AS for LIC Officials, Master Class for Nominee Directors, The Great Indian Board Reboot, Actuarial Seminar and Conference, South Asian Actuarial Conference, Colombo, Sri Lanka, Insurance related matters and Reinsurance	50%

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	% age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Employees other than BoD and KMPs	4,175	Leadership Development, Strategic Skills, Managerial Inputs, Financial Inputs, Best Global/Industry Practices, Managerial, Technical (IT/Digital related), Customer Centricity, Induction Training, Refresher Training, Training for Retiring Officials and training for Administrative Staff/Clerical and Class-IV employees on Departmental/Branch Functional Training, Managerial, Technical, Functional, Administrative.	89%
Workers	NA	NA	NA

\*The above information provided is related to Independent Directors only.

The Training Activities are carried out through In-house Training Centers and External Training Institutes.

Sl No	Office	Type of Training	Current FY 23-24		Previous FY 22-23	
			No of Employees Covered	Total No of Employees	No of Employees Covered	Total No of Employees
1		Fire Drill	39,791	98,661	39,843	98,463
2		Any other training given to employees (excluding nominated by HRD)	1,392		1,173	
		<b>Total</b>	<b>41,183</b>	<b>98,661</b>	41,016	98,463

### In-house Training

LIC has In-house training Centres well equipped with training infrastructure and facilities like Hostel Rooms, Training Classrooms, Auditorium, Computer Room, LCD facility, Sports and Recreation amenities etc. for catering the Training Needs of Field Force, Administrative Staff, Middle and the Senior Management Officers. LIC has the following In-House Training Centres:

- Management Development Centre (MDC ) is the Apex training Centre of the Corporation.
- There is one Zonal Training Centre (ZTC) in each Zone (total 08 Zones).
- There are 113 Divisions, each having Employee Training Centre(ETC) / Computer Training Centre(CTC).

### External Training:

To provide fresh perspectives and innovative approaches, to gain specialised knowledge and expertise from Industry Specialists and to view things from different angle, our officials are nominated to various External Training Programs of relevance through reputed External Training Institutes like Indian Institute of Management, Indore, Lucknow, Raipur and Kashipur, Indian School of Business, Hyderabad, Institute of Directors, Mumbai, Institute of Risk Management, Mumbai, Institute of Actuaries, Mumbai, Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad, National law School of India University, Bengaluru, College of Insurance, Mumbai, CSI, Goa Institute of Management etc.

### Training Statistics for Administrative Staff / participants are as follows

Training Institute	No. of participants trained	
	2022-23	2023-24
In-House Training	1,01,865	94,179
External Training	5,821	6,407
<b>*Total Administrative Staff Participated</b>	<b>1,07,686</b>	<b>1,00,586</b>
Attendance to Nomination Ratio	95.31%	96.28%

# Some of the employees have attended other trainings covering different subjects, during the same financial year i.e. in 2022-23 & 2023-24.

#### Short duration Webinars:

During the Financial Year 2023-24, with an aim to cover large number of employees and field force, various short duration Webinars were conducted through Institutes like College of Insurance and In-house Training Centers on various topics such as ERM, CRM Claims, Financial Markets and ULIP, Annuity, ANANDA, New products launched during the year, Positioning of Non Par Products of LIC, e-NACH, Ethics and Governance, Cyber Security, Yoga for Health and Wellness etc. Approximately, 1, 06,377 employees and field force were covered. The Webinars were very useful and were well received by the employees and field force.

#### LIC Gyanpeeth–Self Learning Management System Module:

- LIC “Gyanpeeth” is self Learning/self-skilling management system digital module introduced in the year 2020. This has enabled standardized content without dependence on physical infrastructure and facilitators and is available anywhere any time on intranet/internet web browsers to the employees.
- The self-learning portal ‘LIC Gyanpeeth’ is designed for ensuring uninterrupted training on functional aspects, with continuous, relentless efforts and activities being undertaken for upgradation of the portal. As on 31.03.2024 it comprises of 14 Main Modules and 134 Sub Modules with 6,381 MCQs.

Statistics for ‘LIC Gyanpeeth’ is as follows:

Particulars	Up to 31.03.2023	During F.Y. 23-24	Up to 31.03.24
No. of Main Modules Certificates Issued	1,36, 507	26,090	1,62,597
No. of Sub Modules Certificates Issued	12,51,006	2,22,041	14,73,047
Total Number of Certificates issued	13,87,513	2,48,131	16,35,644

‘LIC Gyanpeeth’ has met with tremendous response from employees. Approximately 64,590 (65.99%) employees have obtained total 16,35,644 LIC Gyanpeeth Certificate.

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Amount (In ₹)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
Penalty/ Fine	NIL	Revenue authorities like IT,GST, etc	529.54 cr	Differences in interpretation/ calculation of income tax, input tax credit, etc	Yes, for all cases
Settlement	NIL	Revenue authorities like IT,GST, etc	76.19 cr	Differences in interpretation/ calculation of income tax, input tax credit, etc	NA
Compounding fee	NIL	NIL	NIL	NIL	NA
Non-Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)	
Imprisonment	NIL	NIL	NIL	NIL	
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.-

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
Differences in interpretation/calculation of income tax, input tax credit, etc	Yes, for all cases

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

The Corporation maintains an Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy The Corporation has a whistle blower policy. Further, as per the provisions of Rule 32 of LIC of India (Staff) Rules, 1960, no employee or any member of the family of the employee is allowed to accept the gifts of more than the trifling value. The link for anti-bribery and anti-corruption policy is as under:

<https://licindia.in/documents/d/guest/anti-bribery-and-anti-corruption-policy-1->

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	NIL	NIL

**6. Details of complaints with regard to conflict of interest:**

	FY 2023-24 (Current Financial Year)		FY 2022-23 (Previous Financial Year)	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	Nil	Nil	Nil
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	Nil	Nil	Nil

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest. Nil

8. Number of days of accounts payables ((Accounts payable \*365) / Cost of goods/services procured) in the following format:

	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
Number of days of accounts payable	11.85	5.07

**9. Open-ness of business**

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

Secondary market comprises of stock exchanges which provide platform for purchases and sale of securities by investors. The trading platforms of stock exchanges are accessible only through brokers and trading of securities is confined only to stock exchanges. Hence LIC does secondary market trading through brokers only.

Details as follows.-

Parameter	Metrics	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
Concentration of Purchases	a. Purchases from trading brokers as % of total purchases	100% secondary market trading	100% secondary market trading
	b. Number of trading brokers where purchases are made from	143	144
	c. Purchases from top 10 trading brokers as % of total purchases from trading houses	9.13%	9.06%
Concentration of Sales	a. Sales to brokers as % of total sales	100% secondary market trading	100% secondary market trading
	b. Number of brokers to whom sales are made	143	144
	c. Sales to top 10 brokers as % of total sales to brokers	9.52%	9.52%

Parameter	Metrics	FY 2023-24	FY 2022-23
		(Current Financial Year)	(Previous Financial Year)
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties / Total Purchases) By Subsidiaries Dept.	Purchase of Shagun cards from IDBI Bank- 1356.82* Purchase of capital- LICHFL Housing & Infrastructure Fund- 1558.76** Purchase of units of LICMF- 1720000** Purchase of IDBI Mutual Fund Schemes- 2474.62** Nifty Midcap ETF- 50000 Subscription to equity capital- 2499.33**	Purchase of Venture capital fund- 1783.53** Purchase of units of LICMF- 885409-**
	Purchases (Purchases with related parties / Total Purchases) By Investment Dept.	0.88%	0.96%
	b. Sales (Sales to related parties / Total Sales) By Subsidiaries Dept	Sale of units of Urban Development Fund- 236.16** Sale of units of LICHFL Housing & Infrastructure Fund AIF I- 1658.22 ** Sale of units of LICMFAM 1718068.64**	Sale of Venture Capital Fund- 219.03** Sale of units of LICMF- 1012661.24**
	Sales (Sales to related parties / Total Sales) By Investment Dept.	1.12%	1.09%
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties/ Total loans& advances)	NA	NA
	d. Investments (Investments in related parties / Total Investments made)	NA	NA

## Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:

Total number of training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programme
3800	Product Training of the value chain partners by Bancassurance dept. Additionally, P&GS dept. conducts regular programmes as per requirements of value chain partners.	21%
1	Identification of RPTs/Reconciliation of RPTs with group entities by Subsidiaries dept	90%

2. Does the entity have processes in place to avoid / manage conflict of interests involving members of the Board? **(Yes/No)** If yes, provide details of the same.
- Yes, Disclosure of interest as well as declaration on Directors' independence is being regularly obtained from Directors and submitted to the Board. To avoid the conflict of interests, Directors recuse themselves from participation in any Agenda Item(s) wherever they are deemed interested, is being discussed in a meeting.

## PRINCIPLE 2 Business should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

### Essential Indicators

1. **Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.**

Our primary focus is on technological infrastructure, software development, and digital solutions related to our life insurance services. Our R&D and capital expenditure are primarily directed towards technology-driven initiatives like cyber-security measures, digital innovations, and technological enhancements to improve customer experiences and operational efficiency as well as assistance in rolling out numerous initiatives to diminish the usage of paper across the organisation.

2. a. **Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)**  
b. **If yes, what percentage of inputs was sourced sustainably?**

➤ Yes.

As part of insurance industry and Information Technology, our operations primarily revolve around technology, software development, and digital solutions. While our procedures may not directly mirror those of traditional manufacturing or product-oriented body, we try to follow guidelines and practices that promote ethical and sustainable sourcing of technology-related inputs.

Given the nature of our operations, traditional measures of sustainable sourcing and identifying percentage may not be directly applicable. However, we actively participate in broader organizational initiatives to enhance sustainability across all aspects.

3. **Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste**

As the Corporation is in the Insurance Business, there is limited scope for using recycled material. However, our offices have been encouraged to recycle e-waste, such as servers, computers, cartridges, ribbons are primary e-waste generated and is being disposed off through authorized vendors, who picks up the hardware from all the locations after dismantling/ degaussing, re-cycling certificate are also received from them. For collection and disposal of e-waste and electrical waste for safe disposal collection boxes are kept at Yogakshema building premises.

The Corporation has taken up new initiatives in order to minimize use of paper in our offices by digitising of operations, thus reducing paper usage.

Minimizing the use of single use plastic folders/bottles, replacing plastic folders with paper folders, plastic pots for plants with earthen pots, supply of paper pens in some offices, once the refill is over, these pens with seeds at the reverse can be planted to grow plants. Replacing disposable cups by stainless steel coffee/tea mugs for employees in some of the offices.

The hardware items which are end-of-life are given to the hardware supply vendor under buyback. The vendor, in turn, appoints an e-waste disposal vendor who picks up the hardware from all the locations after dismantling/ degaussing and gives a certificate in Form-2 to the concerned LIC office. We have disposed 116 metric tonnes of e-waste in the financial year 2023-24 and 337 metric tonnes of e-waste in 2022-23.

**4 Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.**

Extended Producer Responsibility (EPR) is not applicable to the Corporation's activities.

**Leadership Indicators**

**1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?**

Not applicable.

**2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same**

Not Applicable

**3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).**

Not applicable

**4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:**

Not applicable

**5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.**

Not applicable

**PRINCIPLE 3 Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains**

**Essential Indicators**

**1. a. Details of measures for the well-being of employees:**

Category	% employees covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
Permanent employees											
Male	75,411	75,411	100	75,411	100			75,411	100	0	0
Female	23,250	23,250	100	23,250	100	23,250	100			0	0
Total	98,661	98,661	100	98,661	100	23,250	100	75,411	100	0	0
Other than Permanent Employees											
Male	5	3	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Female	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
Total	6	3	50	0	0	1	100	0	0	0	0

**b. Details of measures for the well-being of workers:**

Category	% workers covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
Permanent employees											
Male	Not Applicable										
Female											
Total											
Other than Permanent Employees											
Male	Not Applicable										
Female											
Total											

Note: There is no class of employees as "Workers" in the Corporation

**c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format –**

	FY 2023-24	FY 2022-23
Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the company	<p>(i) <b>Group Personnel Accident Benefit – 0.0008%</b></p> <p>(ii) <b>Mediclaime – 0.03421%</b></p> <p>(iii) <b>Group Insurance – 0.00574%</b></p> <p>(iv) <b>High Cost Protracted Treatment – 0.00012%</b></p> <p>(v) <b>Preventive Health Check-0.0007%</b></p>	<p>(i) Group Personnel Accident Benefit 0.033501%</p> <p>(ii) Mediclaime – 0.001015%</p> <p>(iii) Group Insurance – 0.008375%</p> <p>(iv) High Cost Protracted Treatment – 0.000127%</p> <p>(v) Preventive Health Check-up – 0.000761%</p>

**These figures are exclusive of 18% GST**

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year.

Benefits	FY 2023-24			FY 2022-23		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF(*)	69.44%	NO Worker in the Organization	The Corporation has its own LIC of India Provident Fund Rule No.1 and the same is managed by the Corporation.	75.31%	-	The Corporation has its own LIC of India Provident Fund Rule No.1 and the same is managed by the Corporation.
Gratuity	100%		The Corporation is having a Group Gratuity policy and the same is managed by P&GS Department of the Corporation.	100%	-	The Corporation is having a Group Gratuity policy and the same is managed by P&GS Department of the Corporation.
ESI	Not Applicable		Not Applicable	Not Applicable		
Others – please Specify(#)	100%		All the schemes are managed by the Corporation. Management is having Group Medclaim Policy from New India Insurance.	100%	-	All the schemes are managed by the Corporation. Management is having Group Medclaim Policy from New India Insurance.

(#)Employees / Officers retiring from the services of the Corporation are entitled to various post-retirement benefits which are inclusive of Encashment of Privilege leave, Group Insurance Scheme, Group Medclaim Scheme, Accumulation of Group Savings Linked Insurance Scheme, Pension benefits who have opted for it.

(\*)Employees who are appointed in the services of the Corporation on or after 01.04.2010 are governed by National Pension System and are not covered under LIC of India Provident Fund Rules No. 1.

3. Accessibility of workplaces

**Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.**

We have special facilities like ramps; grab rails etc in our Zonal and Divisional offices to suit the needs of the differently abled persons. Ramps have been installed in our offices. Construction work of toilet for Divyangjan has been done at our Central Office in Mumbai under the Swachhata Pakhwada 2.0.

The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of People with Disabilities Act, 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. It has been advised to all the offices of the Corporation that provisions shall be made for barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Yes. The Corporation has adopted an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the rules framed there under and provides a framework which is committed towards the empowerment of persons with disabilities. The link for Equal Opportunity Policy is as under:

<https://licindia.in/Equal-Opportunity-Policy>

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent Employees		Permanent Worker	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100%	100%	Not Applicable	
Female	100%	100%		
<b>Total</b>	100%	100%		

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

	Yes/No (if Yes, then give details of mechanism in brief)
Permanent Workers	Not Applicable
Other than permanent workers	
Permanent Employees	Employee grievance redressal portal e-Samadhan is in place. Complaints are forwarded on-line to Staff Grievance Officer. There is provision for appeal to next higher authority. Complaint resolution time frame is 90 days.  There are also Internal Complaints Committees at Central Office, Zonal Offices, Divisional Offices handling grievances pertaining to Sexual Harassment according to the provisions mentioned in The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
Other than Permanent Employees	Not Applicable

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the listed entity:

Category	FY 2023-24			FY 2022-23		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	Total employees / workers in respective category	No. of workers in respective category, who are part of association(s) or Union	% (B / A) NA	Total employees/ workers in respective category	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union	% (D/C) NA
	(A)	(B)	% (B / A)	(C)	(D)	% (D/C)
Total Permanent Employees	98,661	Corporation does not recognize any Union. Hence the data is not maintained.	NA	98,463	Corporation does not recognize any Union. Hence the data is not maintained.	NA
- Male	75,411			75,306		
- Female	23,250			23,157		
Total Permanent Workers	Not Applicable					
- Male						
- Female						

Note: There is no class of employees as “Workers” in the Corporation

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2023-24 Current Financial Year					FY 2022-23 Previous Financial Year				
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No. (B)	%(B/A)	No. (C)	%(C/A)		No. (E)	%(E/D)	No. (F)	%(F/D)
<b>Employees</b>										
Male	75,411	*	*	66,362	88.00%	78,898	*	*	78,898	100
Female	23,250	*	*	21,012	90.37%	28,788	*	*	28,788	100
<b>Total</b>	<b>98,661</b>	*	*	<b>87,374</b>	<b>88.55%</b>	1,07,686	*	*	1,07,686	100
<b>Workers**</b>										
Male										
Female										
<b>Total</b>										

\*It was ensured that 'Yoga & Health' Session was included in all our In-House Training Programmes.

There were 49 Online 'Yoga for Health and Wellness' Sessions, wherein approx. 4900 Officials, of our Offices across India, attended.

Employee Engagement Program (EEP), for a day, was hosted by all the 113 Divisional Offices which covered employees from the cadre of Record Clerk to Administrative Officer of all the Offices (Central Office, Zonal Offices, Divisional Offices and Branch Offices). 93.12% of our employees, in these cadres, attended the Employee Engagement Program. Sessions on 'Health & Safety – Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) and Work Life Balance' were held during the EEP.

\*\*There is no class of Employees as "Workers".

9. Details of performance and career development reviews of employees and worker:

Category	Details of performance and career development reviews of employees					
	FY 2023-24 Current Financial Year			FY 2022-23 Previous Financial Year		
	TOTAL (A)	No.(B)	% (B/A)	TOTAL (C)	No.(D)	% (D/C)
<b>EMPLOYEES</b>						
MALE	75,411	75,411	100	75,306	75,306	100
FEMALE	23,250	23,250	100	23,157	23,157	100
<b>TOTAL</b>	<b>98,661</b>	<b>98,661</b>	<b>100</b>	98,463	98,463	100

10. Health and safety management system:

- a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? **(Yes/ No)**. If yes, the coverage such system?

The Corporation has stringent guidelines to ensure the safety of employees and its property. This includes policy for fire safety, Standard operating procedures for fire safety, which covers rules pertaining to Fire fighting equipments, Fire drills, formation of fire safety committees in all our offices, periodical check on electric and fire safety parameters etc are conducted wherever required. Also, restrictive access to core Departments has been taken up. Employees are covered under Group Insurance, Group term insurance and 24 Hours Group Personal Accident Policy.

In addition to the above, the employees are covered under Group Medclaim Scheme where employees and their families are covered for hospitalization, with an option to take additional cover for themselves and their families. Preventive Health check up scheme and scheme of Ex gratia reimbursement of Medical Expenses in case of High cost treatment are also other benefits for the employees.

- b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity? **Not applicable**
- c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N) **Not applicable**
- d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Y/N) **Not applicable**

**11. Details of safety related incidents, in the following format:**

Safety Incident/Number	Category	FY 2023-24	FY 2022-23
		Current Financial Year	Previous Financial Year
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
Total recordable work-related injuries	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
No. of fatalities	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	NIL	NIL
	Workers	Not Applicable	Not Applicable

**12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.**

Security Guards and Watchmen are appointed for the security of office premises and employees. Baggage scanners are installed at the entrances in our Central and Zonal offices.

CCTV cameras have been installed in the offices and restrictive access in some of the Departments of Central office is in process.

Fire safety Committees are constituted in all the offices, training imparted on a regular basis, Evacuation drills are conducted. Standard operating procedures for Fire Safety are laid down.

Every employee of the Corporation gives their rating, in the Quarterly Ambience Poll, where the ratings are based on various parameters of cleanliness in the offices.

Activities including regular pest control services, cleaning of office premises and surrounding areas, disposal of scrap, identification and proper use of vacant spaces, plantation of saplings, rain water harvesting, installation of ramps and railings for the differently abled, installation of solar panels, etc. are being done to ensure safe and hygienic work place.

As on date most of our offices are using LED Bulbs.

We have sensitized all our employees about the prevalent policy against Sexual Harassment at the work place. And the mechanism and the process is being followed for the redressal of complaints related to Sexual Harassment at work place.

**13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:**

Category	FY 2023-24			FY 2022-23		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Health & Safety	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Note: There is no class of employees as "Workers" in the Corporation

**14. Assessments for the year:**

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	NIL
Working Conditions	NIL

**15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.**

NIL

**Leadership Indicators**

**1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N):- Yes**

The Corporation extends following benefits in the form of support to families in the event of an employee's death.

1. Group Insurance -2004 if opted
2. Group Term Insurance which is paid to nominee / legal heirs. This is especially provided to protect the loss of commutation of pension, had the employee continued in the services of the Corporation till the date of his superannuation.
3. Risk and Savings Portion of Group Savings Linked Insurance
4. 24 hours Group Personal Accident cover in case the death of the employee was due to accident.

Apart from this the following terminal dues are settled to the family of the deceased employee:

1. Gratuity is paid even if the employee had not completed five years of continuous service with the Company. In addition, gratuity is calculated as per LIC of India (Staff) Rules, 1960 and also as per Gratuity Act, 1972 and whichever is higher is paid to the family members of the deceased employee. Lump sum in lieu of PL Encashment
2. Additional Gratuity is also paid to family if the deceased employee was an Officer.
3. Family Pension (in case deceased employee had opted for pension)
4. Employees contribution towards Provident Fund
5. Corporation Contribution towards Provident Fund (for PF Optees employees only)

An opportunity of employment is also extended to the spouse or age eligible child of the deceased employee on compassionate grounds.

**2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.**

The Corporation ensures that taxes as applicable to the transactions within the remit of the Corporation are deducted and deposited in accordance with extant regulations. This activity is also reviewed as part of the internal and statutory audit. The Corporation expects its value chain partners to uphold business responsibility principles and values of transparency and accountability

**3. Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work- related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:**

NIL

**4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/ No) Yes**

Providing continual learning opportunities, through In-house Training Centres and External Training Institute, is crucial for employees to excel in their managerial, functional and behavioral skills throughout their career within the Corporation. These platforms not only enhance their current abilities but also foster a culture of growth and development within the Organization.

The Corporation has developed a self learning and skill enhancement portal called "LIC Gyanpeeth". It is specifically designed to ensure uninterrupted training on functional aspects and rules of the Corporation.

Special training programs are held for retiring officials to sensitize them about management of their finances and health, post retirement.

**5. Details on assessment of value chain partners:**

	<b>% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed</b>
Health and safety practices	Conditions are built in contract/agreement to conform to directives issued by Government /other statutory agencies and it is implicit that they are adhering to the applicable statutory health and safety practices with above average working conditions.
Working Conditions	Conditions are built in contract/agreement to conform to directives issued by Government /other statutory agencies and it is implicit that they are adhering to the applicable statutory working conditions

**6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.**

Not Applicable

**PRINCIPLE 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders**

**Essential Indicators**

**1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.**

Based on the nature of our business of life insurance, our risks and opportunities revolve around Human Capital, Responsible Investing, Data Privacy & Security, Access to Finance, Emerging Risks and Governance. Accordingly, our key stakeholders can be identified as Internal Stakeholders and External stakeholders. Internal stakeholders can be identified as our employees whereas external stakeholders are those who contribute to our business directly or indirectly. Some of our key stakeholders are:

- Investor and Shareholders
- Customers
- Employees
- Government & Regulatory Bodies

- Business Partners (CA/Broker/IMF/CSC)
- Distribution Channels
- Communities and NGOs

**2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group**

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group	Channels of Communication (E mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/Half yearly/ Quarterly/ Others- Please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement.
Community	NO	Newspaper, advertisement, etc	On regular basis	Insurance awareness
Investor and Shareholders	NO	As per need: Emails, Annual General Meeting, Quarterly Results, Filings at Stock Exchanges, Press Releases	Quarterly and half yearly Results and Annual General Meeting. Filings of Corporate Announcements with the Stock Exchanges.	Providing the update on the Corporation's strategy, Redressal of grievances through various regulatory Mechanism.
Employees	No	Direct contact, e-mail, Employee website, SMS, calls, Notice Board	Regularly	Information sharing, and addressing queries.
Customers	No	Direct contact, Email, Whats App, SMS, Advertisement, Website	Frequent or as and when required	To acquire new customers and provide services to existing ones
Business Partners (CA/Broker/IMF/CSC)	No	Email, SMS, meetings and through Website	Frequent or as and when required	Service existing business and scope for further expansion
Government & Regulatory Bodies	No	Email, Personal Meetings, Calls, Video Calls	As and when required	For Regulatory Compliance, inspections and in Grievance matters
Distribution Channels:  Premium Points, Agents, CLIAS, COs, DSAs, Supervised Agents under CLIAS/ COs	No	Multiple Channel of communication -Physical and Digital	Frequent or as and when required	To provide the services to existing policyholder and procurement of new business

**Leadership Indicators**

**1. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to; address the concerns of vulnerable/marginalized stakeholder groups.**

- LIC Golden Jubilee Foundation is committed to being transparent and honest, working continuously for the upliftment of the economically weaker sections. The criteria for selection of projects and scholarship is transparent. LIC GJF supports projects for the economically weaker section of the society, aligned with its objectives- relief of poverty, education, medical relief and any other object of general public utility across the country. Mode of engagement with social and economically weaker sections is through service representatives at LIC Divisional offices located near to the project location.
- Specially designed plans are available in the form of Micro Insurance policies, convenient modes of payments, including weekly mode of payment of premiums are available. Our Micro Insurance policyholders are serviced through NGOs in addition to tied agents.

- Specially designed plans are available for our Micro Insurance policyholders. Convenient modes of payments, including Weekly mode of payment of premiums are available. Our Micro Insurance policyholders are serviced through NGOs in addition to tied agents.

The Foundation is committed to being transparent and honest, working continuously for the upliftment of the economically weaker sections. The criteria for selection of projects and scholarship is transparent. LIC GJF supports projects for the economically weaker section of the society, aligned with its objectives- relief of poverty, education, medical relief and any other object of general public utility across the country. Mode of engagement with social and economically weaker sections is through service representatives at LIC Divisional offices located near to the project location.

Team of Investor Relations of the Corporation engages with the investors and market analysts. Key indicators of Analysts' Reports and feedback from Investors meet are placed to the Board of the Corporation.

2. **Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.**

Grievances and queries raised by the Shareholders and status of resolution are placed before the Stakeholders' Relationship Committee of the Board which meets at least once in every quarter as well as placed before the Board of the Corporation at the end of each quarter. Queries, if any, raised on economic, environmental and social topics are placed for discussion.

3. **Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalized stakeholder groups.**

- Policyholders' Protection Committee of the Board monitor the activities related to interest of the policyholders.

#### PRINCIPLE 5 Businesses should respect and promote human rights

##### Essential Indicators

1. **Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:**

Category	FY 2023-24			FY 2022-23		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	Total (A)	No. of employee s/ workers covered (B)	% (B / A)	Total (C)	No. of employee s/ workers covered (D)	% (D / C)
Employees						
Permanent	98,661	23,545	23.86%	98,463	98,463	100
Other than permanent	6	0	0	3	0	0
<b>Total Employees</b>	<b>98,667</b>	<b>23,545</b>	<b>23.86%</b>	<b>98,466</b>	<b>98,463</b>	<b>100</b>
Workers						
Permanent	Not Applicable					
Other than permanent						
<b>Total Workers</b>						

There is no class of Employees as "Workers".

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following Format:

Category	FY 2023-24					FY 2022-23				
	Current Financial Year					Previous Financial Year				
	Total (A)	Equal to minimum wage		More than Minimum wage		Total (D)	Equal to Minimum wage		More than Minimum wage	
		No. (B)	% (B / A)	No.(C)	% (C / A)		No. (E)	% (E / D)	No. (F)	% (F / D)
Employees										
Permanent	98,661	0	0	98,661	100	98,463	0	0	98,463	100
Male	75,411	0	0	75,411	100	75,306	0	0	75,306	100
Female	23,250	0	0	23,250	100	23,157	0	0	23,157	100
Other than Permanent	6	0	0	6	100	3	0	0	3	100
Male	5	0	0	5	100	2	0	0	2	100
Female	1	0	0	1	100	1	0	0	1	100
Workers**										
Permanent	Not Applicable									
Male										
Female										
Other than Permanent										
Male										
Female										

\*\*There is no class of Employees as "Workers".

3. Details of remuneration/salary/wages, in the following format:

**BOARD:-**

	Male		Female	
	Number	Median remuneration/ salary/wages of respective category	Number	Median remuneration/ salary/wages of respective category
<b>Board of Directors (BoD)</b>				
(i) Whole Time Directors (Executive Directors)	5	The Life Insurance Corporation of India was established by an Act of Parliament, The Life Insurance Corporation of India Act, 1956.  The concept of median remuneration is not applicable to the Corporation as the Corporation is not governed by the provisions of the Companies Act, 2013 (to the extent applicable).  Further, the details of Remuneration to Directors is disclosed under the Corporate Governance Report, forming part of the Annual Report.	0	The Life Insurance Corporation of India was established by an Act of Parliament, The Life Insurance Corporation of India Act, 1956.  The concept of median remuneration is not applicable to the Corporation as the Corporation is not governed by the provisions of the Companies Act, 2013 (to the extent applicable).  Further, the details of Remuneration to Directors is disclosed under the Corporate Governance Report, forming part of the Annual Report.
(ii) Government Nominee Director (Non-Executive)	1		0	
(iii) Non-Executive Independent Directors	8		1	

	Male		Female	
	Number	Median remuneration/ salary/wages of respective category	Number	Median remuneration/ salary/wages of respective category
<b>Key Managerial Personnel</b>	8	The concept of median remuneration is not applicable to the Corporation as the Corporation is not governed by the provisions of the Companies Act, 2013 (to the extent applicable).	1	The concept of median remuneration is not applicable to the Corporation as the Corporation is not governed by the provisions of the Companies Act, 2013 (to the extent applicable).
<b>Employees other than BoD and KMP</b>				

**4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No) Yes**

Executive Director (Personnel) who is responsible for the human resources administration and management shall oversee and address any issue arising from any human rights impact related to employees.

**5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.**

The Corporation has developed the internal mechanism system for redressal of grievance. For this purpose a portal on the intranet site called e-Samadhan where grievances can be registered by any employee which will be forwarded online to the Staff Grievance Officer. There is also a provision for appeal to the next higher authority through the portal.

In accordance with The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention Prohibition and Redressal) Act 2013 the department has initiated various steps to improve the status of women and worked for their economic empowerment. The female employees of the Corporation are treated at par with the male employees. A Committee known as Internal Complaint Committee has been constituted in all the offices of the Corporation.

**6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:**

	FY 2023-24			FY 2022-23		
	Current Financial Year			Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of the year	Remarks
Sexual Harassment	14	2(*)		14	4	
Discrimination at workplace	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Child Labour	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Forced Labour/Involuntary Labour	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Wages	Equality in wage structure					
Other human rights related issues	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

(\*)As on the date of this Report, both the pending complaints were closed.

**7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:**

	FY 2023-24	FY 2022-23
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	14	14
Complaints on POSH as a % of female employees / workers	0.0006%	0.0006%
Complaints on POSH upheld	NIL	NIL

**8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.**

- The Corporation's commitment to workforce is to
  - promote a sense of participation and make them partners in progress,
  - work towards ensuring their job satisfaction and sense of pride,
  - provide an environment and the opportunities for growth to enable them to realize their full potential;
  - take steps to develop professional skills to enable them to handle their assessments more efficiently.

The terms and conditions of service of employees of the Corporation are based on the rules framed by Central Government in view of the power vested with them under Section 48(2) (cc) of LIC Act, 1956. Employee related policies are framed based on these rules which are non-discriminatory and offers equal opportunity to all individuals irrespective of their gender, religion, caste, race, age, community, physical ability or sexual orientation. The Corporation endeavours to ensure a safe, secure and congenial work environment, so that employees can deliver their best without confusion. The Company has put in place a robust grievance redressal process for investigation of employee concerns pertaining to workplace harassment and sexual harassment and has instituted a code of conduct, employee service rules and The Prevention of Sexual Harassment at the Workplace policy that clearly describes employee responsibilities and acceptable employee conduct.

**9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)**

- Yes wherever relevant

**10. Assessments for the year:**

\*The Corporation is in compliance with the applicable law

	<b>% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)</b>
Child labour	NIL
Forced/involuntary labour	NIL
Sexual harassment	NIL
Discrimination at workplace	NIL
Wages	NIL
Others – please specify	NIL

**11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / Concerns arising from the assessments at Question 9 above.**

- NOT APPLICABLE

**Leadership Indicators**

**1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.**

The Corporation is of the belief that it has upheld the basic principles of human rights in all its dealings. This is in alignment with its Human Rights Statement. The Corporation regularly sensitizes its employees on the Code of Conduct through various training programmes.

Employees are encouraged to raise any grievance they may have regarding any breach/violation in any policy or process , or report any act which is in contravention of the Corporation's code of conduct or other policies in force including the Prevention of Sexual Harassment at the workplace policy, Anti bribery and Anti Corruption Policy, Anti Money Laundering Policy, Insider Trading Code, Whistle Blower Policy, Anti Fraud Policy, Information and Cyber Security Policy or any other policy governing employee conduct at the workplace that may be defined from time to time or any other statutory or regulatory laws as may be in force.

The Corporation is keen in providing a safe and positive work environment. Employees also have access to grievance redressal mechanism at different stages where they can highlight matters or concerns faced at the workplace. This is achieved through a well-established, robust and internally developed grievance resolution mechanism called e-Samadhan. Employees are encouraged to raise any grievance they may have regarding any violation or breach of any rule, breach of Corporation's code and conduct or other policies in force, including the Prevention of Sexual Harassment at the Workplace policy, Anti-Fraud Policy, Anti-Money Laundering Policy, Insider Trading Policy, Whistle Blower Policy, Information and Cyber Security Policies, HR Policies or any other policy governing employee conduct at the workplace that may be defined from time to time or any statutory or regulatory laws as may be currently in force.

**2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.**

Internal audit is conducted for the governance process of the Corporation

**3. Is the premise/office of the entity accessible to differently able visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?**

- The Corporation has framed an Equal Opportunity Policy in accordance with the provisions of the Rights of People with Disabilities Act, 2016 and Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017. It has been advised to all the offices of the Corporation that provisions shall be made for barrier-free accessibility and other provisions for persons with disabilities. The Corporate Office at Yogakshema is accessible to differently abled visitors.
- Provision has been made for facilities and amenities to the persons with disabilities to enable them to effectively discharge their duties in the establishment. In some offices Ramps, grab rails elevators are installed, work on construction of toilet for Divyangjan at the Central Office has been completed.

**4. Details on assessment of value chain partners:**

No such assessment is done

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	NIL
Discrimination at work place	NIL
Child labour	NIL
Forced labour/Involuntary labour	NIL
Wages	NIL
Others- please specify	NIL

**5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.**

- Not Applicable

**PRINCIPLE 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment**

**Essential Indicators**

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

Parameter	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
<b>From renewable sources</b>		
Total electricity consumption (A)	<b>Data Not collated</b>	Data Not collated
Total fuel consumption (B)	<b>Data Not collated</b>	Data Not collated
Energy consumption through other sources (C) (solar)	<b>30596 GJ</b>	16005 GJ
<b>Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)</b>	<b>30596 GJ</b>	16005 GJ
<b>From non-renewable sources</b>		
Total electricity consumption (D)	<b>329308 GJ</b>	318768 GJ
Total fuel consumption (E)	<b>394649 GJ</b>	Data Not collated
Energy consumption through other sources (F)	-	-
<b>Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)</b>	<b>723957 GJ</b>	318768 GJ
<b>Total energy consumed (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>754553 GJ</b>	334773 GJ
<b>Energy intensity per rupee of turnover</b> (Total energy consumed / Revenue from operations) (GJ/INR Crores)	<b>0.848059</b>	Data Not collated
<b>Energy intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)</b> (Total energy consumed / Revenue from operations adjusted for PPP)		
<b>Energy intensity in terms of physical output</b>		
Energy intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		

**Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.**

NO

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.

➤ No

**3. Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:**

The organisation's water usage is restricted for human consumption only. Looking at the nature of business the prescribed table does not apply to the Corporation. Efforts have made to ensure that water is utilized judiciously.

For e.g. At our Management Training Centre (MDC), Borivali, a rain water harvesting unit for collecting the rain water is installed. This unit is connected to the nearby bore well due to which the bore-well is recharged and quality of bore well water has improved significantly.

Parameter	FY 2023-24 (Current Financial Year) (in kilo liter)	FY 2022-23 (Previous Financial Year) (in kilo liter)
<b>Water withdrawal by source (in kilolitres)</b>		
(i) Surface water		
(ii) Groundwater		
(iii) Third party water		
(iv) Seawater / desalinated water		
(v) Others		
<b>Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)</b>		
<b>Total volume of water consumption (in kilolitres)</b>	<b>3,55,06,901.984</b>	<b>2,26,59,637.167</b>
<b>Water intensity per rupee of turnover</b> (Total water consumption / Revenue from operations) (Litres/INR Crores)	<b>0.0000041</b>	<b>0.0000029</b>
<b>Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)</b> (Total water consumption / Revenue from operations adjusted for PPP)		
<b>Water intensity in terms of physical output</b>		
<b>Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity</b>		

**Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?**

No

4. Provide the following details related to water discharged :

Water is mainly used for human consumption. Water is discharged through sewers managed by local authorities. We do not have any information on water discharge as it is not being measured

Parameter	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
<b>Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)</b>	<b>Not Applicable</b>	<b>Not Applicable</b>
(i) To Surface water		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(ii) To Groundwater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iii) To Seawater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iv) Sent to third-parties		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
<b>Total water discharged (in kilolitres)</b>		

**Note:** Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

Not Applicable

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity

➤ Not Applicable

Parameter	Please specify unit	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
NOx		<b>Not Applicable</b>	<b>Not Applicable</b>
SOx			
Particulate matter (PM)			
Persistent organic pollutants (POP)			
Volatile organic compounds (VOC)			
Hazardous air pollutants (HAP)			
Others – please specify			

**Note:** Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

➤ No

7. Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
<b>Total Scope 1 emissions</b> (Break-up of the GHG into CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , if available)	Metric tonnes of CO <sub>2</sub> equivalent	13,107.89	Data not collated
<b>Total Scope 2 emissions</b> (Break-up of the GHG into CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , if available)	Metric tonnes of CO <sub>2</sub> equivalent	67,250.14	Data not collated
<b>Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover</b> (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations) (MT/INR Crores)		0.0941	Data not collated
<b>Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover adjusted</b>		-	-

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details.

The Corporation is in the process for procurement of a power saving solution for desktops.

- As a part of Construction of Green Building projects & ESG initiatives we have installed solar PV panels at 148 locations totaling 6575 KWp capacity resulting 5453.96 tons carbon reduction per year as on 31.03.2024.

Also, purchase of EVs for day-to-day usage is being encouraged amongst our marketing and administrative staff. Further, as a part of environment conservation, 29 lakh saplings have been planted across the country in this financial year.

9. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
<b>Total Waste generated (in metric tonnes)</b>		
Plastic waste (A)	4,080.939	28.776
E-waste (B)	116	337
Bio-medical waste (C)	-	-
Construction and demolition waste (D)	-	-
Battery waste (E)	-	-
Radioactive waste (F)	-	-
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)	-	-
Other Non-hazardous waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)	-	4,756.929
<b>Total (A + B + C + D + E + F + G + H)</b>	<b>4,201.411</b>	<b>5,127.852</b>
<b>Waste intensity per rupee of turnover</b> (Total waste generated / Revenue from operations) (MT/INR Crores)	<b>0.004921</b>	<b>0.0065</b>
<b>Waste intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)</b> (Total waste generated / Revenue from operations adjusted for PPP)	<b>-</b>	<b>-</b>

Parameter	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
<b>Waste intensity in terms of physical output</b>	-	-
<b>Waste intensity (optional)</b> – the relevant metric may be selected by the entity	-	-
<b>For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)</b>		
<b>Category of waste</b>	-	-
(i) Recycled	-	-
(ii) Re-used	-	-
(iii) Other recovery operations	-	-
<b>Total</b>	-	-
<b>For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)</b>		
<b>Category of waste</b>	-	-
(i) Incineration	-	-
(ii) Landfilling	-	-
(iii) Other disposal operations	-	-
<b>Total</b>	-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency?

(Y/N) If yes, name of the external agency.

Not applicable

10. **Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.**

We are committed to adopting sustainable practices in waste management. While our operations primarily involve software development, technology infrastructure, and digital services, we recognize the importance of responsible waste handling. Our waste management practices include:

**Energy-Efficient Infrastructure:** We prioritize the use of energy-efficient infrastructure to minimize resource consumption.

**Electronic Waste Management:** We have implemented a comprehensive e-waste management program, collaborating with certified disposal partners to ensure proper recycling and disposal of electronic waste.

**Paperless Initiatives:** We encourage paperless practices and taken up new initiatives to reduce reliance on physical materials in our day-to-day operations.

11. **If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:**

Not applicable

S. No.	Location of operations/offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and Corrective action taken, if any.
Not applicable			

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Not Applicable

Name and brief details of project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
Not Applicable					

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules there under (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

S. No.	Specify the law / regulation / guidelines which was not complied with	Provide details of the non-compliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any
Based on the nature of business the Corporation complies with applicable environmental norms.				

**Leadership Indicators**

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):

For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:

- i. Name of the area - **Not applicable**
- ii. Nature of operations - **Not applicable**
- iii. Water withdrawal, consumption and discharge in the following format:- **Not applicable**

Parameter	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
<b>Water withdrawal by source (in kilolitres)</b>	<b>Not applicable</b>	<b>Not applicable</b>
(i) To Surface water		
(ii) To Groundwater		
(iii) Third party water		
(iv) Seawater / desalinated water		
(v) Others		
<b>Total volume of water withdrawal (in kilolitres)</b>		
<b>Total volume of water consumption (in kilolitres)</b>		
<b>Water intensity per rupee of turnover</b> (Water consumed / turnover)		
<b>Water intensity (optional)</b> – the relevant metric may be selected by the entity		
<b>Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)</b>	<b>Not applicable</b>	<b>Not applicable</b>
(i) Into Surface water		
- No treatment - With treatment – please specify level of treatment		

Parameter	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
(ii) Into Groundwater	Not applicable	Not applicable
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iii) Into Seawater		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(iv) Sent to third-parties		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
- With treatment – please specify level of treatment		
<b>Total water discharged (in kilolitres)</b>		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N)  
If yes, name of the external agency.

Not Applicable

2. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
<b>Total Scope 3 emissions</b> (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	Metric tonnes of CO2 equivalent	The Corporation is presently not tracking Scope 3 emissions.	
<b>Total Scope 3 emissions per rupee of turnover</b>		-	-
<b>Total Scope 3 emission intensity</b> (optional) – the relevant metric may be selected by the entity		-	-

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Not Applicable

3. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above; provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.

Not Applicable since we are in the insurance business.

4. **If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:**

Not Applicable since we are in the insurance business.

Sr. No.	Initiative undertaken	Details of the initiative ( <i>Web-link, if any, may be provided along-with summary</i> )	Outcome of the initiative
NA			

5. **Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.**

Yes, the Corporation has Board approved Business Continuity Plan.

Business-interruption risk forms an integral part of operational risk. The Corporation may face a host of disasters that range from minor to catastrophic which may impact day-to-day operations.

The Corporation has Board approved policy for business continuity (BCP) which provides overall guidelines to implement and manage the Business continuity framework. The BCP framework is in place, & provides instructions/guidelines to respond to disaster situation and also includes measures for- safety of human life and minimum down time. The continuity plan has been formalized to provide measures to be taken to respond to events such as natural disasters, pandemic and technical disruptions etc.

Disaster recovery site has been set up to carry out critical processes in emergency scenario. Business continuity drills are carried on a regular basis for critical processes and also to manage business-interruption risks.

6. **Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard?**

Not applicable as the Corporation is in the business of life insurance

7. **Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.**

➤ Nil

**PRINCIPLE 7 Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent**

#### Essential Indicators

1. a. **Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.**

The Corporation has Affiliations with more than 15 trade and industry chambers/ associations

- b. **List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to:**

S. No.	Name of the trade and industry chambers / associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/ National)
1	Indian Society for Training & Development (ISTD)	National
2	National HRD Network (NHRD)	National
3	Bombay Productivity Council (BPC)	State
4	IMC Economic Research & Training Centre	National
5	Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM)	National
6	Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad	National

S. No.	Name of the trade and industry chambers / associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/ National)
7	Administrative Staff College of India, Hyderabad (ASCI)	National
8	All India Management Association (AIMA)	National
9	Insurance Institute of India (III)	National
10	Confederation of India Industry (CII)	National
11	Bombay Chamber of Commerce and Industry (BCCI)	National
12	Management Development Institute Society, Gurgaon	National

**2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.**

- No adverse orders passed by Regulatory Authority.

**Leadership Indicators**

**1. Details of public policy positions advocated by the entity:**

- LIC has positioned itself as the insurer of choice and continues to sustain its leadership position after 22 years of liberalization with dominant business mix coming from the participating business sourced primarily through agency force. Further, LIC has capitalized on heightened awareness about life insurance and is pursuing digital engagement and digitized delivery of services with migration of the customers from physical to the digital i.e., “phygital” mode. A strategic deploying of bionic agents by extending tech support in the form of digital tools and analytics to the agency force is on its way.

We offer inputs/ views/ suggestions on various Exposure Drafts, proposed amendments to Rules, etc to the Regulator through Life Insurance Council considering the best interest of the Policy holder and the Insurance Industry at large.

We conduct Insurance Awareness Campaign (IAC) every year pan India. Under IAC we have published Advertorials in the magazines highlighting our achievements, our product portfolio and various services tendered to the policyholders. We educate about our products through Print Advertisements in Newspapers and Magazines at national and regional level on a pan India basis along with TV commercials urging people to purchase insurance with their first salary along with animated video/s-highlighting need of insurance on national and regional news/music and General Entertainment channels across India. Creative/s are prepared for various IAC such as, update your KYC and submission of NEFT details, revival of the policies, new plans/products. Awareness is created through the social media, by posting relevant messages, about insurance.

LIC has been nominated by IRDAI as the project lead for the State/UTs of Assam, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep for raising insurance awareness and increasing insurance penetration. We are also a part of various committees/working groups formed by the Life Council for vetting of new initiatives.

**PRINCIPLE 8 Businesses should promote inclusive growth and equitable development**

**Essential Indicators**

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

The LIC-Golden Jubilee Foundation (GJF) has not engaged any external agency for conducting impact study. However, the Foundation does an internal Impact study every year to assess the impact of the initiatives taken by the Foundation. Inspection of GJF projects is done by Zonal Inspection team to assess that the project funded by GJF is utilized for the purpose for which it has been funded and benefits the beneficiaries from the economically weaker sections.

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:

S No.	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Project Affected families (PAFs)	% of PAFs covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (In INR)
Not Applicable						

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

The procedure followed by the foundation in sanctioning projects and selection of scholars is very transparent. It involves three tier system involving different levels of the Corporation. It is ensured that the economically weaker sections across the country are benefitted through the activities of the foundation. All the details of the charitable activities of the foundation (Pan India) are available at our website [www.licindia.in](http://www.licindia.in). In case of any grievances the person/organization may contact to manager sales at Division office level. However, as of 31<sup>st</sup> March 2024 no grievance was pending.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

Not applicable, since the company is into Insurance business.

	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
Directly sourced from MSMEs/ small producers	NA	NA
Directly from within India		

5. Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost

Location	FY 2023-24 (Current Financial Year)	FY 2022-23 (Previous Financial Year)
Rural	0.57%	0.6%
Semi- Urban	27.49%	27.5%
Urban	33.76%	33.2%
Metropolitan	38.18%	38.7%

(Place to be categorized as per RBI Classification System - rural / semi-urban / urban / metropolitan)

#### Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

No negative social impact was identified in the Social Impact Assessment.

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:

The community development activities of the Foundation are spread across the country. Specific to the aspirational districts identified by the Government of India, the foundation has covered 20 districts with 32 projects. The projects include construction of school building, construction of Skill development centre, multipurpose hall, rooms and toilet block for tribal girls, construction of pathology units, construction of day care centre, women empowerment projects, vehicle for transportation of school children, ambulances, mobile medical vans for transportation of patients, food distribution vehicle for providing food, etc.

3. (a) **Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)**

Yes

- (b) **From which marginalized /vulnerable groups do you procure?**

Preference given to registered vendors under Micro, Small Enterprises (MSE) on production of certificate and to SC/ST vendors registered under MSME

- (c) **What percentage of total procurement (by value) does it constitute?**

	Current FY 23-24			Previous FY 22-23		
	Procurement from MSE/SC/ST Vendors	Total Procurement made by the office	%	Procurement from MSE/SC/ST Vendors	Total Procurement made by the office	%
Procurement from MSE Vendors	1,75,22,48,131	2,65,96,15,598	65.88	1,37,48,91,091	1,99,06,22,688	69.07
SC/ST Vendors under MSE	2,80,05,094		1.05	1,69,00,517		0.85

4. **Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:**

Not Applicable as we are not in the business of inventions, or any artistic works used in commerce, for which Intellectual property (IP) owners are granted certain exclusive right under IP laws. However our in-house developed applications contribute to the internal growth and competitiveness of our operations and we actively engage in knowledge sharing and collaboration with the broader industry and community

5. **Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved**

No such instance

6. **Details of beneficiaries of CSR Projects:**

The beneficiaries of projects funded by the LIC Golden Jubilee Foundation are:

**Quality Education:** Contribution by the Foundation for education infrastructure such as construction of hostels, school building, computer labs, libraries, school bus, vocational training centre, occupational therapy tools & audio visual equipment for specially abled children for their rehabilitation through therapy and vocational training programmes, literacy campaign in LIC GJFs adopted village Govindpur for 100 % literacy. An amount of ₹ 69.20 Crs has been spent towards providing scholarship to around 27792 deserving students for pursuing higher education. Scholarship is released every year to the deserving students belonging to the economically weaker sections. Providing transportation facility to the disabled children.

**Good Health and well being:** The Foundation has funded projects providing medical equipments, ICU ambulance, medical vans, construction of hospitals, providing treatment for cancer patients, heart surgery, Bone marrow transplant surgery and cochlear implant surgery. The poor patients are also identified through medical camps arranged by the hospitals in far off rural areas and provided necessary treatment

**Relief towards Natural Calamity:** The Foundation has provided assistance during Chennai floods, Kerala floods, Cyclone Fani and construction of multipurpose Cyclone shelter at Udala in Mayurbhanj District for the people residing in the cyclone prone tribal areas of Odisha.

**Armed Forces Flag Day Fund:** Contribution to Armed Force Flag Day Fund for welfare of Ex- Servicemen of the Indian Defence Force established by Kendriya Sanik Board for welfare of the veterans, widows and rehabilitation of ex-servicemen.

**Climate Action:** The Foundation has contributed for installation of solar power plant at school hostel building, vrudhashram and electric crematorium. The use of solar panel has reduced the cost of electricity.

**Clean Water & Sanitation:** Contribution by LIC GJF for renovation of water bodies at Hari Thirtham, Kanyakumari and enabling availability of fresh water for communities. Providing water vending machines for clean drinking water to visitors of Badrinath, Kedarnath, Rishikesh and Haridwar.

**Contribution towards construction of toilets under 'One Home One Toilet Scheme' in slums of Kolhapur.** Funded for construction of 169 toilets in 113 schools across the country, toilet blocks in various schools. Contribution by LIC GJF towards construction of two community toilets at LIC's adopted village of Govindpur in Sonbhadra district of Uttar Pradesh to make the village free from open defecation.

**Preservation and protection of Art Gallery:** The Foundation has funded for construction of art gallery to preserve, protect, propagate and develop Saura paintings and artists practiced in the three Lanjia Saura villages of Raygada district, Odisha.

**Life on Land :** Contribution towards purchase of Ambulance for transportation and rescue of world animals in Kanpur Zoo, installation of solar power plant at Elephant Conservation and Care Centre at Mathura, Uttar Pradesh, installation of solar plant at Life time Animal sanctuary in Village Gopalpur Khera, Gurgaon which is shelter home for animal rescue and rehabilitation.

## PRINCIPLE 9 Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

### Essential Indicators

#### 1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback

The spirit of customer relations and customer care has been ingrained in our complaint redressal system with emphasis on placing customer oriented personnel at all touch points. IT enabled support system is operationalized to reduce manual interventions and minimize grievances.

The Corporation has a customer friendly online system wherein a policyholder registered on the customer portal of LIC of India can register complaint and track its status through 'LIC's e-services' available on our website <https://licindia.in/>. The complaints registered under IRDAI's Grievance Management System-BIMA BHAROSA are synced with LIC's complaint management system. The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office levels to redress grievances of customers. Their names are available on our website. The respective GROs are available at their Offices for personal interviews with the customers on all Mondays between 2.30 PM and 4.30 PM. Customers can meet the GROs on other days also with prior appointment. Customers may also send their grievances through post, by e-mail etc to the respective servicing offices / GROs.

Total of 74 Customer Zones are operative across India from 8.00 AM to 8.00 PM which works as 'one-stop Centre' for resolution of all servicing needs of a customer, with special emphasis on 'Quality Experience'.

LIC has a single Centralized Call Centre service available 24\*7. The number is **022-68276827** with a comprehensive IVRS menu as well as option to speak with Call Centre executive for specific queries & information and raise CCS (Call Centre Services) Ticket for complaint. These services are available in Hindi, English & eight regional languages.

We have an SMS initiative called LICHELP, where policyholders need to send an SMS LICHELP<POLICYNO> on 9222492224. On receipt of an SMS an official from the Customer Zone mapped to the servicing branch of the policy, contacts the customer for resolution of his complaint or request. We update the customers at each stage of the policy process through an SMS or an e-mail.

With an objective of attending the grievances related to repudiated death claims, "Claims Review Committees" are set up at Zonal Office level and Central Office level. The committee consists of two or more senior officers of LIC and an Honorable Retired Judge of the District Court/High Court.

LIC has a role-based access under two online platforms of Government of India viz. 1) CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System) and 2) NCH (National Consumer Helpline) – INGRAM module (Integrated Grievance Redressal Mechanism) available to policyholders to lodge their grievances, which are responded to directly.

LIC has constituted Policyholders' Protection Committee in accordance with Clause 7.4 of the IRDAI's Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies.

LIC has a comprehensive Board Approved 'Policy for Protection of Policyholders Interest 2022' as per IRDAI's Protection of Policyholder's Interests Regulations, 2017.

**2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:**

➤ Not Applicable

As a percentage to Total turnover

Environmental and social parameters relevant to the product

Safe and responsible usage

Recycling and /or safe disposal.

**3. Number of consumer complaints in respect of the following:**

	FY 2023-24 (Current Financial Year)		Remarks	FY 2022-23 (Previous Financial Year)		Remarks
	Received during the year	Pending resolution at end of year		Received during the year	Pending resolution at end of year	
Data privacy	Nil	Nil	--	Nil	Nil	--
Advertising	Nil	Nil	--	Nil	Nil	--
Cyber-security	Nil	Nil	--	Nil	Nil	--
Delivery of essential services	Nil	Nil	--	Nil	Nil	--
Restrictive Trade Practices	Nil	Nil	--	Nil	Nil	--
Unfair Trade Practices	2,984	Nil	--	3,516	Nil	--
Other	78,531	Nil	--	1,10,928	Nil	--

**4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:**

➤ Not Applicable

	Number	Reasons for recall
Voluntary recalls	Not Applicable	Not Applicable
Forced recalls	Not Applicable	Not Applicable

**5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.**

Yes, the Corporation has a policy on cyber security which is available for all internal stakeholders on the Corporation's Intranet.

The Privacy Policy of the Corporation is hosted on our website and can be accessed through the URL below:

<https://licindia.in/web/guest/privacy-policy>

**6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.**

The Corporation has not received any issue or complaint related to cyber security & data privacy of customers.

**7. Provide the following information relating to data breaches:**

**a) Number of instances of data breaches along-with impact**

NIL

**b) Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers**

NIL

**c) Impact, if, any, of the data breaches**

Not applicable

**Leadership Indicators**

**1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).**

Product & Services information is available on our website ([www.licindia.in](http://www.licindia.in)). In addition to this, the Corporation actively uses various local avenues, print media, social media and digital platforms to educate and to stay connected with our customers on its products and services. Brief details of various social media/ digital platforms are as below:

- Mobile App: “MyLIC”
- Face book,
- YouTube,
- Instagram, X (Twitter) handle: LICIndiaForever
- Whatsapp: 8976862090
- Call Centre : 022- 6827 6827

**2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.**

- Insurance is an intangible product so the normal usage and safety norms do not apply to it. However for continuance of risk cover, premiums must be paid on time. SMS are sent to the policyholders informing them about premium due for payment, wherever mobile number is registered in policy record. Where no mobile number is registered in policy records, we are sending premium due intimation to the policyholders by post, in order to keep policies in force and to enable the customer to enjoy the insurance benefits under the policy. SMS are sent to customers to be careful with fraudsters. Security measures are in place for customers visiting our links for any online transactions.
- Services of LIC on WhatsApp is made available where Policyholders can know their premium dues, get Loan and Loan repayment quotation, Premium paid certificate/s, ULIP Unit statement/s, etc.
- Periodical communication is sent to active customers to educate them on spurious calls and false calls for submission of KYC. Also spurious call disclaimer forms part of our customer communications. We promote in-house digital platforms that provide various customer services to customers periodically. Alerts are conveyed on Social Media.
- We are publishing advertisement in regional, Hindi & English Newspapers informing about the requirements for settlement of claims. We are also informing and educating the customers by displaying our ads on social media such as Facebook, Instagram page, etc. regularly.

**3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.**

Policyholders are kept updated through SMS about the services requested by them. In case of natural calamity advertisement is given in the new papers, informing customer's assistance with claim processing to enable faster and hassle free processing the claim.

We also have a Business Continuity Plan (BCP) in place with Standard Operating Procedures to mitigate any risk of disruption/ discontinuation of service.

**4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws?**

Not applicable.

**Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole?**

To capture customer's feedback on the overall experience of the engagement, feedback is sought through customer meets and visits to Paying Authorities where more number of customers are available.

**Batliboi & Purohit**  
CHARTERED ACCOUNTANTS

Head Office (Mumbai) : National Insurance Building,  
204, Dadabhoy Naoroji Road, Fort, Mumbai - 400 001  
Tel. : 2207 7941 / 2207 4260  
E-mail : info@batliboipurohit.com  
Website : www.batliboipurohit.com

**INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT ON IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN THE BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT (BRSR) 2023-24**

To,  
The Board of Directors,  
Life Insurance Corporation of India,  
Mumbai.

Assurance report on the sustainability disclosures in the Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) Core Format<sup>1</sup> (called 'Identified Sustainability Information' (ISI) of Life Insurance Corporation of India (the 'Corporation') for the period from 1 April 2023 to 31 March 2024. The ISI is included in the Business Responsibility and Sustainability Reporting of the Corporation for the period from 1 April 2023 to 31 March 2024.

**Opinion:**

We have performed a reasonable assurance engagement on whether the Corporation's sustainability disclosures in the BRSR Core Format (refer to Annexure 1) for the period from 1 April 2023 to 31 March 2024 has been prepared in accordance with the reporting criteria (refer table below).

Identified Sustainability Information (ISI) subject to assurance	Period subject to assurance	Reporting criteria
BRSR Core (refer Annexure 1)	From 1 April 2023 to 31 March 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirements (SEBI LODR)</li> <li>- Guidance note for BRSR format issued by SEBI</li> <li>- World Resource Institute (WRI) / World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) Protocol (A Corporate Accounting and Reporting Standards)</li> </ul>

For the purposes of our assurance report, 'Information subject to Reasonable Assurance' refers to the Identified Sustainability Information identified above that was subject to reasonable assurance

<sup>1</sup> Notified by SEBI vide circular number SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated 12 July 2023



**Reasonable assurance opinion:**

In our opinion, the Corporation's Identified Sustainability Information in the Business Responsibility and Sustainability Reporting for the period 1st April, 2023 to 31st March, 2024, subject to reasonable assurance is prepared, in all material respects, in accordance with the Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirements (SEBI LODR) and World Resources Institute (WRI) / World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) Protocol (A Corporate Accounting and Reporting Standards) (Revised).

We do not express an assurance opinion on information in respect of any other information included in the Integrated Annual Report 2024 or linked from the Sustainability Information or from the Integrated Annual Report 2023, including any images, audio files or embedded videos.

**Basis for opinion:**

We conducted our engagement in accordance with Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, 'Assurance Engagements on Sustainability Information' and SAE 3410 'Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements' issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). Our responsibilities under those standards are further described in the 'Our responsibilities' section of our report.

We are required to comply with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

Our firm applies Standard on Quality Control (SQC) 1, 'Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements' issued by the ICAI. This standard requires the firm to maintain a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our reasonable assurance opinion.

**Other information:**

Management and the Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Corporation's Annual Report (but does not include the ISI and assurance report thereon). The Corporation's Annual Report is expected to be made available to us after the date of this assurance report.

Our reasonable assurance on BRSR core attributes does not cover the other information and we will not express any form of assurance opinion thereon.



## Batliboi & Purohit CHARTERED ACCOUNTANTS

In connection with our assurance on the ISI, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available, and in doing so, consider whether other information is materially inconsistent with the ISI, or our knowledge obtained in the assurance, or otherwise appears to be materially misstated. When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and describe actions applicable under the applicable laws and regulations

### **Intended use or purpose:**

The ISI and our reasonable assurance report are intended for users who have reasonable knowledge of the BRSR core attributes, the reporting criteria and ISI and who have read the information in the ISI with reasonable diligence and understand that the ISI is prepared and assured at appropriate levels of materiality.

### **Responsibilities for the Assured Sustainability Information:**

The management of the Corporation acknowledge and understand their responsibility for:

- designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation of the Assured Sustainability Information that is free from material misstatement, whether due to fraud or error;
- selecting or developing suitable criteria for preparing the Assured Sustainability Information and appropriately referring to or describing the criteria; and
- preparing the Assured Sustainability Information in accordance with the Applicable Criteria

Those charged with governance are responsible for overseeing the reporting process for the Corporation's Assured Sustainability Information.

### **Exclusions:**

Our assurance scope excludes the following and therefore we will not express a opinion on the same:

- Operations of the Corporation other than those mentioned in the 'Scope of Assurance';
- Aspects of the BRSR core attributes and the data/information (qualitative or quantitative) other than the ISI;
- Data and information outside the defined reporting period i.e., 1st April, 2023 to 31st March, 2024; and
- The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions provided by the Corporation.

### **Inherent limitations:**

The preparation of the Corporation's BRSR information requires the management to establish or interpret the criteria, make determinations about the relevancy of information to be included, and make estimates and assumptions that affect the reported information.



Measurement of certain amounts and BRSR core metrics, some of which are estimates, is subject to substantial inherent measurement uncertainty, for example GHG emissions, water footprint, energy footprint. Obtaining sufficient appropriate evidence to support our opinion does not reduce the uncertainty in the amount and metrics.

**Our Responsibilities:**

We are responsible for:

- planning and performing the engagement to obtain reasonable assurance about whether the Assured Sustainability Information is free from material misstatement, whether due to fraud or error;
- forming an independent reasonable assurance opinion and based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained; and
- reporting our reasonable assurance opinion to the Board of Directors of Corporation.

**Summary of the work we performed as the basis for our opinion:**

We exercised professional judgment and maintained professional skepticism throughout the engagement. We designed and performed our procedures to obtain evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our reasonable assurance opinion.

**Reasonable assurance opinion:**

The nature, timing, and extent of the procedures selected depended on our judgment, including an assessment of the risks of material misstatement of the information subject to reasonable assurance, whether due to fraud or error. We identified and assessed the risks of material misstatement through understanding the information subject to reasonable assurance and the engagement circumstances. We also obtained an understanding of the internal control relevant to the information subject to reasonable assurance in order to design procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal controls. In carrying out our engagement, we:

- assessed the suitability of the criteria used by the Corporation in preparing the reasonable assurance information;
- evaluated the appropriateness of reporting policies, quantification methods and models used in the preparation of the information subject to reasonable assurance and the reasonableness of estimates made by the Corporation; and
- evaluated the overall presentation of the information subject to reasonable assurance.



# Batliboi & Purohit

CHARTERED ACCOUNTANTS

**Restriction on use:**

Our reasonable assurance report, including the conclusion, has been prepared and addressed to the Board of Directors of the Corporation at the request of the Corporation, solely, to assist the Corporation in reporting on its sustainability performance and activities. Accordingly, we accept no liability to anyone, other than the Corporation. Our deliverables should not be used for any other purpose or by any person other than the addressees of our deliverables. The firm neither accepts nor assumes any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Batliboi & Purohit,  
Chartered Accountants  
FRN 101048W



Parag Hangekar  
Partner

M. No.: 110096

UDIN: 24110096BKCX1G6278



Place: MUMBAI

Date: 20/06/2024

Sr. No.	BRSR Core Indicator	Description of Indicator
1.	Section C – Principle 1 – E8	Number of days of accounts payable
2.	Section C – Principle 1 – E9	Concentration of purchases & sales done with trading houses, dealers, and related parties Loans and advances & investments with related parties
3.	Section C – Principle 3 – E1(c)	Spending on measures towards well-being of employees and workers – cost incurred as a % of total revenue of the Corporation
4.	Section C – Principle 3 – E11	Details of safety related incidents including lost time injury frequency rate, recordable work-related injuries, no. of fatalities
5.	Section C – Principle 5 – E3(b)	Gross wages paid to females as % of wages paid
6.	Section C – Principle 5 – E7	Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, including complaints reported, complaints as a % of female employees, and complaints upheld
7.	Section C – Principle 6 – E1	Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and its intensity
8.	Section C – Principle 6 – E3	Total volume of water withdrawal by source in Kilolitres and its intensity
9.	Section C – Principle 6 – E4	Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)
10.	Section C – Principle 6 – E7	Details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) and its intensity
11.	Section C – Principle 6 – E9	Details related to waste generated by category, waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations, waste disposed by nature of disposal method and its intensity
12.	Section C – Principle 8 – E4	Input material sourced from following sources as % of total purchases – Directly sourced from MSMEs/small producers and from within India
13.	Section C – Principle 8 – E5	Job creation in smaller towns – Wages paid to persons employed in smaller towns (permanent or non-permanent/on contract) as % of total wage cost
14.	Section C – Principle 9 – E7	Instances involving loss/breach of data of customers as a percentage of total data breaches or cyber security events



31 मार्च, 2024 को समाप्त  
वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

**Financial Statements**  
**For the year ended 31<sup>st</sup> March, 2024**

## विषय सूची / Table of Contents

<b>वित्तीय विवरण / FINANCIAL STATEMENTS</b>	
परिणामों का सारांश / Summarised Results	317
<b>स्वतंत्र (स्टैंडअलोन) / Standalone:</b>	
स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट और प्रमाण पत्र / Independent Auditors Report and Certificate	330
तुलन पत्र / Balance Sheet	354
राजस्व लेखा / Revenue Account	360
लाभ और हानि लेखा / Profit & Loss Account	369
नगद प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	375
अनुसूची 1 से 15, 15ए, बी, सी / Schedule 1 to 15, 15A, B, C महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स / Significant Accounting Policies and Notes (अनुलग्नक - 1 -खंडीय तुलन पत्र और राजस्व लेखा) / (Annexure - 1 - Segmental balance sheet and Revenue Account)	378
प्रबंधन रिपोर्ट / Management Report	584
<b>समेकित / Consolidated:</b>	
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट / Independent Auditors Report	602
तुलन पत्र / Balance Sheet	624
राजस्व लेखा / Revenue Account	626
लाभ और हानि लेखा / Profit & Loss Account	629
नगद प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	631
अनुसूची 1 से 15, 15ए, बी, सी / Schedule 1 to 15, 15A, B, C महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और नोट्स / Significant Accounting Policies and Notes	634

## परिणामों का सारांश / SUMMARISED RESULTS

वर्ष के दौरान नव व्यवसाय	New Business for the year	2023-24 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)	2022-23 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)
<b>व्यक्तिगत बीमा</b>	<b>INDIVIDUAL ASSURANCE</b>		
बीमा धन/एनसीओ/एम एस बी	Sum Assured / NCO / MSB		
क) बीमे	a) Assurances	6,10,662.44	6,52,273.80
ख) वार्षिकियाँ*	b) Annuities*	14,095.41	14,179.36
ग) पेंशन*	c) Pension*	0.00	0.00
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य***	d) Non Linked Health***	6,760.95	33,477.28
ङ) संबद्ध***	e) Linked Business***	12,850.79	9,790.98
<b>पॉलिसियों की संख्या (लाख में)</b>	<b>No. of Policies (in lakh)</b>		
क) बीमे	a) Assurances	197.45	196.70
ख) वार्षिकियाँ	b) Annuities	1.93	1.80
ग) पेंशन	c) Pension	0.00	0.00
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य	d) Non Linked Health	0.39	2.37
ङ) संबद्ध	e) Linked Business	4.27	3.51
<b>समूह योजनाएँ</b>	<b>GROUP SCHEMES:</b>		
बीमा धन (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Sum Assured (incl. Linked Business)	10,21,208.59	5,41,830.25
वार्षिकियों का भुगतान	Annuities in Payment	1,204.55	1,020.79
<b>योजनाओं की संख्या</b>	<b>No. of Schemes:</b>		
समूह बीमा (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Group Insurance (incl. Linked Business)	37,185	35,889
समूह सेवानिवृत्ति	Group Superannuation	147	229
<b>जीवनों की संख्या (लाख में)</b>	<b>No. of lives (in lakhs)</b>		
समूह बीमा (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Group Insurance (incl. Linked Business)	406.55	358.89
समूह सेवानिवृत्ति	Group Superannuation	7.63	7.34

एनसीओ- नोशनल कैश ऑप्शन, एम एस बी- प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ

\*एनसीओ वैल्यू

\*\*\*प्लान 901, 902, 903,904 तथा 906 के लिए प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि दिया गया है। प्लान 905 के लिए स्वास्थ्य हितलाभ बीमा राशि दिया गया है।

NCO-Notional Cash Option, MSB-Major Surgical Benefit

\* NCO Value

\*\*\* For plans 901, 902, 903,904 and 906 Major Surgical Benefit Sum Assured is provided. For plan 905 Health Benefit Sum Assured is provided.

परिणामों का सारांश (जारी) / SUMMARISED RESULTS (Contd.)

चालू व्यवसाय वर्ष की समाप्ति पर	Business in Force at the end of the year	2023-24 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)	2022-23 (₹ In crores) (₹ करोड़ में)
<b>व्यक्तिगत बीमा</b>	<b>INDIVIDUAL INSURANCE</b>		
बीमा धन एवं बोनस / एपीए / एम एस बी	Sum Assured & Bonus / APA / MSB		
क) बीमे	a) Assurances	70,67,857.70	67,15,916.34
ख) वार्षिकियाँ**	b) Annuities**	10,071.93	9,079.95
ग) पेंशन**	c) Pension**	2,264.18	2,226.10
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य***	d) Non Linked Health***	64,750.37	77,270.30
ङ) संबद्ध***	e) Linked Business***	40,442.46	30,914.85
<b>पॉलिसियों की संख्या (लाख में)</b>	<b>No. of Policies (in lakh)</b>		
क) बीमे	a) Assurances	2684.59	2,709.69
ख) वार्षिकियाँ	b) Annuities	26.23	25.01
ग) पेंशन	c) Pension	13.95	14.22
घ) गैर संबद्ध स्वास्थ्य	d) Non Linked Health	5.89	6.83
ङ) संबद्ध	e) Linked Business	21.38	19.17
<b>चालू व्यवसाय वर्ष की समाप्ति पर</b>	<b>BUSINESS IN FORCE At the end of the year</b>		
<b>समूह योजनाएँ</b>	<b>GROUP SCHEMES:</b>		
बीमा धन (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Sum Assured (incl. Linked Business)	20,69,648.67	18,34,052.09
वार्षिकियों का भुगतान	Annuities in Payment	13,576.63	11,832.81
<b>योजनाओं की संख्या</b>	<b>No. of schemes:</b>		
समूह बीमा (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Group Insurance (incl. Linked Business)	1,59,046	1,55,482
समूह सेवानिवृत्ति	Group Superannuation	22,170	21,825
<b>जीवनों की संख्या (लाख में)</b>	<b>No. of lives (in lakhs)</b>		
समूह बीमा (संबद्ध व्यवसाय सहित)	Group Insurance (incl. Linked Business)	738.96	777.35
समूह सेवानिवृत्ति	Group Superannuation	109.09	103.47

एनसीओ- नोशनल कैश ऑप्शन, ए पी ए- प्रतिवर्ष वार्षिकियाँ, एम एस बी- प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ

\* एनसीओ वैल्यू

\*\* ए पी ए वैल्यू

\*\*\* प्लान 901, 902, 903,904 तथा 906 के लिए प्रमुख शल्य चिकित्सा हितलाभ बीमा राशि दिया गया है। प्लान 905 के लिए स्वास्थ्य हितलाभ बीमा राशि दिया गया है।


NCO-Notional Cash Option, APA- Annuity Per Annum, MSB-Major Surgical Benefit

\* NCO Value


\*\* APA Value

\*\*\* For plans 901, 902, 903,904 and 906 Major Surgical Benefit Sum Assured is provided. For plan 905 Health Benefit Sum Assured is provided.


## आय का विश्लेषण 2022-23 से 2023-24 Analysis of Income 2022-23 to 2023-24






पॉलिसी भुगतानों का विवरण (₹ करोड़ में)  
Policy Payments (₹ in Crore)






प्रबंधन व्यय का विवरण (₹ करोड़ में)  
Management Expenses (₹ in Crore)






## नव व्यवसाय 2021-22 से 2023-24 NEW BUSINESS FIGURE 2021-22 TO 2023-24







## नव व्यवसाय समूह बीमा NEW BUSINESS GROUP INSURANCE



## व्यक्तिगत बीमा के अंतर्गत कुल चालू व्यवसाय TOTAL BUSINESS OF INDIVIDUAL ASSURANCE IN FORCE



चालू व्यववाय (समूह)  
**BUSINESS IN FORCE (GROUP)**




कुल निवेश: 2023-24  
TOTAL INVESTMENTS: 2023-24



बुनियादीढांचे ँवढं सामाजिक क्षेत्रों में निवेश 2023-24  
INVESTMENT IN INFRASTRUCTURE AND SOCIAL SECTOR 2023-24

अन्य बुनियादि सुविधाए/  
Other Infrastructure  
₹ 45,238.35 करोड़/Crore  
(70.33%)



विद्युत/Power  
₹ 16,771.31 करोड़/Crore  
(26.08%)

आवास/Housing  
₹ 2,306.93 करोड़/Crore  
(3.59%)

## परिशिष्ट - II

### 2023-24 के लिए निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक

क्र.सं	फर्म का नाम	पता
I	निगम के लेखा परीक्षक	
1	मैसर्स बाटलीबोर्ड एंड पुरोहित एफआरएन: 101048 डब्लू सीएजी संख्या - बीओ 0004	दूसरी मंजिल, राष्ट्रीय बीमा भवन, 204, दादाभाई नौरोजी रोड, किला, मुंबई-400001 महाराष्ट्र
2	मैसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी एफआरएन: 101872डब्लू/डब्लू100045 सीएजी संख्या - बीओ 0150	ग्राउंड फ्लोर, 15/17, राघव जी बी बिल्डिंग, राघव जी रोड, गोवालिया टैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने, मुंबई - 400036, महाराष्ट्र
II	क्षेत्रीय लेखा परीक्षक	
1	मैसर्स टोडी तुलस्यान एंड कंपनी एफआरएन- 002180 सी सीएजी संख्या- ई आर 0043	602, लव कुश टॉवर, एक्जीबिशन रोड, पटना - 800001, बिहार
2	मैसर्स एआर एंड कंपनी एफआरएन- 002744 सी सीएजी संख्या- सी आर 3997	ए, 403, गायत्री अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 27, सेक्टर - 10, एयरलाइंस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, नई दिल्ली-110075
3	मैसर्स रे एंड रे एफआरएन- 301072 ई सीएजी संख्या- सी ए 0036	वेबेल भवन, ब्लॉक - ईपी जीपी , बिधान नगर सेक्टर - V, साल्टलेक, कोलकाता-700091, पश्चिम बंगाल
4	मैसर्स राममूर्ति (एन) एंड कंपनी. एफआरएन- 02899 एस सीएजी संख्या-एच वाई 0008	गुलशन मंजिल, 4-1-1229, बोगुलकुंटा, हैदराबाद - 500001 तेलंगाना
5	मैसर्स बी सी जैन एंड कंपनी एफआरएन- 001099 सी सीएजी संख्या- सी आर 0016	16/77ए, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001, उत्तर प्रदेश
6	मैसर्स रमा के गुप्ता एंड कंपनी एफआरएन- 005005 सी सीएजी संख्या- सी आर 0649	दुकान नंबर 11, तीसरी मंजिल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल 462038, मध्य प्रदेश
7	मैसर्स बोरकर एंड मजूमदार एफआरएन-101569 डब्ल्यू सीएजी संख्या-बी औ 0007	21-168, आनंद नगर, ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, वकोला, सांताक्रूज़ पूर्व, मुंबई 400055, महाराष्ट्र
8	मैसर्स आर सुब्रमण्यन एंड कंपनी एलएलपी एफआरएन- 004137 एस/ एस 200041 सीएजी संख्या- एम डि 0068	नया नंबर-6, पुराना नंबर 36, कृष्णास्वामी एवेन्यू, लूज़, मायलापोर, चेन्नई 600004

## APPENDIX - II

### Statutory Auditors of the Corporation for 2023-24

S. No.	Name of the Audit firm	Address
<b>I</b>	<b>Corporation's Auditors</b>	
<b>1</b>	<b>M/s Batliboi &amp; Purohit</b> FRN : 101048W CAG NO: BO0004	2 <sup>nd</sup> Floor, National Insurance Building, 204, Dadabhoy Naoroji Road, Fort, Mumbai - 400001 Maharashtra
<b>2</b>	<b>M/s Chokshi &amp; Chokshi Llp</b> FRN : 101872W/W100045 CAG NO: BO0150	Ground Floor, 15/17, Raghavji B Building, Raghavji Road, Gowalia Tank, Opp Central Bank of India, Mumbai - 400036, Maharashtra
<b>II</b>	<b>Zonal Auditors</b>	
<b>1</b>	<b>M/s Todi Tulsyan &amp; Co</b> FRN : 002180C CAG NO: ER0043	602, Luv Kush Tower, Exhibition Road, Patna - 800001, Bihar
<b>2</b>	<b>M/s A R &amp; Co</b> FRN : 002744C CAG NO: CR3997	A, 403, Gayatri Apartments, Plot No. 27, Sector - 10, Airlines Group Housing Society, New Delhi - 110075
<b>3</b>	<b>M/s Ray &amp; Ray</b> FRN : 301072E CAG NO: CA0036	Webel Bhavan, Block - Ep Gp, Bidhan Nagar Sector - V, Saltlake, Kolkata - 700091, West Bengal
<b>4</b>	<b>M/s Ramamoorthy (N) &amp; Co.</b> FRN : 02899S CAG NO: HY0008	Gulshan Manzil, 4-1-1229, Bogulkunta Hyderabad - 500001, Telangana
<b>5</b>	<b>M/s B C Jain &amp; Co</b> FRN : 001099C CAG NO: CR0016	16/77A, Civil Lines Kanpur- 208001, Uttar Pradesh
<b>6</b>	<b>M/s Rama K Gupta &amp; Co</b> FRN : 005005C CAG NO: CR0649	Shop No.11, Third Floor, Metro Plaza, Bittan Market, Bhopal - 462038, Madhya Pradesh
<b>7</b>	<b>M/s Borkar &amp; Mazumdar</b> FRN :101569W CAG NO: BO0007	21-168, Anand Nagar, Om Chs, Anand Nagar Lane, Vakola, Santacruz East, Mumbai- 400055, Maharashtra
<b>8</b>	<b>M/s R Subramanian &amp; Co Llp</b> FRN : 004137S/S200041 CAG NO: MD0068	New No: 6, Old No: 36, Krishnaswamy Avenue, Luz, Mylapore, Chennai 600004

31 मार्च, 2024 को समाप्त  
वर्ष के लिए वित्तीय विवरण

**Standalone Financial Statements  
For the year ended 31<sup>st</sup> March, 2024**

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

## भारतीय जीवन बीमा निगम

### के सदस्यों के लिए

### स्वचलित (स्टैंड अलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

#### राय

- हमने भारतीय जीवन बीमा निगम ("निगम") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन राजस्व खाता (जिसे "पॉलिसीधारक खाता" या "तकनीकी खाता" भी कहा जाता है), स्टैंडअलोन लाभ और हानि खाता (जिसे "शेयरधारक खाता" या "गैर-तकनीकी खाता" भी कहा जाता है) स्टैंडअलोन प्राप्ति और भुगतान खाता (जिसे "कैश फ्लो स्टेटमेंट" भी कहा जाता है) शामिल है और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का एक सारांश, जिसमें 3 विदेशी शाखाओं (यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस और फिजी) के लेखा परीक्षित विवरण (ऑडिटेड रिटर्न) शामिल हैं, जिसमें लेखापरीक्षित 8 क्षेत्रीय कार्यालय निगम द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 113 मंडल कार्यालय और पेंशन और समूह योजनाओं की 78 इकाइयाँ।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 ("एलआईसी अधिनियम"), संशोधित के रूप में, बीमा अधिनियम, 1938 (बीमा अधिनियम), संशोधित के रूप में, बीमा नियामक और विकास अधिनियम, 1999 ("आईआरडीए अधिनियम"), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 ("विनियम"), जिसमें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई आरडीए आई) द्वारा जारी आदेश / निर्देश / परिपत्र शामिल हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों को लागू सीमा तक शामिल किया गया है, के अनुसार तैयार किए जाते हैं और इस तरह से आवश्यक तरीके से और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दें, जैसा कि बीमा कंपनियों पर लागू होता है:
  - तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2024 तक निगम के मामलों की स्थिति;
  - राजस्व खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निवल अधिशेष;
  - लाभ और हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का; तथा
  - प्राप्तियों और भुगतान खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का।

#### राय के लिए आधार

- हमने भारत के सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखा परीक्षण पर मानकों ("एसए") के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम एलआईसी अधिनियम के प्रावधानों, संशोधित के रूप में, बीमा अधिनियम, संशोधित के रूप में; आईआरडीए अधिनियम; आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियम और आदेश/परिपत्र के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार निगम से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

#### प्रसंग पर जोर

- हम अनुसूची 15A(C) के अन्दर निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:
  - नोट नं. 20 से संबंधित - वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर्मचारियों को नए पेंशन विकल्प के कारण उत्पन्न होने वाले ₹ 11,124.66 करोड़ के अतिरिक्त योगदान के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अवधि में देयता प्रदान की जा रही है। अपेक्षित अनुमोदन दिनांक 6 जुलाई, 2020 तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते में ₹ 2,224.94 करोड़ की शेष राशि चार्ज की गई है।

# INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To The Members of

Life Insurance Corporation of India

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

## Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Life Insurance Corporation of India ("the Corporation"), which comprise of the standalone balance sheet as at March 31, 2024, the standalone revenue account (also called the "Policyholders' Account" or the "Technical Account"), standalone profit and loss account (also called the "Shareholders' Account" or the "Non - Technical Account") and the standalone receipts and payments account (also called as the "Cash Flow Statement") for the year ended March 31 2024, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are included 8 Zonal Offices, 113 Divisional Offices and 78 units of Pension & Group Schemes audited by the zonal/divisional auditors appointed by the Corporation and audited returns of 3 foreign branches (Fiji, Mauritius and United Kingdom) audited by their respective local auditors.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements are prepared, in accordance with the Life Insurance Corporation Act 1956 ( the "LIC Act"), as amended, the Insurance Act, 1938 (the "Insurance Act"), as amended, Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (the "IRDA Act"), Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 (the "Regulations"), including orders/ directions/ circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"), including the accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent applicable and in the manner so required and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India, as applicable to insurance companies:
  - i. in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2024;
  - ii. in the case of the Revenue Account, of the net surplus for the year ended on that date;
  - iii. in the case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
  - iv. in the case of the Receipts and Payments Account, of the receipts and payments for the year ended on that date.

## Basis for Opinion

3. We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SA's) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those standards are further described in the auditors' responsibilities for the audit of Financial Statements section of our report. We are independent of the Corporation in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act, as amended; the IRDA Act; Regulations and orders / circulars issued by IRDAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

## Emphasis of Matters

4. We invite attention to the following notes under Schedule 15A(C):
  - a) Note No. 20 regarding the liability on account of additional contribution of ₹ 11,124.66 crore arising due to fresh pension option to employees in the financial year 2019-20 is being provided over a period of five years commencing from the financial year 2019-20 in accordance with the requisite approval dated July 6, 2020. Accordingly, the remaining amount of ₹ 2,224.94 crore has been charged to Revenue Account for the year ended March 31, 2024.

- ख. नोट नं. 21 से संबंधित - एलआईसी (कर्मचारी) पेंशन नियम 1995 में संशोधन के कारण पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के लिए ₹ 11,959.52 करोड़ के कुल अतिरिक्त योगदान में से, निगम ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 2,679.15 करोड़ की राशि पहले ही प्रदान कर दी थी। 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान निगम द्वारा प्राप्त अनुमोदन के बाद, ₹ 9,280.37 करोड़ की शेष देनदारी को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाली 20 तिमाहियों में ₹ 464.02 करोड़ प्रति तिमाही के हिसाब से परिशोधित किया जा रहा है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व खाते में ₹ 464.02 करोड़ की राशि चार्ज की गई है। ₹ 8,352.33 करोड़ की शेष राशि वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक अगली तिमाहियों में परिशोधित की जाएगी।
- ग. नोट नं. 22 से संबंधित - निगम के कर्मचारियों को वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त पेंशन देनदारी ₹ 6,306.29 करोड़ है। इसमें से, वित्त वर्ष 2023-2024 में संबंधित खंडों में ₹ 829.19 करोड़ की पहचान की गई है और पार खंड से संबंधित ₹ 5,477.10 करोड़ की शेष राशि वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले तीन साल से अधिक नहीं की अवधि में शेरधारकों के खाते से ली जाएगी। निगम ने अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है।
- घ. नोट नं. 23 से संबंधित - वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय से संबंधित पार खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि शेरधारकों के खाते से वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होने वाली तीन से अधिक नहीं की समान वार्षिक किस्तों में भरी जाएगी। निगम ने अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है।
- ड. नोट नं. 26 से संबंधित - निगम ने गैर-भागीदारी पॉलिसीधारक खाते से शेरधारकों के खाते में उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन की अभिवृद्धि से संबंधित राशि के हस्तांतरण के संबंध में सितंबर, 2022 में अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया था और तदनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 27,240.75 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹ 29,518.75 करोड़ (शुद्ध कर) हस्तांतरित किया गया, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही से संबंधित ₹ 4,542.31 करोड़ की राशि शामिल थी।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

### प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

5. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में नीचे दिए गए मामले को निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया
<p><b>निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन (31.03.2024: ₹ 49,75,514.19 करोड़)</b></p> <p>(वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8, 8ए और 8बी देखें। लेखा नीति के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 15ए(ए)6 देखें।)</p> <p>निगम के निवेश पोर्टफोलियो को संबद्ध और गैर-संबद्ध में विभाजित किया गया है। निवेश पोर्टफोलियो निगम की कुल संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।</p> <p>जैसा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ("IRDAI") द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश विनियम, 2016) (निवेश विनियम) और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होने चाहिए। साथ ही, सभी निवेशों का मूल्यांकन निवेश विनियमों में निर्धारित अनुसार किया जाना चाहिए जो निवेश के प्रत्येक वर्ग के लिए अपनाई जाने वाली मूल्यांकन पद्धति को निर्धारित करते हैं।</p>	<p>हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन/हानि को सुनिश्चित करने के लिए निगम की प्रक्रिया और प्रक्रियाओं और परीक्षण नियंत्रणों को समझा।</li> <li>नमूना आधार पर निवेशों की जांच की गई रिकॉर्डिंग और निवेशों का सत्यापित वर्गीकरण और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश विनियमों और नीतियों का अनुपालन</li> <li>प्रतिभूतियों का मूल्यांकन यह जांचने के लिए कि क्या यह निवेश विनियमों और निगम की लेखा नीतियों के अनुसार है।</li> </ul>

- b) Note No. 21 regarding, total additional contribution of ₹ 11,959.52 crore towards increase in family pension due to amendment in LIC (Employees) Pension Rules 1995, out of which, the Corporation had already provided an amount of ₹ 2,679.15 crore during the quarter ended September 30, 2023. Pursuant to the approval received by the Corporation during the quarter ended December 31, 2023, the remaining liability of ₹ 9,280.37 crore is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹ 464.02 crore per quarter. Accordingly, an amount of ₹ 464.02 crore has been charged to Revenue Account for the quarter ended March 31, 2024. The balance amount of ₹ 8,352.33 crore shall be amortised over the subsequent quarters upto Q2 of the FY 2028-29.
- c) Note No. 22 regarding additional pension liability due to wage revision to employees of the Corporation amounting to ₹ 6,306.29 crore. Out of this, ₹ 829.19 crore has been recognized in the FY 2023-2024 in the respective segments and balance amount of ₹ 5,477.10 crore pertaining to Par segment shall be charged to the Shareholders account over a period of not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. The Corporation has obtained the requisite approval.
- d) Note No. 23 regarding an amount of ₹ 7,230.09 crore in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 shall be replenished from Shareholders' account in equal annual instalments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. The Corporation has obtained the requisite approval.
- e) Note No. 26 regarding the change in accounting policy in September, 2022 with respect to transfer of amount pertaining to the accretion of the available solvency margin from Non-Participating Policyholders account to Shareholders account and resultant transfer of total amount of ₹ 29,518.75 crore (net of tax) in the FY 2023-24 compared to ₹ 27,240.75 crore in the FY 2022-23, which included an amount of ₹ 4,542.31 crore pertaining to the quarter ended March 31, 2022.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

#### Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matter below to be the key audit matter to be communicated in our report.

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
<p><b>Classification and Valuation of Investments (31.03.2024: ₹ 49,75,514.19 crore)</b></p> <p>(Refer Schedule 8, 8A and 8B of the financial statements. Refer schedule 15A(A)6 to the financial statements for accounting policy.)</p> <p>The Corporation's investment portfolio is bifurcated into linked and non-linked. The investment portfolio forms significant portion of the total assets of the Corporation.</p> <p>As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments should be in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment Regulations, 2016) (the "Investment Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Corporation.</p>	<p>We have carried out the following key audit procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Understood the Corporation's process and procedures and tested controls to ensure proper classification and valuation/ impairment of investments.</li> <li>Tested recording of investments on sample basis and verified classification of investments and compliance with Investment Regulations and policies approved by Board of Directors of the Corporation.</li> <li>Assessed valuation of securities to examine whether the same is in accordance with the Investment Regulations and Corporation's accounting policies.</li> </ul>

### प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

गैर-सूचीबद्ध या सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, ऐतिहासिक लागत पर कमी/नुकसान के प्रावधान को कम करके मापा जाता है, जिसमें प्रबंधन निर्णय और अनुमान शामिल होता है।

इसके अलावा, निवेशिती कंपनी की रेटिंग के पुनर्मूल्यांकन के कारण, निवेश विनियमों और/या निगम की आंतरिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए निवेश के पुनर्वर्गीकरण और इसके मूल्यांकन/हानि पर परिणामी प्रभाव की आवश्यकता हो सकती है।

इसलिए, निवेशों का मूल्यांकन उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिन पर हमारे महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता थी और वित्तीय विवरणों में निवेश के कुल मूल्य की भौतिकता के कारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक था।

### उचित अवधि में राजस्व मान्यता के समय की उपयुक्तता

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का राजस्व खाता देखें।

वर्ष के दौरान, निगम ने ₹ 4,75,069.58 करोड़ के शुद्ध प्रीमियम राजस्व को मान्यता दी है।

वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (बैलेंस शीटडेट पर कट-ऑफ सहित) के दौरान राजस्व की महत्वपूर्ण केंद्रीकरण के कारण हमने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। उद्योग की प्रकृति के कारण, राजस्व बैलेंस शीट की तारीख की ओर झुका हुआ है। इसलिए, संभावना है कि अगले वित्तीय वर्ष की पॉलिसी बिक्री का लेखा वर्तमान अवधि में किया जाए।

### हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

- परीक्षण की गई हानि/प्रतिभूतियों का प्रावधान (रिवर्सल सहित), जो देखा गया है और निवेश विनियमों और निगम की हानि नीतियों के अनुसार हैं।
- गैर-सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, हमने निगम की मूल्यांकन पद्धति और मान्यताओं का मूल्यांकन किया और इन्हें निवेश विनियमों और निगम की आंतरिक नीतियों के साथ पुष्टि की, जिसमें हानि से संबंधित भी शामिल हैं।
- निवेशिती कंपनी की रेटिंग में किसी भी बदलाव के लिए, हमने निवेश विनियमों के साथ निगम के मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए निगम की आंतरिक नीतियों की जांच की।
- हमने निवेश पर उपलब्ध समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अध्ययन किया है।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकित नहीं किया गया था।

### हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- राजस्व की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा और मूल्यांकन किया।
- प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि राजस्व सही लेखा अवधि में अर्जित है या नहीं।
- वर्ष के अंत में नीतियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया गया ताकि पुष्टि की जा सके कि नीति की शर्तों की स्वीकार्यता के संबंध में संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन वर्ष के अंत से पहले पूरा किया गया था ताकि राजस्व का उचित लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जहां तुलन पत्र (बैलेंस शीट) से पहले जोखिम शुरू हुआ था लेकिन राजस्व को मान्यता नहीं दी गई थी, नमूना आधार पर बिना आवंटित प्रीमियम / प्रस्ताव जमा / प्रीमियम जमा पर परीक्षण किया गया।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जो यह बताता हो कि राजस्व की पहचान सही अवधि में नहीं की गई है।

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
<p>Also, all investments should be valued as prescribed in the Investment Regulations which prescribe the valuation methodology to be adopted for each class of investments.</p> <p>The unlisted or other than actively traded investments are measured at historical cost less provision for diminution/impairment, which involves management judgement and estimate.</p> <p>Further, due to the reassessment of the investee company's rating, there could be a need for reclassification of investment and consequent impact on its valuation / impairment keeping in view the Investment Regulations and/ or Corporation's internal policies.</p> <p>Hence, the valuation of investments was considered to be one of the areas which required our significant attention and was one of the key audit matters due to the materiality of total value of investments to the financial statements.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tested impairment/provision of securities (including reversal), which have been observed and are in accordance with the Investment Regulations and Corporation's impairment policies.</li> <li>• In respect of unlisted and other than actively traded investments, we evaluated the Corporation's valuation methodology and assumptions and corroborated these with Investment Regulations and Corporation's internal policies including those related to impairment.</li> <li>• For any changes in ratings of the investee company, we examined the Corporation's assessment with the Investment Regulations and Corporation's internal policies for reclassification and valuation.</li> <li>• We have perused the available concurrent audit reports on investments.</li> </ul> <p>Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which indicates that the investments were not properly classified or valued.</p>
<p><b>Appropriateness of the Timing of Revenue Recognition in the proper period</b></p> <p>Refer Revenue Account of the standalone financial statements.</p> <p>During the year, the Corporation has recognised net premium income of ₹ 4,75,069.58 crore.</p> <p>We have focused on this area because of the significant concentration of revenue during the last quarter of financial year (including cut-off at the Balance sheet date). Due to the nature of the industry, revenue is skewed towards the balance sheet date. Hence, there is possibility that policy sales of the next financial year are accounted in the current period.</p>	<p><b>Our procedures included the following:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Understood and evaluated the design and operating effectiveness of process and controls relating to recognition of revenue.</li> <li>• Testing of key controls for ensuring that the revenue has been accrued in the correct accounting period.</li> <li>• Tested on a sample basis the policies at the year end to confirm if related procedural compliances with regard to acceptability of the terms of policy were completed before the year end to ensure appropriate accounting of revenue.</li> <li>• Tested on a sample basis unallocated premium / proposal deposit/ premium deposit to ensure that there were no policies where risk commenced prior to balance sheet but revenue was not recognised.</li> </ul> <p>Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which indicates that the revenue recognition is not accounted in the correct period.</p>

## प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

### आयकर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताएं

वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 15(ए) के नोट बी(1) का संदर्भ लें। निगम को आयकर से संबंधित मामलों के संबंध में कर अधिकारियों से विभिन्न मांग नोटिस (ज्यादातर उद्योग विशिष्ट) प्राप्त हुए हैं।

उक्त मामले मुख्य रूप से भौतिक राशियों से संबंधित हैं जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं।

प्रबंधन ने अपने विशेषज्ञ की मदद से, आवश्यकतानुसार, एक दायित्व उत्पन्न होने की संभावना से संबंधित निर्णय लिया है और क्या किसी प्रावधान को पहचानने या आकस्मिक दायित्व का खुलासा करने की आवश्यकता है।

हमने इस क्षेत्र पर अनिश्चितता, मूल्यांकन के लिए प्रबंधन के निर्णय के उपयोग और वित्तीय विवरणों पर संभावित सामग्री प्रभाव के परिणामस्वरूप ध्यान केंद्रित किया।

## हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

### हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- कर मुकदमों के निर्धारण के लिए प्रबंधन की प्रक्रिया और नियंत्रण को समझा और उसका उचित हिसाब-किताब और प्रकटीकरण किया।
- निगम के कानूनी सलाहकार और इन-हाउस टैक्स विशेषज्ञों के साथ लंबित मामलों पर चर्चा की।
- कर मामलों की वर्तमान स्थिति की समझ हासिल करने के लिए प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन किया और यह स्थापित करने के लिए विवादों की निगरानी कि कर प्रावधान नवीनतम बाहरी विकास को दर्शाते हैं।

किए गए कार्य के आधार पर, आयकर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने 31 मार्च, 2024 को आकस्मिक देनदारियों के प्रावधान और प्रकटीकरण की सीमा को उचित होने के लिए निर्धारित किया।

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी जब वह उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत कथन है, तो हम इस मामले को संबंधित प्रशासन को अवगत करवाएंगे।

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और संबंधित प्रशासन की जिम्मेदारी है

7. निगम का निदेशक मंडल एलआईसी अधिनियम संशोधित, के प्रावधानों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार राजस्व खाता, लाभ और हानि खाता और निगम का प्राप्ति और भुगतान खाता, जैसा कि संशोधित है, बीमा अधिनियम, संशोधित रूप में आईआरडीए अधिनियम के साथ पठित, इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियम, आदेश/निर्देश और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 जिस सीमा तक आवश्यक और लागू हों में निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल है के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि वे बैलेंस शीट का सही और निष्पक्ष रूप दे सकें।

इस उत्तरदायित्व में संशोधित एलआईसी अधिनियम, संशोधित बीमा अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; आईआरडीए अधिनियम; निगम की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए आई आरडीए आई द्वारा जारी किए गए विनियम और आदेश / परिपत्र; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत निवरण से मुक्त होते हैं।

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
<p><b>Contingencies relating to certain matters pertaining to Income Tax</b></p> <p>Refer note no. B(1) of schedule 15A to the financial statements.</p> <p>The Corporation has received various demand notices (mostly industry specific) from the tax authorities in respect of matters relating to Income Tax.</p> <p>The said matters mainly involving material amounts are pending before Supreme Court and High Courts.</p> <p>The management with the help of its expert, as needed, have made judgments relating to the likelihood of an obligation arising and whether there is a need to recognise a provision or disclose a contingent liability. We focused on this area as a result of uncertainty, use of management's judgement for assessment and potential material impact on the financial statements.</p>	<p><b>Our procedures included the following:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Understood Management's process and control for determining tax litigations and its appropriate accounting and disclosure.</li> <li>Discussed pending matters with the Corporation's legal counsel and in-house tax experts.</li> <li>Assessed management's conclusions to gain an understanding of the current status of the tax cases and monitoring of changes in disputes to establish that the tax provisions reflect the latest external developments.</li> </ul> <p>Based on the work performed, in view of the contingencies relating to certain matters pertaining to Income Tax, we determined the extent of provisioning and disclosure of contingent liabilities as at March 31, 2024 to be reasonable.</p>

#### Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Corporation's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we will communicate the matter to those charged with governance.

#### Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for Standalone Financial Statements

7. The Corporation's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these Standalone Financial Statements in terms of the requirements of the LIC Act, as amended, so that they give a true and fair view of the balance sheet, the revenue account, the profit and loss account and the receipts and payments account of the Corporation, in accordance with accounting principles generally accepted in India including the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act, as amended read with the IRDA Act, the Regulations, order/ directions issued by the IRDAI in this regard and in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 to the extent applicable and in the manner so required.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act, as amended; IRDA Act; Regulations and orders / circulars issued by the IRDA for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की निगम की क्षमता का आकलन प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद कर दें, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निगम के निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां।

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसे के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।
9. एसे के अनुसार लेखा परीक्षा (ऑडिट) के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:
  - i. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिमों से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
  - ii. परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के प्रति समझ पैदा करें।
  - iii. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
  - iv. लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण निगम निरंतर जारी रहना बंद कर सकता है।
  - v. प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
  - vi. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए मंडलों/शाखाओं/इकाइयों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल मंडलों/शाखाओं/इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य मंडलों/शाखाओं/इकाइयों के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।
10. हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में प्रत्येक वे महत्वपूर्ण कमियां भी आती शामिल हैं जिनका हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पता लगाते हैं।
11. हम शासन के प्रभारी लोगों को भी इस आशय का विवरण प्रदान करते हैं हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जिन्हें हमारे स्वतंत्रता संबंधी सुरक्षा उपायों, जहाँ भी आवश्यक हो, के लिए उचित माना जा सकता है।

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Corporation's Board of Directors are also responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

### **Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements.**

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.
9. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
  - i. Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
  - ii. Obtain an understanding of the internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
  - iii. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
  - iv. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Corporation to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Corporation to cease to Continue as a going concern.
  - v. Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
  - vi. Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the departments/ units of Central office to express an opinion on the standalone financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of departments/ units of Central office included in the standalone financial statements of which we are the independent auditors. For the zones/ divisions/ branches/ units included in the standalone financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.
10. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.
11. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

12. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को हमें रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हमें यह लगे कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

### अन्य मामले

13. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन निगम के नियुक्त बीमांकक (नियुक्त बीमांकक) की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन 31 मार्च, 2024 तक देयता मौजूद है, के लिए इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई/ प्राधिकरण) और भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा प्राधिकरण के साथ सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि लागू जीवन पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाई जा सके जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता मौजूद है, जैसा कि निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों / सूचनाओं में निहित है।
14. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 3 विदेशी शाखाओं (यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस और फिजी) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण/जानकारी ₹ 5,062.41 करोड़ की कुल संपत्ति, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष तक, ₹ 730.15 करोड़ का कुल राजस्व और शुद्ध हानि ₹ 5.16 करोड़ दर्शाती है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन 3 विदेशी शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
15. हमने निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 8 क्षेत्रीय कार्यालय, पेंशन और समूह योजनाओं (पी एंड जीएस) की 78 इकाइयों सहित 113 मंडल कार्यालयों (डीओ) के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना का लेखा-जोखा किया गया है। मंडल/शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह संभागों/शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे संभागीय/शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में कुल संपत्ति और कुल राजस्व की जानकारी अलग से संकलित नहीं की जाती है क्योंकि मंडलों को प्रत्येक शाखा का केवल ट्रायल शेष प्राप्त होता है जिसे मंडल स्तर पर और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर समेकित किया जाता है। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

16. विनियमों के अनुसार, हमने विनियमों की अनुसूची सी के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों को प्रमाणित करते हुए 27 मई, 2024 को एक अलग प्रमाण पत्र जारी किया है।
17. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2024 तक मौजूद है, निगम के नियुक्त बीमांकक ('नियुक्त बीमांकक') का उत्तरदायित्व है। नियुक्त बीमांकक ने देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन और लागू जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के संबंध में विधिवत प्रमाणित किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2024 तक मौजूद है और उनकी राय में इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकक के प्रमाणपत्र पर देनदारियों के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाने के लिए और जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के लिए भरोसा किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन निगम के वित्तीय विवरणों में देयता मौजूद है।

12. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

#### Other Matters

13. The actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2024 has been duly certified by the Appointed Actuary and in his opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"/ "Authority") and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Authority. We have relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists, as contained in the standalone financial statements/ information of the Corporation.
14. The audited financial statements/ information of the 3 foreign branches (United Kingdom, Mauritius and Fiji) included in the Standalone Financial Results and used for preparation of consolidated financial results reflect total assets of ₹ 5,062.41 crores as at March 31, 2024 total revenue of ₹ 730.15 crores and net loss of ₹ 5.16 crores for the year ended March 31, 2024. Our opinion on the consolidated financial results, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these 3 foreign branches is based solely on report of such other auditors.
15. We did not audit the financial statements / information of 8 Zonal Offices, 113 Divisional Offices (DO) (including branches there under) and 78 units of Pension & Group Schemes (P&GS) included in the Standalone Financial Results of the Corporation, whose audited financial statements / information, have been audited by the zonal/ divisional auditors, whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of zones/ divisions / branches, is based solely on the report of such zonal/ divisional auditors.

The information of total assets and total revenue in respect of the branches are not separately compiled as the divisions receive only trial balances of each branch, which are consolidated at division level and thereafter at zonal level.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

#### Report on other legal and regulatory requirements.

16. As required by the Regulations, we have issued a separate certificate dated May 27, 2024 certifying the matters specified in paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the Regulations.
17. The Actuarial Valuation of liabilities for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2024 is the responsibility of the Corporation's appointed actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2024 and in his opinion the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Insurance Regulatory and Development Authority of India. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists in the financial statements of the Corporation.

18. इसके साथ-साथ, उपरोक्त पैराग्राफ 16 में संदर्भित प्रमाण पत्र में हमारी टिप्पणियों के लिए, जैसा कि आईआरडीए विनियमों के विनियम 3 की अनुसूची सी के तहत आवश्यक है और एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 25 बी की उप धारा (3) के तहत भी आवश्यक है, हम इसकी रिपोर्ट करते हैं कि;
- i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।
  - ii. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
  - iii. हमारी राय में मण्डल कार्यालयों और शाखाओं की उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं और उन्हें लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाया गया है;
  - iv. इस रिपोर्ट द्वारा दिये गए तुलन पत्र, राजस्व खाते, लाभ और हानि खाता और प्राप्तियां और भुगतान खाता, लेखा पुस्तकों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
  - v. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, विनियमों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है;
  - vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां उपयुक्त हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लागू लेखा मानकों के अनुपालन में हैं, उस सीमा तक जहाँ तक आईआरडीए विनियमों में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों और द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों / इस संबंध में आईआरडीए परिपत्रों के साथ ये असंगत नहीं हैं।
  - vii. एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 4ए के खंड (i) के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।
  - viii. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है;
  - ix. निगम के पास वित्तीय विवरणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय के लिए हमारी अलग रिपोर्ट अनुलग्नक ए के रूप में देखें।
  - x. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
    - क) निगम ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है।
    - ख) निगम ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत 31 मार्च, 2024 तक डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान के लिए प्रावधान किया है।
    - ग) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निगम द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।
    - घ) i. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में टिप्पणियों में प्रकट किए गए के अलावा, निगम द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निगम (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा (वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 16सी(21) देखें);
    - ii. प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, निगम द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (“वित्तपोषण पक्ष”) भी शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, तथा यह सहमति है कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, निगम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पक्ष (“अंतिम लाभार्थी”) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार की कोई चीज प्रदान करेगा; तथा

18. Further, to our comments in the Certificate referred to in paragraph 16 above, as required under the Schedule C of Regulation 3 of IRDA Regulations and also as required under sub section (3) of Section 25B to the LIC Act (as amended) we report that;
- i. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
  - ii. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account as required by law have been maintained by the Corporation so far as it appears from our examination of those books;
  - iii. In our opinion proper returns of zones/ divisional offices and branches have been received and found them adequate for the purpose of audit;
  - iv. The Balance sheet, Revenue account, Profit and Loss account and the Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
  - v. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, Regulations and orders / directions issued by IRDA in this behalf;
  - vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent not inconsistent with the accounting principles prescribed in the IRDA Regulations and orders / directions / circulars issued by IRDA in this regard.
  - vii. No directors are disqualified as per clause (i) of section 4A of the LIC Act (as amended).
  - viii. There are no qualification or adverse remarks relating to maintenance of accounts and matters connected therewith;
  - ix. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in “**Annexure A**”.
  - x. With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
    - a) The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements.
    - b) The Corporation has made provision as at March 31, 2024, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts.
    - c) There are no amounts which are required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation for the year ended March 31, 2024.
    - d)
      - i. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Corporation to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (“Intermediaries”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Corporation (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries (Refer Schedule 16C(21) to the financial statements);
      - ii. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Corporation from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Corporation shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

iii. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (घ)(i.) और (ii.) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।

ड) पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष के दौरान निगम द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है। जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 15 (सी) नोट संख्या 35 में कहा गया है, निगम के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।

च) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता बही बनाए रखने के लिए है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो 1 अप्रैल, 2023 से निगम पर लागू है।

हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, निगम ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की सुविधा है और संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है, सिवाय इसके कि:

i) DB सर्वर सहित सभी eFeap सर्वर प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट (PAM) के अंतर्गत आते हैं। PAM सिस्टम में निष्पादित सभी कमांड के लॉग कैप्चर और रिकॉर्ड किए जाते हैं। साथ ही डेटाबेस ट्रांजेक्शन लॉग mySQLbinlog के रूप में उपलब्ध है। हालाँकि, प्रदर्शन और स्थान संबंधी समस्याओं के कारण डेटाबेस में ऑडिट ट्रांजेक्शन लॉग सक्षम नहीं है, लेकिन eFeap के ट्रांजेक्शन स्तर के लॉग को संबंधित मॉड्यूल टेबल (इतिहास तालिका) से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही डेटाबेस ट्रांजेक्शन लॉग mySQLbinlog के रूप में उपलब्ध है।

ii) ePGS के मामले में, प्रदर्शन और स्थान की कमी के कारण डेटाबेस में ऑडिट ट्रांजेक्शन लॉग सक्षम नहीं है। हालाँकि, ऑडिट के लिए आवश्यक डेटा संबंधित मॉड्यूल की हिस्ट्री टेबल में बनाए रखा जाता है। इसके अलावा ऑडिट डेटा को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लॉग, सर्वर लॉग, LB लॉग भी कैप्चर किए जाते हैं। ePGS के ट्रांजेक्शन लेवल लॉग संबंधित मॉड्यूल टेबल से प्राप्त किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

19. निगम ने अधिनियम की धारा 197 और बीमा अधिनियम की धारा 34ए के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रावधान किया है।

मेसर्स बटलीबॉय एण्ड पुरोहित  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
क.प.सं.: 101048W

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए पराग हंगेकर  
सदस्यता संख्या: 110096

सीए विनीत सक्सेना  
सदस्यता संख्या: 100770

स्थान: मुंबई  
दिनांक: मई 27, 2024  
UDIN: 24110096BKCXHP6316

स्थान: मुंबई  
दिनांक: मई 27, 2024  
UDIN: 24100770BKCOSK8600

- iii. Based on such audit procedures that we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (d) (i) and (ii) above contain any material misstatement.
- e) The final dividend paid by the Corporation during the year in respect of the same declared for the previous year is in accordance with section 123 of the Companies Act 2013 to the extent it applies to payment of dividend. As stated in Schedule 15(C) Note No. 35 to the Standalone financial statements, the Board of Directors of the Corporation have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The dividend declared is in accordance with section 123 of the Act to the extent it applies to declaration of dividend.
- f) Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Corporation with effect from April 1, 2023.

Based on our examination which included test checks, the Corporation has used accounting software for maintaining its books of account, which have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same have operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software except that:

- i) All eFeap servers including DB servers are under Privilege Access Management (PAM). In PAM system logs of all commands executed are captured and recorded. Also database transaction log is available as mySQLbinlog. However, audit transaction log in Database is not enabled due to performance and space issues, but transaction level logs of eFeap can be derived from the relevant module tables (history tables). Also database transaction log is available as mySQLbinlog.
- ii) In case of ePGS, audit transaction log in Database is not enabled due to performance and space constraints. However, data required for audit is maintained in the history table of the respective module. In addition to this the application log, server log, LB logs are also captured to augment the audit data. Transaction level logs of ePGS can be derived from respective module tables.

Further, during the course of our audit, we did not come across any instances of audit trail feature being tampered with.

As proviso to rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 1, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of the Audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024.

- 19. The Corporation has paid/ provided for managerial remuneration in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of Section 197 of the Act and Section 34A of the Insurance Act.

**M/s. Batliboi and Purohit**

Chartered Accountants  
FRN: 101048W

CA Parag Hangekar  
Membership No.: 110096

Place: Mumbai  
Date: May 27, 2024  
UDIN: 24110096BKCXHP6316

**Chokshi & Chokshi LLP**

Chartered Accountants  
FRN: 101872W/W100045

CA Vineet Saxena  
Membership No.: 100770

Place: Mumbai  
Date: May 27, 2024  
UDIN: 24100770BKCOSK8600

## अनुलग्नक – ए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों को आज दिनांक को भेजी गई हमारी रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 18(ix) में संदर्भित

**एलआईसी अधिनियम 1956 (संशोधित) की धारा 25बी की उप धारा (3) के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन**

हमने 31 मार्च 2024 तक, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

निगम का प्रबंधन संस्थान (‘ICAI’) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें निगम की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और एलआईसी अधिनियम, 1956 (संशोधित) के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (‘‘मार्गदर्शन नोट’’) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षा पर मानक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे जाने के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और, दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, निगम की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और निगम की प्राप्ति और व्यय केवल प्रबंधन और निगम के निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) निगम की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

## Annexure A to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 18(ix) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Life Insurance Corporation of India of even date)

### Report on the internal financial controls with reference to the aforesaid standalone Financial Statements under Clause (i) of sub-section (3) of Section 25(B) to the LIC Act, 1956 (as amended)

In conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Life Insurance Corporation of India (hereinafter referred to as "the Corporation") as of and for the year ended March 31, 2024, we have audited the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements of the Corporation as of March 31, 2024.

#### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the LIC Act, 1956 (as amended).

#### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation internal financial controls with reference to standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to standalone financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to standalone financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporation internal financial controls system with reference to standalone financial statements.

#### Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

The Corporation's internal financial control with reference to standalone financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with authorizations of Management and directors of the corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the corporation's assets that could have a material effect on the financial statements.

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

### राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

मेसर्स बटलीबॉय एण्ड पुरोहित  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
क.प.सं.: 101048W

सीए पराग हंगेकर  
सदस्यता संख्या: 110096

स्थान: मुंबई  
दिनांक: मई 27, 2024  
UDIN: 24110096BKXHP6316

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए विनीत सक्सेना  
सदस्यता संख्या: 100770

स्थान: मुंबई  
दिनांक: मई 27, 2024  
UDIN: 24100770BKCOSK8600

### Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper Management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to standalone financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### Opinion

In our opinion and to the best of our information & according to the explanations give to us, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial control with reference to standalone financial statements and such internal financial controls with reference to standalone financial statements were operating effectively as at March 31, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

#### **M/s. Batliboi and Purohit**

Chartered Accountants  
FRN: 101048W

CA Parag Hangekar  
Membership No.: 110096

Place: Mumbai  
UDIN: 24110096BKCXHP6316

#### **Chokshi & Chokshi LLP**

Chartered Accountants  
FRN: 101872W/W100045

CA Vineet Saxena  
Membership No.: 100770

Place: Mumbai  
UDIN: 24100770BKCOSK8600

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

(अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 27 मई 2024 की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के भाग अन्य स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद 16 में संदर्भित)

### भारतीय जीवन बीमा निगम

- 1 यह प्रमाण पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम (“निगम”) के साथ हमारे अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया जाता है, जिसमें हमें बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षक रिपोर्ट) विनियम 2002, (“विनियम”) की अनुसूची सी के पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों एवं विनियमों का विनियमन 3 सहित के अनुपालन के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

### प्रबंधन की जिम्मेदारी

- 2 निम्नलिखित के पालन करने का उत्तरदायित्व निगम के सदस्य मंडल का है।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधान, बीमा अधिनियम, 1938 जैसा की बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2015 (“अधिनियम”) द्वारा संशोधित; बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999; बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 (“विनियम”) और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (“आईआरडीएआई”) द्वारा जारी किए गए आदेश / परिपत्र जिसमें प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक, लागू सीमा तक, जिसमें खाते की पुस्तकों और प्रबंधन रिपोर्ट की तैयारी और रखरखाव शामिल है। इसमें उपरोक्त के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त डेटा एकत्र करना, एकत्र करना और मान्य करना और आंतरिक नियंत्रणों को डिजाइन करना, लागू करना और निगरानी करना शामिल है।

### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

- 3 आवश्यकताओं के अनुसार, उचित आश्वासन होने तथा अपनी लेखापरीक्षा और पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर यह राय बनाने के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि क्या निगम ने विनियमों के विनियमन 3 के साथ अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसूची सी में शामिल मामलों का अनुपालन किया है।
- 4 हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिए निगम के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की, जिस पर हमने 27 मई 2024 को अपनी रिपोर्ट के अनुसार एक असंशोधित लेखापरीक्षा राय जारी की। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों एवं अन्य प्रयोजनीय लागू आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार आयोजित कि गई थी। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते और इसे निष्पादित करते हुए इस बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय विवरण मूर्त गलत विवरणों से मुक्त हैं। हमारी लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन किसी भी लेनदेन के संबंध में उन मामलों की जिसके किसी तीसरे पक्ष का संभावित हित हो सकता है, की पहचान करने के लिये नहीं हैं।
- 5 हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा विशेष प्रयोजनों के लिए जारी किए गए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और प्रमाण पत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार आयोजित की हैं। मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम स्वतंत्र आधार पर और आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की अन्य नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें।
- 6 हमने गुणवत्ता नियंत्रण (“एसक्यूसी”) 1, ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं की सहभागिताओं का अंकेक्षण और समीक्षा करने वाली फर्मों के लिये गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

### राय

- 7 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बनाए गए खाते और अन्य अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुरूप तथा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि:  
क) हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से जुड़ी प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है, और हमारी समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के बीच कोई स्पष्ट त्रुटियाँ या महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं हैं;

## Independent Auditor's Certificate

(Referred to in paragraph 16 under "Report on other Legal and Regulatory Requirements" forming part of our Independent Auditors' Report dated May 27, 2024)

To,  
**Life Insurance Corporation of India**

1. This certificate is issued in accordance with the terms of our engagement letter with Life Insurance Corporation of India (the "Corporation"). This certificate is issued to comply with the provisions of paragraphs 3 and 4 of Schedule C of Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations 2002, (the "Regulations"), read with regulation 3 of the Regulations.

### Management's Responsibility

2. The Corporation's Board of Directors is responsible for complying with the provisions of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (as amended), Insurance Act, 1938 (as amended); the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999; the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of insurance Companies) Regulations, 2002 ("the Regulations") and orders/directions/circulars issued by Insurance Regulatory and Development Authority India ("IRDAI"), including the accounting standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent applicable which includes the preparation and maintenance of books of account and the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of internal controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

### Auditor's Responsibilities

3. Pursuant to the requirements of Regulations, it is our responsibility to obtain reasonable assurance and form an opinion based on our audit and examination of books and records as to whether the Corporation has complied with the matters contained in 3 and 4 Schedule C of the Regulations read with regulation 3 of the Regulations.
4. We audited financial statements of the Corporation as of and financial year ended March 31, 2024 on which we issued an unmodified audit opinion vide our report dated May 27, 2024. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audits were not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.
5. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the 'ICAI'). The Guidance Note requires that we comply with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics issued by ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control ('SQC') 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information and Other Assurance and Related Services engagements.

### Opinion

7. In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of account and other records maintained by Life Insurance Corporation of India, for the year ended March 31, 2024, we certify that:
  - a. We have reviewed the Management Report attached to the financial statements for the year ended March 31, 2024, and on the basis of our review, there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the Management Report and the standalone financial statements;

- ख) निगम के अधिकारियों द्वारा बोर्ड के सदस्यों को प्रस्तुत किए गए प्रबंधन अभ्यावेदन और अनुपालन प्रमाण पत्र के आधार पर, और बोर्ड द्वारा नोट किए जाने के आधार पर, ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं आया जो हमें विश्वास दिलाए कि निगम ने आईआरडीए द्वारा निर्धारित पंजीकरण की शर्तें और नियम, का अनुपालन नहीं किया गया है
- ग) हमने, स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 15 ए के सी (18) के अतिरिक्त, मामले की आवश्यकताओं के अनुरूप, वास्तविक निरीक्षण द्वारा या कस्टोडियन और / या डिपॉजिट प्रतिभागियों द्वारा, प्राप्त प्रमाण पत्रों / पुष्टियों के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक के निगम के ऋणों और निवेशों से संबंधित आवश्यक सीमा तक नकद शेष राशि और प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है।
- घ) निगम किसी भी ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य नहीं करता है; तथा
- च) अंतिम व्यावसायिक दिवस पर प्राप्त आवेदनों के मामले में लागू एनएवी आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016 के अनुसार दिए गए हैं
- छ) पॉलिसीधारकों की निधि का कोई भी हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमा अधिनियम 1938, जो की बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के द्वारा संशोधित है, का उल्लंघन करके निवेश नहीं किया गया है।

मेसर्स बटलीबॉय एण्ड पुरोहित  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
क.प.सं.: 101048W

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए पराग हंगेकर  
सदस्यता संख्या: 110096

सीए विनीत सक्सेना  
सदस्यता संख्या: 100770

स्थान: मुंबई  
दिनांक: मई 27, 2024  
UDIN: 24110096BKCXHP6316

स्थान: मुंबई  
दिनांक: मई 27, 2024  
UDIN: 24100770BKCOSK8600

- b. Based on management representations and compliance certificates submitted to the Board of Directors by the officers of the Corporation charged with compliance and the same being noted by the Board, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Corporation has not complied with the terms and conditions of registration stipulated by IRDA.
- c. We have verified the cash balances, to the extent considered necessary, and securities relating to the Corporation's loans and investments as at March 31, 2024, by actual inspection or on the basis of certificates/confirmations received from the Custodian and/or Depository Participants the Corporation, as the case may be except as stated in note no. C(18) of schedule 15A of the standalone financial statements.
- d. The Corporation does not act as a trustee of any trust, and
- e. The NAV applicable in case of applications received on the last business day are as indicated in IRDA (Investment) Regulations, 2016
- f. No part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention to the provisions of the Insurance Act, 1938, relating to the application and investment of the Policyholders' Fund.

**M/s. Batliboi and Purohit**

Chartered Accountants  
FRN: 101048W

CA Parag Hangekar  
Membership No.: 110096

Place: Mumbai  
Date: May 27, 2024  
UDIN: 24110096BKCXHP6316

**Chokshi & Chokshi LLP**

Chartered Accountants  
FRN: 101872W/W100045

CA Vineet Saxena  
Membership No.: 100770

Place: Mumbai  
Date: May 27, 2024  
UDIN: 24100770BKCOSK8600

फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

31 मार्च, 2024 तक का स्टैंडअलोन तुलन-पत्र  
**STANDALONE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024**

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS</b>			
शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS:			
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	5	6,325.00	6,325.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	6	75,740.08	39,492.05
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		(126.92)	(147.66)
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>81,938.16</b>	<b>45,669.39</b>
उधारी / BORROWINGS	7	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:			
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		6,92,682.11	3,48,280.34
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES		43,95,325.28	40,51,248.50
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES			
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium		393.75	162.79
अन्य / Others		14.11	14.43
बीमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES	6A	15,594.06	15,678.07
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		34,876.09	26,159.24
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>51,38,885.40</b>	<b>44,41,543.37</b>
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS		1,214.72	3,918.67
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>52,22,038.28</b>	<b>44,91,131.43</b>
<b>निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS</b>			
निवेश / INVESTMENTS			
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	63,743.97	29,363.53
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	48,76,512.40	41,89,177.76
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	35,257.82	26,309.54
ऋण / LOANS	9	1,20,258.28	1,15,562.43
अचल परिसम्पतियाँ / FIXED ASSETS	10	4,056.97	3,819.62
चालू परिसम्पतियाँ / CURRENT ASSETS			
रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष / Cash and Bank Balances	11	34,521.05	38,353.46

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	1,51,182.25	1,47,925.87
<b>उप-योग (क) / Sub-Total (A)</b>		<b>1,85,703.30</b>	<b>1,86,279.33</b>
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	13	48,551.40	44,437.72
प्रावधान / PROVISIONS	14	14,943.06	14,943.06
<b>उप-योग (ख) / Sub-Total (B)</b>		<b>63,494.46</b>	<b>59,380.78</b>
<b>शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)</b>		<b>1,22,208.84</b>	<b>1,26,898.55</b>
विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>52,22,038.28</b>	<b>44,91,131.43</b>
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	15 A (B) 1		
महत्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ Significant Accounting Policies & Notes to Accounts	15A		

उपर्युक्त अनुसूचियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहिकृत/ वर्गीकृत किया गया है।

Previous year's figure are regrouped wherever necessary

**हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार**

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

**निदेशक मंडल की ओर से**

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन तुलन पत्र

(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

**STANDALONE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024**

(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS</b>			
शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS:			
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	5	6,325.00	6,325.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	6	75,746.71	39,493.56
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		(141.81)	(157.38)
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>81,929.90</b>	<b>45,661.18</b>
उधारी / BORROWINGS	7	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:			
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		6,92,672.10	3,48,283.85
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES		43,91,176.04	40,47,245.04
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES			
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium		393.75	162.79
अन्य / Others		14.11	14.43
बीमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES	6A	14,946.48	14,947.47
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		34,800.51	26,086.07
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>51,34,002.99</b>	<b>44,36,739.65</b>
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS		1,214.72	3,918.67
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>52,17,147.61</b>	<b>44,86,319.50</b>
<b>निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS</b>			
निवेश / INVESTMENTS			
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	62,363.81	27,990.65
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	48,71,872.80	41,84,700.87
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	35,182.24	26,236.37
ऋण / LOANS	9	1,20,073.49	1,15,387.86
अचल परिसम्पतियाँ / FIXED ASSETS	10	4,035.64	3,800.06
चालू परिसम्पतियाँ / CURRENT ASSETS			

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष / Cash and Bank Balances	11	34,439.35	38,204.62
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	1,51,108.87	1,47,848.74
<b>उप-योग (क) / Sub-Total (A)</b>		<b>1,85,548.22</b>	<b>1,86,053.36</b>
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	13	46,985.53	42,906.61
प्रावधान / PROVISIONS	14	14,943.06	14,943.06
<b>उप-योग (ख) / Sub-Total (B)</b>		<b>61,928.59</b>	<b>57,849.67</b>
<b>शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख)</b>		<b>1,23,619.63</b>	<b>1,28,203.69</b>
<b>NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)</b>			
विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	-	-
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		-	-
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>52,17,147.61</b>	<b>44,86,319.50</b>

आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities 15 A (B) 1

महत्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ 15A

Significant Accounting Policies &amp; Notes to Accounts

उपर्युक्त अनुसूचियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहिकृत/ वर्गीकृत किया गया है।

Previous year's figure are regrouped wherever necessary

**हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार**

As per our report of even date

**निदेशक मंडल की ओर से**

On behalf of the Board

बाटलीबाँय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

31 मार्च, 2024 तक का स्टैंडअलोन तुलन-पत्र

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS</b>			
शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS:			
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	5	0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	6	(6.63)	(1.51)
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		14.89	9.72
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>8.26</b>	<b>8.21</b>
उधारी / BORROWINGS	7	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:			
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		10.01	(3.51)
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES		4,149.24	4,003.46
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES			
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium		0.00	0.00
अन्य / Others		0.00	0.00
बीमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES	6A	647.58	730.60
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		75.58	73.17
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>4,882.41</b>	<b>4,803.72</b>
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS		0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>4,890.67</b>	<b>4,811.93</b>
<b>निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS</b>			
निवेश / INVESTMENTS			
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	1,380.16	1,372.88
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	4,639.60	4,476.89
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	75.58	73.17
ऋण / LOANS	9	184.79	174.57
अचल परिसम्पतियाँ / FIXED ASSETS	10	21.33	19.56
चालू परिसम्पतियाँ / CURRENT ASSETS			
रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष / Cash and Bank Balances	11	81.70	148.84

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	73.38	77.13
<b>उप-योग (क) / Sub-Total (A)</b>		<b>155.08</b>	<b>225.97</b>
चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES	13	1,565.87	1,531.11
प्रावधान / PROVISIONS	14	0.00	0.00
<b>उप-योग (ख) / Sub-Total (B)</b>		<b>1,565.87</b>	<b>1,531.11</b>
<b>शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)</b>		<b>(1,410.79)</b>	<b>(1,305.14)</b>
विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) / MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>4,890.67</b>	<b>4,811.93</b>

आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities 15 A (B) 1

महत्वपूर्ण लेखनीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ  
Significant Accounting Policies & Notes to Accounts 15A

उपर्युक्त अनुसूचियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहित/ वर्गीकृत किया गया है।

Previous year's figure are regrouped wherever necessary

**हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार**

As per our report of even date

बाटलीबाँय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

**निदेशक मंडल की ओर से**

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

फार्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन राजस्व खाता

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

**STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024**

IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net			
(क) प्रीमियम (a) Premium	1	4,75,751.92	4,74,668.13
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded		(682.34)	(663.53)
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted		0.00	0.00
		<b>4,75,069.58</b>	<b>4,74,004.60</b>
निवेश से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		2,96,321.99	2,73,684.95
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		67,010.48	49,463.19
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(3,255.66)	(14,823.86)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*		3,867.11	(1,934.16)
अन्य आय / Other Income			
(i) वापस लिखी गई राशि / Amounts written back		7,704.63	3.96
(ii) विविध प्राप्तियां / Sundry Receipts		6,943.73	7,644.59
अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान / Contribution from Shareholder's A/c			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		12.98	9.36
(ख) अन्य (b) Others		0.00	0.00
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>		<b>8,53,674.84</b>	<b>7,88,052.63</b>
कमीशन / Commission	2	25,959.12	25,093.58
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	48,121.68	48,632.41
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges		134.38	109.48

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for doubtful debts		(1,011.48)	(1,942.01)
कराधान के लिए प्रावधान / Provisions for taxation		5,825.16	5,242.84
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		(1,940.84)	(760.21)
(ख) संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful Debentures & Bonds		32.88	(12,144.39)
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>		<b>77,120.90</b>	<b>64,231.70</b>
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net)	4	3,85,949.15	3,39,312.67
अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid		2,860.18	3,264.08
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability against life policies in force			
(क) सकल** / (a) Gross**		3,44,076.78	3,41,002.04
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)		0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		0.00	0.00
संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण Transfer to Provision for Linked Liabilities		8,716.85	2,273.41
बंद करने निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Discontinued Fund		231.42	97.49
भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय Transfer to Funds for future appropriation- Link Business		11.02	9.81
<b>कुल (ग) / TOTAL (C)</b>		<b>7,41,845.40</b>	<b>6,85,959.50</b>
<b>अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)</b>		<b>34,708.54</b>	<b>37,861.43</b>
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)		2,598.45	261.87
<b>विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION</b>		<b>37,306.99</b>	<b>38,123.30</b>
<b>विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण / Transfer to Shareholders' Account		40,021.96	36,048.87
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		0.00	0.00
भावी विनियोजन के लिए निधियों का अंतरण / Balance being Funds for Future Appropriations		(2,714.97)	2,074.43
<b>कुल (घ) / TOTAL (D)</b>		<b>37,306.99</b>	<b>38,123.30</b>

\* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

\*\* बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष

Total Surplus during the period:

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
(क) अंतरिम बोनस (a) Interim Bonus	2,860.18	3,264.08
(ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन : (b) Allocation of Bonus to Policyholders	53,090.60	49,540.01
(ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in the Revenue accounts	34,708.54	37,861.43
<b>(घ) कूल अधिशेष (क+ख+ग): (d) Total Surplus [a+b+c]</b>	<b>90,659.32</b>	<b>90,665.52</b>

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग है।

टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1 मार्केट प्लस-1 चाईल्ड फॉर्च्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सि प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, ग्रेचुटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एलआईसी का सीप/निवेश प्लस।

Previous year's figure are regrouped wherever necessary

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment plus, Samridhi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, Flexi Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus, LIC New Pension Plus and LIC Index Plus

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

आर. दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2024

फार्म ए-आर **FORM A - RA**

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन राजस्व खाता

(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)  
पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)**STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024**

IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net			
(क) प्रीमियम (a) Premium	1	4,75,275.67	4,74,263.35
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded		(680.72)	(661.89)
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted		0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>4,74,594.95</b>	<b>4,73,601.46</b>
निवेश से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		2,96,019.53	2,73,444.31
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		66,988.18	49,445.50
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(3,234.06)	(14,815.22)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*		3,913.24	(1,920.78)
(ड) अन्य आय (e) Other Income			
(i) वापस लिखी गई राशि / Amounts written back		7,704.75	3.96
(ii) विविध प्राप्तियां / Sundry Receipts		6,942.63	7,643.82
अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान / Contribution from Shareholder's A/c			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others		0.00	0.00
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>		<b>8,52,929.22</b>	<b>7,87,403.05</b>
कमीशन / Commission	2	25,933.11	25,072.38
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	48,062.61	48,583.91
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges		134.38	109.48

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for Doubtful debts		(1,011.52)	(1,941.31)
कराधान के लिए प्रावधान / Provisions for taxation		5,816.11	5,235.84
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		(1,940.84)	(760.21)
(ख) संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful Debentures & Bonds		32.85	(12,144.39)
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>		<b>77,026.70</b>	<b>64,155.70</b>
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net)	4	3,85,454.77	3,38,972.70
अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid		2,858.41	3,262.61
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability against life policies in force			
(क) सकल** / (a) Gross**		3,43,931.01	3,40,772.95
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)		0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		0.00	0.00
संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण Transfer to Provision for Linked Liabilities		8,714.44	2,275.65
बंद करने निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Discontinued Fund		231.42	97.49
भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय Transfer to Funds for future appropriation- Link Business		11.02	9.81
<b>कुल (ग) / TOTAL (C)</b>		<b>7,41,201.07</b>	<b>6,85,391.21</b>
<b>अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)</b>		<b>34,701.45</b>	<b>37,856.14</b>
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)		2,598.45	261.87
<b>विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION</b>		<b>37,299.90</b>	<b>38,118.01</b>
<b>विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण / Transfer to Shareholders' Account		40,014.87	36,043.58
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		0.00	0.00
भावी विनियोजन के लिए निधियों का अंतरण / Balance being Funds for Future Appropriations		(2,714.97)	2,074.43
<b>कुल (घ) / TOTAL (D)</b>		<b>37,299.90</b>	<b>38,118.01</b>

\* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

\*\* बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

## वर्ष के दौरान कुल अधिशेष

## Total Surplus during the period:

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For The Year Ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For The Year Ended March 31, 2023
(क) अंतरिम बोनस		
(a) Interim Bonus	2,858.41	3,262.61
(ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन :		
(b) Allocation of Bonus to Policyholders	52,955.87	49,439.56
(ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष		
(c) Surplus shown in the Revenue accounts	34,701.45	37,856.14
<b>(घ) कूल अधिशेष (क+ख+ग):</b>	<b>90,515.73</b>	<b>90,558.31</b>
<b>(d) Total Surplus [a+b+c]</b>		

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग हैं।

टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1 मार्केट प्लस-1 चाईल्ड फॉर्च्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेन्शन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, प्लेक्सी प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, ग्रेच्युटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एलआईसी का सीप/निवेश प्लस।

गतवर्ष के आकड़ों को तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समुहिकृत/ वर्गीकृत किया गया है।

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.

Previous year's figure are regrouped wherever necessary

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment plus, Samridhi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, Flexi Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus, LIC New Pension Plus and LIC Index Plus

## हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

## निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

## फार्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

### 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन राजस्व खाता

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)

## STANDALONE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

IN RESPECT OF OUT OF INDIA BUSINESS

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net			
(क) प्रीमियम	1	476.25	404.78
(a) Premium			
(ख) पुनर्बीमा अंतरण		(1.62)	(1.64)
(b) Reinsurance ceded			
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार		0.00	0.00
(c) Reinsurance accepted			
		<b>474.63</b>	<b>403.14</b>
निवेश से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल		302.46	240.64
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross			
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ		22.30	17.69
(b) Profit on sale/redemption of investments			
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि)		(21.60)	(8.64)
(c) (Loss on sale/redemption of investments)			
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*		(46.13)	(13.38)
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*			
(ड) अन्य आय			
(e) Other Income			
(i) वापस लिखी गई राशि / Amounts written back		(0.12)	0.00
(ii) विविध प्राप्तियां / Sundry Receipts		1.10	0.77
अंशधारकों के खाते से अन्य के लिए योगदान / Contribution from Shareholder's A/c			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए		12.98	9.36
(a) Towards Excess Expenses of Management			
(ख) अन्य		0.00	0.00
(b) Others			
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>		<b>745.62</b>	<b>649.58</b>
कमीशन / Commission	2	26.01	21.20
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	59.07	48.50

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges		0.00	0.00
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for doubtful debts		0.04	(0.70)
कराधान के लिए प्रावधान / Provisions for taxation		9.05	7.00
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) / Provisions (other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		0.00	0.00
(ख) संदिग्ध ऋणपत्र एवं बंधपत्र के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful Debentures & Bonds		0.03	0.00
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>		<b>94.20</b>	<b>76.00</b>
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Benefits paid (Net)	4	494.38	339.97
अदा किया गया अंतरिम बोनस / Interim Bonuses Paid		1.77	1.47
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability against life policies in force			
(क) सकल** / (a) Gross**		145.77	229.09
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)		0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		0.00	0.00
संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण Transfer to Provision for Linked Liabilities		2.41	(2.24)
बंद करने निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Discontinued Fund		0.00	0.00
भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय Transfer to Funds for future appropriation- Link Business		0.00	
<b>कुल (ग) / TOTAL (C)</b>		<b>644.33</b>	<b>568.29</b>
<b>अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग)</b>		<b>7.09</b>	<b>5.29</b>
<b>SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)</b>			
अंशधारकों के खाते से हस्तांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)		0.00	0.00
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि <b>AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION</b>		7.09	5.29
<b>विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण / Transfer to Shareholders' Account		7.09	5.29
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		0.00	0.00
भावी विनियोजन के लिए निधियों का अंतरण / Balance being Funds for Future Appropriations		0.00	0.00
<b>कुल (घ) / TOTAL (D)</b>		<b>7.09</b>	<b>5.29</b>

\* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

\*\* बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष

Total Surplus during the period:

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
(क) अंतरिम बोनस (a) Interim Bonus	1.77	1.47
(ख) पॉलिसिधारकों को बोनस का आबंटन : (b) Allocation of Bonus to Policyholders	134.73	100.45
(ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in the Revenue accounts	7.09	5.29
<b>(घ) कूल अधिशेष (क+ख+ग): (d) Total Surplus [a+b+c]</b>	<b>143.59</b>	<b>107.21</b>

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of the Revenue Account.

Previous year's figure are regrouped wherever necessary.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

## फार्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ-हानि लेखा शेयरधारकों का लेखा  
कुल व्यवसाय के संबंध में शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

### STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS

Shareholders' Account (Non-technical Account)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
पॉलिसीधारकों के लेखा (तकनीकी लेखा) से शेष को अग्रेषित : Amounts transferred from the Policyholders account (Technical Account)		40,021.96	36,048.87
निवेश से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		3,564.77	1,068.67
(ख) निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		147.82	82.71
(ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(17.96)	(3.56)
अन्य आय / Other Income		0.00	2.93
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>		<b>43,716.59</b>	<b>37,199.62</b>
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च Expense other than those directly related to the insurance business		246.28	0.40
<b>पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान</b> Contribution to Policyholders' A/c:			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		12.98	9.36
(ख) अन्य (b) Others		0.00	0.00
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad Debts Written Off		0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के खातों में हस्तांतरित राशि Amount Trf. to policy holder's account		2,598.45	261.87
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (Other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य में (शुद्ध) कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		1.57	7.76
(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए (b) Provision for doubtful debts		0.00	0.00
(ख) अन्य (c) Others		70.10	463.45
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>		<b>2,929.38</b>	<b>742.84</b>
लाभ/(हानि) कर पूर्व / Profit/(Loss) before tax		40,787.21	36,456.78
कराधान का प्रावधान / Provision for Taxation		111.42	59.39
लाभ/(हानि) कर पश्चात / Profit/(Loss) after tax		40,675.79	36,397.39

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
<b>विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the period		39,462.97	4,014.33
(ख) वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश (b) Interim dividends paid during the year		2,530.00	0.00
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Final Dividend Paid		1,897.50	948.75
(घ) लाभांश वितरण पर कर (d) Dividend distribution tax		0.00	0.00
(ङ) आरक्षितनिधि / अन्य खाते (e) Transfer to reserves/other accounts		0.00	0.00
तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ Profit carried forward to the Balance Sheet		75,711.26	39,462.97
*प्रति शेयर उपार्जन - मूल (₹) अनुसूची 15ए की टिप्पणी (सी) 24 देखें *Earning per Share- Basics (₹) refer Note (C) 24 of Schedule 15A		0.64	0.58
*प्रति शेयर उपार्जन - न्यूनीकृत (₹) अनुसूची 15ए की टिप्पणी (सी) 24 देखें *Earning per Share- Diluted (₹) refer Note (C) 24 of Schedule 15A		0.64	0.58
शेयर का अंकित मूल्य (₹) Nominal Value of Share (₹)		10.00	10.00

#### हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

#### निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

## फार्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ-हानि लेखा शेयरधारकों का लेखा

भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

## STANDALONE PROFIT &amp; LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS

Shareholders' Account (Non-technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
पॉलिसीधारकों के लेखा (तकनीकी लेखा) से शेष को अग्रेषित : Amounts transferred from the Policyholders account (Technical Account)		40,014.87	36,043.58
निवेश से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		3,561.16	1,065.00
(ख) निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		144.17	78.61
(ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(12.13)	(1.60)
अन्य आय / Other Income		0.00	2.93
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>		<b>43,708.07</b>	<b>37,188.52</b>
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च Expense other than those directly related to the insurance business		245.87	0.00
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान Contribution to Policyholders' A/c			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others		0.00	0.00
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad Debts Written Off			
पॉलिसीधारकों के खाते में हस्तांतरित राशि Amount Trf. to policy holder's account		2,598.45	261.87
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (Other than taxation)		0.00	0.00
(क) निवेश के मूल्य में शुद्ध कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		1.57	7.76
(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए (b) Provision for doubtful debts		0.00	0.00

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
(ख) अन्य (c) Others		70.10	463.45
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>		<b>2,915.99</b>	<b>733.08</b>
लाभ/हानि कर पूर्व / Profit/(Loss) before tax		40,792.08	36,455.44
कराधान का प्रावधान / Provision for Taxation		111.42	59.39
लाभ/(हानि) कर पश्चात / Profit/Loss after tax		40,680.66	36,396.05
<b>विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the period		39,465.52	4,018.22
(ख) वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश (b) Interim dividends paid during the year		2,530.00	0.00
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Final Dividend Paid		1,897.50	948.75
(घ) लाभांश वितरण पर कर (d) Dividend distribution on tax		0.00	0.00
(ङ) आरक्षितनिधि/अन्य खाते (e) Transfer to reserves/other accounts		0.00	0.00
तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ Profit carried forward to the Balance Sheet		75,718.68	39,465.52

#### हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

#### निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

## फार्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का स्टैंडअलोन लाभ-हानि लेखा शेयरधारकों का लेखा

भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में शेयरधारकों का खाता (गैर-तकनीकी खाता)

### STANDALONE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS

Shareholders' Account (Non-technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
पॉलिसीधारकों के लेखा (तकनीकी लेखा) से शेष को अग्रेषित : Amounts transferred from the Policyholders account (Technical Account)		7.09	5.29
निवेश से आय / Income from Investments			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-कुल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		3.61	3.67
(ख) निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		3.65	4.10
(ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(5.83)	(1.96)
अन्य आय / Other Income		0.00	0.00
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>		<b>8.52</b>	<b>11.10</b>
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च Expense other than those directly related to the insurance business		0.41	0.40
<b>पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान Contribution to Policyholders' A/c</b>			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		12.98	9.36
(ख) अन्य (b) Others		0.00	0.00
डूबत ऋणों का अपलेखन / Bad Debts Written Off		0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के खाते में हस्तांतरित राशि Amount Trf. to policy holder's account		0.00	0.00
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (Other than taxation)			
(क) निवेश के मूल्य में शुद्ध कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		0.00	0.00
(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए (b) Provision for doubtful debts		0.00	0.00

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
(ख) अन्य (c) Others		0.00	0.00
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>		<b>13.39</b>	9.76
लाभ/(हानि) कर पूर्व / Profit/(Loss) before tax		(4.87)	1.34
कराधान का प्रावधान / Provision for Taxation		0.00	0.00
लाभ/(हानि) कर पश्चात / Profit/(Loss) after tax		(4.87)	1.34
<b>विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the period		(2.55)	(3.89)
(ख) वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश (b) Interim dividends paid during the year		0.00	0.00
(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Final Dividend Paid		0.00	0.00
(घ) लाभांश वितरण पर कर (d) Dividend distribution on tax		0.00	0.00
(ङ) आरक्षितनिधि / अन्य खाते (e) Transfer to reserves/other accounts		0.00	0.00
तुलन-पत्र को अग्रेषित लाभ Profit carried forward to the Balance Sheet		(7.42)	(2.55)

#### हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

#### निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

स्टैंडअलोन प्राप्ति एवं भुगतान खाता 31 मार्च, 2024

## STANDALONE RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 2024

31 मार्च, 2024 को कुल व्यवसाय से संबंधित नकद प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2024  
IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह: <b>Cash Flows from the operating activities:</b>		
पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमें अग्रिम प्राप्तियाँ शामिल हैं Premium received from policyholders, including advance receipts	4,75,797.74	4,73,770.67
अन्य प्राप्तियाँ Other receipts	6,955.77	7,648.54
पुनः बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन एवं दावों/लाभ से शुद्ध Payments to the re-insurers, net of commissions and claims/ Benefits	(140.26)	(173.53)
दावों/लाभों का भुगतान Payments of claims/benefits	(3,89,546.77)	(3,47,296.28)
कमीशन और दलाली का भुगतान Payments of commission and brokerage	(26,331.03)	(25,144.69)
अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान Payments of other operating expenses	(41,292.43)	(52,770.67)
जमा, अग्रिम और स्टाफ ऋण Deposits, advances and staff loans	(420.37)	167.49
शुद्ध आयकर धनवापसी (भुगतान) Net Income taxes refund/ (paid)	5,860.00	5,954.97
सेवाकर/जीसटी का भुगतान Service tax/ GST paid	(2,398.29)	(2,438.48)
असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह <b>Cash flows before extraordinary items</b>	<b>28,484.36</b>	<b>59,718.02</b>
असाधारण संचालन से नकद प्रवाह (विवरण दे) Cash flow from extraordinary operations (give break-up)	0.00	0.00
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: <b>Net cash flow from operating activities</b>	<b>28,484.36</b>	<b>59,718.02</b>
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह: <b>Cash flows from investing activities:</b>		

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	(961.49)	(885.53)
अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ Proceeds from sale of fixed assets	447.03	341.99
निवेशों की खरीद Purchases of investments	(5,71,027.80)	(5,42,491.33)
वितरित ऋण (पुर्नभुगतान से शुद्ध) Loans disbursed (Net of Repayments)	(3,684.37)	(3,744.79)
निवेशों की बिक्री Sales of investments	2,55,745.58	2,20,844.28
किराया/ब्याज/लाभांश प्राप्त Rents/Interests/ Dividends received	2,91,778.40	2,67,739.28
<b>निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: Net cash flow from investing activities</b>	<b>(27,702.65)</b>	<b>(58,196.10)</b>
<b>वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash flows from financing activities:</b>		
कर्ज लेने से प्राप्तियाँ Proceeds from borrowing	0.00	0.00
कर्ज का भुगतान Repayments of borrowing	0.00	0.00
ब्याज/लाभांश का भुगतान Interest/dividends paid	(4,427.20)	(948.59)
<b>वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: Net cash flow from financing activities</b>	<b>(4,427.20)</b>	<b>(948.59)</b>
नकद और नकद के समतुल्य पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव (शुद्ध) Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net	(88.09)	296.80
नकद और नकद के समतुल्य में निवल वृद्धि Net increase in cash and cash equivalents:	(3,733.58)	870.12
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the period	38,445.11	37,574.99
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य <b>Cash and cash equivalents at the end of the period</b>	<b>34,711.53</b>	<b>38,445.11</b>
<b>नोट: अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the period</b>		

विवरण Particulars	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
हाथ में नकद और चेक / Cash and cheques in hand	3,363.57	3,960.78
बैंक जमा* / Bank Balances	21,593.17	18,526.90
सावधि जमा / Fixed Deposits	2,325.93	1,336.01
मुद्रा बाज़ार विलेख / Money Market Instruments	5,659.16	14,596.27
मार्ग प्रेषस्त धन और अन्य / Remittance in Transit and Others	1,769.70	25.15
<b>कुल नकद और नकद समतुल्य / Total Cash and Cash Equivalents</b>	<b>34,711.53</b>	<b>38,445.11</b>

### हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

### निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

अनुसूची - 1  
SCHEDULE - 1

प्रीमियम  
PREMIUM

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
1 प्रथम वर्षीय प्रीमियम First year Premiums	39,037.95	39,089.94
2 परवर्ती प्रीमियम Renewal Premiums	2,53,080.52	2,42,617.54
3 एकल प्रीमियम और सीएजी Single Premiums & CAG	1,83,633.45	1,92,960.65
<b>कुल प्रीमियम TOTAL PREMIUM</b>	<b>4,75,751.92</b>	<b>4,74,668.13</b>
प्रीमियम आय लिखित व्यवसाय से Premium Income from business written:		
1 भारत में In India	4,75,275.67	4,74,263.35
2 भारत के बाहर Outside India	476.25	404.78
<b>कुल प्रीमियम / Total Premium</b>	<b>4,75,751.92</b>	<b>4,74,668.13</b>

अनुसूची - 2  
SCHEDULE - 2

कमीशन व्यय  
COMMISSION EXPENSES

विवरण Particulars	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
प्रदत्त कमीशन / Commission paid		
सीधा - प्रथम वर्षीय प्रीमियम Direct - First year premiums	10,397.52	10,791.81
- परवर्ती प्रीमियम - Renewal premiums	13,115.56	12,507.00
- एकल प्रीमियम - Single premiums	485.56	514.76
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीम पर कमीशन Add : Commission on Re-insurance Accepted	0.00	0.00
घटाएं : अंतरित पुनर्बीम पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance Ceded	0.00	0.00
<b>शुद्ध कमीशन / Net Commission</b>	<b>23,998.64</b>	<b>23,813.57</b>
बिचौलियों को इनाम और पारिश्रमिक Rewards and remuneration to Intermediaries	1,960.48	1,280.01
<b>कुल कमीशन / Total Commission</b>	<b>25,959.12</b>	<b>25,093.58</b>
<b>लिखित व्यवसाय पर कमीशन / Commission on business written:</b>		
भारत में / In India	25,933.11	25,072.38
भारत के बाहर / Outside India	26.01	21.20
<b>कुल कमीशन / Total Commission</b>	<b>25,959.12</b>	<b>25,093.58</b>
<b>Channel wise break up of Commission and Rewards (Excluding Reinsurance Commission):</b>		
एजेंट / Individual agents	25,622.83	24,795.02
निगमित एजेन्सी / Corporate Agents-Others	25.49	21.60
निगमित एजेन्सी / Corporate Agents-Bank	166.74	173.65
ब्रोकर / Brokers	6.11	4.51
सूक्ष्म एजेंट / Micro Agents	65.28	58.68
प्रत्यक्ष व्यवसाय - ऑनलाइन / Direct Business-Online	0.00	0.00
प्रत्यक्ष व्यवसाय - अन्य / Direct Business-Others	0.00	0.00
सामान्य सेवा केंद्र / Common Service Centre	47.49	18.93
वेब एग्रीगेटर्स / Web Aggregators	0.00	0.00
आई.एम.एफ (बीमा विपणन फर्म) / IMF (Insurance Marketing Firm)	24.97	20.95
अन्य / Others:	0.00	0.00
पीओएसपी -एल आई / POSLI	0.21	0.24
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>25,959.12</b>	<b>25,093.58</b>

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय  
**OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS**

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
1 कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा कल्याण लाभ / Employees' remuneration & welfare benefits	39,583.59	40,093.90
2 यात्रा, सवारी एवं वाहन चालन व्यय / Travel, conveyance and vehicle running expenses	367.11	331.81
3 प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	38.96	39.97
4 किराया, दरें एवं कर / Rents, rates & taxes	791.83	720.37
5 मरम्मत / Repairs	171.64	147.72
6 मुद्रण एवं लेखा सामग्री / Printing & Stationery	218.11	202.57
7 संचार व्यय / Communication expenses	285.23	297.20
8 विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार / Legal & professional charges	25.07	43.80
9 चिकित्सा शुल्क / Medical Fees	73.52	68.95
10 लेखा परीक्षक शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.		
(क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor	19.82	12.29
(ख) सलाहकार के रूप में या निम्न संबंध में किसी भी क्षमता में (b) as adviser or in any other capacity in respect of		
(i) कराधान मामले (i) Taxation matters	0.00	0.00
(ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters	0.00	0.00
(iii) प्रबंधन सेवाएं, तथा (iii) Management services; and	0.00	0.00
(ग) किसी भी अन्य क्षमता में (c) in any other capacity	0.01	0.04
11 विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and publicity	553.50	709.83
12 ब्याज एवं बैंक प्रभार / Interest & bank Charges	126.17	75.99
13 अन्य / Others		
1 भत्ते / Allowances	1,942.99	1,753.96
2 निवेश सम्पत्ति पर व्यय / Expense on Investment Property	143.41	128.50
3 पॉलिसी स्टॉम्प / Policy stamps	284.37	290.26
4 पावती स्टॉम्प / Receipt stamps	17.19	9.63
5 बिजली प्रभार / Electricity charges	223.76	224.22

**अनुसूची – 3**  
**SCHEDULE - 3**
**बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय (जारी)**  
**OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS (Contd.)**

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
6 मार्गस्थ रोकड़ तथा अन्य बीमा प्रीमियम / Cash in transit and other insurance premia	3.28	12.31
7 विविध व्यय / Miscellaneous expenses	598.40	592.88
8 मुख्य कार्यालय व्यय / Head Office expenses	0.98	0.92
9 विनिमय / Exchange	(2.38)	(1.40)
14 मूल्य-हास / Depreciation	464.51	464.93
15 प्रीमियम पर जी एस टी / GST on Premium	2,190.61	2,411.76
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>48,121.68</b>	<b>48,632.41</b>
<b>OPERATING EXPENSES / परिचालन व्यय</b>		
भारत में / In India	48,062.61	48,583.91
भारत के बाहर / Outside India	59.07	48.50
<b>कुल परिचालन व्यय / TOTAL OPERATING EXPENSES</b>	<b>48,121.68</b>	<b>48,632.41</b>

**अनुसूची – 4**  
**SCHEDULE - 4**
**अदा किया गया लाभ (शुद्ध)**  
**BENEFITS PAID (NET)**

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
1 बीमा दावों / Insurance Claims		
(क) मृत्यु दावों (a) Claims by Death	23,101.19	23,812.39
(ख) परिपक्वता दावों (b) Claims by Maturity	2,08,136.42	1,85,043.90
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	20,106.73	17,892.71
(घ) अन्य लाभ (d) Other benefits		
(i) अभ्यर्पण (i) Surrenders	45,172.44	38,265.09
(ii) नकद बोनस (ii) Withdrawal	88,630.88	73,631.06
(iii) अस्पताल भर्ती लाभ (iii) Hospitalization Benefits	9.94	12.25

अदा किया गया लाभ (शुद्ध) (जारी)  
BENEFITS PAID (NET) (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023
(iv) बड़े शल्य लाभ (iv) Major Surgical Benefits	16.40	17.82
(v) आवासीय उपचार लाभ (v) Domiciliary Treatment Benefits	10.46	11.93
(vi) दिन देखभाल लाभ (vi) Day Care Benefits	2.83	3.01
(vii) एकमुश्त लाभ/आय लाभ (किस्त द्वारा) (vii) Lump sum Benefit / Income Benefit (by installment)	42.86	36.02
(viii) अन्य दावा लागत-दावा न की गई राशि पर ब्याज (viii) Other Claims Cost- Interest on Unclaimed Amount	1,236.62	1,017.85
- अन्य - Others	18.40	8.61
2 (पुनर्बीमा में अंतरित राशि): (Amount ceded in reinsurance):		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	(476.58)	(389.06)
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	0.00	0.00
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	0.00	0.00
(घ) अन्य लाभ (d) Other benefits	(59.44)	(50.91)
3 पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि: / Amount accepted in reinsurance:		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	0.00	0.00
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	0.00	0.00
(ग) वार्षिकियों/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	0.00	0.00
(घ) अन्य लाभ (d) Other benefits	0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>3,85,949.15</b>	<b>3,39,312.67</b>
दावेदारों को अदा किया गया लाभ: / Benefits paid to claimants:		
1 भारत में / In India	3,85,454.77	3,38,972.70
2 भारत के बाहर / Outside India	494.38	339.97
<b>कुल अदा किया गया लाभ (शुद्ध) / Total Benefits paid (Net)</b>	<b>3,85,949.15</b>	<b>3,39,312.67</b>

अनुसूची – 5  
 SCHEDULE - 5

 अंश पूँजी  
 SHARE CAPITAL

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 2023
1 अधिकृत पूँजी Authorised Capital		
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each	25,000.00	25,000.00
2 निर्गमित पूँजी Issued Capital		
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
3 अभिदत्त पूँजी Subscribed Capital		
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each	6,325.00	6,325.00
4 याचित पूँजी Called-up Capital	6,325.00	6,325.00
समता अंश ₹ 10 प्रति अंश Equity Shares of ₹ 10 each		
घटाये: अदत्त माँग Less: Calls unpaid	0.00	0.00
जोड़ें: जब्त अंश (मूल रूप से भुगतान की गई राशि) Add : Shares forfeited (amount originally paid up)	0.00	0.00
घटाये: वापस खरीदे गए समता अंश का सममूल्य Less : Par value of Equity Shares bought back	0.00	0.00
घटाये: प्रारंभिक खर्च Less : Preliminary Expenses	0.00	0.00
जोखिम अंकन या अंशों की सदस्यता पर कमीशन या दलाली के खर्चा सहित । Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares.		
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>6,325.00</b>	<b>6,325.00</b>

**नोट:**

- क) पूँजी के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण - निगम के पास पूँजी का केवल एक ही प्रकार है जैसे समता पूँजी  
 ख) धारक कंपनी द्वारा धारित पूँजी - लागू नहीं

**Notes:**

- a) Particulars of the different classes of capital - The Corporation holds only one class of capital i.e. Equity Share Capital  
 b) Capital held by a holding company - N/A

अनुसूची – 5 अ  
SCHEDULE - 5A

अंशधारिता का स्वरूप (जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है)

**PATTERN OF SHAREHOLDING**  
(As certified by the Management)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024		31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023	
	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding
<b>प्रवर्तक / Promoters</b>				
- भारतीय / Indian	6103622781	96.5	6103622781	96.5
- विदेशी / Foreign	0	0.00	0	0.00
<b>अन्य / Others</b>				
- भारतीय / Indian	209287416	3.31	200525609	3.17
- विदेशी / Foreign	12087504	0.19	20849311	0.33
<b>कुल / Total</b>	<b>6324997701</b>	<b>100.00</b>	<b>6324997701</b>	<b>100.00</b>

अनुसूची – 6  
SCHEDULE - 6

बीमा आरक्षित निधि (शेयरधारक)

**INSURANCE RESERVES (SHAREHOLDERS)**

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve	0.00	0.00
2 पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve	0.00	0.00
3 शेयर प्रीमियम Share Premium	0.00	0.00
4 पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve	0.00	0.00
5 सामान्य आरक्षित निधि General Reserves		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	29.42	29.42
वर्ष के दौरान योग Additions during the period		
लाभ हानि लेखा से अग्रेषित Transfer from Profit and Loss Account	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	0.00	0.00
बोनस शेयर जारी करने के कारण पूंजीकृत राशि Amount capitalised on account of issue of Bonus Shares	0.00	0.00
अंतिम शेष Closing Balance	29.42	29.42

अनुसूची – 6  
 SCHEDULE - 6

 बीमा आरक्षित निधि (शेयरधारक) (जारी)  
 INSURANCE RESERVES (SHAREHOLDERS) (Contd.)

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
घटाएं : लाभ हानि लेखे में नामे अधिशेष. यदि कोई हो Less : Debit balance in Profit and Loss Account, if any	0.00	0.00
घटाएं : पुर्नखरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for Buy-back	0.00	0.00
6 आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve	0.00	0.00
7 अन्य आरक्षित निधि Other Reserves		
(i) विनिमय उतार चढ़ाव आरक्षित निधि (i) Exchange Fluctuation Reserve	(0.60)	(0.34)
8 लाभ-हानि लेखे में शेष लाभ Balance of profit in Profit and Loss Account	75,711.26	39,462.97
<b>कुल / Total</b>	<b>75,740.08</b>	<b>39,492.05</b>
भारत में / In India	75,746.71	39,493.56
भारत के बाहर / Out of India	(6.63)	(1.51)
<b>कुल / Total</b>	<b>75,740.08</b>	<b>39,492.05</b>

 अनुसूची – 6A  
 SCHEDULE - 6A

 बीमा आरक्षित निधि (पॉलिसीधारकों के)  
 INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS)

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 पूंजी आरक्षित निधि Capital Reserve	0.00	0.00
2 पूंजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve	0.00	0.00
3 शेयर प्रीमियम Share Premium	0.00	0.00
4 पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	14,835.23	12,308.58
वर्ष के दौरान योग Additions during the period	3.83	2,526.65
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	0.00	0.00

बीमा आरक्षित निधि (पॉलिसीधारकों के) (जारी)  
INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS) (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
अंतिम शेष Closing Balance	14,839.06	14,835.23
5 सामान्य आरक्षित निधि General Reserves	0.77	0.77
प्रारंभिक शेष Opening Balance	0.00	0.00
वर्ष के दौरान योग Additions during the period	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	0.00	0.00
अंतिम शेष Closing Balance	0.77	0.77
घटाएं : लाभ हानि लेखे में नामे अधिशेष. यदि कोई हो Less : Debit balance in Profit and Loss Account, if any	0.00	0.00
घटाएं : पुर्नखरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for Buy-back	0.00	0.00
6 आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve	0.00	0.00
7 अन्य आरक्षित निधि Other Reserves		
(i) विनिमय उतार चढ़ाव आरक्षित निधि (i) Exchange Fluctuation Reserve	754.23	842.07
8 लाभ-हानि लेखे में शेष लाभ Balance of profit in Profit and Loss Account	0.00	0.00
<b>कुल / Total</b>	<b>15,594.06</b>	<b>15,678.07</b>
भारत में / In India	14,946.48	14,947.47
भारत के बाहर / Out of India	647.58	730.60
<b>कुल / Total</b>	<b>15,594.06</b>	<b>15,678.07</b>

**अनुसूची - 7**  
**SCHEDULE - 7**
**उधारी**  
**BORROWINGS**

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 ऋण पत्र / बन्ध पत्र Debentures/Bonds	0.00	0.00
2 बैंक Banks	0.00	0.00
3 वित्तीय संस्थान Financial Institutions	0.00	0.00
4 अन्य Others	0.00	0.00
<b>कुल / Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
भारत में / In India	0.00	0.00
भारत के बाहर / Outside India	0.00	0.00
<b>कुल / Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**अनुसूची - 8**  
**SCHEDULE - 8**
**निवेश (शेयरधारकों के)**  
**INVESTMENTS - SHAREHOLDERS**

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>दीर्घावधि निवेश</b> <b>LONG TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीत बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	56,095.97	22,966.84
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	0.00
3 अन्य निवेश Other Investments		
(क) शेयर (a) Shares		
(कक) इक्विटी (aa) Equity	673.02	158.17
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	0.00	0.00

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)  
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	15.92	19.04
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ: यू टी आई II कैपिटल में प्रारंभिक अंशदान (e) Other Securities: Initial Contribution to UTI II Capital	0.01	0.01
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/ Joint ventures/ Associates	1,390.67	1,331.65
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	0.00	0.00
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	4,149.61	4,070.02
6 संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(548.71)	(477.08)
<b>अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	0.00	0.00
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	0.00
3 अन्य निवेश / Other Investments		
(क) शेयर (a) Shares		
(कक) इक्विटी (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	1,967.48	1,294.88
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	0.00	0.00
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities (to be specified)	0.00	0.00

अनुसूची - 8  
 SCHEDULE - 8

 निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)  
 INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Contd.)

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	0.00	0.00
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	0.00	0.00
6 संदिग्ध एवं अवसामान्य संपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful and substandard assets	0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>63,743.97</b>	<b>29,363.53</b>
<b>निवेश / INVESTMENTS</b>		
1 भारत में / In India	62,363.81	27,990.65
2 भारत के बाहर / Outside India	1,380.16	1,372.88
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>63,743.97</b>	<b>29,363.53</b>

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

टिप्पणी : सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश	NOTE: Investments in Subsidiaries/Associates/JV :	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
जी.बी.नि. पेन्शन फंड लिमिटेड	LIC Pension Fund Ltd.	50.00	50.00
जी.बी.नि. कार्ड सर्विसेस लिमिटेड	LIC Cards Services Ltd.	1.00	1.00
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	IDBI BANK LTD.	24.74	24.74
	LIC MF Assets Management Co. LTD.	49.74	0.00
जी.बी.नि. (अंतरराष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी.) बहरीन	Life Insurance Corporation (International) B.S.C (c), Bahrain	939.70	939.70
केनइंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड	Kennindia Assurance Co. Ltd.	0.78	0.78
जी.बी.नि. (नेपाल) लिमिटेड	LIC (Nepal) Ltd.	12.40	12.40
जी.बी.नि. (लंका) लिमिटेड	LIC (Lanka) Ltd	45.98	36.70
सहकारी बीमा के लिए सऊदी भारतीय कंपनी	Saudi Indian Company For Cooperative Insurance	5.88	5.88
जी.बी.नि. (सिंगापुर) पी.टी.ई. लिमिटेड	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte Ltd.	216.67	216.67
जी.बी.नि. (बंगलादेश) लिमिटेड	LIC (Bangladesh) Ltd.	43.78	43.78
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,390.67</b>	<b>1,331.65</b>

टिप्पणी : 31.03.2024 को सकल सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य में एलआईसीके निवेश की राशि और उसका बाजार मूल्य

NOTE: Aggregate amount of LIC's investment in other than listed equity securities# and the market value thereof as at 31.03.2024

अनुसूची - 8  
SCHEDULE - 8

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)  
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>दीर्घावधि निवेश Long Term investment</b>		
पुस्त मूल्य Book Value	62,140.04	28,237.88
बाजार मूल्य Market Value	62,015.51	27,892.46
<b>अल्पावधि निवेश Short Term investment</b>		
पुस्त मूल्य Book Value	1,458.13	1,280.83
बाजार मूल्य Market Value	1,470.31	1,294.87

# कारपोरेट कार्य मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर # based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.

\* पुस्त मूल्य घटाया मूल्य में कमी के लिए प्रावधान \*Book value less provision for diminution

अनुसूची - 8A  
SCHEDULE - 8A

निवेश (पॉलिसीधारकों के)  
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>दीर्घावधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीत बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	28,92,051.42	26,79,165.97
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	6,534.33	12,624.97
3 (क) शेयर (a) Shares:		
(कक) इक्विटी (aa) Equity	12,18,669.38	8,25,935.33
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	21,623.32	10,039.57

अनुसूची - 8अ  
 SCHEDULE - 8A

 निवेश (पॉलिसीधारकों के) (जारी)  
 INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	1,22,696.73	90,458.50
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities:		
अन्य प्रतिभूतियाँ तथा बन्ध-पत्र Other Securities & Bonds	194.62	208.99
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/ Joint ventures/ Associates	32,234.67	32,234.67
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	16,979.84	16,957.29
4 बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	3,40,579.48	3,12,414.17
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	70,393.73	96,253.96
6 संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(6,265.06)	(7,823.86)
<b>अल्पावधि निवेश</b> <b>SHORT TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,12,162.77	91,772.89
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	6,088.16	6,044.98
3 (क) शेयर (a) Shares		
(कक) इक्विटी (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	9,976.07	5,641.53
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	6,749.17	8,905.89
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	0.00	0.00

निवेश (पॉलिसीधारकों के) (जारी)  
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	25,973.53	8,411.45
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	2,590.34	2,979.45
6 संदिग्ध एवं अवसामान्य संपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful and substandard assets	(2,720.10)	(3,047.99)
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>48,76,512.40</b>	<b>41,89,177.76</b>
निवेश / INVESTMENTS		
1 भारत में / In India	48,71,872.80	41,84,700.87
2 भारत के बाहर / Outside India	4,639.60	4,476.89
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>48,76,512.40</b>	<b>41,89,177.76</b>

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

टिप्पणी: सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश NOTE: 1. Investments in Subsidiaries/Associates/JV :	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड ए एम सी LIC Mutual Fund AMC Ltd.	4.94	4.94
जी.बी.नि. गृह वित्त लि. LIC Housing Finance Ltd	3,321.50	3,321.50
जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड प्रारंभिक योगदान LIC Mutual Fund Initial Contribution	2.00	2.00
जी.बी.नि. म्युच्युअल फंड ट्रस्टी कं. प्रा. लि. LIC Mutual Fund Trustee Co Pvt Ltd	-	-
जी.बी.नि. एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कं. लि. LIC HFL Asset Management Company Ltd	0.50	0.50
जी.बी.नि. (अंतरराष्ट्रीय) बी.एसी.सी. (सी.) बहरिन Life Insurance Corporation (International) B.S.C (c), Bahrain	55.78	55.78

अनुसूची – 8अ  
 SCHEDULE - 8A

 निवेश (पॉलिसीधारकों के) (जारी)  
 INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

टिप्पणी: सहायक / सहभागी / संयुक्त उपक्रम में निवेश NOTE: 1. Investments in Subsidiaries/Associates/JV :	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड IDBI Bank Ltd.	28,849.64	28,849.64
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED	0.30	0.30
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>32,234.66</b>	<b>32,234.66</b>

टिप्पणी: 31.03.2024 को सकल सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियो # के अलावा अन्य में एलआईसी के निवेश की राशि और उसका बाजार मूल्य

NOTE 4 Aggregate amount of LIC's investment in other than listed equity securities # and the market value thereof as at 31.03.2024:

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	मार्च 31, 2024 As at March 31, 2024	मार्च 31, 2023 As at March 31, 2023
<b>दीर्घावधि निवेश Long Term investment</b>		
पुस्त मूल्य Book Value	32,85,578.10	30,35,527.59
बाजार मूल्य Market Value	33,91,580.46	30,72,803.68
<b>अल्पावधि निवेश Short Term investment</b>		
पुस्त मूल्य Book Value	1,63,455.58	1,23,697.35
बाजार मूल्य Market Value	1,62,115.77	1,22,126.84

# कारपोरेट कार्य मंत्रालय की साइट पर उपलब्ध स्थिति के आधार पर # based on status available on Ministry of Corporate Affairs site.

\* पुस्त मूल्य घटाया मूल्य में कमी के लिए प्रावधान \*Book value less provision for diminution

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ  
**ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES**

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
दीर्घवधि निवेश <b>LONG TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	10,815.26	9,193.23
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.05	0.05
3 (क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	20,397.31	13,567.98
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	0.00	0.00
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	10.18	50.95
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	0.00	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1,779.23	1,807.14
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	603.76	767.26
अल्पावधि निवेश <b>SHORT TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	162.04	296.04
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	4.02

अनुसूची – 8ब  
SCHEDULE - 8B
 संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ (जारी)  
**ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)**
(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
3 (क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	593.42	283.92
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र (d) Debentures/Bonds	10.39	38.15
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	300.50	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investments Properties- Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी सुविधायों तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	134.78	70.02
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	0.00	0.00
<b>चालू सम्पत्तियाँ Current Assets</b>		
6 <b>रोकड़ एवं बैंक में शेष Cash &amp; Bank Balance</b>		
रोकड़ Cash	187.87	85.56
बैंक में शेष Bank Balance (Deposits):		
(क) जमा (a) Deposits	0.00	0.00
(कक) अल्पावधि (aa) Short term	0.00	0.00
(खख) अन्य (bb) Others	0.00	0.00

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियाँ (जारी)  
**ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)**

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	2.61	6.09
(ग) अन्य (c) Others	0.00	0.00
<b>7 अग्रिम Advances</b>		
अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्रोत कर कटौती Advance tax paid and tax deducted at source	0.00	0.00
अन्य अग्रिम Other Advances	0.07	0.08
निवेशो पर बकाया / अर्जित आय Income outstanding/accrued on investments	230.77	198.58
<b>कुल (क) – चालू सम्पत्तियाँ Total (A)- Current Assets</b>	<b>421.32</b>	<b>290.31</b>
<b>8 चालू दायित्व Current Liabilities</b>		
विविध लेनदार Sundry Creditors	43.77	33.04
जीवन विभाग चालू खाता Life department current account	(73.35)	26.49
<b>कुल (ख) चालू दायित्व Total (B)- Current Liabilities</b>	<b>(29.58)</b>	<b>59.53</b>
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (क-ख) Net current assets (A-B)	450.90	230.78
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>35,257.82</b>	<b>26,309.54</b>
<b>निवेश / INVESTMENTS</b>		
1 भारत में In India	35,182.24	26,236.37
2 भारत के बाहर Outside India	75.58	73.17
<b>कुल* / TOTAL*</b>	<b>35,257.82</b>	<b>26,309.54</b>

टिप्पणी: \*बंध निधि से संबंधित ₹ 381.22 लाख सहित

**NOTE:** \*Inclusive of ₹ 381.22 Crore pertaining to Discontinued Fund.

टिप्पणी: 31.03.2024 को सकल सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों # के अलावा अन्य में एलआईसी के निवेश की राशि और उसका बाजार मूल्य

**NOTE:** Aggregate amount of LIC's investment in other than listed equity securities # and the market value thereof as at 31.03.2024:



अनुसूची - 9  
SCHEDULE - 9

ऋण  
LOANS

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>1 प्रतिभूतिवार वर्गीकरण SECURITY - WISE CLASSIFICATION</b>		
रक्षित / Secured:		
(क) संपत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property		
(कक) भारत में (aa) In India	7,284.47	9,253.77
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	9.85	10.71
(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि पर (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities, etc.	0.00	0.00
(ग) पॉलिसियों पर ऋण (c) Loans against Policies	1,18,218.59	1,11,646.51
(घ) अन्य (d) Others :		
सरकार द्वारा गारंटीत Guaranteed by Government	1,470.68	1,998.86
गिरवी / Hypothecation	474.81	829.82
एएनएफ अग्रिम / ANF Advances	0.00	0.00
अनारक्षित ऋण / Unsecured Loans	972.17	1,008.89
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful Loans	(8,172.29)	(9,186.13)
<b>कुल / Total</b>	<b>1,20,258.28</b>	<b>1,15,562.43</b>
<b>2 उधारकर्तावार वर्गीकरण BORROWER - WISE CLASSIFICATION</b>		
(क) केंद्र तथा राज्य सरकार (a) Central and State Governments	861.21	1,321.36
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions	0.00	0.00
(ग) सहायक (c) Subsidiaries	0.00	0.00
(घ) कंपनियाँ (d) Companies	6,612.67	8,673.77
(ड) पॉलिसियों पर ऋण (e) Loans against policies	1,18,218.59	1,11,646.51

अनुसूची - 9  
 SCHEDULE - 9

 ऋण (जारी)  
 LOANS (Contd.)

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
(च) अन्य (f) Others:		
बंधक संपत्ति Mortgage Property	262.25	280.16
महानगरपालिकाएँ Municipalities	1.62	34.74
राज्य विद्युतमंडल / ऊर्जा उत्पादक State Electricity Boards/ Power Generators	457.94	656.68
राज्य सड़क परिवहन निगम State Road Transport Corporation	6.16	6.16
सहकारी औद्योगिक संपत्ति Co-operative Industrial Estates	10.57	17.63
सहकारी आवास संस्थाएँ Housing Co-op Societies	80.34	158.95
सिंचन क्षेत्र Irrigation Sector	6.67	13.33
डब्ल्यू.एस.बी., एस.एफ.सी. पी.टी.आर. ओ.टी.एच., एल.डी.बी., आदि WSB, SFC, PTR, OTH, LDB Etc.	1,912.54	1,939.26
एनएफ अग्रिम / ANF Advances	0.00	0.00
व्यक्तिगत सुरक्षा पर ऋण Loans on Personal Security	0.01	0.01
(छ) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (g) Provision for bad and doubtful debts	(8,172.29)	(9,186.13)
<b>कुल / Total</b>	<b>1,20,258.28</b>	<b>1,15,562.43</b>
<b>3 निष्पादनवार वर्गीकरण PERFORMANCE - WISE CLASSIFICATION</b>		
(क) वर्गीकृत मानक ऋण (a) Loans classified as standard:		
(कक) भारत में (aa) In India	1,20,570.07	1,15,896.65
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	182.31	171.36
मानक ऋण के लिए प्रावधान Provision for Standard Loans	(499.23)	(511.52)

ऋण (जारी)  
LOANS (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
(ख) गैर मानक ऋण (b) Non-standard loans:		
(कक) भारत में (aa) In India	7,669.82	8,671.45
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	8.37	9.10
गैर मानक ऋण के लिए प्रावधान Provision for Non Standard Loans	(7,673.06)	(8,674.61)
<b>कुल / Total</b>	<b>1,20,258.28</b>	<b>1,15,562.43</b>
<b>4 परिपक्वता - चार वर्गीकरण MATURITY - WISE CLASSIFICATION</b>		
(क) अल्पावधि (a) Short Term:		
भारत में In India	14,625.88	7,746.93
भारत के बाहर Out of India	0.00	0.00
अल्पावधि के लिए प्रावधान Provision for Short Term	(4,709.03)	(3,995.80)
(ख) दीर्घावधि (b) Long Term:		
भारत में In India	1,13,614.01	1,16,821.17
भारत के बाहर Out of India	190.68	180.46
दीर्घावधि के लिए प्रावधान Provision for Long Term	(3,463.26)	(5,190.33)
<b>कुल / Total</b>	<b>1,20,258.28</b>	<b>1,15,562.43</b>
1 भारत में / In India	1,20,073.49	1,15,387.86
2 भारत के बाहर / Outside India	184.79	174.57
<b>कुल / Total</b>	<b>1,20,258.28</b>	<b>1,15,562.43</b>

नोट / Note

जल राज्य बोर्ड (डब्ल्यूएसबी), राज्य वित्तीय निगम (एसटीएफ), पोर्ट ट्रस्ट (पीटीआर), अन्य \*(ओटीएच), भूमि विकास बैंक (एलडीबी)  
\*\*स्वचलित जब्ती (एएनएफ)

WATER STATE BOARD (WSB), STATE FINANCIAL CORPORATION (STF), PORT TRUST (PTR), OTHERS \*(OTH),  
LAND DEVELOPMENT BANK (LDB)

\*\*AUTOMATED FORFEITURE (ANF)

अनुसूची - 9  
 SCHEDULE - 9

 ऋण (जारी)  
 LOANS (Contd.)

गैर-निष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान / Non-Performing Loans	ऋण राशि Loan Amount	(₹ करोड़) (₹ in Crore)
		प्रावधान Provision
उप-मानक / Sub-standard	10.80	6.13
संदिग्ध / Doubtful	8.23	7.76
हानि / Loss	7,659.17	7,659.17
<b>कुल / Total</b>	<b>7,678.20</b>	<b>7,673.06</b>

अचल परिसंपत्तियाँ  
FIXED ASSETS

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	सकल ब्लॉक Cost/Gross Block			मूल्य-ह्रास परिसोधन और हानि Depreciation/ Amortisation & Impairment			शुद्ध ब्लॉक Net Block		
	प्रारंभिक शेष Opening Balance	जोड़ Additions	कटौतियाँ Deductions	प्रारंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के लिए For the year	बिक्री/ समायोजन पर On Sales/ Adjustment	अंतिम शेष Closing Balance	अंतिम शेष As at March 31, 2024	अंतिम शेष As at March 31, 2023
ख्याति Goodwill	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अप्रत्यक्ष Intangibles	49.91	0.00	0.00	34.53	5.13	0.00	39.66	10.25	15.38
भूमि-पूर्ण संपदा Land-Freehold	67.60	0.03	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39.73	67.60
पट्टा-भूमि Land-Leasehold	92.81	1.54	2.02	11.14	1.00	0.04	12.10	80.23	81.67
भवन Buildings	3421.32	246.69	4.11	979.23	76.53	0.35	1,055.41	2,608.49	2,442.09
फर्नीचर एवं फिटिंग Furniture & Fittings	527.18	48.24	11.06	417.92	27.07	10.99	434.00	130.36	109.26
सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर Information Technology Equipment	1881.47	108.07	85.20	1,528.24	200.61	84.52	1,644.33	260.01	353.23
वाहन Vehicles	1202.25	259.01	98.55	833.80	140.81	84.80	889.81	472.90	368.45
कार्यालय उपस्कर Office Equipment	70.98	2.17	2.23	62.83	2.13	2.22	62.74	8.18	8.15
अन्य: Others									
टेलिफोन Telephones	14.40	0.14	0.62	13.06	0.29	0.61	12.74	1.18	1.34
फैक्स/इपीएबीएक्स Fax/Epabx	2.28	0.00	0.07	2.27	0.01	0.07	2.21	0.00	0.01
मोबाईल फोन Mobile Phones	0.57	0.12	0.02	0.47	0.08	0.02	0.53	0.14	0.10

अचल परिसंपत्तियाँ (जारी)  
FIXED ASSETS (Contd.)

विवरण Particulars	सकल ब्लॉक Cost/Gross Block			मूल्यह्रास परिसोधन और हानि Depreciation/ Amortisation & Impairment			शुद्ध ब्लॉक Net Block		
	प्रारंभिक शेष Opening Balance	जोड़ Additions	कटौतियाँ Deductions	प्रारंभिक शेष Opening Balance	वर्ष के लिए For the year	बिक्री/ समायोजन पर On Sales/ Adjustment	अंतिम शेष Closing Balance	अंतिम शेष As at March 31, 2024	अंतिम शेष As at March 31, 2023
पुस्तकालय की पुस्तकें Library books	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
विविध पूंजी उपस्कर Miscellaneous Capital Equipment	62.83	3.10	1.13	47.05	3.21	1.08	49.18	15.62	15.78
दृश्यश्राव्य तथा अन्य सम्बन्धित प्रचार उपस्कर Audio visual and other allied publicity equipment	85.78	5.53	2.16	74.17	4.54	2.14	76.57	12.58	11.61
इंजीनियरिंग विभाग उपस्कर Engineering Dept. equipment	0.23	0.04	0.00	0.09	0.02	0.00	0.11	0.16	0.14
वोल्टेज स्टेबलाइजर तथा यू.पी. एस. Voltage stabilizers and UPS	162.68	9.29	5.63	149.19	8.10	5.63	151.66	14.68	13.49
क्रिए के भवनोपर जनरेटर, डी. जी. सेट्स Generators, DG sets in rented premises	2.22	0.09	0.04	1.96	0.11	0.04	2.03	0.24	0.26
<b>कुल / Total</b>	<b>7,644.81</b>	<b>684.06</b>	<b>240.74</b>	<b>4,156.25</b>	<b>469.64</b>	<b>192.51</b>	<b>4,433.38</b>	<b>3,654.75</b>	<b>3,488.56</b>
कार्य प्रगति पर / Work in Progress	331.06	277.45	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	402.22	331.06
<b>सकल कुल / Grand Total</b>	<b>7,975.87</b>	<b>961.51</b>	<b>447.03</b>	<b>4,156.25</b>	<b>469.64</b>	<b>192.51</b>	<b>4,433.38</b>	<b>4,056.97</b>	<b>3,819.62</b>
पिछले साल का कुल As at March 31, 2023	7,432.33	885.53	341.99	3,880.31	464.93	188.99	4,156.25	3,819.62	-

नोट:-

Note:- Impairment loss of ₹ 5.13 crore on TDR recognised during the year including in Depreciation for the year.

रोकड़ एवं बैंक में शेष  
CASH AND BANK BALANCES

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 नकद (चेक, ड्राफ्ट एवं स्टॉम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	3,175.71	3,875.22
2 बैंक जमा Bank Balances:		
(क) जमा खाता (a) Deposit Accounts:		
(कक) अल्पावधि (तुलन पत्र की तारीख से 12 महिनों के भीतर देय) (aa) Short-term (due within 12 months of the date of Balance Sheet)	1,321.07	320.32
(खख) अन्य (bb) Others	1,004.85	1,015.69
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	21,590.56	18,520.81
(ग) अन्य (c) Others	0.00	0.00
3 मांगने पर और अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice		
(क) बैंक में (a) With Banks	0.00	0.00
(ख) अन्य संस्थानों में (b) With other Institutions	0.00	0.00
(ग) आर.इ.पी.ओ.एस. (c) Repurchasing Option on Repurchase Agreement (REPOS)	0.00	0.00
(द) Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO)	5,659.16	14,596.27
4 अन्य : मार्गस्त प्रेषस्त धन Others - Remittances in transit	1,769.70	25.15
<b>कुल / Total</b>	<b>34,521.05</b>	<b>38,353.46</b>
गैर अनुसूचित बैंको की शेष उपरोक्त 2 तथा 3 में सम्मिलित है* Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above.*		
रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष / CASH & BANK BALANCES		
1 भारत में / In India	34,439.35	38,204.62
2 भारत के बाहर / Outside India	81.70	148.84
<b>कुल / Total</b>	<b>34,521.05</b>	<b>38,353.46</b>

\* स्थानीय विधि के अनुसार विदेशी शाखाओं के बैंक खातों के अलावा

\* Excluding bank accounts of foreign branches which are held as per local laws.

अनुसूची – 12  
 SCHEDULE - 12

 अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ  
 ADVANCES AND OTHER ASSETS

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>अग्रिम / ADVANCES</b>		
1 अंतरण कंपनियों में आरक्षित जमा Reserve deposits with ceding companies	0.00	0.00
2 निवेशो के लिए आवेदन धन Application money for investments	0.00	9.34
3 पहले भुगतान / पूर्वदत्त खर्च Prepayments/Prepaid Expenditure	903.91	795.72
4 अधिकारियों / निदेशकों को अग्रिम Advances to Officer/Directors	0.00	0.00
5 अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्रोत कर कटौती Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	16,944.69	21,048.68
6 अन्य / Others:		
कर्मचारियों को अग्रिम Advances to employees	1,055.43	974.20
अन्य को अग्रिम Advances to others	82.45	120.55
जमा Deposits	62.82	59.03
अन्य अग्रिम Other advances	1,257.33	954.44
फुटकर देनदार, अग्रिम तथा जमा के लिए प्रावधान Provision for sundry debtors, advances and deposits	(103.77)	(248.52)
<b>कुल / TOTAL (A)</b>	<b>20,202.86</b>	<b>23,713.44</b>
<b>अन्य परिसम्पत्तियाँ OTHER ASSETS</b>		
1 निवेशो पर बकाया / अर्जित आय Income outstanding/accrued on investments	80,454.48	73,970.81
संदिग्ध ब्याज तथा लाभांश का प्रावधान Provision for doubtful Interest & Dividends	(11,684.80)	(11,328.10)
2 बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums	11,660.44	11,641.57
3 एजेंटो के शेष Agents' Balances	1,302.69	1,644.12
एजेंटो के संदिग्ध शेष के लिए प्रावधान Provision for agents doubtful balances	(0.37)	(0.41)

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ (जारी)  
**ADVANCES AND OTHER ASSETS (Contd.)**

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
4 विदेशी एजेंसियों के शेष Foreign Agencies' Balances	0.00	0.00
एजेंटों के संदिग्ध शेष के लिए प्रावधान Provision for agents doubtful balances	0.00	0.00
5 बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाला Due from other entities carrying on insurance business (Including Reinsurance)	34.47	0.00
6 सहायक/नियंत्रक कंपनी से प्राप्त होनेवाला Due from subsidiaries/holding company	1.54	1.53
7 भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (बीमा अधिनियम, 1938 की खण्ड 7 के अनुसरण में) Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to Section 7 of Insurance Act, 1938)	0.00	0.00
8 अन्य / Others:		
i बकाया / प्रोदभूत ऋण पर ब्याज Interest on loans outstanding/accrued	30,107.25	28,158.03
ii स्टॉक हाथ में Stock on hand	57.55	63.40
iii अस्वामिक राशि से संबंधित परिसंपत्तियाँ Assets pertaining to Unclaimed amount	17,914.98	19,032.65
iv अन्य परिसंपत्तियाँ Other assets	337.21	113.80
v (क) निवेश जिनका आबंटन बाकी है (a) Investments Pending Allotment	178.07	70.34
(ख) विविध देनदारों, अग्रिम और जमा के लिए प्रावधान (b) Provision for sundry debtors, advances & deposits	(178.07)	(49.93)
vi जी. एस. टी. का जमा शेष GST Unutilized Credit	793.95	894.62
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>1,30,979.39</b>	<b>1,24,212.43</b>
<b>कुल (क + ख) / TOTAL (A + B)</b>	<b>1,51,182.25</b>	<b>1,47,925.87</b>
भारत में / In India	1,51,108.87	1,47,848.74
भारत के बाहर / Out of India	73.38	77.13
<b>कुल / Total</b>	<b>1,51,182.25</b>	<b>1,47,925.87</b>



चालू देयताएं (जारी)  
CURRENT LIABILITIES (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
ज वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (161) h Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (161)	15.46	13.72
झ वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (828) i Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (828)	36.49	30.64
ञ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842) j Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842)	57.95	33.33
ट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842 नया) k Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842 New)	(43.93)	15.11
ठ सामाजिक सुरक्षा निधि चालू खाता l Social Security Fund Current account	5.40	0.04
ड संबद्ध व्यवसाय चालू खाता m Linked Business Current a/c	73.35	(26.49)
ढ छात्रवृत्ति निधि चालू खाता n Scholarship Fund Contra Accounts	0.04	0.05
ण प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) चालू खाता o Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan (PMSYM) Current Account	(2.62)	(1.73)
त प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PMKMDY) चालू खाता p Pradhan Mantri Kisan Maan - Dhan Yojana (PMKMDY) Current account	(2.90)	(0.18)
थ प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना (PMLVMDY) चालू खाता q Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana (PMLVMDY) current account	(0.04)	(0.09)
द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (856) r Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (856)	94.10	39.87
ध अस्वामिक लाभांश s Unclaimed Dividend	0.46	0.16
<b>कुल / Total</b>	<b>48,551.40</b>	<b>44,437.72</b>
भारत में / In India	46,985.53	42,906.61
भारत के बाहर / Out of India	1,565.87	1,531.11
<b>कुल / Total</b>	<b>48,551.40</b>	<b>44,437.72</b>

अनुसूची – 14  
 SCHEDULE - 14

 प्रावधान  
 PROVISIONS

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 कराधान के लिए (घटाइए भुगतान एवं स्रोत पर कर कटौती) For taxation (less payments and taxes deducted at source)	0.00	0.00
2 प्रस्तावित लाभांश के लिए For proposed dividends	0.00	0.00
3 लाभांश वितरण कर के लिए For dividend distribution tax	0.00	0.00
4 अन्य Others:		
शोधक्षमता सीमा के लिए आरक्षण का प्रावधान Provision for reserve for solvency margin	14,943.06	14,943.06
<b>कुल / Total</b>	<b>14,943.06</b>	<b>14,943.06</b>
भारत में / In India	14,943.06	14,943.06
भारत के बाहर / Out of India	0.00	0.00
<b>कुल / Total</b>	<b>14,943.06</b>	<b>14,943.06</b>

 अनुसूची – 15  
 SCHEDULE - 15

 विविध व्यय  
 (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किए गए हों)

**MISCELLANEOUS EXPENDITURE**

(To the extent not written off or adjusted)

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 शेयर / ऋण-पत्र जारी करने में अनुमत छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	0.00	0.00
2 अन्य Others	0.00	0.00
<b>कुल / Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
भारत में / In India	0.00	0.00
भारत के बाहर / Out of India	0.00	0.00
<b>कुल / Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## अनुसूची 15अ : स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले प्रकटीकरण

### (अ) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

#### निगम की जानकारी

भारतीय जीवन बीमा निगम (“निगम”) 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (‘शासी अधिनियम’) के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है जो भारत में और भारत के बाहर जीवन बीमा के व्यवसाय से जुड़ा है। निगम शासी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है; यह भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), पंजीकरण संख्या 512 दिनांक 01.01.2001 के साथ भी पंजीकृत है और IRDAI अधिनियम, 1999 के यथा संशोधित प्रावधानों और अंतर्निहित विनियमनों के अधीन है, और जो शासी अधिनियम से असंगत नहीं है। निगम व्यक्तिगत और समूह बीमा समाधानों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें व्यवसायों की सहभागी, गैर सहभागी और सम्बद्ध लाइन शामिल हैं। पोर्टफोलियो में विभिन्न बीमा और निवेश उत्पाद जैसे सुरक्षा, पेंशन, बचत, निवेश, वार्षिकी, स्वास्थ्य और परिवर्तनीय व्यवसाय शामिल हैं। निगम के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) (17 मई, 2022 से प्रभावी) में सूचीबद्ध हैं।

#### 1. तैयारी का आधार:

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मूलभूत लेखांकन मान्यताओं, निरंतरता और प्रोद्घवन के आधार पर तैयार किया गया है। निगम की लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं (भारतीय जीएएपी), जिसमें निम्न शामिल हैं; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (संशोधित) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड और दिशानिर्देश, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 (वित्तीय विवरण विनियम), वित्तीय विवरण तैयार करने और जीवन बीमा व्यवसाय के रिटर्न दाखिल करने पर परिपत्र संदर्भ संख्या IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 दिनांक 11 दिसंबर 2013 (मास्टर परिपत्र) और IRDAI द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिपत्र बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधान, यथा संशोधित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुपालन में, और उसमें किए गए संशोधनों और नियमों के अनुसार, लागू सीमा तक।

#### 2. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुरूप है, जिसके लिए प्रबंधन को अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वर्ष के लिए आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा, वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार और परिसंपत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की शेष राशि और आकस्मिक परिसंपत्ति से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। संलग्न वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरणों की तारीख तक और उसके अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है।

#### 3. राजस्व मान्यता:

##### प्रीमियम आय:-

- क) प्रीमियम को देय होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए अनुग्रह अवधि समाप्त नहीं हुई है और पिछली किश्तों का भुगतान किया गया है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, भुगतान की नियत तारीख को उस तारीख के रूप में लिया जाता है जब संबद्ध इकाइयां सृजित की जाती हैं।
- ख) संबद्ध निधि से होने वाली आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रशासन प्रभार, मृत्युदर शुल्क आदि शामिल हैं, को संबद्ध निधि से नियम और शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर मान्यता दी जाती है।
- ग) पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम का लेखा पुनर्बीमा संधि की शर्तों या पुनर्बीमाकर्ता के साथ सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।

## 15A: DISCLOSURES FORMING PART OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

### (A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

#### Corporate Information

Life Insurance Corporation of India (“Corporation”) is a statutory corporation established on 1<sup>st</sup> September, 1956, under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (‘Governing Act’) engaged in the business of Life Insurance in and outside India. Corporation is governed by provisions of the governing Act; it is also registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (‘IRDAI’), Registration No. 512 dated 01.01.2001 and is subject to such provisions of IRDA Act, 1999 as amended and regulations there under which are not inconsistent with the governing Act. The Corporation offers a range of individual and group insurance solutions including participating, non-participating and unit linked lines of businesses. The portfolio comprises of various insurance and investment products such as Protection, Pension, Savings, Investment, Annuity, Health and Variable. The equity shares of the Corporation are listed on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) (w.e.f. 17<sup>th</sup> May, 2022).

#### 1. Basis of Preparation:

The Financial Statements have been prepared under the historical cost convention, with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency and accrual basis, unless otherwise stated. The accounting and reporting policies of the Corporation conform to accounting principles generally accepted in India (Indian GAAP), comprising regulatory norms and guidelines prescribed by the Life Insurance Corporation Act, 1956 (as amended), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor’s Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 (“the Financial Statements Regulations”), the Master Circular on Preparation of Financial Statements and Filing of Returns of Life Insurance Business Ref No. IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 dated December 11, 2013 (“the Master Circular”) and other circulars issued by the IRDAI from time to time, provisions of the Insurance Act, 1938, as amended and in compliance with the Accounting Standards and in compliance with the Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, and amendments and rules made thereto, to the extent applicable.

#### 2. Use of Estimates:

The preparation of Financial Statements is in conformity with generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP), which requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses for the year, reported balances of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as on the date of the Financial Statements. The estimates and assumptions used in the accompanying Financial Statements are based upon management’s evaluation of the relevant facts and circumstances up to and as on the date of the Financial Statements. Actual results may differ from the estimates. Any revision to the accounting estimates is accounted for prospectively.

#### 3. Revenue Recognition:

##### Premium Income:-

- a) Premiums are recognized as income when due, for which grace period has not expired and the previous installments have been paid. In case of Linked Business, the due date for payment is taken as the date when the associated units are created.
- b) Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, mortality charges, etc. are recovered from linked fund in accordance with terms and conditions and recognized when due.
- c) Premium ceded on re-insurance is accounted in accordance with the terms of the re-insurance treaty or in-principle arrangement with the re-insurer.

#### निवेश से आय:-

- घ) सभी सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों ऋण सहित, डिबेंचर और बांड, पास थ्रू प्रमाणपत्र, बंधक ऋण के संबंध में ब्याज आय को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व खाते में क्रेडिट किया जाता है।
- ङ) द्वितीयक बाजार से सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संबंध में, खंडित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान/ नकद आधार पर प्राप्त किया जाता है।
- च) ब्याज, लाभांश, किराया आदि का सकल मूल्य (आयकर की कटौती से पहले) पर हिसाब लगाया जाता है।
- छ) ऋण, डिबेंचर और बांड के संबंध में, तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना ऋण दस्तावेज़ / सूचना ज्ञापन या ऐसे अन्य दस्तावेज़ में उल्लिखित साधारण ब्याज की गणना की विधि के अनुसार की जाती है। सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बंधक ऋणों के संबंध में, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना वर्ष में 360 दिनों के आधार पर की जाती है।
- ज) प्रतिभूतियों/इक्विटी/म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के वर्ष में ही राजस्व में लिया जाता है।
- झ) उद्धृत इक्विटी पर लाभांश जहां इसे प्राप्त करने का अधिकार 31 मार्च (यानी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश) को या उससे पहले देय हो गया है, इसे बाद में प्राप्त आय के रूप में लिया जाता है। गैर-उद्धृत इक्विटी पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में लिया जाता है।
- ञ) पॉलिसी ऋणों पर ब्याज का हिसाब अर्जित के आधार पर किया जाता है।
- त) किराये की आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह देय होता है और किराया / लाइसेंस शुल्क जो 6 महीने से अधिक के लिए बकाया है, को आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। अपफ्रंट प्रीमियम का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।
- थ) अधिमानी शेयरों/म्यूचुअल फंड पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में लिया जाता है।
- द) डिबेंचर/बांड की खरीद पर आवेदन राशि पर ब्याज को नकद आधार पर आय के रूप में लिया जाता है।
- ध) उद्यम पूंजी निवेश पर आय का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।
- न) जीरो कूपन बांड से होने वाली आय को अर्जित आधार पर लेखे में लिया जाता है।
- प) तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार एनपीए पर बकाया ब्याज, ब्याज सस्पेंस के रूप में प्रदान किया जाता है।
- फ) मोचन/परिपक्वता पर प्रीमियम को मोचन/परिपक्वता पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ब) प्रसंस्करण शुल्क प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

#### 4. अधिग्रहण लागतें:

अधिग्रहण लागत उस अवधि में दिखाई जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। अधिग्रहण लागत वे लागतें हैं जो अलग-अलग होती हैं और मुख्य रूप से नए और नवीकरण बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण से संबंधित होती हैं।

#### 5. भुगतान किया गया लाभ:

- क) दावा लागत में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां भी लागू हो, शामिल होते हैं।
- ख) दावे की मान्यता की तिथि पॉलिसी धारक द्वारा मृत्यु या समर्पण की सूचना प्राप्त होने की तिथि होगी। परिपक्वता, उत्तरजीविता लाभ, वार्षिकी आदि के मामले में दावों की मान्यता की तिथि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।
- ग) न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को प्रबंधन विवेक के आधार पर आकस्मिक दायित्व माना जाता है।
- घ) उन अस्वीकृत दावों से संबंधित विवादित कानूनी मामलों के लिए प्रावधान किया गया है जहां एलआईसी द्वारा दायर अपील/रिट/संशोधन लंबित रहने तक एलआईसी के खिलाफ फोरम/कोर्ट द्वारा दी गई संपूर्ण राशि की सीमा तक लोअर फोरम/कोर्ट द्वारा निगम के खिलाफ निर्णय दिया जाता है।

**Investment Income:-**

- d) Interest income in respect of all government securities, debt securities including loans, debentures and bonds, Pass Through Certificate (PTC), mortgage loans is taken credit to the Revenue Account as per the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority.
- e) In respect of purchase or sale of Government and other approved securities from secondary market, interest for the broken period is paid / received on cash basis.
- f) Interest, Dividend, Rent, etc. are accounted at gross value (before deduction of Income Tax)
- g) In respect of loans, debentures and bonds, accrued interest as at the date of the balance sheet is calculated as per method of calculation of simple interest mentioned in the loan document/information memorandum or such other document. In respect of Government and other approved securities and mortgage loans, accrued interest as at the date of balance sheet is calculated based on 360 days a year.
- h) Profit or Loss on sale of Securities/Equities/ Mutual Fund is taken to Revenue only in the year of sale.
- i) Dividend on quoted equity where right to receive the same has fallen due on or before 31<sup>st</sup> March (i.e. dividend declared by the company) is taken as income though received subsequently. Dividend on unquoted equity is taken as income only on receipt.
- j) Interest on policy loans is accounted for on accrual basis.
- k) Rental income is recognized as income when due and rent/license fees which is in arrear for more than 6 months is not recognized as income. Upfront premium is accounted on cash basis.
- l) Dividend on Preference shares/Mutual Fund is taken as income only on receipt.
- m) Interest on application Money on purchase of debentures/bonds is accounted on cash basis.
- n) Income on venture capital investment is accounted on cash basis.
- o) Income from zero coupon bonds is accounted on accrual basis.
- p) Outstanding interest on NPA's as at balance sheet date is provided as interest suspense.
- q) Premium on redemption/maturity is recognized as income on redemption/maturity.
- r) Processing fee is accounted on receipt basis.

**4. Acquisition Costs:**

Acquisition Costs are expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts.

**5. Benefits Paid:**

- a) Claims costs consist of the policy benefit amount and claims settlement costs, wherever applicable.
- b) The date of recognition of claim shall be the date of receipt of intimation of death or surrender by the policy holder. The date of recognition of claims in case of Maturity, Survival benefits, Annuity etc. shall be as per the terms and condition of the policies.
- c) Repudiated claims disputed before judicial authorities are treated as contingent liability based on management prudence.
- d) The provision is made for disputed legal cases pertaining to repudiated claims where decision is given against the Corporation by Lower Forum/Court to the extent of entire amount awarded by the Forum/Court against LIC, pending the Appeal/Writ/Revision filed by LIC.

## 6. निवेश:

### क असंबद्ध व्यवसाय

- क) सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता पर धारित' माना जाता है और मूल्य का खुलासा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जो परिशोधन के अधीन होता है:
- (i) सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियां, जहां बही मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा। जहां अंकित मूल्य बही मूल्य से अधिक होता है, छूट को परिपक्वता पर हिसाब में लिया जाता है।
- (ii) सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर, जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/मैच्योरिटी की बैलेंस अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन की तारीख से 30 दिन पहले नहीं) परिशोधन से अधिक है तो परिशोधन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है लागत।
- गैर-सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/मैच्योरिटी की शेष अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और परिशोधन लागत कम करने के लिए प्रावधान कम किया जाता है।
- सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को बुक वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन तिथि से 30 दिन पहले नहीं), बुक वैल्यू से अधिक है। यदि अंतिम उद्धृत मूल्य कम है, तो इसका मूल्यहास के प्रावधान को घटाकर बही मूल्य पर किया जाता है।
- असूचीबद्ध अप्रतिदेय अधिमानी शेयरों का मूल्यहास के प्रावधान को घटाकर बुक वैल्यू पर किया जाता है।
- ख) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का सक्रिय बाजारों में कारोबार होता है, जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख पर उचित मूल्य पर मापा जाता है और इक्विटी प्रतिभूतियों की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।
- ग) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और कम कारोबार वाली इक्विटी प्रतिभूतियों को ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के प्रावधान को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। इस तरह की कमी का आकलन और हिसाब निगम की हानि नीति के अनुसार किया जाता है। प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित म्युचुअल फंडों को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार ही कम कारोबार के रूप में माना जाएगा।
- घ) द्वितीयक बाजार से इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को छोड़कर सभी निवेशों का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है।
- ङ) निवेश संपत्तियों के मूल्य का खुलासा पुनर्मूल्यांकन राशि पर किया जाता है और निवेश संपत्ति की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में ले जाया जाता है। निवेश संपत्ति का हर तीन साल में कम से कम एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार निम्नानुसार है:-
- (i) निवेश संपत्ति का मूल्यांकन बाजार के किराए पर विचार करते हुए रेंट कैपिटलाइज़ेशन विधि द्वारा किया जाता है।
- (ii) बिना किसी भवन/संरचना के अकेले भूमि वाली निवेश संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
- च) म्युचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) निवेश का मूल्यांकन तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है और म्युचुअल फंड/ईटीएफ की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।
- छ) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश का खुलासा लागत पर किया जाता है।
- ज) वेंचर फंड/वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जहां एनएवी बुक वैल्यू से अधिक होता है। जहां कहीं भी एनएवी बुक वैल्यू से कम होती है, वहां अंतर को हास के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- झ) मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स को बुक वैल्यू पर मापा जाता है।

### ख. संबद्ध व्यवसाय:

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन समय-समय पर जारी आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार होता है।

## 6. Investments:

### A] Non Linked Business

a) Debt Securities including Government Securities and Redeemable Preference Shares are considered as 'held to maturity' and the value is disclosed at historical cost subject to amortization as follows:

- (i) Debt Securities including Government Securities, where the book value is more than the face value, the premium will be amortized on straight line basis over the balance period of holding/maturity. Where face value is greater than book value, discount is accounted on maturity.
- (ii) Listed Redeemable Preference Shares, where the book value is more than the face value, the premium is amortized on a straight line basis over the balance period of holding/maturity and are valued at amortised cost if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than amortised cost. Provision for diminution is made if market value is lower than amortised cost.

Unlisted Redeemable Preference Shares where the book value is more than the face value, the premium is amortised on a straight line basis over the balance period of holding/maturity and are valued at amortised cost less provision for diminution.

Listed Irredeemable Preference Shares are valued at book value if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than book value. In case last quoted price is lower, it is valued at book value less provision for diminution.

Unlisted Irredeemable Preference Shares are valued at book value less provision for diminution.

- b) Listed equity securities that are traded in active Markets are measured at fair value on Balance Sheet date and the change in the carrying amount of equity securities is taken to Fair Value Change Account.
- c) Unlisted equity securities and thinly traded equity securities are measured at historical cost less provision for diminution in the value of such investments. Such diminution is assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation. A security shall be considered as being thinly traded as per guidelines governing mutual funds laid down from time to time by SEBI.
- d) All Investments are accounted on cash basis except for purchase or sale of equity shares & government securities from the secondary market.
- e) The value of Investment Properties is disclosed at the Revalued amounts and the change in the carrying amount of the investment property is taken to Revaluation Reserve. Investment property is revalued at least once in every three years. The basis adopted for revaluation of property is as under:-
  - (i) The valuation of investment property is carried out by Rent Capitalization Method considering the market rent.
  - (ii) Investment properties having land alone without any building/structure is revalued as per current market value.
- f) Mutual fund and Exchange Traded Fund (ETF) investments are valued on fair value basis as at the Balance Sheet date and the change in the carrying amount of mutual fund /ETF is taken to Fair Value Change Account.
- g) Investments in subsidiary companies, joint ventures and associates are disclosed at cost.
- h) Investment in venture fund / Alternative Investment Fund (AIF) is valued at cost wherever NAV is greater than the Book Value. Wherever NAV is lower than Book value the difference is accounted as diminution.
- i) Money Market Instruments are measured at book value.

### B] Linked Business:

Valuation of Securities is in accordance with IRDAI directives issued from time to time.

7. ऋण:

हानि प्रावधानों के अधीन ऋणों को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है।

8. अचल सम्पत्ति:

क) अचल संपत्तियों के मूल्य मूल्यहास घटाकर लागत (करों सहित) पर बताए गए हैं।

ख) निर्माणाधीन संपत्ति और कब्जे में ली गई संपत्तियों के लिए भुगतान की गई राशि, लंबित दस्तावेज, 'गृह संपत्ति एवं भूमि' के तहत गिना जाता है।

9. मूल्यहास / परिशोधन:

अचल संपत्तियों पर मूल्यहास / परिशोधन प्रबंधन द्वारा अनुमानित संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई संपत्ति के लिए मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यहास लगाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से ₹ 5000 तक की लागत वाली संपत्ति, कम मूल्य की संपत्ति होने के कारण खरीद के वर्ष में राजस्व खाते में पूरा व्यय के रूप में लिया जाता है। प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोगी जीवन मूल्यांकन के आधार पर मूल्यहास की दरें इस प्रकार हैं: -

अचल संपत्तियों पर लगाए गए मूल्यहास की दरें:

क्रमांक	परिसंपत्ति	मूल्यहास की दर
1	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10%
2	रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर आदि।	13.91%
3	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	30%
4	वाहन	20%
5	साइकिल	15%
6	कार्यालय उपकरण	10%
7	टेलीफोन, फैक्स/ई पी बी एक्स, विविध पंजी उपकरण	10%
8	दूरसंचार उपकरण, श्रव्य दृश्य और अन्य संबद्ध उपकरण, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स और यूपीएस	30%
9	पुस्तकालय पुस्तके और अन्य प्रचार सामग्री	20%
10	₹ 5000/- से अधिक लागत वाले इंजीनियरिंग विभाग के उपकरण	12.50%
11	गृह संपत्ति (बंधन मुक्त)	2%
12	गृह संपत्ति और भूमि (पट्टे पर)	लीज की अवधि में अनुपातिक रूप से
13	सहकारी समितियों में खरीदे गए स्वामित्व फ्लैट	2%

10. परिसंपत्ति की क्षति:

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की क्षति के लिए समीक्षा की जाती है। यदि इस तरह की क्षति का कोई संकेत मौजूद है, तो उन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, हानि की पहचान की जाती है। जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन आश्चर्य करता है कि संपत्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो हानि के लिए परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को बिगड़ा हुआ माना जाता है, तो पहचान की जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि संपत्ति के अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य से अधिक हो जाती है।

निगम की हानि नीति के अनुसार असूचीबद्ध/कम कारोबार वाले इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों और संबद्ध निवेशों के तहत इक्विटी के लिए हानि का आकलन और हिसाब किया गया।

11. जीवन नीतियों के लिए दायित्व:

पॉलिसीधारकों के प्रति देयताएं निगम के जीवन बीमा व्यवसाय की वार्षिक जांच के अनुसार निगम के नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

## 7. Loans:

Loans are measured at historical cost subject to impairment provisions.

## 8. Fixed Assets:

- Values of the fixed assets are stated at cost (inclusive of taxes) less depreciation.
- Property under construction and amounts paid for the properties taken in possession, pending documentation, are accounted under 'House Property and Land'.

## 9. Depreciation/Amortisation:

Depreciation /amortisation on fixed assets is provided using the straight-line method, based on useful lives of assets as estimated by the management. Depreciation is charged on monthly pro-rata basis for assets purchased/sold during the year. Assets individually costing up to ₹ 5,000, being low value assets are fully charged to revenue in the year of purchase. Based on useful life evaluation carried out by the management, the rates of depreciation are as follows:-

Rates of Depreciation charged on Fixed Assets:

Sr. No.	Asset	Rate of Depreciation
1	Furniture and fittings	10%
2	Refrigerators and water coolers, etc.	13.91%
3	Information Technology Equipment	30%
4	Vehicles	20%
5	Cycles	15%
6	Office Equipment	10%
7	Telephones, Fax/Epabx, Misc. Capital Equipment	10%
8	Communication equipments, Audio Visual & Allied equipment, Voltage stabilizers UPS	30%
9	Library Books and other publicity materials	20%
10	Engineering Department's equipment costing over ₹ 5000/-	12.50%
11	House Property (Freehold)	2%
12	House Property and Land (Leasehold)	Pro rata based on lease period
13	Ownership Flats purchased in Co-op Societies	2%

## 10. Impairment of assets:

The carrying values of assets at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of such impairment exists, the recoverable amounts of those assets are estimated and impairment is recognized, wherever necessary.

Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

The impairment for unlisted/thinly traded equity shares, preference shares and equity under affiliated investments as assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation.

## 11. Liability for Life Policies:

The liabilities towards Policyholders are determined by the Corporation's Appointed Actuary pursuant to his annual investigation of the Corporation's life insurance business.

## 12. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मर्दों, यदि कोई हो, का वर्ष के अंत की समाप्ति दरों पर रूपांतरित किया जाता है। निपटान/अनुवाद पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को लागू होने वाले राजस्व या लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

- क) विदेशी व्यापार से संबंधित लाइफ फंड को संबंधित देशों के वैधानिक नियमों के अनुसार निवेश किया गया है।
- ख) वर्ष के अंत में विदेशों में शाखाओं के वित्तीय विवरण स्थानीय कानूनों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और विनिमय की उचित दरों पर रूपांतरण किया जाता है।
- ग) ऐसे रूपांतरणों पर उत्पन्न होने वाले विनिमय लाभ या हानियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे राजस्व खाते में उत्पन्न होते हैं।
- घ) फिजी, मॉरीशस और यू.के. में किए गए संचालन गैर-अभिन प्रकृति के हैं। राजस्व खाता मर्दों को औसत विनिमय दर और तुलन-पत्र मर्दों को समापन दर पर अनुवादित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन विनिमय अंतर शेयरधारकों या पॉलिसीधारकों के खाते के तहत विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव रिजर्व में जमा होता है जैसा भी मामला हो।
- ङ) भारत से भेजे गए प्रेषणों द्वारा भारत के बाहर किए गए निवेशों को मूल रुपये की लागत पर या जल्द से जल्द दर्ज की गई रुपये की लागत पर हिसाब किया जाता है, जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं होती है।

## 13. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान:

- क) गृह संपत्ति पर ऋण, डिबेंचर और बांड और बंधक ऋण का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
    - i) मानक
    - ii) उप-मानक
    - iii) संदिग्ध और
    - iv) हानि परिसंपत्तियाँ
- भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपनियों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार।
- ख) गैर-निष्पादित ऋण, डिबेंचर और बॉन्ड और हाउस प्रॉपर्टी के खिलाफ बंधक ऋण का प्रावधान भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

## 14. कर्मचारियों को लाभ:

- क) निगम द्वारा जारी समूह ग्रेच्युटी बीमा पॉलिसी के माध्यम से कर्मचारियों को उपदान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किया जाता है और इस तरह, उसके संबंध में दायित्व, जीवन निधि का हिस्सा बनता है।
- ख) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प चुना है, उनके संबंध में जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत गठित भविष्य निधि ट्रस्ट में समान अंशदान किया जाता है।
- ग) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के मामले में, योगदान तब किया जाता है जब संबंधित सेवाएं प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान राजस्व खाते में देय और प्रभारित किया जाता है।

पेंशन योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ योजना के मामले में, भविष्य निधि योजना के बदले में, निगम का योगदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन फंड ट्रस्ट में किया जाता है और उक्त योगदान सहित पिछले सेवा योगदान बीमांकिक गणना के आधार पर किया जाता है।
- घ) निगम द्वारा जारी सामूहिक अवकाश नकदीकरण बीमा पॉलिसी के माध्यम से सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किए जाते हैं और इस प्रकार, इसके संबंध में देयता, जीवन निधि का हिस्सा बनती है।

## 12. Foreign Currency Transactions:

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary items in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

- a) Life Fund relating to foreign business has been invested according to the statutory regulations of the respective countries.
- b) Financial Statements of branches in foreign countries as at the year end are prepared in accordance with local laws and are translated at appropriate rates of exchange.
- c) Exchange gains or losses arising on such conversions are recognised in the period in which they arise in the Revenue Account.
- d) Operations carried out in Fiji, Mauritius and U.K. are of non integral nature. The Revenue A/c items are translated at the average exchange rate and Balance Sheet items at closing rate.

Revaluation Exchange difference is accumulated in Foreign Exchange fluctuation Reserve under shareholders or policyholders account as the case may be.

- e) Investments made outside India by remittances sent from India are accounted for at original rupee cost or at the earliest recorded rupee cost, where original cost is not available.

## 13. Asset Classification and Provisioning for Non-Performing Assets:

- a) Assets representing Loans, Debentures and Bonds and Mortgage Loans against House Property are classified based on record of recovery as:
  - i) Standard
  - ii) Sub-standard
  - iii) Doubtful and
  - iv) Loss Assets

As per the guidelines issued to Insurance Companies by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

- b) Provisioning for Non-Performing loans, debentures and bonds and Mortgage Loans against House Property is made as per the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

## 14. Benefits to employees:

- a) Gratuity to employees is provided for (on the basis of Actuarial Valuation) through a Group Gratuity Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect thereof, forms part of the Life Fund.
- b) In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to the Provident Fund Trust formed under Life Insurance Corporation Act 1956.
- c) In case of Defined Contribution Pension Scheme, the contributions are made when due and charged to Revenue account during the period when related services are rendered.

In case of Defined Benefit Plan for employees who have opted for Pension Scheme, in lieu of Provident Fund Scheme, the Corporation's contribution is made to the Pension Fund Trust, in accordance with the Pension Rules notified by the Government of India and the said contribution including past service contribution is made on the basis of Actuarial calculation.

- d) Leave Encashment Benefits on retirement are provided for ( on the basis of Actuarial Valuation) through a Group Leave Encashment Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect thereof, forms part of the Life Fund.

## 15. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्तियां।

कोई भी प्रावधान एक विश्वसनीय अनुमान के आधार पर किया जाता है जब यह संभव हो कि किसी दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। आकस्मिक दायित्व (पॉलिसियों के अलावा), यदि महत्वपूर्ण हैं, तो टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट की जाती हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को पहचाना या प्रकट नहीं किया गया है।

## 16. प्राप्ति और भुगतान खाता:

प्राप्तियां और भुगतान खाता वित्तीय विवरण तैयार करने और जीवन बीमा व्यवसाय की विवरणियां दाखिल करने संबंधी संदर्भ संख्या IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 दिनांक 11 दिसंबर, 2013 के मास्टर परिपत्र के पैरा 2.2 के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार और रिपोर्ट किया जाता है।

## 17. कराधान:

क) **प्रत्यक्ष कर:** आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 के प्रावधानों के साथ पहली अनुसूची में निहित नियमों और जीवन बीमा कारोबार के लिए लागू आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

ब) **अप्रत्यक्ष कर:** निगम इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के क्रेडिट का दावा करता है, जिसे आउटपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के खिलाफ सेट किया जाता है। इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के लिए अप्रयुक्त क्रेडिट को तुलन-पत्र में 'अनुसूची 12 - अग्रिम और अन्य संपत्ति' के तहत आगे बढ़ाया जाता है, जहां उपयोग की उचित निश्चितता होती है।

## 18. उधार लेने की लागत:

उधार लेने की लागत में ब्याज, जमा पर कमीशन/ब्रोकरेज और विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उस सीमा तक शामिल हैं, जिस हद तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

## 19. प्रति शेयर आय:

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या भी जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे, से विभाजित करके की जाती है।

## 20. खंडीय रिपोर्टिंग:

### क) खंडों की पहचान:

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित खंडीय रिपोर्टिंग पर लेखा मानक 17 के साथ पठित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम 2002 ('विनियम') के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग-अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार निगम ने प्राथमिक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और तुलन पत्र तैयार किया है अर्थात् सहभागी जीवन व्यक्तिगत, सहभागी पेंशन व्यक्तिगत, सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी जीवन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी पेंशन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, असहभागी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, असहभागी संबंध एवं पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है।

### ख) व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के आवंटन का आधार:

शेयरधारकों के खाते से संबंधित खर्चों के समायोजन के बाद जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय को असंबंध सहभागी, असंबंध असहभागी, सामान्य वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य, समूह व्यवसाय और यूनिट संबद्ध (लिंकड) व्यवसाय के आधार पर आवंटित किया जाता है:

क. व्यवसाय की संबंधित लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य व्यय वास्तविक आधार पर व्यवसाय की इन पंक्तियों को आवंटित किए गए हैं, और

## 15. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

A Provision is made based on a reliable estimate when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle an obligation. Contingent liabilities (other than policies), if material, are disclosed by way of notes. Contingent assets are not recognized or disclosed in the financial statements.

## 16. Receipts and Payments Account:

Receipts and Payments Account is prepared and reported using the Direct Method in accordance with Para 2.2 of the Master Circular on Preparation of Financial Statements and Filing of Returns of Life Insurance Business Ref No. IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 dated December 11, 2013.

## 17. Taxation:

- a) **Direct Tax:** Provision for income tax is made in accordance with the provisions of Section 44 of the Income Tax Act, 1961 read with Rules contained in the First Schedule and other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961 as applicable for life insurance business.
- b) **Indirect Tax:** The Corporation claims credit of goods and services tax on input services, which are set off against goods and services tax on output services.

Unutilized credits towards goods and services tax on input services are carried forward under 'Schedule 12 -Advances and Other Assets' in the Balance Sheet, wherever there is reasonable certainty of utilization.

## 18. Borrowing Costs:

Borrowing costs include interest, commission/brokerage on deposits and exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as adjustment to interest cost.

## 19. Earnings per share:

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to equity shareholders by weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares.

## 20. Segmental Reporting:

### a) Identification of Segments:

Based on the primary segments identified under IRDA (preparation of Financial statements and auditors' report of insurance Companies) regulations 2002 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies act 2013 and rules there under, the Corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating Variable individual, Non Participating Health individual, Non Participating Unit Linked and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments.

### b) Basis of allocation of expenditure to various segments of business:

Operating Expenses relating to life insurance business after adjusting for expenses attributable to Shareholders Account and are allocated to various lines of Business such as Non-Linked Participating, Non-Linked Non-Participating, General Annuities, Pensions, Health, Group Business and Unit Linked Business on the basis of:

- a. Expenses which are directly identifiable to the respective lines of business have been allocated to these lines of business on actual basis, and

ख. अन्य व्यय जो व्यवसाय की संबंधित लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित आधार पर या इनके संयोजन के आधार पर सामान्य पूल से आवंटित किया जाता है:

- i. पॉलिसी की संख्या
- ii. कुल प्रीमियम आय
- iii. आश्वस्त राशि

व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य व्यय का आवंटन निगम की अनुमोदित व्यय नीति पर आधारित है।

## 21. पट्टे:

**क) परिचालन पट्टा:** पट्टों जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा किराया को सीधी रेखा आधार पर लीज अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां निगम पट्टेदार है, परिचालन पट्टों के अधीन परिसंपत्तियों को अचल संपत्तियों में शामिल किया जाता है। पट्टे की आय को राजस्व/लाभ और हानि खाते में पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। मूल्यहास सहित लागतों को राजस्व / लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

**ख) वित्तीय पट्टा:** पट्टों के तहत निगम पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को मानता है और संपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अधिग्रहीत ऐसी पट्टे पर दी गई संपत्ति को परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है या पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान का वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो।

## 22. भविष्य के विनियोगों के लिए निधि:

असंबंध सहभागी बिजनेस के लिए, भविष्य के विनियोग खाते के लिए फंड में शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका आवंटन, 'पॉलिसी धारकों' या 'शेयरधारकों' में भाग लेने के लिए, तुलन-पत्र की तारीख में निर्धारित नहीं किया गया है। निधि में और से स्थानांतरण निगम के 'पॉलिसी धारकों' निधि में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक लेखा अवधि में व्यय और विनियोग पर आय की अधिकता या कमी को दर्शाता है। सहभागी पॉलिसीयो के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आवंटन भी आवश्यक अनुपात में एक शेयरधारक हस्तांतरण को जन्म देगा।

संबंध फंड में भविष्य के विनियोग के लिए फंड, अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो कि कालातीत पॉलिसीयो से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें पुनर्जीवित करने की संभावना नहीं है। इस अधिशेष को 'पॉलिसीधारकों' के फंड में तब तक रखना आवश्यक है जब तक कि पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं लेते।

## 23. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखी गई संपत्तियां 17 नवंबर, 2020 के परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 और निवेश विनियम, 2016 के तहत पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर मास्टर परिपत्र की आवश्यकता, और समय-समय पर इसका संशोधित रूप, के अनुसार सृजित बनाए रखी जाती हैं:

- क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों की संपत्ति का खुलासा अनुसूची 12 "अग्रिम और अन्य संपत्ति" में किया गया है, जो तुलन-पत्र का हिस्सा है। दावा न की गई संपत्ति पर संबंधित आय को राजस्व खाते में ब्याज, लाभांश और किराया- सकल के तहत दिखाया गया है।
- ख) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर अर्जित आय को संबंधित दावा न किए गए फंड में जमा किया जाता है और एक अर्जित आधार पर हिसाब किया जाता है।
- ग) निधि में सभी संबंधित अभिवृद्धियों के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए दावा न की गई राशि को आईआरडीआई विनियमों की आवश्यकता के अनुसार वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में जमा किया जाता है।

- b. Other expenses which are not directly identifiable to the respective lines of business are allocated out of the common pool on the following basis or a combination of these:
- i. Number of policies
  - ii. Total premium income
  - iii. Sum assured

Allocation of expenses among various lines of business is based on the approved expense policy of the Corporation.

## 21. Leases:

- a) **Operating Lease:** Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the lease term are classified as operating lease. Operating lease rentals are recognized as an expense over the lease period on a straight-line basis.

Where the Corporation is the lessor, Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the Revenue/Profit and Loss Account on a straight-line basis over the lease term. Costs, including depreciation are recognised as expenses in the Revenue/ Profit and Loss Account.

- b) **Finance Lease:** Leases under which the Corporation assumes substantially all the risks and the rewards of ownership of the asset are classified as finance lease. Such leased asset acquired are capitalised at fair value of the asset or present value of the minimum lease rental payment at the inception of the lease, whichever is lower.

## 22. Funds for future appropriations:

For Non-linked Participating business, the balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to participating 'Policy Holders' or to 'Shareholders', has not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Corporation's 'Policy holders' fund. In respect of participating policies any allocation to the policyholder would also give rise to a shareholder transfer in the required proportion.

The fund for future appropriations held in the Unit-Linked funds, represents surplus that has arisen from lapsed policies unlikely to be revived. This surplus is required to be held within the 'policyholders' fund till the point at which the policyholders' can no longer revive their policy.

## 23. Unclaimed amount of policyholders:

Assets held for unclaimed amount of policyholders are created and maintained in accordance with the requirement of Master circular on Unclaimed amount of Policyholders IRDA/F&A/CIR/Misc/282/ 11/2020 dated November 17, 2020 and Investment Regulations, 2016 as amended from time to time:

- a) Assets of unclaimed amounts of policyholders are disclosed in Schedule 12 "Advances and Other Assets", forming part of Balance Sheet. Corresponding income on unclaimed assets is shown under "Interest, Dividend & Rent- Gross" in Revenue Account.
- b) Income earned on unclaimed amount of policyholders is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis.
- c) Amounts remaining unclaimed for a period of 10 years along with all respective accretions to the fund are deposited into the Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) as per requirement of IRDAI regulations.

24. उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन (एएसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय:

उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन (एएसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय, जो नॉन-पार्टिसिपेटिंग फंड का हिस्सा है, को नॉन-पार्टिसिपेटिंग बिजनेस के तहत संबंधित लेखा अवधि की आय के रूप में माना जाता है। परिणामस्वरूप एएसएम पर अभिवृद्धि से संबंधित राशि (कर को घटाकर) गैर-भागीदारी से शेयरधारकों की निधि में संपत्ति की समान राशि के साथ स्थानांतरित कर दी गई है।

(ब) खातों के लिए टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएं:

(₹ करोड़ में)

अनु.	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
क.	आंशिक रूप से चुकता निवेश	604.96	604.96
ख.	निगम के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	62.68	18.36
ग.	अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं बकाया	शून्य	शून्य
घ.	निगम द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटियां	0.08	0.08
ङ.	विवाद में वैधानिक मांगें/दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं है	15,278.37	13,379.38
च.	उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
छ.	अन्य:-		
	मुकदमेबाजी के तहत नीति संबंधी दावे	511.19	497.77
	पॉलिसी धारकों के अलावा मुकदमेबाजी के तहत दावा	881.81	947.75

2. ऋण, निवेश और अचल संपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धताएं और बकाया इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
ऋण और निवेश	1,615.04	14,545.06
अचल सम्पत्ति	1,058.80	1,378.80

3. पॉलिसी देनदारियों के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक अनुमान:

निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में व्यक्तिगत और समूह अनुबंधों के तहत लिंकड और गैर-लिंकड व्यवसाय शामिल हैं। गैर-लिंकड व्यवसाय में सहभागी आश्वासन/वार्षिकी/पेंशन पॉलिसियों और गैर-भागीदारी आश्वासन/वार्षिकी/पेंशन/व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों शामिल हैं, जो समूह पॉलिसियों के साथ गैर-भाग लेने वाले आश्वासनों के तहत लिखी गई हैं। लिंक किए गए व्यवसाय में समूह अनुबंधों के तहत लिखे गए लिंकड एश्योरेंस व्यवसाय के बहुत कम अनुपात के साथ गैर-भाग लेने वाली आश्वासन/पेंशन/व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों शामिल हैं। इनमें से कुछ पॉलिसियों में राइडर जुड़े होते हैं जैसे कि गंभीर बीमारी, प्रीमियम छूट लाभ, टर्म एश्योरेंस और दुर्घटना लाभ, जिसमें दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ शामिल हैं।

31 मार्च, 2024 तक हमारी बहियों में व्यक्तिगत और समूह पॉलिसियों के लिए मूल्यांकन दायित्व, मूल्यांकन की संभावित सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करके प्रत्येक पॉलिसी के लिए बीमांकिक रूप से गणना की गई है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पॉलिसी के लिए रिजर्व कम से कम गारंटीड सरेंडर मूल्य या विशेष समर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, के बराबर हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पॉलिसी के तहत रिजर्व पर पहुंचते समय नकारात्मक रिजर्व शून्य पर सेट हो।

लिंकड व्यवसाय के संबंध में इकाई देयता को मूल्यांकन की तारीख को इकाइयों के कुल शुद्ध संपत्ति मूल्य के रूप में लिया जाता है। लिंकड व्यवसाय के तहत गैर-इकाई देयता की गणना रियायती नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके की जाती है। देनदारियों की गणना ब्याज, मृत्यु दर, रुग्णता, निकासी, व्यय, मुद्रास्फीति और बोनस के लिए जहां भी लागू हो, मूल्यांकन मान्यताओं के आधार पर की जाती है। समूह नकद संचय योजनाओं के लिए देयता को 31 मार्च, 2024 तक ऐसी सभी योजनाओं के निधि मूल्य के रूप में लिया गया है। समूह बीमा योजनाओं के संबंध में देयता अगले वार्षिक नवीनीकरण तिथि तक की अवधि के आधार पर अनर्जित जोखिम प्रीमियम के रूप में निकाली गई है।

## 24. Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund:

Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund, which is part of Non-Participating fund, is treated as Income of the respective accounting period under Non-Participating business. Consequently amount (net of Tax) pertaining to the accretion on the ASM has been transferred from Non-Participating to Shareholders Fund along with equal amount of Assets.

## (B) NOTES TO ACCOUNTS

### 1. Contingent Liabilities:

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
a.	Partly paid-up investments	604.96	604.96
b.	Claims against the Corporation not acknowledged as Debts	62.68	18.36
c.	Underwriting commitments outstanding	Nil	Nil
d.	Guarantees given by or on behalf of the Corporation	0.08	0.08
e.	Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for	15,278.37	13,379.38
f.	Reinsurance obligations to the extent not provided for	Nil	Nil
g.	Others:-		
	Policy related claims under litigation	511.19	497.77
	Claims under litigation other than policy holders	881.81	947.75

### 2. Commitments made and outstanding for loans, investments and fixed assets aggregate to as follows:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Loans and Investment	1,615.04	14,545.06
Fixed Assets	1,058.80	1,378.80

### 3. Actuarial Assumptions for valuation of Policy liabilities:

The Corporation's Life Insurance Business consists of linked and non-linked business under Individual and Group contracts. The non-linked business consists of Participating Assurance /Annuity / Pension policies and Non-participating Assurance / Annuity /Pension / Individual Health policies and Group policies written under non-participating assurances. The linked business consists of Non-participating Assurance / Pension / Individual Health policies with a very small proportion of linked assurance business written under Group contracts. Some of these policies have riders attached to them such as Critical Illness, Premium Waiver Benefit, Term Assurance and Accident Benefit including Accidental Death & Disability Benefit.

The Valuation liability for Individual and Group policies in our books as at 31<sup>st</sup> March, 2024, has been calculated actuarially for each policy by using Prospective Gross Premium Method of valuation. It is ensured that the reserve for each policy is at least equal to the Guaranteed Surrender Value or Special Surrender Value, whichever is higher. It is also ensured that negative reserve is set to zero while arriving at the reserve under a policy.

The unit liability in respect of Linked business is taken as the total Net Asset Value of the units as on the date of valuation. The non-unit liability under the linked business is calculated using the discounted cash flow method. The liabilities are calculated based on the valuation assumptions for interest, mortality, morbidity, withdrawal, expenses, inflation and bonuses wherever applicable. The liability for Group Cash Accumulation schemes has been taken as the fund value of all such schemes as at 31<sup>st</sup> March, 2024. The liability in respect of One Year Renewable Group Term Assurance schemes has been arrived at as unearned risk premium based on period up to next Annual Renewal Date.

उपयोग की गई ब्याज की मूल्यांकन दरें योजना के प्रकार के अनुसार भिन्न होती हैं और अंतर्निहित परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रकृति और अवधि के आधार पर 5.20% से 7.38% प्रति वर्ष तक होती हैं। बोनस दर अनुमानों को ब्याज की मूल्यांकन दरों के अनुरूप बनाया गया है।

उपयोग की गई मृत्यु दर प्रकाशित भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम तालिका और भारतीय व्यक्तिगत वार्षिक मृत्यु दर (2012-15) अंतिम तालिका पर आधारित हैं, जो किसी भी प्रतिकूल विचलन के लिए अपेक्षित अनुभव और मार्जिन के लिए भत्ता को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं। रुग्णता दर गंभीर बीमारी आधार तालिका (सीआईबीटी 93 यूके) / पुनर्बीमाकर्ता की घटना दरों पर आधारित हैं, जो तर्कशुद्धता के लिए शामिल मार्जिन के साथ हमारे उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित हैं।

मूल्यांकन के लिए व्यय अनुमान या तो प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में या पॉलिसी के अनुसार या इनके संयोजन के रूप में निकाला गया था। व्यक्तिगत व्यवसाय के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रति पॉलिसी व्यय का नवीनीकरण योजना के प्रकार और पॉलिसी की स्थिति और व्यय मुद्रास्फीति के लिए उपयुक्त धारणा के अनुसार भिन्न होता है। व्यक्तिगत व्यवसाय के संबंध में नवीनीकरण प्रीमियम संबंधी खर्चों में योजना के प्रकार के आधार पर प्रीमियम पर जीएसटी, जहां भी लागू हो, शामिल है।

सहभागी नीतियों का मूल्यांकन करते समय, कराधान के लिए भत्ता और शेयरधारकों को अधिशेष का आवंटन अनुबंध की शेष अवधि के लिए आरक्षित भावी प्रत्यावर्ती बोनसों को उचित रूप से रेटिंग देकर किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित के संबंध में देयता के लिए आरक्षित निधियां प्रदान की गई हैं; प्रीमियम छूट लाभ, स्थायी विकलांगता लाभ सहित दोहरा दुर्घटना लाभ, वापसी योग्य अतिरिक्त प्रीमियम और वापसी योग्य डबल दुर्घटना लाभ प्रीमियम के संबंध में देयता, भुगतान की गई पॉलिसियों का पुनरुद्धार, भुगतान मूल्य प्राप्त नहीं करने वाली पॉलिसियों की बहाली, व्यय में तत्काल वृद्धि के मामले में नए व्यवसाय के लिए कार्यालय बंद है, एड्स / एचआईवी के कारण उप मानक जीवन के संबंध में अतिरिक्त जोखिम, हुई लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई मौतें (IBNR) और तबाही। उपर्युक्त मदों के लिए आरक्षित निधि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताओं का निर्धारण किसी प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन की अनुमति देने वाली मूल्यांकन की तिथि पर पॉलिसियों की बकाया अवधियों के लिए भविष्य के अनुभवों के विवेकपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर किया गया था।

इसके अलावा, लिंकड योजनाओं के मामले में, जहां परिपक्वता पर गारंटी है, ऐसी गारंटी की लागत स्टोकेस्टिक विधियों का उपयोग करके निकाली गई है। बीमा खाता II के लिए, ब्याज गारंटी की लागत प्रदान की गई है। उन योजनाओं के लिए जहां ऐसे विकल्प हैं जिनका पॉलिसीधारकों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, इन विकल्पों के मूल्यांकन के लिए सबसे कठिन विकल्प लिया गया है। फ्यूचर विनियोग (एफएफए) के लिए फंड नॉन लिंकड और लिंकड दोनों तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निगम के बोर्ड ने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 और एलआईसी अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 28 के तहत आवश्यक अधिशेष वितरण नीति के तहत सिंगल फंड को अलग-अलग सहभागी और गैर सहभागी फंड में विभाजित करने की मंजूरी दे दी है।

अधिशेष वितरण नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, 95:5 वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 92.5:7.5 और वित्तीय वर्ष 2024-25 से 90:10 के रूप में पार नीतियों के लिए अधिशेष वितरण पैटर्न को अनिवार्य करती है और वित्तीय वर्ष 2021-22 से गैर-पारस्परिक नीतियों के लिए 0:100।

#### 4. पॉलिसीधारकों के खाते और शेयरधारकों के खाते के बीच निवेश और उस पर आय के आवंटन का आधार:

पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में धारित निवेशों से होने वाली आय को संबंधित निधियों में ले जाया गया है।

पॉलिसीधारकों के निवेश पर संचालन और आय से उत्पन्न निवेश योग्य अधिशेष, पॉलिसीधारकों के खाते में निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान शेयरधारकों के फंड में की गई अभिवृद्धि को शेयरधारकों के फंड में निवेश किया जाता है।

#### 5. पूर्व अवधि की मद:

आय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

शून्य

The valuation rates of interest used vary according to the type of plan and ranges from 5.20% to 7.38% p.a. depending on the nature and term of the underlying assets and liabilities. Bonus rate assumptions have been aligned to be consistent with the valuation rates of interest.

The mortality rates used are based on the published Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Ultimate Table and Indian Individual Annuitant Mortality (2012-15) Ultimate Table adjusted to reflect expected experience and allowance for margin for adverse deviation. Morbidity rates are based on the Critical Illness Base Table (CIBT 93, UK) /Reinsurer's incidence rates, suitably modified for our use with margins included for prudence.

The expense assumption for valuation was arrived at either as a percentage of premiums or as per policy or a combination of these. The renewal per policy expenses used for valuing individual business varies according to the type of Plan and status of the policy and with an appropriate assumption for expense inflation. Renewal Premium related expenses in respect of individual business include GST on premium, wherever applicable, depending on the type of Plan. While valuing Participating policies, the allowance for applicable taxation and allocation of surplus to shareholders has been made by appropriately rating up future Reversionary Bonuses reserved for the balance duration of the contract.

Additionally, reserves have been provided for liability in respect of Premium Waiver Benefit, Double Accident Benefit including Permanent Disability Benefit, revival of paid up policies, reinstatement of policies which have not acquired paid up value, immediate increase in expenses in case the office is closed for new business, AIDS/HIV, Incurred But Not Reported deaths (IBNR), catastrophe etc.. The assumptions used for arriving at the reserves for above mentioned items were determined based on a prudent assessment of the future experiences for the outstanding durations of the policies as at the date of valuation allowing for margin for adverse deviation.

Further, in case of Linked Plans, where there is a guarantee at maturity, cost of such guarantee has been arrived at using stochastic methods. For Bima Account II, the cost of interest guarantee has been provided. For Plans where there are options which can be exercised by the policyholders, the most onerous option has been taken for valuing these options. Fund for Future Appropriations (FFA) for both Non Linked and Linked lines of business has been provided in respective lines of Business.

The Board of the Corporation had approved in Financial Year 2021-22, bifurcation of the Single fund into separate Par and Non-Par funds as mandated under Section 24 of LIC Act, 1956, and the Surplus Distribution Policy required under the amended Section 28 of LIC Act, 1956.

The Surplus Distribution Policy mandates the surplus distribution pattern for Par policies as 95:5 for the financial year 2021-22, 92.5:7.5 for the financial years 2022-23 and 2023-24, and 90:10 from financial year 2024-25 onwards and 0:100 for Non-Par policies from financial year 2021-22 onwards.

#### 4. Basis of allocation of investments and income thereon between Policyholders' Account and Shareholders' Account:

Income accruing on investments held in Policyholders' and Shareholders' funds have been taken to the respective funds.

The investible surplus, arising out of operations and income on Policyholders' investments, was invested in Policyholders' account. The accretions to shareholders' fund during the year is invested in shareholders' fund.

#### 5. Prior Period Items:

The income includes following prior period items:

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
	NIL	

व्यय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया, दर एवं अन्य कर	4.38	3.19
अंकेक्षण व्यय	0.00	0.01
दूरभाष व्यय	0.00	0.01
डीजल खर्च	0.05	0.10
प्रोत्साहन /नकद पुरस्कार	0.01	0.01
विधुत प्रभार	0.02	0.05
अन्य विविध व्यय	0.00	0.02
बीमा ग्राम व्यय	0.04	(0.05)
मूल्यहास	0.05	(0.22)
दुरुस्ती एवं अनुरक्षण	0.00	(0.02)
कार्यालय रख रखाव एवं सफाई	0.00	(0.05)
मोटर कार खर्च	0.01	0.00
पोस्टेज और टेलिग्राम	0.01	0.00
दावा न किए गए और ओ/एस दावों पर ब्याज	(7.46)*	0.00
भोजन कूपन	0.02	0.00
रिटर्न दाखिल करने और पंजीकरण नवीनीकरण के लिए शुल्क	0.01	0.00
पूर्णतः/आंशिक रूप से किराए पर दिए गए प्रतिष्ठान व्यय	0.10	0.00
एजेंट प्रतियोगिता मूल्य	0.04	0.00
एसएसवाई के तहत छात्रवृत्ति	0.54	0.00
<b>कुल</b>	<b>(2.18)</b>	<b>3.05</b>

\*दावा न की गई और बकाया वार्षिकियां देय न होने वाले वार्षिक खाते में स्थानांतरित कर दी गईं और इन राशि पर अर्जित ब्याज उलट दिया गया।

\*उपरोक्त उल्लिखित पूर्व अवधि की मदों को राजस्व खाते में अलग से प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

## 6. दावा

31 मार्च, 2024 (पिछले वर्ष शून्य) की स्थिति के अनुसार, छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई दावा निपटाया नहीं गया है और बकाया नहीं है।

The expenses includes following prior period items:

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
Rent, Rates & Taxes	4.38	3.19
Audit Fees	0.00	0.01
Telephone Expenses	0.00	0.01
Cost of Diesel	0.05	0.10
Incentive/cash awards -	0.01	0.01
Electricity charges	0.02	0.05
Other Miscellaneous Expenses	0.00	0.02
Bima Gram Expenses	0.04	(0.05)
Depreciation	0.05	(0.22)
Repairs & maintenance	0.00	(0.02)
Office Upkeep and Cleaning	0.00	(0.05)
Motor Car Expenses	0.01	0.00
Postage and Telegram	0.01	0.00
Interest on unclaimed and O/s claims	(7.46)*	0.00
Meal Coupons	0.02	0.00
Fee for filing of returns and for renewal registration	0.01	0.00
Wholly/Partly rented out Establishment Expenses	0.10	0.00
Agent Competition Prices	0.04	0.00
Scholarship under SSY	0.54	0.00
<b>Total</b>	<b>(2.18)</b>	3.05

\* Annuities Unclaimed and outstanding were transferred to Annuity not payable account and interest accrued on these amount were reversed.

The above mentioned prior period items have not been disclosed separately in the Revenue account as the impact of the same is not material.

## 6. Claims

There are no claims settled and remaining outstanding for a period of more than six months, as at 31<sup>st</sup> March, 2024 (Previous year NIL).

7. क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल राशि	आयु अनुसार विश्लेषण							
		0-6 महीने	7-12 महीने	13-18 महीने	19-24 महीने	25-30 महीने	31-36 महीने	37-120 महीने	120 महीने से अधिक
बीमाधारक/पॉलिसीधारकों से मुकदमेबाजी को छोड़कर किसी भी कारण से पॉलिसीधारकों/बीमित को भुगतान नहीं किया गया दावा	229.44 (355.27)	0.32 (8.88)	21.22 (28.86)	13.27 (47.60)	11.09 (31.64)	31.34 (16.45)	17.55 (12.84)	134.65 (209.01)	0.00 (0.00)
बीमित/पॉलिसीधारकों को परिपक्वता पर या अन्यथा देय राशि	16,312.24 (17,167.81)	15.46 (806.33)	1,184.72 (2,218.95)	976.07 (1,555.54)	1,086.38 (1,774.18)	939.02 (1,270.68)	1,175.39 (1,217.23)	10,933.75 (8,324.90)	1.45 (0.00)
प्रीमियम/कर या किसी अन्य शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन अब तक वापस नहीं किया गया है	1,166.03 (1,264.31)	21.48 (86.57)	106.80 (86.99)	88.29 (121.74)	86.76 (110.51)	84.14 (96.46)	84.90 (116.39)	679.32 (621.49)	14.34 (24.16)
चेक जारी किए लेकिन पॉलिसीधारक /बीमित द्वारा भुनाया नहीं गया	207.23 (284.06)	0.00 (40.78)	0.03 (1.20)	10.34 (18.24)	1.40 (2.64)	3.02 (5.42)	2.73 (4.30)	187.38 (211.49)	2.33 (0.00)

- नोट: 1. प्रति वर्ष 30 सितंबर को 10 साल से अधिक की अवधि के लिए पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को वित्तीय वर्ष के 1 मार्च को या उससे पहले वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।  
2. पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक ( ) में दर्शाए गए हैं।

ख) दावा न की गई राशि और निवेश आय का विवरण

प्रपत्र - सी  
(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय
प्रारंभिक शेष	16,019.38	3,052.08	17,276.96	2,897.16
जोड़ें: दावा न की गई निधि में अंतरित राशि	2,404.22	0.00	6,020.17	0.00
जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (केवल चेक बेकार होने पर ही शामिल किए जाने के लिए)	(0.39)	0.00	0.19	0.00
जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय	0.00	1,249.85	0.00	1,017.87
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि	3,620.96	413.31	6,696.05	620.57
घटा: एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का निवल)	505.30	270.59	581.89	242.38
दावा न की गई राशि निधि का अंतिम शेष	14,296.95	3,618.03	16,019.38	3,052.08

**7. a) Statement showing the Age-wise Analysis of Unclaimed amounts of the Policyholders:**

(₹ in Crore)

Particulars	Total Amount	AGE WISE ANALYSIS							
		0-6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	37-120 months	Beyond 120 months
Claims Settled but not paid to the policyholders/ insured due to any reasons except under litigation from the insured/ policyholders	229.44 (355.27)	0.32 (8.88)	21.22 (28.86)	13.27 (47.60)	11.09 (31.64)	31.34 (16.45)	17.55 (12.84)	134.65 (209.01)	0.00 (0.00)
Sum due to the insured/ policyholders on maturity or otherwise	16,312.24 (17,167.81)	15.46 (806.33)	1,184.72 (2,218.95)	976.07 (1,555.54)	1,086.38 (1,774.18)	939.02 (1,270.68)	1,175.39 (1,217.23)	10,933.75 (8,324.90)	1.45 (0.00)
Any excess collection of the premium/ tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	1,166.03 (1,264.31)	21.48 (86.57)	106.80 (86.99)	88.29 (121.74)	86.76 (110.51)	84.14 (96.46)	84.90 (116.39)	679.32 (621.49)	14.34 (24.16)
Cheques issued but not encashed by the policyholder/insured	207.23 (284.06)	0.00 (40.78)	0.03 (1.20)	10.34 (18.24)	1.40 (2.64)	3.02 (5.42)	2.73 (4.30)	187.38 (211.49)	2.33 (0.00)

Note: 1. Unclaimed amounts of policyholders for a period of more than 10 years as on September 30<sup>th</sup>, every year have been transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) on or before 1<sup>st</sup> March of the financial year.

2. Previous year figures are shown in bracket ( ).

**b) Details of Unclaimed Amount and Investment Income**

Form – C

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2024		For the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2023	
	Policy Dues	Income Accrued	Policy Dues	Income Accrued
Opening Balance	16,019.38	3,052.08	17,276.96	2,897.16
Add: Amount transferred to Unclaimed Fund	2,404.22	0.00	6,020.17	0.00
Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	(0.39)	0.00	0.19	0.00
Add: Investment Income on Unclaimed Fund	0.00	1,249.85	0.00	1,017.87
Less: Amount of claims paid during the year	3,620.96	413.31	6,696.05	620.57
Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	505.30	270.59	581.89	242.38
Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	14,296.95	3,618.03	16,019.38	3,052.08

8. भारत में और भारत के बाहर निगम की परिसंपत्तियों पर भार:

स्थानीय कानूनों के तहत जमा करने के लिए आवश्यक सीमा तक या आरबीआई (एसएलओसी/सीसीआईएल) और संरक्षकों के पास अन्यथा भारग्रस्त प्रतिभूतियों को छोड़कर निगम की संपत्ति किसी भी भार से मुक्त है: ₹ 3,177.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,640.38 करोड़)

9. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य:

विवरण	असंबद्ध व्यवसाय		संबद्ध व्यवसाय	
	खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है	बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं	खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है	बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	5,554.81	4426.90	40.35	0.00
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	88.65	109.17	29.65	0.00

पेंशन व्यवसाय, स्वास्थ्य व्यवसाय और सीआरएसी व्यवसाय के निवेश के संबंध में कोई अनुबंध बकाया नहीं था।

10. अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वेतन और भत्ते	6.94	7.00
पेंशन में निगम का योगदान	0.28	0.34
अनुलाभों का कर योग्य मूल्य	1.51	1.74

उपरोक्त पारिश्रमिक में सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण शामिल नहीं है जो किताबों में अर्जित/भुगतान किया गया होगा। प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक पर नियुक्ति और निर्णय जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ में)

अनु. गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का नाम	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1. डॉ. रंजन शर्मा	0.26	0.32
2. श्री विनोद कुमार वर्मा	0.16	0.17
3. प्रो. अनिल कुमार	0.21	0.25
4. श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	0.19	0.19
5. श्री महालिंगम जी	0.30	0.28
6. श्री राज कमल	0.24	0.20
7. डॉ. वी एस पार्थसारथी	0.22	0.26
8. श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	0.31	0.31
9. श्री संजीव नौटियाल	0.17	0.16

## 8. Encumbrances to assets of the Corporation in and outside India:

The assets of the Corporation are free from any encumbrances except, to the extent required to be deposited under local laws or otherwise encumbered Securities with RBI (SLOC/CCIL) and Custodians: ₹ 3,177.46 Crore (Previous year ₹ 2,640.38 Crore).

## 9. Value of contracts in relation to Investments:

(₹ in Crore)

Particulars	Non-Linked Business		Linked Business	
	Purchases where deliveries are pending	Sales where payments are overdue	Purchases where deliveries are pending	Sales where payments are overdue
For the year ended March 31, 2024	5,554.81	4426.90	40.35	0.00
For the year ended March 31, 2023	88.65	109.17	29.65	0.00

There were no contracts outstanding in relation to investments in respect of Pension business, Health Business and CRAC business.

## 10. Managerial Remuneration to Chairperson, Managing Directors & Key Managerial persons:

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Salaries & Allowances	6.94	7.00
Corporation's contribution to Pension	0.28	0.34
Taxable Value of Perquisites	1.51	1.74

The above remuneration excludes retirement benefits such as gratuity and leave encashment which would have accrued/paid in the books. The appointment and decision on remuneration of managerial personnel which includes the Chairperson and Managing Directors are done by the Government of India.

### Remuneration to Non-Executive Directors and Independent Directors for the year ended March 31, 2024:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Name of Non-Executive and Independent Directors	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
1.	Dr. Ranjan Sharma	0.26	0.32
2.	Shri Vinod Kumar Verma	0.16	0.17
3.	Prof. Anil Kumar	0.21	0.25
4.	Smt. Anjuly Chib Duggal	0.19	0.19
5.	Shri Mahalingam G	0.30	0.28
6.	Shri Raj Kamal	0.24	0.20
7.	Shri V. S. Parthasarthy	0.22	0.26
8.	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	0.31	0.31
9.	Shri Sanjeev Nautiyal	0.17	0.16

11. उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित निवेश की ऐतिहासिक लागत नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विवरण	(क) असंबद्ध निवेश				(ख) संबद्ध निवेश
		शेयरधारकों का कोष	जीवन कोष	पी एंड जीएस कोष	यूनिट लिंक्ड (नॉन यूनिट कोष)	
31.03.2024 तक	पुस्तक मूल्य	2,865.79	6,09,689.50	1,10,899.48	890.09	27,411.35
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	2,738.87	12,74,437.12	1,38,722.77	1,001.29	35,193.28
31.03.2023 तक	पुस्तक मूल्य	1,805.05	5,64,643.15	1,00,946.11	1,784.72	22,725.35
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	1,657.40	9,10,117.74	1,03,678.27	1,858.30	26,594.05

पूँजी मोचन और वार्षिकी निश्चित के उचित मूल्य के आधार पर निवेश की ऐतिहासिक लागत 31 मार्च, 2024 तक शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

12. लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार कर्मचारी हितलाभ के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

क) 31.03.2024 के अनुसार कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता गणना: -

दायित्व का वर्तमान मूल्य और वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
I मान्यताएँ		
रियायती दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर लाभ की दर	8.15%	7.75%
वेतन वृद्धि	6%	6%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	11.72	10.90
II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,311.19	12,195.82
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	1186.62	884.20
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	580.49	567.41
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(1,262.60)	(1,202.93)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	(69.93)	2,866.69
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,745.77	15,311.19

11. Historical cost of investments valued on fair value basis is given below:

(₹ in Crore)

Financial Year	Particulars	(A) Non-Linked Investments				(B) Linked Investment
		Shareholder's Fund	Life Fund	P&GS Fund	Unit Linked (Non Unit Fund)	
As at March 31, 2024	Book Value	2,865.79	6,09,689.50	1,10,899.48	890.09	27,411.35
	Reported Value	2,738.87	12,74,437.12	1,38,722.77	1,001.29	35,193.28
As at March 31, 2023	Book Value	1,805.05	5,64,643.15	1,00,946.11	1,784.72	22,725.35
	Reported Value	1,657.40	9,10,117.74	1,03,678.27	1,858.30	26,594.05

Historical cost of investments valued on fair value basis of Capital Redemption & Annuity Certain as at March 31, 2024 is NIL (Previous year NIL).

12. As per Accounting Standard 15 (revised 2005) "Employee Benefits" the disclosures of Employee Benefits are given below:

A) Employees' Gratuity Liability Calculation as at 31.03.2024: -

The present value of the obligation and current service cost is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method.

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>I Assumptions:-</b>		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	7.75%
Salary Escalation	6%	6%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.72	10.90
<b>II Table showing changes in Present Value of Obligations:-</b>		(₹ in Crore)
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	15,311.19	12,195.82
Acquisition adjustment	0.00	0.00
Interest Cost	1186.62	884.20
Past service Cost	0.00	0.00
Current service Cost	580.49	567.41
Curtailment Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(1,262.60)	(1,202.93)
Actuarial (gain)/loss on obligations	(69.93)	2,866.69
Present Value of obligation as at the end of the year	15,745.77	15,311.19

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
<b>III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	15,311.19	12,195.82
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1,186.62	884.20
योगदान	488.00	3,305.00
भुगतान किया गया लाभ	(1,262.60)	(1,202.93)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	22.55	129.10
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,745.77	15,311.19
<b>IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:-</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	15,311.19	12,195.82
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	1,209.17	1,013.30
योगदान	488.00	3,305.00
भुगतान किया गया लाभ	(1,262.60)	(1,202.93)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,745.77	15,311.19
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ का आधिक्य	22.55	129.10
<b>V बीमांकिक लाभ / हानि मान्यता प्राप्त</b>		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	69.93	(2,866.69)
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	(22.55)	(129.10)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	(92.49)	2,737.59
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	(92.49)	2,737.59
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
<b>VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि</b>		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,745.77	15,311.19
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,745.77	15,311.19
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-</b>		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	15,311.19	12,195.82
Acquisition adjustments	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	1,186.62	884.20
Contributions	488.00	3,305.00
Benefits paid	(1,262.60)	(1,202.93)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	22.55	129.10
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,745.77	15,311.19
<b>IV Table showing Fair value of Plan Assets:-</b>		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	15,311.19	12,195.82
Acquisition adjustments	0.00	0.00
Actual return on Plan Assets	1,209.17	1,013.30
Contributions	488.00	3,305.00
Benefits paid	(1,262.60)	(1,202.93)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,745.77	15,311.19
Funded Status	100.00%	100.00%
Excess of actual over estimated return on Plan Assets	22.55	129.10
<b>V Actuarial Gain/Loss Recognized</b>		
Actuarial gain/(loss) for the year –Obligation	69.93	(2,866.69)
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	(22.55)	(129.10)
Total (gain)/loss for the year	(92.49)	2,737.59
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	(92.49)	2,737.59
Unrecognized actuarial (gain)/losses at the end of year	0.00	0.00
<b>VI The amounts to be recognised in Balance Sheet and statements of Revenue/Profit and Loss</b>		
Present Value of obligation as at the end of the year	15,745.77	15,311.19
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	15,745.77	15,311.19
Funded Status	100.00%	100.00%
Unrecognized Actuarial (gains)/losses	0.00	0.00
Net Asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	0.00	0.00

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
<b>VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय</b>		
वर्तमान सेवा लागत	580.49	567.41
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	1,186.62	884.20
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(1,186.62)	(884.20)
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(92.49)	2,737.59
राजस्व / लाभ एक हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	488.00	3,305.00

**ख) समूह अर्जित अवकाश नकदीकरण दायित्व:**

कर्मचारी को उपलब्ध अर्जित अवकाश नकदीकरण के लाभों का मूल्यांकन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया गया है। इस पद्धति के तहत मूल्यांकन तिथि तक अर्जित लाभों को भविष्य के वेतन पर विचार करते हुए अनुमानित किया जाता है, जिसे बाद में मूल्यांकन तिथि के अनुसार छूट दी जाती है।

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
<b>I मान्यताएँ</b>		
रियायती दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की दर	8.15%	7.95%
वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	11.72	10.90
<b>II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-</b>		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,232.30	5,191.70
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	483.00	376.40
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	74.40	74.98
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(614.83)	(527.21)
बीमांकिक (लाभ)/हानि दायित्वों पर	510.61	1,116.43
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,685.48	6,232.30

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>VII Expense recognised in the Statement of Revenue/ Profit and Loss</b>		
Current Service Cost	580.49	567.41
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	1,186.62	884.20
Expected return on Plan Assets	(1,186.62)	(884.20)
Curtailement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	(92.49)	2,737.59
Expenses recognized in the statement of Revenue/ Profit and Loss	488.00	3,305.00

**B) Group Privilege Leave Encashment Liability:**

The benefits of privilege leave encashment available to employee have been valued using Projected Unit Credit Method. Under this method benefits accrued up to the valuation date are projected considering future salary which is then discounted as at the valuation date.

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>I Assumptions:-</b>		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	7.95%
Salary Escalation	6.00%	6.00%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.72	10.90
<b>II Table showing changes in Present Value of Obligations:-</b>		(₹ in Crore)
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	6,232.30	5,191.70
Acquisition adjustment	0.00	0.00
Interest Cost	483.00	376.40
Past service Cost	0.00	0.00
Current service Cost	74.40	74.98
Curtailement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(614.83)	(527.21)
Actuarial (gain)/loss on obligations	510.61	1,116.43
Present Value of obligation as at the end of the year	6,685.48	6,232.30

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
<b>III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	6,232.30	5,191.70
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	483.00	376.40
योगदान	570.00	1,147.00
भुगतान किया गया लाभ	(614.83)	(527.21)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	15.01	44.41
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,685.48	6,232.30
<b>IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:-</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	6,232.30	5,191.70
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	498.01	420.81
योगदान	570.00	1,147.00
भुगतान किया गया लाभ	(614.83)	(527.21)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,685.48	6,232.30
निध्दिक स्थिति	100.00%	100.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ का आधिक्य	15.01	44.41
<b>V बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:-</b>		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	(510.61)	(1,116.43)
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	(15.01)	(44.41)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	495.60	1,072.02
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	495.60	1,072.02
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
<b>VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि: -</b>		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,685.48	6,232.30
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,685.48	6,232.30
निध्दिक स्थिति	100.00%	100.00%
वर्ष के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-</b>		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6,232.30	5,191.70
Acquisition adjustments	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	483.00	376.40
Contributions	570.00	1,147.00
Benefits paid	(614.83)	(527.21)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	15.01	44.41
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	6,685.48	6,232.30
<b>IV Table showing Fair value of Plan Assets:-</b>		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6,232.30	5,191.70
Acquisition adjustments	0.00	0.00
Actual return on Plan Assets	498.01	420.81
Contributions	570.00	1,147.00
Benefits paid	(614.83)	(527.21)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	6,685.48	6,232.30
Funded Status	100.00%	100.00%
Excess of actual over estimated return on Plan Assets	15.01	44.41
<b>V Actuarial Gain/Loss Recognized:-</b>		
Actuarial gain/(loss) for the year –Obligation	(510.61)	(1,116.43)
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	(15.01)	(44.41)
Total (gain)/loss for the year	495.60	1,072.02
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	495.60	1,072.02
Unrecognized actuarial (gain)/losses at the end of year	0.00	0.00
<b>VI The amounts to be recognised in Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss:-</b>		
Present Value of obligation as at the end of the year	6,685.48	6,232.30
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	6,685.48	6,232.30
Funded Status	100.00%	100.00%
Unrecognized Actuarial (gains)/losses at the end of the year	0.00	0.00
Net Asset/(Liability) recognized in Balance Sheet	0.00	0.00

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
<b>VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय</b>		
वर्तमान सेवा लागत	74.40	74.98
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	483.00	376.40
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(483.00)	(376.40)
कटौती लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत/(क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	495.60	1,072.02
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	570.00	1,147.00

**ग) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 देयता:**

प्रस्तावित ईकाई जमा पद्धति जहां मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि तक का कार्यकाल तथा निर्गमन तिथि तक की वेतन में होने वाली वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए देय हितलाभ मूल्यांकित किए जाते हैं। मूल्यांकन की तारीख को ऐसे लाभों का मूल्य ऐसे अनुमानित लाभों की राशि में छूट देकर निकाला गया है।

प्रमुख धारणाएँ हैं (1) छूट दर और (2) वेतन वृद्धि।

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
<b>I मान्यताएँ</b>		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की दर	8.15%	7.95%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	6.48	6.97
<b>II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-</b>	(₹ करोड़ में)	
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,09,054.83	94,386.86
अधिग्रहण समायोजन	0.00	(1,257.51)
ब्याज लागत	8,451.75	7,217.52
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	14,982.29	15,707.31
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(10,998.18)	(7,504.29)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	1,070.91	504.94
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>VII Expense recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss</b>		
Current Service Cost	74.40	74.98
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	483.00	376.40
Expected return on Plan Assets	(483.00)	(376.40)
Curtailement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost/ (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	495.60	1,072.02
Expenses recognized in the statement of Revenue/ Profit and Loss	570.00	1,147.00

**C) Employees Pension Scheme 1995 Liability:**

Projected Unit Credit Method where the benefits payable are valued considering the service up to the valuation date and increases in salaries up to the date of exit. The value of such benefits as on the valuation date has been arrived at by discounting the amount of such projected benefits.

The principal assumptions are the (1) discount rate & (2) Salary Increase.

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>I Assumptions:-</b>		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of increase in salary (Basic+DA)	6.00%	6.00%
Rate of pension increase	5.00%	5.00%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	7.95%
Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	6.48	6.97
<b>II Table showing changes in Present Value of Obligations:-</b>		(₹ in Crore)
Present Value of Obligation as at the beginning of the year	1,09,054.83	94,386.86
Acquisition adjustment	0.00	(1,257.51)
Interest Cost	8,451.75	7,217.52
Past Service Cost	0.00	0.00
Current Service Cost	14,982.29	15,707.31
Curtailement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(10,998.18)	(7,504.29)
Actuarial (gain)/ loss on obligations	1,070.91	504.94
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,22,561.60	1,09,054.83

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
<b>III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	1,09,054.83	94,386.86
अधिग्रहण समायोजन	0.00	(1,257.51)
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	8,451.75	7,217.52
योगदान	15,782.13	16,127.06
भुगतान किया गया लाभ	(10,998.18)	(7,504.29)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	271.07	85.18
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
<b>IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:-</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	1,09,054.83	94,386.86
बीमांकिक लाभ	0.00	(1,257.51)
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	8,722.82	7,302.70
योगदान	15,782.13	16,127.06
भुगतान किया गया लाभ	(10,998.18)	(7,504.29)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
निधिक स्थिति		
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ की अधिकता	271.07	85.18
<b>V बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:-</b>		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	1,070.91	504.94
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	271.07	85.18
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	799.84	419.76
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	799.84	419.76
अपरिचित बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.00	0.00
<b>VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त धनराशियां</b>		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.00	0.00
शुद्ध संपत्ति / (देयता) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त है	0.00	0.00

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-</b>		
Fair value of plan assets at beginning of the year	1,09,054.83	94,386.86
Acquisition Adjustment	0.00	(1,257.51)
Expected Return on Plan Assets	8,451.75	7,217.52
Contributions	15,782.13	16,127.06
Benefits Paid	(10,998.18)	(7,504.29)
Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	271.07	85.18
Fair Value of Plan Assets at end of year	1,22,561.60	1,09,054.83
<b>IV Table showing Fair value of Plan Assets:-</b>		
Fair value of plan assets at beginning of the year	1,09,054.83	94,386.86
Actuarial gain	0.00	(1,257.51)
Actual Return on Plan Assets	8,722.82	7,302.70
Contributions	15,782.13	16,127.06
Benefits Paid	(10,998.18)	(7,504.29)
Fair value of plan assets at the end of year	1,22,561.60	1,09,054.83
Funded Status		
Excess of actual over estimated return on plan assets	271.07	85.18
<b>V Actuarial Gain/Loss Recognized:-</b>		
Actuarial gain/(loss) for the year – Obligation	1,070.91	504.94
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	271.07	85.18
Total (gain) / loss for the year	799.84	419.76
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	799.84	419.76
Unrecognized actuarial (gains) / losses	0.00	0.00
<b>VI The Amounts To Be Recognized In Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss</b>		
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,22,561.60	1,09,054.83
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	1,22,561.60	1,09,054.83
Funded Status	Funded	Funded
Unrecognized Actuarial (gains) / losses	0.00	0.00
Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	0.00	0.00

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
<b>VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय</b>		
वर्तमान सेवा लागत	14,982.29	15,707.30
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	8,451.75	7,217.52
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(8,451.75)	(7,217.52)
संक्षिप्त लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	799.84	419.76
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	15,782.13	16,127.06

घ) नोट: अतिरिक्त प्रकटीकरण भाग (c) के अंतर्गत नोट सं. 20, 21 और 22 देखें।

ङ) नियमित अंशकालिक कर्मचारी पेंशन योजना 1999 देयता:

प्रमुख धारणाएं हैं (1) रियायती दर और (2) वेतन वृद्धि ।

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
<b>I मान्यताएँ</b>		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्ति पर रिटर्न की दर	8.15%	7.95%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	6.34	7.56
<b>II दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:—</b>		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	254.57	215.95
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	19.73	16.74
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	17.67	21.88
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	(24.15)	(1.59)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	3.11	1.60
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	270.93	254.57

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>VII Expense recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss</b>		
Current Service Cost	14,982.29	15,707.30
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	8,451.75	7,217.52
Expected Return on Plan Assets	(8,451.75)	(7,217.52)
Curtailement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	799.84	419.76
Expenses Recognized in the statement of Revenue/ Profit and Loss	15,782.13	16,127.06

D) Note: Refer Note no. 20, 21 and 22 under part (c) Additional Disclosures.

E) Regular Part-Time Employees Pension Scheme 1999 Liability:

The principal assumptions are the (1) discount rate & (2) Salary Increase.

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>I Assumptions:-</b>		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of increase in salary (Basic+DA)	6.00%	6.00%
Rate of pension increase	5.00%	5.00%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	7.95%
Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	6.34	7.56
<b>II Table showing changes in Present Value of Obligations:-</b>		(₹ in Crore)
Present Value of Obligation as at the beginning of the year	254.57	215.95
Acquisition adjustment	0.00	0.00
Interest Cost	19.73	16.74
Past Service Cost	0.00	0.00
Current Service Cost	17.67	21.88
Curtailement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Benefits paid	(24.15)	(1.59)
Actuarial (gain)/ loss on obligations	3.11	1.60
Present Value of Obligation as at the end of the year	270.93	254.57

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
<b>III योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:-</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	254.57	219.14
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	19.73	16.74
योगदान	20.06	23.05
भुगतान किया गया लाभ	(24.15)	(1.59)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.72	0.42
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	270.93	254.57
<b>IV योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:-</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	254.57	219.14
बीमांकिक लाभ/हानि	0.00	0.00
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	20.45	17.16
योगदान	20.06	23.05
भुगतान किया गया लाभ	(24.15)	(1.59)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	270.93	254.57
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ की अधिकता	0.72	0.42
<b>V बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:-</b>		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	3.11	1.60
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	0.72	0.42
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	2.39	1.17
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	2.39	1.17
अपरिचित बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.00	0.00
<b>VI तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि</b>		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	270.93	254.57
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	270.93	254.57
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.00	0.00
शुद्ध संपत्ति / (देयता) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त है	0.00	0.00

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>III Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:-</b>		
Fair value of plan assets at beginning of the year	254.57	219.14
Acquisition Adjustment	0.00	0.00
Expected Return on Plan Assets	19.73	16.74
Contributions	20.06	23.05
Benefits Paid	(24.15)	(1.59)
Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	0.72	0.42
Fair Value of Plan Assets at end of year	270.93	254.57
<b>IV Table showing Fair value of Plan Assets:-</b>		
Fair value of plan assets at beginning of the year	254.57	219.14
Actuarial gain/loss	0.00	0.00
Actual Return on Plan Assets	20.45	17.16
Contributions	20.06	23.05
Benefits Paid	(24.15)	(1.59)
Fair value of plan assets at the end of year	270.93	254.57
Funded Status	Funded	Funded
Excess of actual over estimated return on plan assets	0.72	0.42
<b>V Actuarial Gain/Loss Recognized:-</b>		
Actuarial gain/(loss) for the year – Obligation	3.11	1.60
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	0.72	0.42
Total (gain) / loss for the year	2.39	1.17
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	2.39	1.17
Unrecognized actuarial (gains) / losses	0.00	0.00
<b>VI The Amounts To Be Recognized In Balance Sheet And Statements of Revenue/Profit and Loss</b>		
Present Value of Obligation as at the end of the year	270.93	254.57
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	270.93	254.57
Funded Status	Funded	Funded
Unrecognized Actuarial (gains) / losses	0.00	0.00
Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	0.00	0.00

	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
VII राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	17.67	21.88
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	19.73	16.74
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(19.73)	(16.74)
कटौती लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
निपटान लागत / (क्रेडिट)	0.00	0.00
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.39	1.17
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	20.06	23.05

(ग) अतिरिक्त प्रकटीकरण:

- 1) वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश

(₹ करोड़ में)

शाखा	प्रतिभूतियों का प्रकार	पुस्तक मूल्य 31.03.2024 तक	पुस्तक मूल्य 31.03.2023 तक
मॉरीशस	बैंक ऑफ बड़ौदा में सावधि जमा @ 1.35% & 1.15%	1.80	1.81
फ़िजी	एफजीआर स्टॉक @ 12%, 6.50%, 7.23%, 13%, और 5.46%	58.56	59.70

उपरोक्त निवेश विदेशी मुद्रा में आयोजित किए जाते हैं और समाप्त विनिमय दर पर परिवर्तित होते हैं।

- 2) आय की पहचान के उद्देश्य से निष्पादित/गैर-निष्पादित निवेशों में अलगाव।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
निवेश निष्पादित:	5,21,183.55	4,57,959.19
गैर-निष्पादित निवेश:	10,697.53	12,031.36

- 3) पुनर्संरचना के अधीन परिसंपत्तिया

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पुनर्संरचना के अधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि	566.11	329.94
पुनर्संरचना के अधीन मानक परिसंपत्तियों की कुल राशि	15.44	238.94
पुनर्संरचना के अधीन अवमानक परिसंपत्तियों की कुल राशि	0.00	0.00
पुनर्संरचना के अधीन संदिग्ध और हानि वाली संपत्तियों की कुल राशि	550.67	91.00

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>VII Expense recognized in the Statement of Revenue/ Profit and Loss</b>		
Current Service Cost	17.67	21.88
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	19.73	16.74
Expected Return on Plan Assets	(19.73)	(16.74)
Curtailement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Settlement Cost / (Credit)	0.00	0.00
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	2.39	1.17
Expenses Recognized in the statement of Revenue/ Profit and Loss	20.06	23.05

**(C) ADDITIONAL DISCLOSURES:**

- 1) Investments made in accordance with the statutory requirements

(₹ in Crore)

Branch	Type of Securities	Book Value As at 31.03.2024	Book Value As at 31.03.2023
Mauritius	Fixed Deposit with Bank of Baroda @ 1.35% & 1.15%	1.80	1.81
Fiji	FGR Stock @ 12%, 6.50%, 7.23%, 13%, and 5.46%	58.56	59.70

The above investments are held in foreign currency and are converted at the closing exchange rate.

- 2) Segregation into Performing/Non-performing investments for the purpose of Income recognition.

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Performing investments	5,21,183.55	4,57,959.19
Non-performing investments	10,697.53	12,031.36

- 3) Assets Subject to Restructuring

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Total amount of loan assets subject to restructuring	566.11	329.94
Total amount of standard assets subject to restructuring	15.44	238.94
Total amount of sub standard assets subject to restructuring	0.00	0.00
Total amount of doubtful & loss assets subject to restructuring	550.67	91.00

4) क्षेत्रवार व्यवसाय का प्रतिशत

विवरण	वर्ष के लिए	
	31.03.2024	31.03.2023
ग्रामीण व्यवसाय	47.72%	22.25%
शहरी व्यवसाय	52.28%	77.75%
सामाजिक क्षेत्र (बीमित जीवन की संख्या % में)	5.73%	14.05%

5) अवधारित और बीमाकृत जोखिम:

(% में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	अवधारित जोखिम	बीमाकृत जोखिम	अवधारित जोखिम	बीमाकृत जोखिम
	प्रथम वर्ष का प्रीमियम	99.85	0.15	99.91
परवर्ती प्रीमियम	99.75	0.25	99.74	0.26
एकल प्रीमियम	100.00	0.00	100.00	0.00

नोट: उपरोक्त आंकड़े निगम द्वारा अर्जित कुल प्रीमियम और कुल पुनर्बीमा के आधार पर तैयार किये गये हैं।

6) बंद पॉलिसियों से संबंधित प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
	तक/को समाप्त वर्ष के लिए	तक/को समाप्त वर्ष के लिए
<b>बंद पॉलिसियों की नीतियों के लिए निधि</b>		
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का प्रारंभिक शेष	177.22	82.35
जोड़ें: वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों का फंड	558.01	235.69
घटाये: वर्ष के दौरान पुनर्जीवित/भुगतान की गई पॉलिसियों की निधि	346.44	142.78
जोड़ें: निधि के निवेश पर शुद्ध आय/लाभ	22.34	5.70
घटाये: निधि प्रबंधन शुल्क	1.53	0.55
घटाये: वर्ष के दौरान पॉलिसी धारकों को वापस की गई राशि	1.73	3.19
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का अंतिम शेष	407.87	177.22

## 4) Percentage of business sector-wise

Particulars	For the year ended	
	31.03.2024	31.03.2023
Rural business	47.72%	22.25%
Urban business	52.28%	77.75%
Social Sector (No. of Lives Insured in %)	5.73%	14.05%

## 5) Risk Retained and Re-Insured:

(in %)

Particulars	For the year ended 31.03.2024		For the year ended 31.03.2023	
	Risk retained	Risk Insured	Risk retained	Risk Insured
First year premium	99.85	0.15	99.91	0.09
Renewal premium	99.75	0.25	99.74	0.26
Single premium	100.00	0.00	100.00	0.00

Note: The above data has been prepared based on the total premium earned and total premium reinsured by the Corporation.

## 6) Disclosures relating to discontinued policies

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended / as at 31.03.2024	For the year ended / as at 31.03.2023
<b>Fund for Discontinued Policies</b>		
Opening Balance of Fund for Discontinued Policies	177.22	82.35
Add: Fund of policies discontinued during the Year	558.01	235.69
Less: Fund of policies revived/Paid during the Year	346.44	142.78
Add: Net Income/Gains on Investment of the Fund	22.34	5.70
Less: Fund Management Charges levied	1.53	0.55
Less: Amount refunded to Policy Holders during the Year	1.73	3.19
Closing Balance of Fund for Discontinued Policies	407.87	177.22

अन्य प्रकटीकरण:

विवरण	न्यू एंडोमेंट प्लस (835)	न्यू एंडोमेंट प्लस (935)	एसआईआईपी (852)	निवेश प्लस (849)	न्यू पेन्शन प्लस (867)	इन्डेक्स प्लस (873)
वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों की संख्या	572 (340)	20,595 (14,209)	80,458 (58,361)	21 (8)	37,029 (17369)	5499 (0)
वर्ष के दौरान बंद की गई कुल पॉलिसियों का प्रतिशत	3.77 (1.83)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (0.00)
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों की संख्या	3 (41)	8,367 (5,205)	44,563 (30,786)	0 (0)	18,978 (4363)	1 (0)
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों का प्रतिशत	0.52 (12.05)	40.63 (36.63)	55.39 (52.75)	0.00 (0.00)	51.25 (25.12)	0.02 (0.00)
बंद पॉलिसियों के कारण लगाए गए शुल्क (₹ करोड़ में)	0.00 (0.01)	3.60 (2.61)	15.93 (11.67)	0.00 (0.00)	7.58 (2.24)	0.24 (0.00)
पॉलिसियों के पुनरुद्धार के कारण पुनः समायोजित प्रभार (₹ करोड़ में)	0.00 (0.00)	1.58 (1.03)	9.13 (6.34)	0.00 (0.00)	4.30 (0.58)	0.00 (0.00)

\* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक ( ) में दिखाए गए हैं।

7) IRDAI द्वारा निर्धारित अनुपात

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
1	नव व्यवसाय प्रीमियम वृद्धि दर (खण्ड वार)		
	(i) संबद्ध व्यवसाय:		
	क) जीवन	18.57%	28.78%
	ख) पेंशन	11.44%	प्रयोजनीय नहीं
	ग) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	(ii) गैर-संबद्ध व्यवसाय:		
	सहभागी:		
	क) जीवन	-13.44%	0.04%
	ख) वार्षिकी	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ग) पेंशन	प्रयोजनीय नहीं	-100.00%
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	गैर-सहभागी युक्त:		
	क) जीवन	35.44%	21.17%
	ख) वार्षिकी	0.12%	10.74%
	ग) पेंशन	-17.04%	20.99%
	घ) स्वास्थ्य	-55.58%	-7.66%
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं

## Other Disclosures:

Particulars	New Endowment Plus (835)	New Endowment Plus (935)	SIIP (852)	Nivesh Plus (849)	New Pension Plus (867)	Index Plus (873)
Number of policies discontinued during the Year	572 (340)	20,595 (14,209)	80,458 (58,361)	21 (8)	37,029 (17369)	5499 (0)
Percentage of discontinued to total policies during the Year	3.77 (1.83)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (0.00)
Number of policies revived during the Year	3 (41)	8,367 (5,205)	44,563 (30,786)	0 (0)	18,978 (4363)	1 (0)
Percentage of policies revived during the Year	0.52 (12.05)	40.63 (36.63)	55.39 (52.75)	0.00 (0.00)	51.25 (25.12)	0.02 (0.00)
Charges imposed on account of discontinued policies (₹ in Crore)	0.00 (0.01)	3.60 (2.61)	15.93 (11.67)	0.00 (0.00)	7.58 (2.24)	0.24 (0.00)
Charges readjusted on account of revival of policies (₹ in Crore)	0.00 (0.00)	1.58 (1.03)	9.13 (6.34)	0.00 (0.00)	4.30 (0.58)	0.00 (0.00)

\* Previous year figures are shown in bracket ( ).

## 7) Ratios as prescribed by IRDAI

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2024	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2023
<b>1</b>	<b>New Business Premium Growth Rate (Segment wise)</b>		
	<b>(i) Linked Business:</b>		
	a) Life	18.57%	28.78%
	b) Pension	11.44%	NA
	c) Health	NA	NA
	d) Variable Insurance	NA	NA
	<b>(ii) Non-Linked Business:</b>		
	<b>Participating:</b>		
	a) Life	-13.44%	0.04%
	b) Annuity	NA	NA
	c) Pension	NA	-100.00%
	d) Health	NA	NA
	e) Variable Insurance	NA	NA
	<b>Non Participating:</b>		
	a) Life	35.44%	21.17%
	b) Annuity	0.12%	10.74%
	c) Pension	-17.04%	20.99%
	d) Health	-55.58%	-7.66%
	e) Variable Insurance	NA	NA

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
2	एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से कुल नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	43.47%	43.76%
3	कुल नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से संबद्ध नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	7.70%	6.44%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात	99.86%	99.86%
5	संरक्षण अनुपात (खंड वार)		
	(i) संबद्ध व्यवसाय:		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	119.69%	112.67%
	ख) पेंशन	128.89%	98.16%
	ग) स्वास्थ्य	88.50%	88.37%
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	(ii) गैर-संबद्ध व्यवसाय:		
	सहभागी :		
	क) जीवन	92.00%	92.96%
	ख) वार्षिकी	87.34%	85.19%
	ग) पेंशन	88.43%	88.36%
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	गैर-सहभागी:		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	62.53%	91.91%
	ख) वार्षिकी	153.76%	80.63%
	ग) पेंशन (व्यक्तिगत और समूह)	37.53%	29.90%
	घ) स्वास्थ्य	80.14%	73.03%
	ड) परिवर्तनीय बीमा	77.46%	72.28%
	पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकीसहित	82.04%	66.28%
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का व्यय	15.57%	15.53%
7	कमीशन अनुपात (सकल प्रीमियम का भुगतान किया गया सकल कमीशन और पुरस्कार से)	5.46%	5.29%
8	व्यापार विकास और बिक्री संवर्धन व्यय का नव व्यापार प्रीमियम से	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
9	ब्राण्ड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क / प्रभार का नव व्यवसाय प्रीमियम से अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
10	पॉलिसीधारकों की निधि का शेयरधारकों की निधि से अनुपात	62.73	97.34
11	निवल संपत्ति में परिवर्तन (राशि ₹ करोड़ में)	36268.76	35260.26
12	निवल मूल्य में वृद्धि	79.42%	338.74%
13	अधिशेष का पॉलिसीधारक निधि से अनुपात	0.01	0.01

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2024	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2023
2	Percentage of Single Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)	43.47%	43.76%
3	Percentage of Linked New Business Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)	7.70%	6.44%
4	Net Retention Ratio	99.86%	99.86%
5	Conservation Ratio (Segment wise)		
	<b>(i) Linked Business:</b>		
	a) Life (Individual and Group)	119.69%	112.67%
	b) Pension	128.89%	98.16%
	c) Health	88.50%	88.37%
	d) Variable Insurance	NA	NA
	<b>(ii) Non-Linked Business:</b>		
	<b>Participating:</b>		
	a) Life	92.00%	92.96%
	b) Annuity	87.34%	85.19%
	c) Pension	88.43%	88.36%
	d) Health	NA	NA
	e) Variable Insurance	NA	NA
	<b>Non Participating:</b>		
	a) Life (Individual and Group)	62.53%	91.91%
	b) Annuity	153.76%	80.63%
	c) Pension (Individual and Group)	37.53%	29.90%
	d) Health	80.14%	73.03%
	e) Variable Insurance	77.46%	72.28%
	<b>CRAC</b>	82.04%	66.28%
6	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	15.57%	15.53%
7	Commission Ratio (Gross commission and Rewards paid to Gross Premium)	5.46%	5.29%
8	Business Development and Sales Promotion Expenses to New Business Premium	NA	NA
9	Brand/Trade Mark usage fee/charges to New Business Premium	NA	NA
10	Ratio of Policyholders' Fund to Shareholders' funds	62.73	97.34
11	Change in net worth (Amount in ₹ Crore)	36268.76	35260.26
12	Growth in Networth	79.42%	338.74%
13	Ratio of Surplus to Policyholders' Fund	0.01	0.01

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
14	कर पश्चात लाभ/कुल आय	4.74%	4.61%
15	(कुल अचल संपत्ति + ऋण)/(नकद और निवेशित संपत्ति)	0.03	0.03
16	कुल निवेश/(पूंजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)**	60.62	92.64
17	कुल संबद्ध निवेश/(पूंजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)	0.57	1.02
18	निवेश प्रतिफल-(सकल और निवल)-फंड वार और प्राप्त लाभ के साथ/बिना*		
	(अ) अप्राप्त लाभ के बिना		
	पॉलिसीधारकों की निधियाँ : असंबद्ध सहभागी	8.59%	8.08%
	गैर सहभागी	9.60%	8.65%
	संबद्ध	9.71%	12.14%
	कुल	8.93%	8.29%
	अंशधारको की निधियाँ	8.02%	6.48%
	(ब) अप्राप्त लाभ के साथ		
	पॉलिसीधारक की निधियाँ : असंबद्ध सहभागी	17.89%	6.29%
	गैर सहभागी	19.43%	7.85%
	संबद्ध	27.31%	3.06%
	कुल	18.46%	6.78%
	अंशधारको की निधियाँ	8.07%	5.39%
19	सततावृत्ति अनुपात - प्रीमियम आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के तहत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)**		
	13वें महीने के लिए	77.66%	77.09%
	25वें महीने के लिए	71.00%	69.93%
	37वें महीने के लिए	65.47%	70.05%
	49वें महीने के लिए	66.31%	63.53%
	61वें महीने के लिए	60.88%	61.80%
	सततावृत्ति अनुपात - प्रीमियम आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
	13वें महीने के लिए	99.51%	99.48%
	25वें महीने के लिए	98.70%	98.95%
	37वें महीने के लिए	97.79%	97.65%
	49वें महीने के लिए	96.50%	96.17%
	61वें महीने के लिए	94.62%	94.88%

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2024	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2023
14	Profit after tax / Total Income	4.74%	4.61%
15	(Total Real Estate + Loans)/(Cash & Invested Assets)	0.03	0.03
16	Total Investments/(Capital + Reserves and Surplus)**	60.62	92.64
17	Total Affiliated Investments/(Capital + Reserves and Surplus)	0.57	1.02
18	Investment Yield - (Gross and Net) - Fund wise and With/Without realised gain *		
	<b>A Without unrealized gain</b>		
	Policyholder's Fund:Non linked Par	8.59%	8.08%
	Non Par	9.60%	8.65%
	Linked	9.71%	12.14%
	<b>Total</b>	<b>8.93%</b>	<b>8.29%</b>
	Shareholder's Fund	8.02%	6.48%
	<b>B With unrealised gain</b>		
	Policyholder's Fund:Non linked Par	17.89%	6.29%
	Non Par	19.43%	7.85%
	Linked	27.31%	3.06%
	<b>Total</b>	<b>18.46%</b>	<b>6.78%</b>
	Shareholder's Fund	8.07%	5.39%
19	Persistency Ratio - Premium Basis (Regular Premium/Limited Premium Payment under Individual category)**		
	For 13 <sup>th</sup> month	77.66%	77.09%
	For 25 <sup>th</sup> month	71.00%	69.93%
	For 37 <sup>th</sup> month	65.47%	70.05%
	For 49 <sup>th</sup> Month	66.31%	63.53%
	for 61 <sup>st</sup> month	60.88%	61.80%
	<b>Persistency Ratio - Premium Basis (Single Premium/ Fully paid-up under Individual category)</b>		
	For 13 <sup>th</sup> month	99.51%	99.48%
	For 25 <sup>th</sup> month	98.70%	98.95%
	For 37 <sup>th</sup> month	97.79%	97.65%
	For 49 <sup>th</sup> Month	96.50%	96.17%
	for 61 <sup>st</sup> month	94.62%	94.88%

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
	<b>सततावृत्ति अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)</b>		
	13वें महीने के लिए	66.99%	64.28%
	25वें महीने के लिए	57.47%	56.97%
	37वें महीने के लिए	52.50%	56.90%
	49वें महीने के लिए	53.23%	51.05%
	61वें महीने के लिए	48.59%	49.86%
	<b>सततावृत्ति अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)</b>		
	13वें महीने के लिए	99.52%	99.50%
	25वें महीने के लिए	98.70%	98.69%
	37वें महीने के लिए	97.28%	97.17%
	49वें महीने के लिए	95.92%	95.93%
	61वें महीने के लिए	94.60%	94.54%
20	<b>एनपीए अनुपात</b>		
	<b>पॉलिसीधारकों की निधि</b>		
	असंबद्ध सहभागी सकल एनपीए अनुपात	2.54%	3.27%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	असंबद्ध गैर सहभागी सकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.07%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित सकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	संबद्ध सकल एनपीए अनुपात	12.56%	18.89%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	कुल सकल एनपीए अनुपात	2.01%	2.56%
	कुल शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	<b>अंशधारकों की निधि</b>		
	सकल एनपीए अनुपात	1.68%	0.00%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
21	<b>ऋण शोधन क्षमता अनुपात</b>	1.98	1.87
22	<b>ऋण इक्विटी अनुपात</b>	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
23	<b>कर्ज सेवा कवरेज अनुपात</b>	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
24	<b>ब्याज सेवा कवरेज अनुपात</b>	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
25	<b>औसत टिकट आकार ₹ – व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर-एकल)</b>	16,766.81	17,008.40

पिछली अवधि के अनुपातों को पुनर्समूहित आंकड़ों पर निकाला जाता है

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2024	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2023
	<b>Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Regular Premium/Limited Premium Payment under Individual category)</b>		
	For 13 <sup>th</sup> month	66.99%	64.28%
	For 25 <sup>th</sup> month	57.47%	56.97%
	For 37 <sup>th</sup> month	52.50%	56.90%
	For 49 <sup>th</sup> Month	53.23%	51.05%
	for 61 <sup>st</sup> month	48.59%	49.86%
	<b>Persistency Ratio - Number of Policy Basis (Single Premium/Fully paid-up under Individual category)</b>		
	For 13 <sup>th</sup> month	99.52%	99.50%
	For 25 <sup>th</sup> month	98.70%	98.69%
	For 37 <sup>th</sup> month	97.28%	97.17%
	For 49 <sup>th</sup> Month	95.92%	95.93%
	for 61 <sup>st</sup> month	94.60%	94.54%
20	<b>NPA Ratio</b>		
	<b>Policyholders' Funds</b>		
	Non linked Par Gross NPA Ratio	2.54%	3.27%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Non linked Non Par Gross NPA Ratio	0.00%	0.07%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	CRAC Gross NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Linked Gross NPA Ratio	12.56%	18.89%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Total Gross NPA Ratio	2.01%	2.56%
	Total Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	<b>Shareholders' Funds</b>		
	Gross NPA Ratio	1.68%	0.00%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
21	<b>Solvency Ratio (Within India business)</b>	1.98	1.87
22	<b>Debt Equity Ratio</b>	NA	NA
23	<b>Debt Service Coverage Ratio</b>	NA	NA
24	<b>Interest Service Coverage Ratio</b>	NA	NA
25	<b>Average ticket size in ₹ - Individual premium (Non-Single)</b>	16,766.81	17,008.40

Previous Period's Ratios are worked out on regrouped figures wherever necessary.

"NA" : Not available

# Can not be worked out.

\*\*सततावृत्ति अनुपात तथा कुल निवेश / (पूँजी आरक्षित निधि अधिशेष) की गणना संशोधित आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है

नोट: नीचे बताए गए अनुपातों को छोड़कर सभी अनुपात प्रतिशत के रूप में हैं

- क) पॉलिसीधारकों की निधि का अंशधारकों की निधि से
- ख) निवल संपत्ति में परिवर्तन करोड़ रुपये में है
- ग) अधिशेष का पॉलिसीधारकों की निधि से अनुपात
- घ) (कुल अचल संपत्ति + ऋण)/(नकद और निवेशित संपत्ति)
- ङ) कुल निवेश/(पूँजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)
- च) कुल संबद्ध निवेश/(पूँजी + आरक्षित निधि और अधिशेष) एवं
- छ) औसत टिकट आकार रुपये में - व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर-एकल)

#### 8) संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण:

(संबंधित पक्षकार का संबंध जैसा कि निगम द्वारा पहचाना गया है)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संबंधित पक्षकार प्रकटन पर लेखा मानक (एएस 18) के अनुसार, संबंधित पक्षकार/ निगम के संयुक्त उद्यम इस प्रकार हैं:

#### क) संयुक्त उद्यम:

सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को. ऑप. इश्योरेन्स

#### ख) सहयोगी कंपनियां

- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
- एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
- एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड
- आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
- आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

#### ग) सहायक कंपनियां:

- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड
- एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
- एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड
- एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी)
- एलआईसी (लंका) लिमिटेड
- एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड

\*\* Persistency Ratios & Total Investments/(Capital + Reserves and Surplus) have been calculated as per revised IRDAI guidelines

Note: All Ratios are in percentage form except the ratios stated below

- a) Ratio of Policyholders' Fund to Shareholders' Fund
- b) Change in Net Worth is in ₹ Crore
- c) Ratio of Surplus to Policyholders' Fund
- d) (Total Real Estate+Loans)/(Cash & Invested Assets)
- e) Total Investments/(Capital+Reserves and Surplus)
- f) Total affiliated Investments/(Capital+ Reservs and Surplus)
- g) Average ticket size in ₹ - Individual premium (Non-Single)

#### 8) RELATED PARTY DISCLOSURE:

(Related Party Relationship as identified by the Corporation)

As per the Accounting Standard on Related Party Disclosures (AS 18) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the related parties/joint ventures of the Corporation are as follows:

##### A) Joint Ventures:

Saudi Indian Company for Co-operative Insurance.

##### B) Associate Companies

LIC Housing Finance Ltd.

LICHFL Asset Management Company Ltd.

LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.

LIC Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.

IDBI Bank Ltd.

IDBI Trusteeship Services Ltd.

##### C) Subsidiary Companies:

LIC Pension Fund Ltd.

LIC Card Services Ltd.

Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.

Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c)

Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd

Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.

घ) निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति 31.03.2024

निदेशक मंडल		
श्री सिद्धार्थ मोहंती	प्रबंध निदेशक एवं प्रभारी पूर्णकालिक अध्यक्ष	14.03.2023 से 28.04.2023 29.04.2023 से प्रभावी
डॉ. मारुति प्रसाद तन्निराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	28.06.2023 से प्रभावी
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	13.03.2023 से प्रभावी
श्री तबलेश पाण्डेय	प्रबंध निदेशक	01.04.2023 से प्रभावी
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	20.07.2023 से प्रभावी
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	01.09.2023 से प्रभावी
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	20.01.2022 से प्रभावी
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री संजीव नौटियाल	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति		
श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक एवं का.नि. (बीमांकक)	17.01.2023 से प्रभावी
श्री पांडियन कुमारेसन	का.नि. (लेखा परीक्षा) एवं मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षा	05.07.2022 से प्रभावी
श्री सुधाकर रविन्द्रनाथ	का.नि. (विपणन/पीडी) एवं मुख्य विपणन अधिकारी	01.08.2022 से प्रभावी
श्री कृष्णा कुमार सुकुमारन नायर	का.नि. (सी जी /आर सी /जी.जे.एफ.) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी	11.04.2023 से प्रभावी
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2022 से प्रभावी
श्री रत्नाकर पटनायक	का.नि. (निवेश एफ ओ) एवं मुख्य निवेश अधिकारी	10.04.2023 से प्रभावी
श्रीमती बेल्ला पॉल	प्रमुख (प्रभारी) बोर्ड एवं सचिवीय विभाग	18.01.2024 से प्रभावी
श्री एस सुन्दर कृष्णन	मुख्य जोखिम अधिकारी	26.12.2023 से प्रभावी
श्री अंशुल कुमार सिंह	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	18.01.2024 से प्रभावी

**D) Board of Directors & Key Persons as at 31.03.2024**

<b>Board of Directors</b>		
Shri Siddhartha Mohanty	Managing Director & In charge	w.e.f. 14.03.2023 to 28.04.2023
	Whole-Time Chairperson	w.e.f. 29.04.2023
Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	w.e.f. 28.06.2023
Shri Jagannath M	Managing Director	w.e.f. 13.03.2023
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	w.e.f. 01.04.2023
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	w.e.f. 20.07.2023
Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	w.e.f. 01.09.2023
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	w.e.f. 29.10.2021
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	w.e.f. 29.10.2021
Prof. Anil Kumar	Independent Director	w.e.f. 20.01.2022
Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Mahalingam G	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Raj Kamal	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Dr. V S Parthasarthy	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Sanjeev Nautiyal	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
<b>Key Persons</b>		
Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary & ED (Actl)	w.e.f. 17.01.2023
Shri Pandiyan Kumaresan	ED (Audit) & Chief Internal Auditor	w.e.f. 05.07.2022
Shri Sudhakar Ravindranath	ED (Mktg/PD) & Chief Marketing Officer	w.e.f. 01.08.2022
Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	ED (CG/RC/GJF) & Chief Compliance Officer	w.e.f. 11.04.2023
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	w.e.f. 01.04.2022
Shri Ratnakar Patnaik	ED (INV FO) & Chief Investment Officer	w.e.f. 10.04.2023
Smt. Bella Paul	Chief (In-Charge) Board & Secretarial Department	w.e.f. 18.01.2024
Shri S Sunder Krishnan	Chief Risk Officer	w.e.f. 26.12.2023
Shri Anshul Kumar Singh	Company Secretary & Compliance Officer	w.e.f. 18.01.2024

ड) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(3) के तहत व्यवसाय के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा धारित नाम, विवरण, व्यवसाय और निदेशक पद युक्त विवरण।

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2024 को निदेशकता
1.	श्री सिद्धार्थ मोहंती	पूर्णकालिक अध्यक्ष	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड</li> <li>एलआईसी गोल्डन जुबली फाउन्डेशन</li> <li>एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड</li> <li>एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</li> <li>एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड</li> <li>एलआईसी (लंका) लिमिटेड</li> <li>एलआईसी कार्डस् सर्विसेज लिमिटेड</li> <li>एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) बहरीन</li> <li>एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड</li> <li>केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</li> <li>जीवन बीमा परिषद</li> <li>बीमा लोकपाल परिषद</li> <li>भारतीय बीमा ब्यूरो (IIB) की शासी परिषद</li> <li>भारतीय बीमा संस्थान</li> <li>बीमा सलाहकार समिति (IRDAI अधिनियम, 1999)</li> <li>भारतीय एक्चुअरीज संस्थान की परिषद</li> <li>राष्ट्रीय बीमा अकादमी</li> </ul>
2.	डॉ. मारुति प्रसाद तन्गिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>भारतीय सामान्य बीमा निगम</li> <li>इंडियन बैंक</li> <li>नाबार्ड</li> <li>आई आर डी ए आई (IRDAI) (अंशकालिक सदस्य)</li> </ul>
3.	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी गोल्डन जुबली फाउन्डेशन</li> <li>एलआईसी एचएफएल असेट मैनेजमेंट कं. लि.</li> <li>एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</li> <li>एलआईसी बी.एस.सी. (सी) बहरीन</li> <li>बीएसई लिमिटेड</li> <li>भारतीय बीमा अकादमी</li> </ul>

E) Statement containing names, description, occupations of and directorships held by the persons in charge of management of the business under section 11(3) of the Insurance Act, 1938.

Sr. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 <sup>st</sup> March, 2024
1.	Shri Siddhartha Mohanty	Whole Time Chairperson	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIC Pension Fund Limited</li> <li>• LIC Golden Jubilee Foundation</li> <li>• LIC (Nepal) Limited</li> <li>• LIC Housing Finance Limited</li> <li>• LIC Mutual Fund Asset Management Limited</li> <li>• LIC (Lanka) Limited</li> <li>• LIC Cards Services Limited</li> <li>• LIC (International) BSC (c) Bahrain</li> <li>• LIC (Singapore) Pte Ltd.</li> <li>• Kenindia Assurance Co. Ltd.</li> <li>• Life Insurance Council</li> <li>• Council of Insurance Ombudsman</li> <li>• Governing Council of Insurance Bureau of India (IIB)</li> <li>• Insurance Institute of India</li> <li>• Insurance Advisory Committee (IRDAI Act, 1999)</li> <li>• Council of the Institute of Actuaries of India</li> <li>• National Insurance Academy</li> </ul>
2.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• General Insurance Corporation of India</li> <li>• Indian Bank</li> <li>• NABARD</li> <li>• IRDAI (Part – Time member)</li> </ul>
3.	Shri Jagannath M	Managing Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIC Golden Jubilee Foundation</li> <li>• LICFL Asset Management Company Ltd.</li> <li>• LIC Housing Finance Ltd.</li> <li>• LIC BSC (c) Bahrain</li> <li>• BSE Limited</li> <li>• National Insurance Academy</li> </ul>

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2024 को निदेशकता
4.	श्री तबलेश पाण्डेय	प्रबंध निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड</li> <li>एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड</li> <li>एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड</li> <li>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड</li> <li>राष्ट्रीय बीमा अकादमी</li> <li>भारतीय बीमा संस्थान</li> </ul>
5.	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन</li> <li>राष्ट्रीय बीमा अकादमी</li> <li>एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड</li> <li>भारतीय बीमा संस्थान</li> </ul>
6.	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी एचएफएल केयर्स होम्स लिमिटेड</li> <li>एलआईसी (लंका) लिमिटेड</li> <li>नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड</li> <li>नेशनल इश्योरेंस एकेडमी</li> <li>एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन</li> <li>एलआईसी ऑफ इंडिया प्रोविडेंट फंड नंबर 1</li> <li>मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी, गुडगांव</li> </ul>
7.	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
8.	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
9.	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>उधमोदय फाउंडेशन</li> <li>दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन</li> </ul>
10.	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिलेट इंडिया लिमिटेड</li> <li>भारत की प्रकृति संरक्षण (सलाहकार बोर्ड सदस्य)</li> </ul>

Sr. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 <sup>st</sup> March, 2024
4.	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>LIC Cards Services Limited</li> <li>LIC (Nepal) Ltd.</li> <li>LIC Mutual Fund Trustee Pvt Ltd</li> <li>National Stock Exchange of India Limited</li> <li>National Insurance Academy</li> <li>Insurance Institute of India</li> </ul>
5.	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>LIC Golden Jubilee Foundation</li> <li>National Insurance Academy</li> <li>LIC of Bangladesh Limited</li> <li>Insurance Institute of India</li> </ul>
6.	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>LIC HFL Cares Homes Limited</li> <li>LIC (Lanka) Ltd</li> <li>National Commodity &amp; Derivatives Exchange Limited</li> <li>National Insurance Academy</li> <li>LIC Golden Jubilee Foundation</li> <li>LIC of India Provident Fund No. 1</li> <li>Management Development Institute Society, Gurgaon</li> </ul>
7.	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
8.	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
9.	Prof. Anil Kumar	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udhmodya foundation</li> <li>University of Delhi Foundation</li> </ul>
10.	Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gillette India Ltd</li> <li>The Nature Conservancy India – on the Advisory Board</li> </ul>

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2024 को निदेशकता
11.	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>सिटी युनियन बैंक</li> <li>इनफरास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनेशियल सर्विसेस लिमिटेड (IL&amp;FS)</li> <li>इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IFSC) लिमिटेड</li> <li>आई एल एंड एफ एस फाइनेशियल सर्विसेस लि.</li> <li>केयर रेटिंग्स लि.</li> <li>न्यू तिरुपूर क्षेत्र विकास निगम लि. (NTADCL)</li> <li>सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड</li> <li>डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड</li> <li>तमिलनाडु वाटर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड</li> </ul>
12.	श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसएमआईटी कंसल्टिंग डीएमसीसी, (यूईई में निगमित)</li> <li>ट्रांस-फाई इंक</li> <li>ट्राइडेंट लिमिटेड</li> <li>ट्रांस-फाई पीटीई लिमिटेड</li> <li>ट्रांस-फाई यूएबी</li> <li>ट्रांस-फाई टेक्नोलॉजी एलएलसी</li> <li>पीटी ट्रांस-फाई इंडोनेशिया मेरडेका</li> </ul>
13.	डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड</li> <li>ग्रासरूट ट्रेडिंग नेटवर्क फॉर वुमेन (GTNFW) धारा 8 की कंपनी</li> <li>किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड</li> <li>इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड</li> <li>आईएआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड</li> <li>ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड</li> <li>गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड</li> <li>एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड</li> <li>एवरएनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड</li> <li>आईआईएम मुंबई (पूर्व राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान) (सोसायटी)</li> <li>पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड</li> </ul>

Sr. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 <sup>st</sup> March, 2024
11.	Shri Mahalingam G	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>City Union Bank Limited</li> <li>Infrastructure Leasing &amp; Financial Services Limited (IL&amp;FS)</li> <li>India International Bullion Exchange IFSC Limited</li> <li>IL&amp;FS Financial Services Limited</li> <li>CARE Ratings Limited</li> <li>New Tirupur Area Development Corporation Limited (NTADCL)</li> <li>Central Depository Services Ltd.</li> <li>DSP Pension Fund Managers Private Limited</li> <li>Tamil Nadu Water Investment Company Limited</li> </ul>
12.	Shri Raj Kamal	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>SMIT Consulting DMCC, (incorporated in UAE)</li> <li>Trans-Fi Inc</li> <li>Trident Limited</li> <li>TransFiPte. Ltd</li> <li>Trans-Fi UAB</li> <li>TransFi Technology LLC</li> <li>Pt. TranFi Indonesia Merdeka</li> </ul>
13.	Dr. V S Parthasarathy	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>RUDI Multi Trading Company Limited</li> <li>Grassroot Trading Network for Women (GTNFW) a Section 8 company</li> <li>Kids Clinic India Limited</li> <li>Imperial Auto Industries Limited</li> <li>IAI Industries Limited</li> <li>Greencell Mobility Private Limited</li> <li>Girnar Software Private Limited</li> <li>NIIT Learning Systems Limited</li> <li>Everenviro Resource Management Private Limited</li> <li>IIM Mumbai (ex National Institute of Industrial Engineering) (Society)</li> <li>Pennar Industries Limited</li> </ul>

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2024 को निदेशकता
14.	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>सेंट्रिको इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सेला इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)</li> <li>हेरिटेज फूड्स लिमिटेड</li> <li>जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड</li> <li>सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नैस्डेक लिस्टेड)</li> </ul>
15.	श्री संजीव नौटियाल	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>रोई नेट फारैक्स एंड रेमिटेस प्राइवेट लिमिटेड</li> <li>रिलायंस कैपिटल (आईबीसी के तहत) प्रशासक के सलाहकार</li> <li>डाक जीवन बीमा निवेश बोर्ड- विशेषज्ञ सदस्य</li> <li>रोई नेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड- सदस्य- सलाहकार बोर्ड</li> </ul>

ड) उपरोक्त संबंधित पार्टियों के साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम के लेन-देन की प्रकृति और मात्रा निम्नानुसार थी:

i) सहयोगी कंपनियां और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी					प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी	एलआईसी म्यूचुअल फंड एएम लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	
इक्विटी, ऋण, बांड और म्यूचुअल फंड की खरीद	0.00	15.59 (23.38)	17,749.74 (8,854.09)	0.00	0.00	0.00
म्यूचुअल फंड की बिक्री	0.00	0.00	17,180.69 (10,126.61)	0.00	0.00	0.00
ऋणों और बांडों / ऋणों का मोचन	2,000.00 (1,500.00)	18.94 (2.19)	0.00	0.00 (1,450.00)	0.00	0.00
निवेश से आय	953.90 (1,306.08)	7.38 (0.81)	0.00 (0.49)	0.00 (133.88)	7.65 (7.65)	0.00
किराया	12.62 (10.10)	0.00	2.94 (3.31)	2.17 (1.82)	1.85 (1.64)	0.00
सिटिंग फीस	0.00	0.00	0.00	0.00 (0.06)	0.00 (0.01)	0.00
अन्य प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति / भुगतान	2.41 (2.69)	0.21 (0.21)	0.20 (0.16)	11.15 (2.89)	0.05 (0.00)	0.00
स्टाफ ऋण के लिए पुर्नलेखन प्रभार	0.00 (47.69)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कमीशन का भुगतान किया गया	0.00	0.00	0.00	75.15 (74.42)	0.00	0.00

Sr. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 <sup>st</sup> March, 2024
14.	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centrico India Software Services Private Limited (formerly Sella India Software Services Private Limited)</li> <li>Heritage Foods Limited</li> <li>Geojit Financial Services Limited</li> <li>Sify Technologies Limited (Nasdaq Listed)</li> </ul>
15.	Shri Sanjeev Nautiyal	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roi Net Forex &amp; Remittance Pvt Ltd.</li> <li>Reliance Capital (under IBC) Advisor to Administrator</li> <li>Postal Life Insurance Investment Board– Expert Member</li> <li>Roi Net Solutions Pvt. Ltd. – Member – Advisory Board</li> </ul>

**F) The nature and volume of transactions of the Corporation during the year ended on 31<sup>st</sup> March, 2024, with the above related parties were as follows:**

**i) Associates and Key Management Personals**

(₹ in Crore)

Particulars	Associates					Key Management Personnel
	LIC Housing Finance Ltd.	LIC HFL Asset Management Co.	LIC Mutual Fund AM Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	
Purchase of Equity, Debts, bonds and Mutual Fund	0.00	15.59 (23.38)	17,749.74 (8,854.09)	0.00	0.00	0.00
Sale of Mutual Fund	0.00	0.00	17,180.69 (10,126.61)	0.00	0.00	0.00
Redemption on Debts & bonds / Loans	2,000.00 (1,500.00)	18.94 (2.19)	0.00	0.00 (1,450.00)	0.00	0.00
Income from Investment	953.90 (1,306.08)	7.38 (0.81)	0.00 (0.49)	0.00 (133.88)	7.65 (7.65)	0.00
Rent	12.62 (10.10)	0.00	2.94 (3.31)	2.17 (1.82)	1.85 (1.64)	0.00
Sitting Fees	0.00	0.00	0.00	0.00 (0.06)	0.00 (0.01)	0.00
Reimbursement / payment towards other administrative Expenses	2.41 (2.69)	0.21 (0.21)	0.20 (0.16)	11.15 (2.89)	0.05 (0.00)	0.00
Rewriting charges for staff loan	0.00 (47.69)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Commission paid	0.00	0.00	0.00	75.15 (74.42)	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी					प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी	एलआईसी म्यूचुअल फंड एएम लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	
पेंशन और समूह योजना	26.26 (9.06)	0.02 (0.22)	0.27 (0.27)	109.89 (4.56)	0.04 (0.05)	0.00
अन्य (चार्जेस इत्यादि)	0.00	0.02 (0.07)	0.00	13.60	0.00	0.00
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74 (9.08)
<b>कुल</b>	<b>2,995.19</b> <b>(2,875.62)</b>	<b>42.16</b> <b>(26.88)</b>	<b>34,933.84</b> <b>(18,984.93)</b>	<b>211.96</b> <b>(1,667.63)</b>	<b>9.59</b> <b>(9.35)</b>	<b>8.74</b> <b>(9.08)</b>

\* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक ( ) में दिखाए गए हैं।

## ii) सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहायक कंपनियां						
	एलआईसी पेंशन फंड	एलआईसी कार्ड सर्विसेस	एलआईसी नेपाल लिमिटेड	एलआईसी बांग्लादेश	एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) वीएससी (सी) बहरीन	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड
इक्विटी, ऋण, बांड और म्यूचुअल फंड की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (5.65)	0.00
वार्षिक तकनीकी / आई. टी. समाधान शुल्क प्राप्त	0.00	0.00	0.20 (0.20)	0.08 (0.17)	0.00	0.00	0.04 (0.04)
आवेदन राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (9.34)	0.00
किराया	0.80 (0.31)	1.01 (0.73)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभांश से आय	10.00 (5.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति/भुगतान	0.32 (5.77)	5.38 (5.34)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	0.04	0.00	0.24	0.58	1.40	0.36	0.20
<b>कुल</b>	<b>11.16</b> <b>(11.08)</b>	<b>6.39</b> <b>(6.07)</b>	<b>0.44</b> <b>(0.20)</b>	<b>0.66</b> <b>(0.17)</b>	<b>1.40</b> <b>(2.44)</b>	<b>0.36</b> <b>(14.99)</b>	<b>0.24</b> <b>(0.04)</b>

\* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक ( ) में दर्शाए गए हैं।

(₹ in Crore)

Particulars	Associates					Key Management Personnel
	LIC Housing Finance Ltd.	LIC HFL Asset Management Co.	LIC Mutual Fund AM Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	
Pension and Group Scheme	26.26 (9.06)	0.02 (0.22)	0.27 (0.27)	109.89 (4.56)	0.04 (0.05)	0.00
Others (Charges etc.)	0.00	0.02 (0.07)	0.00	13.60	0.00	0.00
Managerial Remuneration	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74 (9.08)
<b>TOTAL</b>	<b>2,995.19</b> <b>(2,875.62)</b>	<b>42.16</b> <b>(26.88)</b>	<b>34,933.84</b> <b>(18,984.93)</b>	<b>211.96</b> <b>(1,667.63)</b>	<b>9.59</b> <b>(9.35)</b>	<b>8.74</b> <b>(9.08)</b>

\* Previous year figures are shown in bracket ( ).

ii) **Subsidiaries**

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries						
	LIC Pension Fund	LIC Card Services	LIC Nepal Ltd.	LIC Bangladesh	LIC (International) B.S.C.(c) Bahrain	LIC (Lanka) Ltd.	LIC Singapore Pte Ltd
Purchase of Equity, Debts, bonds and Mutual Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (5.65)	0.00
Annual Technical/ I.T. Solution fees received	0.00	0.00	0.20 (0.20)	0.08 (0.17)	0.00 (2.44)	0.00	0.04 (0.04)
Application Money	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (9.34)	0.00
Rent	0.80 (0.31)	1.01 (0.73)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividend Income	10.00 (5.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reimbursement / payment towards other administrative expenses	0.32 (5.77)	5.38 (5.34)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	0.04	0.00	0.24	0.58	1.40	0.36	0.20
<b>TOTAL</b>	<b>11.16</b> <b>(11.08)</b>	<b>6.39</b> <b>(6.07)</b>	<b>0.44</b> <b>(0.20)</b>	<b>0.66</b> <b>(0.17)</b>	<b>1.40</b> <b>(2.44)</b>	<b>0.36</b> <b>(14.99)</b>	<b>0.24</b> <b>(0.04)</b>

\* Previous year figures are shown in bracket ( ).

iii) संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि 31.03.2024

क्रमांक	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंधों की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया राशि की राशि (₹ करोड़ में)		देय / प्राप्य	
			2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	12907.45	0.12	प्राप्य	देय
2	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	3090.87	0.85	प्राप्य	देय
3	एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	247.23	0.00	देय	देय
4	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	33,776.53	5,375.47	प्राप्य	प्राप्य
5	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	0.53	0.69	प्राप्य	प्राप्य
6	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	50.30	0.00	प्राप्य	लागू नहीं
7	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	0.66	96.40	देय	देय
8	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	सहयोगी	0.0049	0.00	प्राप्य	लागू नहीं
9	एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	सहायक	0.00	1.15	लागू नहीं	प्राप्य

9) प्रावधानों का संचलन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 सॉल्वेंसी मार्जिन के लिए रिजर्व का प्रावधान		
प्रारंभिक जमा	14,943.06	14,943.06
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00
जमा शेष	14,943.06	14,943.06

10) प्रबंधन का खर्च:

प्रबंधन के खर्च (बीमाकर्ता के जीवन बीमा कारोबार के प्रबंधन के खर्च) विनियमन 2023 के नियमन के अनुसार हैं।

11) खंडीय रिपोर्टिंग की प्रस्तुति पर प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित 'सेगमेंटल रिपोर्टिंग' पर लेखा मानक 17 के साथ पठित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम 2002 ('विनियम') के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग-अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार, निगम ने प्राथमिक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और तुलन-पत्र तैयार की है, जैसे कि सहभागी जीवन व्यक्तिगत, सहभागी पेंशन व्यक्तिगत, सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी जीवन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी पेंशन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, असहभागी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, असहभागी संबंध एवं पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित व्यवसाय (CRAC)। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है। (अनुबंध-1 खंडीय रिपोर्टिंग पर)

## iii) Outstanding balances with related parties as at 31.03.2024.

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ In Crore)		Whether Payable / Receivable	
			2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	12907.45	0.12	Receivable	Payable
2	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	3090.87	0.85	Receivable	Payable
3	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	247.23	0.00	Payable	Payable
4	IDBI Bank Ltd.	Associate	33,776.53	5,375.47	Receivable	Receivable
5	LIC Cards Services Ltd.	Subsidiary	0.53	0.69	Receivable	Receivable
6	LIC Pension Fund Ltd.	Subsidiary	50.30	0.00	Receivable	N.A.
7	IDBI Trusteeship Services Ltd.	Associate	0.66	96.40	Payable	Payable
8	LIC Mutual Fund Trustee Co. Pvt. Ltd.	Associate	0.0049	0.00	Receivable	N.A.
9	LIC OF BANGLADESH LTD.	Subsidiary	0.00	1.15	N.A.	Receivable

## 9) Movement of Provisions:

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
<b>1 Provision for reserve for solvency margin</b>		
Opening Balance	14,943.06	14,943.06
Addition during the year	0.00	0.00
Deduction during the year	0.00	0.00
Closing Balance	14,943.06	14,943.06

## 10) Expenses of Management:

The Expenses of Management are in accordance with the Regulation of IRDAI (Expenses of Management of Insurer transacting life insurance business) Regulation 2023.

## 11) Disclosure on presentation of segmental Reporting:

Based on the primary segments identified under IRDA (preparation of Financial statements and auditors' report of insurance Companies) regulations 2002 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies act 2013 and rules there under, the Corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating Variable individual, Non Participating Health individual, Non Participating Unit Linked and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments. (Annexure – I on segmental reporting).

12) विदेशी मुद्रा भंडार:

फिजी, मॉरीशस और यूनाइटेड किंगडम में किए गए परिचालन गैर अभिन्न प्रकृति के हैं। राजस्व खाता मदों का अनुवाद औसत विनिमय दर और तुलन पत्र मदों को समापन दर पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन विनिमय अंतर जो वर्ष 2010-11 तक राजस्व खाते में प्रभारित किया गया था, अब अनुसूची 6ए: बीमा आरक्षित (पॉलिसीधारक) और अनुसूची 6: आरक्षित और अधिशेष (शेयरधारक) के तहत विदेशी मुद्रा भंडार में जमा हो गया है।

एक्सचेंज में उतार-चढ़ाव रिजर्व इस प्रकार है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
आरक्षित और अधिशेष (शेयरधारक) अनुसूची 6	(0.60)	(0.35)
बीमा आरक्षित (पॉलिसीधारक) अनुसूची 6ए	754.23	842.07

13) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006:

प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED ACT) के अन्तर्गत विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर, निगम के पास उक्त अधिनियम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बकाया राशि निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

अनु. क्रमांक	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बकाया मूलधन राशि।	लागू नहीं	लागू नहीं
2	उपरोक्त 1 के अनुसार बकाया मूलधन पर अर्जित ब्याज।	लागू नहीं	लागू नहीं
3	सेवाओं की सुपुदमी की तारीख से 15 दिन या सहमत समय के पश्चात वर्ष के दौरान मूलधन की धनराशि एवं भुगतान की गई ब्याज की धनराशि	लागू नहीं	लागू नहीं
4	वर्ष के दौरान मूलधन पर देय ब्याज लेकिन अभी तक भुगतान किया जाना शेष है	लागू नहीं	लागू नहीं
5	बाद के वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, जब तक उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है।	लागू नहीं	लागू नहीं

14) परिचालन व्यय प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आउटसोर्सिंग व्यय	726.09	762.16
व्यापार विकास	1,543.31	1,374.00
विपणन समर्थन	965.90	693.33

**12) Foreign Exchange Reserve:**

Operations carried out in Fiji, Mauritius and United Kingdom are of non integral nature. The Revenue Account items are translated at the average exchange rate and Balance Sheet items at closing rate. Revaluation Exchange difference which was charged to Revenue Account till the year i.e. 2010-11 is now accumulated in Foreign Exchange Reserve under Schedule 6A: Insurance Reserves (Policyholders) and Schedule 6: Reserve and surplus (shareholders).

The Exchange fluctuation reserve is as follows:-

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Reserve and surplus (shareholders) Schedule 6	(0.60)	(0.35)
Insurance Reserves (Policyholders) Schedule 6A	754.23	842.07

**13) The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006:**

According to information available with the management, on the basis of intimation received from suppliers, regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED ACT), the corporation has amounts due to Micro and Small Enterprises under the said Act as follows:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
1	Principal amount remaining unpaid to Micro, small & medium enterprise.	Nil	Nil
2	Interest accrued on principal amount remaining unpaid as per 1 above.	Nil	Nil
3	Amount of interest paid during the year along with the payment of principal amount made beyond 15 days or agreed time from the date of delivery /rendering of services.	Nil	Nil
4	Interest due but yet to be paid on principal during the year.	Nil	Nil
5	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as deductible expenditure.	Nil	Nil

**14) Operating Expenses Disclosure:**

(₹ in Crore)

Particular	For the year ended 31.03.2024	For the year ended 31.03.2023
Outsourcing Expenses	726.09	762.16
Business Development	1,543.31	1,374.00
Marketing Support	965.90	693.33

15) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

अनु. क्रमांक	प्राधिकरण	2023-2024			2022-2023		
		जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया	जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया
1	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	जीएसटी/सेवा कर प्राधिकरण	375.42	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3	आयकर प्राधिकरण	153.62	75.81	0.00	12.82	2.62	0.00
4	कोई अन्य कर प्राधिकरण	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या फेमा के तहत कोई प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/कॉर्पोरेट मामलों के विभाग या कोई प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिया गया दंड लेकिन क्षतिपूर्ति को छोड़कर	0.32	0.30	0.00	0.19	0.19	0.00
8	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>529.54</b>	<b>76.19</b>	<b>0.01</b>	<b>13.01</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00</b>

गैर अनुपालन/उल्लंघन का विवरण:

विवरण	2023-24	2022-23
रिटर्न भरने में देरी और कर के देर से भुगतान	0.11	0.06
पेशेवर कर का देर से प्रेषण	0.07	0.00
पॉलिसीधारकों के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिया गया जुर्माना	0.03	0.15
सरकारी प्राधिकरण द्वारा दिया गया जुर्माना पॉलिसीधारक के अलावा	153.91	12.80
जीएसटी / सेवा कर प्राधिकरण	375.42	0.00
<b>कुल</b>	<b>529.54</b>	<b>13.01</b>

16) फ्री-लुक अवधि के लिए प्रावधान:

वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को फ्री-लुक अवधि का प्रावधान क्रमशः अप्रैल 2024 और अप्रैल 2023 के महीने के दौरान वापस किए गए वास्तविक प्रीमियम के आधार पर किया गया है। यह प्रावधान इस धारणा के साथ किया गया है कि अप्रैल 2024 और अप्रैल 2023 के दौरान प्रीमियम की सभी वापसी क्रमशः 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले पूरी की गई पॉलिसियों से संबंधित है।

15) Penal action taken by various Government Authorities for the year ended 31.03.2024

(₹ in Crore)

Sl. No.	Authority	2023-2024			2022-2023		
		Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced	Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1	Insurance Regulatory and Development Authority	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GST/Service Tax Authorities	375.42	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Income Tax Authorities	153.62	75.81	0.00	12.82	2.62	0.00
4	Any other Tax Authorities	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Registrar of Companies / NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	0.32	0.30	0.00	0.19	0.19	0.00
8	Securities and Exchange Board of India	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Competition Commission of India	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>529.54</b>	<b>76.19</b>	<b>0.01</b>	<b>13.01</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00</b>

Details of non compliance/Violation:

Particulars	2023-24	2022-23
Delay In return filling & late remittance of tax	0.11	0.06
Late remittance of professional tax	0.07	0.00
Penalty awarded by Court in favor of policyholders	0.03	0.15
Penalty awarded by Govt. Authority other than the policyholder matters.	153.91	12.80
GST/ Service Tax Authority	375.42	0.00
<b>Total</b>	<b>529.54</b>	<b>13.01</b>

16) Provision for free-look period:

Provision for free-look period as at year end March 31, 2024 and March 31, 2023 has been made on the basis of actual premium refunded during the month of April 2024 and April 2023 respectively. The provision is made with an assumption that all refund of premium during the month of April 2024 and April 2023 pertained to the policies completed on or before March 31, 2024 and March 31, 2023 respectively.

17) इंड-एएस के कार्यान्वयन की प्रगति:

वर्ष के दौरान निगम ने भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन में Gap विश्लेषण और प्रभाव मूल्यांकन किया है। गुणात्मक और Gap विश्लेषण से संबंधित अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और निर्धारित योजना के अनुसार वित्तीय प्रभाव मूल्यांकन प्रगति पर है।

18) दो कंपनियों को दी गई ऋण के तहत जमानत ₹ 628.60 करोड़ की राशि आंशिक रूप से निष्पादित की गई है और नियत प्रक्रिया के तहत है (पिछले वर्ष दो कंपनियों के तहत, ₹ 628.60 करोड़ की राशि)।

19) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2024 तक बकाया
रेपो (REPO) के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
1. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	862.89	26,097.06	8,296.39	7,769.50
1. सरकारी प्रतिभूतियां	(2,923.05)	(18,473.99)	(7,612.64)	(15,805.21)
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

\* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक ( ) में दर्शाए गए हैं।

20) वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर्मचारियों को नए पेंशन विकल्प के कारण उत्पन्न होने वाले ₹ 11,124.66 करोड़ के अतिरिक्त योगदान के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अवधि में देयता प्रदान की जा रही है। अपेक्षित अनुमोदन दिनांक 6 जुलाई, 2020 तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते में ₹ 2,224.94 करोड़ की शेष राशि चार्ज की गई है।

21) एलआईसी (कर्मचारी) पेंशन नियम 1995 में संशोधन के कारण पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के लिए ₹ 11,959.52 करोड़ के कुल अतिरिक्त योगदान में से, निगम ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 2,679.15 करोड़ की राशि पहले ही प्रदान कर दी थी। 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान निगम द्वारा प्राप्त अनुमोदन के बाद, ₹ 9,280.37 करोड़ की शेष देनदारी को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाली 20 तिमाहियों में ₹ 464.02 करोड़ प्रति तिमाही के हिसाब से परिशोधित किया जा रहा है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व खाते में ₹ 464.02 करोड़ की राशि चार्ज की गई है। ₹ 8,352.33 करोड़ की शेष राशि वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक अगली तिमाहियों में परिशोधित की जाएगी।

22) निगम के कर्मचारियों को वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त पेंशन देनदारी ₹ 6,306.29 करोड़ है। इसमें से, वित्त वर्ष 2023-2024 में संबंधित खंडों में ₹ 829.19 करोड़ की पहचान की गई है और पार खंड से संबंधित ₹ 5,477.10 करोड़ की शेष राशि वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले तीन साल से अधिक नहीं की अवधि में शेरधारकों के खाते से ली जाएगी। निगम ने अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है।

23) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय से संबंधित पार खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि शेरधारकों के खाते से वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होने वाली तीन से अधिक नहीं की समान वार्षिक किस्तों में भरी जाएगी। निगम ने अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है।

24) वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान, प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 7,692.59 करोड़ के आयकर के अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स किया गया है और इसे अन्य आय शीर्षक के तहत शामिल किया गया है।

25) अन्य आय में पिछले वित्तीय वर्षों के आयकर रिफंड के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 6,257.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6,626.98 करोड़) की ब्याज राशि शामिल है।

### 17) Progress of implementation of Ind AS:

During the year, the Corporation has carried out the Gap Analysis and Impact Assessment of Indian Accounting Standards (Ind AS) implementation. Majority of the qualitative and gap analysis related work has been completed and Financial Impact assessment is in progress as per scheduled plan.

18) Security under debt extended to two companies amounting to ₹ 628.60 Crore is executed partially and is under due process (Previous Year under two companies, amounting to ₹ 628.60 Crore).

### 19) Repo/ Reverse Repo transactions for the year ended 31.03.2024

(₹ in Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31 <sup>st</sup> 2024
Securities sold under REPO				
1. Government Securities	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2. Corporate Debt securities				
Securities Purchased under reversed Repo	862.89	26,097.06	8,296.39	7,769.50
1. Government Securities	(2,923.05)	(18,473.99)	(7,612.64)	(15,805.21)
2. Corporate Debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL

\* Previous year figures are shown in bracket ( ).

- 20) The liability on account of additional contribution of ₹ 11,124.66 crore arising due to fresh pension option to employees in the financial year 2019-20 is being provided over a period of five years commencing from the financial year 2019-20 in accordance with the requisite approval dated July 6, 2020. Accordingly, the remaining amount of ₹ 2,224.94 crore has been charged to Revenue Account for the year ended March 31, 2024.
- 21) Out of the total additional contribution of ₹ 11,959.52 crore towards increase in family pension due to amendment in LIC (Employees) Pension Rules 1995, the Corporation had already provided an amount of ₹ 2,679.15 crore during the quarter ended September 30, 2023. Pursuant to the approval received by the Corporation during the quarter ended December 31, 2023, the remaining liability of ₹ 9,280.37 crore is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹ 464.02 crore per quarter. Accordingly, an amount of ₹ 464.02 crore has been charged to Revenue Account for the quarter ended March 31, 2024. The balance amount of ₹ 8,352.33 crore shall be amortised over the subsequent quarters upto Q2 of the FY 2028-29.
- 22) Additional pension liability due to wage revision to employees of the Corporation amounts to ₹ 6,306.29 crore. Out of this, ₹ 829.19 crore has been recognized in the FY 2023-2024 in the respective segments and balance amount of ₹ 5,477.10 crore pertaining to Par segment shall be charged to the Shareholders account over a period of not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. The Corporation has obtained the requisite approval.
- 23) An amount of ₹ 7,230.09 crore in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 shall be replenished from Shareholders' account in equal annual instalments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. The Corporation has obtained the requisite approval.
- 24) During Q4 of the FY 2023-24, based on management assessment, excess provision of income tax amounting to ₹ 7,692.59 crore pertaining to earlier years has been reversed and included under the head – "Other Income".
- 25) Other income includes interest amounting to ₹ 6,257.98 crore (Previous Year ₹ 6,626.98 crore) received during the current financial year towards refund of income tax for the earlier financial years.

26) निगम ने गैर-भागीदारी पॉलिसीधारक खाते से शेयरधारकों के खाते में उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन की अभिवृद्धि से संबंधित राशि के हस्तांतरण के संबंध में सितंबर, 2022 में अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया था और तदनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 27,240.75 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹ 29,518.75 करोड़ (शुद्ध कर) हस्तांतरित किया गया, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही से संबंधित ₹ 4,542.31 करोड़ की राशि शामिल थी।

27) निवेश की हानि:

अस्थायी हास के अलावा अन्य निवेशों के मूल्य में हानि का आकलन अवधि के लिए किया गया है और तदनुसार हानि प्रावधान प्रदान किए गए हैं।

निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (निवल) शीर्षक के तहत राजस्व खाते में मान्यता प्राप्त नुकसान में हानि के लिए प्रावधान/प्रत्यावर्तन।

28) प्रति शेयर आय (ईपीएस):-

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
शेयरधारकों के लिए निश्चित की गई आय (₹ करोड़ में)	40,675.79	36,397.39
ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की संख्या	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
मूल ईपीएस (₹)	64.31	57.55
डायल्यूटेड ईपीएस (₹)	64.31	57.55

29) पट्टे:- निगम ने अपने कार्यालयों के लिए और स्टाफ क्वार्टर के रूप में कुछ संपत्तियों को किराए पर लिया है। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 421.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 404.80 करोड़) का पट्टा किराया राजस्व खाते में डेबिट किया गया।

30) आय पर कर के लिए लेखांकन:- 31 मार्च, 2024 तक आयकर के लिए प्रावधान नीचे दिया गया है: -

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व खाते में प्रभारित	5,825.16	5,242.85
लाभ और हानि खाते में प्रभारित	111.42	59.39
जीवन बीमा व्यवसाय के लिए लागू प्रभावी कर दर	14.56%	14.56%

\*नोट: - करधान का प्रावधान पूर्व के वर्षों से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते किया गया है।

31) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ:- ऋण पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)

आस्तियां	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	संपत्ति	प्रावधान	संपत्ति	प्रावधान
उप मानक	10.80	6.13	11.44	6.13
संदिग्ध संपत्ति	608.23	607.76	1,700.65	1,700.03
हानि संपत्ति	10,078.50	10,078.50	10,319.27	10,319.27
कुल	10,697.53	10,692.39	12,031.36	12,025.43
मानक	5,21,183.55	2,489.82	4,57,959.19	2,266.49
कुल योग	5,31,881.08	13,182.21	4,69,990.55	14,291.92

- 26) The Corporation had changed its accounting policy in September, 2022 regarding transfer of amount pertaining to the accretion of the available solvency margin from Non-Participating Policyholders account to Shareholders account and accordingly transferred a total amount of ₹ 29,518.75 crore (net of tax) in the FY 2023-24 compared to ₹ 27,240.75 crore in the FY 2022-23, which included an amount of ₹ 4,542.31 crore pertaining to the quarter ended March 31, 2022.

**27) Impairment of Investments:**

The impairment in value of investments other than temporary diminution has been assessed for the period and accordingly impairment provisions have been provided.

Provision/(reversal) for impairment loss recognized in the Revenue Account under the head Provision for diminution in the value of investments (net).

**28) Earnings per Share (EPS):-**

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Earnings attributable to Shareholders (₹ in Crore)	40,675.79	36,397.39
No. Of equity shares for calculation of EPS	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
Basic EPS (₹)	64.31	57.55
Diluted EPS (₹)	64.31	57.55

- 29) **Leases:** - The Corporation has hired some properties for its offices and as staff quarters. The lease rentals amounting to ₹ 421.96 Crore (Previous year ₹ 404.80 Crore) debited to the Revenue Account for the year ended 31.03.2024.

- 30) **Accounting for Taxes on Income:** - Provision for Income tax as at 31<sup>st</sup> March, 2024 is given below:-

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended March. 31, 2024	For the year ended March. 31, 2023
Charged to Revenue Account	5,825.16	5,242.85
Charged to Profit & loss Account	111.42	59.39
Effective Tax Rate applicable for Life Insurance Business	14.56%	14.56%

\* Note: - Provision for taxation is net of excess provision pertaining to earlier years written back.

**31) Non - Performing Assets:- Debt Portfolio**

(₹ in Crore)

Assets	As at 31, March 2024		As at 31, March 2023	
	Asset	Provision	Asset	Provision
Sub Standard	10.80	6.13	11.44	6.13
Doubtful Assets	608.23	607.76	1,700.65	1,700.03
Loss assets	10,078.50	10,078.50	10,319.27	10,319.27
Total	10,697.53	10,692.39	12,031.36	12,025.43
Standard	5,21,183.55	2,489.82	4,57,959.19	2,266.49
Grand Total	5,31,881.08	13,182.21	4,69,990.55	14,291.92

	निवेश	एनपीए	निवेश	एनपीए
कुल	5,31,881.08	10,697.53	4,69,990.55	12,031.36
एनपीए प्रावधान	10,692.39	10,692.39	12,025.43	12,025.43
निवल स्थिति	5,21,188.69	5.14	4,57,965.12	5.93
सकल एनपीए %	2.01		2.56	
शुद्ध एनपीए %	0.00		0.00	

\*ऊपर दर्शाई गई परिसंपत्तियां आईआरडीए द्वारा अनुसूची 8ए, 8बी और 9 में निर्धारित प्रारूपों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रस्तुत की जाती हैं।

### 32) पुनर्समूहन या पुनर्वर्गीकरण:

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है। पुनर्समूहन का विवरण इस प्रकार है:-

अनु. क्रमांक	पुनर्समूहित तक	पुनर्समूहित से	राशि (₹ करोड़ में)	कारण
1.	<b>अनुसूची संख्या 9 (जीवन)</b>	<b>अनुसूची संख्या 9 (जीवन)</b>		
	(2) उधारकर्ता - कार वर्गीकरण	(2) उधारकर्ता - वार वर्गीकरण		
		(क) कंपनी	2.62	ऋण और वित्तपोषित
	(च) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	(च) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	33.12	आस्तियों के लिए
	डब्ल्यूएसबी, एसएफसी, पीटीआर, ओटीएच, एलडीबी ईटीसी	नगर पालिकाओं		उद्योग कोड के
		(च) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	4.20	अनुसार उधारकर्ता
		सहकारी औद्योगिक संपदा		कार समूहीकरण का
	(क) केंद्र और राज्य सरकारें	(च) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	2.37	पुनर्वर्गीकरण।
		डब्ल्यूएसबी, एसएफसी, पीटीआर, ओटीएच, एलडीबी ईटीसी		
2.	<b>अनुसूची संख्या 3 (जीवन)</b>	<b>अनुसूची संख्या 2 (जीवन)</b>		
	13 अन्य			बोर्ड द्वारा अनुमोदित
	1. भत्ते और कमीशन (बीमाकर्ताओं के कमीशन के अलावा)	मध्यस्थों को रिवार्ड और पारिश्रमिक	486.81	संशोधित नीति के कारण

### 33) वेतन संशोधन:

निगम के कर्मचारियों का वेतन संशोधन प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है और वर्तमान वेतन संशोधन 01 अगस्त, 2022 को देय हो गया है। इसका प्रावधान अनुमानित आधार पर 31.03.2024 को किया गया है।

### 34) निवेश संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन का आधार

निवेश (किराए पर) संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन वर्षों में एक बार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार निम्नानुसार है:

- निवेश संपत्ति का मूल्यांकन बाजार के किराए को ध्यान में रखते हुए किराया पूंजीकरण विधि द्वारा किया गया है।
- बिना किसी भवन/संरचना के अकेले भूमि वाली निवेश संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया गया है।
- 31 मार्च, 2024 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व की राशि ₹ 14,839.06 करोड़ और 31 मार्च, 2023 को ₹ 14,835.23 करोड़ थी।

35) निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 4 का अंतरिम लाभांश घोषित किया और उसका भुगतान किया। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 6 का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो निगम की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

	Investment	NPA	Investment	NPA
Gross	5,31,881.08	10,697.53	4,69,990.55	12,031.36
NPA Provision	10,692.39	10,692.39	12,025.43	12,025.43
Net position	5,21,188.69	5.14	4,57,965.12	5.93
Gross NPA%	2.01		2.56	
Net NPA%	0.00		0.00	

\* The assets shown above are presented under various categories in accordance with the formats prescribed by IRDA in Schedule 8A, 8B and 9.

### 32) Regrouping or reclassification:

Figures of the previous year have been re-grouped wherever necessary, to confirm to current year's classification. The details for regrouping are as follows:-

Sr. No.	Regrouped to	Regrouped from	Amount (₹ in Crore)	Reason
1.	<b>Schedule No. 9 (Life)</b>	<b>Schedule No. 9 (Life)</b>		
	(2) BORROWER - WISE CLASSIFICATION	(2) BORROWER - WISE CLASSIFICATION		
		(d) Companies	2.62	Reclassification of borrower wise grouping as per Industry code for Loan and Funded Assets.
	(f) Others (to be specified) WSB, SFC, PTR, OTH,LDB ETC	(f) Others (to be specified) Municipalities	33.12	
		(f) Others (to be specified) Co-operative Industrial Estates	4.20	
	(a) Central & State Governments	(f) Others (to be specified) WSB, SFC, PTR, OTH,LDB ETC	2.37	
2.	<b>Schedule No. 3 (Life)</b>	<b>Schedule No. 2 (Life)</b>		
	13 Others:			
	1. Allowances and commission (other than commission to insurance agents)	Rewards and remuneration to Intermediaries	486.81	Due to revised Board Approved policy.

### 33) Wage Revision:

Wage revision of the employees of the Corporation is done every five years and the last wage revision has become due on August 01, 2022. The provision for the same has been made on the estimated basis as at March 31, 2024.

### 34) Basis of revaluation of investment property:

Revaluation of investment (rented out) properties is being carried out once in three years as per IRDAI guidelines. The revaluation of properties has been carried out in the financial year 2022-23. The basis adopted for revaluation of property is as under:

- The valuation of investment property has been carried out by Rent Capitalization Method considering the market rent.
- Revaluation of investment properties having land alone without any building/structure has been revalued as per current market value.
- The Revaluation Reserve as at March 31, 2024 amounts to ₹ 14,839.06 Crore and as at March 31, 2023 amounts to ₹ 14,835.23 Crore.

35) The Corporation declared and paid an interim dividend of ₹ 4/- per equity share of ₹ 10/- each during the Financial Year 2023-24. The Board of Directors has recommended a final dividend of ₹ 6/- per equity share of ₹ 10/- each for the Financial Year 2023-24, subject to approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Corporation.

**36) गैर-दावाकृत लाभांश और संबंधित शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करना:**

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में दावा न किए गए लाभांश और संबंधित शेयरों का स्थानांतरण: जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी (5) में यह प्रावधान है कि भुगतान के लिए देय होने की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए अप्रदत्त लाभांश खाते में शेष रही गैर दावाकृत तथा अप्रदत्त राशि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जाएगी।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी (6) के अनुसार, सभी शेयर जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों के लिए गैर दावाकृत तथा अप्रदत्त है, निगम द्वारा इन्हे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के नाम पर हस्तांतरित किया जाएगा।

31 मार्च 2024 को आईईपीएफ में स्थानांतरण की देय तिथि के साथ-साथ दावा न किए गए लाभांश का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	अंतरिम / अंतिम	लाभांश प्रति शेयर (₹)	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ में स्थानांतरण की देय तिथि
2021-22	अंतिम	₹ 1.50 प्रति शेयर	सितम्बर 27, 2022	अक्टूबर 26, 2029
2022-23	अंतिम	₹ 3.00 प्रति शेयर	अगस्त 22, 2023	सितम्बर 20, 2030
2023-24	अंतरिम	₹ 4.00 प्रति शेयर	फरवरी 8, 2024	मार्च 08, 2031

**37) पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही से, आंकड़े पहले की अवधि के 'लाखों' की तुलना में 'करोड़ में' घोषित किए गए हैं।**

**38) कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं**

**i) जोखिम प्रबंधन संरचना का विवरण:**

एलआईसी के पास निगम के सम्मुख आने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए और परिभाषित जिम्मेदारियों और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से व्यापार करने हेतु मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन कार्य पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसमें वार्षिक आधार पर प्रमुख जोखिमों और उपायों पर आवश्यक निरीक्षण प्रदान करना, उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी देना, जोखिम भूख विवरण, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति और निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) शामिल है।

आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, निगम ने जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड (आरएमसीबी) का गठन किया है। आरएमसीबी जोखिम प्रबंधन प्रशासन संरचना की देखभाल करता है, जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करता है, जोखिम उठाने की क्षमता और महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए जोखिम कम करने की योजना, कारोबारी माहौल और विनियमों में परिवर्तन से उत्पन्न रणनीतिक जोखिमों की पहचान करता है, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करता है, इससे संबंधित सभी मामले परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, वार्षिक आधार पर आईटी सुरक्षा नीति, निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना, निगम की सॉल्वेंसी स्थिति, धोखाधड़ी निगरानी आदि के अनुरूप नियमित आधार पर व्यापार निरंतरता पर नियमित अपडेट की समीक्षा करती है। इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण मामले, जिन्हें आरएमसीबी की दृष्टि में, बोर्ड से और अधिक रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, को इसकी जानकारी में समय-समय पर इसकी बैठक में लाया जाता है।

महत्वपूर्ण कार्यात्मक विभागों के कार्यकारी अधिकारियों को, प्रमुखों की जोखिम प्रबंधन पर समिति और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (CERM और ALCO) के रूप में नामित एक आंतरिक स्वतंत्र समिति का गठन किया गया है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और उद्यम जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करता है। जोखिम प्रबंधन और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन पर कार्यकारियों की समिति की सिफारिशें सीआरओ द्वारा आरएमसीबी को रिपोर्ट की जाती हैं। CERM और ALCO उद्यम जोखिम प्रबंधन योजना, ALM पॉलिसी, रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट, जोखिम रिपोर्टिंग / जोखिम नियंत्रण के लिए MIS, रणनीतिक पहलों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख जोखिमों और कारोबारी माहौल या विनियमों में बदलाव, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम कम करने की योजना, व्यापार निरंतरता योजना सहित परिचालन जोखिम के माहौल की समीक्षा, नियमित आधार पर निगम की सॉल्वेंसी स्थिति की समीक्षा, आईटी सुरक्षा और धोखाधड़ी की निगरानी से संबंधित जोखिम की समीक्षा जैसे प्रमुख कार्यों की देखरेख करके RMCB की सहायता करता है। CERM और ALCO द्वारा चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों पर एक समेकित रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई को तिमाही आधार पर आरएमसीबी को रिपोर्ट किया जाता है।

### 36) Transfer of unclaimed dividend and corresponding shares to Investor Education and Protection Fund:

Transfer of Unclaimed dividend and corresponding shares to Investor Education and Protection Fund: Section 28C (5) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 provides that the amount remaining unclaimed and unpaid for a period of seven years from the date it became due for payment in the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of section 125 of the Companies Act, 2013.

In terms of Section 28 C (6) of Life Insurance Corporation Act, 1956, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Corporation to the Investor Education and Protection Fund.

As on March 31, 2024, the details of unclaimed dividend (if any) along with the due date for transfer to IEPF are given below:

Financial Year	Interim / Final	Dividend per Share (₹)	Date of Declaration	Due date of transfer to IEPF
2021-22	Final	₹ 1.50 per equity share	September 27, 2022	October 26, 2029
2022-23	Final	₹ 3.00 per equity share	August 22, 2023	September 20, 2030
2023-24	Interim	₹ 4.00 per equity share	February 8, 2024	March 08, 2031

37) Figures of the previous period/year have been regrouped wherever necessary to conform to the current periods' presentation. From Q4 of the FY 2023-24, the figures are disclosed in '₹ in crore' as compared to '₹ in lakhs' in the earlier periods.

### 38) Disclosure requirements as per Corporate Governance Guidelines

#### i) A description of the risk management architecture:

LIC has robust Enterprise Risk Management (ERM) framework to conduct business in an orderly fashion taking into account the risks faced by the Corporation and controlling its business effectively with defined responsibilities and adequate risk management procedures.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Enterprise Risk Management Policy, Cyber security policy, Risk Appetite statement, Asset Liability Management (ALM) Policy and Business Continuity Plan (BCP) of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Guidelines, Corporation has constituted the Risk Management Committee of the Board (RMCB). The RMCB looks after the risk management governance structure, reviews the risk management framework, risk appetite and the risk mitigation plans for significant risks, identifies strategic risks emanating from changes in business environment and regulations, oversees the compliance to regulatory requirements, all matters related to Asset Liability Management, IT Security policy on annual basis, reviews regular updates on business continuity in line with the Corporation's Business Continuity Plan, solvency position of the Corporation, fraud monitoring, etc. on regular basis. Further, all important matters which, in the view of the RMCB, require further strategic intervention from the Board are brought to its knowledge in its meeting on a periodic basis.

An Internal Independent Committee, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) and Asset Liability Management Committee (ALCO) has been constituted with Heads of key functional departments. Chief Risk Officer (CRO) acts as the custodian of Enterprise Risk Management framework and guides the implementation of the Enterprise Risk Management. Recommendations of the Committee of Executives on Risk Management & Asset Liability Management are reported to RMCB by the CRO. CERM & ALCO supports the RMCB by supervising major functions like establishing Enterprise Risk Management Policy, ALM Policy, Risk Appetite Statement, MIS for risk reporting/risk control, key risks arising from strategic initiatives and changes in business environment or regulations, risk assessment highlighting significant risks and risk mitigation plans thereof, review of operating risk environment including Business Continuity Plan, review of solvency position of the Corporation on a regular basis, review of risk related to IT security and Fraud Monitoring. A consolidated report on various issues discussed by the CERM & ALCO and action taken thereon are reported to RMCB on quarterly basis.

सूचना सुरक्षा संचालन समिति (ISSC), जिसमें केंद्रीय कार्यालय के विभागों के प्रमुख, मुख्य जोखिम अधिकारी (CRO) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) शामिल हैं, सभी सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं की देखरेख करते हैं।

ii) व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए अवधि के विवरण के साथ सूचित, निपटाए गए और लंबित मृत्यु दावों की संख्या का विवरण:

विवरण	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	दावों की संख्या	₹ करोड़ में	दावों की संख्या	₹ करोड़ में
वर्ष की शुरुआत में बकाया दावों की संख्या	675	305.87	2,282	360.15
जोड़ें:				
वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए दावों की संख्या	8,44,312	18,461.21	9,19,925	18,967.48
घटाएं:				
वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या	8,29,318	17,861.76	9,08,576	18,397.77
वर्ष के दौरान अस्वीकृत दावों की संख्या	8,857	502.44	8,003	416.92
वर्ष के दौरान खारिज किए गए दावों की संख्या	6,007	15.06	4,326	14.75
वापस लिखे गए दावों की संख्या	530	43.77	627	192.32
अवधि के अंत में बकाया दावों की संख्या	275	344.05	675	305.87
बकाया दावों की अवधि का विवरण				
3 महीने से कम	198	317.75	655	174.27
3 महीने से 6 महीने	77	26.30	20	131.60
6 महीने से 1 साल	0	0.00	0	0.00
1 वर्ष और उससे अधिक	0	0.00	0	0.00
<b>कुल</b>	<b>275</b>	<b>344.05</b>	<b>675</b>	<b>305.87</b>

निगम दावों के निपटान के लिए विभिन्न आईआरडीआई दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है और दावों की समय पर रिकॉर्डिंग और निपटान के लिए दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया में है।

iii) पॉलिसीधारक निधि से समूह संस्थाओं को किया गया भुगतान:

संदर्भ नोट नं. 8 च) भाग के तहत (ग) अतिरिक्त प्रकटीकरण: संबंधित पार्टी प्रकटीकरण।

iv) लेखापरीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्यों पर प्रकटीकरण

आईआरडीआई द्वारा 18 मई 2016 को जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के खंड 7.1 के अनुसार, लेखा परीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्य (सांविधिक/आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा) और शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षक का नाम	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क	अन्य प्रमाणन शुल्क	जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क	अन्य प्रमाणन शुल्क
बाटलीबोई और पुरोहित	0.00	0.04	0.00	0.04
<b>कुल</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>

Information Security Steering Committee (ISSC) consisting of heads of departments of Central office, Chief Risk Officer (CRO) and Chief Information Security Officer (CISO) oversees all Information and cyber security related policies and procedures.

**ii) Details of number of Death claims intimated, disposed off and pending with details of duration for Individual Business:**

Particulars	As at 31.03.2024		As at 31.03.2023	
	No. of claims	₹ In Crore	No. of claims	₹ In Crore
No. of claims outstanding at the beginning of the year	675	305.87	2,282	360.15
Add:				
No. of claims reported during the year	8,44,312	18,461.21	9,19,925	18,967.48
Less:				
No. of claims settled during the year	8,29,318	17,861.76	9,08,576	18,397.77
No. of claims repudiated during the year	8,857	502.44	8,003	416.92
No. of Claims rejected during the year	6,007	15.06	4,326	14.75
No. of claims written back	530	43.77	627	192.32
No. of claims outstanding at the end of the period	275	344.05	675	305.87
Details of duration of outstanding claims				
Less than 3 months	198	317.75	655	174.27
3 months to 6 months	77	26.30	20	131.60
6 months to 1 year	0	0.00	0	0.00
1 year and above	0	0.00	0	0.00
<b>Total</b>	<b>275</b>	<b>344.05</b>	<b>675</b>	<b>305.87</b>

The Corporation is adhering various IRDAI guidelines for settlement of claims and is in the process of improving the claim submission process for timely recording and settlement of claims.

**iii) Payments made to group entities from Policyholders Funds:**

Refer Note no. 8 F) under part (c) Additional Disclosures: Related party disclosure.

**iv) Disclosure on additional works given to auditors**

Pursuant to clause 7.1 of Corporate Governance guidelines issued by IRDAI dated May 18, 2016, the additional works (other than statutory/ internal audit) given to the auditors and the fees (excluding GST) are detailed below:

(₹ in Crore)

Name of Auditor	As at 31.03.2024		As at 31.03.2023	
	GST Certification/ Audit Fees	Other Certification Fees	GST Certification/ Audit Fees	Other Certification Fees
Batliboi & Purohit	0.00	0.04	0.00	0.04
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>

v) वित्तीय विवरणों का सारांश

(₹ करोड़ में)

अनु. क्रमांक	विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
	<i>पॉलिसीधारकों का खाता</i>					
1	सकल प्रीमियम आय	4,75,751.92	4,74,668.14	4,28,024.97	4,03,286.55	3,79,389.60
2	शुद्ध प्रीमियम आय ^	4,75,069.58	4,74,004.61	4,27,419.21	4,02,844.34	3,79,062.56
3	निवेश से आय (शुद्ध) @	3,63,943.92	3,06,390.13	2,92,894.45	2,78,761.14	2,35,351.40
4	अन्य आय	14,648.36	7,648.54	788.90	599.50	1,468.98
5	शेयरधारकों के खाते से अंशदान (ए) प्रबंधन के अतिरिक्त खर्च की ओर	12.98	9.37	0.00	0.00	0.00
6	<b>कुल आय</b>	<b>8,53,674.84</b>	7,88,052.64	7,21,102.57	6,82,204.99	6,15,882.94
7	कमीशन	25,959.12	25,580.39	23,171.46	22,169.92	21,027.14
8	दलाली					
9	परिचालन व्यय संबंधित बीमा व्यवसाय	48,121.68	48,145.60	38,890.68	34,989.52	34,568.04
10	कराधान और अन्य के लिए प्रावधान	3,040.10	-9,494.28	-1,408.59	13,077.07	17,188.37
11	<b>कुल खर्च</b>	<b>77,120.90</b>	64,231.71	60,653.54	70,236.51	72,783.54
12	पॉलिसीधारकों को भुगतान*	3,88,809.33	3,42,576.75	3,57,464.89	2,86,883.81	2,54,222.26
13	बीमाकिक देयता में वृद्धि	3,44,319.22	3,41,109.35	3,06,323.75	3,21,758.23	2,95,289.69
14	संबन्ध देयताओं के लिए प्रावधान	8,716.85	2,273.41	-9,046.13	434.31	-9,110.34
15	<b>संचालन से अधिशेष/घाटा</b>	<b>34,708.54</b>	37,861.42	5,706.51	2,892.14	2,697.78
	<i>शेयरधारकों का खाता</i>					
16	शेयरधारकों के खातों के तहत कुल आय	43,716.59	37,199.63	4,076.65	2,912.00	2,727.07
17	शेयरधारक के खाते के तहत कुल खर्च	2,929.38	742.84	9.93	5.22	6.33
18	कर पूर्व लाभ/(हानि)	40,787.21	36,456.78	4,066.72	2,906.77	2,720.75
19	कर के प्रावधान	111.42	59.39	23.60	6.21	8.04
20	<b>कर पश्चात लाभ/हानि</b>	<b>40,675.79</b>	36,397.39	4,043.12	2,900.57	2,712.71
21	लाभ/हानि को तुलन-पत्र में ले जाया गया	75,711.26	39,462.97	4,014.33	0.00	**2,697.74
	<i>विविध</i>					
22	(ए) पॉलिसीधारकों का खाता					
	कुल फंड	51,39,692.26	44,45,284.82	41,48,853.68	37,22,491.09	31,22,941.10
	कुल निवेश	50,31,577.60	43,30,818.95	40,29,202.77	36,20,759.42	30,19,841.04
	निवेश पर प्रतिफल%	8.93	8.29	8.55	8.69	#7.54
	(बी) शेयरधारकों का खाता:					
	कुल फंड	81,938.16	45,669.40	10,409.14	6,360.69	739.53
	कुल निवेश	63,743.97	29,363.53	6,412.14	713.57	679.42
	*निवेश पर प्रतिफल%	8.02	6.48	3.00	3.35	#5.25
23	*कुल निवेश पर प्रतिफल%	8.92	8.28	8.54	8.69	#7.54
24	चुकता इक्विटी पूंजी	6,325.00	6,325.00	6,325.00	100.00	100.00
25	कुल मूल्य	81,938.16	45,669.40	10,409.14	6,360.69	739.53
26	<b>कुल संपत्ति</b>	<b>52,85,503.16</b>	45,50,571.73	42,30,616.95	38,04,610.01	31,96,214.81
27	प्रति शेयर आय##	64.31	57.55	6.39	लागू नहीं	लागू नहीं
28	प्रति शेयर पुस्तक मूल्य##	10.00	10.00	10.00	लागू नहीं	लागू नहीं

पिछली अवधियों के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किए जाते हैं।

^ पुर्नबीमा के बाद

@ हानि के बाद

\* अंतरिम बोनस सहित, यदि कोई हो

## v) Summary of Financial Statements

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
<i>POLICYHOLDERS' A/C</i>						
1	Gross Premium Income	4,75,751.92	4,74,668.14	4,28,024.97	4,03,286.55	3,79,389.60
2	Net Premium Income ^	4,75,069.58	4,74,004.61	4,27,419.21	4,02,844.34	3,79,062.56
3	Income from Investments (Net) @	3,63,943.92	3,06,390.13	2,92,894.45	2,78,761.14	2,35,351.40
4	Other Income	14,648.36	7,648.54	788.90	599.50	1,468.98
5	Contribution from Shareholders A/c					
	(a) Towards excess expenses of Management	12.98	9.37	0.00	0.00	0.00
6	<b>Total Income</b>	<b>8,53,674.84</b>	7,88,052.64	7,21,102.57	6,82,204.99	6,15,882.94
7	Commissions	25,959.12	25,580.39	23,171.46	22,169.92	21,027.14
8	Brokerage					
9	Operating Expenses related insurance business	48,121.68	48,145.60	38,890.68	34,989.52	34,568.04
10	Provision for Taxation and Others	3,040.10	-9,494.28	-1,408.59	13,077.07	17,188.37
11	<b>Total Expenses</b>	<b>77,120.90</b>	64,231.71	60,653.54	70,236.51	72,783.54
12	Payment to policyholders *	3,88,809.33	3,42,576.75	3,57,464.89	2,86,883.81	2,54,222.26
13	Increase in actuarial liability	3,44,319.22	3,41,109.35	3,06,323.75	3,21,758.23	2,95,289.69
14	Provision for Linked Liabilities	8,716.85	2,273.41	-9,046.13	434.31	-9,110.34
15	<b>Surplus/Deficit from operations</b>	<b>34,708.54</b>	37,861.42	5,706.51	2,892.14	2,697.78
<i>SHAREHOLDERS' A/C</i>						
16	Total income under shareholders' Accounts	43,716.59	37,199.63	4,076.65	2,912.00	2,727.07
17	Total Expenses under Shareholder's Account	2,929.38	742.84	9.93	5.22	6.33
18	Profit/(loss) before tax	40,787.21	36,456.78	4,066.72	2,906.77	2,720.75
19	Provisions for tax	111.42	59.39	23.60	6.21	8.04
20	<b>Profit/loss after tax</b>	<b>40,675.79</b>	36,397.39	4,043.12	2,900.57	2,712.71
21	Profit/loss carried to Balance Sheet	75,711.26	39,462.97	4,014.33	0.00	**2,697.74
<i>MISCELLANEOUS</i>						
22	(A) Policyholders' account					
	Total funds	51,39,692.26	44,45,284.82	41,48,853.68	37,22,491.09	31,22,941.10
	Total Investments	50,31,577.60	43,30,818.95	40,29,202.77	36,20,759.42	30,19,841.04
	Yield on investments %	8.93	8.29	8.55	8.69	#7.54
	(B) Shareholders' account:					
	Total funds	81,938.16	45,669.40	10,409.14	6,360.69	739.53
	Total Investments	63,743.97	29,363.53	6,412.14	713.57	679.42
	*Yield on investments %	8.02	6.48	3.00	3.35	#5.25
23	*Yield on total investments %	8.92	8.28	8.54	8.69	#7.54
24	Paid up equity capital	6,325.00	6,325.00	6,325.00	100.00	100.00
25	Net worth	81,938.16	45,669.40	10,409.14	6,360.69	739.53
26	<b>Total Assets</b>	<b>52,85,503.16</b>	45,50,571.73	42,30,616.95	38,04,610.01	31,96,214.81
27	<b>Earnings per share ##</b>	<b>64.31</b>	57.55	6.39	N.A	N.A
28	<b>Face value per share ##</b>	<b>10.00</b>	10.00	10.00	N.A	N.A

Previous Period's figures are regrouped wherever necessary.

^ Net of reinsurance

@ Net of losses

\* Inclusive of interim bonuses, if any

# प्रतिफल की गणना मीन फंड पर की गई है।

\*\* भारत सरकार को लाभांश

## निगम की स्थापना, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आरंभिक पूंजी के साथ की गई थी, जो कि समता अंशों के रूप में नहीं थी। अतएव 31.03.2019, 31.03.2020 तथा 31.03.2021 को शेयरों की संख्या लागू नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के 6 सितम्बर 2021 के अनुमोदन के अनुसरण में 632.50 करोड़ समता अंश ₹ 10 प्रति शेयर की दर से आबंटन सितम्बर 2021 में किया गया था।

vi) नियंत्रित निधि को दर्शाने वाला विवरण

क) तुलन-पत्र के अनुसार नियंत्रित फंड की गणना (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
<b>पॉलिसीधारक निधि (जीवन निधि)</b>		
सहभागी		
व्यक्तिगत बीमा	29,18,309.04	26,85,987.15
वार्षिकी व्यवसाय	4,952.54	5,169.04
पेंशन व्यवसाय	40,724.84	40,785.90
समूह बीमा	0.00	0.00
<b>गैर-सहभागी</b>		
व्यक्तिगत बीमा (जीवन सहित, संबद्ध- गैर यूनिट फंड)	1,90,097.56	1,82,851.72
वार्षिकी व्यवसाय	1,51,957.98	1,38,032.16
समूह बीमा	10,84,358.00	9,93,737.60
स्वास्थ्य व्यवसाय	593.79	501.48
<b>संबद्ध</b>		
व्यक्तिगत बीमा	24,327.44	17,220.41
समूह बीमा	0.00	0.00
व्यक्तिगत पेंशन	8,420.55	6,993.96
समूह सेवानिवृत्ति	0.00	0.00
समूह ग्रेच्युटी	107.38	121.28
स्वास्थ्य व्यवसाय	1,945.14	1,750.43
पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित	182.29	179.99
भविष्य के विनियोगों के लिए निधि	1,214.72	3,918.67
बंद निधि (इकाई)	381.73	150.29
<b>कुल (क)</b>	<b>44,27,573.00</b>	<b>40,77,400.08</b>
<b>शेयरधारकों का कोष</b>		
प्रदत्त पूंजी	6,325.00	6,325.00
निधियाँ और अधिशेष	75,746.71	39,493.56
उचित मूल्य परिवर्तन	(141.81)	(157.37)
<b>कुल (ख)</b>	<b>81,929.90</b>	<b>45,661.18</b>
विविध खर्चे जो बट्टे खाते में नहीं डाले गए	0.00	0.00
लाभ हानि खाते से क्रेडिट / (डेबिट)	0.00	0.00
<b>कुल (ग)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>कुल शेयरधारकों की निधि (क + ख)</b>	<b>81,929.90</b>	<b>45,661.18</b>
<b>नियंत्रित निधि ड कुल (क+ख-ग).</b>	<b>45,09,502.90</b>	<b>41,23,061.26</b>

- # Yield is calculated on Mean Fund  
 \*\* Dividend to Government of India  
 ## The Corporation was established with initial capital made by Government of India which was not in form of equity shares. As such the No. of shares is not applicable as at 31.03.2019, 31.03.2020 and 31.03.2021. as the allotment of 632.50 crore equity shares ₹ 10 each was done in September, 2021 in pursuance of Government of India's approval dated 06<sup>th</sup> September, 2021.

**vi) Statement showing the Controlled Fund**

- a) Computation of Controlled fund as per the Balance Sheet (In respect of Business In India)

(₹ in crore)

Particulars	2023-24	2022-23
<b>Policyholders' Fund (Life Fund)</b>		
Participating		
Individual Assurance	29,18,309.04	26,85,987.15
Annuity Business	4,952.54	5,169.04
Pension Business	40,724.84	40,785.90
Group Assurance	0.00	0.00
<b>Non Participating</b>		
Individual Assurance (Includes Life, VIP, Linked- Non Unit Fund)	1,90,097.56	1,82,851.72
Annuity Business	1,51,957.98	1,38,032.16
Group Assurance	10,84,358.00	9,93,737.60
Health Business	593.79	501.48
<b>Linked</b>		
Individual Assurance	24,327.44	17,220.41
Group Assurance	0.00	0.00
Individual Pension	8,420.55	6,993.96
Group Superannuation	0.00	0.00
Group Gratuity	107.38	121.28
Health Business	1,945.14	1,750.43
CRAC	182.29	179.99
Funds for Future Appropriations	1,214.72	3,918.67
Discontinued Fund (Unit)	381.73	150.29
<b>Total (A)</b>	<b>44,27,573.00</b>	<b>40,77,400.08</b>
<b>Shareholders' Fund</b>		
Paid up Capital	6,325.00	6,325.00
Reserves & Surpluses	75,746.71	39,493.56
Fair Value Change	(141.81)	(157.37)
<b>Total (B)</b>	<b>81,929.90</b>	<b>45,661.18</b>
Misc. expenses not written off	0.00	0.00
Credit / (Debit) from P&L A/c.	0.00	0.00
<b>Total (C)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total shareholders' funds (B+C)</b>	<b>81,929.90</b>	<b>45,661.18</b>
<b>Controlled Fund [Total (A+B-C) ]</b>	<b>45,09,502.90</b>	<b>41,23,061.26</b>

ख) राजस्व और लाभ और हानि खाते से नियंत्रित निधि का समाधान (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
नियंत्रित निधि का प्रारंभिक शेष	41,23,061.26	37,42,347.13
पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित का प्रारंभिक शेष	0.00	207.00
जोड़ें: अंतर्वाह		
आय		
प्रीमियम आय	4,75,275.67	4,74,263.36
घटाये: पुनर्बीमा सौंप दिया गया	680.72	661.89
शुद्ध प्रीमियम	4,74,594.95	4,73,601.47
निवेश आय*	3,63,686.89	3,06,153.81
अन्य आय	14,647.38	7,647.78
शेयरधारकों के खातों से धन हस्तांतरित	2,598.45	261.88
<b>कुल आय</b>	<b>8,55,527.67</b>	<b>7,87,664.94</b>
घटाये: निर्गम		
(i) भुगतान किए गए लाभ (शुद्ध)	3,85,454.77	3,38,972.70
(ii) भुगतान किया गया अंतरिम बोनस	2,858.41	3,262.60
(iii) दायित्व के मूल्यांकन में परिवर्तन**	3,50,172.91	3,45,230.34
(iv) कमीशन	25,933.11	25,559.19
(v) परिचालन व्यय	48,062.61	48,097.10
(vi) कराधान के लिए प्रावधान आई.टी.	5,816.11	5,235.85
(vii) कराधान के अलावा अन्य प्रावधान***	(2,919.51)	(14,845.92)
(vii) अन्य***	134.38	109.49
<b>कुल व्यय</b>	<b>8,15,512.79</b>	<b>7,51,621.35</b>
पॉलिसीधारकों के कोष का अधिशेष	40,014.88	36,043.59
घटाये: शेयरधारकों के खाते में स्थानांतरित	40,014.88	36,043.59
पॉलिसीधारकों के खाते में शुद्ध प्रवाह	0.00	0.00
जोड़ें: शेयरधारकों के कोष में शुद्ध आय/(व्यय)****	40,680.66	36,399.94
प्रवाह / बहिर्वाह में शुद्ध	4,427.50	948.75
जोड़ें: मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन	36,253.16	35,451.19
जोड़ें: देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन**	3,50,172.91	3,45,230.34
जोड़ें: उचित मूल्य परिवर्तन	15.56	(174.40)
नियंत्रित निधि का अंतिम शेष	45,09,502.90	41,23,061.26
तुलन पत्र के अनुसार	45,09,502.90	41,23,061.26
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00

\*संबद्ध व्यवसाय के निवेश आय में पुनर्मूल्यांकन पर स्थानांतरण/लाभ/यूनिट फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन शामिल है

\*\*देयताओं के मूल्यांकन में परिवर्तन में संबद्ध देयताओं के प्रावधान में स्थानांतरण, भविष्य के विनियोगों के लिए निधि और बंद निधि शामिल हैं

**b) Reconciliation of the Controlled Fund from Revenue and Profit & Loss Account (In respect of Business In India)**

(₹ in crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Opening Balance of Controlled Fund	41,23,061.26	37,42,347.13
Opening Balance of CRAC	0.00	207.00
Add: Inflow		
Income		
Premium Income	4,75,275.67	4,74,263.36
Less: Reinsurance ceded	680.72	661.89
Net Premium	4,74,594.95	4,73,601.47
Investment Income*	3,63,686.89	3,06,153.81
Other Income	14,647.38	7,647.78
Funds transferred from Shareholders' Accounts	2,598.45	261.88
<b>Total Income</b>	<b>8,55,527.67</b>	<b>7,87,664.94</b>
Less: Outgo		
(i) Benefits paid (Net)	3,85,454.77	3,38,972.70
(ii) Interim Bonus Paid	2,858.41	3,262.60
(iii) Change in Valuation of Liability**	3,50,172.91	3,45,230.34
(iv) Commission	25,933.11	25,559.19
(v) Operating Expenses	48,062.61	48,097.10
(vi) Provision for Taxation I.T.	5,816.11	5,235.85
(vii) Provision other than Taxation ***	(2,919.51)	(14,845.92)
(vii) Others***	134.38	109.49
<b>Total Outgo</b>	<b>8,15,512.79</b>	<b>7,51,621.35</b>
Surplus of the Policyholders' Fund	40,014.88	36,043.59
Less: transferred to Shareholders' Account	40,014.88	36,043.59
Net Flow in Policyholders' account	0.00	0.00
Add: Net income/(expense) in Shareholders' Fund ****	40,680.66	36,399.94
Less : Dividend	4,427.50	948.75
Net Inflow / Outflow	36,253.16	35,451.19
Add: change in valuation Liabilities**	3,50,172.91	3,45,230.34
Add: Fair Value Change	15.56	(174.40)
Closing Balance of Controlled Fund	45,09,502.90	41,23,061.26
As Per Balance Sheet	45,09,502.90	41,23,061.26
Difference, if any	0.00	0.00

\*Investment Income includes transfer/gain on revaluation/change in fair value of unit fund of Linked business

\*\*Change in valuation of liabilities includes transfer to provision for Linked Liabilities, Funds for Future Appropriations and Discontinued fund

\*\*\*“कराधान के अलावा अन्य प्रावधान” और “अन्य” को अलग-अलग पंक्ति वस्तुओं के रूप में शामिल किया गया है। अन्य में शामिल है अन्य व्यय और फंड प्रबंधन शुल्क और लिंकड व्यवसाय के अन्य शुल्क पर सेवा कर शामिल हैं।

\*\*\*बोनस शेयर जारी करने के लिए पूंजीकृत राशि शामिल है

ग) शेयरधारकों और पॉलिसीधारक निधि के साथ समाधान (भारत में व्यापार के संबंध में)

(₹ करोड़ में)

	2023-24	2022-23
<b>पॉलिसीधारकों की निधि</b>		
पॉलिसीधारकों के फंड - पारंपरिक-सहभागी और गैर-सहभागी		
पॉलिसीधारकों के फंड की प्रारंभिक शेष राशि	40,51,163.71	37,08,099.51
पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित का प्रारंभिक शेष	0.00	207.00
जोड़ें: राजस्व खाते का अधिशेष		
जोड़ें: मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन	3,41,227.05	3,42,857.20
<b>कुल</b>	<b>43,92,390.76</b>	<b>40,51,163.71</b>
तुलन-पत्र के अनुसार	43,92,390.76	40,51,163.71
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के फंड - संबद्ध		
पॉलिसीधारकों के फंड की प्रारंभिक शेष राशि	26,236.37	23,863.23
जोड़ें: राजस्व खाते का अधिशेष		
जोड़ें: मूल्यांकन देयताओं में परिवर्तन	8,945.87	2,373.14
<b>कुल</b>	<b>35,182.24</b>	<b>26,236.37</b>
तुलन-पत्र के अनुसार*	35,182.24	26,236.37
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00
<b>अंशधारकों की निधि</b>		
अंशधारकों की निधि का प्रारंभिक शेष	45,661.18	10,384.39
जोड़ें: अंशधारकों के कोष में शुद्ध आय/(व्यय)	40,680.66	36,399.94
घटायें: लाभांश	4,427.50	948.75
जोड़ें: उचित मूल्य परिवर्तन	15.56	(174.40)
अंशधारकों की निधि का अंतिम शेष	81,929.90	45,661.18
तुलन-पत्र के अनुसार	81,929.90	45,661.18
अंतर, यदि कोई हो	0.00	0.00

\* बंद निधि (इकाई) शामिल है

\*\*\*\*“Provision other than taxation” and “Others” have been included as separate row items. “Others” include Other Expenses and Service Tax on Fund Management Charges & Other Charges of Linked Business

\*\*\*\*Includes amount capitalised for issue of Bonus Shares

**c) Reconciliation with Shareholders’ and Policyholders’ Fund (In respect of Business In India)**

(₹ in crore)

	2023-24	2022-23
<b>Policyholders’ Funds</b>		
<i>Policyholders’ Funds - Traditional-PAR and NON-PAR</i>		
Opening Balance of the Policyholders’ Fund	40,51,163.71	37,08,099.51
Opening Balance of the CRAC	0.00	207.00
Add: Surplus of the Revenue Account		
Add: Change in valuation Liabilities	3,41,227.05	3,42,857.20
<b>Total</b>	<b>43,92,390.76</b>	<b>40,51,163.71</b>
As per Balance Sheet	43,92,390.76	40,51,163.71
Difference, if any	0.00	0.00
<i>Policyholders’ Funds - Linked</i>		
Opening Balance of the Policyholders’ Fund	26,236.37	23,863.23
Add: Surplus of the Revenue Account		
Add: Change in valuation Liabilities	8,945.87	2,373.14
<b>Total</b>	<b>35,182.24</b>	<b>26,236.37</b>
As per Balance Sheet*	35,182.24	26,236.37
Difference, if any	0.00	0.00
<i>Shareholders’ Funds</i>		
Opening Balance of Shareholders’ Fund	45,661.18	10,384.39
Add: Net income/(expense) in Shareholders’ Fund	40,680.66	36,399.94
Less: Dividend	4,427.50	948.75
Add: fair Value Change	15.56	(174.40)
Closing Balance of the Shareholders’ fund	81,929.90	45,661.18
As per Balance Sheet	81,929.90	45,661.18
Difference, if any	0.00	0.00

\* Includes Discontinued Fund (Unit)

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र  
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS</b>							
<b>शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:</b>							
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
उधारी BORROWINGS	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:</b>							
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		2,77,145.64	3,96,133.34	0.00	19,140.71	0.00	151.21
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES		29,22,417.60	5,15,146.16	40,724.84	7,59,093.95	4,952.54	1,51,972.14
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES							
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य Others		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	6A	15,587.00	4.33	0.00	0.00	0.00	2.18
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>32,15,150.24</b>	<b>9,11,283.83</b>	<b>40,724.84</b>	<b>7,78,234.66</b>	<b>4,952.54</b>	<b>1,52,125.53</b>
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS		549.14	0.00	146.52	0.00	489.05	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>32,15,699.38</b>	<b>9,11,283.83</b>	<b>40,871.36</b>	<b>7,78,234.66</b>	<b>5,441.59</b>	<b>1,52,125.53</b>

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business				कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total	गैर-सहभागी Non Participating		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	अनाबंटित निधि Unallocated Fund			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,740.08	0.00	75,740.08	0.00	75,740.08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(126.92)	0.00	(126.92)	0.00	(126.92)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,938.16	0.00	81,938.16	0.00	81,938.16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2,77,145.64	4,15,425.26	111.21	2,77,145.64	4,15,536.47	0.00	0.00	6,92,682.11	0.00	6,92,682.11
101.07	593.79	29,68,094.98	14,26,907.11	140.90	29,68,094.98	14,27,048.01	0.00	0.00	43,95,142.99	182.29	43,95,325.28
0.00	0.00	0.00	0.00	393.75	0.00	393.75	0.00	0.00	393.75	0.00	393.75
0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	14.11	0.00	14.11
0.00	0.00	15,587.00	6.51	0.20	15,587.00	6.71	0.00	0.00	15,593.71	0.35	15,594.06
0.00	0.00	0.00	0.00	34,876.09	0.00	34,876.09	0.00	0.00	34,876.09	0.00	34,876.09
101.07	593.79	32,60,827.62	18,42,338.88	35,536.26	32,60,827.62	18,77,875.14	0.00	0.00	51,38,702.76	182.64	51,38,885.40
0.00	0.00	1,184.71	0.00	30.01	1,184.71	30.01			1,214.72	0.00	1,214.72
101.07	593.79	32,62,012.33	18,42,338.88	35,566.27	32,62,012.33	18,77,905.15	81,938.16	0.00	52,21,855.64	182.64	52,22,038.28

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र  
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS							
निवेश / INVESTMENTS							
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	29,90,042.71	9,19,941.62	40,093.69	7,68,490.47	5,474.66	1,49,708.62
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण / LOANS	9	1,19,611.48	139.53	0.00	0.00	0.00	488.58
अचल सम्पत्तियाँ FIXED ASSETS	10	4,041.16	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
चालू सम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS							
रोकड़ एवं बैंक में शेष Cash and Bank Balances	11	20,549.16	8,998.57	2.15	1,456.43	12.57	2,216.52
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	12	1,11,118.22	21,477.64	677.11	13,744.25	47.63	3,111.54
उप-योग (क) Sub-Total (A)		1,31,667.38	30,476.21	679.26	15,200.68	60.20	5,328.06
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	13	46,796.34	(4,448.99)	(112.18)	3,058.85	93.19	1,553.79
प्रावधान PROVISIONS	14	0.00	14,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)		46,796.34	10,494.07	(112.18)	3,058.85	93.19	1,553.79
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		84,871.04	19,982.14	791.44	12,141.83	(32.99)	3,774.27

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business				कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	अनाबंटित निधि Unallocated Fund			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,743.97	0.00	63,743.97	0.00	63,743.97
90.11	808.96	30,35,611.06	18,39,039.78	1,646.22	30,35,611.06	18,40,686.00	0.00	0.00	48,76,297.06	215.34	48,76,512.40
0.00	0.00	0.00	0.00	35,257.82	0.00	35,257.82	0.00	0.00	35,257.82	0.00	35,257.82
3.20	0.00	1,19,611.48	631.31	3.91	1,19,611.48	635.22	11.58	0.00	1,20,258.28	0.00	1,20,258.28
0.00	0.00	4,041.16	15.81	0.00	4,041.16	15.81	0.00	0.00	4,056.97	0.00	4,056.97
0.02	6.74	20,563.88	12,678.28	6.94	20,563.88	12,685.22	1,271.94		34,521.04	0.01	34,521.05
2.87	37.15	1,11,842.96	38,373.45	56.05	1,11,842.96	38,429.50	907.57	0.00	1,51,180.03	2.22	1,51,182.25
2.89	43.89	1,32,406.84	51,051.73	62.99	1,32,406.84	51,114.72	2,179.51	0.00	1,85,701.07	2.23	1,85,703.30
(7.29)	224.38	46,777.35	380.74	1,363.28	46,777.35	1,744.02	0.46		48,521.83	29.57	48,551.40
0.00	0.00	0.00	14,943.06	0.00	0.00	14,943.06	0.00		14,943.06	0.00	14,943.06
(7.29)	224.38	46,777.35	15,323.80	1,363.28	46,777.35	16,687.08	0.46	0.00	63,464.89	29.57	63,494.46
10.18	(180.49)	85,629.49	35,727.93	(1,300.29)	85,629.49	34,427.64	2,179.05	0.00	1,22,236.18	(27.34)	1,22,208.84

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र  
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल / TOTAL		31,98,566.39	9,40,079.10	40,885.13	7,80,632.30	5,441.67	1,53,971.47

नोट: लेखा मानक 17 के अनुसार - कर संपत्ति आवंटित नहीं की जा सकती है।

Note: As per Accounting Standard 17- Tax assets cannot be allocated across reporting segments, hence shown under unallocated fund.

#### हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

#### निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024**

**(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)**

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total	पूर्वी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total									
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	अनाबंटित निधि Unallocated Fund			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.49	628.47	32,44,893.19	18,75,414.83	35,607.66	32,44,893.19	19,11,022.49	65,934.60	0.00	52,21,850.28	188.00	52,22,038.28

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 तक का तुलन-पत्र  
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS</b>							
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:							
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उधारी BORROWINGS	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:							
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		50,318.94	2,96,344.51	0.00	1,471.91	0.00	71.40
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES		26,89,948.53	4,79,269.63	40,785.90	6,97,068.96	5,169.04	1,38,047.10
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES							
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य Others		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	6A	15,676.21	(0.15)	0.00	0.00	0.00	1.41
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		27,55,943.68	7,75,613.99	40,785.90	6,98,540.87	5,169.04	1,38,119.91
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS		4,550.35	0.00	(890.89)	0.00	240.22	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		27,60,494.03	7,75,613.99	39,895.01	6,98,540.87	5,409.26	1,38,119.91

## Annexure - I

### FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2023

### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	अनाबंटित निधि Unallocated Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,492.05	0.00	39,492.05	0.00	39,492.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(147.66)	0.00	(147.66)	0.00	(147.66)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,669.39	0.00	45,669.39	0.00	45,669.39
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	50,318.94	2,97,887.82	73.58	50,318.94	2,97,961.40	0.00	0.00	3,48,280.34	0.00	3,48,280.34
110.26	501.48	27,35,903.47	13,14,997.43	167.61	27,35,903.47	13,15,165.04	0.00	0.00	40,51,068.51	179.99	40,51,248.50
0.00	0.00	0.00	0.00	162.79	0.00	162.79	0.00	0.00	162.79	0.00	162.79
0.00	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	14.43	0.00	14.43
0.00	0.00	15,676.21	1.26	0.25	15,676.21	1.51	0.00	0.00	15,677.72	0.35	15,678.07
0.00	0.00	0.00	0.00	26,159.24	0.00	26,159.24	0.00	0.00	26,159.24	0.00	26,159.24
110.26	501.48	28,01,898.62	16,12,886.51	26,577.90	28,01,898.62	16,39,464.41	0.00	0.00	44,41,363.03	180.34	44,41,543.37
0.00	0.00	3,899.68	0.00	18.99	3,899.68	18.99	0.00	0.00	3,918.67	0.00	3,918.67
110.26	501.48	28,05,798.30	16,12,886.51	26,596.89	28,05,798.30	16,39,483.40	45,669.39	0.00	44,90,951.09	180.34	44,91,131.43

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 तक का तुलन-पत्र  
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS</b>							
<b>निवेश / INVESTMENTS</b>							
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	25,35,210.92	7,79,169.33	39,090.97	6,92,030.31	5,440.51	1,35,495.97
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ऋण / LOANS</b>							
अचल सम्पत्तियाँ FIXED ASSETS	10	3,777.76	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>चालू सम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS</b>							
रोकड़ एवं बैंक में शेष Cash and Bank Balances	11	23,612.78	8,343.50	1.35	4,505.76	0.06	1,778.17
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	12	83,650.04	26,312.27	702.00	12,757.79	47.94	2,865.50
<b>उप-योग (क) Sub-Total (A)</b>		1,07,262.82	34,655.77	703.35	17,263.55	48.00	4,643.67
<b>चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES</b>							
प्रावधान PROVISIONS	14	0.00	14,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग (ख) / Sub-Total (B)</b>		37,897.10	10,323.45	(114.94)	8,395.28	79.17	1,043.72
<b>शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)</b>		69,365.72	24,332.32	818.29	8,868.27	(31.17)	3,599.95

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Business Total			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	अनाबंटित निधि Unallocated Fund			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,363.53	0.00	29,363.53	0.00	29,363.53
93.89	573.82	25,79,742.40	16,07,363.32	1,855.69	25,79,742.40	16,09,219.01	0.00	0.00	41,88,961.41	216.35	41,89,177.76
0.00	0.00	0.00	0.00	26,309.54	0.00	26,309.54	0.00	0.00	26,309.54	0.00	26,309.54
3.81	0.00	1,15,070.47	487.72	4.24	1,15,070.47	491.96	0.00	0.00	1,15,562.43	0.00	1,15,562.43
0.00	0.00	3,777.76	41.86	0.00	3,777.76	41.86	0.00	0.00	3,819.62	0.00	3,819.62
0.00	16.94	23,614.19	14,644.37	8.57	23,614.19	14,652.94	86.33	0.00	38,353.46	0.00	38,353.46
2.82	35.52	84,399.98	41,973.90	48.53	84,399.98	42,022.43	452.87	21,048.53	1,47,923.81	2.06	1,47,925.87
2.82	52.46	1,08,014.17	56,618.27	57.10	1,08,014.17	56,675.37	539.20	21,048.53	1,86,277.27	2.06	1,86,279.33
(7.00)	242.80	37,861.33	5,055.19	1,490.84	37,861.33	6,546.03	0.16	0.00	44,407.52	30.20	44,437.72
0.00	0.00	0.00	14,943.06	0.00	0.00	14,943.06	0.00	0.00	14,943.06	0.00	14,943.06
(7.00)	242.80	37,861.33	19,998.25	1,490.84	37,861.33	21,489.09	0.16	0.00	59,350.58	30.20	59,380.78
9.82	(190.34)	70,152.84	36,620.02	(1,433.74)	70,152.84	35,186.28	539.04	21,048.53	1,26,926.69	(28.14)	1,26,898.55

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 तक का तुलन-पत्र  
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		27,23,424.87	8,03,671.40	39,909.26	7,00,905.53	5,409.34	1,39,444.99

नोट: लेखा मानक 17 के अनुसार - कर संपत्ति आवंटित नहीं की जा सकती है।

Note: As per Accounting Standard 17- Tax assets cannot be allocated across reporting segments, Hence shown under unallocated fund.

#### हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

#### निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2023**

**(IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)**

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	अनाबंटित निधि Unallocated Fund	योग कुल Grand Total		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107.52	383.48	27,68,743.47	16,44,512.92	26,735.73	27,68,743.47	16,71,248.65	29,902.57	21,048.53	44,90,943.22	188.21	44,91,131.43	

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र  
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS</b>							
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:							
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
उधारी BORROWINGS	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:							
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		2,77,135.63	3,96,133.34	0.00	19,140.71	0.00	151.21
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES		29,18,309.04	5,15,117.40	40,724.84	7,59,093.95	4,952.54	1,51,957.98
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES							
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य Others		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	6A	14,946.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>32,10,390.80</b>	<b>9,11,250.74</b>	<b>40,724.84</b>	<b>7,78,234.66</b>	<b>4,952.54</b>	<b>1,52,109.19</b>
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS		549.14	0.00	146.52	0.00	489.05	0.00
<b>कुल/ TOTAL</b>		<b>32,10,939.94</b>	<b>9,11,250.74</b>	<b>40,871.36</b>	<b>7,78,234.66</b>	<b>5,441.59</b>	<b>1,52,109.19</b>

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	अनावंटित निधि Unallocated Fund	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Total							
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,746.71	0.00	75,746.71	0.00	75,746.71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(141.81)	0.00	(141.81)	0.00	(141.81)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,929.90	0.00	81,929.90	0.00	81,929.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2,77,135.63	4,15,425.26	111.21	2,77,135.63	4,15,536.47	0.00	0.00	6,92,672.10	0.00	6,92,672.10
101.07	593.79	29,63,986.42	14,26,864.19	143.14	29,63,986.42	14,27,007.33	0.00	0.00	43,90,993.75	182.29	43,91,176.04
0.00	0.00	0.00	0.00	393.75	0.00	393.75	0.00	0.00	393.75	0.00	393.75
0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	14.11	0.00	14.11
0.00	0.00	14,946.13	0.00	0.00	14,946.13	0.00	0.00	0.00	14,946.13	0.35	14,946.48
0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.51	0.00	34,800.51	0.00	0.00	34,800.51	0.00	34,800.51
101.07	593.79	32,56,068.18	18,42,289.45	35,462.72	32,56,068.18	18,77,752.17	0.00	0.00	51,33,820.35	182.64	51,34,002.99
0.00	0.00	1,184.71	0.00	30.01	1,184.71	30.01			1,214.72	0.00	1,214.72
101.07	593.79	32,57,252.89	18,42,289.45	35,492.73	32,57,252.89	18,77,782.18	81,929.90	0.00	52,16,964.97	182.64	52,17,147.61

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र  
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS							
निवेश / INVESTMENTS							
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	29,85,469.20	9,19,887.80	40,093.69	7,68,490.47	5,474.66	1,49,696.35
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण / LOANS	9	1,19,426.69	139.53	0.00	0.00	0.00	488.58
अचल सम्पत्तियाँ FIXED ASSETS	10	4,019.83	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
चालू सम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS							
रोकड़ एवं बैंक में शेष Cash and Bank Balances	11	20,467.46	8,998.57	2.15	1,456.43	12.57	2,216.52
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	12	1,11,044.84	21,477.64	677.11	13,744.25	47.63	3,111.54
उप-योग (क) Sub-Total (A)		1,31,512.30	30,476.21	679.26	15,200.68	60.20	5,328.06
चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES	13	45,249.63	(4,469.72)	(112.18)	3,058.85	93.19	1,557.86
प्रावधान PROVISIONS	14	0.00	14,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)		45,249.63	10,473.34	(112.18)	3,058.85	93.19	1,557.86
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		86,262.67	20,002.87	791.44	12,141.83	(32.99)	3,770.20

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

### (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	अनाबंटित निधि Unallocated Fund	योग कुल Grand Total	पूंजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Business								
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,363.81	0.00	62,363.81	0.00	62,363.81	
90.11	808.96	30,31,037.55	18,38,973.69	1,646.22	30,31,037.55	18,40,619.91	0.00	0.00	48,71,657.46	215.34	48,71,872.80	
0.00	0.00	0.00	0.00	35,182.24	0.00	35,182.24	0.00	0.00	35,182.24	0.00	35,182.24	
3.20	0.00	1,19,426.69	631.31	3.91	1,19,426.69	635.22	11.58	0.00	1,20,073.49	0.00	1,20,073.49	
0.00	0.00	4,019.83	15.81	0.00	4,019.83	15.81	0.00	0.00	4,035.64	0.00	4,035.64	
0.02	6.74	20,482.18	12,678.28	6.94	20,482.18	12,685.22	1,271.94	0.00	34,439.34	0.01	34,439.35	
2.87	37.15	1,11,769.58	38,373.45	56.05	1,11,769.58	38,429.50	907.57	0.00	1,51,106.65	2.22	1,51,108.87	
2.89	43.89	1,32,251.76	51,051.73	62.99	1,32,251.76	51,114.72	2,179.51	0.00	1,85,545.99	2.23	1,85,548.22	
(7.29)	224.38	45,230.64	364.08	1,361.24	45,230.64	1,725.32	0.00	0.00	46,955.96	29.57	46,985.53	
0.00	0.00	0.00	14,943.06	0.00	0.00	14,943.06	0.00	0.00	14,943.06	0.00	14,943.06	
(7.29)	224.38	45,230.64	15,307.14	1,361.24	45,230.64	16,668.38	0.00	0.00	61,899.02	29.57	61,928.59	
10.18	(180.49)	87,021.12	35,744.59	(1,298.25)	87,021.12	34,446.34	2,179.51	0.00	1,23,646.97	(27.34)	1,23,619.63	

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र  
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>31,95,178.39</b>	<b>9,40,046.01</b>	<b>40,885.13</b>	<b>7,80,632.30</b>	<b>5,441.67</b>	<b>1,53,955.13</b>

### हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

### निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

## Annexure - I

### FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024**

**(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)**

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business							
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	अनाबंटित निधि Unallocated Fund			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.49	628.47	32,41,505.19	18,75,365.40	35,534.12	32,41,505.19	19,10,899.52	64,554.90	0.00	52,16,959.61	188.00	52,17,147.61

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 तक का तुलन-पत्र  
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS</b>							
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:							
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
उधारी BORROWINGS	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:							
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		50,322.45	2,96,344.51	0.00	1,471.91	0.00	71.40
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES		26,85,987.15	4,79,241.44	40,785.90	6,97,068.96	5,169.04	1,38,032.16
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES							
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य Others		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	6A	14,947.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>27,51,256.72</b>	<b>7,75,585.95</b>	<b>40,785.90</b>	<b>6,98,540.87</b>	<b>5,169.04</b>	<b>1,38,103.56</b>
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS		4,550.35	0.00	(890.89)	0.00	240.22	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>27,55,807.07</b>	<b>7,75,585.95</b>	<b>39,895.01</b>	<b>6,98,540.87</b>	<b>5,409.26</b>	<b>1,38,103.56</b>

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योज कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Total					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	अनाबंटित निधि Unallocated Fund			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,493.56	0.00	39,493.56	0.00	39,493.56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(157.38)	0.00	(157.38)	0.00	(157.38)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,661.18	0.00	45,661.18	0.00	45,661.18
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	50,322.45	2,97,887.82	73.58	50,322.45	2,97,961.40	0.00	0.00	3,48,283.85	0.00	3,48,283.85
110.26	501.48	27,31,942.09	13,14,954.30	168.66	27,31,942.09	13,15,122.96	0.00	0.00	40,47,065.05	179.99	40,47,245.04
0.00	0.00	0.00	0.00	162.79	0.00	162.79	0.00	0.00	162.79	0.00	162.79
0.00	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	14.43	0.00	14.43
0.00	0.00	14,947.12	0.00	0.00	14,947.12	0.00	0.00	0.00	14,947.12	0.35	14,947.47
0.00	0.00	0.00	0.00	26,086.07	0.00	26,086.07	0.00	0.00	26,086.07	0.00	26,086.07
110.26	501.48	27,97,211.66	16,12,842.12	26,505.53	27,97,211.66	16,39,347.65	0.00	0.00	44,36,559.31	180.34	44,36,739.65
0.00	0.00	3,899.68	0.00	18.99	3,899.68	18.99	0.00	0.00	3,918.67	0.00	3,918.67
110.26	501.48	28,01,111.34	16,12,842.12	26,524.52	28,01,111.34	16,39,366.64	45,661.18	0.00	44,86,139.16	180.34	44,86,319.50

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 तक का तुलन-पत्र  
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS</b>							
<b>निवेश / INVESTMENTS</b>							
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	25,30,771.81	7,79,143.87	39,090.97	6,92,030.31	5,440.51	1,35,483.65
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण / LOANS	9	1,14,895.95	127.84	0.00	6.95	0.00	349.07
अचल सम्पत्तियाँ FIXED ASSETS	10	3,758.20	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>चालू सम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS</b>							
रोकड़ एवं बैंक में शेष Cash and Bank Balances	11	23,466.55	8,343.27	1.35	4,505.76	0.06	1,777.02
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	12	83,521.10	26,312.19	702.00	12,757.79	47.94	2,865.50
<b>उप-योग (क) Sub-Total (A)</b>		<b>1,06,987.65</b>	<b>34,655.46</b>	<b>703.35</b>	<b>17,263.55</b>	<b>48.00</b>	<b>4,642.52</b>
<b>चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES</b>	13	<b>36,361.85</b>	<b>(4,617.39)</b>	<b>(114.94)</b>	<b>8,395.28</b>	<b>79.17</b>	<b>1,046.60</b>
प्रावधान PROVISIONS	14	0.00	14,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग (ख) / Sub-Total (B)</b>		<b>36,361.85</b>	<b>10,325.67</b>	<b>(114.94)</b>	<b>8,395.28</b>	<b>79.17</b>	<b>1,046.60</b>
<b>शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)</b>		<b>70,625.80</b>	<b>24,329.79</b>	<b>818.29</b>	<b>8,868.27</b>	<b>(31.17)</b>	<b>3,595.92</b>

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business							
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	अनाबंटित निधि Unallocated Fund			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,990.65	0.00	27,990.65	0.00	27,990.65
93.89	573.82	25,75,303.29	16,07,325.54	1,855.69	25,75,303.29	16,09,181.23	0.00	0.00	41,84,484.52	216.35	41,84,700.87
0.00	0.00	0.00	0.00	26,236.37	0.00	26,236.37	0.00	0.00	26,236.37	0.00	26,236.37
3.81	0.00	1,14,895.95	487.67	4.24	1,14,895.95	491.91	0.00	0.00	1,15,387.86	0.00	1,15,387.86
0.00	0.00	3,758.20	41.86	0.00	3,758.20	41.86	0.00	0.00	3,800.06	0.00	3,800.06
0.00	16.94	23,467.96	14,642.99	8.57	23,467.96	14,651.56	85.10	0.00	38,204.62	0.00	38,204.62
2.82	35.52	84,271.04	41,973.82	48.53	84,271.04	42,022.35	452.87	21,100.42	1,47,846.68	2.06	1,47,848.74
2.82	52.46	1,07,739.00	56,616.81	57.10	1,07,739.00	56,673.91	537.97	21,100.42	1,86,051.30	2.06	1,86,053.36
(7.00)	242.80	36,326.08	5,060.29	1,490.04	36,326.08	6,550.33	0.00	0.00	42,876.41	30.20	42,906.61
0.00	0.00	0.00	14,943.06	0.00	0.00	14,943.06	0.00	0.00	14,943.06	0.00	14,943.06
(7.00)	242.80	36,326.08	20,003.35	1,490.04	36,326.08	21,493.39	0.00	0.00	57,819.47	30.20	57,849.67
9.82	(190.34)	71,412.92	36,613.46	(1,432.94)	71,412.92	35,180.52	537.97	21,100.42	1,28,231.83	(28.14)	1,28,203.69

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 तक का तुलन-पत्र  
(भारत में किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>27,20,051.76</b>	<b>8,03,643.36</b>	<b>39,909.26</b>	<b>7,00,905.53</b>	<b>5,409.34</b>	<b>1,39,428.64</b>

नोट: लेखा मानक 17 के अनुसार - कर संपत्ति आवंटित नहीं की जा सकती है।

Note: As per Accounting Standard 17- Tax assets cannot be allocated across reporting segments, Hence shown under unallocated fund.

#### हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

#### निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2023**

**(IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)**

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC		कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total					योग कुल Grand Total				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	अनाबंटित निधि Unallocated Fund			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107.52	383.48	27,65,370.36	16,44,468.53	26,663.36	27,65,370.36	16,71,131.89	28,528.62	21,100.42	44,86,131.29	188.21	44,86,319.50

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र  
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS</b>							
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:							
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
उधारी BORROWINGS	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:							
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES		4,108.56	28.76	0.00	0.00	0.00	14.16
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES							
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य Others		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	6A	640.87	4.33	0.00	0.00	0.00	2.18
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>4,759.44</b>	<b>33.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.34</b>
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>4,759.44</b>	<b>33.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.34</b>

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

### (IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total	पूंजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Total			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	अनाबंटित निधि Unallocated Fund			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(6.63)	0.00	(6.63)	0.00	(6.63)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89	0.00	14.89	0.00	14.89
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01
0.00	0.00	4,108.56	42.92	(2.24)	4,108.56	40.68	0.00	0.00	4,149.24	0.00	4,149.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	640.87	6.51	0.20	640.87	6.71	0.00	0.00	647.58	0.00	647.58
0.00	0.00	0.00	0.00	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	75.58	0.00	75.58
0.00	0.00	4,759.44	49.43	73.54	4,759.44	122.97	0.00	0.00	4,882.41	0.00	4,882.41
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4,759.44	49.43	73.54	4,759.44	122.97	8.26	0.00	4,890.67	0.00	4,890.67

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र  
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS</b>							
निवेश / INVESTMENTS							
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	4,573.51	53.82	0.00	0.00	0.00	12.27
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण / LOANS							
अचल सम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	10	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चालू सम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS							
रोकड़ एवं बैंक में शेष / Cash and Bank Balances	11	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग (क) / Sub-Total (A)</b>		155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES</b>	13	1,547.17	20.73	0.00	0.00	0.00	(4.07)
प्रावधान PROVISIONS	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग (ख) / Sub-Total (B)</b>		1,547.17	20.73	0.00	0.00	0.00	(4.07)

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024

### (IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business				कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total	गैर-सहभागी Non Participating		सहभागी Participating		शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	अनाबंटित निधि Unallocated Fund			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.16	0.00	1,380.16	0.00	1,380.16
0.00	0.00	4,573.51	66.09	0.00	4,573.51	66.09	0.00	0.00	4,639.60	0.00	4,639.60
0.00	0.00	0.00	0.00	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	75.58	0.00	75.58
0.00	0.00	184.79	0.00	0.00	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79	0.00	184.79
0.00	0.00	21.33	0.00	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00	21.33	0.00	21.33
0.00	0.00	81.70	0.00	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00	81.70	0.00	81.70
0.00	0.00	73.38	0.00	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00	73.38	0.00	73.38
0.00	0.00	155.08	0.00	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00	155.08	0.00	155.08
0.00	0.00	1,547.17	16.66	2.04	1,547.17	18.70	0.00	0.00	1,565.87	0.00	1,565.87
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1,547.17	16.66	2.04	1,547.17	18.70	0.00	0.00	1,565.87	0.00	1,565.87

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र  
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)		(1,392.09)	(20.73)	0.00	0.00	0.00	4.07
विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल / TOTAL		3,387.54	33.09	0.00	0.00	0.00	16.34

#### हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

#### निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2024**

**(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)**

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Business			शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds	अनाबंटित निधि Unallocated Fund			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating					
0.00	0.00	(1,392.09)	(16.66)	(2.04)	(1,392.09)	(18.70)	0.00	0.00	(1,410.79)	0.00	(1,410.79)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3,387.54	49.43	73.54	3,387.54	122.97	1,380.16	0.00	4,890.67	0.00	4,890.67

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 तक का तुलन-पत्र  
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS</b>							
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:							
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उधारी BORROWINGS	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:							
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		(3.51)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES		3,961.38	28.19	0.00	0.00	0.00	14.94
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES							
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य Others		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमा आरक्षित निधि INSURANCE RESERVES	6A	729.09	(0.15)	0.00	0.00	0.00	1.41
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		4,686.96	28.04	0.00	0.00	0.00	16.35
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		4,686.96	28.04	0.00	0.00	0.00	16.35
<b>निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS</b>							
निवेश / INVESTMENTS							
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	4,439.11	25.46	0.00	0.00	0.00	12.32
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पतियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Annexure - I

### FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2023

### (IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total			पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Business		कुल Total					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	अनाबंटित निधि Unallocated Fund	योग कुल Grand Total		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1.51)	0.00	(1.51)	0.00	(1.51)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	9.72	0.00	9.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00	8.21	0.00	8.21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	(3.51)	0.00	0.00	(3.51)	0.00	0.00	0.00	(3.51)	0.00	(3.51)
0.00	0.00	3,961.38	43.13	(1.05)	3,961.38	42.08	0.00	0.00	4,003.46	0.00	4,003.46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	729.09	1.26	0.25	729.09	1.51	0.00	0.00	730.60	0.00	730.60
0.00	0.00	0.00	0.00	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	73.17	0.00	73.17
0.00	0.00	4,686.96	44.39	72.37	4,686.96	116.76	0.00	0.00	4,803.72	0.00	4,803.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4,686.96	44.39	72.37	4,686.96	116.76	8.21	0.00	4,811.93	0.00	4,811.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.88	0.00	1,372.88	0.00	1,372.88
0.00	0.00	4,439.11	37.78	0.00	4,439.11	37.78	0.00	0.00	4,476.89	0.00	4,476.89
0.00	0.00	0.00	0.00	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	73.17	0.00	73.17

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 तक का तुलन-पत्र  
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
ऋण / LOANS	9	174.52	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
अचल सम्पत्तियाँ FIXED ASSETS	10	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चालू सम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS							
रोकड़ एवं बैंक में शेष Cash and Bank Balances	11	146.23	0.23	0.00	0.00	0.00	1.15
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	12	128.94	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग (क) Sub-Total (A)</b>		275.17	0.31	0.00	0.00	0.00	1.15
<b>चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES</b>	13	1,535.41	(2.22)	0.00	0.00	0.00	(2.88)
प्रावधान PROVISIONS	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग (ख) / Sub-Total (B)</b>		1,535.41	(2.22)	0.00	0.00	0.00	(2.88)
<b>शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)</b>		(1,260.24)	2.53	0.00	0.00	0.00	4.03

## Annexure - I

### FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2023**

**(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)**

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total			पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Business		कुल Total					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	अनाबंटित निधि Unallocated Fund	योग कुल Grand Total		
0.00	0.00	174.52	0.05	0.00	174.52	0.05	0.00	0.00	174.57	0.00	174.57
0.00	0.00	19.56	0.00	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00	19.56	0.00	19.56
0.00	0.00	146.23	1.38	0.00	146.23	1.38	1.23	0.00	148.84	0.00	148.84
0.00	0.00	128.94	0.08	0.00	128.94	0.08	0.00	(51.89)	77.13	0.00	77.13
0.00	0.00	275.17	1.46	0.00	275.17	1.46	1.23	(51.89)	225.97	0.00	225.97
0.00	0.00	1,535.41	(5.10)	0.80	1,535.41	(4.30)	0.00	0.00	1,531.11	0.00	1,531.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1,535.41	(5.10)	0.80	1,535.41	(4.30)	0.00	0.00	1,531.11	0.00	1,531.11
0.00	0.00	(1,260.24)	6.56	(0.80)	(1,260.24)	5.76	1.23	(51.89)	(1,305.14)	0.00	(1,305.14)

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 तक का तुलन-पत्र  
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
		जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>		3,372.95	28.04	0.00	0.00	0.00	16.35

नोट: लेखा मानक 17 के अनुसार - कर संपत्ति आवंटित नहीं की जा सकती है।

Note: As per Accounting Standard 17- Tax assets cannot be allocated across reporting segments, Hence shown under unallocated fund.

#### हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

#### निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2023**

**(IN RESPECT OF OUTSIDE INDIA BUSINESS)**

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total			पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL	
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Total		कुल Total						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	अनाबंटित निधि Unallocated Fund	योग कुल Grand Total			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3,372.95	44.39	72.37	3,372.95	116.76	1,374.11	(51.89)	4,811.93	0.00	4,811.93	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	2,75,293.58	70,501.69	410.93	1,08,051.58	2.16	14,622.42
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(116.17)	(467.95)	(0.13)	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>2,75,177.41</b>	<b>70,033.74</b>	<b>410.80</b>	<b>1,08,051.58</b>	<b>2.16</b>	<b>14,622.42</b>
निवेश से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	1,91,807.08	37,750.42	3,052.29	51,449.63	372.46	10,679.95
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	37,354.20	22,723.19	21.34	5,385.38	7.35	13.92
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(2,144.90)	(386.53)	(27.28)	(458.55)	(23.52)	(60.55)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	(47.41)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ङ) अन्य आय (e) Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	7,704.70	(0.07)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	6,430.22	374.14	0.00	140.33	0.01	0.00
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (क) TOTAL (A)</b>	<b>5,16,294.28</b>	<b>1,30,494.89</b>	<b>3,457.15</b>	<b>1,64,568.37</b>	<b>358.46</b>	<b>25,255.74</b>

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Total	योग कुल Grand Total	पूँजी भोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Business					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
6.36	322.67	2,75,706.67	1,93,504.72	6,539.52	2,75,706.67	2,00,044.24	4,75,750.91	1.01	4,75,751.92
0.00	(85.69)	(116.30)	(553.64)	(12.40)	(116.30)	(566.04)	(682.34)	0.00	(682.34)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.36	236.98	2,75,590.37	1,92,951.08	6,527.12	2,75,590.37	1,99,478.20	4,75,068.57	1.01	4,75,069.58
8.22	58.36	1,95,231.83	99,946.58	1,126.99	1,95,231.83	1,01,073.57	2,96,305.40	16.59	2,96,321.99
0.13	0.45	37,382.89	28,123.07	1,504.52	37,382.89	29,627.59	67,010.48	0.00	67,010.48
(0.16)	(0.10)	(2,195.70)	(905.89)	(154.05)	(2,195.70)	(1,059.94)	(3,255.64)	(0.02)	(3,255.66)
0.00	0.00	(47.41)	0.00	3,914.52	(47.41)	3,914.52	3,867.11	0.00	3,867.11
0.00	0.00	7,704.70	(0.07)	0.00	7,704.70	(0.07)	7,704.63	0.00	7,704.63
(0.10)	0.00	6,430.23	514.37	(0.87)	6,430.23	513.50	6,943.73	0.00	6,943.73
0.00	0.00	12.98	0.00	0.00	12.98	0.00	12.98	0.00	12.98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.45	295.69	5,20,109.89	3,20,629.14	12,918.23	5,20,109.89	3,33,547.37	8,53,657.26	17.58	8,53,674.84

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	24,270.11	921.59	11.67	0.07	0.05	506.09
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	44,417.81	2,294.41	85.14	245.09	7.45	405.41
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	(866.58)	2.18	0.00	(0.03)	0.00	3.53
कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation	631.28	4,542.18	0.00	349.11	0.00	268.78
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(1,935.22)	(2.46)	0.00	(3.16)	0.00	0.00
(ख) संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful Debentures & Bonds	98.91	6.72	(1.98)	(67.37)	(0.12)	(3.11)
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>66,616.31</b>	<b>7,764.62</b>	<b>94.83</b>	<b>523.71</b>	<b>7.38</b>	<b>1,180.70</b>
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,14,063.37	58,058.46	2,371.80	99,622.04	318.67	8,304.06
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	2,859.77	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability against life policies in force						
(क) सकल** (a) Gross**	2,32,469.07	35,876.54	(61.06)	62,024.98	(216.50)	13,925.04
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण Transfer to Provision for Linked Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बंद करने निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Discontinued Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (ग) / TOTAL (C)</b>	<b>4,49,392.21</b>	<b>93,935.00</b>	<b>2,311.15</b>	<b>1,61,647.02</b>	<b>102.17</b>	<b>22,229.10</b>
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग)	285.76	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
<b>SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)</b>						

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total								
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating				
0.18	30.31	24,281.83	1,458.24	219.03	24,281.83	1,677.27	25,959.10	0.02	25,959.12	
0.13	118.69	44,510.40	3,063.73	546.54	44,510.40	3,610.27	48,120.67	1.01	48,121.68	
0.00	0.00	0.00	0.00	134.38	0.00	134.38	134.38	0.00	134.38	
0.00	(0.02)	(866.58)	5.66	(150.52)	(866.58)	(144.86)	(1,011.44)	(0.04)	(1,011.48)	
0.35	5.05	631.28	5,165.47	25.53	631.28	5,191.00	5,822.28	2.88	5,825.16	
0.00	0.00	(1,935.22)	(5.62)	0.00	(1,935.22)	(5.62)	(1,940.84)	0.00	(1,940.84)	
(0.14)	(0.03)	96.81	(63.93)	0.00	96.81	(63.93)	32.88	0.00	32.88	
0.52	154.00	66,718.52	9,623.55	774.96	66,718.52	10,398.51	77,117.03	3.87	77,120.90	
20.71	14.69	2,16,753.84	1,66,019.96	3,169.30	2,16,753.84	1,69,189.26	3,85,943.10	6.05	3,85,949.15	
0.00	0.00	2,860.18	0.00	0.00	2,860.18	0.00	2,860.18	0.00	2,860.18	
(9.20)	92.32	2,32,191.51	1,11,909.68	(26.71)	2,32,191.51	1,11,882.97	3,44,074.48	2.30	3,44,076.78	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	8,716.85	0.00	8,716.85	8,716.85	0.00	8,716.85	
0.00	0.00	0.00	0.00	231.42	0.00	231.42	231.42	0.00	231.42	
0.00	0.00	0.00	0.00	11.02	0.00	11.02	11.02	0.00	11.02	
11.51	107.01	4,51,805.53	2,77,929.64	12,101.88	4,51,805.53	2,90,031.52	7,41,837.05	8.35	7,41,845.40	
2.42	34.68	1,585.84	33,075.95	41.39	1,585.84	33,117.34	34,703.18	5.36	34,708.54	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
शेयरधारक के खाते से स्थानांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	0.00	2,399.59	0.00	0.00	0.00	0.00
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	285.76	31,194.86	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
विनियोजन / APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	4,286.96	31,194.86	13.77	2,397.64	0.08	1,845.94
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	(4,001.20)	0.00	1,037.40	0.00	248.83	0.00
कुल (घ) / TOTAL (D)	285.76	31,194.86	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94

टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्यून प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1, मार्केट प्लस-1, चाईल्ड फॉर्च्यून प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेंशन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सि प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैचुटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एलआईसी का सीप/निवेश प्लस

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Bima Plus, Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samridhhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus, LIC New Pension Plus and LIC Index Plus

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
0.00	0.00	0.00	2,399.59	198.86	0.00	2,598.45	2,598.45	0.00	2,598.45
2.42	34.68	1,585.84	35,475.54	240.25	1,585.84	35,715.79	37,301.63	5.36	37,306.99
2.42	34.68	4,300.81	35,475.54	240.25	4,300.81	35,715.79	40,016.60	5.36	40,021.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	(2,714.97)	0.00	0.00	(2,714.97)	0.00	(2,714.97)	0.00	(2,714.97)
2.42	34.68	1,585.84	35,475.54	240.25	1,585.84	35,715.79	37,301.63	5.36	37,306.99

अनुबंध – I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the period

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
	अंतरिम बोनस Interim Bonus	2,859.77	0.00	0.41	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन Allocation of Bonus to policyholders	52,919.89	0.00	169.80	0.00	0.91	0.00
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	285.76	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
कुल / Total	56,065.42	28,795.27	1,221.38	2,397.64	249.82	1,845.94

\* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\*\* बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

\* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2024

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business	कुल Total	योग कुल Grand Total	पूंजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating							
0.00	0.00	2,860.18	0.00	0.00	2,860.18	0.00	2,860.18	0.00
0.00	0.00	53,090.60	0.00	0.00	53,090.60	0.00	53,090.60	0.00
2.42	34.68	1,585.84	33,075.95	41.39	1,585.84	33,117.34	34,703.18	5.36
2.42	34.68	57,536.62	33,075.95	41.39	57,536.62	33,117.34	90,653.96	5.36

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	2,69,682.10	55,328.29	464.67	1,29,274.05	2.48	14,604.37
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(102.07)	(464.44)	(0.13)	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>2,69,580.03</b>	<b>54,863.85</b>	<b>464.54</b>	<b>1,29,274.05</b>	<b>2.48</b>	<b>14,604.37</b>
निवेश से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	1,79,255.88	34,365.51	2,996.74	46,066.07	369.96	9,431.62
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	28,833.24	14,480.19	3.47	4,337.91	0.35	9.92
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(9,277.71)	(3,930.32)	(26.75)	(1,338.93)	(33.56)	(56.14)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	(8.87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ङ) अन्य आय (e) Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	6,833.60	636.97	0.00	175.28	0.00	0.00
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (क) TOTAL (A)</b>	<b>4,75,229.49</b>	<b>1,00,416.20</b>	<b>3,438.00</b>	<b>1,78,514.38</b>	<b>339.23</b>	<b>23,989.77</b>

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Business		कुल Total				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
8.21	354.29	2,70,149.25	1,99,569.21	4,948.44	2,70,149.25	2,04,517.65		4,74,666.90	1.23	4,74,668.13
0.00	(84.37)	(102.20)	(548.81)	(12.52)	(102.20)	(561.33)		(663.53)	0.00	(663.53)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8.21	269.92	2,70,047.05	1,99,020.40	4,935.92	2,70,047.05	2,03,956.32		4,74,003.37	1.23	4,74,004.60
9.76	37.33	1,82,622.58	89,910.29	1,133.70	1,82,622.58	91,043.99		2,73,666.57	18.38	2,73,684.95
1.58	4.83	28,837.06	18,834.43	1,791.70	28,837.06	20,626.13		49,463.19	0.00	49,463.19
(0.04)	(0.19)	(9,338.02)	(5,325.62)	(159.64)	(9,338.02)	(5,485.26)		(14,823.28)	(0.58)	(14,823.86)
0.00	0.00	(8.87)	0.00	(1,925.29)	(8.87)	(1,925.29)		(1,934.16)	0.00	(1,934.16)
0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	3.96	0.00		3.96	0.00	3.96
(0.20)	0.00	6,833.60	812.05	(1.06)	6,833.60	810.99		7,644.59	0.00	7,644.59
0.00	0.00	9.36	0.00	0.00	9.36	0.00		9.36	0.00	9.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
19.31	311.89	4,79,006.72	3,03,251.55	5,775.33	4,79,006.72	3,09,026.88		7,88,033.60	19.03	7,88,052.63

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	24,313.53	277.76	11.02	0.06	0.05	319.25
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	45,961.97	1,446.30	74.78	255.10	6.46	310.35
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	(1,808.48)	0.80	0.00	0.03	0.00	5.62
कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation	588.34	4,085.35	0.00	344.31	0.01	192.94
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(757.15)	(1.38)	0.00	(1.68)	0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others	(7,460.32)	(3,802.07)	(9.86)	(864.84)	(0.38)	(2.00)
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>60,837.89</b>	<b>2,006.76</b>	<b>75.94</b>	<b>(267.02)</b>	<b>6.14</b>	<b>826.16</b>
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	1,97,471.26	45,938.52	2,353.68	82,733.04	365.17	7,559.76
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	3,263.50	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability against life policies in force						
(क) सकल** (a) Gross**	2,09,622.56	24,413.51	(990.26)	93,683.70	(88.05)	14,278.77
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण Transfer to Provision for Linked Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बंद करने निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Discontinued Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (ग) /TOTAL (C)</b>	<b>4,10,357.32</b>	<b>70,352.03</b>	<b>1,364.00</b>	<b>1,76,416.74</b>	<b>277.12</b>	<b>21,838.53</b>
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	4,034.28	28,057.41	1,998.06	2,364.66	55.97	1,325.08

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total									
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating					
0.21	47.54	24,324.60	644.82	124.14	24,324.60	768.96	25,093.56	0.02	25,093.58		
0.16	172.90	46,043.21	2,184.81	403.07	46,043.21	2,587.88	48,631.09	1.32	48,632.41		
0.00	0.00	0.00	0.00	109.48	0.00	109.48	109.48	0.00	109.48		
0.09	0.00	(1,808.48)	6.54	(140.07)	(1,808.48)	(133.53)	(1,942.01)	0.00	(1,942.01)		
0.00	0.00	588.35	4,622.60	27.67	588.35	4,650.27	5,238.62	4.22	5,242.84		
0.00	0.00	(757.15)	(3.06)	0.00	(757.15)	(3.06)	(760.21)	0.00	(760.21)		
(0.28)	0.00	(7,470.56)	(4,669.19)	(4.64)	(7,470.56)	(4,673.83)	(12,144.39)	0.00	(12,144.39)		
0.18	220.44	60,919.97	2,786.52	519.65	60,919.97	3,306.17	64,226.14	5.56	64,231.70		
37.11	20.91	2,00,190.11	1,36,289.34	2,800.61	2,00,190.11	1,39,089.95	3,39,280.06	32.61	3,39,312.67		
0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	3,264.08	0.00	3,264.08	0.00	3,264.08		
(15.24)	188.54	2,08,544.25	1,32,549.28	(64.48)	2,08,544.25	1,32,484.80	3,41,029.05	(27.01)	3,41,002.04		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.41	0.00	2,273.41	2,273.41	0.00	2,273.41		
0.00	0.00	0.00	0.00	97.49	0.00	97.49	97.49	0.00	97.49		
0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	0.00	9.81	9.81	0.00	9.81		
21.87	209.45	4,11,998.44	2,68,838.62	5,116.84	4,11,998.44	2,73,955.46	6,85,953.90	5.60	6,85,959.50		
(2.74)	(118.00)	6,088.31	31,626.41	138.84	6,088.31	31,765.25	37,853.56	7.87	37,861.43		

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
शेयरधारक के खाते से स्थानांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	4,034.28	28,057.41	1,998.06	2,364.66	55.97	1,325.08
विनियोजन / APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	3,999.55	28,057.41	14.25	2,364.66	0.08	1,325.08
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	34.73	0.00	1,983.81	0.00	55.89	0.00
<b>कुल (घ) / TOTAL (D)</b>	<b>4,034.28</b>	<b>28,057.41</b>	<b>1,998.06</b>	<b>2,364.66</b>	<b>55.97</b>	<b>1,325.08</b>

टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्यून प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1, मार्केट प्लस-1, चाईल्ड फॉर्च्यून प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेंशन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सि प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैचुटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एलआईसी का सीप/निवेश प्लस

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Bima Plus, Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samridhhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus and Superannuation Plus

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total								
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating				
2.74	118.00	0.00	120.74	141.13	0.00	261.87	261.87	0.00	261.87	
0.00	0.00	6,088.31	31,747.15	279.97	6,088.31	32,027.12	38,115.43	7.87	38,123.30	
0.00	0.00	4,013.88	31,747.15	279.97	4,013.88	32,027.12	36,041.00	7.87	36,048.87	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	2,074.43	0.00	0.00	2,074.43	0.00	2,074.43	0.00	2,074.43	
0.00	0.00	6,088.31	31,747.15	279.97	6,088.31	32,027.12	38,115.43	7.87	38,123.30	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the period

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	3,263.50	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन Allocation of Bonus to policyholders	49,363.27	0.00	175.79	0.00	0.95	0.00
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	4,034.28	28,057.41	1,998.06	2,364.66	55.97	1,325.08
<b>कुल Total</b>	<b>56,661.05</b>	<b>28,057.41</b>	<b>2,174.43</b>	<b>2,364.66</b>	<b>56.92</b>	<b>1,325.08</b>

\* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\*\* बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग हैं।

\* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

Previous year figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with those of the current year

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

आर. दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2024

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	Health Business	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business	कुल Total		योग कुल Grand Total	पूंजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating								
0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	3,264.08	0.00	3,264.08	0.00	3,264.08
0.00	0.00	49,540.01	0.00	0.00	49,540.01	0.00	49,540.01	0.00	49,540.01
(2.74)	(118.00)	6,088.31	31,626.41	138.84	6,088.31	31,765.25	37,853.56	7.87	37,861.43
(2.74)	(118.00)	58,892.40	31,626.41	138.84	58,892.40	31,765.25	90,657.65	7.87	90,665.52

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम	2,74,827.33	70,500.83	410.93	1,08,051.58	2.16	14,622.42
(a) Premium						
(ख) पुनर्बीमा अंतरण	(114.55)	(467.95)	(0.13)	0.00	0.00	0.00
(b) Reinsurance ceded						
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) Reinsurance accepted						
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>2,74,712.78</b>	<b>70,032.88</b>	<b>410.80</b>	<b>1,08,051.58</b>	<b>2.16</b>	<b>14,622.42</b>
निवेश से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल	1,91,506.57	37,750.28	3,052.29	51,449.63	372.46	10,679.95
(a) Interest, Dividends & Rent - Gross						
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ	37,337.84	22,723.19	21.34	5,385.38	7.35	13.92
(b) Profit on sale/redemption of investments						
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि)	(2,125.01)	(386.53)	(27.28)	(458.55)	(23.52)	(60.55)
(c) (Loss on sale/redemption of investments)						
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*						
(ङ) अन्य आय						
(e) Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ	7,704.82	(0.07)	0.00	0.00	0.00	0.00
(i) Amounts written back						
(ii) विविध प्राप्तियाँ	6,428.14	374.14	0.00	140.33	0.01	0.00
(ii) Sundry Receipts						
(ii) Subsidy from GOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंशधारकों के खाते से योगदान						
Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(a) Towards Excess Expenses of Management						
(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(b) Others						
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>	<b>5,15,565.14</b>	<b>1,30,493.89</b>	<b>3,457.15</b>	<b>1,64,568.37</b>	<b>358.46</b>	<b>25,255.74</b>
कमीशन Commission	24,244.10	921.59	11.67	0.07	0.05	506.09
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च	44,356.07	2,294.38	85.14	245.09	7.45	405.41
Operating Expenses related to Insurance Business						
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GST on Fund Management charges & other charges						
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(866.62)	2.18	0.00	(0.03)	0.00	3.53
Provisions for Doubtful debts						

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

##### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Business		कुल Total				
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non-Participating	गैर-सहभागी Non-Participating			
6.36	322.67	2,75,240.42	1,93,503.86	6,530.38	2,75,240.42	2,00,034.24	4,75,274.66	1.01	4,75,275.67	
0.00	(85.69)	(114.68)	(553.64)	(12.40)	(114.68)	(566.04)	(680.72)	0.00	(680.72)	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.36	236.98	2,75,125.74	1,92,950.22	6,517.98	2,75,125.74	1,99,468.20	4,74,593.94	1.01	4,74,594.95	
8.22	58.36	1,94,931.32	99,946.44	1,125.18	1,94,931.32	1,01,071.62	2,96,002.94	16.59	2,96,019.53	
0.13	0.45	37,366.53	28,123.07	1,498.58	37,366.53	29,621.65	66,988.18	0.00	66,988.18	
(0.16)	(0.10)	(2,175.81)	(905.89)	(152.34)	(2,175.81)	(1,058.23)	(3,234.04)	(0.02)	(3,234.06)	
0.00	0.00	0.00	0.00	3,913.24	0.00	3,913.24	3,913.24	0.00	3,913.24	
0.00	0.00	7,704.82	(0.07)	0.00	7,704.82	(0.07)	7,704.75	0.00	7,704.75	
(0.10)	0.00	6,428.15	514.37	0.11	6,428.15	514.48	6,942.63	0.00	6,942.63	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.45	295.69	5,19,380.75	3,20,628.14	12,902.75	5,19,380.75	3,33,530.89	8,52,911.64	17.58	8,52,929.22	
0.18	30.31	24,255.82	1,458.24	219.03	24,255.82	1,677.27	25,933.09	0.02	25,933.11	
0.13	118.69	44,448.66	3,063.70	549.24	44,448.66	3,612.94	48,061.60	1.01	48,062.61	
0.00	0.00	0.00	0.00	134.38	0.00	134.38	134.38	0.00	134.38	
0.00	(0.02)	(866.62)	5.66	(150.52)	(866.62)	(144.86)	(1,011.48)	(0.04)	(1,011.52)	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation	623.18	4,542.18	0.00	349.11	0.00	268.78
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(1,935.22)	(2.46)	0.00	(3.16)	0.00	0.00
(ख) संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful Debentures & Bonds	98.88	6.72	(1.98)	(67.37)	(0.12)	(3.11)
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>66,520.39</b>	<b>7,764.59</b>	<b>94.83</b>	<b>523.71</b>	<b>7.38</b>	<b>1,180.70</b>
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,13,586.19	58,058.05	2,371.80	99,622.04	318.67	8,303.28
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	2,858.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability against life policies in force						
(क) सकल** (a) Gross**	2,32,321.89	35,875.98	(61.06)	62,024.98	(216.50)	13,925.82
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण Transfer to Provision for Linked Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बंद करने निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Discontinued Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (ग) / TOTAL (C)</b>	<b>4,48,766.08</b>	<b>93,934.03</b>	<b>2,311.15</b>	<b>1,61,647.02</b>	<b>102.17</b>	<b>22,229.10</b>
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) <b>SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)</b>	<b>278.67</b>	<b>28,795.27</b>	<b>1,051.17</b>	<b>2,397.64</b>	<b>248.91</b>	<b>1,845.94</b>
शेयरधारक के खाते से स्थानांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	0.00	2,399.59	0.00	0.00	0.00	0.00
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि <b>AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION</b>	<b>278.67</b>	<b>31,194.86</b>	<b>1,051.17</b>	<b>2,397.64</b>	<b>248.91</b>	<b>1,845.94</b>
विनियोजन/ APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	4,279.87	31,194.86	13.77	2,397.64	0.08	1,845.94
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total					योग कुल Grand Total			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non-Participating				
0.35	5.05	623.18	5,165.47	24.58	623.18	5,190.05	5,813.23	2.88	5,816.11	
0.00	0.00	(1,935.22)	(5.62)	0.00	(1,935.22)	(5.62)	(1,940.84)	0.00	(1,940.84)	
(0.14)	(0.03)	96.78	(63.93)	0.00	96.78	(63.93)	32.85	0.00	32.85	
0.52	154.00	66,622.60	9,623.52	776.71	66,622.60	10,400.23	77,022.83	3.87	77,026.70	
20.71	14.69	2,16,276.66	1,66,018.77	3,153.29	2,16,276.66	1,69,172.06	3,85,448.72	6.05	3,85,454.77	
0.00	0.00	2,858.41	0.00	0.00	2,858.41	0.00	2,858.41	0.00	2,858.41	
(9.20)	92.32	2,32,044.33	1,11,909.90	(25.52)	2,32,044.33	1,11,884.38	3,43,928.71	2.30	3,43,931.01	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	8,714.44	0.00	8,714.44	8,714.44	0.00	8,714.44	
0.00	0.00	0.00	0.00	231.42	0.00	231.42	231.42	0.00	231.42	
0.00	0.00	0.00	0.00	11.02	0.00	11.02	11.02	0.00	11.02	
11.51	107.01	4,51,179.40	2,77,928.67	12,084.65	4,51,179.40	2,90,013.32	7,41,192.72	8.35	7,41,201.07	
2.42	34.68	1,578.75	33,075.95	41.39	1,578.75	33,117.34	34,696.09	5.36	34,701.45	
0.00	0.00	0.00	2,399.59	198.86	0.00	2,598.45	2,598.45	0.00	2,598.45	
2.42	34.68	1,578.75	35,475.54	240.25	1,578.75	35,715.79	37,294.54	5.36	37,299.90	
2.42	34.68	4,293.72	35,475.54	240.25	4,293.72	35,715.79	40,009.51	5.36	40,014.87	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	(4,001.20)	0.00	1,037.40	0.00	248.83	0.00
<b>कुल (घ) / TOTAL (D)</b>	<b>278.67</b>	<b>31,194.86</b>	<b>1,051.17</b>	<b>2,397.64</b>	<b>248.91</b>	<b>1,845.94</b>

टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्यून प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1, मार्केट प्लस-1, चाइल्ड फॉर्च्यून प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेंशन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सि प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैचुटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एलआईसी का सीप/निवेश प्लस

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Bima Plus, Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samridhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus, LIC New Pension Plus and LIC Index Plus

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

परिवर्तनीय Variable	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business			संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
	स्वास्थ्य Health		गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total	गैर-सहभागी Non Participating		सहभागी Participating				
	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating		गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating					
	0.00	0.00	(2,714.97)	0.00	0.00	(2,714.97)	0.00	(2,714.97)	0.00	(2,714.97)
	2.42	34.68	1,578.75	35,475.54	240.25	1,578.75	35,715.79	37,294.54	5.36	37,299.90

अनुबंध – I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the period

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	2,858.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन Allocation of Bonus to policyholders	52,785.16	0.00	169.80	0.00	0.91	0.00
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	278.67	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
कुल / Total	55,921.83	28,795.27	1,221.38	2,397.64	249.82	1,845.94

\* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\*\* बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

\* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2024

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024 (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business	कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
0.00	0.00	2,858.41	0.00	0.00	2,858.41	0.00	2,858.41	0.00	2,858.41
0.00	0.00	52,955.87	0.00	0.00	52,955.87	0.00	52,955.87	0.00	52,955.87
2.42	34.68	1,578.75	33,075.95	41.39	1,578.75	33,117.34	34,696.09	5.36	34,701.45
2.42	34.68	57,393.03	33,075.95	41.39	57,393.03	33,117.34	90,510.37	5.36	90,515.73

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	2,69,283.73	55,327.50	464.67	1,29,274.05	2.48	14,604.37
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(100.43)	(464.44)	(0.13)	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>2,69,183.30</b>	<b>54,863.06</b>	<b>464.54</b>	<b>1,29,274.05</b>	<b>2.48</b>	<b>14,604.37</b>
निवेश से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	1,79,016.91	34,365.39	2,996.74	46,066.07	369.96	9,431.62
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	28,816.73	14,480.19	3.47	4,337.91	0.35	9.92
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(9,269.35)	(3,930.32)	(26.75)	(1,338.93)	(33.56)	(56.14)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) अन्य आय (e) Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	6,831.88	636.97	0.00	175.28	0.00	0.00
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (क) TOTAL (A)</b>	<b>4,74,583.43</b>	<b>1,00,415.29</b>	<b>3,438.00</b>	<b>1,78,514.38</b>	<b>339.23</b>	<b>23,989.77</b>

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Total		कुल योग Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-सहभागी Non-Participating	गैर-सहभागी Non-Participating	गैर-सहभागी Non-Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non-Participating	गैर-सहभागी Non-Participating			
8.21	354.29	2,69,750.88	1,99,568.42	4,942.82	2,69,750.88	2,04,511.24	4,74,262.12	1.23	4,74,263.35	
0.00	(84.37)	(100.56)	(548.81)	(12.52)	(100.56)	(561.33)	(661.89)	0.00	(661.89)	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.21	269.92	2,69,650.32	1,99,019.61	4,930.30	2,69,650.32	2,03,949.91	4,73,600.23	1.23	4,73,601.46	
9.76	37.33	1,82,383.61	89,910.17	1,132.15	1,82,383.61	91,042.32	2,73,425.93	18.38	2,73,444.31	
1.58	4.83	28,820.55	18,834.43	1,790.52	28,820.55	20,624.95	49,445.50	0.00	49,445.50	
(0.04)	(0.19)	(9,329.66)	(5,325.62)	(159.36)	(9,329.66)	(5,484.98)	(14,814.64)	(0.58)	(14,815.22)	
0.00	0.00	0.00	0.00	(1,920.78)	0.00	(1,920.78)	(1,920.78)	0.00	(1,920.78)	
0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	
(0.20)	0.00	6,831.88	812.05	(0.11)	6,831.88	811.94	7,643.82	0.00	7,643.82	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19.31	311.89	4,78,360.66	3,03,250.64	5,772.72	4,78,360.66	3,09,023.36	7,87,384.02	19.03	7,87,403.05	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	24,292.33	277.76	11.02	0.06	0.05	319.25
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	45,912.34	1,446.22	74.78	255.10	6.46	310.34
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for Doubtful debts	(1,807.78)	0.80	0.00	0.03	0.00	5.62
कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation	581.59	4,085.35	0.00	344.31	0.01	192.94
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(757.15)	(1.38)	0.00	(1.68)	0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others	(7,460.32)	(3,802.07)	(9.86)	(864.84)	(0.38)	(2.00)
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>60,761.01</b>	<b>2,006.68</b>	<b>75.94</b>	<b>(267.02)</b>	<b>6.14</b>	<b>826.15</b>
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	1,97,139.19	45,937.73	2,353.68	82,733.04	365.17	7,558.94
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	3,262.03	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability against life policies in force						
(क) सकल** (a) Gross**	2,09,392.21	24,413.47	(990.26)	93,683.70	(88.05)	14,279.60
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण Transfer to Provision for Linked Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बंद करने निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Discontinued Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (ग) /TOTAL (C)</b>	<b>4,09,793.43</b>	<b>70,351.20</b>	<b>1,364.00</b>	<b>1,76,416.74</b>	<b>277.12</b>	<b>21,838.54</b>
<b>अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग)</b>	<b>4,028.99</b>	<b>28,057.41</b>	<b>1,998.06</b>	<b>2,364.66</b>	<b>55.97</b>	<b>1,325.08</b>
<b>SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)</b>						

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Total	कुल योग Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
0.21	47.54	24,303.40	644.82	124.14	24,303.40	768.96	25,072.36	0.02	25,072.38
0.16	172.90	45,993.58	2,184.72	404.29	45,993.58	2,589.01	48,582.59	1.32	48,583.91
0.00	0.00	0.00	0.00	109.48	0.00	109.48	109.48	0.00	109.48
0.09	0.00	(1,807.78)	6.54	(140.07)	(1,807.78)	(133.53)	(1,941.31)	0.00	(1,941.31)
0.00	0.00	581.60	4,622.60	27.42	581.60	4,650.02	5,231.62	4.22	5,235.84
0.00	0.00	(757.15)	(3.06)	0.00	(757.15)	(3.06)	(760.21)	0.00	(760.21)
(0.28)	0.00	(7,470.56)	(4,669.19)	(4.64)	(7,470.56)	(4,673.83)	(12,144.39)	0.00	(12,144.39)
0.18	220.44	60,843.09	2,786.43	520.62	60,843.09	3,307.05	64,150.14	5.56	64,155.70
37.11	20.91	1,99,858.04	1,36,287.73	2,794.32	1,99,858.04	1,39,082.05	3,38,940.09	32.61	3,38,972.70
0.00	0.00	3,262.61	0.00	0.00	3,262.61	0.00	3,262.61	0.00	3,262.61
(15.24)	188.54	2,08,313.90	1,32,550.07	(64.01)	2,08,313.90	1,32,486.06	3,40,799.96	(27.01)	3,40,772.95
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.65	0.00	2,275.65	2,275.65	0.00	2,275.65
0.00	0.00	0.00	0.00	97.49	0.00	97.49	97.49	0.00	97.49
0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	0.00	9.81	9.81	0.00	9.81
21.87	209.45	4,11,434.55	2,68,837.80	5,113.26	4,11,434.55	2,73,951.06	6,85,385.61	5.60	6,85,391.21
(2.74)	(118.00)	6,083.02	31,626.41	138.84	6,083.02	31,765.25	37,848.27	7.87	37,856.14

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
शेयरधारक के खाते से स्थानांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	4,028.99	28,057.41	1,998.06	2,364.66	55.97	1,325.08
<b>विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>						
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	3,994.26	28,057.41	14.25	2,364.66	0.08	1,325.08
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	34.73	0.00	1,983.81	0.00	55.89	0.00
<b>कुल (घ) / TOTAL (D)</b>	<b>4,028.99</b>	<b>28,057.41</b>	<b>1,998.06</b>	<b>2,364.66</b>	<b>55.97</b>	<b>1,325.08</b>

टिप्पणी : उपरोक्त आकड़ों में संबद्ध व्यवसाय में गैर-सहभागी योजनाएं हैं, जैसे फ्यूचर प्लस, जीवन प्लस, मनी प्लस, मार्केट प्लस, फॉर्च्युन प्लस, प्रॉफिट प्लस, मनी प्लस-1, मार्केट प्लस-1, चाइल्ड फॉर्च्युन प्लस, जीवन साथी प्लस, वेल्थ प्लस, पेंशन प्लस, एन्डोमेन्ट प्लस, समृद्धि प्लस, फ्लेक्सि प्लस, हेल्थ प्लस, हेल्थ प्रोटेक्शन प्लस, गैचुटी प्लस, न्यू एन्डोमेन्ट प्लस तथा एलआईसी का सीप/निवेश प्लस

Note: The above figures include Linked business and Linked Business comprises of non-participating plans, viz. Bima Plus, Future Plus, Jeevan Plus, Money Plus, Market Plus, Fortune Plus, Profit Plus, Money Plus1, Market Plus1, Child Fortune Plus, Jeevan Sathi Plus, Wealth Plus, Pension Plus, Endowment Plus, Samridhi Plus, Flexi Plus, Health Plus, Health Protection Plus, New Endowment Plus, LIC's SIIP/Nivesh Plus, Gratuity Plus and Superannuation Plus

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Total		कुल योग Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-सहभागी Non-Participating	गैर-सहभागी Non-Participating	गैर-सहभागी Non-Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non-Participating	गैर-सहभागी Non-Participating			
2.74	118.00	0.00	120.74	141.13	0.00	261.87	261.87	261.87	0.00	261.87
0.00	0.00	6,083.02	31,747.15	279.97	6,083.02	32,027.12	38,110.14	38,110.14	7.87	38,118.01
0.00	0.00	4,008.59	31,747.15	279.97	4,008.59	32,027.12	36,035.71	36,035.71	7.87	36,043.58
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2,074.43	0.00	0.00	2,074.43	0.00	2,074.43	2,074.43	0.00	2,074.43
0.00	0.00	6,083.02	31,747.15	279.97	6,083.02	32,027.12	38,110.14	38,110.14	7.87	38,118.01

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत में किए गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the period

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	3,262.03	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन Allocation of Bonus to policyholders	49,262.82	0.00	175.79	0.00	0.95	0.00
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	4,028.99	28,057.41	1,998.06	2,364.66	55.97	1,325.08
<b>कुल / Total</b>	<b>56,553.84</b>	<b>28,057.41</b>	<b>2,174.43</b>	<b>2,364.66</b>	<b>56.92</b>	<b>1,325.08</b>

\*प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\*\* बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग हैं।

\* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

Previous year figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with those of the current year

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

आर. दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2024

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF IN INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business		गैर-संबद्ध कुल Non Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business	कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating		गैर-सहभागी Non Participating				
0.00	0.00	3,262.61	0.00	0.00	3,262.61	0.00	3,262.61	0.00	3,262.61	
0.00	0.00	49,439.56	0.00	0.00	49,439.56	0.00	49,439.56	0.00	49,439.56	
(2.74)	(118.00)	6,083.02	31,626.41	138.84	6,083.02	31,765.25	37,848.27	7.87	37,856.14	
(2.74)	(118.00)	58,785.19	31,626.41	138.84	58,785.19	31,765.25	90,550.44	7.87	90,558.31	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	466.25	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(1.62)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>464.63</b>	<b>0.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
निवेश से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	300.51	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(19.89)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	(47.41)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ङ) अन्य आय (e) Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	(0.12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (क) TOTAL (A)</b>	<b>729.14</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF OUT OF INDIA BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Business						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating				
0.00	0.00	466.25	0.86	9.14	466.25	10.00	476.25	0.00	476.25	
0.00	0.00	(1.62)	0.00	0.00	(1.62)	0.00	(1.62)	0.00	(1.62)	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	464.63	0.86	9.14	464.63	10.00	474.63	0.00	474.63	
0.00	0.00	300.51	0.14	1.81	300.51	1.95	302.46	0.00	302.46	
0.00	0.00	16.36	0.00	5.94	16.36	5.94	22.30	0.00	22.30	
0.00	0.00	(19.89)	0.00	(1.71)	(19.89)	(1.71)	(21.60)	0.00	(21.60)	
0.00	0.00	(47.41)	0.00	1.28	(47.41)	1.28	(46.13)	0.00	(46.13)	
0.00	0.00	(0.12)	0.00	0.00	(0.12)	0.00	(0.12)	0.00	(0.12)	
0.00	0.00	2.08	0.00	(0.98)	2.08	(0.98)	1.10	0.00	1.10	
0.00	0.00	12.98	0.00	0.00	12.98	0.00	12.98	0.00	12.98	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	729.14	1.00	15.48	729.14	16.48	745.62	0.00	745.62	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	61.74	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful Debentures & Bonds	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>95.92</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	477.18	0.41	0.00	0.00	0.00	0.78
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability against life policies in force						
(क) सकल** (a) Gross**	147.18	0.56	0.00	0.00	0.00	(0.78)
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण Transfer to Provision for Linked Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बंद करने निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Discontinued Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (ग)/TOTAL (C)</b>	<b>626.13</b>	<b>0.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF OUT OF INDIA BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Business		कुल Total					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
0.00	0.00	26.01	0.00	0.00	26.01	0.00	0.00	26.01	0.00	26.01	
0.00	0.00	61.74	0.03	(2.70)	61.74	(2.67)	(2.67)	59.07	0.00	59.07	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	
0.00	0.00	8.10	0.00	0.95	8.10	0.95	0.95	9.05	0.00	9.05	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	
0.00	0.00	95.92	0.03	(1.75)	95.92	(1.72)	(1.72)	94.20	0.00	94.20	
0.00	0.00	477.18	1.19	16.01	477.18	17.20	17.20	494.38	0.00	494.38	
0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	1.77	0.00	1.77	
0.00	0.00	147.18	(0.22)	(1.19)	147.18	(1.41)	(1.41)	145.77	0.00	145.77	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	2.41	2.41	2.41	0.00	2.41	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	626.13	0.97	17.23	626.13	18.20	18.20	644.33	0.00	644.33	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण  
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)  
पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शेयरधारक के खाते से स्थानांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विनियोजन/APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (घ)/TOTAL (D)	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF OUT OF INDIA BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business			कुल Total	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध कुल Linked Business						
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating				
0.00	0.00	7.09	0.00	0.00	7.09	0.00	7.09	0.00	7.09	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	7.09	0.00	0.00	7.09	0.00	7.09	0.00	7.09	
0.00	0.00	7.09	0.00	0.00	7.09	0.00	7.09	0.00	7.09	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	7.09	0.00	0.00	7.09	0.00	7.09	0.00	7.09	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण  
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)  
पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the period

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन Allocation of Bonus to policyholders	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल / Total	143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\*\* बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

\* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2024

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

#### (IN RESPECT OF OUT OF INDIA BUSINESS)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business	कुल Total	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल Total
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	1.77	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	1.77
0.00	0.00	134.73	0.00	0.00	134.73	0.00	0.00	134.73
0.00	0.00	7.09	0.00	0.00	7.09	0.00	0.00	7.09
0.00	0.00	143.59	0.00	0.00	143.59	0.00	0.00	143.59

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	398.37	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(1.64)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>396.73</b>	<b>0.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
निवेश से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	238.97	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(8.36)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	(8.87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ङ) अन्य आय (e) Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholder's A/c						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (क) TOTAL (A)</b>	<b>646.06</b>	<b>0.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF OUT OF INDIA BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Total	योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
0.00	0.00	398.37	0.79	5.62	398.37	6.41	404.78	0.00	404.78
0.00	0.00	(1.64)	0.00	0.00	(1.64)	0.00	(1.64)	0.00	(1.64)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	396.73	0.79	5.62	396.73	6.41	403.14	0.00	403.14
0.00	0.00	238.97	0.12	1.55	238.97	1.67	240.64	0.00	240.64
0.00	0.00	16.51	0.00	1.18	16.51	1.18	17.69	0.00	17.69
0.00	0.00	(8.36)	0.00	(0.28)	(8.36)	(0.28)	(8.64)	0.00	(8.64)
0.00	0.00	(8.87)	0.00	(4.51)	(8.87)	(4.51)	(13.38)	0.00	(13.38)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1.72	0.00	(0.95)	1.72	(0.95)	0.77	0.00	0.77
0.00	0.00	9.36	0.00	0.00	9.36	0.00	9.36	0.00	9.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	646.06	0.91	2.61	646.06	3.52	649.58	0.00	649.58

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	49.63	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	(0.70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>76.88</b>	<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	332.07	0.79	0.00	0.00	0.00	0.82
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability against life policies in force						
(क) सकल** (a) Gross**	230.35	0.04	0.00	0.00	0.00	(0.83)
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण Transfer to Provision for Linked Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बंद करने निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Discontinued Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (ग) / TOTAL (C)</b>	<b>563.89</b>	<b>0.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(0.01)</b>
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF OUT OF INDIA BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL	
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		कुल Total					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	21.20	0.00	21.20	0.00	21.20
0.00	0.00	49.63	0.09	(1.22)	49.63	(1.13)	48.50	0.00	48.50
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	(0.70)	0.00	0.00	(0.70)	0.00	(0.70)	0.00	(0.70)
0.00	0.00	6.75	0.00	0.25	6.75	0.25	7.00	0.00	7.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	76.88	0.09	(0.97)	76.88	(0.88)	76.00	0.00	76.00
0.00	0.00	332.07	1.61	6.29	332.07	7.90	339.97	0.00	339.97
0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47
0.00	0.00	230.35	(0.79)	(0.47)	230.35	(1.26)	229.09	0.00	229.09
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	(2.24)	0.00	(2.24)	(2.24)	0.00	(2.24)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	563.89	0.82	3.58	563.89	4.40	568.29	0.00	568.29
0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण  
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)  
पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
शेयरधारक के खाते से स्थानांतरित राशि (गैर तकनीकी खाता) Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विनियोजन/ APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Transfer to Funds for Future Appropriations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (घ) / TOTAL (D)</b>	<b>5.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF OUT OF INDIA BUSINESS)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business				संबद्ध व्यवसाय Linked Business		कुल Total		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total								
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	
0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए खाते का खंडीय प्रकटीकरण  
(भारत के बाहर किये गए व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the period

वर्ष के दौरान कुल अधिशेष Total Surplus during the year	जीवन व्यवसाय Life Business		पेंशन व्यवसाय Pension Business		वार्षिकी व्यवसाय Annuity Business	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन Allocation of Bonus to policyholders	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल / Total</b>	<b>107.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\*\* बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

उपरलिखित अनुसूचियाँ राजस्व लेखा के अंगभूत भाग हैं।

\* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

Previous year figures have been regrouped wherever necessary to make them comparable with those of the current year

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

आर. दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2024

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

#### (IN RESPECT OF OUT OF INDIA BUSINESS)

##### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

परिवर्तनीय व्यवसाय Variable Business	स्वास्थ्य व्यवसाय Health Business	गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business	कुल TOTAL		योग कुल Grand Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल TOTAL
		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	1.47	0.00	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47
0.00	0.00	100.45	0.00	0.00	100.45	0.00	100.45	0.00	100.45
0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29
0.00	0.00	107.21	0.00	0.00	107.21	0.00	107.21	0.00	107.21

## भारतीय जीवन बीमा निगम 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की प्रबंधन रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के संचालन के संबंध में, निगम का प्रबंधन निम्नानुसार पुष्टि, प्रमाणित और घोषणा करता है:

### 1. पंजीकरण प्रमाण पत्र

निगम ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकरण के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और यह अभी भी वैध है। निगम ने प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पंजीकरण के नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है।

### 2. वैधानिक बकाया

निगम इस बात की पुष्टि करता है कि वैधानिक प्राधिकारियों को देय सभी देय राशियों का भुगतान नियत तारीखों के भीतर कर दिया गया है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले खातों की टिप्पणियों में आकस्मिक देनदारियों के तहत विरोध हो रहा है या खुलासा किया जा रहा है।

### 3. शेयरधारिता पैटर्न

निगम पुष्टि करता है कि शेयरधारिता पैटर्न बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं के अनुरूप है, जैसा कि बीमा कानून (संशोधन), 2015 और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किया गया है।

विस्तृत शेयरधारिता पैटर्न अनुसूची 5ए में प्रकट किया गया है, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है। इसके अलावा, शेयरधारिता पैटर्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार है और निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

### 4. निधियों का निवेश

निगम ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भारत में जारी पॉलिसी धारकों के फंड से भारत के बाहर निवेश नहीं किया है।

### 5. शोधन क्षमता मार्जिन (सॉल्वेंसी मार्जिन)

निगम के पास बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए और आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की संपत्ति, देनदारियां और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियम, 2016 के तहत निर्धारित अवधि के दौरान अपेक्षित सॉल्वेंसी मार्जिन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संपत्ति है।

### 6. परिसम्पतियों का मूल्यांकन

किसी भी संभावित हानि प्रावधान/गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के प्रावधान के लिए तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा की गई है और प्रबंधन की राय में, तुलन पत्र में निर्धारित संपत्ति को कुल राशि में निम्नलिखित शीर्षकों के तहत दिखाया गया है जो उनकी वसूली योग्य या बाजार मूल्य से अधिक नहीं है; ऋण, निवेश, एजेंट शेष, बकाया प्रीमियम, ब्याज, लाभांश और किराए बकाया, ब्याज, लाभांश और किराए पर उपार्जित लेकिन बकाया नहीं, अन्य व्यक्तियों या बीमा व्यवसाय करने वाले निकायों से देय राशि प्राप्य बिल, विविध देनदार, नकद और अन्य खाते के तहत निर्दिष्ट कई आइटम।

### 7. जीवन बीमा कोष का अनुप्रयोग और निवेश

जीवन बीमा निधि के किसी भी भाग का बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया गया है, जैसा कि बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, जो जीवन बीमा निधि के अनुप्रयोग और निवेश से संबंधित है।

### 8. समग्र जोखिम तथा इसे कम करने के लिए अपनाई गई रणनीति

भारतीय जीवन बीमा निगम के पास व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा है। जो निगम के समक्ष उपस्थित जोखिमों को ध्यान में रखता है व पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है।

## LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

### MANAGEMENT REPORT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

With respect to the operations of the Corporation for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2024, the Management of the Corporation confirms, certifies and declares as below:

#### 1. CERTIFICATE OF REGISTRATION

The Corporation has obtained the Certificate of Renewal of Registration from the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the same continues to be valid. The Corporation has complied with the terms and conditions of the registration stipulated by the Authority.

#### 2. STATUTORY DUES

The Corporation confirms that all the dues payable to the statutory authorities have been duly paid within due dates, except those which are being contested or disclosed under contingent liabilities in the notes to accounts forming part of the financial statements.

#### 3. SHAREHOLDING PATTERN

The Corporation confirms that the shareholding pattern is with in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment), 2015 and the Life Insurance Corporation Act, 1956.

The detailed shareholding pattern is disclosed in Schedule 5A, forming part of financial statements. Further, the shareholding pattern is in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and is available on the website of the Corporation.

#### 4. INVESTMENT OUTSIDE INDIA

The Corporation has not, directly or indirectly, invested outside India from the funds of the holders of policies, issued in India during the year.

#### 5. SOLVENCY MARGIN

The Corporation has adequate assets to maintain its solvency margins as required by the Insurance Act, 1938 during the period as stipulated under Section 64VA of the said Act and the IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016.

#### 6. VALUATION OF ASSETS

The values of all the assets have been reviewed on the date of Balance-Sheet for any possible impairment provision/provision for non performing asset and that in the opinion of the Management, the assets set forth in the Balance-Sheet are shown in the aggregate at amounts not exceeding their realizable or market value under the headings "Loans", "Investments", "Agents balances", "Outstanding Premiums", "Interest, Dividends and Rents outstanding", "Interest, Dividends and Rents accruing but not due", "Amounts due from other persons or Bodies carrying on insurance business", "Bills Receivable", "Sundry Debtors", "Cash" and the several items specified under "Other Accounts".

#### 7. APPLICATION AND INVESTMENTS OF LIFE INSURANCE FUNDS

No part of the life insurance fund has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act 2015, relating to the application and investment of the Life Insurance Funds.

#### 8. OVERALL RISK EXPOSURE AND MITIGATION STRATEGIES

Life Insurance Corporation has robust Enterprise Risk Management framework to conduct its business in an orderly fashion, taking into account the risks faced by the Corporation and ensuring adequate risk management procedures.

## जोखिम शासन रूपरेखा:

जोखिम प्रबंधन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके तहत निगम ऐसे जोखिमों की पहचान, मापन और कम करने के द्वारा निगम के संचालन से जुड़े जोखिमों को संबोधित करता है। जोखिम प्रबंधन में सभी कारकों की समझ शामिल है और जिस हद तक के सफलता के लिए खतरा हो सकते हैं। यह प्रक्रिया संगठन में जोखिम संस्कृति को लाने का भी प्रयास करेगी ताकि कर्मचारी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने के महत्व को महसूस करें और प्रत्येक कर्मचारी संबंधित जोखिमों को उचित रूप से संबोधित करने में स्वयं को शामिल करे।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन कार्य पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम भूख विवरण, एएलएम नीति और निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना को मंजूरी देना, प्रमुख जोखिमों और उपायों पर आवश्यक निरीक्षण प्रदान करना शामिल है।

IRDAI कॉरपोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस, 2016 के अनुरूप, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (RMCB) का गठन किया गया है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन और परिसंपत्ति देयता नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक आंतरिक समिति, जिसका नाम जोखिम प्रबंधन पर कार्यकारी अधिकारियों की समिति (CERM) व परिसंपत्ति देयता समिति (ALCO) का गठन किया गया है, जिसमें प्रमुख कार्यात्मक विभागों के प्रमुख शामिल हैं।

## निगम के जोखिम प्रबंधन के लिए रक्षा मॉडल की तीन पंक्तियाँ:

**रक्षा की पहली पंक्ति** – विभागाध्यक्ष (केंद्रीय कार्यालय में विभागाध्यक्ष) यानी जोखिम स्वामी। विभाग संबंधित जोखिमों का स्वामित्व ग्रहण करेंगे।

**रक्षा की दूसरी पंक्ति** – ईआरएम विभाग

विभाग प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और जोखिम मालिकों को मूल्यांकन में सहायता करता है और जोखिम से संबंधित जानकारी आरएमसी और शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करता है

**रक्षा की तीसरी पंक्ति** – आंतरिक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षा, प्रणाली लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा और निरीक्षण कार्य जो प्रक्रियाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी संचालन के लिए शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड को आश्वासन दे रहे हैं।

## प्रमुख जोखिम प्रबंधन उपकरण:

### जोखिम क्षमता कथन:

जोखिम लेने की क्षमता कह राशि और प्रकार का जोखिम है जो निगम अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लेने हेतु तैयार है। विभिन्न जोखिमों के लिए क्षमता की एक श्रृंखला मौजूद है और जो समय के साथ बदल सकती है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) द्वारा वार्षिक आधार पर जोखिम लेने की क्षमता की समीक्षा की जाती है और बोर्ड द्वारा व्यापक स्तर पर अनुमोदित किया जाता है।

निगम द्वारा निर्धारित सीमाओं की तुलना में जोखिमों की निगरानी की जाती है और शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट की जाती है।

### जोखिम रजिस्टर:

निगम प्रत्येक कार्यात्मक स्तर पर जोखिम रजिस्टर रखता है जिसमें नियंत्रण उपायों के साथ उस कार्य से संबंधित जोखिमों का दस्तावेजीकरण किया जाता है। रजिस्ट्रों में पहचाने गए इस जोखिम का मूल्यांकन छाया आधार पर किया जाता है। उभरते जोखिमों को शामिल करने के लिए जोखिम रजिस्टर को हर तिमाही में अपडेट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उभरते जोखिमों की पहचान की जा रही है और उनका ध्यान रखा जा रहा है।

### घटना प्रबंधन और परिचालन हानि डेटाबेस:

घटना प्रबंधन का उद्देश्य निगम के भीतर घटनाओं (धोखाधड़ी सहित) की पहचान, निगरानी, शमन और रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना है। घटना प्रबंधन प्रक्रिया को धोखाधड़ी, विनियामक / नीति उल्लंघनों और संभावित नुकसान सहित किसी भी परिचालन हानि को सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित किया गया है, भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यवस्थित रूप से पहचान, रिपोर्ट, वृद्धि विश्लेषण और समाधान किया जाता है।

**Risk Governance Frame Work:**

Risk management is defined as the process under which Corporation addresses risks associated with the Corporation's operations by identifying, measuring and mitigating such risks. Risk Management encompasses understanding of all the factors and the extent to which they can be threats to success. The process also endeavors to bring about the Risk culture in the organization so that the employees feel the importance of putting Risk management system in place and each employee involves himself in appropriately addressing the concerned risks.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function, which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Enterprise Risk Management Policy, Risk Appetite statement, ALM Policy and Business Continuity Plan of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Corporate Governance Regulations, 2016, Risk Management Committee of the Board (RMCB) is formed.

An internal committee, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) and Asset Liability Committee (ALCO) has been constituted consisting of Heads of key functional departments, to monitor the implementation of Enterprise Risk Management policy and Asset Liability Policy respectively.

**Three Lines of Defence Model for Risk Management of the Corporation:**

**First Line of Defence** - Head of Departments (HODs at Central Office) i.e. the Risk Owners. The Departments would assume ownership of respective risks.

**Second Line of Defence** – ERM Department

The department monitors implementation of effective risk management practices and supports the risk owners in Assessment and Reporting risk related information to RMC & top management.

**Third Line of Defence** - Internal Audit, Statutory Audit, System Audit, Concurrent Audit and Inspection function which are giving assurance to top Management and Board for effective conduct of procedures, systems and processes.

**Key Risk Management Tools:****Risk Appetite Statements:**

Risk appetite is the amount and type of risk that the Corporation is willing to take in order to meet its strategic objectives. A range of appetites exist for different risks and which may change over time. The Risk appetite statements are reviewed on an annual basis by the Risk Management Committee of the Board (RMCB) and approved by the Board. The risks are monitored vis-a-vis the limits set by the Corporation and reporting is done to the Top Management and to the Risk Management Committee of the Board.

**Risk Registers:**

Corporation maintains Risk Register at each functional level wherein risks relating to that function along with the control measures are documented. These risks identified in the registers are assessed on half-yearly basis. The Risk register is updated every quarter for inclusion of emerging risks to ensure that all the emerging risks are being identified and taken care of.

**Incident Management & Operational Loss database:**

The Incident Management aims to implement procedures for identification, monitoring, mitigation and reporting of incidents (including frauds) within the Corporation. Incident Management process is defined to ensure any operational losses including frauds, regulatory / policy breaches and potential losses are systematically identified, reported, escalated, analysed and resolved to prevent recurrence in future.

### शीर्ष जोखिम और प्रमुख जोखिम संकेतक:

निगम के लिए शीर्ष जोखिमों की पहचान निगम द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख जोखिमों की भौतिकता/प्रभाव का विश्लेषण करके की जाती है। RAG स्थिति का पता लगाने के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों का मूल्यांकन प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। शीर्ष जोखिम और संबंधित प्रमुख जोखिम संकेतक वार्षिक आधार पर अपडेट किए जाते हैं।

### डैशबोर्ड

ERM मॉड्यूल में डैश बोर्ड उपलब्ध है, जो जोखिम रिपोर्ट देखने के लिए शीर्ष प्रबंधन के लिए सुलभ है। जोखिम रजिस्टर ERM विभाग के मुख्य जोखिम अधिकारी द्वारा CERM और RMC के समक्ष रखे जाते हैं।

### उधम जोखिम प्रबंधन ढांचे के तहत विभिन्न जोखिमों के लिए न्यूनीकरण रणनीतियां:

एलआईसी भारतीय वित्तीय बाजारों में एक प्रमुख संस्थागत निवेशक है। इसके फंड्स को IRDAI (निवेश) विनियमों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गों में निवेश किया जाता है और बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम और प्रतिपक्ष जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों के संपर्क में आते हैं। वित्तीय बाजारों में इस तरह के विविध जोखिम से उत्पन्न होने वाले इन जोखिमों को मापने और कम करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संरचना की आवश्यकता होती है। निवेश जोखिमों की व्यवस्थित रूप से पहचान की जाती है और इन जोखिमों को दूर करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को लागू किया गया है ताकि न केवल पॉलिसीधारकों के धन की रक्षा की जा सके बल्कि उनकी उचित अपेक्षाओं को भी पूरा किया जा सके। निगम जोखिम प्रबंधन पर निरंतर संगठनात्मक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जोखिम प्रबंधन नीति में जोखिम दृष्टि, जोखिम प्रशासन, जोखिम पहचान, जोखिम मापन, जोखिम न्यूनीकरण और जोखिम निगरानी और रिपोर्टिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

### बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम ब्याज दरों, विनिमय दरों और प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भविष्य की कमाई की अनिश्चितता को संदर्भित करता है। निगम मुख्य रूप से उन प्रतिभूतियों में निवेश करके बाजार जोखिम के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है जो प्रमुख सूचकांकों का हिस्सा हैं।

प्रकार और अवधि के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों का मिलान करके और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक सीमा तक नकदी प्रवाह का मिलान करके बाजार जोखिम को और कम किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए लागू निवेश रणनीति स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देनदारियां संपत्ति की प्रकृति और अवधि से उचित रूप से मेल खाती हैं।

### तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें भुगतान समय पर न कर पाने की स्थिति में नकदी या नकदी के बराबर तरल संपत्ति अपर्याप्त होने के कारण दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को भुनाने की आवश्यकता होती है। निगम को अपनी देनदारियों की प्रकृति के कारण सीमित तरलता जोखिम का सामना करना पड़ता है। निगम तिमाही और वार्षिक आधार पर परिसंपत्ति-देयता नकदी प्रवाह मिलान स्थितियों की निगरानी करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है। नकदी प्रवाह मिलान का विश्लेषण विभिन्न तनाव परिदृश्यों के तहत भी किया जाता है। LIC ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति अपनाई है।

### ऋण जोखिम:

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो किसी भी पक्ष द्वारा अपने संविदात्मक दायित्वों को समय पर पूरा करने में विफलता या क्रेडिट प्रोफ़ाइल में गिरावट के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

निगम को सीमित ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि निवेश का बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है। अन्य ऋण प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित ऋण जोखिम निम्न द्वारा कम किया जाता है,

- (i) घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा मुख्य रूप से एए अथवा एएए और उससे ऊपर की रेटिंग वाली प्रतिभूतियों तक निवेश को सीमित करना और
- (ii) हमारी पोर्टफोलियो कंपनियों के त्रैमासिक प्रदर्शन, उनकी रेटिंग और नियत तारीखों पर अपने दायित्वों को पूरा करने के उनके ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करना।

### Top Risks and Key Risk Indicators:

The top risks for the Corporation are identified by analysing the materiality / impact of key risks faced by the Corporation. The assessment of Key Risk Indicators is done every quarter to ascertain RAG status. The Top Risks and associated Key Risk Indicators are updated on annual basis with separate benchmarks and threshold limits.

### Dash Board:

Dash Board is available in the ERM Module which is accessible to Top management for viewing the Risk Reports. The Risk Registers are placed before CERM & RMC by Chief Risk Officer of ERM department.

### The mitigation strategies for various risks under Enterprise Risk Management framework:

LIC is a premier institutional investor in the Indian Financial Markets. Its funds are invested in asset classes in line with the IRDAI (Investment) Regulation and are exposed to various risks like market risk, credit risk, interest rate risk, liquidity risk and counterparty risk. The investment risks are systematically identified and systems & procedures have been implemented to address these risks so that not only the policyholders' funds are protected but also their reasonable expectations are met.

### Market Risk:

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, exchange rates and the market prices of securities. Corporation attempts to minimise the effects of market risk by primarily investing in securities that are part of major indices.

Market risk is further mitigated by matching assets and liabilities by type and duration and matching cash flows to the extent commercially practicable. The applicable investment strategy for each type of business is set out clearly to ensure that liabilities are appropriately matched by the nature and duration of assets.

### Liquidity Risk:

Liquidity risk is the risk of not being able to make payments as and when they fall due, because of insufficient liquid assets in cash or cash equivalent, thereby requiring redemption of long term assets. Corporation faces limited liquidity risk due to the nature of its liabilities. Corporation manages liquidity risk by monitoring the asset-liability cash flow matching positions on Quarterly and yearly basis. The cash flow matching is also analysed under various stress scenarios. LIC has Board approved Asset Liability Management policy.

### Credit risk:

Credit risk is the risk resulting from the failure by either party to perform timely their contractual obligations or the deterioration in the credit profile.

Corporation faces limited credit risk as major portion of the investments are made in Govt. securities. Credit risk related to investment in other debt securities is mitigated by,

- (i) restricting investments primarily to securities rated AA or AAA and above by domestic rating agencies and
- (ii) monitoring the quarterly performances of our portfolio companies, their ratings and their track record of servicing of their obligations on the due dates.

### **बीमा जोखिम:**

बीमा जोखिम दावों, रुग्णता, मृत्यु दर, निकासी, व्यय, कराधान उपचार और अन्य धारणाओं में प्रतिकूल अनुभव के परिणामस्वरूप हो सकता है जो उत्पाद के मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन गणनाओं के भीतर अनुमानित हैं। इसमें प्रीमियम और आरक्षित जोखिम हामीदारी जोखिम के महत्वपूर्ण घटक हैं। निगम अपने उच्च बीमित राशि के व्यवसाय का पुनर्बीमा करता है और विशिष्ट उत्पादों के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संधियाँ करता है।

### **परिचालनात्मक जोखिम:**

निगम विभिन्न प्रकार के परिचालन जोखिम के संपर्क में है, जो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिसमें अपर्याप्त रिकॉर्ड कीर्पिंग, सिस्टम की विफलता और स्थापित नियंत्रण, कर्मचारी त्रुटि और आंतरिक/बाहरी धोखाधड़ी शामिल हैं। निगम प्रक्रियाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी, धोखाधड़ी के लिए नियंत्रणों के कार्यान्वयन और परिचालन जोखिमों के प्रभाव को कम करने का प्रबंधन करता है। साइबर सुरक्षा जोखिमों की निगरानी साइबर सुरक्षा डेस्क द्वारा की जाती है। निगम द्वारा प्रतिष्ठित जोखिमों की पहचान की जाती है और इसके प्रभाव की व्यवस्थित रूप से निगरानी की जाती है।

### **अनुपालन जोखिम:**

इन जोखिमों को कम करने के लिए, निगम के पास मजबूत आंतरिक नियंत्रण हैं, नियमित ऑडिट आयोजित करता है, नैतिकता प्रशिक्षण प्रदान करता है, सूचना देने को बढ़ावा देता है, और पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति बनाता है। इसके अतिरिक्त, निगम प्रासंगिक कानूनों और विनियमों पर खुद को अपडेट करने, जहाँ भी आवश्यक हो उचित परिश्रम करने और इन जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों को लागू करने पर जोर देता है।

### **व्यापार निरंतरता उपाय (बीसीएम):**

निगम ने व्यवसाय निरंतरता के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना बनाई है। व्यवसाय में रुकावट का जोखिम परिचालन जोखिम का अभिन्न अंग है। निगम को कई तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो छोटी से लेकर भयावह तक हो सकती हैं, जो दिन-प्रतिदिन के संचालन को प्रभावित कर सकती हैं।

व्यवसाय निरंतरता योजना व्यवसाय निरंतरता ढांचे को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए समग्र दिशा-निर्देश प्रदान करती है जो आपदा की स्थिति का जवाब देने के लिए निर्देश / दिशा-निर्देश प्रदान करती है और इसमें मानव जीवन की सुरक्षा और न्यूनतम डाउन टाइम के लिए उपाय भी शामिल हैं। निरंतरता योजना को प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और तकनीकी व्यवधानों आदि जैसी घटनाओं का जवाब देने के लिए किए जाने वाले उपायों को प्रदान करने के लिए औपचारिक रूप दिया गया है।

प्रतिकूल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आपदा रिकवरी साइट की स्थापना की गई है। महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए और साथ ही व्यापार में रुकावट के जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए नियमित आधार पर व्यवसाय निरंतरता अभ्यास किए जाते हैं।

व्यवसाय निरंतरता योजना के एक भाग के रूप में, निगम ने केंद्रीय कार्यालय और निगम के सभी आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में संकट प्रबंधन दल का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी आपदाजनक स्थिति से निपटना है। आपदा के दौरान संकट प्रबंधन दल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निगम के सभी कार्यालयों में आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भी गठित किए गए हैं।

## **9. अन्य देशों में संचालन**

निगम के तीन देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, फिजी और मॉरीशस में विदेशी शाखा कार्यालय हैं। निगम को किसी भी देश का जोखिम नहीं है क्योंकि इन देशों में पॉलिसीयां केवल संबंधित देश की मुद्रा में ही पेश की जाती हैं और देश में प्राप्त आय को भी उसी देश में निवेश किया जाता है, सिवाय यूनाइटेड किंगडम के शाखा कार्यालय द्वारा गैर यूनाइटेड किंगडम कंपनियों के इक्विटी में एक मामूली निवेश को छोड़कर।

**Insurance Risk:**

Insurance risk can occur as a result of adverse experience in claims, morbidity, mortality, withdrawals, expenses, taxation treatment and other assumptions that are estimated within pricing and valuation calculations of the product. This includes underwriting risk. The premium and reserve risks are significant components of the underwriting risk. The Corporation reinsures its higher Sum Assured business and has treaties with reinsurers for specific products.

**Operational Risk:**

Corporation is exposed to various types of operational risk, which arise from various sources including inadequate record keeping, failures of systems & established controls, employee error, and internal/external frauds. Corporation manages to minimize the impact of the operational risks by regular monitoring of processes, systems & procedures, implementation of controls for frauds. Cyber security risks are monitored by Cyber Security Desk. Reputational risks are identified by the Corporation and its impact is monitored systematically.

**Compliance Risks:**

To mitigate these risks, the Corporation has robust internal controls, conducts regular audits, provides ethics training, promotes whistle blowing, and creates a culture of transparency and accountability. Additionally, the Corporation emphasizes on updating itself on relevant laws and regulations, conduction of due diligence wherever necessary and implementing technology solutions for managing these risks effectively.

**Business Continuity Measures (BCM):**

The Corporation has Board approved plan for business continuity. Business interruption risk forms an integral part of operational risk. The Corporation may face a host of disasters that range from minor to catastrophic which can impact day-to-day operations.

Business Continuity Plan provides overall guidelines to implement and manage the Business Continuity framework which provides instructions / guidelines to respond to disaster situation and also includes measures for – safety of human life and minimum down time. The continuity plan has been formalized to provide measures to be taken to respond to events as natural disasters, pandemic and technical disruptions etc.

Disaster recovery site has been set up to carry out critical processes in adverse scenario. Business continuity drills are carried on a regular basis for critical processes and also to manage business interruption risks.

As a part of Business Continuity Plan, Corporation has formed Crisis Management Teams at Central Office and all the eight Zonal Offices of the Corporation, mainly to respond to any disastrous situation. Emergency Response Teams are also formed in all offices of the Corporation to oversee the implementation of guidelines issued by Crisis Management Team during disaster

**9. OPERATIONS IN OTHER COUNTRIES**

The Corporation has overseas branch offices in three countries viz. United Kingdom., Fiji and Mauritius. The Corporation does not have any country risk as the policies in these countries are offered in the respective country currency only and income received in the country is also invested in the same country except a meager investment by United Kingdom branch office in equities of non United Kingdom Entities.

10. पिछले 5 वर्षों के लिए स्वीकृत परंतु भुगतान न किए गए दावों के आंकड़ों (मृत्यु और परिपक्वता) की अवधि निम्नलिखित हैं।

पारंपरिक व्यवसाय:

अवधि	2023-24		2022-23		2021-22		2020-21		2019-20	
	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
30 दिन	408908	1,560	423304	2,878	817305	5,851	606889	3,806	995398	6,180
30 दिन से 6 महीने	536806	4,943	496348	2,973	720413	3,019	676970	4,960	871012	3,786
6 महीने से 1 साल	0	0	0	0	0	0	0	0	641	1
1 साल से 5 साल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 वर्ष और उससे अधिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संबद्ध कारोबार (लिंक्ड बिजनेस):

अवधि	2023-24		2022-23		2021-22		2020-21		2019-20	
	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	दावों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
30 दिन	15915	167	27973	254	41718	415	111186	480	40588	314
30 दिन से 6 महीने	5661	57	9607	63	18990	154	63008	632	55335	268
6 महीने से 1 साल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 साल से 5 साल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 वर्ष और उससे अधिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. निवेशों का मूल्यांकन

(क) गैर-संबद्ध व्यवसाय:

तुलन-पत्र में दर्शाए अनुसार गैर-संबद्ध व्यवसाय के निवेश का मूल्य और उसका बाजार मूल्य निम्नानुसार निकाला गया है:

निवेश	मूल्यांकन की विधि
1. ऋण प्रतिभूतियां	क) सरकारी प्रतिभूतियों और विमोच्य अधिमानी शेयरों सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन परिशोधन की शर्तों के अधीन ऐतिहासिक लागत पर किया गया। ख) गैर-निष्पादित ऋणों के लिए लेखा बहियों में आईआरडीआई/आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
2. सक्रिय रूप से व्यापार किए गए इक्विटी शेयर	एनएसई में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य पर मूल्यांकित। बंद होने की तिथि पर एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं/व्यापार न होने की स्थिति में, बीएसई दर।
3. असूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापार किए गए इक्विटी शेयरों के अलावा	निगम की हानि नीति के अनुसार इस तरह के निवेशों को ऐतिहासिक लागत घटाएँ निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान पर मापा गया है। कोलंबो ऑपरेशन के मामले में असूचीबद्ध शेयरों का मूल्य शून्य मूल्य पर होता है।

## 10. AGEING OF CLAIMS REGISTERED AND NOT SETTLED DATA (DEATH AND MATURITY) FOR THE PRECEDING 5 YEARS IS:-

### Non Linked Business:

Period	2023-24		2022-23		2021-22		2020-21		2019-20	
	No. of claims	Amount (₹ in crore)	No. of claims	Amount (₹ in crore)	No. of claims	Amount (₹ in crore)	No. of claims	Amount (₹ in crore)	No. of claims	Amount (₹ in crore)
30 days	408908	1,560	423304	2,878	817305	5,851	606889	3,806	995398	6,180
30 days to 6 months	536806	4,943	496348	2,973	720413	3,019	676970	4,960	871012	3,786
6 months to 1 year	0	0	0	0	0	0	0	0	641	1
1 year to 5 years	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 years and above	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Linked Business:

Period	2023-24		2022-23		2021-22		2020-21		2019-20	
	No. of claims	Amount (₹ in crore)	No. of claims	Amount (₹ in crore)	No. of claims	Amount (₹ in crore)	No. of claims	Amount (₹ in crore)	No. of claims	Amount (₹ in crore)
30 days	15915	167	27973	254	41718	415	111186	480	40588	314
30 days to 6 months	5661	57	9607	63	18990	154	63008	632	55335	268
6 months to 1 year	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 year to 5 years	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 years and above	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 11. VALUATION OF INVESTMENTS

### (A) Non Linked Business

The values of Investments of Non Linked Business, as shown in the Balance Sheet and the market value thereof, have been arrived at as follows:-

INVESTMENT	METHOD OF VALUATION
1. Debt Securities	a) All debt securities, including Govt. Securities and Redeemable Preference shares were valued at historical cost subject to amortization. b) Provision, as per IRDAI/RBI guidelines, has been made in the books of accounts towards non-performing debts.
2. Actively traded Equity shares	Valued at the last quoted closing prices at the NSE. In case not listed/ not traded on NSE on closing date, then BSE rate.
3. Unlisted and other than actively traded equity shares	Measured at historical cost less provision for diminution in value of such investments in accordance with the impairment Policy of the Corporation. In case of Colombo operation unlisted shares are valued at NIL value.

निवेश	मूल्यांकन की विधि
4. म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल निवेश	म्यूचुअल फंड में निवेश का मूल्यांकन संबंधित म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित अंतिम उद्धृत एनएवी पर किया जाता है। वेंचर कैपिटल निवेश का मूल्यांकन मूल्य में कमी के प्रावधान को घटाकर बुक वैल्यू पर किया जाता है।
5. ईटीएफ और आर ई आय टी एस	ईटीएफ में निवेश का मूल्यांकन संपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा घोषित अंतिम उद्धृत एन ए वी पर किया जाता है। आर ई आय टी एस का मूल्यांकन एन एस ई पर अंतिम उद्धृत समापन दर पर किया गया है।
6. ऋण	इसका मूल्यांकन गैर-निष्पादन के प्रति ऐतिहासिक लागत में से प्रावधानों को घटा कर किया गया है।
7. सावधि जमा	लागत पर मूल्यांकित।

#### (ख) संबद्ध व्यवसाय

तुलन पत्र में यथा दर्शित संब व्यवसाय के निवेशों के मूल्य और उनके बाजार मूल्य निम्नलिखित तरीके से निकाले गए हैं:

निवेश	मूल्यांकन की विधि
1. ऋण प्रतिभूतियां	केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, यूनिट निधियों के डिबेंचर और बांडों का मूल्यांकन FIMMDA द्वारा घोषित अंतिम उपलब्ध बाजार दरों पर किया गया था और केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, गैर यूनिट निधियों के डिबेंचर और बांडों का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया गया था। आई.आर.डी.ए.आइ. /आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित ऋणों के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।
2. इक्विटी शेयर	इनका मूल्यांकन एनएसई में अंतिम उद्धृत समापन कीमतों पर किया गया था जहां वे सूचीबद्ध हैं। एनएसई पर सूचीबद्ध नहीं होने की स्थिति में, बीएसई पर समापन मूल्य लिया गया है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस (I.O.) के मामले में इनका मूल्यांकन स्टॉक एक्सचेंजों में अंतिम उद्धृत समापन मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, जहां वे सूचीबद्ध हैं।
3. सावधि जमा	लागत पर मूल्यवान।
4. म्यूचुअल फंड	म्यूचुअल फंड में निवेश का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा अंतिम घोषित एनएवी पर किया जाता है।

#### 12. 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान संपत्ति की गुणवत्ता और निवेश के प्रदर्शन की समीक्षा निम्नानुसार है:-

##### (i) संपत्ति संरचना:

##### (अ) गैर सम्बद्ध:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	निवेश	कुल का %
1	सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	30,72,784.03	60.43%
2	डिबेंचर/बांड/पीटीसी	4,06,756.90	8.00%
3	कॉर्पोरेट/सरकारी/सरकारी निकायों को ऋण	9,949.72	0.20%
4	समता/अधिमानी शेयर/म्यूचुअल फंड/ईटीएफ/ REIT / InvIT	14,49,866.99	28.51%
5	मांग/सावधि जमा/ट्रेजरी बिल/वाणिज्यिक कागजात और अन्य	9,921.86	0.20%
6	निवेश संपत्ति	16,979.84	0.33%
7	बंधक ऋण	262.25	0.01%
8	पॉलिसी ऋण	1,18,214.68	2.32%
9	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश	73.21	0.00%
	<b>कुल</b>	<b>50,84,809.48</b>	<b>100.00%</b>

INVESTMENT	METHOD OF VALUATION
4. Mutual Fund and Venture Capital Investments	Investments in Mutual Fund are valued at last quoted NAV declared by the respective Mutual funds. Venture Capital Investments are valued at book value less provision for diminution.
5. ETFs and REITs	Investments in ETFs are valued at last quoted NAV declared by the respective Asset Management Company. REITs are valued at the last quoted closing prices at the NSE.
6. Loans	Valued at historical cost less provision towards non-performing assets.
7. Fixed Deposits	Valued at cost.

**(B) Linked Business**

The values of Investments of Linked Business, as shown in the Balance Sheet and the market value thereof, have been arrived at as follows:-

INVESTMENT	METHOD OF VALUATION
1. Debt Securities	Central Government securities, State Government securities, Other Approved Securities, Debentures & Bonds of unit funds were valued at last available market rates declared by FIMMDA and Central Government Securities, State Government Securities, Other Approved securities, Debentures & Bonds of non unit funds were valued at amortized cost.  Provision, as per IRDAI/RBI guidelines, has been made in the books of accounts towards non-performing debts.
2. Equity shares	These were valued at last quoted closing prices at the NSE, where they are listed. In case of the scrips not listed on the NSE, the closing prices on the BSE have been taken.  In case of International Operations (I.O.) these are valued at lowest of the last quoted closing price at the stock exchanges where they are listed.
3. Fixed Deposit	Valued at cost.
4. Mutual Fund	Investments in Mutual Funds are valued at last declared NAV by the Mutual Funds.

## 12. REVIEW OF ASSETS QUALITY AND PERFORMANCE OF THE INVESTMENTS, DURING THE YEAR ENDED 31.03.2024 IS AS UNDER:-

**(i) Asset Composition:****(a) Non Linked -Gross**

(₹ In crores)

Sr. No.	Category	Investment	% to total
1	Government and other approved securities	30,72,784.03	60.43%
2	Debenture/Bonds/PTC	4,06,756.90	8.00%
3	Loans to Corporate/Govt./Govt.Bodies	9,949.72	0.20%
4	Equities/Preference Shares /Mutual Funds/ETFs / REIT/ InvIT	14,49,866.99	28.51%
5	Call/Fixed deposits/Treasury Bills/Commercial Papers & others	9,921.86	0.20%
6	Investment Properties	16,979.84	0.33%
7	Loans Mortgage	262.25	0.01%
8	Policy Loans	1,18,214.68	2.32%
9	Other than approved investments	73.21	0.00%
	<b>Total</b>	<b>50,84,809.48</b>	<b>100.00%</b>

(ब) सम्बद्ध सकल:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	निवेश	कुल का %
1	केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	11,155.68	30.26%
2	अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.05	0.00%
3	डिबेंचर	312.95	0.85%
4	बांड	602.04	1.63%
5	इक्विटी	22,963.31	62.30%
6	सावधि जमा	300.50	0.82%
7	म्यूचुअल फंड्स	1523.14	4.13%
8	पॉलिसी ऋण	3.92	0.01%
	<b>कुल</b>	<b>36,861.59</b>	<b>100.00%</b>

(स) पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित सकल (CRAC-Gross)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	निवेश	कुल का %
1	सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	144.62	67.01%
2	डिबेंचर/बांड/पीटीसी	71.00	32.90%
3	समता/अधिमानी शेयर/म्यूचुअल फंड/ईटीएफ/ REIT/ InvIT	0.20	0.09%
4	मांग/सावधि जमा/ट्रेजरी बिल/वाणिज्यिक कागजात और अन्य	0.01	0%
	<b>कुल</b>	<b>215.83</b>	<b>100%</b>

(ii) 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेश का प्रदर्शन

क्रमांक	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
1	शेयरधारकों की निधि	
	ब्याज	3548.79
	लाभांश	15.98
	शुद्ध लाभ	129.86
	प्राप्ति: अप्राप्त लाभ के बिना अप्राप्त लाभ के साथ	8.02%
		8.07%
2	पॉलिसीधारक निधि	
	(ए) गैर संबद्ध	
	ब्याज	254472.95
	लाभांश	23015.77
	शुद्ध लाभ	62328.09
	निवेश संपत्ति से किराया	559.26
	पॉलिसी ऋण पर ब्याज	13555.36
	बंधक ऋण पर ब्याज	14.18
	प्राप्ति: अप्राप्त लाभ के बिना अप्राप्त लाभ के साथ	8.93%
		18.46%

**(b) Linked-Gross**

(₹ In crores)

Sr. No.	Category	Investment	% to total
1	Central & State Govt. Securities	11,155.68	30.26%
2	Approved Securities	0.05	0.00%
3	Debentures	312.95	0.85%
4	Bonds	602.04	1.63%
5	Equities	22,963.31	62.30%
6	Fixed Deposits	300.50	0.82%
7	Mutual Funds	1523.14	4.13%
8	Policy Loans	3.92	0.01%
	<b>Total</b>	<b>36,861.59</b>	<b>100.00%</b>

**(c) CRAC-Gross**

(₹ In crores)

Sr. No.	Category	Investment	% to total
1	Government and other approved securities	144.62	67.01%
2	Debenture/Bonds/PTC	71.00	32.90%
3	Equities/Preference Shares /Mutual Funds/ETFs / REIT/ InvIT	0.20	0.09%
4	Call/Fixed Deposits/Treasury Bills/Commercial Papers & others	0.01	0%
	<b>Total</b>	<b>215.83</b>	<b>100%</b>

**(ii) Performance of the Investments during the year ended 31.03.2024**

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in crores)
<b>1</b>	<b>Shareholders Fund</b>	
	Interest	3548.79
	Dividend	15.98
	Net Profit	129.86
	Yield : without unrealized gain	8.02%
	with unrealized gain	8.07%
<b>2</b>	<b>Policyholders Fund</b>	
	<b>(a) Non linked</b>	
	Interest	254472.95
	Dividend	23015.77
	Net profit	62328.09
	Rent from Investment Property	559.26
	Interest on Policy Loan	13555.36
	Interest on loan on mortgages	14.18
	Yield : without unrealized gain	8.93%
	with unrealized gain	18.46%

क्रमांक	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
	<b>(बी) संबद्ध (लिंकड)</b>	
	ब्याज	868.49
	लाभांश	258.50
	शुद्ध लाभ	1350.47
	पॉलिसी ऋण पर ब्याज	0.57
	प्राप्ति: अप्राप्त लाभ के बिना अप्राप्त लाभ के साथ	9.71%
		27.31%
3	<b>पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित (CRAC)</b>	
	शुद्ध आय	16.56
	प्राप्ति	7.96%

### 13. प्रबंधन एतद्वारा एक जिम्मेदारी विवरण देता है जो दर्शाता है कि:

- वित्तीय विवरणों की तैयारी में, सामग्री विचलन, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों, सिद्धांतों और नीतियों का पालन किया गया है।
- प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों को अपनाया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में निगम के मामलों की स्थिति और वर्ष के लिए निगम के अधिशेष/लाभ की सही और निष्पक्ष जानकारी दी जा सके;
- निगम की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए; बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)/एलआईसी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन ने पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।
- प्रबंधन ने वित्तीय विवरणों को चालू व्यापार की अवधारणा के आधार पर तैयार किया है;
- प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि संगठन के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली मौजूद है और प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

### 14. व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को किए गए भुगतानों की अनुसूची, जिसमें बीमाकर्ता के निदेशक रुचि रखते हैं, निम्नानुसार है:-

वर्ष के दौरान व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों और संगठनों को किए गए भुगतानों का विवरण, जिनमें निगम के निदेशकों की रुचि है, लेखा नोट्स के नोट संख्या 27 (संबंधित पार्टी प्रकटीकरण) में दिया गया है।

अध्यक्ष

प्रबंध निदेशक

नियुक्त बीमांकक  
एवं कार्यकारी निदेशक (ACTL)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

कार्यकारी निदेशक (निवेश फ्रंट कार्यालय) एवं सी आय ओ

स्थान: मुंबई

दिनांक: 27.05.2024

Sr. No.	Particulars	Amount (₹ in crores)
	<b>(b) Linked</b>	
	Interest	868.49
	Dividend	258.50
	Net profit	1350.47
	Interest on Policy Loan	0.57
	Yield : without unrealized gain	9.71%
	with unrealized gain	27.31%
3	CRAC Business	
	Net income	16.56
	Yield	7.96%

### 13. THE MANAGEMENT HEREBY GIVES A RESPONSIBILITY STATEMENT INDICATING THAT:-

- In the preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies have been followed along with proper explanations relating to material departures, if any;
- The management has adopted accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true & fair view of the state of affairs of the Corporation at the end of the Financial Year and of Surplus/ profit of the Corporation for the year;
- The management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)/LIC Act, 1956, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act 2015, for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- The Management has prepared the financial statements on a going concern basis;
- The Management has ensured that an Internal Audit System commensurate with the size of the organization and nature of business exists and is operating effectively.

### 14. A SCHEDULE OF PAYMENTS, WHICH HAVE BEEN MADE TO INDIVIDUALS, FIRMS, COMPANIES AND ORGANIZATIONS, IN WHICH DIRECTORS OF THE INSURER ARE INTERESTED, IS AS UNDER:-

The details of payments made during the year to individuals, firms, companies and organizations in which directors of the Corporation are interested are given in note no. 27 (Related Party Disclosure) of Notes to Accounts.

**CHAIRPERSON**

**MANAGING DIRECTOR**

**APPOINTED ACTUARY  
& EXECUTIVE DIRECTOR (ACTL)**

**CHIEF FINANCIAL OFFICER**

**EXECUTIVE DIRECTOR (INV FO) & CIO**

**Place: Mumbai**

**Date: 27.05.2024**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध व्यवसाय (योजना अनुसार) से संबंधित वित्तीय विवरण एवं प्रकटीकरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध व्यवसाय (योजना अनुसार) से संबंधित निम्नलिखित जानकारी हमारी वेबसाइट [www.licindia.in/annual-reports](http://www.licindia.in/annual-reports) पर ई-प्रारूप में उपलब्ध है

1. अनुसूचियों के साथ वित्तीय विवरण (योजना अनुसार)
2. संबद्ध व्यवसाय से संबंधित प्रकटीकरण

**Financial Statements and Disclosures in respect of Linked Business (Plan wise) for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2024**

**Following information related to Linked Business (Plan wise) for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2024 is available in e-format on our web-site [www.licindia.in/annual-reports](http://www.licindia.in/annual-reports)**

1. **Financial Statements along with the Schedules (Plan wise)**
2. **Disclosures in respect of Linked Business**

31 मार्च, 2024 को समाप्त  
वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण

**Consolidated Financial Statements  
For the year ended 31<sup>st</sup> March, 2024**

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

## समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

के सदस्यों के लिए  
भारतीय जीवन बीमा निगम

### राय

- हमने भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद निगम के रूप में संदर्भित), इसकी सहायक कंपनियों और इसके सहयोगियों (निगम, इसकी सहायक कंपनियों और इसके सहयोगियों को एक साथ समूह के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक समेकित तुलन-पत्र, समेकित राजस्व खाता (जिसे “पॉलिसीधारक खाता” या “तकनीकी खाता” भी कहा जाता है), समेकित लाभ और हानि खाता (जिसे “शेयरधारक खाता” या “गैर-तकनीकी खाता”) और उस वर्ष के लिए समेकित प्राप्तियां और भुगतान खाता (जिसे “नकदी प्रवाह विवरण” भी कहा जाता है), और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ, इसके साथ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का एक सारांश संलग्न है। (इसके बाद उसे “समेकित वित्तीय विवरण” के रूप में संदर्भित) किया जाएगा, जिसमें निम्न शामिल हैं:
  - हमारे द्वारा ऑडिट किए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मण्डल कार्यालय, 78 पेंशन और समूह योजनाओं की इकाइयाँ शामिल हैं, जो निगम द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की जाती हैं। मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम और फिजी शाखाओं के रिटर्न, उनके संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए।
  - दो भारतीय सहायक, दो विदेशी सहायकों और छह सहयोगियों का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है।
  - तीन विदेशी सहायकों का अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण जिन्हें प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और निगम के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर, सहायक कंपनियों और सहयोगियों के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं - जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 (“एलआईसी अधिनियम”), संशोधित, बीमा अधिनियम, 1938 (“बीमा अधिनियम”), बीमा नियामक और विकास अधिनियम, 1999 (“आईआरडीए अधिनियम”), बीमा नियामक और विकास की आवश्यकताएं प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 (“विनियम”), जिसमें भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (“आईआरडीएआई”), और कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) द्वारा जारी आदेश / निर्देश / परिपत्र शामिल हैं। लागू सीमा तक और आवश्यक तरीके से, और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के सम्बन्ध एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं
  - समेकित तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2024 तक निगम के मामलों की स्थिति;
  - समेकित राजस्व खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष;
  - समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का; तथा
  - समेकित प्राप्तियों और भुगतान खाते के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और भुगतानों का।

### राय के लिए आधार

- हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (“एसएस”) के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं जो आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और इन आवश्यकताओं के अनुसार अन्य नैतिक उत्तरदायित्व हमने अपना पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

# INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

## on Consolidated Financial Statements of Life Insurance Corporation of India

To The Members of  
Life Insurance Corporation of India

### Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Life Insurance Corporation of India (hereinafter referred as "the Corporation") ("the Parent") and its subsidiaries and associates (the Parent, its subsidiaries and associates together referred to as "the Group") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2024, the Consolidated Revenue Account (also called the "Policyholders' Account" or the "Technical Account"), Consolidated Profit and Loss Account (also called the "Shareholders' Account" or the "Non - Technical Account") and the Consolidated Receipts and Payments Account (also called as the "Cash Flow Statement") for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto (hereafter referred to as "Consolidated Financial Statements"), which includes:
  - a) The standalone financial statements of the Parent audited by us, include returns of 8 Zonal Offices, 113 Divisional Offices, 78 units of Pension and Group Schemes, which are audited by other auditors appointed by the Corporation; the returns of Mauritius, United Kingdom and Fiji branches, audited by their respective local auditors.
  - b) The audited financial statements of 2 Indian subsidiaries, 2 foreign subsidiaries and 6 associates, which have been audited by other auditors.
  - c) The unaudited financial statements of 3 foreign subsidiaries which have been certified by the management.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the audited standalone financial statements of the Corporation, separate audited/certified financial statements of the subsidiaries and associates, the Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with the requirements of Life Insurance Corporation Act 1956 ("LIC Act"), as amended, the Insurance Act, 1938 (the "Insurance Act"), Insurance Regulatory and Development Act, 1999 (the "IRDA Act"), Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 (the "Regulations"), including orders / directions / circulars issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI"), and the Companies Act, 2013 ("the Act") to the extent applicable and in the manner so required, and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, as applicable to insurance companies:

- a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2024;
- b) in the case of the Consolidated Revenue Account, of the net surplus for the year ended on that date;
- c) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
- d) in the case of the Consolidated Receipts and Payments Account, of the receipts and payments for the year ended on that date.

### Basis of Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in India in terms of the Code of Ethics issued by ICAI and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### 3. प्रसंग पर ज़ोर

हम अनुसूची 15A(B) के अन्दर निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क. नोट नं. 19 से संबंधित – वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर्मचारियों को नए पेंशन विकल्प के कारण उत्पन्न होने वाले ₹ 11,124.66 करोड़ के अतिरिक्त योगदान के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अवधि में देयता प्रदान की जा रही है। अपेक्षित अनुमोदन दिनांक 6 जुलाई, 2020 तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व खाते में ₹ 2,224.94 करोड़ की शेष राशि चार्ज की गई है।
- ख. नोट नं. 20 से संबंधित – एलआईसी (कर्मचारी) पेंशन नियम 1995 में संशोधन के कारण पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के लिए ₹ 11,959.52 करोड़ के कुल अतिरिक्त योगदान में से, निगम ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 2,679.15 करोड़ की राशि पहले ही प्रदान कर दी थी। 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान निगम द्वारा प्राप्त अनुमोदन के बाद, ₹ 9,280.37 करोड़ की शेष देनदारी को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाली 20 तिमाहियों में ₹ 464.02 करोड़ प्रति तिमाही के हिसाब से परिशोधित किया जा रहा है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व खाते में ₹ 464.02 करोड़ की राशि चार्ज की गई है। ₹ 8,352.33 करोड़ की शेष राशि वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक अगली तिमाहियों में परिशोधित की जाएगी।
- ग. नोट नं. 21 से संबंधित – वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय से संबंधित पार खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि शेयरधारकों के खाते से वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होने वाली तीन से अधिक नहीं की समान वार्षिक किस्तों में भरी जाएगी। निगम ने अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है।
- घ. नोट नं. 22 से संबंधित – निगम के कर्मचारियों को वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त पेंशन देनदारी ₹ 6,306.29 करोड़ है। इसमें से, वित्त वर्ष 2023-2024 में संबंधित खंडों में ₹ 829.19 करोड़ की पहचान की गई है और पार खंड से संबंधित ₹ 5,477.10 करोड़ की शेष राशि वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले तीन साल से अधिक नहीं की अवधि में शेयरधारकों के खाते से ली जाएगी। निगम ने अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है।
- ड. नोट नं. 23 से संबंधित – निगम ने गैर-भागीदारी पॉलिसीधारक खाते से शेयरधारकों के खाते में उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन की अभिवृद्धि से संबंधित राशि के हस्तांतरण के संबंध में सितंबर, 2022 में अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया था और तदनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 27,240.75 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹ 29,518.75 करोड़ (शुद्ध कर) हस्तांतरित किया गया, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही से संबंधित ₹ 4,542.31 करोड़ की राशि शामिल थी।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

### प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

4. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में नीचे दिए गए मामले को निर्धारित किया है।

#### प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

**निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन (31.03.2024: ₹ 49,75,514.19 करोड़) (जैसाकि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के ऑडिट पर रिपोर्ट से पुनरुत्थापित)**

(वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 8ए और 8बी देखें। लेखा नीति के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 15ए(ए)6 देखें।)

निगम के निवेश पोर्टफोलियो को संबद्ध और गैर-संबद्ध (लिंक्ड और नॉन-लिंक्ड) में विभाजित किया गया है। निवेश पोर्टफोलियो निगम की कुल संपत्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

#### हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की हैं:

- निवेश के उचित वर्गीकरण और मूल्यांकन/हानि को सुनिश्चित करने के लिए निगम की प्रक्रिया और प्रक्रियाओं और परीक्षण नियंत्रणों को समझा।
- नमूना आधार पर निवेशों की जांच की गई रिकॉर्डिंग और निवेशों का सत्यापित वर्गीकरण और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश विनियमों और नीतियों का अनुपालन

### 3. Emphasis of Matter:

We invite attention to the following notes under Schedule 15A(B):

- a) Note No. 19 regarding the liability on account of additional contribution of ₹ 11,124.66 crore arising due to fresh pension option to employees in the financial year 2019-20 is being provided over a period of five years commencing from the financial year 2019-20 in accordance with the requisite approval dated July 6, 2020. Accordingly, the remaining amount of ₹ 2,224.94 crore has been charged to Revenue Account for the year ended March 31, 2024.
- b) Note No. 20 regarding, total additional contribution of ₹ 11,959.52 crore towards increase in family pension due to amendment in LIC (Employees) Pension Rules 1995, out of which, the Corporation had already provided an amount of ₹ 2,679.15 crore during the quarter ended September 30, 2023. Pursuant to the approval received by the Corporation during the quarter ended December 31, 2023, the remaining liability of ₹ 9,280.37 crore is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹ 464.02 crore per quarter. Accordingly, an amount of ₹ 464.02 crore has been charged to Revenue Account for the quarter ended March 31, 2024. The balance amount of ₹ 8,352.33 crore shall be amortised over the subsequent quarters upto Q2 of the FY 2028-29.
- c) Note No. 21 regarding an amount of ₹ 7,230.09 crore in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 shall be replenished from Shareholders' account in equal annual instalments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. The Corporation has obtained the requisite approval.
- d) Note No. 22 regarding additional pension liability due to wage revision to employees of the Corporation amounting to ₹ 6,306.29 crore. Out of this, ₹ 829.19 crore has been recognized in the FY 2023-2024 in the respective segments and balance amount of ₹ 5,477.10 crore pertaining to Par segment shall be charged to the Shareholders account over a period of not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. The Corporation has obtained the requisite approval.
- e) Note No. 23 regarding the change in accounting policy in September, 2022 with respect to transfer of amount pertaining to the accretion of the available solvency margin from Non-Participating Policyholders account to Shareholders account and resultant transfer of total amount of ₹ 29,518.75 crore (net of tax) in the financial year 2023-24 compared to ₹ 27,240.75 crore in the FY 2022-23, which included an amount of ₹ 4,542.31 crore pertaining to the quarter ended March 31, 2022.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

### Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matter below to be the key audit matter to be communicated in our report.

Key audit matters	How our audit addressed the key audit matters
<p><b>Classification and Valuation of Investments (31.03.2024: ₹ 49,75,514.19 crore (as reproduced from the report on the audit of the Standalone Financial Statements)</b></p> <p>(Refer Schedule 8, 8A and 8B of the standalone financial statements. Refer schedule 15A(A)6 to the standalone financial statements for accounting policy.)</p> <p>The Corporation's investment portfolio is bifurcated into linked and non-linked. The investment portfolio forms significant portion of the total assets of the Corporation.</p>	<p>We have carried out the following key audit procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Understood the Corporation's process and procedures and tested controls to ensure proper classification and valuation / impairment of investments.</li> <li>• Tested recording of investments on sample basis and verified classification of investments and compliance with Investment Regulations and policies approved by Board of Directors of the Corporation.</li> </ul>

## प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

जैसा कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ("IRDAI") द्वारा निर्धारित किया गया है, सभी निवेश भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश विनियम, 2016) (निवेश विनियम) और निगम के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार होने चाहिए।

साथ ही, सभी निवेशों का मूल्यांकन निवेश विनियमों में निर्धारित अनुसार किया जाना चाहिए जो निवेश के प्रत्येक वर्ग के लिए अपनाई जाने वाली मूल्यांकन पद्धति को निर्धारित करते हैं।

गैर-सूचीबद्ध या सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, ऐतिहासिक लागत पर कमी/नुकसान के प्रावधान को कम करके मापा जाता है, जिसमें प्रबंधन निर्णय और अनुमान शामिल होता है।

इसके अलावा, निवेशिती कंपनी की रेटिंग के पुनर्मूल्यांकन के कारण, निवेश विनियमों और/या निगम की आंतरिक नीतियों को ध्यान में रखते हुए निवेश के पुनर्वर्गीकरण और इसके मूल्यांकन/हानि पर परिणामी प्रभाव की आवश्यकता हो सकती है।

इसलिए, निवेशों का मूल्यांकन उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिन पर हमारे महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता थी और वित्तीय विवरणों में निवेश के कुल मूल्य की भौतिकता के कारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों में से एक था।

**उचित अवधि में राजस्व मान्यता के समय की उपयुक्तता**

**(जैसा कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के ऑडिट पर रिपोर्ट से पुनरुत्पादन)**  
स्टैंड अलोन का राजस्व खाता देखें।

वर्ष के दौरान, निगम ने ₹ 4,75,069.58 करोड़ के शुद्ध प्रीमियम राजस्व को मान्यता दी है।

वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (तुलन-पत्रडेट पर कट-ऑफ सहित) के दौरान राजस्व की महत्वपूर्ण केंद्रीकरण के कारण हमने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है।

उद्योग की प्रकृति के कारण, राजस्व तुलन-पत्र की तारीख की ओर झुका हुआ है। इसलिए, संभावना है कि अगले वित्तीय वर्ष की पॉलिसी बिक्री का लेखा वर्तमान अवधि में किया जाए।

## हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

- प्रतिभूतियों का मूल्यांकन यह जांचने के लिए कि क्या यह निवेश विनियमों और निगम की लेखा नीतियों के अनुसार है।
- परीक्षण की गई हानि/प्रतिभूतियों का प्रावधान (रिवर्सल सहित), जो देखा गया है और निवेश विनियमों और निगम की हानि नीतियों के अनुसार हैं।
- गैर-सूचीबद्ध और सक्रिय रूप से व्यापार किए गए निवेशों के अलावा, हमने निगम की मूल्यांकन पद्धति और मान्यताओं का मूल्यांकन किया और इन्हें निवेश विनियमों और निगम की आंतरिक नीतियों के साथ पुष्टि की, जिसमें हानि से संबंधित भी शामिल हैं।
- निवेशिती कंपनी की रेटिंग में किसी भी बदलाव के लिए, हमने निवेश विनियमों के साथ निगम के मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए निगम की आंतरिक नीतियों की जांच की।
- हमने निवेश पर उपलब्ध समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों का अध्ययन किया है।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि निवेशों को उचित रूप से वर्गीकृत या मूल्यांकित नहीं किया गया था।

## हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- राजस्व की मान्यता से संबंधित प्रक्रिया और नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा और मूल्यांकन किया।
- प्रमुख नियंत्रणों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि राजस्व सही लेखा अवधि में अर्जित है या नहीं।
- वर्ष के अंत में नीतियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया गया ताकि पुष्टि की जा सके कि नीति की शर्तों की स्वीकार्यता के संबंध में संबंधित प्रक्रियात्मक अनुपालन वर्ष के अंत से पहले पूरा किया गया था ताकि राजस्व का उचित लेखा-जोखा सुनिश्चित किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी जहां तुलन पत्र (तुलन-पत्र) से पहले जोखिम शुरू हुआ था लेकिन राजस्व को मान्यता नहीं दी गई थी, नमूना आधार पर बिना आवंटित प्रीमियम / प्रस्ताव जमा / प्रीमियम जमा पर परीक्षण किया गया।

किए गए कार्य के आधार पर, हमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं मिला जो यह बताता हो कि राजस्व की पहचान सही अवधि में नहीं की गई है।

## Key audit matters

As prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (the "IRDAI"), all investments should be in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Investment Regulations, 2016) (the "Investment Regulations") and policies approved by Board of Directors of the Corporation.

Also, all investments should be valued as prescribed in the Investment Regulations which prescribe the valuation methodology to be adopted for each class of investments.

The unlisted or other than actively traded investments are measured at historical cost less provision for diminution/impairment, which involves management judgement and estimate.

Further, due to the reassessment of the investee company's rating, there could be a need for reclassification of investment and consequent impact on its valuation / impairment keeping in view the Investment Regulations and/ or Corporation's internal policies.

Hence, the valuation of investments was considered to be one of the areas which required our significant attention and was one of the key audit matters due to the materiality of total value of investments to the financial statements.

### Appropriateness of the Timing of Revenue Recognition in the proper period

(as reproduced from the report on the audit of the Standalone Financial Statements)

Refer Revenue Account of the standalone financial statements.

During the year, the Corporation has recognised net premium revenue of ₹ 4,75,069.58 crore.

We have focused on this area because of the significant concentration of revenue during the last quarter of financial year (including cut-off at the Balance sheet date). Due to the nature of the industry, revenue is skewed towards the balance sheet date. Hence, there is possibility that policy sales of the next financial year are accounted in the current period.

## How our audit addressed the key audit matters

- Assessed valuation of securities to examine whether the same is in accordance with the Investment Regulations and Corporation's accounting policies.
- Tested impairment/provision of securities (including reversal), which have been observed and are in accordance with the Investment Regulations and Corporation's impairment policies.
- In respect of unlisted and other than actively traded investments, we evaluated the Corporation's valuation methodology and assumptions and corroborated these with Investment Regulations and Corporation's internal policies including those related to impairment.
- For any changes in ratings of the investee company, we examined the Corporation's assessment with the Investment Regulations and Corporation's internal policies for reclassification and valuation.
- We have perused the available concurrent audit reports on investments.

Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which indicates that the investments were not properly classified or valued.

### Our procedures included the following:

- Understood and evaluated the design and operating effectiveness of process and controls relating to recognition of revenue.
- Testing of key controls for ensuring that the revenue has been accrued in the correct accounting period.
- Tested on a sample basis the policies at the year end to confirm if related procedural compliances with regard to acceptability of the terms of policy were completed before the year end to ensure appropriate accounting of revenue.
- Tested on a sample basis unallocated premium / proposal deposit / premium deposit to ensure that there were no policies where risk commenced prior to balance sheet but revenue was not recognised.

Based on the work carried out, we did not come across any significant matter which indicates that the revenue recognition is not accounted in the correct period.

## प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

आयकर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताएं

(जैसा कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण के ऑडिट पर रिपोर्ट से पुनरुत्पादन)

वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 15(ए) के नोट बी(1) का संदर्भ लें। निगम को आयकर से संबंधित मामलों के संबंध में कर अधिकारियों से विभिन्न मांग नोटिस (ज्यादातर उद्योग विशिष्ट) प्राप्त हुए हैं।

उक्त मामले मुख्य रूप से भौतिक राशियों से संबंधित हैं जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं।

प्रबंधन ने अपने विशेषज्ञ की मदद से, आवश्यकतानुसार, एक दायित्व उत्पन्न होने की संभावना से संबंधित निर्णय लिया है और क्या किसी प्रावधान को पहचानने या आकस्मिक दायित्व का खुलासा करने की आवश्यकता है।

हमने इस क्षेत्र पर अनिश्चितता, मूल्यांकन के लिए प्रबंधन के निर्णय के उपयोग और वित्तीय विवरणों पर संभावित सामग्री प्रभाव के परिणामस्वरूप ध्यान केंद्रित किया।

## हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया

हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- कर मुकदमों के निर्धारण के लिए प्रबंधन की प्रक्रिया और नियंत्रण को समझा और उसका उचित हिसाब-किताब और प्रकटीकरण किया।
- निगम के कानूनी सलाहकार और इन-हाउस टैक्स विशेषज्ञों के साथ लंबित मामलों पर चर्चा की।
- कर मामलों की वर्तमान स्थिति की समझ हासिल करने के लिए प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन किया और यह स्थापित करने के लिए विवादों की निगरानी कि कर प्रावधान नवीनतम बाहरी विकास को दर्शाते हैं।

किए गए कार्य के आधार पर, आयकर से संबंधित कुछ मामलों से संबंधित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने 31 मार्च, 2024 को आकस्मिक देनदारियों के प्रावधान और प्रकटीकरण की सीमा को उचित होने के लिए निर्धारित किया।

## समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. अन्य जानकारी के लिए निगम का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी जब वह उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई भौतिक गलत कथन है, तो हम इस मामले को संबंधित प्रशासन को अवगत करवाएंगे।

## समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी और उन पर शासन का आरोप लगाया गया है

6. निगम के सदस्यों का बोर्ड एलआईसी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, ताकि वे समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन का एक सही और निष्पक्ष दृश्य दे सकें। और समूह की समेकित प्राप्तियां और भुगतान, भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, एलआईसी अधिनियम के प्रावधानों सहित, संशोधित बीमा अधिनियम, आईआरडीए अधिनियम के साथ पठित बीमा अधिनियम, इस में आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियम, आदेश/निर्देश कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, लागू सीमा तक और आवश्यक तरीके से। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिसका उपयोग निगम के सदस्यों के बोर्ड द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

## Key audit matters

## How our audit addressed the key audit matters

### Contingencies relating to certain matters pertaining to Income Tax

#### (as reproduced from the report on the audit of the Standalone Financial Statements)

Refer note no. B(1) of schedule 15(A) to the standalone financial statements.

The Corporation has received various demand notices (mostly industry specific) from the tax authorities in respect of matters relating to Income Tax.

The said matters mainly involving material amounts are pending before Supreme Court and High Courts.

The management with the help of its expert, as needed, have made judgments relating to the likelihood of an obligation arising and whether there is a need to recognise a provision or disclose a contingent liability. We focused on this area as a result of uncertainty, use of management's judgement for assessment and potential material impact on the financial statements.

### Our procedures included the following:

- Understood Management's process and control for determining tax litigations and its appropriate accounting and disclosure.
- Discussed pending matters with the Corporation's legal counsel and in-house tax experts.
- Assessed management's conclusions to gain an understanding of the current status of the tax cases and monitoring of changes in disputes to establish that the tax provisions reflect the latest external developments.

Based on the work performed, in view of the contingencies relating to certain matters pertaining to Income Tax, we determined the extent of provisioning and disclosure of contingent liabilities as at March 31, 2024 to be reasonable.

## Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Corporation's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we will communicate the matter to those charged with governance.

## Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

6. The Corporation's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements in terms of the requirements of the LIC Act, as amended, so that they give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated receipts and payments of the Group, in accordance with accounting principles generally accepted in India including the provisions of the LIC Act, as amended, the Insurance Act read with the IRDA Act, the Regulations, order/ directions issued by the IRDAI in this regard and in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act to the extent applicable and in the manner so required. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Board of Directors of the Corporation, as aforesaid.

7. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की निगम की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और चालू प्रतिष्ठान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो निगम को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद कर दें, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।
8. समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल ऐसी प्रत्येक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

#### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां।

9. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसे के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, वयक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।
10. एसे के अनुसार लेखा परीक्षा (ऑडिट) के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:
  - समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिमकिसी त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिमों से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
  - परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के प्रति समझ पैदा करें।
  - उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
  - लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो निगम की एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण निगम एक चालू चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
  - प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
  - समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए प्रभागों/शाखाओं/इकाइयों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल डिवीजनों/शाखाओं/इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य प्रभागों/शाखाओं/इकाइयों के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम समेकित वित्तीय विवरण पर अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

7. In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of each such company to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate such company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
8. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of each such company.

#### **Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

9. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.
10. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
  - Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
  - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
  - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
  - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
  - Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
  - Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. For all the entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion on Consolidated financial Statement.

11. हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में प्रत्येक वे महत्वपूर्ण कमियां भी आती शामिल हैं जिनका हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पता लगाते हैं।
12. हम शासन के प्रभारी लोगों को भी इस आशय का विवरण प्रदान करते हैं हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जिन्हें हमारे स्वतंत्रता संबंधी सुरक्षा उपायों, जहाँ भी आवश्यक हो, के लिए उचित माना जा सकता है।
13. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इन मामलों के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को हमें रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हमें यह लगे कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

### अन्य मामले

14. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन निगम के नियुक्त बीमांकक (नियुक्त बीमांकक) की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन 31 मार्च, 2024 तक देयता मौजूद है, के लिए इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई/ प्राधिकरण) और भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा प्राधिकरण के साथ सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि लागू जीवन पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए देयताओं के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाई जा सके जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता मौजूद है, जैसा कि निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों / सूचनाओं में निहित है।
15. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल और समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली 3 विदेशी शाखाओं (यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस और फिजी) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना, 31 मार्च, 2024 तक कुल ₹ 5,062.41 करोड़ की कुल संपत्ति, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 730.15 करोड़ का राजस्व और ₹ 5.16 करोड़ का कुल घाटा दर्शाती है। समेकित वित्तीय परिणामों पर हमारी राय, जहां तक यह इन 3 विदेशी शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
16. समेकित वित्तीय तैयार करने के लिए उपयोग किए गए निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों में शामिल 8 क्षेत्रीय कार्यालय, 113 मंडल कार्यालयों (डीओ) (उसके अंतर्गत शाखाओं सहित) और पेंशन और समूह योजनाओं (पी एंड जीएस) की 78 इकाइयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं जिनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना, मंडलीय/शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कर दी गई है, की लेखापरीक्षा नहीं की, और जहां तक यह संभागों/शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित हमारी राय है, यह पूरी तरह से ऐसे मंडलीय/शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।  
अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में कुल संपत्ति और कुल राजस्व की जानकारी अलग से संकलित नहीं की जाती है क्योंकि डिवीजनों को प्रत्येक शाखा का केवल ट्रायल बैलेंस प्राप्त होता है जिसे मंडल स्तर पर और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर समेकित किया जाता है।
17. समेकित वित्तीय विवरणों में 2 भारतीय सहायकी, 2 विदेशी सहायकी, 6 सहयोगियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/सूचना शामिल की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी सहायक कंपनियों की वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरण कुल संपत्ति ₹ 22,045.75 करोड़, कुल राजस्व ₹ 3,261.16 करोड़ और शुद्ध लाभ (कर के बाद) ₹ 310.49 करोड़ को दर्शाते हैं और सहयोगियों के मामले में, समूह का कुल शुद्ध लाभ का हिस्सा ₹ 4,102.56 करोड़ समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, जिनका लेखा-परीक्षा की जाती है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

11. We communicate with those charged with governance of the Corporation regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
12. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
13. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

### Other Matters

14. The actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary (the "Appointed Actuary"). The actuarial valuation of these liabilities for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2024 has been duly certified by the Appointed Actuary and in his opinion, the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)/ "Authority" and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Authority. We have relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities for lifepolicies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists, as contained in the standalone financial statements / information of the Corporation.
15. The audited financial statements / information of the 3 foreign branches (United Kingdom, Mauritius and Fiji) included in the standalone financial statements and used for preparation of consolidated financial results reflect total assets of ₹ 5,062.41 crores as at March 31, 2024 total revenue of ₹ 730.15 crores and net loss of ₹ 5.16 crores for the year ended March 31, 2024. Our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these 3 foreign branches is based solely on report of such other auditors.
16. We did not audit the financial statements / information of 8 Zonal Offices, 113 Divisional Offices (DO) (including branches there under) and 78 units of Pension & Group Schemes (P&GS) included in the standalone financial statements of the Corporation, whose audited financial statements / information, have been audited by the zonal / divisional auditors, whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of zones / divisions / branches, is based solely on the report of such zonal/ divisional auditors.  
  
The information of total assets and total revenue in respect of the branches are not separately compiled as the divisions receive only trial balances of each branch which are consolidated at division level and thereafter at zonal level.
17. The audited financial statements / information of 2 Indian subsidiaries, 2 foreign subsidiaries, and financial information of 6 associates have been included in the consolidated financial statements. The financial information/ financial statements of such subsidiaries included in the consolidated financial statements reflect total assets of ₹ 22,045.75 crore, total revenue of ₹ 3,261.16 crore and total net profit (after tax) of ₹ 310.49 crore and in case of associates, the Group's share of total net profit of ₹ 4,102.56 crore as included in the Consolidated Financial Statements. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the above subsidiaries and associates is based on report of such other auditors.

18. समेकित वित्तीय विवरणों में 3 विदेशी सहायक कंपनियों की अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी शामिल की गई है। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी सहायक कंपनियों की वित्तीय जानकारी ₹ 520.05 करोड़ की कुल संपत्ति ₹ 176.50 करोड़ का कुल राजस्व और ₹ 32.68 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्शाती है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित है, केवल ऐसी वित्तीय जानकारी पर आधारित है जो हमें दी गई है और निगम के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह वित्तीय विवरण गैर लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों के जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

19. लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2024 तक मौजूद है, निगम के नियुक्त बीमांकिक (“नियुक्त बीमांकिक”) का उत्तरदायित्व है। नियुक्त बीमांकिक ने देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन और लागू जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के संबंध में विधिवत प्रमाणित किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2024 तक मौजूद है और उनकी राय में इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। हमने इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाणपत्र पर देनदारियों के मूल्यांकन पर अपनी राय बनाने के लिए और जीवन नीतियों के लिए भविष्य के विनियोग के लिए निधि और उन नीतियों के लिए भरोसा किया है जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन निगम के वित्तीय विवरणों में देयता मौजूद है।

20 इसके अलावा, जैसा कि आईआरडीए विनियमों के विनियम 3 की अनुसूची सी के तहत आवश्यक है और एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 25 बी की उप धारा (3) के तहत भी आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि;

- i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ii. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
- iii. हमारी राय में क्षेत्रीय, मण्डल कार्यालयों और शाखाओं की उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं और उन्हें लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाया गया है;
- iv. इस रिपोर्ट द्वारा दिये गए तुलन पत्र, राजस्व खाते, लाभ और हानि खाता और प्राप्ति और भुगतान खाता, लेखा पुस्तकों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
- v. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निवेशों का मूल्यांकन बीमा अधिनियम, विनियमों और इस संबंध में आईआरडीए द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है;
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां उपयुक्त हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लागू लेखा मानकों के अनुपालन में हैं, उस सीमा तक जहाँ तक आईआरडीए विनियमों में निर्धारित लेखांकन सिद्धांतों और द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों / इस संबंध में आईआरडीए परिपत्रों के साथ ये असंगत नहीं हैं।
- vii. एलआईसी अधिनियम (संशोधित) की धारा 4ए के खंड (i) के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।
- viii. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है;
- ix. निगम के पास वित्तीय विवरणों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वे 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय के लिए हमारी अलग रिपोर्ट **अनुलग्नक ए** के रूप में देखें।

18. The unaudited financial statements / information of 3 foreign subsidiaries have been included in the consolidated financial statements. The financial information of such subsidiaries included in the consolidated financial statements reflect total assets of ₹ 520.05 crores, total revenue of ₹ 176.50 crores and net loss of ₹ 32.68 crores. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries are based solely on such financial information as furnished to us and certified by the management of the Corporation. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, this financial statements / information of unaudited subsidiaries are not material to the Group.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

19. The Actuarial Valuation of liabilities for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2024 is the responsibility of the Corporation's appointed actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at March 31, 2024 and in his opinion the assumptions for such valuation are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the Insurance Regulatory and Development Authority of India. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate in this regard for forming our opinion on the valuation of liabilities and the fund for future appropriation for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists in the standalone financial statements of the Corporation.
20. Further, as required under the Schedule C of Regulation 3 of IRDA Regulations and also as required under sub section (3) of Section 25B to the LIC Act (as amended) we report that;
- We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
  - In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account as required by law have been maintained by the Corporation so far as it appears from our examination of those books;
  - In our opinion proper returns of zones / divisional offices and branches have been received and found them adequate for the purpose of audit;
  - The Balance sheet, Revenue account, Profit and Loss account and the Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
  - In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act, Regulations and orders / directions issued by IRDA in this behalf;
  - In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounting policies adopted by the Corporation are appropriate and are in compliance with the applicable accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent not inconsistent with the accounting principles prescribed in the IRDA Regulations and orders / directions / circulars issued by IRDA in this regard.
  - No directors are disqualified as per clause (i) of section 4A of the LIC Act (as amended).
  - There are no qualification or adverse remarks relating to maintenance of accounts and matters connected therewith;
  - With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A".

- x. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- क) निगम ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है।
- ख) समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे, जिनके लिए कोई भी सामग्री के लिए कोई नुकसान हुआ था।
- ग) निगम, इसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित इसके सहयोगियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।
- घ) i. निगम के संबंधित प्रबंधन, इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों, जो भारत में निगमित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत ऑडिट किया गया है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के अन्य लेखा परीक्षकों को, उनकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, प्रतिनिधित्व किया है। और विश्वास, जैसा कि खातों के नोट्स में बताया गया है, निगम या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी द्वारा कोई धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) और कंपनियों को विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) के साथ संबद्ध करना, समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या व्यक्तियों या संस्थाओं की किसी भी तरह से पहचान की गई हो (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उनकी ओर से निगम या ऐसी कोई सहायक कंपनी और सहयोगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करते हैं।
- ii. निगम के संबंधित प्रबंधन, इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों, जो भारत में निगमित हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के तहत ऑडिट किया गया है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के अन्य लेखा परीक्षकों को, उनकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, प्रतिनिधित्व किया है। और विश्वास, जैसा कि खातों के नोट्स में बताया गया है, निगम या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी और सहयोगियों द्वारा विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई (ओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। यह समझ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि निगम या ऐसी कोई भी सहायक कंपनी और सहयोगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को उधार देंगे या निवेश करेंगे। अंतिम लाभार्थियों की ओर से पार्टी या कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।
- iii. ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमारे द्वारा निष्पादित परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है और सहायक कंपनियों और सहयोगियों के लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए हैं, जो भारत में शामिल हैं, जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत ऑडिट किए गए हैं, कुछ भी नहीं आया है हमारे या अन्य लेखा परीक्षकों के नोटिस ने हमें या अन्य लेखा परीक्षकों को यह विश्वास दिलाया है कि उपरोक्त उप-खंड (डी) (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- ड) i. पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष के दौरान निगम द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है। जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 46 में कहा गया है, निगम के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।
- ii. भारत में निगमित 2 सहायक कंपनियों और 6 सहयोगियों के संबंध में, उनके लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट दी है कि संबंधित सहायक कंपनियों / सहयोगियों ने पिछले वर्ष में प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया है जो कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।
- च) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 11(g) का प्रावधान, लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता बही बनाए रखने के लिए है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो 1 अप्रैल, 2023 से निगम पर लागू है। हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, निगम ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की सुविधा है और संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है, सिवाय इसके कि:

- x. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the report of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries and associates:
- a) the Consolidated Financial Statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group and its associates.
  - b) the Group did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
  - c) there has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation, its subsidiaries and its associates incorporated in India.
  - d)
    - i. The respective Management of the Corporation, its subsidiaries and associates, which are incorporated in India, whose Financial Statements have been audited under the Act, have represented to us and to the other auditors of such subsidiaries and associates that, to the best of their knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Corporation or any of such subsidiary companies and associate companies to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries), with the understanding, whether recorded in writing or persons or entities identified in any manner whatsoever (Ultimate Beneficiaries) by or on behalf of the Corporation or any of such subsidiary companies and associates or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
    - ii. The respective Management of the Corporation, its subsidiaries and associates, which are incorporated in India, whose Financial Statements have been audited under the Act, have represented to us and to the other auditors of such subsidiaries and associates that, to the best of their knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Corporation or any of such subsidiaries and associates from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Parties), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Corporation or any of such subsidiaries and associates shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever (Ultimate Beneficiary) by or on behalf of the Funding Party or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
    - iii. Based on the audit procedures that has been considered reasonable and appropriate in the circumstances performed by us and those performed by the Auditors of the subsidiaries and associates, which are incorporated in India, whose Financial Statements have been audited under the Act, nothing has come to our or other auditors notice that has caused us or the other auditors to believe that the representations under sub-clause (d) (i) and (ii) above contain any material misstatement.
  - e)
    - i. The final dividend paid by the Corporation during the year in respect of the same declared for the previous year is in accordance with section 123 of the Companies Act 2013 to the extent it applies to payment of dividend. As stated in Note No. 46 to the consolidated financial statements, the Board of Directors of the Corporation have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The dividend declared is in accordance with section 123 of the Act to the extent it applies to declaration of dividend.
    - ii. In respect of 2 subsidiaries and 6 associates incorporated in India, their auditors have reported that the respective subsidiaries / associates have paid the dividend proposed in the previous year which is in accordance with Section 123 of the Companies Act.
  - f) The reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is applicable from April 01, 2023.

Based on our examination which included test checks, the Corporation has used accounting software for maintaining its books of account, which have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same have operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software except that:

- i) DB सर्वर सहित सभी eFeap सर्वर प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट (PAM) के अंतर्गत आते हैं। PAM सिस्टम में निष्पादित सभी कमांड के लॉग कैप्चर और रिकॉर्ड किए जाते हैं। साथ ही डेटाबेस ट्रांजेक्शन लॉग mySQLbinlog के रूप में उपलब्ध है। हालाँकि, प्रदर्शन और स्थान संबंधी समस्याओं के कारण डेटाबेस में ऑडिट ट्रांजेक्शन लॉग सक्षम नहीं है, लेकिन eFeap के ट्रांजेक्शन स्तर के लॉग को संबंधित मॉड्यूल टेबल (इतिहास तालिका) से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही डेटाबेस ट्रांजेक्शन लॉग mySQLbinlog के रूप में उपलब्ध है।
- ii) ePGS के मामले में, प्रदर्शन और स्थान की कमी के कारण डेटाबेस में ऑडिट ट्रांजेक्शन लॉग सक्षम नहीं है। हालाँकि, ऑडिट के लिए आवश्यक डेटा संबंधित मॉड्यूल की हिस्ट्री टेबल में बनाए रखा जाता है। इसके अलावा ऑडिट डेटा को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लॉग, सर्वर लॉग, LB लॉग भी कैप्चर किए जाते हैं। ePGS के ट्रांजेक्शन लेवल लॉग संबंधित मॉड्यूल टेबल से प्राप्त किए जा सकते हैं।

भारत में निगमित एक सहायक कंपनी एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड के मामले में, हम वित्तीय संबंध में जारी 23 अप्रैल 2024 की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खंड 2 (बी) (v) का संदर्भ लेते हैं। जो कि नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए अपने लेखांकन सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल सुविधा लागू नहीं की है।

भारत में निगमित एक सहायक कंपनी, एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड के मामले में, हम 15 मई, 2024 को जारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के पैराग्राफ 7 (i) (जी) (viii) का संदर्भ लेते हैं। वित्तीय विवरण, और यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (टैली प्राइम) का उपयोग किया है, जिसमें सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी। इसलिए, हम कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं।

भारत में निगमित एक सहयोगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मामले में, हम वित्तीय के संबंध में जारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 16 मई, 2024 के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के खंड 2 (viii) (एफ) का संदर्भ लेते हैं। कथन, और यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नीचे उल्लिखित उदाहरणों के लिए परीक्षण जांच शामिल है, कंपनी ने अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह पूरे वर्ष संचालित होती है। (ए) वित्तीय लेखांकन और नियंत्रण, (बी) उधार, (सी) पेट्रोल, पूरे वर्ष और (डी) ऋण उधार से संबंधित खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में आवेदन स्तर पर संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन सॉफ्टवेयर जहां 1 अप्रैल 2023 से 9 सितंबर 2023 की अवधि के लिए, डेटाबेस स्तर पर ऑडिट लॉग सक्षम नहीं किया गया था।

जैसा कि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग की जाती है। रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताएं 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं हैं।

**मेसर्स बटलीबॉय एण्ड पुरोहित**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

क.प.सं.: 101048W

सीए पराग हंगेकर

सदस्यता संख्या: 110096

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 27, 2024

UDIN: 24110096BKCXHQ9540

**चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए विनीत सक्सेना

सदस्यता संख्या: 100770

स्थान: मुंबई

दिनांक: मई 27, 2024

UDIN: 24100770BKCOSL4985

- i) All eFeap servers including DB servers are under Privilege Access Management (PAM). In PAM system logs of all commands executed are captured and recorded. Also database transaction log is available as mySQLbinlog. However, audit transaction log in Database is not enabled due to performance and space issues, but transaction level logs of eFeap can be derived from the relevant module tables (history tables). Also database transaction log is available as mySQLbinlog.
- ii) In case of ePGS, audit transaction log in Database is not enabled due to performance and space constraints. However, data required for audit is maintained in the history table of the respective module. In addition to this the application log, server log, LB logs are also captured to augment the audit data. Transaction level logs of ePGS can be derived from respective module tables.

In case of LIC Pension Fund Limited, a subsidiary incorporated in India, we refer to paragraph 2(B)(v) of Report on other legal and regulatory requirements section of the Independent Auditor's Report dated April 23, 2024 issued in respect of the financial statements, and is reproduced hereunder:

*"Based on our examination, the Company has not implemented the audit trail facility in its accounting software for maintaining its books of account during the current financial year."*

In case of LIC Cards Services Ltd, a subsidiary incorporated in India, we refer to paragraph 7(i)(g)(viii) of Report on other legal and regulatory requirements section of the Independent Auditor's Report dated May 15, 2024 issued in respect of the financial statements, and is reproduced hereunder:

*"Based on our examination, the company has used accounting software (Tally Prime) for maintaining its books of accounts which did not have feature of recording audit trail (edit log) facility throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Hence, we are unable to Report under rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014."*

In case of LIC Housing Finance Limited, an associate incorporated in India, we refer to paragraph 2(viii)(f) of Report on other legal and regulatory requirements section of the Independent Auditor's Report dated May 16, 2024 issued in respect of the financial statements, and is reproduced hereunder:

*"Based on our examination which included test checks for the instances mentioned below, the Company has used accounting softwares for maintaining its books of account, which have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software at application level except in respect of the accounting softwares used for maintaining the books of account relating to a) financial accounting and controlling, b) Borrowings, c) Payroll, throughout the year and d) loan lending software where for the period 1<sup>st</sup> April 2023 to 9<sup>th</sup> September 2023, audit log at database level was not enabled."*

As proviso to rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 1, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of the Audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2024.

**M/s. Batliboi and Purohit**

Chartered Accountants  
FRN: 101048W

CA Parag Hangekar  
Membership No.: 110096

Place: Mumbai  
Date: May 27, 2024  
UDIN: 24110096BKCXHQ9540

**Chokshi & Chokshi LLP**

Chartered Accountants  
FRN: 101872W/W100045

CA Vineet Saxena  
Membership No.: 100770

Place: Mumbai  
Date: May 27, 2024  
UDIN: 24100770BKCOSL4985

## अनुलग्नक – ए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

(सम तिथि के भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 20 (ix) में संदर्भित)

एलआईसी अधिनियम, 1956 (संशोधित) की धारा 25(बी) की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद निगम के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ, हमने समेकित के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है। निगम और उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों (निगम और उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों को एक साथ समूह कहा जाता है) और उसके सहयोगियों के वित्तीय विवरण, जो 31 मार्च, 2024 तक भारत में निगमित कंपनियां हैं।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ('आईसीएआई') संस्थान के द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए निगम प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो निगम की नीतियों के पालन, इसकी सुरक्षा सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। संपत्ति, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि एलआईसी अधिनियम, 1956 (संशोधित) के तहत आवश्यक है।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षा पर मानक, आईसीएआई द्वारा जारी किए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे जाने के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और, दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, निगम की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और निगम की प्राप्ति और व्यय केवल प्रबंधन और निगम के निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) निगम की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

## Annexure A to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 20(ix) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Life Insurance Corporation of India of even date)

### Report on the internal financial controls with reference to the aforesaid Consolidated Financial Statements under Clause (i) of sub-section (3) of Section 25(B) to the LIC Act, 1956 (as amended)

In conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the Life Insurance Corporation of India (hereinafter referred to as "the Corporation") as of and for the year ended March 31, 2024, we have audited the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Corporation and its subsidiaries and associates (Corporation and its subsidiaries and associates together referred to as "the Group") and its associates which are companies incorporated in India as of March 31, 2024.

#### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Management and Board of Directors of the companies included in the Group, which are companies incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

#### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation's internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing prescribed under sub-section (10) of Section 143 of the Act, to the extent applicable to the audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls to these Consolidated Financial Statements of the Corporation, its subsidiaries and associates which are incorporated in India.

#### Meaning of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

The Corporation's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. The Corporation's internal financial control with reference to Consolidated Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Corporation; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Corporation are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Corporation; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Corporation's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक समेकित वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक समेकित वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

### राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, निगम के पास सभी भौतिक मामलों में, समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक समेकित वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक समेकित वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए निगम द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

### अन्य मामला

निगम के इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एलआईसी अधिनियम 1956 (संशोधित) की धारा 25बी की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह 2 सहायक कंपनियों और 6 सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, ऐसी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

मेसर्स बटलीबाँय एण्ड पुरोहित  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
क.प.सं.: 101048W

सीए पराग हंगेकर  
सदस्यता संख्या: 110096

स्थान: मुंबई  
दिनांक: मई 27, 2024  
UDIN: 24110096BKCXHQ9540

चोकशी एण्ड चोकशी एलएलपी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
क.प.सं.: 101872W/W100045

सीए विनीत सक्सेना  
सदस्यता संख्या: 100770

स्थान: मुंबई  
दिनांक: मई 27, 2024  
UDIN: 24100770BKCOSL4985

## Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to these Consolidated Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to these Consolidated Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of reports of other auditors, as referred to in Other Matters paragraph below, the Corporation, its subsidiaries and associates, which are companies incorporated in India have, maintained in all material respects, an adequate internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements and such internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2024, based on the internal financial controls over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

### Other Matter

Our report under Clause (i) of sub section (3) of Section 25B to the LIC Act 1956 (as amended) on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting with reference to these Consolidated Financial Statements of the Corporation, in so far as it relates to separate financial statements of 2 subsidiaries and 6 associates, which are companies incorporated in India, is based on the respective reports of the auditors of such subsidiaries and associates.

#### M/s. Batliboi and Purohit

Chartered Accountants  
FRN: 101048W

CA Parag Hangekar  
Membership No.: 110096

Place: Mumbai  
Date: May 27, 2024  
UDIN: 24110096BKCXHQ9540

#### Chokshi & Chokshi LLP

Chartered Accountants  
FRN: 101872W/W100045

CA Vineet Saxena  
Membership No.: 100770

Place: Mumbai  
Date: May 27, 2024  
UDIN: 24100770BKCOSL4985

फार्म ए-बीएस FORM A - BS

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512	Dated: 01.01.2001
--	--	-------------------

31 मार्च, 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित तुलन पत्र  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF LIC AS AT MARCH 31, 2024**

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS</b>			
शेयरधारकों की निधियाँ: / SHAREHOLDERS' FUNDS:			
शेयर पूँजी / SHARE CAPITAL	5	6,325.00	6,325.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	6	76,614.03	40,102.84
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा / CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		(192.16)	(194.97)
अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) / MINORITY INTEREST (Shareholders)		152.73	117.10
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>82,899.60</b>	<b>46,349.97</b>
उधारी / BORROWINGS	7	0.00	0.00
<b>पॉलिसीधारकों की निधियाँ / POLICYHOLDERS' FUNDS:</b>			
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		6,92,695.38	3,48,297.59
पॉलिसी दायित्व / POLICY LIABILITIES		44,11,597.30	40,68,734.73
अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) / MINORITY INTEREST (Policyholders)		8.67	1.84
बंद पॉलिसियों के लिये निधि / FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES			
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना / Discontinued on account of non payment of premium		393.75	162.79
अन्य / Others		14.11	14.43
बीमा आरक्षितनिधि / INSURANCE RESERVES	6A	28,527.08	25,207.91
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान / PROVISION FOR LINKED LIABILITIES		34,901.53	26,178.93
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>51,68,137.82</b>	<b>44,68,598.22</b>
भविष्य के विनियोगों के लिए निधियाँ / FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS		1,214.72	3,918.67
<b>कुल / Total</b>		<b>52,52,252.14</b>	<b>45,18,866.86</b>
<b>निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS</b>			
निवेश / INVESTMENTS:			
शेयरधारकों के / Shareholders'	8	62,608.36	28,176.73
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	8A	48,95,238.95	42,05,473.65
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसम्पतियाँ / ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	8B	35,280.98	26,325.88
ऋण / LOANS	9	1,21,744.75	1,17,005.47
अचल सम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	10	4,074.77	3,836.73

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>चालू सम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS:</b>			
रोकड़ एवं बैंक में अतिशेष / Cash and Bank Balances	11	41,824.47	45,498.60
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	1,55,274.84	1,52,174.30
<b>उप-योग (क) / Sub-Total (A)-Current Assets</b>		<b>1,97,099.31</b>	<b>1,97,672.90</b>
<b>चालू दायित्व / CURRENT LIABILITIES</b>			
प्रावधान / PROVISIONS	14	14,946.14	14,946.22
<b>उप-योग (ख) / Sub-Total (B)-Current Liabilities</b>		<b>63,794.98</b>	<b>59,624.50</b>
<b>शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क - ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)</b>		<b>1,33,304.33</b>	<b>1,38,048.40</b>
विविध व्यय (जो बटेखाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) / DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)		0.00	0.00
<b>कुल / Total</b>		<b>52,52,252.14</b>	<b>45,18,866.86</b>

आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities 15A (B) 2  
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ 15A (A) & (B)  
Significant Accounting Policies & Notes to Accounts  
उपर्युक्त अनुसूचियाँ तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।  
Schedules referred to above form an integral part of the Balance-sheet

**हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार**

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

**निदेशक मंडल की ओर से**

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

## फार्म ए-आरए FORM A - RA

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित राजस्व खाता**  
**पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता)**

### CONSOLIDATED REVENUE ACCOUNT OF LICI FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2024

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
<b>अर्जित शुद्ध प्रीमियम / Premiums earned - net</b>			
(क) प्रीमियम (a) Premium	1	4,77,521.05	4,76,632.79
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded		(689.83)	(675.91)
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted		0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>		<b>4,76,831.22</b>	<b>4,75,956.88</b>
<b>निवेश से आय / Income from Investments:</b>			
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross		2,97,678.24	2,75,015.07
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		67,052.25	49,585.86
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)		(3,304.08)	(14,895.22)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*		3,983.98	(2,217.38)
<b>अन्य आय / Other Income:</b>			
(i) वापस लिखी गई राशि / Amounts written back		7,704.63	3.96
(ii) विविध प्राप्तियां / Sundry Receipts		6,959.37	7,655.20
(iii) अंशधारकों के खाते से योगदान Shareholders' A/c:			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		12.98	9.36
(ख) अन्य (b) Others		0.00	0.00
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>		<b>8,56,918.59</b>	<b>7,91,113.73</b>
कमीशन / Commission	2	26,063.66	25,704.91
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च / Operating Expenses related to Insurance Business	3	48,292.72	48,289.53
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges		134.38	109.48
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provisions for Doubtful debts		(1,011.48)	(1,942.01)
कराधान के लिए प्रावधान / Provision for taxation		5,956.94	5,381.96



अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण:

The Breakup of Total Surplus during the period:

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
(क) अंतरिम बोनस (a) Interim Bonus	2,860.18	3,264.08
(ख) पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन* (b) Allocation of Bonus to policyholders*	52,955.87	49,540.01
(ग) राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष (c) Surplus shown in Revenue account	39,030.56	41,495.83
<b>कुल अधिशेष (क + ख + ग) Total Surplus [a + b + c]</b>	<b>94,846.61</b>	<b>94,299.92</b>

\* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\*\* बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

#पॉलिसीधारकों को बोनस के आबंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

\* Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

# The details of Allocation of Bonus to policyholders pertains only to LICl and does not include the details of the foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.

हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

आर. दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai

Date: 27.05.2024

## फार्म ए-पीएल FORM A - PL

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001	Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India Registration No. 512 Dated: 01.01.2001
--	--

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित लाभ हानि खाता  
शेयरधारकों का लेखा (गैर-तकनीकी खाता)

**CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT OF LIC FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2024**  
Shareholders' Account (Non-technical Account)

विवरण Particulars	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी लेखा) से शेष को अग्रेषित : Amounts transferred from Policyholders Account (Technical Account)	40,215.10	35,580.14
निवेश से आय / Income from Investments:		
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	3,594.87	1,102.59
(ख) निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	147.85	83.51
(ग) निवेश की बिक्री/मोचन पर हानि (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(17.97)	(3.66)
अन्य आय / Other Income	151.68	130.98
<b>कुल (क) / TOTAL (A)</b>	<b>44,091.53</b>	<b>36,893.56</b>
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित खर्चों के अतिरिक्त अन्य खर्च Expense other than those directly related to the Insurance business	334.85	53.86
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान Contribution to Policyholders' Account		
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	12.98	9.36
(ख) अन्य (b) Others	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के खाते में हस्तांतरित राशि Amount Transferred to Policyholders' Account	2,598.45	261.87
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (Other than taxation)		
(क) निवेश के मूल्य में शुद्ध कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	1.58	7.76
(ख) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful debts	0.00	0.00
(ग) अन्य (c) Others	87.07	479.77
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>3,034.93</b>	<b>812.62</b>
लाभ/(हानि) कर पूर्व / Profit/(Loss) before tax	41,056.60	36,080.94
कराधान का प्रावधान / Provision for Taxation	140.75	84.29
लाभ/(हानि) कर पश्चात / Profit/Loss after tax	40,915.85	35,996.65

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
<b>विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>		
(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the period	39,217.53	4,175.14
(ख) वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश (b) Interim Dividends paid during the period	2,530.00	0.00
(ग) भुगतान अंतिम लाभांश (c) Final dividend Paid	1,897.50	948.75
(घ) लाभांश वितरण कर (d) Dividend distribution tax	0.00	0.00
(ड) आरक्षितनिधि में अंतरण (e) Transfer to reserves:		
(i) अन्य आरक्षित निधि	8.28	3.06
(ii) Other Reserve		
(च) पॉलिसी धारकों की निधि से सहयोगी संस्थाओं में लाभों के हिस्सा का अंतरण (f) Share of profit of Associates transferred from Policyholders fund	11.79	(2.45)
तुलन-पत्र को अग्रपिहित लाभ Profit carried forward to the Balance Sheet	75,709.39	39,217.53
प्रति शेयर उपार्जन - मूल (₹) Earning per Share- Basics (₹)	64.69	56.91
प्रति शेयर उपार्जन - न्यूनीकृत (₹) Earning per Share- Diluted (₹)	64.69	56.91
शेयर का अंकित मूल्य (₹) Nominal Value of Share (₹)	10.00	10.00

**हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार**

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

**निदेशक मंडल की ओर से**

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर. दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम  
पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India  
Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का समेकित प्राप्ति एवं भुगतान खाता  
**CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT OF LIC FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024**

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash Flows from the operating activities:		
पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, जिसमें अग्रिम प्राप्तियाँ शामिल हैं Premium received from policyholders, including advance receipts	4,76,798.46	4,75,711.31
अन्य प्राप्तियाँ Other receipts	7,116.27	7,799.51
पुनः बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन एवं दावों/लाभ से शुद्ध Payments to the re-insurers, net of commissions and claims/ Benefits	(2.19)	(3,839.76)
दावों/लाभों का भुगतान Payments of claims/benefits	(3,93,326.18)	(3,50,478.53)
कमीशन और दलाली का भुगतान Payments of commission and brokerage	(26,436.32)	(25,261.02)
अन्य परिचालन व्ययों का भुगतान Payments of other operating expenses	(40,960.38)	(52,966.64)
जमा, अग्रिम और स्टाफ ऋण Deposits, advances and staff loans	(347.42)	170.38
आयकर का रिफंड / (भुगतान) Income taxes refund / (Paid)	5,689.36	5,825.31
सेवाकर/जीसटी का भुगतान Service tax/ GST paid	(2,409.95)	(2,442.05)
असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह Cash flows before extraordinary items	26,121.65	54,518.51
असाधारण संचालन से नकद प्रवाह (विवरण दे) Cash flow from extraordinary operations (give break-up)	0.00	0.00
<b>परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: Net cash flow from operating activities</b>	<b>26,121.65</b>	<b>54,518.51</b>
<b>निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash flows from investing activities:</b>		
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	(767.77)	(886.47)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ Proceeds from sale of fixed assets	55.05	344.36
निवेशों की खरीद Purchases of investments	(5,76,036.89)	(5,43,739.38)
वितरित ऋण (पुर्नभुगतान से शुद्ध) Loans disbursed (Net of Repayments)	(3,727.80)	(4,029.58)
निवेशों की बिक्री Sales of investments	2,61,903.87	2,24,908.06
किराया/ब्याज/लाभांश प्राप्त Rents/Interests/ Dividends received	2,93,173.52	2,68,931.48
<b>निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: Net cash flow from investing activities</b>	<b>(25,400.02)</b>	<b>(54,471.53)</b>
<b>वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह: Cash flows from financing activities:</b>		
कर्ज का भुगतान Repayments of borrowing	0.00	0.00
ब्याज/लाभांश का भुगतान Interest/dividends paid	(4,427.20)	(948.59)
<b>वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह: Net cash flow from financing activities</b>	<b>(4,427.20)</b>	<b>(948.59)</b>
नकद और नकद के समतुल्य पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव (शुद्ध) Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net	131.26	1,623.70
नकद और नकद के समतुल्य में निवल वृद्धि Net increase in cash and cash equivalents:	(3,574.31)	722.09
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the period	45,588.14	44,866.05
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the period	42,013.83	45,588.14
<b>नोट: अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य के घटक Note: Components of Cash and Cash Equivalent at the end of the period</b>		
हाथ में नकद और चेक / Cash and cheques in hand	3,369.48	3,960.90
बैंक जमा* / Bank Balances*	22,160.72	19,236.64

विवरण Particulars	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
सावधि जमा / Fixed Deposits	9,037.61	7,759.88
मुद्रा बाज़ार विलेख / Money Market Instruments	5,676.32	14,605.57
मार्ग प्रेषस्त धन और अन्य / Remittance in Transit and Others	1,769.70	25.15
<b>कुल नकद और नकद समतुल्य / Total Cash and Cash Equivalents</b>	<b>42,013.83</b>	<b>45,588.14</b>

\* बैंक बैलेंस में ₹ 0.46 करोड़ का अस्वामिक लाभांश शामिल है।

उपरोक्त प्राप्तियां और भुगतान खाता बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी और बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम, 2002 द्वारा लेखांकन मानक 3 नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार प्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है।

\* Bank balance includes Unclaimed Dividend of ₹ 0.46 Crore

The above Receipts and payments account has been prepared as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and auditor's report of insurance companies) Regulations, 2002 under the "Direct method" in accordance with Accounting Standard 3 Cash Flow Statements.

#### हमारी उस तारीख वाली रिपोर्ट के अनुसार

As per our report of even date

बाटलीबॉय एंड पुरोहित के लिए  
For Batliboi & Purohit  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN: 101048W)

चोकशी एंड चोकशी एलएलपी के लिए  
For Chokshi & Chokshi LLP  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants  
(FRN:101872W/ W100045)

पराग हंगेकर (पार्टनर)  
Parag Hangekar (Partner)  
M.No. 110096

विनीत सक्सेना (पार्टनर)  
Vineet Saxena (Partner)  
M.No. 100770

#### निदेशक मंडल की ओर से

On behalf of the Board

सिद्धार्थ मोहंती  
Siddhartha Mohanty  
अध्यक्ष  
Chairperson  
(DIN: 08058830)

एम. पी. विजय कुमार  
M.P. Vijay Kumar  
अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति  
एवं स्वतंत्र निदेशक  
Chairperson of Audit  
Committee and  
Independent Director  
(DIN: 05170323)

आर दुरैस्वामि  
प्रबंध निदेशक  
R. Doraiswamy  
Managing Director  
(DIN: 10358884)

दिनेश पंत  
नियुक्त बीमांकक  
Dinesh Pant  
Appointed Actuary

सुनील अग्रवाल  
मुख्य वित्तीय अधिकारी  
Sunil Agrawal  
Chief Financial Officer

अंशुल कुमार सिंह  
कंपनी सचिव  
Anshul Kumar Singh  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date: 27.05.2024

अनुसूची - 1  
SCHEDULE - 1

प्रीमियम  
PREMIUM

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
1 प्रथम वर्षीय प्रीमियम First year Premiums	39,198.08	39,268.98
2 परवर्ती प्रीमियम Renewal Premiums	2,54,281.35	2,43,870.43
3 एकल प्रीमियम और सीएजी Single Premiums & CAG	1,84,041.62	1,93,493.38
<b>कुल Total</b>	<b>4,77,521.05</b>	<b>4,76,632.79</b>

अनुसूची - 2  
 SCHEDULE - 2

 कमीशन व्यय  
 COMMISSION EXPENSES

विवरण Particulars	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
प्रदत्त कमीशन / Commission paid		
सीधा - प्रथम वर्षीय प्रीमियम Direct - First year premiums	10,435.33	10,832.16
- परवर्ती प्रीमियम - Renewal premiums	13,176.20	12,570.64
- एकल प्रीमियम - Single premiums	492.15	526.37
- अन्य कमीशन - Other Commission	0.03	0.01
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन / Add : Commission on Re-insurance Accepted	0.00	0.00
घटाएं : अंतरित पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Re-insurance Ceded	0.70	(8.65)
शुद्ध कमीशन / Net Commission	24,103.01	23,937.83
बिचौलियों को इनाम और पारिश्रमिक / Rewards and remuneration to Intermediaries	1,960.65	1,767.08
<b>कुल कमीशन / Total Commission</b>	<b>26,063.66</b>	<b>25,704.91</b>
कमीशन एवं पारिश्रमिक का वितरण वार विघटन (पुनर्बीमा कमीशन छोड़कर) / <b>Channel wise break up of Commission and Rewards (Excluding Reinsurance commission)</b>		
व्यक्तिगत एजेंट / Individual Agents	25,725.99	25,393.60
निगमित एजेंट - अन्य / Corporate Agents-Others	25.51	22.65
निगमित एजेंट - बैंक / Corporate Agents- Bank	168.48	174.85
ब्रोकर्स / Brokers	6.24	6.28
सूक्ष्म एजेंट / Micro Agents	65.28	58.68
प्रत्यक्ष व्यवसाय - ऑनलाइन / Direct bussiness- Online	0.00	0.00
प्रत्यक्ष व्यवसाय - अन्य / Direct bussiness- Others	0.00	0.00
सामान्य सेवा केंद्र / Common Service centre	47.49	18.93
वेब एग्रीगेटर्स / Web Aggregators	0.00	0.00
बीमा विपणन फर्म (आई.एम.एफ) / Insurance Marketing Firm (IMF)	25.16	21.03
अन्य पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन - जीवन बीमा / Others: -Point of sales person-Life Insurance	0.21	0.24
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>26,064.36</b>	<b>25,696.26</b>

बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय  
**OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS**

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
1 कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा कल्याण लाभ Employees' remuneration & welfare benefits	39,624.76	40,134.87
2 यात्रा, सवारी एवं वाहन चालन व्यय Travel, conveyance and vehicle running expenses	368.74	333.09
3 प्रशिक्षण व्यय Training Expenses	39.50	40.59
4 किराया, दरें एवं कर Rents, rates & taxes	799.32	727.26
5 मरम्मत Repairs	172.50	148.06
6 मुद्रण एवं लेखा सामग्री Printing & Stationery	219.51	204.35
7 संचार व्यय Communication expenses	288.65	299.64
8 विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार Legal & professional charges	33.34	53.42
9 चिकित्सा शुल्क Medical Fees	74.37	69.58
10 लेखा परीक्षक शुल्क, व्यय आदि Auditors' fees, expenses etc.:		
(क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor	23.45	14.15
(ख) सलाहकार के रूप में या निम्न संबंध में किसी भी क्षमता में (b) as adviser or in any other capacity in respect of:		
(i) कराधान मामले (i) Taxation matters	0.12	0.14
(ii) बीमा मामले (ii) Insurance matters	0.00	0.00
(iii) प्रबंधन सेवाएं, तथा (iii) Management services; and	0.00	0.00
(ग) किसी भी अन्य क्षमता में (c) in any other capacity	0.01	0.04
11 विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and publicity	556.60	713.85

अनुसूची – 3  
 SCHEDULE - 3

 बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित परिचालन व्यय  
**OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS**

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
12 ब्याज एवं बैंक प्रभार Interest & bank Charges	127.88	77.43
13 अन्य Others:		
1 भत्ते Allowances	1,973.82	1,299.72
2 निवेश सम्पत्ति पर व्यय Expense on Investment Property	143.41	135.99
3 पॉलिसी स्टॉम्प Policy stamps	284.53	290.37
4 पावती स्टॉम्प Receipt stamps	17.20	9.66
5 बिजली प्रभार Electricity charges	224.39	224.76
6 मार्गस्थ रोकड़ तथा अन्य बीमा प्रीमियम Cash in transit and other insurance premia	3.63	12.78
7 विविध व्यय Miscellaneous expenses	654.95	616.45
8 विनिमय (लाभ) / हानि Exchange (Gain)/Loss	(0.06)	(0.57)
9 मुख्य कार्यालय व्यय Head Office expenses	2.20	1.76
14 मूल्य-हास Depreciation	465.94	466.38
15 प्रीमियम इत्यादी पर जी एस टी GST on premium etc.	2,193.96	2,415.76
<b>कुल / Total</b>	<b>48,292.72</b>	<b>48,289.53</b>

अदा किया गया लाभ (शुद्ध)  
BENEFITS PAID (NET)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2024	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year ended March 31, 2023
1 बीमा दावें Insurance Claims:		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	23,149.92	23,856.96
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	2,11,236.77	1,87,869.33
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	20,121.12	17,907.06
(घ) अन्य लाभ (d) Other benefits:		
(i) अभ्यर्पण (i) Surrenders	45,788.69	38,562.86
(ii) निकासी (ii) Withdrawal	88,630.88	73,631.06
(iii) अस्पताल भर्ती लाभ (iii) Hospitalization Benefits	9.94	12.25
(iv) बड़े शल्य लाभ (iv) Major Surgical Benefits	16.40	17.82
(v) आवासीय उपचार लाभ (v) Domiciliary Treatment Benefits	10.46	11.93
(vi) दिन देखभाल लाभ (vi) Day Care Benefits	2.83	3.22
(vii) एकमुश्त लाभ/आय लाभ (किस्त द्वारा) (vii) Lump sum Benefit / Income Benefit (by installment)	47.60	38.34
(viii) अन्य दावा लागत-दावा न की गई राशि पर ब्याज (viii) Other Claims Cost- Interest on unclaimed costs	1,236.62	1,017.85
- अन्य / Others	27.84	15.06
2 (पुनर्बीमा में अंतरित राशि): (Amount ceded in reinsurance):		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	(478.34)	(393.20)
(ख) परिपक्वता दावें (b) Claims by Maturity	0.00	(10.93)
(ग) वार्षिकियाँ/पेंशन भुगतान (c) Annuities/Pensions payment	0.00	0.00
(घ) अन्य लाभ (d) Other benefits	(59.44)	(52.24)
3 पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि: Amount accepted in reinsurance:		
(क) मृत्यु दावें (a) Claims by Death	0.00	0.00



अंश पूंजी  
SHARE CAPITAL

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
घटाये: वापस खरीदे गए समता अंश का सममूल्य Less : Par value of Equity Shares bought back	0.00	0.00
घटाये: प्रारंभिक खर्च Less : Preliminary Expenses	0.00	0.00
जोखिम अंकन या अंशों की सदस्यता पर कमीशन या दलाली के खर्चा सहित । Expenses including commission or brokerage on Underwriting or subscription of shares.		
<b>कुल / Total</b>	<b>6,325.00</b>	<b>6,325.00</b>

नोट:

- क) पूंजी के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण - निगम के पास पूंजी का केवल एक ही प्रकार है समता अंश पूंजी  
ख) बोनस शेयर जारी करने के कारण पूंजीकृत राशि - शून्य  
ग) धारक कंपनी द्वारा धारित पूंजी - लागू नहीं

Notes:

- a) Particulars of the different classes of capital - The Corporation holds only one class of capital i.e. Equity Share Capital  
b) The amount capitalised on account of issue of bonus shares - Nil  
c) Capital held by a holding company - N/A

अंशधारिता का स्वरूप (जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है)  
STATEMENT OF PATTERN OF SHAREHOLDING  
(As certified by the Mangement)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024		31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023	
	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding	शेयर की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding
<b>प्रवर्तक / Promoters</b>				
- भारतीय / Indian	6103622781	96.50	6103622781	96.50
- विदेशी / Foreign	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>अन्य /Others</b>				
- भारतीय / Indian	209287416	3.31	200525609	3.17
- विदेशी / Foreign	12087504	0.19	20849311	0.33
<b>कुल / Total</b>	<b>6324997701</b>	<b>100.00</b>	<b>6324997701</b>	<b>100.00</b>

**अनुसूची – 6**  
**SCHEDULE - 6**
**आरक्षित निधि एवं अधिशेष (शेयरधारकों के)**  
**RESERVES & SURPLUS (SHAREHOLDERS)**

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve	465.01	464.02
2 पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve	0.00	0.00
3 शेयर प्रीमियम Share Premium	2.10	2.10
4 पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1.97	1.97
वर्ष के दौरान योग Additions during the period	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	0.00	0.00
अंतिम शेष / Closing Balance	1.97	1.97
5 सामान्य आरक्षित निधि / General Reserves :		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	29.42	29.42
वर्ष के दौरान योग : Additions during the period :		
लाभ हानि लेखा से अग्रेषित Transfer from Profit and Loss Account	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the period	0.00	0.00
बोनस शेयर जारी करने के कारण पूंजीकृत राशि Amount capitalised on account of issue of Bonus Shares	0.00	0.00
अंतिम शेष / Closing Balance	29.42	29.42
घटाएं : लाभ हानि खाते में नामे अधिशेष. यदि कोई हो Less : Debit balance in Profit and Loss Account, if any	0.00	0.00
घटाएं : पुर्नखरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for Buy-back	0.00	0.00
6 आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve	16.80	12.38

आरक्षित निधि एवं अधिशेष (शेयरधारकों के) (जारी)  
**RESERVES & SURPLUS (SHAREHOLDERS) (Contd.)**

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
7 अन्य आरक्षित निधि Other Reserves :		
क) विनिमय उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि a) Exchange Fluctuation Reserve	331.52	310.28
ख) अन्य b) Others	65.38	65.14
8 लाभ-हानि खाता में लाभ का शेष / Balance of profit in Profit and Loss Account	75,709.39	39,217.53
योग / (घटाव) वर्ष के दौरान Addition / (Deduction) during the year	(7.56)	0.00
लाभ-हानि खाते में लाभ का अंतिम शेष / Closing Balance of profit in Profit and Loss Account	75,701.83	39,217.53
<b>कुल / Total</b>	<b>76,614.03</b>	<b>40,102.84</b>

अनुसूची – 6अ  
SCHEDULE - 6A

बीमा आरक्षित निधि (पॉलिसीधारकों के)  
INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 पूँजी आरक्षित निधि Capital Reserve	26.42	26.43
2 पूँजी मोचन आरक्षित निधि Capital Redemption Reserve	0.00	0.00
3 शेयर प्रीमियम Share Premium	0.00	0.00
4 पुनर्मुल्यांकन आरक्षित निधि Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	14,835.23	12,308.58
वर्ष के दौरान योग Additions during the period	3.83	2,526.65
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	0.00	0.00
अंतिम शेष Closing Balance	14,839.06	14,835.23
5 सामान्य आरक्षित निधि General Reserves:		
प्रारंभिक शेष Opening Balance	0.77	0.77
वर्ष के दौरान योग Additions during the period	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	0.00	0.00
अंतिम शेष Closing Balance	0.77	0.77
घटाएं : लाभ हानि लेखे में नामे अधिशेष. यदि कोई हो Less : Debit balance in Profit and Loss Account, if any	0.00	0.00
घटाएं : पुर्नखरीद के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount utilized for Buy-back	0.00	0.00
6 आपातकालीन आरक्षित निधि Catastrophe Reserve	0.00	0.00
7 अन्य आरक्षित निधि Other Reserves:		
(i) विनिमय उतार-चढ़ाव आरक्षित (i) Exchange Fluctuation Reserve	4,318.94	4,208.94

अनुसूची - 6अ  
SCHEDULE - 6A

बीमा आरक्षित निधि (पॉलिसीधारकों के) (जारी)  
INSURANCE RESERVES (POLICYHOLDERS) (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
(ii) अन्य (ii) Others	19.70	19.66
8 लाभ-हानि खाते में लाभ का शेष Balance of profit in Profit and Loss account:		
प्रारंभिक शेष Opening balance	6,116.88	2,011.31
जोड़े: वर्ष के दौरान योग Add :Additions during the period	4,128.88	4,103.13
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ / हस्तान्तरण Less: Deductions/Transfer during the period	923.57	(2.44)
अंतिम शेष Closing balance	9,322.19	6,116.88
<b>कुल / Total</b>	<b>28,527.08</b>	<b>25,207.91</b>

अनुसूची - 7  
SCHEDULE - 7

उधारी  
BORROWINGS

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 ऋण पत्र / बन्ध पत्र Debentures/Bonds	0.00	0.00
2 बैंक Banks	0.00	0.00
3 वित्तीय संस्थान Financial Institutions	0.00	0.00
4 अन्य Others	0.00	0.00
<b>कुल / Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

अनुसूची - 8  
SCHEDULE - 8

निवेश (शेयरधारकों के)  
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
दीर्घवधि निवेश <b>LONG TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीत बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	56,185.44	23,007.31
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	0.00
3 अन्य निवेश Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	675.10	162.34
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	0.00	0.00
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	(0.03)	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	83.35	88.75
(ङ) अन्य प्रतिभूतियाँ: यू टी आय II पूँजी में आरंभिक अंशदान (e) Other Securities: Initial Contribution to UTI II Capital	0.01	0.01
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/Joint Ventures/Associates	93.72	28.95
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	2.39	1.52
4 बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	0.00	0.00
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	4,149.61	4,070.02
6 संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(548.71)	(477.08)
अल्पावधि निवेश <b>SHORT TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीत बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	0.00	0.00

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)  
INVESTMENTS - SHAREHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	0.00
3 अन्य निवेश/ Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	1,967.48	1,294.91
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	0.00	0.00
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	0.00	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	0.00	0.00
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	0.00	0.00
6 संदिग्ध एवं अवसामान्य संपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful and substandard assets	0.00	0.00
<b>कुल / Total</b>	<b>62,608.36</b>	<b>28,176.73</b>

अनुसूची – 8क  
 SCHEDULE - 8A

 निवेश (शेयरधारकों के)  
 INVESTMENTS - POLICYHOLDERS

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
दीर्घवधि निवेश <b>LONG TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीत बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	28,95,999.05	26,83,898.14
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	6,565.31	12,639.15
3 Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	12,18,926.22	8,26,199.49
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	21,770.95	10,238.72
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	(0.03)	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	1,26,688.40	94,980.24
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities:		
अन्य प्रतिभूतियाँ तथा बन्ध-पत्र Other Securities & Bonds	194.62	208.99
(च) सहायक/सहभागी/संयुक्त उद्यम (f) Subsidiaries/Joint Ventures/Associates	41,482.94	38,318.04
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	16,992.63	16,966.48
4 बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	3,40,579.48	3,12,414.17
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	70,393.73	96,253.96
6 संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Investments	(6,359.83)	(7,905.70)

निवेश (शेयरधारकों के) (जारी)  
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
अल्पावधि निवेश <b>SHORT TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटीत बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	1,12,756.97	91,953.02
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	6,088.16	6,044.98
3 अन्य निवेश Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	9,976.07	5,641.53
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र (d) Debentures/Bonds	7,740.63	9,677.28
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	0.00	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investments Properties- Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी सुविधायों तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	25,973.53	8,411.45
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	2,590.34	2,979.45
6 संदिग्ध एवं अवसामान्य संपत्तियों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful and substandard assets	(3,120.22)	(3,445.74)
<b>कुल / Total</b>	<b>48,95,238.95</b>	<b>42,05,473.65</b>

अनुसूची – 8ख  
 SCHEDULE - 8B

 संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए संपत्तियाँ  
**ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES**

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>दीर्घवधि निवेश LONG TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलो सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	10,815.26	9,193.23
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.05	0.05
3 अन्य निवेश Other Investments:		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	20,397.31	13,567.98
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	23.16	17.87
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध-पत्र (d) Debentures/Bonds	10.18	50.95
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities:	0.00	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investment Properties - Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1,779.23	1,807.14
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	603.76	767.26
<b>अल्पावधि निवेश SHORT TERM INVESTMENTS</b>		
1 खजाने की बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा गारंटी बन्ध-पत्र Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	162.04	296.04

संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए संपत्तियाँ (जारी)  
**ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)**

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	0.00	4.02
3 अन्य निवेश <b>Other Investments:</b>		
(क) शेयर (a) Shares:		
(कक) समता (aa) Equity	0.00	0.00
(खख) अधिमानी (bb) Preference	0.00	0.00
(ख) सहयोग निधि (b) Mutual Funds	593.42	283.92
(ग) व्युत्पन्न प्रपत्र (c) Derivative Instruments	0.00	0.00
(घ) ऋण-पत्र/बन्ध पत्र (d) Debentures/Bonds	10.39	38.15
(ड) अन्य प्रतिभूतियाँ (e) Other Securities	300.50	0.00
(च) सहायक (f) Subsidiaries	0.00	0.00
(छ) निवेश संपत्तियाँ - संपदा (g) Investments Properties- Real Estate	0.00	0.00
4 बुनियादी सुविधायों तथा सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	134.78	70.02
5 अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश Other than Approved Investments	0.00	0.00
<b>चालू सम्पत्तियाँ Current Assets</b>		
6 रोकड़ एवं बैंक में शेष <b>Cash &amp; Bank Balance</b>		
रोकड़ (चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	187.87	85.56
बैंक में शेष Bank Balance:		
(क) जमा (a) Deposits:		

अनुसूची – 8ख  
 SCHEDULE - 8B

 संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए संपत्तियाँ (जारी)  
**ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES (Contd.)**

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
(कक) अल्पावधि (aa) Short term	0.00	0.00
(खख) अन्य (bb) Others	0.00	0.00
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	2.61	6.09
(ग) अन्य (c) Others	0.00	0.00
<b>7 अग्रिम Advances</b>		
अन्य अग्रिम Other Advances	0.07	0.08
निवेशो पर बकाया / अर्जित आय Income outstanding/accrued on investments	230.77	198.58
<b>कुल (क) – चालू सम्पत्तियाँ Total (A)- Current Assets</b>	<b>421.32</b>	<b>290.31</b>
<b>8 चालू दायित्व Current Liabilities</b>		
विविध लेनदार Sundry Creditors	43.77	33.04
बकाया दावा Claims outstanding	0.00	1.51
प्रीमियम एवं अन्य जमा Premium and other deposits	0.00	0.02
जीवन विभाग चालू खाता Life department current account	(73.35)	26.49
<b>कुल (ख) चालू दायित्व Total (B)- Current Liabilities</b>	<b>(29.58)</b>	<b>61.06</b>
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (क-ख) Net current assets (A-B)	450.90	229.25
<b>कुल / Total</b>	<b>35,280.98</b>	<b>26,325.88</b>

ऋण  
LOANS

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>1 प्रतिभूतिवार वर्गीकरण SECURITY-WISE CLASSIFICATION</b>		
रक्षित / Secured		
(क) संपत्ति के बंधक रखने पर (a) On mortgage of property:		
(कक) भारत में (aa) In India	7,284.47	9,253.77
(खख) भारत के बाहर (bb) Outside India	9.85	10.71
(ख) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि पर (b) On Shares, Bonds, Govt. Securities, etc.	0.00	0.00
(ग) पॉलिसियों पर ऋण (c) Loans against Policies	1,19,705.06	1,13,089.55
(घ) अन्य (d) Others:		
सरकार द्वारा गारंटी Guaranteed by Government	1,470.68	1,998.86
गिरवी Hypothecation	474.81	829.82
अनारक्षित ऋण Unsecured Loans	972.17	1,008.89
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Loans	(8,172.29)	(9,186.13)
<b>कुल / Total</b>	<b>1,21,744.75</b>	<b>1,17,005.47</b>
<b>2 उधारकर्तावार वर्गीकरण BORROWER-WISE CLASSIFICATION</b>		
(क) केंद्र तथा राज्य सरकार (a) Central and State Governments	861.21	1,321.36
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions	0.00	0.00
(ग) सहायक (c) Subsidiaries	0.00	0.00
(घ) कंपनियाँ (d) Companies	6,612.67	8,673.77



ऋण (जारी)  
LOANS (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
(ख) गैर मानक ऋण		
(b) Non-standard loans:		
(कक) भारत में		
(aa) In India	7,669.82	8,671.45
(खख) भारत के बाहर		
(bb) Outside India	8.37	9.10
गैर मानक ऋण के लिए प्रावधान Provision for Non-Standard Loans	(7,673.06)	(8,674.61)
<b>कुल / Total</b>	<b>1,21,744.75</b>	<b>1,17,005.47</b>
<b>4 परिपक्वता - वार वर्गीकरण MATURITY-WISE CLASSIFICATION</b>		
(क) अल्पावधि		
(a) Short-Term:		
भारत में		
In India	14,625.88	7,746.93
भारत के बाहर		
Out of India	17.66	11.62
अल्पावधि के लिए प्रावधान Provision for Short-Term	(4,709.03)	(3,995.80)
(ख) दीर्घावधि		
(b) Long-Term:		
भारत में		
In India	1,13,614.01	1,16,821.17
भारत के बाहर		
Out of India	1,659.49	1,611.88
दीर्घावधि के लिए प्रावधान Provision for Long-Term	(3,463.26)	(5,190.33)
<b>कुल / Total</b>	<b>1,21,744.75</b>	<b>1,17,005.47</b>

नोट / Note

- \* जल राज्य बोर्ड (डब्ल्यूएसबी), राज्य वित्तीय निगम (एसटीएफ), पोर्ट टर्स्ट (पीटीआर), अन्य (एस टी एफ), भूमि विकास बैंक (एलडीबी)
- \* WATER STATE BOARD (WSB), STATE FINANCIAL CORPORATION (STF), PORT TURST (PTR), OTHERS (OTH), LAND DEVELOPMENT BANK (LDB)

अचल संपत्तियाँ  
FIXED ASSETS

विवरण Particulars	सकल ब्लॉक Gross Block		मूल्य-ह्रास परिशोधन और हानि Depreciation/ Amortisation & Impairment				शुद्ध ब्लॉक Net Block			
	प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2023	जोड़ Additions 01.04.2023	कटौतियाँ Deductions 01.04.2023	अंतिम शेष Closing Balance 31.03.2024	प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2023	वर्ष के लिए For the period	बिक्री/ समायोजन पर On Sales/ Adjustment	अंतिम शेष Closing Balance 31.03.2024	वर्ष मार्च 31, 2023 तक As at March 31, 2023	वर्ष मार्च 31, 2024 तक As at March 2024
ख्वाति Goodwill	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अमूर्त Intangibles	63.39	1.12	(0.17)	64.68	47.99	5.40	(0.17)	53.56	11.12	15.40
भूमि - पूर्ण संपदा Land-Freehold	79.08	0.03	27.90	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	51.21	79.08
पट्टा-भूमि Land-Leasehold	92.81	1.54	2.02	92.33	11.14	1.00	0.04	12.10	80.23	81.67
भवन Buildings	3,421.40	246.69	4.11	3,663.98	979.26	76.53	0.34	1,055.45	2,608.53	2,442.14
फर्नीचर एवं फिटिंग Furniture & Fittings	533.68	48.65	11.03	571.30	422.27	27.45	10.97	438.75	132.55	111.41
सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण Information Technology Equipment	1,890.69	108.57	85.30	1,913.96	1,536.42	201.02	84.62	1,652.82	261.14	354.27
वाहन Vehicles	1,207.10	259.01	98.46	1,367.65	837.41	141.18	84.72	893.87	473.78	369.69
कार्यालय उपकरण Office Equipment	72.78	2.55	2.21	73.12	64.07	2.35	2.23	64.19	8.93	8.71
अन्य: Others:										
टेलिफोन Telephones	14.50	0.13	0.62	14.01	13.15	0.29	0.61	12.83	1.18	1.35
फैक्स / इपीएबीएक्स Fax/Epabx	2.28	0.00	0.07	2.21	2.27	0.01	0.07	2.21	0.00	0.01
मोबाइल फोन Mobile Phones	0.57	0.12	0.02	0.67	0.48	0.07	0.02	0.53	0.14	0.09
पुस्तकालय की पुस्तके Library books	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00

अचल संपत्तियाँ (जारी)  
FIXED ASSETS (Contd.)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	सकल ब्लॉक Gross Block		मूल्यह्रास परिसोधन और हानि Depreciation/ Amortisation & Impairment				शुद्ध ब्लॉक Net Block		
	प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2023	जोड़ Additions	कटौतियाँ Deductions	अंतिम शेष Closing Balance 31.03.2024	प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2023	वर्ष के लिए For the period	विक्री/ समायोजन पर On Sales/ Adjustment	अंतिम शेष Closing Balance 31.03.2024	वर्ष मार्च 31, 2023 तक As at March 31, 2023
विविध पूँजी उपकरण Miscellaneous Capital Equipment	66.60	3.13	1.13	68.60	50.69	3.26	1.09	52.86	15.74
दृश्यश्राव्य तथा अन्य सम्बन्धित प्रचार उपकरण Audio visual and other allied publicity equipment	85.96	5.56	2.18	89.34	74.32	4.55	2.15	76.72	12.62
इंजीनीयरिंग विभाग उपकरण Engineering Dept. equipment	0.23	0.04	0.00	0.27	0.09	0.02	0.00	0.11	0.14
वोल्टेज स्टेबलाइज़र तथा यू.पी.एस. Voltage stabilizers and UPS	162.71	9.29	5.63	166.37	149.21	8.10	5.63	151.68	14.69
क्रिए के भवनो पर जनरेटर, डी.जी. सेट्स Generators, DG sets in rented premises	2.22	0.09	0.04	2.27	1.96	0.11	0.03	2.04	0.26
<b>कुल / Total</b>	7,696.30	686.52	240.55	8,142.27	4,191.03	471.34	192.35	4,470.02	3,672.25
कार्य प्रगति पर Work in Progress	331.46	277.45	206.39	402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	331.46
<b>सकल कुल / Grand Total</b>	8,027.76	963.97	446.94	8,544.79	4,191.03	471.34	192.35	4,470.02	4,074.77
गत वर्ष / Previous Year	7,484.49	886.47	343.20	8,027.76	3,913.81	466.57	189.35	4,191.03	3,836.73

अनुसूची - 11  
SCHEDULE - 11

रोकड़ एवं बैंक में शेष  
CASH AND BANK BALANCES

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 नकद (चेक, ड्राफ्ट एवं स्टॉम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	3,181.61	3,875.34
2 बैंक जमा Bank Balances:		
(क) जमा खाता (a) Deposit Accounts:		
(कक) अल्पावधि (तुलन पत्र की तारीख से 12 महिनो के भीतर देय) (aa) Short-term (due within 12 months of the date of Balance Sheet)	3,681.56	2,593.00
(खख) अन्य (bb) Others	5,356.05	5,166.88
(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	22,159.23	19,232.66
(ग) अन्य (c) Others	0.00	0.00
3 मांगने पर और अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice		
(क) बैंक में (a) With Banks	17.16	9.30
(ख) अन्य संस्थानों में (b) With other Institutions	0.00	0.00
(ग) त्रिपक्षीय पुनर्खरीद विकल्प (टीआरईपीएस) (c) Tri-Party Repurchasing Option (TREPS)	5,659.16	14,596.27
4 अन्य : मार्गस्त प्रेषित धन Others - Remittances in transit	1,769.70	25.15
<b>कुल / Total</b>	<b>41,824.47</b>	<b>45,498.60</b>
गैर अनुसूचित बैंको की शेष उपरोक्त 2 तथा 3 में सम्मिलित है* Balances with non-scheduled banks included in 2 and 3 above.*		
रोकड़ एवं बैंक में शेष / CASH & BANK BALANCES		
1 भारत में / In India	34,604.52	38,360.43
2 भारत के बाहर / Outside India	7,219.95	7,138.17
<b>कुल / Total</b>	<b>41,824.47</b>	<b>45,498.60</b>

\* स्थानीय विधि के अनुसार विदेशी शाखाओं के बैंक खातों के अलावा

\* Excluding bank accounts of foreign branches which are held as per local laws.

अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ  
ADVANCES AND OTHER ASSETS

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
<b>अग्रिम / ADVANCES</b>		
1 अंतरण कंपनियों में आरक्षित जमा Reserve deposits with ceding companies	0.00	0.00
2 निवेशो के लिए आवेदन धन Application money for investments	0.00	40.76
3 पहले भुगतान / पूर्वदत्त खर्च Prepayments/Prepaid Expenditure	905.50	796.62
4 अधिकारियों / निदेशकों को अग्रिम Advances to Directors/ Officers	0.32	0.46
5 अदा किया गया अग्रिम कर एवं स्रोत कर कटौती Advance tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	16,907.66	21,002.11
6(a) अन्य / Others:		
i कर्मचारियों को अग्रिम Advances to employees	1,062.49	981.72
ii अन्य को अग्रिम Advances to others	83.19	121.56
iii जमा Deposits	67.54	63.04
iv अन्य अग्रिम Other advances	1,256.87	954.62
6(b) विविध देनदार, अग्रिम तथा जमा के लिए प्रावधान Provision for sundry debtors, advances and deposits	(103.77)	(248.51)
<b>कुल / TOTAL (A)</b>	<b>20,179.80</b>	<b>23,712.38</b>
<b>अन्य परिसम्पत्तियाँ OTHER ASSETS</b>		
1 निवेशो पर बकाया / अर्जित आय Income outstanding/accrued on investments	80,798.25	74,339.38
संदिग्ध ब्याज तथा लाभांश का प्रावधान Provision for doubtful Interest & Dividends	(11,684.80)	(11,328.09)
2 बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums	11,675.25	11,661.81
3 एजेंटो के शेष Agents' Balances	1,306.08	1,649.09
एजेंटो के संदिग्ध शेष के लिए प्रावधान Provision for agents doubtful balances	(1.46)	(0.89)

अनुसूची - 12  
 SCHEDULE - 12

 अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ (जारी)  
 ADVANCES AND OTHER ASSETS (Contd.)

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
4 विदेशी एजेंसियों के शेष Foreign Agencies' Balances	0.00	0.00
5 बीमा व्यवसाय करनेवाली अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाला (पुनर्बीमा सहित) Due from other entities carrying on insurance business (Including reinsurance)	3,563.98	3,662.81
6 सहायक/नियंत्रक कंपनी से प्राप्त होनेवाला Due from subsidiaries/holding company	0.00	0.00
7 भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (बीमा अधिनियम, 1938 की खण्ड 7 के अनुसरण में) Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to Section 7 of Insurance Act, 1938)	0.00	0.00
8 अन्य / Others:		
i बकाया / प्रोढभूत ऋण पर ब्याज Interest on loans outstanding/accrued	30,295.42	28,330.18
ii स्टॉक हाथ में Stock on hand	57.55	63.40
iii अस्वामिक राशि से संबंधित परिसंपत्तियाँ Assets pertaining to Unclaimed amount	17,915.29	19,032.96
iv अन्य संपत्तियाँ Other assets	366.81	136.18
v (क) निवेश जिनका आबंटन बाकी है (a) Investments Pending Allotment	178.07	70.34
(ख) निवेश जिनका आबंटन बाकी है के लिए प्रावधान (b) Provision for Investments Pending Allotment	(178.07)	(49.93)
vi जी. एस. टी. का जमा शेष GST Unutilized Credit	802.67	894.68
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>1,35,095.04</b>	<b>1,28,461.92</b>
<b>कुल (क + ख) / TOTAL (A + B)</b>	<b>1,55,274.84</b>	<b>1,52,174.30</b>

चालू देयताएं  
CURRENT LIABILITIES

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 एजेंटों के शेष / Agents' Balances	13.17	11.92
2 अन्य बीमा कंपनियों को देय राशि Balances due to other insurance companies	94.58	44.25
3 पुनर्बीमा अंतरण पर धारित जमा Deposits held on re-insurance ceded	0.00	0.00
4 अग्रिम रूप में प्राप्त प्रीमियम Premiums received in advance	66.47	64.71
5 विविध लेनदार Sundry creditors	11,192.86	7,588.36
6 सहायक / नियंत्रक कंपनी को देय Due to subsidiaries/holding company	0.00	0.00
7 बकाया दावें Claims Outstanding	7,845.98	7,025.89
8 देय वार्षिकियाँ Annuities Due	1,049.52	898.50
9 बैंक शेष Bank Balances	1.12	2.11
10 अधिकारियों / निदेशकों की देय Due to Officers/Directors	1.40	1.44
11 अन्य Others		
क कर्मचारी भविष्य तथा पेन्शन के न्यासियों को देय राशियाँ a Amounts due to trustees of staff provident & pension fund	5,530.07	4,476.80
ख बकाया कमीशन b Outstanding Commission	1,616.23	1,988.19
ग प्रीमियम तथा अन्य जमा राशियाँ c Premium and other deposits	1,145.29	1,218.53
घ बकाया अस्वामिक राशि / जमा d Outstanding unclaimed amounts/deposits	14,297.36	16,019.84
ङ दावा न किए गई राशि पर अर्जित ब्याज e Interest Accrued on Unclaimed amounts	3,618.03	3,052.08
च प्राप्त प्रीमियम जिनका आवंटन नहीं हुआ f Premium received but not allocated	282.97	150.63
छ जी. एस. टी. दायित्व g GST Liability	1,852.39	2,026.01

**अनुसूची – 13**  
**SCHEDULE - 13**
**चालू देयताएं (जारी)**  
**CURRENT LIABILITIES (Contd.)**

 (₹ करोड़ में)  
 (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
ज अस्वामिक लाभांश h Unclaimed Dividend	0.46	0.16
झ वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (161) i Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (161)	15.46	13.72
ञ वरिष्ठ पेन्शन बीमा योजना चालू खाता (828) j Varishtha Pension Bima Yojana Current Account (828)	36.49	30.64
ट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842) k Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842)	57.95	33.33
ठ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (842 नया) l Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (842 New)	(43.93)	15.11
ड सामाजिक सुरक्षा निधि चालू खाता m Social Security Fund Current account	5.40	0.04
ढ छात्रवृत्ति निधि चालू खाता n Scholarship Fund Contra account	0.04	0.05
ण संबद्ध व्यवसाय चालू खाता o Unit Linked Current a/c	73.35	(26.49)
त प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) चालू खाता (856) p Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) Current Account (856)	94.10	39.87
थ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) चालू खाता q Pradhan Mantri Shram Yogi Maan -Dhan (PMSYM) Current Account	(2.62)	(1.73)
द प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PMKMDY) चालू खाता r Pradhan Mantri Kishan Maan-Dhan Yojan (PMKMDY) Current Account	(2.90)	(0.18)
ध प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना (PMLVMDY) चालू खाता s Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana (PMLVMDY) Current Account	(0.04)	(0.09)
न अन्य t Others	7.64	4.59
<b>कुल / Total</b>	<b>48,848.84</b>	<b>44,678.28</b>

अनुसूची - 14  
SCHEDULE - 14

प्रावधान  
PROVISIONS

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 कराधान के लिए (घटाइए भुगतान एवं स्रोत पर कर कटौती) For taxation (less payments and taxes deducted at source)	0.00	0.00
2 प्रस्तावित लाभांश के लिए For proposed dividends	0.00	0.00
3 लाभांश वितरण कर के लिए For dividend distribution tax	0.00	0.00
4 अन्य Others:		
शोधक्षमता सीमा के लिए आरक्षण का प्रावधान Provision for reserve for solvency margin	14,943.06	14,943.06
अन्य प्रावधान Other Provisions	3.08	3.16
<b>कुल / Total</b>	<b>14,946.14</b>	<b>14,946.22</b>

अनुसूची - 15  
SCHEDULE - 15

विविध व्यय  
MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 तक As at March 31, 2024	31 मार्च, 2023 तक As at March 31, 2023
1 शेयर / ऋण-पत्र जारी करने में अनुमत छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	0.00	0.00
2 अन्य Others	0.00	0.00
<b>कुल / Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK**

## अनुसूची 15अ : समेकित वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले प्रकटीकरण

### (अ) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

#### क. निगम की जानकारी

भारतीय जीवन बीमा निगम (“निगम”) 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (“शासी अधिनियम”) के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है जो भारत में और भारत के बाहर जीवन बीमा के व्यवसाय से जुड़ा है। निगम शासी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है; यह भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (‘IRDAI’), पंजीकरण संख्या 512 दिनांक 01.01.2001 के साथ भी पंजीकृत है और IRDA अधिनियम, 1999 के यथा संशोधित प्रावधानों और अंतर्निहित विनियमनों के अधीन है, और जो शासी अधिनियम से असंगत नहीं है। निगम व्यक्तिगत और समूह बीमा समाधानों की एक श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें व्यवसायों की सहभागी, गैर सहभागी और असम्बद्ध लेने वाली और यूनिट लिंक्ड लाइन शामिल हैं। पोर्टफोलियो में विभिन्न बीमा और निवेश उत्पाद जैसे सुरक्षा, पेंशन, बचत, निवेश, वार्षिकी, स्वास्थ्य, परिवर्तनीय और पूंजी मोचन और वार्षिकी निश्चित (सीआरएसी) व्यवसाय शामिल हैं। निगम के इक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) (17 मई, 2022 से प्रभावी) में सूचीबद्ध हैं।

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) निगम और उसकी सहायक कंपनियों और निगम की सहयोगी कंपनियों में लाभ/हानि के हिस्से से संबंधित है (एक साथ समूह के रूप में संदर्भित)।

#### ख. तैयारी का आधार

समूह के लिए ये समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एस) 21, “समेकित वित्तीय विवरण” के तहत निर्धारित समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं और उसी प्रकार के प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिस प्रकार से निगम के प्रस्तुत किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपराके तहत तैयार किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मूलभूत लेखांकन मान्यताओं, निरंतरता और प्रोद्घवन के आधार पर तैयार किया गया है। समूह की लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं (भारतीय जीएपी), जिसमें निम्न शामिल हैं; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (संशोधित) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड और दिशानिर्देश, बीमानियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमाकंपनियों की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002 (वित्तीय विवरण विनियम), वित्तीय विवरण तैयार करने और जीवनबीमा व्यवसाय के रिटर्न दाखिल करने पर परिपत्र संदर्भ संख्या IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 दिनांक 11 दिसंबर 2013 (“मास्टर परिपत्र”) और IRDAI द्वारा समय-समयपर जारी अन्य परिपत्रसमय, बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधान, यथा संशोधित, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और लेखामानकों के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखामानकोंके अनुपालनमें, और उसमें किए गए संशोधनों और नियमोंके अनुसार, लागू सीमातक, नीचे लिखित अपवादोंको छोड़कर, आवश्यक तरीके से लागू किया गया है।

निगम की भारतीय सहायक/सहयोगियों कंपनियां विभिन्न व्यवसायों में है एवं विभिन्न लेखा विनियमों द्वारा शासित की जाती है और उनमें व्यवसाय की एकरूपता की कमी होती है, इसलिए समेकन के समय लेखांकन नीतियों में स्थिरता लाने के लिए सहायक कंपनियों/सहयोगियों के वित्तीय विवरणों में, जिस सीमा तक व्यवहार्य है, केवल महत्वपूर्ण समायोजन किये गये है। जहां समायोजन करना व्यावहारिक नहीं है और परिणामस्वरूप लेखांकन नीतियां भिन्न होती हैं, निगम और उसकी सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों के बीच इस तरह के अंतर का खुलासा किया गया है।

समूह के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का उद्देश्य सूचनात्मक प्रकटीकरण के साधन के रूप में कार्य करना और समूह की समेकित स्थिति की बेहतर समझ की दिशा में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है। समूह ने निगम और उसकी सहायक कंपनियों के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से ऐसे नोटों को प्रकट किया है जो समेकित वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं। केवल महत्वपूर्ण नोटों का खुलासा किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के आधार पर महत्वपूर्ण मदोंका मूल्यांकन किया जाता है। सहायक कंपनियों और/या निगम के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त वैधानिक जानकारी जो कि समेकित वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर कोई असर नहीं डालती है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की जाती है।

निगम की लेखांकन नीतियों, टिप्पणियों और प्रकटीकरण को इसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में सर्वोत्तम रूप से देखा जा सकता है जिनके साथ ये समेकित वित्तीय विवरण संलग्न हैं।

## Schedule 15A: Significant Accounting Policies and Notes to the Consolidated Financial Statements

### (A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

#### a. Corporate Information

Life Insurance Corporation of India (“Corporation”) is a statutory corporation established on 1<sup>st</sup> September, 1956, under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (“Governing Act”) engaged in the business of Life Insurance in and outside India. Corporation is governed by provisions of the governing Act; it is also registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (‘IRDAI’) Registration No. 512 dated 01.01.2001 and is subject to such provisions of IRDA Act, 1999 as amended and regulations there under which are not inconsistent with the governing Act. The Corporation offers a range of individual and group insurance solutions including participating, non-participating and unit linked lines of businesses. The portfolio comprises of various insurance and investment products such as Protection, Pension, Savings, Investment, Annuity, Health, Variable and Capital Redemption and Annuity Certain (CRAC). The equity shares of the Corporation are listed on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) (w.e.f. 17<sup>th</sup> May, 2022).

The Consolidated Financial Statements (CFS) relate to Corporation and its subsidiary companies and the Corporation’s share of profit/loss in its associate companies (together referred as “the group”).

#### b. Basis of preparation

These consolidated financial statements for the Group are prepared in accordance with the principles and procedures for preparation and presentation of consolidated financial statements as laid down under the Accounting Standard (AS) 21, “Consolidated Financial Statements” and are presented in the same format as that of the Corporation.

These Consolidated Financial Statements are prepared under the historical cost convention, with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency and accrual, unless otherwise stated. The accounting and reporting policies of the Group conform to accounting principles generally accepted in India (Indian GAAP), comprising of regulatory norms and guidelines prescribed by the Life Insurance Corporation Act, 1956 (as amended), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor’s Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 (“the Financial Statements Regulations”), the Master Circular on Preparation of Financial Statements and Filing of Returns of Life Insurance Business Ref No. IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 dated December 11, 2013 (“the Master Circular”) and other circulars issued by the IRDAI from time to time, provisions of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time, norms & guidelines prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and in compliance with the Accounting Standards notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, and amendments and rules made thereto, to the extent applicable Accounting policies have been consistently applied to the extent applicable and in the manner so required except to the extent specified below.

Indian Subsidiaries/Associates of the Corporation are governed by different operations and accounting regulations and lack homogeneity of business, hence only material adjustments have been made to the financial statements of the subsidiaries/associates to bring consistency in accounting policies at the time of consolidation to the extent it is practicable to do so. Where it is not practicable to make adjustments and as a result the accounting policies differ, such differences between accounting policies of the Corporation and its subsidiaries have been disclosed.

The notes to these consolidated financial statements for the Group are intended to serve as a means of informative disclosure and a guide towards better understanding of the consolidated position of the Group. The Group has disclosed such notes from the standalone financial statements of the Corporation and its subsidiaries which are necessary for presenting a true and fair view of the consolidated financial statements. Only the notes involving items which are material are disclosed. Materiality for this purpose is assessed in relation to the information contained in the consolidated financial statements. Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the subsidiaries and/or the Corporation having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements are not disclosed in the consolidated financial statements.

The accounting policies, notes and disclosures made by the Corporation are best viewed in its standalone financial statements to which these consolidated financial statements are attached.

निगम ने अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयरों और प्रतिभूतियों के विभिन्न अन्य वर्गों में कुछ निवेश किए हैं जिनका लेखा मानक 13 - निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार हिसाब लगाया गया है। इसमें नीचे दिए गए श्रेणीवार कारणों के अनुसार कंपनियों में कुछ निवेश शामिल हैं, जिन्हें समेकन के लिए नहीं माना गया है:

– **जहां निगम को प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है:**

इनमें से कुछ कंपनियों के बोर्ड में निगम के नामित निदेशक हैं। हालांकि, इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। इन निवेशितियों में निगम की बोर्ड सीट 6 से 15 तक संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। निगमद्वारा इन कंपनियों के गठन के समय निवेश के कारण, प्रमोटर/शेयरधारक की स्थिति हुई है।

– **निगम की शेयरधारिता 20% से अधिक है:**

निगम द्वारा बिना किसी बोर्ड के प्रतिनिधित्व और/या निवेशिती कंपनियों के प्रबंधन/प्रशासन में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना लीगोसी निवेश। अतः इन संस्थाओं में निगम का कोई प्रबंधन नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

– **निगम के पास समझौते या नामित निदेशकों के माध्यम से बोर्ड में प्रतिनिधित्व है:**

ऐसे मामलों में निगम की शेयरधारिता 20% से कम होती है और निगम के पास इन निवेशिती कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक होते हैं। इन कंपनियों में निवेश अन्य कंपनियों में निवेश के समान है और शेयर बाजार की स्थितियों के आधार पर खरीदे और बेचे जाते हैं। बोर्ड की सीट 6 से 15 के बीच संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। इस तरह निगम का इन कंपनियों पर कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

**ग. समेकन का आधार**

क) निगम और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समूह के भीतर शेष राशि, लेन-देन और परिणामी अप्राप्त लाभ या हानि को निकालने के बाद (जब तक लागत वसूल नहीं की जा सकती) परिसंपत्ति, दायित्वों, आय और व्यय की समान मदों को एक साथ लाइन-दर-लाइन आधार पर जोड़ा गया है। विशेष रूप से आईआरडीआई विनियमों द्वारा शासित प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय से संबंधित पॉलिसीधारकों के खाते ने इन समेकित वित्तीय विवरणों में अपना विशिष्ट स्वतंत्र रूप बरकरार रखा है। चूंकि विदेशी सहायक कंपनियों बीमा व्यवसाय में लगी हुई हैं, सहायक कंपनियों के बीमा व्यवसाय से संबंधित राजस्व/व्यय को राजस्व खाता- पॉलिसीधारकों के खाते (तकनीकी खाता) के तहत प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, बीमा व्यवसाय में नहीं होने के कारण, लाभ और हानि-शेयरधारक खाते (गैर-तकनीकी खाता) में प्रस्तुत की जाती हैं।

ख) सहायक कंपनियों में निवेश की तारीखों पर सहायक कंपनियों की इक्विटी में अपने हिस्से पर निगम की लागत की अधिकता को समेकित वित्तीय विवरणों में एक संपत्ति की तरह मानते हुये 'गुडविल' के रूप में दिखाया जाता है। वैकल्पिक रूप से, जहां निवेश की तिथि पर सहायक कंपनियों में इक्विटी का हिस्सा निगम के निवेश की लागत से अधिक है, इसे 'पूंजी आरक्षित निधि' के रूप में माना जाता है और समेकित वित्तीय विवरण में शीर्षक 'आरक्षित और अधिशेष' के तहत दिखाया जाता है। प्रत्येक सहायक कंपनी के लिए 'गुडविल'/'पूंजी आरक्षित निधि' अलग से निर्धारित किया जाता है।

ग) समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों के लाभ / हानि का हिस्सा शामिल है, जिसका लेखा लेखांकन मानक (एएस) 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक कंपनियों में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार 'इक्विटी विधि' का उपयोग करके दिया गया है और तदनुसार, प्रत्येक सहयोगी कंपनी के लाभ/हानि के हिस्से (हानि को निवेश की लागत तक सीमित किया जा रहा है) को निवेश की लागत में जोड़ा/ घटाया गया है। सहयोगियों से प्राप्त वितरण के लिए वहन मूल्य कम कर दिया गया है।

घ) निगम अधिग्रहण के बाद, सहयोगीयोकी निवल संपत्तियों में परिवर्तन में अपने हिस्से को निगम व सहयोगीयोके लेनदेन के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभ और हानि को समाप्त करने के बाद, लाभ और हानि (गैर-तकनीकी खाता) / राजस्व खाता- पॉलिसीधारक खाता (तकनीकी खाता) के अपने विवरण के माध्यम से अपने हिस्से की उस हद तक जिस हद तक इस तरह का परिवर्तन सहयोगियों के लाभ और हानि के विवरण के कारण होता है, शामिल करता है।

ड) अल्पांश हित समेकित सहायक कंपनियों की निवल परिसंपत्तियों में निवेश तथा उसके बाद के पारिणामोमे अल्पांश शेयरधारकों का हिस्सा है।

The Corporation has made certain investments in equity shares and various other classes of securities in other companies which have been accounted for as per Accounting Standard 13 - Accounting for Investments. This includes certain investments in companies, not considered for Consolidation, as per category wise reasons given hereunder:

- **Where the corporation is categorized as Promoter:**

The Corporation has nominee directors on Board of some of these companies. However, Corporation does not have any control or significant influence on these companies. The Board seat of the Corporation in these investees is 1 out of total strength of the respective Board of Investee Companies ranging from 6 to 15. The Promoter/ Shareholder status is by way of investment at the time of formation of these companies.

- **Shareholding of Corporation is more than 20%:**

Legacy investments by the corporation without any Board representation and/or any involvement in the management/ administration of the investee Companies. As such, Corporation does not have any management control or significant influence in these entities.

- **Corporation has Board position through agreement or nominee directors:**

In such cases the shareholding of the corporation is below 20% and corporation has nominee directors on the Board of these investee companies. The investments in these companies are at par with other companies and shares are bought and sold depending upon market conditions. The Board seat is 1 out of total strength of the respective Board of Investee Companies ranging from 6 to 15. As such Corporation does not have control or significant influence on these companies.

**c. Basis of Consolidation**

- a) The financial statements of the Corporation and its subsidiaries have been combined on a line-by-line basis by adding together similar items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group balances, transactions and resulting unrealized profits or losses (unless cost cannot be recovered). The Policyholders' account specifically dealing with direct insurance business governed by IRDAI regulations has retained its distinct independent form in these consolidated financial statements. As foreign subsidiaries are engaged in the insurance business, revenue/expenses pertaining to the insurance business of the subsidiaries are presented under Revenue Account-Policyholders' Account (Technical Account). However, the activities carried by the Indian Subsidiaries, not being in insurance business, are presented in the Profit and loss- Shareholders Account (Non-Technical Account).
- b) The excess of costs to the Corporation of its investment in the subsidiaries over its share of equity of the subsidiaries at the dates on which the investments in subsidiaries are made, is recognised as 'Goodwill' being an asset in the consolidated financial statements. Alternatively, where the share of equity in the subsidiaries as on the date of investment is in excess of cost of investment of the Corporation, it is recognised as 'Capital Reserve' and shown under the head 'Reserves and Surplus', in the consolidated financial statements. The 'Goodwill' / 'Capital Reserve' is determined separately for each subsidiary.
- c) The consolidated financial statements include the share of profit / loss of the associate companies which have been accounted for using 'Equity Method' in accordance with Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for Investments in Associates in consolidated financial statements" and accordingly, the share of profit/ loss of each of the associate companies (the loss being restricted to the cost of investment) has been added to/deducted from the cost of investments. The carrying value is reduced for the distributions received from the associates.
- d) The Corporation accounts for its share in the change in the net assets of the associate, post-acquisition, after eliminating unrealised profits and losses resulting from the transaction between the Corporation and its associate to the extent of its share, through its statement of Profit and loss (Non-Technical Account) / Revenue Account-Policyholders' Account (Technical Account) to the extent such change is attributable to the associates' Statement of Profit and Loss.
- e) Minority interest in the net assets of consolidated subsidiaries consists of the amount of equity attributable to the minority shareholders at the dates on which investments are made by the Corporation in the subsidiaries and further movements in their share in the equity, subsequent to the dates of investments as stated above.

- च) समेकन में प्रयुक्त विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण निगम की रेपोर्टिंग तिथि 31 मार्च तक तैयार किए जाते हैं या 31 दिसम्बर तक, जहां सहायक या सहयोगी उस तारीख को अपना वित्तीय वर्ष बंद करते हैं। विदेशी सहायक कंपनियों ने संबंधित देश के आवश्यक स्थानीय कानूनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) / आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार अपने खाते तैयार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय (GAAP) की तुलना में निगम द्वारा अनुसरित कुछ भिन्नताएं हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से, इन संस्थाओं के खातों को निगम द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियों के साथ पुष्टि करने के लिए लेखांकन समायोजन नहीं किया गया है। लेखांकन नीति में अंतर का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।
- छ) विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण, गैर-अभिन्न संचालन होने के कारण, निम्नलिखित विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में परिवर्तित कर दिए गए हैं: राजस्व और व्यय: वर्ष के औसत पर, संपत्ति और देनदारियां: वित्तीय वर्ष के अंत में समापन दर पर। परिणामी रूपांतरण “फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व” में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- ज) सहायक/सहयोगी कंपनियों का शुद्ध अधिशेष/घाटा जहां पॉलिसीधारक निधि से निवेश किया जाता है, पॉलिसीधारकों की आरक्षित निधि में ले जाया जाता है और सहायक/सहयोगी कंपनियों का शुद्ध अधिशेष/घाटा जहां शेयरधारकों की निधि से निवेश किया जाता है, लाभ और हानि खाते के माध्यम से किया जाता है और उसके बाद शेयरधारकों के भंडार को अग्रेषित किया जाता है।

#### घ. अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुरूप है, जिसके लिए प्रबंधन को अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो वर्ष के लिए आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा, समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार परिसम्पत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की शेष राशि और आकस्मिक दायित्वों से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में उपयोग किए गए अनुमान और धारणाएं समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख तक और उसके अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है।

#### ङ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

##### 1. राजस्व मान्यता:

###### प्रीमियम आय:-

- क) प्रीमियम को देय होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके लिए अनुग्रह अवधि समाप्त नहीं हुई है और पिछली किशतों का भुगतान किया गया है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, भुगतान की नियत तारीख को उस तारीख के रूप में लिया जाता है जब संबद्ध इकाइयां सृजित की जाती हैं।
- ख) संबद्ध निधि से होने वाली आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रशासन प्रभार, मृत्युदर शुल्क आदि शामिल हैं, को संबद्ध निधि से नियम और शर्तों के अनुसार वसूल किया जाता है और देय होने पर मान्यता दी जाती है।
- ग) पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम का लेखा पुनर्बीमा संधि की शर्तों या पुनर्बीमाकर्ता के साथ सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।

###### निवेश से आय:-

- घ) सभी सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों ऋण सहित, डिबेंचर और बांड, पास थ्रू प्रमाणपत्र, बंधक ऋण के संबंध में ब्याज आय को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व खाते में क्रेडिट किया जाता है।
- ङ) द्वितीयक बाजार से सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के संबंध में, खंडित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान/ नकद आधार पर प्राप्त किया जाता है।
- च) ब्याज, लाभांश, किराया आदि का सकल मूल्य (आयकर की कटौती से पहले) पर हिसाब लगाया जाता है
- छ) ऋण, डिबेंचर और बांड के संबंध में, तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना ऋण दस्तावेज़ / सूचना ज्ञापन या ऐसे अन्य दस्तावेज़ में उल्लिखित साधारण ब्याज की गणना की विधि के अनुसार की जाती है। सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और बंधक ऋणों के संबंध में, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार अर्जित ब्याज की गणना वर्ष में 360 दिनों के आधार पर की जाती है।

- f) The financial statements of the Foreign Subsidiaries used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Corporation i.e., 31<sup>st</sup> March or up to 31<sup>st</sup> December, in case where the subsidiaries or associates close their financial year on that date. The foreign subsidiaries have prepared their accounts in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) / Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) as per the required local laws of the respective country, resulting in some variations as compared to Indian GAAP followed by the Corporation. For the purpose of preparing the CFS, accounting adjustments have not been made to align the accounts of these entities to confirm with the accounting policies followed by the Corporation. The impact of difference in accounting policy will not be material.
- g) Financial Statements of Foreign Subsidiaries, being non-integral operations, have been converted into Indian Rupees at following exchange rates: Revenue and Expenses: At the average of the year Assets and Liabilities: Closing rate at the end of the financial year. The resultant translation exchange difference is transferred to “Foreign Currency Translation Reserve”.
- h) The net Surplus/deficit of the subsidiary/associate companies where investment is made from Policyholder Funds is carried forward to Policyholders Reserves and the net Surplus/deficit of the subsidiary/associate companies where investment is made from Shareholders Funds is routed through P&L Account and thereafter carried forward to Shareholders Reserves.

#### d. Use of Estimates

The preparation of consolidated financial statements is in conformity with generally accepted accounting principles in India ('Indian GAAP') requires that the Group's management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses for the year, reported balances of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as on the date of the consolidated financial statements. The estimates and assumptions used in the accompanying consolidated financial statements are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances upto and as on the date of the consolidated financial statements. Actual results could differ from the estimates. Any revision to the accounting estimates is accounted for prospectively.

#### e. Significant Accounting Policies:

##### 1. Revenue Recognition

###### Premium Income

- a) Premiums are recognized as income when due, for which grace period has not expired and the previous instalments have been paid. In case of Linked Business, the due date for payment is taken as the date when the associated units are created.
- b) Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, mortality charges, etc. are recovered from linked fund in accordance with terms and conditions and recognized when due.
- c) Premium ceded on re-insurance is accounted in accordance with the terms of the re-insurance treaty or in-principle arrangement with the re-insurer.

###### Investment Income

- d) Interest income in respect of all government securities, debt securities including loans, debentures and bonds, Pass Through Certificate (PTC), mortgage loans is taken credit to the Revenue Account as per the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority.
- e) In respect of purchase or sale of Government and other approved securities from secondary market, interest for the broken period is paid / received on cash basis.
- f) Interest, Dividend, Rent, etc. are accounted at gross value (before deduction of Income Tax)
- g) In respect of loans, debentures and bonds, accrued interest as at the date of the balance sheet is calculated as per method of calculation of simple interest mentioned in the loan document/information memorandum or such other document. In respect of Government and other approved securities and mortgage loans, accrued interest as at the date of balance sheet is calculated based on 360 days a year.

- ज) प्रतिभूतियों/इक्विटी/म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के वर्ष में ही राजस्व में लिया जाता है।
- झ) उद्धृत इक्विटी पर लाभांश जहां इसे प्राप्त करने का अधिकार 31 मार्च (यानी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश) को या उससे पहले देय हो गया है, इसे बाद में प्राप्त आय के रूप में लिया जाता है। गैर-उद्धृत इक्विटी पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में लिया जाता है।
- ञ) पॉलिसी ऋणों पर ब्याज का हिसाब अर्जित के आधार पर किया जाता है।
- त) किराये की आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह देय होता है और किराया / लाइसेंस शुल्क जो 6 महीने से अधिक के लिए बकाया है, को आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। अप्रकृत प्रीमियम का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।
- थ) तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार एनपीए पर बकाया ब्याज, ब्याज सस्पेंस के रूप में प्रदान किया जाता है।
- द) अधिमानी शेयरों/म्यूचुअल फंड पर लाभांश केवल प्राप्ति पर आय के रूप में लिया जाता है।
- ध) डिबेंचर/बांड की खरीद पर आवेदन राशि पर ब्याज को नकद आधार पर आय के रूप में लिया जाता है।
- न) उद्यम पूंजी निवेश पर आय का लेखा नकद आधार पर किया जाता है।
- प) जीरो कूपन बांड से होने वाली आय को अर्जित आधार पर लेखे में लिया जाता है।
- फ) मोचन/परिपक्वता पर प्रीमियम को मोचन/परिपक्वता पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ब) प्रसंस्करण शुल्क प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

## 2. निवेश:

### क असंबद्ध व्यवसाय

क) सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमानी शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और मूल्य का खुलासा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, जो परिशोधन के अधीन होता है:

- सरकारी प्रतिभूतियों सहित ऋण प्रतिभूतियां, जहां बही मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा। जहां अंकित मूल्य बही मूल्य से अधिक होता है, छूट को परिपक्वता पर हिसाब में लिया जाता है।
- सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर, जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/मैच्योरिटी की बैलेंस अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन की तारीख से 30 दिन पहले नहीं) परिशोधन से अधिक है तो परिशोधन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है लागत।

गैर-सूचीबद्ध रिडीमेबल अधिमानी शेयर जहां बुक वैल्यू अंकित मूल्य से अधिक है, प्रीमियम को होल्डिंग/मैच्योरिटी की शेष अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है और परिशोधन लागत कम करने के लिए प्रावधान कम किया जाता है।

सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को बुक वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है यदि अंतिम उद्धृत मूल्य (मूल्यांकन तिथि से 30 दिन पहले नहीं), बुक वैल्यू से अधिक है। यदि अंतिम उद्धृत मूल्य कम है, तो इसका मूल्यहास के प्रावधान को घटाकर बही मूल्य पर किया जाता है।

असूचीबद्ध अप्रतिदेय अधिमानी शेयरों का मूल्यहास के प्रावधान को घटाकर बुक वैल्यू पर किया जाता है।

ख) सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का सक्रिय बाजारों में कारोबार होता है, जिन्हें तुलन-पत्र की तारीख पर उचित मूल्य पर मापा जाता है और इक्विटी प्रतिभूतियों की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।

ग) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों और कम कारोबार वाली इक्विटी प्रतिभूतियों को ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के प्रावधान को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। इस तरह की कमी का आकलन और हिसाब निगम की हानि नीति के अनुसार किया जाता है। प्रतिभूतियों को सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित म्यूचुअल फंडों को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार ही को कम कारोबार के रूप में माना जाएगा।

- h) Profit or Loss on sale of Securities/Equities/ Mutual Fund is taken to Revenue only in the year of sale.
- i) Dividend on quoted equity where right to receive the same has fallen due on or before 31<sup>st</sup> March (i.e. dividend declared by the company) is taken as income though received subsequently. Dividend on unquoted equity is taken as income only on receipt.
- j) Interest on policy loans is accounted for on accrual basis.
- k) Rental income is recognized as income when due and rent/license fees which is in arrear for more than 6 months is not recognized as income. Upfront premium is accounted on cash basis.
- l) Outstanding interest on NPA's as at Balance Sheet date is provided as interest suspense.
- m) Dividend on Preference shares/Mutual Fund is taken as income only on receipt.
- n) Interest on application Money on purchase of debentures/bonds is accounted on cash basis.
- o) Income on venture capital investment is accounted on cash basis.
- p) Income from zero coupon bonds is accounted on accrual basis.
- q) Premium on redemption/maturity is recognized as income on redemption/maturity
- r) Processing fee is accounted on receipt basis.

## 2. Investments

### A] Non-Linked Business

- a) Debt Securities including Government Securities and Redeemable Preference Shares are considered as 'held to maturity' and the value is disclosed at historical cost subject to amortization as follows:
  - i. Debt Securities including Government Securities, where the book value is more than the face value, the premium will be amortized on straight line basis over the balance period of holding/maturity. Where face value is greater than book value, discount is accounted on maturity.
  - ii. Listed Redeemable Preference Shares, where the book value is more than the face value, the premium is amortized on a straight-line basis over the balance period of holding/maturity and are valued at amortised cost if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than amortised cost. Provision for diminution is made if market value is lower than amortised cost.

Unlisted Redeemable Preference Shares where the book value is more than the face value, the premium is amortized on a straight-line basis over the balance period of holding/maturity and are valued at amortised cost less provision for diminution.

Listed Irredeemable Preference Shares are valued at book value if last quoted price (not later than 30 days prior to valuation date), is higher than book value. In case last quoted price is lower, it is valued at book value less provision for diminution.

Unlisted Irredeemable Preference Shares are valued at book value less provision for diminution.

- b) Listed equity securities that are traded in active Markets are measured at fair value on Balance Sheet date and the change in the carrying amount of equity securities is taken to Fair Value Change Account.
- c) Unlisted equity securities and thinly traded equity securities are measured at historical cost less provision for diminution in the value of such investments. Such diminution is assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation. A security shall be considered as being thinly traded as per guidelines governing mutual funds laid down from time to time by SEBI.

- घ) द्वितीयक बाजार से इक्विटी शेयरों और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को छोड़कर सभी निवेशों का हिसाब नकद आधार पर किया जाता है।
- ङ) निवेश संपत्तियों के मूल्य का खुलासा पुनर्मूल्यांकन राशि पर किया जाता है और निवेश संपत्ति की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में ले जाया जाता है। निवेश संपत्ति का हर तीन साल में कम से कम एक बार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार निम्नानुसार है:-
- निवेश संपत्ति का मूल्यांकन बाजार के किराए पर विचार करते हुए रेंट कैपिटलाइजेशन विधि द्वारा किया जाता है।
  - बिना किसी भवन/संरचना के अकेले भूमि वाली निवेश संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।
- च) म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) निवेश का मूल्यांकन तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार उचित मूल्य के आधार पर किया जाता है और म्यूचुअल फंड/ईटीएफ की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है।
- छ) वेंचर फंड/वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है, जहां एनएवी बुक वैल्यू से अधिक होता है। जहां कहीं भी एनएवी बुक वैल्यू से कम होती है, वहां अंतर को हास के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- ज) मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स को बुक वैल्यू पर मापा जाता है।

#### ख. संबद्ध व्यवसाय:

प्रतिभूतियों का मूल्यांकन समय-समय पर जारी आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार होता है।

#### 3. अधिग्रहण लागतें:

अधिग्रहण लागत उस अवधि में दिखाई जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। अधिग्रहण लागत वे लागतें हैं जो अलग-अलग होती हैं और मुख्य रूप से नए और नवीकरण बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण से संबंधित होती हैं।

#### 4. भुगतान किया गया लाभ:

- दावा लागत में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां भी लागू हो, शामिल होते हैं।
- दावे की मान्यता की तिथि पॉलिसी धारक द्वारा मृत्यु या समर्पण की सूचना प्राप्त होने की तिथि होगी। परिपक्वता, उत्तरजीविता लाभ, वार्षिकी आदि के मामले में दावों की मान्यता की तिथि पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार होगी।
- न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को प्रबंधन विवेक के आधार पर आकस्मिक दायित्व माना जाता है।
- उन अस्वीकृत दावों से संबंधित विवादित कानूनी मामलों के लिए प्रावधान किया गया है जहां एलआईसी द्वारा दायर अपील/रिट/संशोधन लंबित रहने तक एलआईसी के खिलाफ फोरम/कोर्ट द्वारा दी गई संपूर्ण राशि की सीमा तक लोअर फोरम/कोर्ट द्वारा निगम के खिलाफ निर्णय दिया जाता है।

#### 5. ऋण और प्रावधान

हानि प्रावधानों के अधीन ऋणों को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान निम्नानुसार हैं:

- भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा कंपनियों को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, गृह संपत्ति पर ऋण, डिबेंचर और बांड और बंधक ऋण का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:
  - मानक
  - उप-मानक
  - संदिग्ध और
  - हानि परिसंपत्तियाँ

- d) All Investments are accounted on cash basis except for purchase or sale of equity shares & government securities from the secondary market.
- e) The value of Investment Properties is disclosed at the Revalued amounts and the change in the carrying amount of the investment property is taken to Revaluation Reserve. Investment property is revalued at least once in every three years. The basis adopted for revaluation of property is as under:
  - i. The valuation of investment property is carried out by Rent Capitalization Method considering the market rent.
  - ii. Investment properties having land alone without any building/structure is revalued as per current market value.
- f) Mutual fund and Exchange Traded Fund (ETF) investments are valued on fair value basis as at the Balance Sheet date and change in the carrying amount of mutual fund/ETF is taken to Fair Value Change Account.
- g) Investments in Venture fund/ Alternative Investment Fund (AIF) is valued at cost wherever NAV is greater than the book value. Wherever, NAV is lower than book value the difference is accounted as diminution.
- h) Money Market Instruments are measured at book value.

#### **B] Linked Business:**

Valuation of Securities is in accordance with IRDAI directives issued from time to time.

### **3. Acquisition Costs**

Acquisition Costs are expensed in the period in which they are incurred. Acquisition costs are those costs that vary with and are primarily related to the acquisition of new and renewal insurance contracts.

### **4. Benefits Paid**

- a) Claims costs consist of the policy benefit amount and claims settlement costs, wherever applicable.
- b) The date of recognition of claim shall be the date of receipt of intimation of death or surrender by the policy holder. The date of recognition of claims in case of Maturity, Survival benefits, Annuity etc. shall be as per the terms and condition of the policies.
- c) Repudiated claims disputed before judicial authorities are treated as contingent liability based on management prudence.
- d) The provision is made for disputed legal cases pertaining to repudiated claims where decision is given against the Corporation by Lower Forum/Court to the extent of entire amount awarded by the Forum/Court against LIC, pending the Appeal/Writ/Revision filed by LIC.

### **5. Loans and Provisions**

Loans are measured at historical cost subject to impairment provisions. Asset Classification and Provisioning for Non-Performing Assets are as follows:

- a) As per the guidelines issued to Insurance Companies by Insurance Regulatory and Development Authority of India. Assets representing Loans, Debentures and Bonds and Mortgage Loans against House Property are classified based on record of recovery as:
  - i. Standard
  - ii. Sub-standard
  - iii. Doubtful and
  - iv. Loss Assets

ख) गैर-निष्पादित ऋण, डिबेंचर और बॉन्ड और हाउस प्रॉपर्टी के खिलाफ बंधक ऋण का प्रावधान भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

## 6. अचल सम्पत्ति:

### 6.1 अचल सम्पत्ति:

अचल संपत्तियों के मूल्य मूल्यहास घटाकर लागत (करों सहित) पर बताए गए हैं। निर्माणाधीन संपत्ति और कब्जे में ली गई संपत्तियों के लिए भुगतान की गई राशि, लंबित दस्तावेज, 'गृह संपत्ति एवं भूमि' के तहत गिना जाता है।

### 6.2 मूल्यहास / परिशोधन:

अचल संपत्तियों पर मूल्यहास / परिशोधन प्रबंधन द्वारा अनुमानित संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी-रेखा पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई संपत्ति के लिए मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यहास लगाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से ₹ 5000 तक की लागत वाली संपत्ति, कम मूल्य की संपत्ति होने के कारण खरीद के वर्ष में राजस्व खाते में पूरा व्यय के रूप में लिया जाता है। प्रबंधन द्वारा किए गए उपयोगी जीवन मूल्यांकन के आधार पर मूल्यहास की दरें इस प्रकार हैं: -

क्रमांक	परिसंपत्ति	मूल्यहास की दर
1.	फर्नीचर एवं फिटिंग्स	10%
2.	रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर आदि।	13.91%
3.	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	30%
4.	वाहन	20%
5.	साइकिल	15%
6.	कार्यालय उपकरण	10%
7.	टेलीफोन, फैक्स/ई पी बी एक्स, विविध पूंजी उपकरण	10%
8.	दूरसंचार उपकरण, श्रव्य दृश्य और अन्य संबद्ध उपकरण, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स और यूपीएस	30%
9.	पुस्तकालय पुस्तके और अन्य प्रचार सामग्री	20%
10.	₹ 5000/- से अधिक लागत वाले इंजीनियरिंग विभाग के उपकरण	12.50%
11.	गृह संपत्ति (बंधन मुक्त)	2%
12.	गृह संपत्ति और भूमि (पट्टे पर)	लीज की अवधि में अनुपातिक रूप से
13.	सहकारी समितियों में खरीदे गए स्वामित्व फ्लैट	2%

## 7. परिसंपत्ति की क्षति:

क) प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की क्षति के लिए समीक्षा की जाती है। यदि इस तरह की क्षति का कोई संकेत मौजूद है, तो उन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और जहां भी आवश्यक हो, हानि की पहचान की जाती है।

ख) जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन आश्वस्त करता है कि संपत्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तो हानि के लिए परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसी परिसंपत्तियों को बिगड़ा हुआ माना जाता है, तो पहचान की जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि संपत्ति के अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य से अधिक हो जाती है।

ग) निगम की हानि नीति के अनुसार असूचीबद्ध/कम कारोबार वाले इक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों और संबद्ध निवेशों के तहत इक्विटी के लिए हानि का आकलन और हिसाब किया गया।

- b) Provisioning for Non-Performing loans, debentures and bonds and Mortgage Loans against House Property is made as per the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

## 6. Fixed Assets

### 6.1 Fixed Assets

Values of the fixed assets are stated at cost (inclusive of taxes) less depreciation. Property under construction and amounts paid for the properties taken in possession, pending documentation, are accounted under 'House Property and Land.

### 6.2 Depreciation / Amortisation

Depreciation / amortisation on fixed assets is provided using the straight-line method, based on useful lives of assets as estimated by the management. Depreciation is charged on monthly pro-rata basis for assets purchased/ sold during the year. Assets individually costing up to ₹5,000, being low value assets are fully charged to revenue in the year of purchase. Based on useful life evaluation carried out by the management the rates of depreciation are as follows:

Sr. No.	Asset	Rate of Depreciation
1.	Furniture and fittings	10%
2.	Refrigerators and water coolers, etc.	13.91%
3.	Information Technology Equipment	30%
4.	Vehicles	20%
5.	Cycles	15%
6.	Office Equipment	10%
7.	Telephones, Fax/Epabx, Misc. Capital Equipment	10%
8.	Communication equipments, Audio Visual & Allied equipment, Voltage stabilizers UPS	30%
9.	Library Books and other publicity materials	20%
10.	Engineering Department's equipment costing over ₹5000/-	12.50%
11.	House Property (Freehold)	2%
12.	House Property and Land (Leasehold)	Pro rata based on lease period
13.	Ownership Flats purchased in Co-op Societies	2%

## 7. Impairment of assets

- a) The carrying values of assets at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of such impairment exists, the recoverable amounts of those assets are estimated and impairment is recognised, wherever necessary.
- b) Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.
- c) The impairment for unlisted/thinly traded equity shares, preference shares and equity under affiliated investments as assessed and accounted for in accordance with the Impairment Policy of the Corporation.

## 8. जीवन नीतियों के लिए दायित्व:

पॉलिसीधारकों के प्रति देयताएं निगम के जीवन बीमा व्यवसाय की वार्षिक जांच के अनुसार निगम के नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

## 9. विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव

### i. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मंदों, यदि कोई हो, का वर्ष के अंत की समाप्ति दरों पर रूपांतरित किया जाता है। निपटान/अनुवाद पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को लागू होने वाले राजस्व या लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

### ii. गैर-अभिन्न विदेशी संचालन

क) विदेशी व्यापार / विदेशी सहायक कंपनी से संबंधित लाइफ फंड को संबंधित देशों के वैधानिक नियमों के अनुसार निवेश किया गया है।

ख) वर्ष के अंत में विदेशों में शाखाओं के वित्तीय विवरण स्थानीय कानूनों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और जिसके लिए विनिमय की उचित दरों पर रूपांतरण किया जाता है।

ग) ऐसे रूपांतरणों पर उत्पन्न होने वाले विनिमय लाभ या हानियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे राजस्व खाते में उत्पन्न होते हैं।

घ) फिजी, मॉरीशस और यू.के. में किए गए संचालन गैर-अभिन्न प्रकृति के हैं। राजस्व खाता मंदों को औसत विनिमय दर और तुलन-पत्र मंदों को समापन दर पर अनुवादित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन विनिमय अंतर शेयरधारकों या पॉलिसीधारकों के खाते के तहत विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव रिजर्व में जमा होता है जैसा भी मामला हो।

ड) भारत से भेजे गए प्रेषणों द्वारा भारत के बाहर किए गए निवेशों को मूल रुपये की लागत पर या जल्द से जल्द दर्ज की गई रुपये की लागत पर हिसाब किया जाता है, जहां मूल लागत उपलब्ध नहीं होती है।

## 10. कर्मचारियों को लाभ:

क) निगम द्वारा जारी समूह ग्रेच्युटी बीमा पॉलिसी के माध्यम से कर्मचारियों को उपदान (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किया जाता है और इस तरह, उसके संबंध में दायित्व, जीवन निधि का हिस्सा बनता है।

ख) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प चुना है, उनके संबंध में जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत गठित भविष्य निधि ट्रस्ट में समान अंशदान किया जाता है।

ग) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के मामले में, योगदान तब किया जाता है जब संबंधित सेवाएं प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान राजस्व खाते में देय और प्रभारित किया जाता है।

घ) पेंशन योजना का चयन करने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ योजना के मामले में, भविष्य निधि योजना के बदले में, निगम का योगदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन फंड ट्रस्ट में किया जाता है और उक्त योगदान सहित पिछले सेवा योगदान बीमांकिक गणना के आधार पर किया जाता है।

ड) निगम द्वारा जारी सामूहिक अवकाश नकदीकरण बीमा पॉलिसी के माध्यम से सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ (बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर) प्रदान किए जाते हैं और इस प्रकार, इसके संबंध में देयता, जीवन निधि का हिस्सा बनती है।

## 8. Liability for Life Policies

The liabilities towards Policyholders are determined by the Corporation's Appointed Actuary pursuant to his annual investigation of the Corporation's life insurance business.

## 9. Effect of changes in the foreign exchange rate

### i. Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary items in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

### ii. Non- Integral Foreign Operations

- a) Life Fund relating to foreign business/foreign subsidiary has been invested according to the statutory regulations of the respective countries.
- b) Financial Statements of branches in foreign countries are prepared in accordance with local laws and are translated at appropriate rates of exchange.
- c) Exchange gains or losses arising on such conversions are recognised in the period in which they arise in the Revenue Account.
- d) Operations carried out in Fiji, Mauritius and U.K. are of non-integral nature. The Revenue A/c items are translated at the average exchange rate and Balance Sheet item at closing rate. Revaluation Exchange difference is accumulated in Foreign Exchange fluctuation Reserve under shareholders or policyholders account as the case may be.
- e) Investments made outside India by remittances sent from India are accounted for at original rupee cost or at the earliest recorded rupee cost, where original cost is not available.

## 10. Employee benefits

- a) Gratuity to employees is provided for (on the basis of Actuarial Valuation) through a Group Gratuity Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect thereof, forms part of the Life Fund.
- b) In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to the Provident Fund Trust formed under Life Insurance Corporation Act 1956.
- c) In case of Defined Contribution Pension Scheme, the contributions are made when due and charged to Revenue account during the period when related services are rendered.
- d) In case of Defined Benefit Plan for employees who have opted for Pension Scheme, in lieu of Provident Fund Scheme, the Corporation's contribution is made to the Pension Fund Trust, in accordance with the Pension Rules notified by the Government of India and the said contribution including past service contribution is made on the basis of Actuarial calculation.
- e) Leave Encashment Benefits on retirement are provided for (on the basis of Actuarial Valuation) through a Group Leave Encashment Insurance Policy issued by the Corporation and as such, the liability in respect thereof, forms part of the Life Fund.

#### 11. प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक संपत्तियां।

- क) कोई भी प्रावधान एक विश्वसनीय अनुमान के आधार पर किया जाता है जब यह संभव हो कि किसी दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। आकस्मिक दायित्व (पॉलिसियों के अलावा), यदि महत्वपूर्ण हैं, तो टिप्पणियों के माध्यम से प्रकट की जाती हैं।
- ख) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को पहचाना या प्रकट नहीं किया गया है।

#### 12. प्राप्ति और भुगतान खाता:

प्राप्तियां और भुगतान खाता वित्तीय विवरण तैयार करने और जीवन बीमा व्यवसाय की विवरणियां दाखिल करने संबंधी संदर्भ संख्या IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 दिनांक 11 दिसंबर, 2013 के मास्टर परिपत्र के पैरा 2.2 के अनुसार प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार और रिपोर्ट किया जाता है।

#### 13. कराधान:

- क) प्रत्यक्ष कर: आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 के प्रावधानों के साथ पहली अनुसूची में निहित नियमों और जीवन बीमा कारोबार के लिए लागू आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
- ख) अप्रत्यक्ष कर: निगम इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के क्रेडिट का दावा करता है, जिसे आउटपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के खिलाफ सेट किया जाता है। इनपुट सेवाओं पर माल और सेवा कर के लिए अप्रयुक्त क्रेडिट को तुलन-पत्र में 'अनुसूची 12 - अग्रिम और अन्य संपत्ति' के तहत आगे बढ़ाया जाता है, जहां उपयोग की उचित निश्चितता होती है।
- ग) समेकित वित्तीय विवरण में, आयकर व्यय मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू कानूनों के अनुसार प्रदर्शित होने वाले कर व्यय की कुल राशि है।

#### 14. पट्टे:

- क) परिचालन पट्टा: पट्टों जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टा किराया को सीधी रेखा आधार पर लीज अवधि में खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।
- जहां निगम पट्टेदार है, परिचालन पट्टों के अधीन परिसंपत्तियों को अचल संपत्तियों में शामिल किया जाता है। पट्टे की आय को राजस्व/लाभ और हानि खाते में पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है। मूल्यहास सहित लागतों को राजस्व/लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- ख) वित्तीय पट्टा: पट्टों के तहत निगम पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को मानता है और संपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अधिग्रहीत ऐसी पट्टे पर दी गई संपत्ति को परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है या पट्टे की शुरुआत में न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान का वर्तमान मूल्य, जो भी कम हो।

#### 15. उधार लेने की लागत:

उधार लेने की लागत में ब्याज, जमा पर कमीशन/ब्रोकरेज और विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उस सीमा तक शामिल हैं, जिस हद तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

#### 16. प्रति शेयर आय:

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद शु लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना कर के बाद शु लाभ या हानि को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या भी जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे, से विभाजित करके की जाती है।

## 11. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

- a) A Provision is made based on a reliable estimate when it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle an obligation. Contingent liabilities (other than policies), if material, are disclosed by way of notes.
- b) Contingent assets are not recognized or disclosed in the financial statements

## 12. Receipts and Payments Account:

Receipts and Payments Account is prepared and reported using the Direct Method in accordance with Para 2.2 of the Master Circular on Preparation of Financial Statements and Filing of Returns of Life Insurance Business Ref No. IRDA/F&A/Cir/232/12/2013 dated December 11, 2013.

## 13. Taxation

- a) Direct Taxation: Provision for income tax is made in accordance with the provisions of Section 44 of the Income Tax Act, 1961 read with Rules contained in the First Schedule and other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961 as applicable for life insurance business
- b) Indirect Taxation: The Corporation claims credit of goods and Services tax on input services, which are set off against goods and services tax on output services. Unutilised credits towards goods and services tax on input services are carried forward under 'Schedule 12 -Advances and Other Assets' in the Balance Sheet, wherever there is reasonable certainty of utilization.
- c) In Consolidated Financial Statement, income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries, as per their applicable laws.

## 14. Leases

- i. **Operating Lease:** Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership over the lease term are classified as operating leases. Operating lease rentals are recognised as an expense over the lease period on a straight-line basis.

Where the Corporation is the lessor, Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognised in the Revenue/Profit and Loss Account on a straight-line basis over the lease term. Costs, including depreciation are recognised as expense in the Revenue/Profit and Loss Account

- ii. **Finance Lease:** Leases under which the Corporation assumes substantially all the risk and rewards of ownership of the asset are classified as finance leases. Such leased asset acquired are capitalised at fair value of the asset or present value of the minimum lease rental payments at the inception of the lease, whichever is lower.

## 15. Borrowing Costs

Borrowing costs include interest, commission/brokerage on deposits and exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as adjustment to interest cost.

## 16. Earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax attributable to equity shareholders by weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss after tax by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares.

## 17. खंडीय रिपोर्टिंग:

### क) खंडों की पहचान:

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित खंडीय रिपोर्टिंग पर लेखा मानक 17 के साथ पठित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम 2002 ('विनियम') के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग-अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार निगम ने प्राथमिक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और तुलन पत्र तैयार किया है अर्थात् सहभागी जीवन व्यक्तिगत, सहभागी पेंशन व्यक्तिगत, सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी जीवन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी पेंशन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, असहभागी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, असहभागी संबद्ध एवं पूंजी मोचन निधारित वार्षिकी सहित। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है।

### ख) व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के आवंटन का आधार:

जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय को असंबद्ध सहभागी, असंब गैर-सहभागी, सामान्य वार्षिकी, पेंशन, स्वास्थ्य, समूह व्यवसाय, यूनिट संबद्ध (लिंकड) और सीआरएसी व्यवसाय के आधार पर आवंटित किया जाता है:

क. व्यवसाय की संबंधित लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य व्यय वास्तविक आधार पर व्यवसाय की इन पंक्तियों को आवंटित किए गए हैं, और

ख. अन्य व्यय जो व्यवसाय की संबंधित लाइनों के लिए सीधे पहचाने जाने योग्य नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित आधार पर या इनके संयोजन के आधार पर सामान्य पूल से आवंटित किया जाता है:

- i. पॉलिसी की संख्या
- ii. कुल प्रीमियम आय
- iii. आश्रस्त राशि

व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य व्यय का आवंटन निगम की अनुमोदित व्यय नीति पर आधारित है।

## 18. भविष्य के विनियोगों के लिए निधि:

असंबद्ध सहभागी बिजनेस के लिए, भविष्य के विनियोग खाते के लिए फंड में शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका आवंटन, 'पॉलिसी धारकों' या 'शेयरधारकों' में भाग लेने के लिए, तुलन-पत्र की तारीख में निर्धारित नहीं किया गया है। निधि में और से स्थानांतरण निगम के 'पॉलिसी धारकों' निधि में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक लेखा अवधि में व्यय और विनियोग पर आय की अधिकता या कमी को दर्शाता है। सहभागी पॉलिसीधारकों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आवंटन भी आवश्यक अनुपात में एक शेयरधारक हस्तांतरण को जन्म देगा।

संबद्ध फंड में भविष्य के विनियोग के लिए फंड, अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो कि कालातीत पॉलिसीधारकों से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें पुनर्जीवित करने की संभावना नहीं है। इस अधिशेष को 'पॉलिसीधारकों' के फंड में तब तक रखना आवश्यक है जब तक कि पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं लेते।

## 19. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:

पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए रखी गई संपत्तियां 17 नवंबर, 2020 के परिपत्र संख्या IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 और निवेश विनियम, 2016 के तहत पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर मास्टर परिपत्र की आवश्यकता, और समय-समय पर इसका संशोधित रूप, के अनुसार सृजित बनाए रखी जाती हैं:

- क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों की संपत्ति का खुलासा अनुमूची 12 "अग्रिम और अन्य संपत्ति" में किया गया है, जो तुलन-पत्र का हिस्सा है। दावा न की गई संपत्ति पर संबंधित आय को राजस्व खाते में ब्याज, लाभांश और किराया-सकल के तहत दिखाया गया है।
- ख) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर अर्जित आय को संबंधित दावा न किए गए फंड में जमा किया जाता है और एक अर्जित आधार पर हिसाब किया जाता है।

## 17. Segmental Reporting:

- a) Identification of Segments: Based on the primary segments identified under IRDA (preparation of Financial statements and auditors' report of insurance Companies) regulations 2002 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies act 2013 and rules there under, the corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating individual Variable, Non Participating individual Health, Non Participating Unit Linked and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments.
- b) Basis of allocation of expenditure to various segments of business:
 

Operating Expenses relating to life insurance business after adjusting for expenses attributable to Shareholders Account and are allocated to various lines of Business such as Non-Linked Participating, Non-Linked Non-Participating, General Annuities, Pensions, Health, Group Business, Unit Linked Business and CRAC business on the basis of:

  - a. Expenses which are directly identifiable to the respective lines of business have been allocated to these lines of business on actual basis, and
  - b. Other expenses which are not directly identifiable to the respective lines of business are allocated out of the common pool on the following basis or a combination of these:
    - i. Number of policies
    - ii. Total premium income
    - iii. Sum assured

Allocation of expenses among various lines of business is based on the approved expense policy of the Corporation.

## 18. Funds for future appropriations

For Non- linked Participating business, the balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to participating 'Policy Holders' or to 'Shareholders', has not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Corporation's 'Policy holders' fund. In respect of participating policies any allocation to the policyholder would also give rise to a shareholder transfer in the required proportion.

The fund for future appropriations held in the Unit-Linked funds, represents surplus that has arisen from lapsed policies unlikely to be revived. This surplus is required to be held within the 'policyholders' fund till the point at which the policyholders' can no longer revive their policy.

## 19. Unclaimed amount of policyholders

Assets held for unclaimed amount of policyholders are created and maintained in accordance with the requirement of Master circular on Unclaimed amount of Policyholders IRDA/F&A/CIR/Misc/282/ 11/2020 dated November 17, 2020 and Investment Regulations, 2016 as amended from time to time:

- a) Assets of unclaimed amounts of policyholders are disclosed in Schedule 12 "Advances and Other Assets", forming part of Balance Sheet. Corresponding income on unclaimed assets is shown under "Interest, Dividend & Rent- Gross" in Revenue Account.
- b) Income earned on unclaimed amount of policyholders is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis.

ग) निधि में सभी संबंधित अभिवृद्धियों के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए दावा न की गई राशि को आईआरडीआई विनियमों की आवश्यकता के अनुसार वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में जमा किया जाता है।

**20. उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन (एएसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय:**

उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन (एएसएम) फंड से उत्पन्न होने वाली आय, जो नॉन-पार्टिसिपेटिंग फंड का हिस्सा है, को नॉन-पार्टिसिपेटिंग बिजनेस के तहत संबंधित लेखा अवधि की आय के रूप में माना जाता है। परिणामस्वरूप एएसएम पर अभिवृद्धि से संबंधित राशि (कर को घटाकर) गैर-भागीदारी से शेयरधारकों की निधि में संपत्ति की समान राशि के साथ स्थानांतरित कर दी गई है।

**क. समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ**

**1. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए विचार की गई सहायक/सहयोगियों की सूची।**

**(क) सहायक कंपनियां**

क्र.	सहायक कंपनी का नाम	देश जहाँ निगमित हुई	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी	
			31 मार्च तक,	
			2024	2023
1.	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
2.	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
3.	एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई. लिमिटेड	सिंगापुर	100.00%	100.00%
4.	एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड	बांग्लादेश	83.33%	83.33%
5.	एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड	नेपाल	55.00%	55.00%
6.	एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी)	बहरीन	99.66%	99.66%
7.	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	श्री लंका	90.91%	86.49%

**(ख) सहयोगी कंपनियां**

क्र.	सहयोगी कंपनी का नाम	देश जहाँ निगमित हुई	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी	
			31 मार्च तक,	
			2024	2023
1.	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	भारत	45.24%	45.24%
2.	एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड <sup>(1)</sup>	भारत	5.38%	5.38%
3.	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	भारत	44.61%	45.00%
4.	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड	भारत	49.00%	49.00%
5.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	भारत	29.84%	29.84%
6.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड <sup>(2)</sup>	भारत	49.24%	49.24%

नोट्स:-

1. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में बकाया शेयरों का 94.62% हिस्सा है। इसलिए, एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में एलआईसीआई का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित बकाया शेयरों का 48.19% है।
2. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में, एलआईसीआई द्वारा धारित मतदान शक्ति का अनुपात 31 मार्च, 2024 31 मार्च, 2023 को 26% है।

- c) Amounts remaining unclaimed for a period of 10 years along with all respective accretions to the fund are deposited into the Senior Citizen Welfare Fund (SCWF) as per requirement of IRDAI regulations.

## 20. Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund:

Income arising from Available Solvency Margin (ASM) fund, which is part of Non-Participating fund is treated as Income of the respective accounting period under Non-Participating business. Consequently amount (net of Tax) pertaining to the accretion on the ASM has been transferred from Non-Participating to Shareholders fund along with equal amount of Assets.

## (B) NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

### 1. List of Subsidiaries/ Associates considered for preparation of Consolidated Financial Statements.

#### a. Subsidiary Companies

Sr. No.	Name of Subsidiary	Country of Incorporation	LICI's Direct Stake	
			As at March 31,	
			2024	2023
1.	LIC Pension Fund Ltd	India	100.00%	100.00%
2.	LIC Cards Services Ltd.	India	100.00%	100.00%
3.	Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd	Singapore	100.00%	100.00%
4.	Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.	Bangladesh	83.33%	83.33%
5.	Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.	Nepal	55.00%	55.00%
6.	Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c)	Bahrain	99.66%	99.66%
7.	Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd.	Sri Lanka	90.91%	86.49%

#### b. Associates Companies

Sr. No.	Name of Associates	Country of Incorporation	LICI's Direct Stake	
			As at March 31,	
			2024	2023
1.	LIC Housing Finance Ltd.	India	45.24%	45.24%
2.	LICHFL Asset Management Company Ltd. <sup>(1)</sup>	India	5.38%	5.38%
3.	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	India	44.61%	45.00%
4.	LIC Mutual Fund Trustee Pvt. Ltd.	India	49.00%	49.00%
5.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	India	29.84%	29.84%
6.	IDBI Bank Ltd. <sup>(2)</sup>	India	49.24%	49.24%

Notes:-

- LIC Housing Finance Ltd. holds 94.62% of the outstanding shares in LICHFL Asset Management Company Ltd. Therefore, LICI's direct and indirect interest in LICHFL Asset Management Company Ltd, is 48.19% of the outstanding shares.
- In case of IDBI Bank Limited, the proportion of voting power held by LICI is 26% as at March 31, 2024 and March 31, 2023.

(ग) कंपनियों में निवेश, समेकन के लिए विचार नहीं किया गया: निगम ने अन्य कंपनियों में इक्विटी शेयरों और विभिन्न अन्य वर्गों की प्रतिभूतियों में कुछ निवेश किए हैं जिनका लेखा मानक 13 - निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार किया गया है। इसमें नीचे दिए गए श्रेणीवार कारणों के अनुसार कंपनियों में कुछ निवेश शामिल हैं, जिन्हें समेकन के लिए नहीं माना गया है: -

- i. जहां निगम को प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है: निगम में इनमें से कुछ कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। हालांकि, इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। इन निवेशितियों में निगम की बोर्ड सीट 6 से 15 तक संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। निगम द्वारा इन कंपनियों के गठन के समय निवेश के कारण प्रमोटर/शेयरधारक की स्थिति हुई है।

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31 मार्च तक,			
	2024		2023	
	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	बुक वैल्यू	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	बुक वैल्यू
नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड	6	4.50	6	4.50
उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड	15	15.00	15	15.00
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	14.96	3.94	14.96	3.94
जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	12.50	10.00	12.50	10.00
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	5.00	10	5.00
एसआरआईसी (आई) लिमिटेड	9.18	9.00	9.18	9.00
एक्सिस बैंक लिमिटेड	7.93	4,960.76	7.96	4,960.76
टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	2.99	6.05	3.28	6.63
गुजरात राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड	0.11	0.09	0.11	0.09
इन्वेस्टर सर्विसेस ऑफ इंडिया (परिसमापन के तहत)	12.50	0.00	12.50	0.00
ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (परिसमापन के तहत)	8	0.80	8	0.80
बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)	28.78	0.44	28.78	0.45

- ii. निगम की शेयरधारिता 20% से अधिक है: निगम द्वारा बिना किसी बोर्ड के प्रतिनिधित्व और/या निवेशी कंपनियों के प्रबंधन/प्रशासन में किसी भी तरह की भागीदारी के बिना लीगेसी निवेश। इस प्रकार, इन संस्थाओं में निगम का कोई प्रबंधन नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31 मार्च तक,			
	2024		2023	
	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	बुक वैल्यू	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	बुक वैल्यू
बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड	20.03	0.04	20.03	0.04
ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	28.29	0.25	28.29	0.25
बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड	28.78	0.45	28.78	0.45
ईआर टेक्सटाइल्स लिमिटेड	23.23	1.16	23.23	1.16
एच जी आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड	25.29	3.18	25.29	3.18

**c. Investments in companies, not considered for consolidation:** The Corporation has made certain investments in equity shares and various other classes of securities in other companies which have been accounted for as per Accounting Standard 13 - Accounting for Investments. This includes certain investments in companies, not considered for consolidation, as per category wise reasons given hereunder:-

**i. Where the Corporation is categorized as Promoter:** The Corporation has nominee directors on Board of some of these companies. However, Corporation does not have any control or significant influence on these companies. The Board seat of the Corporation in these investees is 1 out of total strength of the respective Board of Investee Companies ranging from 6 to 15. The Promoter/ Shareholder status is by way of investment at the time of formation of these companies.

(₹ in Crores)

Name of the company	As at March 31,			
	2024		2023	
	LICI's Direct Stake%	Book Value	LICI's Direct Stake%	Book Value
National E-Governance Services Ltd.	6	4.50	6	4.50
North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	15	15.00	15	15.00
Stock Holding Corporation of India Limited	14.96	3.94	14.96	3.94
J&K Development Finance Corporation Ltd.	12.50	10.00	12.50	10.00
Clearing Corporation of India Ltd.	10	5.00	10	5.00
ASREC (I) Ltd.	9.18	9.00	9.18	9.00
Axis Bank	7.93	4,960.76	7.96	4,960.76
Tourism Finance Corporation of India	2.99	6.05	3.28	6.63
Gujarat State Financial Corporation Ltd.	0.11	0.09	0.11	0.09
Investor Services of India (under Liquidation)	12.50	0.00	12.50	0.00
OTC Exchange of India (under liquidation)	8	0.80	8	0.80
Burrakur Coal Co Ltd(Under Liquidation)	28.78	0.44	28.78	0.45

**ii. Shareholding of Corporation is more than 20%:** Legacy investments by the Corporation without any Board representation and/or any involvement in the management/administration of the investee Companies. As such, Corporation does not have any management control or significant influence in these entities.

(Amount in ₹ Crore)

Name of Company	As at March 31,			
	2024		2023	
	LICI's Direct Stake%	Book Value	LICI's Direct Stake%	Book Value
Borra Coal Co Ltd	20.03	0.04	20.03	0.04
Braithwaite & Co. Ltd.	28.29	0.25	28.29	0.25
Burrakur Coal Co Ltd.	28.78	0.45	28.78	0.45
Er Textiles Limited	23.23	1.16	23.23	1.16
H G I Industries Ltd.	25.29	3.18	25.29	3.18

कंपनी का नाम	31 मार्च तक,			
	2024		2023	
	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	बुक वैल्यू	एलआईसीआई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%	बुक वैल्यू
हनुमान टी कंपनी लिमिटेड	22.02	4.32	22.02	4.32
इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	25.34	829.17	25.34	829.17
कटखल लाला बाजार रेलवे कंपनी	23.47	0.02	23.47	0.02
मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड	23.44	0.86	23.44	0.86
पटना इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड	30.66	0.06	30.66	0.06

- iii. निगम के पास अनुबंधों या नामित निदेशकों के माध्यम से बोर्ड में प्रतिनिधित्व: ऐसे मामलों में निगम की हिस्सेदारी 20% से कम है और निगम के पास इन निवेशित कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक हैं। इन कंपनियों में निवेश अन्य कंपनियों के बराबर है और शेयर बाजार की स्थितियों के आधार पर खरीदे और बेचे जाते हैं। बोर्ड की सीट 6 से 15 के बीच संबंधित निवेशी कंपनियों के बोर्ड की कुल संख्या में से 1 है। इस प्रकार इन कंपनियों पर निगम का कोई नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

क्र.	कंपनियां जहां एलआईसीआई के अधिकारी नामित निदेशक हैं	एलआईसीआई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%		एलआईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों की संख्या	
		31 मार्च तक,		31 मार्च तक,	
		2024	2023	2024	2023
1.	एसीसी लिमिटेड	6.40	6.41	1	1
2.	अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड	5.07	6.30	1	1
3.	एक्सिस बैंक लिमिटेड	7.93	7.96	1	1
4.	भारत बिजली लिमिटेड	कोई भी नहीं	2.53	कोई भी नहीं	1
5.	बीएसई लिमिटेड	5.59	5.61	1	1
6.	केयर रेटिंग्स लिमिटेड	9.61	9.66	1	1
7.	सीडीएसएल	4.40	4.40	1	1
8.	क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10.00	10.00	1	1
9.	डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4.84	4.84	1	1
10.	डीसीएम श्रीराम लिमिटेड	6.76	6.74	1	1
11.	एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	6.89	6.91	1	1
12.	ग्लोस्टर लिमिटेड	12.73	12.81	1	1
13.	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8.08	9.34	1	1
14.	हाई एनर्जी बैटरीज (आई) लिमिटेड	5.99	6.33	1	1
15.	आईएफसीआई लिमिटेड	1.86	2.21	1	1
16.	आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड*	कोई भी नहीं	कोई भी नहीं	1	कोई भी नहीं
17.	इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	5.32	8.44	1	1
18.	इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड	3.60	4.23	1	1
19.	इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड	0.99	2.47	1	1
20.	आईटीसी लिमिटेड	15.19	15.26	1	1

Name of Company	As at March 31,			
	2024		2023	
	LICI's Direct Stake%	Book Value	LICI's Direct Stake%	Book Value
Hanuman Tea Co. Ltd.	22.02	4.32	22.02	4.32
Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd.	25.34	829.17	25.34	829.17
Katakhal Lala Bazar Railway Co	23.47	0.02	23.47	0.02
Modi Spinning & Weaving Mills Co. Ltd.	23.44	0.86	23.44	0.86
Patna Electric Supply Co Ltd.	30.66	0.06	30.66	0.06

- iii. **Corporation has Board position through agreement or nominee directors:** In such cases the shareholding of the Corporation is below 20% and the Corporation has nominee directors on the Board of these investee companies. The investments in these companies are at par with other companies and shares are bought and sold depending upon market conditions. The Board seat is 1 out of total strength of the respective Board of Investee companies ranging from 6 to 15. As such the Corporation does not have control or significant influence on these companies.

Sr. No.	Companies where LICI officials are Nominee Director	LICI Direct Stake %		No. of Board Members representing LICI	
		As at March 31,		As at March 31,	
		2024	2023	2024	2023
1.	ACC Limited	6.40	6.41	1	1
2.	Ambuja Cements Limited	5.07	6.30	1	1
3.	Axis Bank Limited	7.93	7.96	1	1
4.	Bharat Bijlee Limited	NA	2.53	None	1
5.	BSE Limited	5.59	5.61	1	1
6.	CARE Ratings Limited	9.61	9.66	1	1
7.	CDSL	4.40	4.40	1	1
8.	Clearing Corporation of India Limited	10.00	10.00	1	1
9.	DCM Shriram Industries Limited	4.84	4.84	1	1
10.	DCM Shriram Limited	6.76	6.74	1	1
11.	Excel Industries Limited	6.89	6.91	1	1
12.	Gloster Limited	12.73	12.81	1	1
13.	Grasim Industries Limited	8.08	9.34	1	1
14.	High Energy Batteries(I) Limited	5.99	6.33	1	1
15.	IFCI Limited	1.86	2.21	1	1
16.	IIFL Finance Limited*	NA	NA	1	None
17.	India Bulls Housing Finance Limited	5.32	8.44	1	1
18.	India Cements Limited	3.60	4.23	1	1
19.	Industrial Investment Trust Limited	0.99	2.47	1	1
20.	ITC Limited	15.19	15.26	1	1

क्र.	कंपनियों जहां एलआईसीआई के अधिकारी नामित निदेशक हैं	एलआईसीआई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी%		एलआईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों की संख्या	
		31 मार्च तक,		31 मार्च तक,	
		2024	2023	2024	2023
21.	लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड	कोई भी नहीं	4.95	कोई भी नहीं	1
22.	लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	11.04	11.41	1	1
23.	महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	9.89	7.33	1	1
24.	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	कोई भी नहीं	5.00	कोई भी नहीं	1
25.	नेशनल को-ओपी हाउसिंग भारत की फेड*	कोई भी नहीं	कोई भी नहीं	1	1
26.	नेशनल इंगवर्नेस सर्विसेज लिमिटेड	6.00	6.00	1	1
27.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	10.72	10.72	1	1
28.	एनसीडीईएक्स लिमिटेड	11.1	11.1	1	1
29.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड	15	15	1	1
30.	ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड	2.08	2.1	1	1
31.	उड़ीसा खनिज विकास निगम लिमिटेड	6.55	7.64	1	1
32.	सिडबी	13.33	13.33	1	1
33.	सिम्प्लेक्स रियल्टी लिमिटेड	11.92	12.38	1	1
34.	स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	14.96	कोई भी नहीं	1	कोई भी नहीं
35.	टाटा पावर कंपनी लिमिटेड	कोई भी नहीं	7.51	कोई भी नहीं	1
36.	टाइडल पार्क लिमिटेड	6.25	6.25	1	1
37.	टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	2.99	3.28	1	1
38.	वक्रांगी लिमिटेड	कोई भी नहीं	6.22	कोई भी नहीं	1
39.	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	12.50	12.50	1	1
40.	केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10.21	10.21	1	1
	<b>पीएसयू बैंक जहां एलआईसीआई अधिकारी शेयरधारक निदेशक हैं</b>				
41.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4.10	3.07	1	1
42.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2.62	2.62	1	1
43.	इंडियन बैंक	2.91	कोई भी नहीं	1	कोई भी नहीं
44.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1.21	1.21	1	1
45.	पंजाब नेशनल बैंक	8.34	कोई भी नहीं	1	कोई भी नहीं
46.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.62	0.62	1	1
47.	भारतीय स्टेट बैंक	8.83	8.68	1	1
48.	यूको बैंक	1.24	1.24	1	1

नोट्स:-

1. \* ऋण जोखिम के लिए नामित निदेशक नियुक्त।
2. प्रतिशत धारिता की गणना के प्रयोजन के लिए कैपिटल लाईन/प्रोविस में उपलब्ध प्रदत्त पूंजी आंकड़ों पर विचार किया गया है।

Sr. No.	Companies where LIC officials are Nominee Director	LICI Direct Stake %		No. of Board Members representing LICI	
		As at March 31,		As at March 31,	
		2024	2023	2024	2023
21.	Lakshmi Machine Works Limited	NA	4.95	None	1
22.	Larsen & Toubro Limited	11.04	11.41	1	1
23.	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	9.89	7.33	1	1
24.	Mahindra & Mahindra Limited	NA	5.00	None	1
25.	National CO-OP Housing Fed. Of India*	NA	NA	1	1
26.	National Egovernance Services Limited	6.00	6.00	1	1
27.	National Stock Exchange	10.72	10.72	1	1
28.	NCDEX Limited	11.1	11.1	1	1
29.	North Eastern Development Finance Corp.Ltd.	15	15	1	1
30.	Oriental Carbon & Chemicals Limited	2.08	2.1	1	1
31.	Orissa Mineral Development Corporation Ltd.	6.55	7.64	1	1
32.	SIDBI	13.33	13.33	1	1
33.	Simplex Realty Limited	11.92	12.38	1	1
34.	Stockholding Corporation of India Limited	14.96	NA	1	None
35.	Tata Power Company Limited	NA	7.51	None	1
36.	Tidel Park Limited	6.25	6.25	1	1
37.	Tourism Finance Corpn of India	2.99	3.28	1	1
38.	Vakrangee Limited	NA	6.22	None	1
39.	Jammu & Kashmir Development Finance Corp. Ltd.	12.50	12.50	1	1
40.	KenIndia Assurance Company Ltd	10.21	10.21	1	1
<b>PSU Banks where LICI Officials are Shareholders Director</b>					
41.	Bank of Maharashtra	4.10	3.07	1	1
42.	Central Bank of India	2.62	2.62	1	1
43.	Indian Bank	2.91	NA	1	None
44.	Indian Overseas Bank	1.21	1.21	1	1
45.	Punjab National Bank	8.34	NA	1	None
46.	Punjab & Sind Bank	0.62	0.62	1	1
47.	State Bank of India	8.83	8.68	1	1
48.	UCO Bank	1.24	1.24	1	1

Note:-

- \* Nominee Director appointed for Debt Exposure.
- Paid up capital data available in capital line/prowess have been considered for purpose of calculation of percentage holding.

3. एलआईसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्यों की संख्या के कॉलम में, 'कोई भी नहीं' यह इंगित करता है कि निगम का कोई भी प्रतिनिधित्व कम्पनी के बोर्ड में नहीं है।
  4. एलआईसीआई डायरेक्ट स्टैक% कम्पनी में एलआईसी डायरेक्ट होल्डिंग का अनुपात है जो कम्पनी के कुल बकाया शेयरों में अंतर्निहित डिपॉजिटरी रसीदों की संख्या सहित है।
- iv. **जहां निगम का नियंत्रण है लेकिन निगम को कोई आर्थिक लाभ उपलब्ध नहीं है:** – एएस 21 के पैरा 10 के अनुसार जहां संस्थाओं पर नियंत्रण का उद्देश्य उनकी गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, उन्हें समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से नहीं माना जाता है। चूंकि निगम एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन और भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य निधि ट्रस्ट से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं करता है, इसलिए इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 के प्रावधानों के अनुसार समेकन से बाहर रखा गया है।
- v. **जहां निगम का नियंत्रण है लेकिन दीर्घकालिक प्रतिबंध मौजूद है:** – एएस 27 के पैरा 38 के अनुसार, ऐसी संस्थाएं जो गंभीर दीर्घकालिक प्रतिबंधों के तहत काम करती हैं, जो मूल रूप से धन हस्तांतरित करने की क्षमता को कम करती हैं, उन्हें समेकन से बाहर रखा जाना चाहिए। सऊदी इंडियन कम्पनी फॉर को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस (SICCI) या वफ़ा इंश्योरेंस 7 अगस्त 2007 को स्थापित एक सऊदी ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी है। एलआईसी ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (इंटरनेशनल) बीएससी (सी), बहरीन के पास वर्तमान में सिक्की में 4.98% शेयर हैं, और शेष न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी, अन्य और सऊदी अरब साम्राज्य की जनता के पास है। अपने व्यवसाय संचालन में अव्यवहार्यता के कारण, SICCI स्थानीय कानूनों के अनुसार वित्तीय पुनर्गठन पर विचार कर रहा है और पिछले कई वर्षों के वित्तीय विवरण भी निगम के पास उपलब्ध नहीं हैं। सॉल्वेंसी मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण SICCI को बीमा पॉलिसी जारी करने से निलंबित कर दिया गया है। तदनुसार, निवेश के मूल्य में स्थायी कमी का प्रावधान निगमों की लेखा पुस्तकों में किया गया है, इसलिए समेकन से बाहर रखा गया है।

(घ) **जिन सहायक कम्पनीयों की रिपोर्टिंग तिथि एलआईसीआई से भिन्न है और रिपोर्टिंग तिथियों में अंतर है निम्नलिखित प्रकार है:**

क्र. संस्था का नाम	सहायक रिपोर्टिंग तिथि	एलआईसीआई रिपोर्टिंग तिथि
1. एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी)	31 दिसंबर तक	31 मार्च तक

नोट: उपरोक्त सहायक कम्पनीयों के नवीनतम उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को समेकन के लिए माना गया है और रिपोर्टिंग तिथि और समेकन तिथि के बीच महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए समेकन और समायोजन किया गया है (एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड, एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड और एलआईसी (लंका) लिमिटेड का अपरीक्षित वित्तीय विवरणों को समायोजन किया गया है)।

तदनुसार, चालू वर्ष की कुल आय ₹ 50.27 करोड़ अधिक और करपश्चात शुद्धलाभ ₹ 5.14 करोड़ कम हो गया है।

(ड) **एलआईसी (लंका) लिमिटेड और एलआईसी म्यूचुअल फंड एएमसी लिमिटेड में निम्नलिखित निवेश किए गए हैं:**

- (i) अप्रैल 2023 में एलआईसी (लंका) लिमिटेड में ₹ 9.28 करोड़ की राशि का निवेश किया गया, इस प्रकार शेयर होल्डिंग प्रतिशत 86.49% से बढ़कर 90.91% हो गया।
- (ii) ₹ 10,000 प्रति शेयर अंकित मूल्य और ₹ 2,48,851 प्रति शेयर के शेयर प्रीमियम के 956 शेयरों के राइट इश्यू को खरीदने के लिए एलआईसी एमएफ एएमसी में शेयरधारक फंड से सितंबर 2023 में ₹ 24.75 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था। इसके अलावा दिसंबर 2023 में, एलआईसी एमएफ एएमसी ने आईडीबीआई एएमसी को तरजीही आधार पर 1306 इक्विटी शेयर आवंटित किए, जिससे हमारी हिस्सेदारी घटकर 40.93% हो गई। फिर मार्च, 2024 में शेयरधारक निधि से 10000 प्रति शेयर अंकित मूल्य के 959 शेयरों के तरजीही मुद्दे और ₹ 2,50,618 प्रति शेयर के शेयर प्रीमियम को खरीदने के लिए ₹ 24.99 करोड़ की राशि का निवेश किया गया, इस प्रकार हिस्सेदारी बढ़कर 44.61% हो गई (पॉलिसीधारक) फंड 32.17% और शेयरधारक फंड 12.44%)।

3. In column of “No. of Board Members representing LIC”, None indicates there is no representative of LIC on Board of Company.
  4. LIC Direct Stake % is ratio of LIC direct equity holding in company to total outstanding shares of the company as on date including number of shares underlying depository receipts.
- iv. Where the Corporation has control but no economic benefits are available to the Corporation:** As per the Para 10 of AS 21 where the objective of control over entities is not to obtain economic benefits from their activities, these are not considered for the purpose of preparation of consolidated financial statements. As the Corporation does not obtain any economic benefits from LIC Golden Jubilee Foundation and Life Insurance Corporation of India Provident Fund Trust hence the same has been excluded from consolidation as per the provisions of Accounting Standard 21 issued by ICAI.
- v. Where the Corporation has control but there exists long term restriction:** As per para 38 of AS 27, entities that operate under severe long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer funds to the parent should be excluded from consolidation. Saudi Indian Company for Co-operative Insurance (SICCI) or Wafa Insurance is a Saudi Joint Stock Company established on 7<sup>th</sup> August 2007. LIC of India and Life Insurance Corporation (International) B.S.C.(c), Bahrain currently holds 4.98% share each in SICCI, and the balance is held by New India Assurance Company, others, and the public from the Kingdom of Saudi Arabia. Due to non-viability in its business operations, SICCI is considering financial re-organization as per the local laws and the financial statements for the past several years are also not available with the Corporation. SICCI has been suspended from issuing insurance policies as it has failed to meet the solvency margin requirements. Accordingly, the provision for permanent diminution in value of investment has been made in the Corporations books of accounts hence excluded from consolidation.
- d. Subsidiaries of which reporting date is different from that of LIC and the difference in reporting dates are as follows:**

Sr. No.	Name of Entity	Subsidiary Reporting Date	LIC Reporting Date
1.	Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c)	As at December 31	As at March 31

Note: Latest available audited financial statements of the above subsidiary have been considered for consolidation and adjustment for significant transaction between reporting date and consolidation date have been considered.

The financial statements of three foreign subsidiary companies i.e. LIC (Singapore) Pte. Ltd, LIC (Lanka) Ltd and LIC Bangladesh Ltd are consolidated for incremental three months to coincide with the reporting period of LIC of India (instead of accounting with lag of one quarter in the past). Accordingly, the current year's total income is higher by ₹ 50.27 crores and net profit after tax is reduced by ₹ 5.14 crores respectively.

- e. Following investments have been made in LIC (Lanka) Ltd and LIC Mutual Fund AMC Ltd :**
- (i) An amount of ₹9.28 cr was invested in April 2023 in LIC (Lanka) Ltd, thus increasing share holding percentage from 86.49 % to 90.91%.
  - (ii) An amount of ₹24.75 Crore was invested in Sept. 2023 from Shareholder fund in LIC MF AMC to purchase Right Issue of 956 shares of face value ₹10,000 per share and share premium of ₹2,48,851 per share. Further in Dec. 2023, LIC MF AMC allotted 1306 equity shares on preferential basis to IDBI AMC which reduced our stake to 40.93%. Again in March, 2024 an amount of ₹24.99 crore was invested from Shareholder fund to purchase preferential issue of 959 shares of face value 10000 per share and a share premium of ₹2,50,618 per share, thus increasing the stake to 44.61% (Policyholder fund 32.17% & Shareholder fund 12.44%).

(च) गुडकिल / (पूँजीगत आरक्षित):

सहयोगी कंपनियों में निवेश की अग्रणी राशि में शामिल एलआईसीआई द्वारा सहयोगी कंपनियों के अधिग्रहण पर उत्पन्न होने वाली गुडकिल / (पूँजीगत आरक्षित) का उल्लेख नीचे किया गया है:

(₹ करोड़ में)

सहयोगी कंपनी का नाम	गुडकिल / (पूँजीगत आरक्षित) 31 मार्च को,	
	2024	2023
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	7.27	7.27
एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	0.44	0.44
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	(1.56)	(1.56)
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	3,400.63	3,400.63

आईआरडीएआई विनियमों और लागू लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण।

2. आकस्मिक देयताएं (एलआईसीआई):

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
क.	आंशिक रूप से चुकता निवेश	604.96	604.96
ख.	निगम के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	63.12	18.36
ग.	अंडरराइटिंग प्रतिबताएं बकाया	शून्य	शून्य
घ.	निगम द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटियां	0.08	0.08
ङ.	विवाद में वैधानिक मांगें/दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं है	15,278.37	13,379.38
च.	उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	शून्य	शून्य
छ.	अन्य:		
	मुकदमेबाजी के तहत नीति संबंधी दावे	511.19	497.77
	पॉलिसी धारकों के अलावा मुकदमेबाजी के तहत दावा	883.14	947.75

3. ऋण, निवेश और अचल संपत्तियों के लिए की गई प्रतिबताएं और बकाया इस प्रकार हैं (एलआईसीआई):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
ऋण और निवेश	1,615.04	14,545.06
अचल सम्पत्ति	1,058.80	1,378.80

4. पॉलिसी देनदारियों के मूल्यांकन के लिए बीमांकिक अनुमान (एलआईसीआई):

निगम के जीवन बीमा व्यवसाय में व्यक्तिगत और समूह अनुबंधों के तहत लिंकड और गैर-लिंकड व्यवसाय शामिल हैं। गैर-लिंकड व्यवसाय में सहभागी आश्वासन/वार्षिकी/पेंशन पॉलिसियों और गैर-भागीदारी आश्वासन/वार्षिकी/पेंशन/व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों शामिल हैं, जो समूह पॉलिसियों के साथ गैर-भाग लेने वाले आश्वासनों के तहत लिखी गई हैं। लिंक किए गए व्यवसाय में समूह अनुबंधों के तहत लिखे गए लिंकड एश्योरेंस व्यवसाय के बहुत कम अनुपात के साथ गैर-भाग लेने वाली आश्वासन/पेंशन/व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों शामिल हैं। इनमें से कुछ पॉलिसियों में राइडर जुड़े होते हैं जैसे कि गंभीर बीमारी, प्रीमियम छूट लाभ, टर्म एश्योरेंस और दुर्घटना लाभ, जिसमें दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ शामिल हैं।

**f. Goodwill/ (Capital Reserve):**

Goodwill/ (Capital Reserve) arising on acquisition of the associate companies by LIC included in the carrying amount of investment in associates companies is mentioned below:

(₹ in Crore)

Name of the Associates Company	Goodwill/ (Capital Reserve) as at March 31,	
	2024	2023
LIC Housing Finance Ltd.	7.27	7.27
LICHFL Asset Management Company Ltd.	0.44	0.44
IDBI Trusteeship Services Ltd.	(1.56)	(1.56)
IDBI Bank Limited	3,400.63	3,400.63

**Disclosures as per IRDAI Regulations & applicable Accounting Standards.**

**2. Contingent Liabilities:**

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
a.	Partly paid-up investments	604.96	604.96
b.	Claims against the Corporation not acknowledged as Debts	63.12	18.36
c.	Underwriting commitments outstanding	Nil	Nil
d.	Guarantees given by or on behalf of the Corporation	0.08	0.08
e.	Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for	15,278.37	13,379.38
f.	Reinsurance obligations to the extent not provided for	Nil	Nil
g.	Others:		
	Policy related claims under litigation	511.19	497.77
	Claims under litigation other than policy holders	883.14	947.75

**3. Commitments made and outstanding for loans, investments and fixed assets aggregate to as follows (LIC):**

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Loans and Investment	1,615.04	14,545.06
Fixed Assets	1,058.80	1,378.80

**4. Actuarial Assumptions for valuation of policy liabilities of LIC:**

The Corporation's Life Insurance Business consists of linked and non-linked business under Individual and Group contracts. The non-linked business consists of Participating Assurance /Annuity / Pension policies and Non-participating Assurance / Annuity /Pension / Individual Health policies and Group policies written under non-participating assurances. The linked business consists of Non-participating Assurance / Pension / Individual Health policies with a very small proportion of linked assurance business written under Group contracts. Some of these policies have riders attached to them such as Critical Illness, Premium Waiver Benefit, Term Assurance and Accident Benefit including Accidental Death & Disability Benefit.

31 मार्च, 2024 तक हमारी बहियों में व्यक्तिगत और समूह पॉलिसियों के लिए मूल्यांकन दायित्व, मूल्यांकन की संभावित सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करके प्रत्येक पॉलिसी के लिए बीमांकिक रूप से गणना की गई है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पॉलिसी के लिए रिजर्व कम से कम गारंटीड सरेंडर मूल्य या विशेष समर्पण मूल्य, जो भी अधिक हो, के बराबर हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पॉलिसी के तहत रिजर्व पर पहुंचते समय नकारात्मक रिजर्व शून्य पर सेट हो। लिंकड व्यवसाय के संबंध में इकाई देयता को मूल्यांकन की तारीख को इकाइयों के कुल शुद्ध संपत्ति मूल्य के रूप में लिया जाता है।

लिंकड व्यवसाय के तहत गैर-इकाई देयता की गणना रियायती नकदी प्रवाह पद्धति का उपयोग करके की जाती है। देनदारियों की गणना ब्याज, मृत्यु दर, रुग्णता, निकासी, व्यय, मुद्रास्फीति और बोनस के लिए जहां भी लागू हो, मूल्यांकन मान्यताओं के आधार पर की जाती है। समूह नकद संचय योजनाओं के लिए देयता को 31 मार्च, 2024 तक ऐसी सभी योजनाओं के निधि मूल्य के रूप में लिया गया है। समूह बीमा योजनाओं के संबंध में देयता अगले वार्षिक नवीनीकरण तिथि तक की अवधि के आधार पर अनर्जित जोखिम प्रीमियम के रूप में निकाली गई है। .

उपयोग की गई ब्याज की मूल्यांकन दरें योजना के प्रकार के अनुसार भिन्न होती हैं और अंतर्निहित परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रकृति और अवधि के आधार पर 5.20% से 7.38% प्रति वर्ष तक होती हैं। बोनस दर अनुमानों को ब्याज की मूल्यांकन दरों के अनुरूप बनाया गया है।

उपयोग की गई मृत्यु दर प्रकाशित भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम तालिका और भारतीय व्यक्तिगत वार्षिक मृत्यु दर (2012-15) अंतिम तालिका पर आधारित हैं, जो किसी भी प्रतिकूल विचलन के लिए अपेक्षित अनुभव और मार्जिन के लिए भत्ता को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं। रुग्णता दर गंभीर बीमारी आधार तालिका (सीआईबीटी 93 यूके) / पुनर्बीमाकर्ता की घटना दरों पर आधारित हैं, जो तर्कशुद्धता के लिए शामिल मार्जिन के साथ हमारे उपयोग के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित हैं।

मूल्यांकन के लिए व्यय अनुमान या तो प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में या पॉलिसी के अनुसार या इनके संयोजन के रूप में निकाला गया था। व्यक्तिगत व्यवसाय के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रति पॉलिसी व्यय का नवीनीकरण योजना के प्रकार और पॉलिसी की स्थिति और व्यय मुद्रास्फीति के लिए उपयुक्त धारणा के अनुसार भिन्न होता है। व्यक्तिगत व्यवसाय के संबंध में नवीनीकरण प्रीमियम संबंधी खर्चों में योजना के प्रकार के आधार पर प्रीमियम पर जीएसटी, जहां भी लागू हो, शामिल है।

सहभागी नीतियों का मूल्यांकन करते समय, कराधान के लिए भत्ता और शेयरधारकों को अधिशेष का आवंटन अनुबंध की शेष अवधि के लिए आरक्षित भावी प्रत्यावर्ती बोनसों को उचित रूप से रेटिंग देकर किया गया है।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित के संबंध में देयता के लिए आरक्षित निधियां प्रदान की गई हैं; प्रीमियम छूट लाभ, स्थायी विकलांगता लाभ सहित दोहरा दुर्घटना लाभ, वापसी योग्य अतिरिक्त प्रीमियम और वापसी योग्य डबल दुर्घटना लाभ प्रीमियम के संबंध में देयता, भुगतान की गई पॉलिसियों का पुनरुद्धार, भुगतान मूल्य प्राप्त नहीं करने वाली पॉलिसियों की बहाली, व्यय में तत्काल वृद्धि के मामले में नए व्यवसाय के लिए कार्यालय बंद है, एड्स / एचआईवी के कारण उप मानक जीवन के संबंध में अतिरिक्त जोखिम, हुई लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई मौतें (IBNR) और तबाही। उपर्युक्त मदों के लिए आरक्षित निधि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताओं का निर्धारण किसी प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन की अनुमति देने वाली मूल्यांकन की तिथि पर पॉलिसियों की बकाया अवधियों के लिए भविष्य के अनुभवों के विवेकपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर किया गया था।

इसके अलावा, लिंकड योजनाओं के मामले में, जहां परिपक्वता पर गारंटी है, ऐसी गारंटी की लागत स्टोकेस्टिक विधियों का उपयोग करके निकाली गई है। बीमा खाता II के लिए, ब्याज गारंटी की लागत प्रदान की गई है। उन योजनाओं के लिए जहां ऐसे विकल्प हैं जिनका पॉलिसीधारकों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, इन विकल्पों के मूल्यांकन के लिए सबसे कठिन विकल्प लिया गया है। फ्यूचर विनियोग (एफएफए) के लिए फंड नॉन लिंकड और लिंकड दोनों तरह के बिजनेस के लिए उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में निगम के बोर्ड ने एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 और एलआईसी अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 28 के तहत आवश्यक अधिशेष वितरण नीति के तहत सिंगल फंड को अलग-अलग सहभागी और गैर सहभागी फंड में विभाजित करने की मंजूरी दे दी है।

अधिशेष वितरण नीति वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 95:5 वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 92.5:7.5 और वित्तीय वर्ष 2024-25 से 90:10 के रूप में पार नीतियों के लिए अधिशेष वितरण पैटर्न को अनिवार्य करती है और वित्तीय वर्ष 2021-22 से गैर-पारस्परिक नीतियों के लिए 0:100।

The Valuation liability for Individual and Group policies in our books as at 31<sup>st</sup> March, 2024, has been calculated actuarially for each policy by using Prospective Gross Premium Method of valuation. It is ensured that the reserve for each policy is at least equal to the Guaranteed Surrender Value or Special Surrender Value, whichever is higher. It is also ensured that negative reserve is set to zero while arriving at the reserve under a policy.

The unit liability in respect of Linked business is taken as the total Net Asset Value of the units as on the date of valuation. The non-unit liability under the linked business is calculated using the discounted cash flow method. The liabilities are calculated based on the valuation assumptions for interest, mortality, morbidity, withdrawal, expenses, inflation and bonuses wherever applicable. The liability for Group Cash Accumulation schemes has been taken as the fund value of all such schemes as at 31<sup>st</sup> March, 2024. The liability in respect of One Year Renewable Group Term Assurance schemes has been arrived at as unearned risk premium based on period up to next Annual Renewal Date.

The valuation rates of interest used vary according to the type of plan and ranges from 5.20% to 7.38% p.a. depending on the nature and term of the underlying assets and liabilities. Bonus rate assumptions have been aligned to be consistent with the valuation rates of interest.

The mortality rates used are based on the published Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Ultimate Table and Indian Individual Annuitant Mortality (2012-15) Ultimate Table adjusted to reflect expected experience and allowance for margin for adverse deviation. Morbidity rates are based on the Critical Illness Base Table (CIBT 93, UK) /Reinsurer's incidence rates, suitably modified for our use with margins included for prudence.

The expense assumption for valuation was arrived at either as a percentage of premiums or as per policy or a combination of these. The renewal per policy expenses used for valuing individual business varies according to the type of Plan and status of the policy and with an appropriate assumption for expense inflation. Renewal Premium related expenses in respect of individual business include GST on premium, wherever applicable, depending on the type of Plan. While valuing Participating policies, the allowance for applicable taxation and allocation of surplus to shareholders has been made by appropriately rating up future Reversionary Bonuses reserved for the balance duration of the contract.

Additionally, reserves have been provided for liability in respect of Premium Waiver Benefit, Double Accident Benefit including Permanent Disability Benefit, revival of paid up policies, reinstatement of policies which have not acquired paid up value, immediate increase in expenses in case the office is closed for new business, AIDS/HIV, Incurred But Not Reported deaths (IBNR), catastrophe etc.. The assumptions used for arriving at the reserves for above mentioned items were determined based on a prudent assessment of the future experiences for the outstanding durations of the policies as at the date of valuation allowing for margin for adverse deviation.

Further, in case of Linked Plans, where there is a guarantee at maturity, cost of such guarantee has been arrived at using stochastic methods. For Bima Account II, the cost of interest guarantee has been provided. For Plans where there are options which can be exercised by the policyholders, the most onerous option has been taken for valuing these options. Fund for Future Appropriations (FFA) for both Non Linked and Linked lines of business has been provided in respective lines of Business.

The Board of the Corporation had approved in Financial Year 2021-22, bifurcation of the Single fund into separate Par and Non-Par funds as mandated under Section 24 of LIC Act, 1956, and the Surplus Distribution Policy required under the amended Section 28 of LIC Act, 1956.

The Surplus Distribution Policy mandates the surplus distribution pattern for Par policies as 95:5 for the financial year 2021-22, 92.5:7.5 for the financial years 2022-23 and 2023-24, and 90:10 from financial year 2024-25 onwards and 0:100 for Non-Par policies from financial year 2021-22 onwards.

5. पॉलिसीधारकों के खाते और शेयरधारकों के खाते के बीच निवेश और उस पर आय के आवंटन का आधार (एलआईसीआई):

पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों में धारित निवेशों से होने वाली आय को संबंधित निधियों में ले जाया गया है।

पॉलिसीधारकों के निवेश पर संचालन और आय से उत्पन्न निवेश योग्य अधिशेष, पॉलिसीधारकों के खाते में निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान शेयरधारकों के फंड में की गई अभिवृद्धि को शेयरधारकों के फंड में निवेश किया जाता है।

6. पूर्व अवधि की मद (एलआईसीआई) :

आय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

व्यय में निम्नलिखित पूर्व अवधि मद शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया, दर एवं अन्य कर	4.38	3.19
अंकेक्षण व्यय	0.00	0.01
दूरभाष व्यय	0.00	0.01
डीजल खर्च	0.05	0.10
प्रोत्साहन /नकद पुरस्कार	0.01	0.01
विधुत प्रभार	0.02	0.05
अन्य विविध व्यय	0.00	0.02
बीमा ग्राम व्यय	0.04	(0.05)
मूल्यहास	0.05	(0.22)
दुरुस्ती एवं अनुरक्षण	0.00	(0.02)
कार्यालय रख रखाय एवं सफाई	0.00	(0.05)
मोटर कार खर्चे	0.01	0.00
पोस्टेज और टेलिग्राम	0.01	0.00
दावा न किए गए और ओ/एस दावों पर ब्याज	(7.46)*	0.00
भोजन कूपन	0.02	0.00
रिटर्न दाखिल करने और पंजीकरण नवीनीकरण के लिए शुल्क	0.01	0.00
पूर्णतः/आंशिक रूप से किराए पर दिए गए प्रतिष्ठान व्यय	0.10	0.00
एजेंट प्रतियोगिता मूल्य	0.04	0.00
एसएसवाई के तहत छात्रवृत्ति	0.54	0.00
<b>कुल</b>	<b>(2.18)</b>	<b>3.05</b>

\*दावा न की गई और बकाया वार्षिकियां देय न होने वाले वार्षिक खाते में स्थानांतरित कर दी गई और इन राशि पर अर्जित ब्याज उलट दिया गया।

\*उपरोक्त उल्लिखित पूर्व अवधि की मदों को राजस्व खाते में अलग से प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

7. दावा (एलआईसीआई):

31 मार्च, 2024 (पिछले वर्ष शून्य) की स्थिति के अनुसार, छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई दावा निपटाया नहीं गया है और बकाया नहीं है।

**5. Basis of allocation of investments and income thereon between Policyholders' Account and Shareholders' Account (LICI):**

Income accruing on investments held in Policyholders' and Shareholders' funds have been taken to the respective funds. The investible surplus, arising out of operations and income on Policyholders' investments, was invested in Policyholders' account. The accretions to shareholders' fund during the year is invested in shareholders' fund.

**6. Prior Period Items of LICI:**

The income includes nil prior period items.

The expenses includes following prior period items:

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended March 31, 2024	For the year ended March 31, 2023
Rent, Rates & Taxes	4.38	3.19
Audit Fees	0.00	0.01
Telephone Expenses	0.00	0.01
Cost of Diesel	0.05	0.10
Incentive/cash awards -	0.01	0.01
Electricity charges	0.02	0.05
Other Miscellaneous Expenses	0.00	0.02
Bima Gram Expenses	0.04	(0.05)
Depreciation	0.05	(0.22)
Repairs & maintenance	0.00	(0.02)
Office Upkeep and Cleaning	0.00	(0.05)
Motor Car Expenses	0.01	0.00
Postage and Telegram	0.01	0.00
Interest on unclaimed and O/s claims	(7.46)*	0.00
Meal Coupons	0.02	0.00
Fee for filing of returns and for renewal registration	0.01	0.00
Wholly/Partly rented out Establishment Expenses	0.10	0.00
Agent Competition Prices	0.04	0.00
Scholarship under SSY	0.54	0.00
<b>Total</b>	<b>(2.18)</b>	<b>3.05</b>

\* Annuities Unclaimed and outstanding were transferred to Annuity not payable account and interest accrued on these amount were reversed.

The above mentioned prior period items have not been disclosed separately in the Revenue account as the impact of the same is not material.

**7. Claims for LICI:**

There are no claims settled and remaining outstanding for a period of more than six months, as at 31<sup>st</sup> March, 2024 (Previous year NIL).

8. क) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशियों का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण (एलआईसीआई):

(₹ करोड़ में)

विवरण	आयु अनुसार विश्लेषण								
	कुल राशि	0-6 महीने	7-12 महीने	13-18 महीने	19-24 महीने	25-30 महीने	31-36 महीने	37-120 महीने	120 महीने से अधिक
बीमाधारक/पॉलिसीधारकों से मुकदमेबाजी को छोड़कर किसी भी कारण से पॉलिसीधारकों/बीमित को भुगतान नहीं किया गया दावा	229.44 (355.27)	0.32 (8.88)	21.22 (28.86)	13.27 (47.60)	11.09 (31.64)	31.34 (16.45)	17.55 (12.84)	134.65 (209.01)	0.00 (0.00)
बीमित/पॉलिसीधारकों को परिपक्वता पर या अन्यथा देय राशि	16,312.24 (17,167.81)	15.46 (806.33)	1,184.72 (2,218.95)	976.07 (1,555.54)	1086.38 (1,774.18)	939.02 (1,270.68)	1175.39 (1,217.23)	10,933.75 (8,324.90)	1.45 (0.00)
प्रीमियम/कर या किसी अन्य शुल्क का कोई अतिरिक्त संग्रह जो पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार या कानून के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, लेकिन अब तक वापस नहीं किया गया है	1,166.03 (1,264.31)	21.48 (86.57)	106.80 (86.99)	88.29 (121.74)	86.76 (110.51)	84.14 (96.46)	84.90 (116.39)	679.32 (621.49)	14.34 (24.16)
चेक जारी किए लेकिन पॉलिसीधारक/बीमित द्वारा भुनाया नहीं गया	207.23 (284.06)	0.00 (40.78)	0.03 (1.20)	10.34 (18.24)	1.40 (2.64)	3.02 (5.42)	2.73 (4.30)	187.38 (211.49)	2.33 (0.00)

नोट:

1. प्रति वर्ष 30 सितंबर को 10 साल से अधिक की अवधि के लिए पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि को वित्तीय वर्ष के 1 मार्च को या उससे पहले वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में स्थानांतरित कर दिया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक ( ) में दर्शाए गए हैं।

ख) दावा न की गई राशि और निवेश आय का विवरण (एलआईसीआई):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय
प्रारंभिक शेष	16,019.38	3,052.08	17,276.96	2,897.16
जोड़ें: दावा न की गई निधि में अंतरित राशि	2,404.22	0.00	6,020.17	0.00
जोड़ें: दावा न की गई राशि से जारी किए गए चेक लेकिन पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए (केवल चेक बेकार होने पर ही शामिल किए जाने के लिए)	(0.39)	0.00	0.19	0.00
जोड़ें: दावा न किए गए फंड पर निवेश आय	0.00	1,249.85	0.00	1,017.87

8. a) Statement showing the Age-wise Analysis of Unclaimed amounts of the Policyholders (LIC):

(₹ in Crore)

Particulars	AGE WISE ANALYSIS								
	Total Amount	0-6 months	7-12 months	13-18 months	19-24 months	25-30 months	31-36 months	37-120 months	Beyond 120 months
Claims Settled but not paid to the policyholders/insured due to any reasons except under litigation from the insured/ policyholders	229.44 (355.27)	0.32 (8.88)	21.22 (28.86)	13.27 (47.60)	11.09 (31.64)	31.34 (16.45)	17.55 (12.84)	134.65 (209.01)	0.00 (0.00)
Sum due to the insured/ policyholders on maturity or otherwise	16,312.24 (17,167.81)	15.46 (806.33)	1,184.72 (2,218.95)	976.07 (1,555.54)	1,086.38 (1,774.18)	939.02 (1,270.68)	1,175.39 (1,217.23)	10,933.75 (8,324.90)	1.45 (0.00)
Any excess collection of the premium/ tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	1,166.03 (1,264.31)	21.48 (86.57)	106.80 (86.99)	88.29 (121.74)	86.76 (110.51)	84.14 (96.46)	84.90 (116.39)	679.32 (621.49)	14.34 (24.16)
Cheques issued but not encashed by the policyholder/insured	207.23 (284.06)	0.00 (40.78)	0.03 (1.20)	10.34 (18.24)	1.40 (2.64)	3.02 (5.42)	2.73 (4.30)	187.38 (211.49)	2.33 (0.00)

Note:

- Unclaimed amounts of policyholders for a period of more than 10 years as on September 30<sup>th</sup>, every year have been transferred to the Senior Citizens' Welfare Fund (SCWF) on or before 1<sup>st</sup> March of the financial year.
- Previous year figures are shown in bracket ( ).

b) Details of Unclaimed Amount and Investment Income

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2024		For the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2023	
	Policy Dues	Income Accrued	Policy Dues	Income Accrued
Opening Balance	16,019.38	3,052.08	17,276.96	2,897.16
Add: Amount transferred to Unclaimed Fund	2,404.22	0.00	6,020.17	0.00
Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	(0.39)	0.00	0.19	0.00
Add: Investment Income on Unclaimed Fund	0.00	1,249.85	0.00	1,017.87

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय	पॉलिसी देय राशि	अर्जित आय
घटा: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावों की राशि	3,620.96	413.31	6,696.05	620.57
घटा: एससीडब्लूएफ को हस्तांतरित राशि (पहले हस्तांतरित राशि के संबंध में भुगतान किए गए दावों का निवल)	505.30	270.59	581.89	242.38
दावा न की गई राशि निधि का अंतिम शेष	14,296.95	3,618.03	16,019.38	3,052.08

9. भारत में और भारत के बाहर निगम की परिसंपत्तियों पर भार (एलआईसीआई):

स्थानीय कानूनों के तहत जमा करने के लिए आवश्यक सीमा तक या आरबीआई (एसएलओसी/सीसीआईएल) और संरक्षकों के पास अन्यथा भारग्रस्त प्रतिभूतियों को छोड़कर निगम की संपत्ति किसी भी भार से मुक्त है: ₹ 3,177.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,640.38 करोड़)

10. निवेश के संबंध में अनुबंधों का मूल्य (एलआईसीआई):

(₹ करोड़ में)

विवरण	असंबद्ध व्यवसाय		संबद्ध व्यवसाय	
	खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है	बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं	खरीदारी जहां डिलीवरी लंबित है	बिक्री जहां भुगतान अतिदेय हैं
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	5,554.81	4426.90	40.35	0.00
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	88.65	109.17	29.65	0.00

पेंशन व्यवसाय, स्वास्थ्य व्यवसाय और सीआरएसी व्यवसाय के निवेश के संबंध में कोई अनुबंध बकाया नहीं था।

11. अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक (एलआईसीआई):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वेतन और भत्ते	6.94	7.00
पेंशन में निगम का योगदान	0.28	0.34
अनुलाभों का कर योग्य मूल्य	1.51	1.74

उपरोक्त पारिश्रमिक में सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण शामिल नहीं है जो किताबों में अर्जित/भुगतान किया गया होगा। प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक पर नियुक्ति और निर्णय जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक:

(₹ करोड़ में)

अनु.	गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का नाम	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1.	डॉ. रंजन शर्मा	0.26	0.32
2.	श्री विनोद कुमार वर्मा	0.16	0.17
3.	श्री अनिल कुमार	0.21	0.25
4.	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	0.19	0.19
5.	श्री महालिंगम जी	0.30	0.28
6.	श्री राज कमल	0.24	0.20

Particulars	For the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2024		For the year ended 31 <sup>st</sup> March, 2023	
	Policy Dues	Income Accrued	Policy Dues	Income Accrued
Less: Amount of claims paid during the year	3,620.96	413.31	6,696.05	620.57
Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	505.30	270.59	581.89	242.38
Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	14,296.95	3,618.03	16,019.38	3,052.08

**9. Encumbrances to assets of LIC in and outside India:**

The assets of the Corporation are free from any encumbrances except, to the extent required to be deposited under local laws or otherwise encumbered Securities with RBI (SLOC/CCIL) and Custodians: ₹ 3,177.46 Crore (Previous year ₹ 2,640.38 Crore).

**10. Value of contracts in relation to Investments of LIC:**

(₹ in Crore)

Particulars	Non-Linked Business		Linked Business	
	Purchases where deliveries are pending	Sales where payments are overdue	Purchases where deliveries are pending	Sales where payments are overdue
For the year ended March 31, 2024	5,554.81	4426.90	40.35	0.00
For the year ended March 31, 2023	88.65	109.17	29.65	0.00

There were no contracts outstanding in relation to investments in respect of Pension business, Health Business and CRAC business.

**11. Managerial Remuneration to Chairperson, Managing Directors & Key Managerial persons (LIC):**

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Salaries & Allowances	6.94	7.00
Corporation's contribution to Pension	0.28	0.34
Taxable Value of Perquisites	1.51	1.74

The above remuneration excludes retirement benefits such as gratuity and leave encashment which would have accrued/paid in the books. The appointment and decision on remuneration of managerial personnel which includes the Chairperson and Managing Directors are done by the Government of India.

**Remuneration to Non-Executive Directors and Independent Directors for the year ended March 31, 2024:**

(₹ in Crore)

Sr. No.	Name of Non-Executive and Independent Directors	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
1.	Dr. Ranjan Sharma	0.26	0.32
2.	Shri Vinod Kumar Verma	0.16	0.17
3.	Prof. Anil Kumar	0.21	0.25
4.	Smt. Anjuly Chib Duggal	0.19	0.19
5.	Shri Mahalingam G	0.30	0.28
6.	Shri Raj Kamal	0.24	0.20

अनु.	गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का नाम	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
7.	डॉ. वी एस पार्थसारथी	0.22	0.26
8.	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	0.31	0.31
9.	श्री संजीव नौटियाल	0.17	0.16

12. उचित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित निवेश की ऐतिहासिक लागत नीचे दी गई है (एलआईसीआई):

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	विवरण	(क) संबद्ध निवेश				(ख) संबद्ध निवेश
		शेयरधारकों का कोष	पेंशन कोष	पी एंड जीएस कोष	यूनिट लिंक्ड (नॉन यूनिट कोष)	
31.03.2024 तक	पुस्तक मूल्य	2,865.79	6,09,689.50	1,10,899.48	890.09	27,411.35
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	2,738.87	12,74,437.12	1,38,722.77	1,001.29	35,193.28
31.03.2023 तक	पुस्तक मूल्य	1,805.05	5,64,643.15	1,00,946.11	1,784.72	22,725.35
	रिपोर्ट किया गया मूल्य	1,657.40	9,10,117.74	1,03,678.27	1,858.30	26,594.05

पूँजी मोचन और वार्षिकी निश्चित के उचित मूल्य के आधार पर निवेश की ऐतिहासिक लागत 31 मार्च, 2024 तक शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

13. लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार कर्मचारी लाभ कर्मचारी लाभ के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

क) 31.03.2024 के अनुसार कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता गणना: -

दायित्व का वर्तमान मूल्य और वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
<b>I. मान्यताएँ</b>		
रियायती दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर लाभ की दर	8.15%	7.75%
वेतन वृद्धि	6%	6%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष)	11.72	10.90
<b>II. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:</b>		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,311.19	12,195.82
अधिग्रहण समायोजन	-	-
ब्याज लागत	1186.62	884.20
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	580.49	567.41

Sr. No.	Name of Non-Executive and Independent Directors	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
7.	Dr. V S Parthasarthy	0.22	0.26
8.	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	0.31	0.31
9.	Shri Sanjeev Nautiyal	0.17	0.16

12. Historical cost of investments of LICI valued on fair value basis is given below:

(₹ in Crore)

Financial Year	Particulars	(A) Non-Linked Investments				(B) Linked Investment
		Shareholder's Fund	Life Fund	P&GS Fund	Unit Linked (Non Unit Fund)	
As at March 31, 2024	Book Value	2,865.79	6,09,689.50	1,10,899.48	890.09	27,411.35
	Reported Value	2,738.87	12,74,437.12	1,38,722.77	1,001.29	35,193.28
As at March 31, 2023	Book Value	1,805.05	5,64,643.15	1,00,946.11	1,784.72	22,725.35
	Reported Value	1,657.40	9,10,117.74	1,03,678.27	1,858.30	26,594.05

Historical cost of investments valued on fair value basis of Capital Redemption & Annuity Certain as at March 31, 2024 is NIL (Previous year NIL).

13. As per Accounting Standard 15 (revised 2005) "Employee Benefits" the disclosures of Employee Benefits of LICI are given below:

A) Employees' Gratuity Liability Calculation as at 31.03.2024:

The present value of the obligation and current service cost is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method.

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>I. Assumptions:</b>		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	7.75%
Salary Escalation	6%	6%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.72	10.90
<b>II. Table showing changes in Present Value of Obligations:</b>		(₹ in Crore)
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	15,311.19	12,195.82
Acquisition adjustment	-	-
Interest Cost	1186.62	884.20
Past service Cost	0.00	0.00
Current service Cost	580.49	567.41

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(1,262.60)	(1,202.93)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	(69.93)	2,866.69
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,745.77	15,311.19
<b>III. योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	15,311.19	12,195.82
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	1,186.62	884.20
योगदान	488.00	3,305.00
भुगतान किया गया लाभ	(1,262.60)	(1,202.93)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	22.55	129.10
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,745.77	15,311.19
<b>IV. योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	15,311.19	12,195.82
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजनागत संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	1,209.17	1,013.30
योगदान	488.00	3,305.00
भुगतान किया गया लाभ	(1,262.60)	(1,202.93)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,745.77	15,311.19
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ का आधिक्य	22.55	129.10
<b>V. बीमांकिक लाभ / हानि मान्यता प्राप्त</b>		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	69.93	(2,866.69)
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	(22.55)	(129.10)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	(92.49)	2,737.59
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	(92.49)	2,737.59
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
Curtailment Cost/ (Credit)	-	-
Settlement Cost/ (Credit)	-	-
Benefits paid	(1,262.60)	(1,202.93)
Actuarial (gain)/loss on obligations	(69.93)	2,866.69
Present Value of obligation as at the end of the year	15,745.77	15,311.19
<b>III. Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:</b>		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	15,311.19	12,195.82
Acquisition adjustments	-	-
Expected return on Plan Assets	1,186.62	884.20
Contributions	488.00	3,305.00
Benefits paid	(1,262.60)	(1,202.93)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	22.55	129.10
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,745.77	15,311.19
<b>IV. Table showing Fair value of Plan Assets:</b>		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	15,311.19	12,195.82
Acquisition adjustments	-	-
Actual return on Plan Assets	1,209.17	1,013.30
Contributions	488.00	3,305.00
Benefits paid	(1,262.60)	(1,202.93)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	15,745.77	15,311.19
Funded Status	100.00%	100.00%
Excess of actual over estimated return on Plan Assets	22.55	129.10
<b>V. Actuarial Gain/Loss Recognized:</b>		
Actuarial gain/(loss) for the year –Obligation	69.93	(2,866.69)
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	(22.55)	(129.10)
Total (gain)/loss for the year	(92.49)	2,737.59
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	(92.49)	2,737.59
Unrecognized actuarial (gain)/losses at the end of year	-	-

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
<b>VI. तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि</b>		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	15,745.77	15,311.19
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	15,745.77	15,311.19
निधिका स्थिति	100.00%	100.00%
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिका (लाभ)/हानिका	-	-
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्तिका/(देयता)	0.00	0.00
<b>VII. राजस्व / लाभ और हानिका के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय</b>		
वर्तमान सेवा लागत	580.49	567.41
पिछली सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	1,186.62	884.20
योजनागत संपत्तिका पर संभावित लाभ	(1,186.62)	(884.20)
कटौतिका लागत/(क्रेडिट)	-	-
निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिका (लाभ)/हानिका	(92.49)	2,737.59
राजस्व / लाभ एक हानिका के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	488.00	3,305.00

**ख) समूह अर्जित अवकाश नकदीकरण दायित्व:**

कर्मचारी को उपलब्ध अर्जित अवकाश नकदीकरण के लाभों का मूल्यांकन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धतिका का उपयोग करके किया गया है। इस पद्धतिका के तहत मूल्यांकन तिथिका तक अर्जित लाभों को भविष्य के वेतन पर विचार करते हुए अनुमानित किया जाता है, जिसे बाद में मूल्यांकन तिथिका के अनुसार छूट दी जाती है।

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
<b>I. मान्यताएँ</b>		
रियायतिका दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तिका पर रिटर्न का दर	8.15%	7.95%
वेतन वृद्धिका	6.00%	6.00%
कर्मचारिकाओं का अपेक्षित औसत शेष कामकाजिका जीवन (वर्ष)	11.72	10.90
<b>II. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:</b>		(₹ करोड़ में)
वर्ष का शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,232.30	5,191.70
अधिग्रहण समायोजन	-	-
ब्याज लागत	483.00	376.40
पिछली सेवा लागत	-	-
वर्तमान सेवा लागत	74.40	74.98

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>VI. The amounts to be recognised in Balance Sheet and statements of Revenue/Profit and Loss</b>		
Present Value of obligation as at the end of the year	15,745.77	15,311.19
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	15,745.77	15,311.19
Funded Status	100.00%	100.00%
Unrecognized Actuarial (gains)/losses	-	-
Net Asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	0.00	0.00
<b>VII. Expense recognised in the Statement of Revenue/Profit and Loss</b>		
Current Service Cost	580.49	567.41
Past Service Cost	0.00	0.00
Interest Cost	1,186.62	884.20
Expected return on Plan Assets	(1,186.62)	(884.20)
Curtailment Cost/ (Credit)	-	-
Settlement Cost/ (Credit)	-	-
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	(92.49)	2,737.59
Expenses recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss	488.00	3,305.00

**B) Group Privilege Leave Encashment Liability:**

The benefits of privilege leave encashment available to employee have been valued using Projected Unit Credit Method. Under this method benefits accrued up to the valuation date are projected considering future salary which is then discounted as at the valuation date.

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>I. Assumptions:</b>		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	7.95%
Salary Escalation	6.00%	6.00%
Expected Average remaining working lives of employees (years)	11.72	10.90
<b>II. Table showing changes in Present Value of Obligations:</b>		(₹ in Crore)
Present Value of obligation as at the Beginning of the year	6,232.30	5,191.70
Acquisition adjustment	-	-
Interest Cost	483.00	376.40
Past service Cost	-	-
Current service Cost	74.40	74.98

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(614.83)	(527.21)
बीमांकिक (लाभ)/हानि दायित्वों पर	510.61	1,116.43
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,685.48	6,232.30
<b>III. योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	6,232.30	5,191.70
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	483.00	376.40
योगदान	570.00	1,147.00
भुगतान किया गया लाभ	(614.83)	(527.21)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	15.01	44.41
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,685.48	6,232.30
<b>IV. योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	6,232.30	5,191.70
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजनागत संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	498.01	420.81
योगदान	570.00	1,147.00
भुगतान किया गया लाभ	(614.83)	(527.21)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,685.48	6,232.30
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ का आधिक्य	15.01	44.41
<b>V. बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:</b>		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	(510.61)	(1,116.43)
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	(15.01)	(44.41)
वर्ष के लिए कुल (लाभ)/हानि	495.60	1,072.02
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	495.60	1,072.02
वर्ष के अंत में अपरिचित बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
Curtailment Cost/ (Credit)	-	-
Settlement Cost/ (Credit)	-	-
Benefits paid	(614.83)	(527.21)
Actuarial (gain)/loss on obligations	510.61	1,116.43
Present Value of obligation as at the end of the year	6,685.48	6,232.30
<b>III. Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:</b>		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6,232.30	5,191.70
Acquisition adjustments	-	-
Expected return on Plan Assets	483.00	376.40
Contributions	570.00	1,147.00
Benefits paid	(614.83)	(527.21)
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	15.01	44.41
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	6,685.48	6,232.30
<b>IV. Table showing Fair value of Plan Assets:</b>		
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	6,232.30	5,191.70
Acquisition adjustments	-	-
Actual return on Plan Assets	498.01	420.81
Contributions	570.00	1,147.00
Benefits paid	(614.83)	(527.21)
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	6,685.48	6,232.30
Funded Status	100.00%	100.00%
Excess of actual over estimated return on Plan Assets	15.01	44.41
<b>V. Actuarial Gain/Loss Recognized:</b>		
Actuarial gain/(loss) for the year –Obligation	(510.61)	(1,116.43)
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	(15.01)	(44.41)
Total (gain)/loss for the year	495.60	1,072.02
Actuarial (gain)/ loss recognized in the year	495.60	1,072.02
Unrecognized actuarial (gain)/losses at the end of year	-	-

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
<b>VI. तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि:</b>		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,685.48	6,232.30
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	6,685.48	6,232.30
निधिक स्थिति	100.00%	100.00%
वर्ष के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	0.00	0.00
<b>VII. राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय</b>		
वर्तमान सेवा लागत	74.40	74.98
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	483.00	376.40
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(483.00)	(376.40)
कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-
निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	495.60	1,072.02
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	570.00	1,147.00

**ग) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 देयता:**

प्रस्तावित ईकाई जमा पद्धति जहां मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि तक का कार्यकाल तथा निर्गमन तिथि तक की वेतन में होने वाली वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए देय हितलाभ मूल्यांकित किए जाते हैं। मूल्यांकन की तारीख को ऐसे लाभों का मूल्य ऐसे अनुमानित लाभों की राशि में छूट देकर निकाला गया है।

प्रमुख धारणाएं हैं (1) छूट दर और (2) वेतन वृद्धि

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
<b>I. मान्यताएँ</b>		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्तियों पर रिटर्न की दर	8.15%	7.95%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	6.48	6.97

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>VI. The amounts to be recognised in Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss:</b>		
Present Value of obligation as at the end of the year	6,685.48	6,232.30
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	6,685.48	6,232.30
Funded Status	100.00%	100.00%
Unrecognized Actuarial (gains)/losses at the end of the year	-	-
Net Asset/(Liability) recognized in Balance Sheet	0.00	0.00
<b>VII. Expense recognized in the Statement of Revenue/Profit and Loss</b>		
Current Service Cost	74.40	74.98
Past Service Cost	-	-
Interest Cost	483.00	376.40
Expected return on Plan Assets	(483.00)	(376.40)
Curtailment Cost/ (Credit)	-	-
Settlement Cost/ (Credit)	-	-
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	495.60	1,072.02
Expenses recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss	570.00	1,147.00

**C) Employees Pension Scheme 1995 Liability:**

Projected Unit Credit Method where the benefits payable are valued considering the service up to the valuation date and increases in salaries up to the date of exit. The value of such benefits as on the valuation date has been arrived at by discounting the amount of such projected benefits.

The principal assumptions are the (1) discount rate & (2) Salary Increase.

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>I. Assumptions:</b>		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of increase in salary (Basic+DA)	6.00%	6.00%
Rate of pension increase	5.00%	5.00%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	7.95%
Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	6.48	6.97

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
<b>II. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:</b>		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,09,054.83	94,386.86
अधिग्रहण समायोजन	0.00	(1,257.51)
ब्याज लागत	8,451.75	7,217.52
पिछली सेवा लागत	-	-
वर्तमान सेवा लागत	14,982.29	15,707.31
कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(10,998.18)	(7,504.29)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	1,070.91	504.94
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
<b>III. योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	1,09,054.83	94,386.86
अधिग्रहण समायोजन	0.00	(1,257.51)
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	8,451.75	7,217.52
योगदान	15,782.13	16,127.06
भुगतान किया गया लाभ	(10,998.18)	(7,504.29)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	271.07	85.18
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
<b>IV. योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	1,09,054.83	94,386.86
बीमांकिक लाभ	0.00	(1,257.51)
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	8,722.82	7,302.70
योगदान	15,782.13	16,127.06
भुगतान किया गया लाभ	(10,998.18)	(7,504.29)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
निधिक स्थिति		
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ की अधिकता	271.07	85.18
<b>V. बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:</b>		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	1,070.91	504.94
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	271.07	85.18
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	799.84	419.76
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	799.84	419.76
अपरिचित बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.00	0.00

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>II. Table showing changes in Present Value of Obligations:</b>		(₹ in Crore)
Present Value of Obligation as at the beginning of the year	1,09,054.83	94,386.86
Acquisition adjustment	0.00	(1,257.51)
Interest Cost	8,451.75	7,217.52
Past Service Cost	-	-
Current Service Cost	14,982.29	15,707.31
Curtailment Cost / (Credit)	-	-
Settlement Cost / (Credit)	-	-
Benefits paid	(10,998.18)	(7,504.29)
Actuarial (gain)/ loss on obligations	1,070.91	504.94
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,22,561.60	1,09,054.83
<b>III. Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:</b>		
Fair value of plan assets at beginning of the year	1,09,054.83	94,386.86
Acquisition Adjustment	0.00	(1,257.51)
Expected Return on Plan Assets	8,451.75	7,217.52
Contributions	15,782.13	16,127.06
Benefits Paid	(10,998.18)	(7,504.29)
Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	271.07	85.18
Fair Value of Plan Assets at end of year	1,22,561.60	1,09,054.83
<b>IV. Table showing Fair value of Plan Assets:</b>		
Fair value of plan assets at beginning of the year	1,09,054.83	94,386.86
Actuarial gain	0.00	(1,257.51)
Actual Return on Plan Assets	8,722.82	7,302.70
Contributions	15,782.13	16,127.06
Benefits Paid	(10,998.18)	(7,504.29)
Fair value of plan assets at the end of year	1,22,561.60	1,09,054.83
Funded Status		
Excess of actual over estimated return on plan assets	271.07	85.18
<b>V. Actuarial Gain/Loss Recognized:</b>		
Actuarial gain/(loss) for the year – Obligation	1,070.91	504.94
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	271.07	85.18
Total (gain) / loss for the year	799.84	419.76
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	799.84	419.76
Unrecognized actuarial (gains) / losses	0.00	0.00

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
<b>VI. तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यताप्राप्त धनराशियां</b>		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,22,561.60	1,09,054.83
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.00	0.00
शुद्ध संपत्ति / (देयता) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त है	0.00	0.00
<b>VII. राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय</b>		
वर्तमान सेवा लागत	14,982.29	15,707.30
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	8,451.75	7,217.52
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(8,451.75)	(7,217.52)
सक्षिप्त लागत / (क्रेडिट)	-	-
निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	799.84	419.76
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	15,782.13	16,127.06

घ) नोट: अतिरिक्त प्रकटीकरण के तहत 19, 20 और 22 नोट संख्या देखें।

ङ) नियमित अंशकालिक कर्मचारी पेंशन योजना 1999 देयता:

प्रमुख धारणाएं हैं (1) रियायती दर और (2) वेतन वृद्धि।

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
<b>I. मान्यताएँ</b>		
रियायती दर	7.75%	7.75%
वेतन में वृद्धि की दर (बेसिक + डीए)	6.00%	6.00%
पेंशन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजित परिसंपत्ति पर रिटर्न की दर	8.15%	7.95%
कर्मचारियों का अपेक्षित औसत शेष कामकाजी जीवन (वर्ष) (मूल वेतन द्वारा भारित)	6.34	7.56
<b>II. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:</b>		(₹ करोड़ में)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	254.57	215.95
अधिग्रहण समायोजन	-	-
ब्याज लागत	19.73	16.74
पिछली सेवा लागत	-	-

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>VI. The Amounts To Be Recognized In Balance Sheet and Statements of Revenue/Profit and Loss</b>		
Present Value of Obligation as at the end of the year	1,22,561.60	1,09,054.83
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	1,22,561.60	1,09,054.83
Funded Status	Funded	Funded
Unrecognized Actuarial (gains) / losses	0.00	0.00
Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	0.00	0.00
<b>VII. Expense recognized in the Statement of Revenue/Profit and Loss</b>		
Current Service Cost	14,982.29	15,707.30
Past Service Cost	-	-
Interest Cost	8,451.75	7,217.52
Expected Return on Plan Assets	(8,451.75)	(7,217.52)
Curtailment Cost / (Credit)	-	-
Settlement Cost / (Credit)	-	-
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	799.84	419.76
Expenses Recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss	15,782.13	16,127.06

D) Note: Refer Note no. 19, 20 and 22 under Additional Disclosures.

**E) Regular Part-Time Employees Pension Scheme 1999 Liability:**

The principal assumptions are the (1) discount rate & (2) Salary Increase.

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>I. Assumptions:</b>		
Discount Rate	7.75%	7.75%
Rate of increase in salary (Basic+DA)	6.00%	6.00%
Rate of pension increase	5.00%	5.00%
Rate of return on Plan Assets	8.15%	7.95%
Expected average remaining working lives of Employees (years) (weighted by basic salary)	6.34	7.56
<b>II. Table showing changes in Present Value of Obligations:</b>		(₹ in Crore)
Present Value of Obligation as at the beginning of the year	254.57	215.95
Acquisition adjustment	-	-
Interest Cost	19.73	16.74
Past Service Cost	-	-

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	17.67	21.88
कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(24.15)	(1.59)
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	3.11	1.60
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	270.93	254.57
<b>III. योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका:</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	254.57	219.14
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	19.73	16.74
योगदान	20.06	23.05
भुगतान किया गया लाभ	(24.15)	(1.59)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.72	0.42
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	270.93	254.57
<b>IV. योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य दर्शाने वाली तालिका:</b>		
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य	254.57	219.14
बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	20.45	17.16
योगदान	20.06	23.05
भुगतान किया गया लाभ	(24.15)	(1.59)
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	270.93	254.57
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक से अधिक अनुमानित प्रतिलाभ की अधिकता	0.72	0.42
<b>V. बीमांकिक लाभ/हानि मान्यता प्राप्त:</b>		
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	3.11	1.60
वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि – योजनागत संपत्ति	0.72	0.42
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	2.39	1.17
वर्ष में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	2.39	1.17
अपरिचित बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
Current Service Cost	17.67	21.88
Curtailment Cost / (Credit)	-	-
Settlement Cost / (Credit)	-	-
Benefits paid	(24.15)	(1.59)
Actuarial (gain)/ loss on obligations	3.11	1.60
Present Value of Obligation as at the end of the year	270.93	254.57
<b>III. Table showing changes in the Fair Value of Plan Assets:</b>		
Fair value of plan assets at beginning of the year	254.57	219.14
Acquisition Adjustment	-	-
Expected Return on Plan Assets	19.73	16.74
Contributions	20.06	23.05
Benefits Paid	(24.15)	(1.59)
Actuarial Gain /(Loss) on Plan Assets	0.72	0.42
Fair Value of Plan Assets at end of year	270.93	254.57
<b>IV. Table showing Fair value of Plan Assets:</b>		
Fair value of plan assets at beginning of the year	254.57	219.14
Actuarial gain/loss	-	-
Actual Return on Plan Assets	20.45	17.16
Contributions	20.06	23.05
Benefits Paid	(24.15)	(1.59)
Fair value of plan assets at the end of year	270.93	254.57
Funded Status	Funded	Funded
Excess of actual over estimated return on plan assets	0.72	0.42
<b>V. Actuarial Gain/Loss Recognized:</b>		
Actuarial gain/(loss) for the year – Obligation	3.11	1.60
Actuarial (gain)/loss for the year – Plan Assets	0.72	0.42
Total (gain) / loss for the year	2.39	1.17
Actuarial (gain) / loss recognized in the year	2.39	1.17
Unrecognized actuarial (gains) / losses	-	-

	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
<b>VI. तुलन-पत्र और राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली राशि</b>		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	270.93	254.57
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	270.93	254.57
निधिक स्थिति	निधिक	निधिक
गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
शुद्ध संपत्ति / (देयता) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त है	-	-
<b>VII. राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय</b>		
वर्तमान सेवा लागत	17.67	21.88
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	19.73	16.74
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(19.73)	(16.74)
कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-
निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	2.39	1.17
राजस्व / लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	20.06	23.05

**अतिरिक्त प्रकटीकरण:**

**14. वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए निवेश (एलआईसीआई) (₹ करोड़ में)**

शाखा	प्रतिभूतियों का प्रकार	31.03.2024 के अनुसार पुस्तक मूल्य	पुस्तक मूल्य 31.03.2023 तक
मॉरीशस	बैंक ऑफ बड़ौदा में सावधि जमा @ 1.35% & 1.15%	1.80	1.81
फ़िजी	एफजीआर स्टॉक @ 12%, 6.50%, 7.23%, 13%, और 5.46%	58.56	59.70

उपरोक्त निवेश विदेशी मुद्रा में आयोजित किए जाते हैं और समापन विनिमय दर पर परिवर्तित होते हैं।

**15. आय की पहचान के उद्देश्य से निष्पादित/गैर-निष्पादित निवेशों में अलगाव (एलआईसीआई):**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
निष्पादित निवेश	5,21,183.55	4,57,959.19
गैर-निष्पादित निवेश	10,697.53	12,031.36

	For the year ended/ As at 31.03.2024	For the year ended/ As at 31.03.2023
<b>VI. The Amounts To Be Recognized In Balance Sheet And Statements of Revenue/Profit and Loss</b>		
Present Value of Obligation as at the end of the year	270.93	254.57
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	270.93	254.57
Funded Status	Funded	Funded
Unrecognized Actuarial (gains) / losses	-	-
Net Asset / (Liability) Recognized in Balance Sheet	-	-
<b>VII. Expense recognized in the Statement of Revenue/Profit and Loss</b>		
Current Service Cost	17.67	21.88
Past Service Cost	-	-
Interest Cost	19.73	16.74
Expected Return on Plan Assets	(19.73)	(16.74)
Curtailment Cost / (Credit)	-	-
Settlement Cost / (Credit)	-	-
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	2.39	1.17
Expenses Recognized in the statement of Revenue/Profit and Loss	20.06	23.05

**Additional Disclosures:****14. Investments made in accordance with the statutory requirements** (₹ in Crore)

Branch	Type of Securities	Book Value As at 31.03.2024	Book Value As at 31.03.2023
Mauritius	Fixed Deposit with Bank of Baroda @ 1.35% & 1.15%	1.80	1.81
Fiji	FGR Stock @ 12%, 6.50%, 7.23%, 13%, and 5.46%	58.56	59.70

The above investments are held in foreign currency and are converted at the closing exchange rate.

**15. Segregation into Performing/Non-performing investments for the purpose of Income recognition of LIC:**

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Performing investments	5,21,183.55	4,57,959.19
Non-performing investments	10,697.53	12,031.36

16. पुनर्संरचना के अधीन परिसंपत्ति (एलआईसीआई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पुनर्संरचना के अधीन ऋण परिसंपत्तियों की कुल राशि	566.11	329.94
पुनर्संरचना के अधीन मानक परिसंपत्तियों की कुल राशि	15.44	238.94
पुनर्संरचना के अधीन अवमानक परिसंपत्तियों की कुल राशि	-	-
पुनर्संरचना के अधीन संदिग्ध और हानि वाली संपत्तियों की कुल राशि	550.67	91.00

17. क्षेत्रवार व्यवसाय का प्रतिशत (एलआईसीआई)

विवरण	वर्ष के लिए	
	31.03.2024	31.03.2023
ग्रामीण व्यवसाय	47.72%	22.25%
शहरी व्यवसाय	52.28%	77.75%
सामाजिक क्षेत्र (बीमित जीवन की संख्या % में)	5.73%	14.05%

18. पिछली अवधि/वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही से, आंकड़े पहले की अवधि के “लाखों” की तुलना में “करोड़ में” में प्रकट किए गए हैं।
19. वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर्मचारियों को नए पेंशन विकल्प के कारण उत्पन्न होने वाले ₹ 11,124.66 करोड़ के अतिरिक्त योगदान के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अवधि में देयता प्रदान की जा रही है। अपेक्षित अनुमोदन दिनांक 6 जुलाई, 2020 तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते में ₹ 2,224.94 करोड़ की शेष राशि चार्ज की गई है।
20. एलआईसी (कर्मचारी) पेंशन नियम 1995 में संशोधन के कारण पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के लिए ₹ 11,959.52 करोड़ के कुल अतिरिक्त योगदान में से, निगम ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान ₹ 2,679.15 करोड़ की राशि पहले ही प्रदान कर दी थी। 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान निगम द्वारा प्राप्त अनुमोदन के बाद, ₹ 9,280.37 करोड़ की शेष देनदारी को वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही से शुरू होने वाली 20 तिमाहियों में ₹ 464.02 करोड़ प्रति तिमाही के हिसाब से परिशोधित किया जा रहा है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए समेकित राजस्व खाते में ₹ 464.02 करोड़ की राशि चार्ज की गई है। ₹ 8,352.33 करोड़ की शेष राशि वित्त वर्ष 2028-29 की दूसरी तिमाही तक अगली तिमाहियों में परिशोधित की जाएगी।
21. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय से संबंधित पार खंड में ₹ 7,230.09 करोड़ की राशि शेयरधारकों के खाते से वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही से शुरू होने वाली तीन से अधिक नहीं की समान वार्षिक किस्तों में भरी जाएगी। निगम ने अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है।
22. निगम के कर्मचारियों को वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त पेंशन देनदारी ₹ 6,306.29 करोड़ है। इसमें से, वित्त वर्ष 2023-2024 में संबंधित खंडों में ₹ 829.19 करोड़ की पहचान की गई है और पार खंड से संबंधित ₹ 5,477.10 करोड़ की शेष राशि वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होने वाले तीन साल से अधिक नहीं की अवधि में शेयरधारकों के खाते से ली जाएगी। निगम ने अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है।
23. निगम ने गैर-भागीदारी पॉलिसीधारक खाते से शेयरधारकों के खाते में उपलब्ध सॉल्वेंसी मार्जिन की अभिवृद्धि से संबंधित राशि के हस्तांतरण के संबंध में सितंबर, 2022 में अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया था और तदनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में ₹ 27,240.75 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में कुल ₹ 29,518.75 करोड़ (शुद्ध कर) हस्तांतरित किया गया, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही से संबंधित ₹ 4,542.31 करोड़ की राशि शामिल थी।
24. वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान, प्रबंधन मूल्यांकन के आधार पर, पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 7,692.59 करोड़ के आयकर के अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स किया गया है और इसे अन्य आय शीर्षक के तहत शामिल किया गया है।
25. अन्य आय में पिछले वित्तीय वर्षों के आयकर रिफंड के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 6,257.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6,626.98 करोड़) की ब्याज राशि शामिल है।

## 16. Assets Subject to Restructuring of LIC

(₹ in Crore)

Particulars	As at	As at
	31.03.2024	31.03.2023
Total amount of loan assets subject to restructuring	566.11	329.94
Total amount of standard assets subject to restructuring	15.44	238.94
Total amount of sub standard assets subject to restructuring	-	-
Total amount of doubtful & loss assets subject to restructuring	550.67	91.00

## 17. Percentage of business sector-wise of LIC

Particulars	For the year ended	
	31.03.2024	31.03.2023
Rural business	47.72%	22.25%
Urban business	52.28%	77.75%
Social Sector (No. of Lives Insured in %)	5.73%	14.05%

18. Figures of the previous period/year have been regrouped wherever necessary to conform to the current periods' presentation. From Q4 of the FY 2023-24, the figures are disclosed in '₹ in crore' as compared to '₹ in lakhs' in the earlier periods.
19. The liability on account of additional contribution of ₹11,124.66 crore arising due to fresh pension option to employees in the financial year 2019-20 is being provided over a period of five years commencing from the financial year 2019-20 in accordance with the requisite approval dated July 6, 2020. Accordingly, the remaining amount of ₹2,224.94 crore has been charged to Consolidated Revenue Account for the year ended March 31, 2024.
20. Out of the total additional contribution of ₹11,959.52 crore towards increase in family pension due to amendment in LIC (Employees) Pension Rules 1995, the Corporation had already provided an amount of ₹2,679.15 crore during the quarter ended September 30, 2023. Pursuant to the approval received by the Corporation during the quarter ended December 31, 2023, the remaining liability of ₹9,280.37 crore is being amortised over 20 quarters commencing from Q3 of the FY 2023-24 amounting to ₹464.02 crore per quarter. Accordingly, an amount of ₹ 464.02 crore has been charged to Consolidated Revenue Account for the quarter ended March 31, 2024. The balance amount of ₹8,352.33 crore shall be amortised over the subsequent quarters upto Q2 of the FY 2028-29.
21. An amount of ₹7,230.09 crore in Par segment pertaining to excess Expenses of Management for the FY 2022-23 shall be replenished from Shareholders' account in equal annual instalments not exceeding three, commencing from Q1 of the FY 2024-2025. The Corporation has obtained the requisite approval.
22. Additional pension liability due to wage revision to employees of the Corporation amounts to ₹6,306.29 crore. Out of this, ₹829.19 crore has been recognized in the FY 2023-2024 in the respective segments and balance amount of ₹5,477.10 crore pertaining to Par segment shall be charged to the Shareholders account over a period of not exceeding three years commencing from the FY 2024-2025. The Corporation has obtained the requisite approval.
23. The Corporation had changed its accounting policy in September, 2022 regarding transfer of amount pertaining to the accretion of the available solvency margin from Non-Participating Policyholders account to Shareholders account and accordingly transferred a total amount of ₹29,518.75 crore (net of tax) in the FY 2023-24 compared to ₹27,240.75 crore in the FY2022-23, which included an amount of ₹4,542.31 crore pertaining to the quarter ended March 31, 2022.
24. During Q4 of the FY 2023-24, based on management assessment, excess provision of income tax amounting to ₹7,692.59 crore pertaining to earlier years has been reversed and included under the head – "Other Income".
25. Other income includes interest amounting to ₹6,257.98 crore (Previous Year ₹6,626.98 crore) received during the current financial year towards refund of income tax for the earlier financial years.

26. अवधारित और बीमाकृत जोखिम (एलआईसीआई):

(in %)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	अवधारित जोखिम	बीमाकृत जोखिम	अवधारित जोखिम	बीमाकृत जोखिम
प्रथम वर्ष का प्रीमियम	99.85	0.15	99.91	0.09
परवर्ती प्रीमियम	99.75	0.25	99.74	0.26
एकल प्रीमियम	100.00	0.00	100.00	0.00

नोट: उपरोक्त आंकड़े निगम द्वारा अर्जित कुल प्रीमियम और कुल पुनर्बीमा के आधार पर तैयार किये गये हैं।

27. बंद पॉलिसियों से संबंधित खुलासे (एलआईसीआई):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक/को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/को समाप्त वर्ष के लिए
<b>बंद पॉलिसियों की नीतियों के लिए निधि</b>		
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का प्रारंभिक शेष	177.22	82.35
जोड़ें: वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों का फंड	558.01	235.69
घटाये: वर्ष के दौरान पुनर्जीवित/भुगतान की गई पॉलिसियों की निधि	346.44	142.78
जोड़ें: निधि के निवेश पर शुद्ध आय/लाभ	22.34	5.70
घटाये: निधि प्रबंधन शुल्क	1.53	0.55
घटाये: वर्ष के दौरान पॉलिसी धारकों को वापस की गई राशि	1.73	3.19
बंद पॉलिसियों के लिए निधि का अंतिम शेष	407.87	177.22

अन्य प्रकटीकरण:

विवरण	न्यू एंडोमेंट प्लस (835)	न्यू एंडोमेंट प्लस (935)	एसआईआईपी (852)	निवेश प्लस (849)	न्यू पेन्शन प्लस (867)	इन्डेक्स प्लस (873)
वर्ष के दौरान बंद की गई पॉलिसियों की संख्या	572 (340)	20,595 (14,209)	80,458 (58,361)	21 (8)	37,029 (17369)	5499 (0)
वर्ष के दौरान बंद की गई कुल पॉलिसियों का प्रतिशत	3.77 (1.83)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (0)
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों की संख्या	3 (41)	8,367 (5,205)	44,563 (30,786)	0 (0)	18,978 (4363)	1 (0)
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित पॉलिसियों का प्रतिशत	0.52 (12.05)	40.63 (36.63)	55.39 (52.75)	0 (0)	51.25 (25.12)	0.02 (0)
बंद पॉलिसियों के कारण लगाए गए शुल्क (₹ करोड़ में)	0.00 (0.01)	3.60 (2.61)	15.93 (11.67)	0.00 (0.00)	7.58 (2.24)	0.24 (0)
पॉलिसियों के पुनरुद्धार के कारण पुनः समायोजित प्रभार (₹ करोड़ में)	0.00 (0.00)	1.58 (1.03)	9.13 (6.34)	0.00 (0.00)	4.30 (0.58)	0.00 (0.00)

\* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक ( ) में दिखाए गए हैं।

## 26. Risk Retained and Re-Insured (LICI):

(in %)

Particulars	For the year ended 31.03.2024		For the year ended 31.03.2023	
	Risk retained	Risk Insured	Risk retained	Risk Insured
First year premium	99.85	0.15	99.91	0.09
Renewal premium	99.75	0.25	99.74	0.26
Single premium	100.00	0.00	100.00	0.00

Note: The above data has been prepared based on the total premium earned and total premium reinsured by the Corporation.

## 27. Disclosures relating to discontinued policies (LICI)

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended / as at 31.03.2024	For the year ended / as at 31.03.2023
<b>Fund for Discontinued Policies</b>		
Opening Balance of Fund for Discontinued Policies	177.22	82.35
Add: Fund of policies discontinued during the Year	558.01	235.69
Less: Fund of policies revived/Paid during the Year	346.44	142.78
Add: Net Income/Gains on Investment of the Fund	22.34	5.70
Less: Fund Management Charges levied	1.53	0.55
Less: Amount refunded to Policy Holders during the Year	1.73	3.19
Closing Balance of Fund for Discontinued Policies	407.87	177.22

### Other Disclosures:

Particulars	New Endowment Plus (835)	New Endowment Plus (935)	SIIP (852)	Nivesh Plus (849)	New Pension Plus (867)	Index Plus (873)
Number of policies discontinued during the Year	572 (340)	20,595 (14,209)	80,458 (58,361)	21 (8)	37,029 (17369)	5499 (0)
Percentage of discontinued to total policies during the Year	3.77 (1.83)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (0)
Number of policies revived during the Year	3 (41)	8,367 (5,205)	44,563 (30,786)	0 (0)	18,978 (4363)	1 (0)
Percentage of policies revived during the Year	0.52 (12.05)	40.63 (36.63)	55.39 (52.75)	0 (0)	51.25 (25.12)	0.02 (0)
Charges imposed on account of discontinued policies (₹ in Crore)	0.00 (0.01)	3.60 (2.61)	15.93 (11.67)	0.00 (0.00)	7.58 (2.24)	0.24 (0)
Charges readjusted on account of revival of policies (₹ in Crore)	0.00 (0.00)	1.58 (1.03)	9.13 (6.34)	0.00 (0.00)	4.30 (0.58)	0.00 (0.00)

\* Previous year figures are shown in bracket ( ).

28. IRDAI द्वारा निर्धारित अनुपात

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
1.	नव व्यवसाय प्रीमियम वृद्धि दर (खण्ड वार)		
	(i) संबद्ध व्यवसाय:		
	क) जीवन	18.57%	28.78%
	ख) पेंशन	11.44%	प्रयोजनीय नहीं
	ग) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	(ii) गैर-संबद्ध व्यवसाय:		
	सहभागी:		
	क) जीवन	-13.44%	0.04%
	ख) वार्षिकी	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ग) पेंशन	प्रयोजनीय नहीं	-100.00%
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	गैर सहभागी:		
	क) जीवन	35.44%	21.17%
	ख) वार्षिकी	0.12%	10.74%
	ग) पेंशन	-17.04%	20.99%
	घ) स्वास्थ्य	-55.58%	-7.66%
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
2.	एकल प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से कुल नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	43.47%	43.76%
3.	कुल नए व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) से संबद्ध नव व्यवसाय प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय) का प्रतिशत	7.70%	6.44%
4.	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात	99.86%	99.86%
5.	संरक्षण अनुपात (खंड वार)		
	(i) संबद्ध व्यवसाय:		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	119.69%	112.67%
	ख) पेंशन	128.89%	98.16%
	ग) स्वास्थ्य	88.50%	88.37%
	घ) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	(ii) गैर-संबद्ध व्यवसाय:		
	सहभागी :		
	क) जीवन	92.00%	92.96%
	ख) वार्षिकी	87.34%	85.19%
	ग) पेंशन	88.43%	88.36%

## 28. Ratios as prescribed by IRDAI

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2024	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2023
<b>1.</b>	<b>New Business Premium Growth Rate (Segment wise)</b>		
	<b>(i) Linked Business:</b>		
	a) Life	18.57%	28.78%
	b) Pension	11.44%	NA
	c) Health	NA	NA
	d) Variable Insurance	NA	NA
	<b>(ii) Non-Linked Business:</b>		
	<b>Participating:</b>		
	a) Life	-13.44%	0.04%
	b) Annuity	NA	NA
	c) Pension	NA	-100.00%
	d) Health	NA	NA
	e) Variable Insurance	NA	NA
	<b>Non Participating:</b>		
	a) Life	35.44%	21.17%
	b) Annuity	0.12%	10.74%
	c) Pension	-17.04%	20.99%
	d) Health	-55.58%	-7.66%
	e) Variable Insurance	NA	NA
<b>2.</b>	<b>Percentage of Single Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)</b>	43.47%	43.76%
<b>3.</b>	<b>Percentage of Linked New Business Premium (Individual Business) to Total New Business Premium (Individual Business)</b>	7.70%	6.44%
<b>4.</b>	<b>Net Retention Ratio</b>	99.86%	99.86%
<b>5.</b>	<b>Conservation Ratio (Segment wise)</b>		
	<b>(i) Linked Business:</b>		
	a) Life (Individual and Group)	119.69%	112.67%
	b) Pension	128.89%	98.16%
	c) Health	88.50%	88.37%
	d) Variable Insurance	NA	NA
	<b>(ii) Non-Linked Business:</b>		
	<b>Participating:</b>		
	a) Life	92.00%	92.96%
	b) Annuity	87.34%	85.19%
	c) Pension	88.43%	88.36%

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
	घ) स्वास्थ्य	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	ड) परिवर्तनीय बीमा	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
	<b>गैर-सहभागी:</b>		
	क) जीवन (व्यक्तिगत और समूह)	62.53%	91.91%
	ख) वार्षिकी	153.76%	80.63%
	ग) पेंशन (व्यक्तिगत और समूह)	37.53%	29.90%
	घ) स्वास्थ्य	80.14%	73.03%
	ड) परिवर्तनीय बीमा	77.46%	72.28%
	<b>पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकीसहित</b>	<b>82.04%</b>	<b>66.28%</b>
6.	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात में प्रबंधन का व्यय	15.57%	15.53%
7.	कमीशन अनुपात (सकल प्रीमियम का भुगतान किया गया सकल कमीशन और पुरस्कार से)	5.46%	5.29%
8.	व्यापार विकास और बिक्री संवर्धन व्यय का नव व्यापार प्रीमियम से	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
9.	ब्राण्ड/ट्रेडमार्क उपयोग शुल्क / प्रभार का नव व्यवसाय प्रीमियम से अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
10.	पॉलिसीधारकों की निधि का शेयरधारकों की निधि से अनुपात	62.73	97.34
11.	निवल संपत्ति में परिवर्तन (राशि ₹ करोड़ में)	36,268.76	35,260.26
12.	निवल मूल्य में वृद्धि	79.42%	338.74%
13.	अधिशेष का पॉलिसीधारक निधि से अनुपात	0.01	0.01
14.	कर पश्चात लाभ/कुल आय	4.74%	4.61%
15.	(कुल अचल संपत्ति + ऋण)/(नकद और निवेशित संपत्ति)	0.03	0.03
16.	कुल निवेश/(पूँजी आरक्षित + निधि और अधिशेष)**	60.62	92.64
17.	कुल संबद्ध निवेश/(पूँजी आरक्षित + निधि और अधिशेष)	0.57	1.02
18.	निवेश प्रतिफल-(सकल और निवल)-फंड वार और प्राप्त लाभ के साथ/ बिना*		
	अ अप्राप्त लाभ के बिना		
	पॉलिसीधारकों की निधियाँ : असंबद्ध सहभागी	8.59%	8.08%
	गैर सहभागी	9.60%	8.65%
	संबद्ध	9.71%	12.14%
	कुल	8.93%	8.29%
	अंशधारको की निधियाँ	8.02%	6.48%
	ब अप्राप्त लाभ के साथ		
	पॉलिसीधारक की निधियाँ : असंबद्ध सहभागी	17.89%	6.29%
	गैर सहभागी	19.43%	7.85%
	संबद्ध	27.31%	3.06%
	कुल	18.46%	6.78%
	अंशधारको की निधियाँ	8.07%	5.39%

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2024	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2023
	d) Health	NA	NA
	e) Variable Insurance	NA	NA
	<b>Non Participating:</b>		
	a) Life (Individual and Group)	62.53%	91.91%
	b) Annuity	153.76%	80.63%
	c) Pension (Individual and Group)	37.53%	29.90%
	d) Health	80.14%	73.03%
	e) Variable Insurance	77.46%	72.28%
	<b>CRAC</b>	<b>82.04%</b>	<b>66.28%</b>
6.	<b>Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio</b>	<b>15.57%</b>	<b>15.53%</b>
7.	<b>Commission Ratio (Gross commission and Rewards paid to Gross Premium)</b>	<b>5.46%</b>	<b>5.29%</b>
8.	<b>Business Development and Sales Promotion Expenses to New Business Premium</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
9.	<b>Brand/Trade Mark usage fee/charges to New Business Premium</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
10.	<b>Ratio of Policyholders' Fund to Shareholders' funds</b>	<b>62.73</b>	<b>97.34</b>
11.	<b>Change in net worth (Amount in ₹ Crore)</b>	<b>36,268.76</b>	<b>35,260.26</b>
12.	<b>Growth in Networth</b>	<b>79.42%</b>	<b>338.74%</b>
13.	<b>Ratio of Surplus to Policyholders' Fund</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
14.	<b>Profit after tax / Total Income</b>	<b>4.74%</b>	<b>4.61%</b>
15.	<b>(Total Real Estate + Loans)/(Cash &amp; Invested Assets)</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
16.	<b>Total Investments/(Capital + Reserves and Surplus)**</b>	<b>60.62</b>	<b>92.64</b>
17.	<b>Total Affiliated Investments/(Capital + Reserves and Surplus)</b>	<b>0.57</b>	<b>1.02</b>
18.	<b>Investment Yield - (Gross and Net) - Fund wise and With/ Without realised gain *</b>		
	<b>A Without unrealized gain</b>		
	<b>Policyholder's Fund:Non linked Par</b>	<b>8.59%</b>	<b>8.08%</b>
	<b>Non Par</b>	<b>9.60%</b>	<b>8.65%</b>
	<b>Linked</b>	<b>9.71%</b>	<b>12.14%</b>
	<b>Total</b>	<b>8.93%</b>	<b>8.29%</b>
	<b>Shareholder's Fund</b>	<b>8.02%</b>	<b>6.48%</b>
	<b>B With unrealised gain</b>		
	<b>Policyholder's Fund:Non linked Par</b>	<b>17.89%</b>	<b>6.29%</b>
	<b>Non Par</b>	<b>19.43%</b>	<b>7.85%</b>
	<b>Linked</b>	<b>27.31%</b>	<b>3.06%</b>
	<b>Total</b>	<b>18.46%</b>	<b>6.78%</b>
	<b>Shareholder's Fund</b>	<b>8.07%</b>	<b>5.39%</b>

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
19.	सततावृत्ति अनुपात – प्रीमियम आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के तहत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)**		
	13वें महीने के लिए	77.66%	77.09%
	25वें महीने के लिए	71.00%	69.93%
	37वें महीने के लिए	65.47%	70.05%
	49वें महीने के लिए	66.31%	63.53%
	61वें महीने के लिए	60.88%	61.80%
	सततावृत्ति अनुपात – प्रीमियम आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
	13वें महीने के लिए	99.51%	99.48%
	25वें महीने के लिए	98.70%	98.95%
	37वें महीने के लिए	97.79%	97.65%
	49वें महीने के लिए	96.50%	96.17%
	61वें महीने के लिए	94.62%	94.88%
	सततावृत्ति अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान)		
	13वें महीने के लिए	66.99%	64.28%
	25वें महीने के लिए	57.47%	56.97%
	37वें महीने के लिए	52.50%	56.90%
	49वें महीने के लिए	53.23%	51.05%
	61वें महीने के लिए	48.59%	49.86%
	सततावृत्ति अनुपात – पॉलिसी संख्या आधार (एकल प्रीमियम/व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूरी तरह से भुगतान किया गया)		
	13वें महीने के लिए	99.52%	99.50%
25वें महीने के लिए	98.70%	98.69%	
37वें महीने के लिए	97.28%	97.17%	
49वें महीने के लिए	95.92%	95.93%	
61वें महीने के लिए	94.60%	94.54%	
20.	एनपीए अनुपात		
	पॉलिसीधारकों की निधि		
	असंबद्ध सहभागी सकल एनपीए अनुपात	2.54%	3.27%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	असंबद्ध गैर सहभागी सकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.07%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	पूँजी मोचन निर्धारित वार्षिकीसहितसकल एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%	

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2024	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2023
<b>19.</b>	<b>Persistency Ratio - Premium Basis (Regular Premium/Limited Premium Payment under Individual category) **</b>		
	For 13 <sup>th</sup> month	77.66%	77.09%
	For 25 <sup>th</sup> month	71.00%	69.93%
	For 37 <sup>th</sup> month	65.47%	70.05%
	For 49 <sup>th</sup> Month	66.31%	63.53%
	for 61 <sup>st</sup> month	60.88%	61.80%
	<b>Persistency Ratio - Premium Basis ( Single Premium/Fully paid-up under Individual category)</b>		
	For 13 <sup>th</sup> month	99.51%	99.48%
	For 25 <sup>th</sup> month	98.70%	98.95%
	For 37 <sup>th</sup> month	97.79%	97.65%
	For 49 <sup>th</sup> Month	96.50%	96.17%
	for 61 <sup>st</sup> month	94.62%	94.88%
	<b>Persistency Ratio - Number of Policy Basis ( Regular Premium/ Limited Premium Payment under Individual category)</b>		
	For 13 <sup>th</sup> month	66.99%	64.28%
	For 25 <sup>th</sup> month	57.47%	56.97%
	For 37 <sup>th</sup> month	52.50%	56.90%
	For 49 <sup>th</sup> Month	53.23%	51.05%
	for 61 <sup>st</sup> month	48.59%	49.86%
	<b>Persistency Ratio - Number of Policy Basis ( Single Premium/ Fully paid-up under Individual category)</b>		
	For 13 <sup>th</sup> month	99.52%	99.50%
	For 25 <sup>th</sup> month	98.70%	98.69%
	For 37 <sup>th</sup> month	97.28%	97.17%
	For 49 <sup>th</sup> Month	95.92%	95.93%
	for 61 <sup>st</sup> month	94.60%	94.54%
<b>20.</b>	<b>NPA Ratio</b>		
	<b>Policyholders' Funds</b>		
	Non linked Par Gross NPA Ratio	2.54%	3.27%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Non linked Non Par Gross NPA Ratio	0.00%	0.07%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	CRAC Gross NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%

अनु क्रमांक	विवरण	31.03.2024 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 तक/ को समाप्त वर्ष के लिए
	संबद्ध सकल एनपीए अनुपात	12.56%	18.89%
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	कुल सकल एनपीए अनुपात	2.01%	2.56%
	कुल शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0.00%
	<b>अंशधारकों की निधि</b>		
	सकल एनपीए अनुपात	1.68%	0
	शुद्ध एनपीए अनुपात	0.00%	0
21.	ऋण शोधन क्षमता अनुपात	1.98	1.87
22.	ऋण इक्विटी अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
23.	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
24.	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	प्रयोजनीय नहीं	प्रयोजनीय नहीं
25.	औसत टिकट आकार ₹ – व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर-एकल)	16,766.81	17,008.40

पिछली अवधि के अनुपातों को पुनर्समूहित आंकड़ों पर निकाला जाता है

\*\* सततावृत्ति अनुपात तथा कुल निवेश / (पूँजी आरक्षित निधि अधिशेष) की गणना संशोधित आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है

नोट: नीचे बताए गए अनुपातों को छोड़कर सभी अनुपात प्रतिशत के रूप में हैं

- क) पॉलिसीधारकों की निधि का अंशधारकों की निधि से
- ख) निवल संपत्ति में परिवर्तन करोड़ रुपये में है
- ग) अधिशेष का पॉलिसीधारकों की निधि से अनुपात
- घ) (कुल अचल संपत्ति + ऋण) / (नकद और निकेशित संपत्ति)
- ङ) कुल निवेश / (पूँजी + आरक्षित निधि और अधिशेष)
- च) कुल संबद्ध निवेश / (पूँजी + आरक्षित निधि और अधिशेष) एवं
- छ) औसत टिकट आकार रुपये में – व्यक्तिगत प्रीमियम (गैर-एकल)

## 29. संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण:

(संबंधित पक्षकार का संबंध जैसा कि निगम द्वारा पहचाना गया है)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संबंधित पक्षकार प्रकटन पर लेखा मानक (एएस 18) के अनुसार, संबंधित पक्षकार/ निगम के संयुक्त उद्यम इस प्रकार हैं:

### क) संयुक्त उद्यम:

सऊदी इंडियन कंपनी फॉर को. ऑप. इश्योरेन्स

### ख) सहयोगी कंपनियां

- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
- एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
- एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड
- आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
- आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

Sl. No.	Particular	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2024	Up to the quarter ended 31 <sup>st</sup> March 2023
	Linked Gross NPA Ratio	12.56%	18.89%
	Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
	Total Gross NPA Ratio	2.01%	2.56%
	Total Net NPA Ratio	0.00%	0.00%
<b>Shareholders' Funds</b>			
	Gross NPA Ratio	1.68%	0
	Net NPA Ratio	0.00%	0
<b>21.</b>	<b>Solvency Ratio (Within India business)</b>	<b>1.98</b>	<b>1.87</b>
<b>22.</b>	<b>Debt Equity Ratio</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>23.</b>	<b>Debt Service Coverage Ratio</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>24.</b>	<b>Interest Service Coverage Ratio</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>
<b>25.</b>	<b>Average ticket size in ₹ - Individual premium (Non-Single)</b>	<b>16,766.81</b>	<b>17,008.40</b>

Previous Period's Ratios are worked out on regrouped figures wherever necessary.

"NA" : Not available

# Can not be worked out.

\*\* Persistency Ratios & Total Investments/(Capital + Reserves and Surplus) have been calculated as per revised IRDAI guidelines

Note: All Ratios are in percentage form except the ratios stated below

- Ratio of Policyholders' Fund to Shareholders' Fund
- Change in Net Worth is in ₹ Crore
- Ratio of Surplus to Policyholders' Fund
- (Total Real Estate+Loans)/(Cash & Invested Assets)
- Total Investments/(Capital+Reserves and Surplus)
- Total affiliated Investments/(Capital+ Reserves and Surplus)
- Average ticket size in ₹ - Individual premium (Non-Single)

## 29. Related Party Disclosure:

(Related Party Relationship as identified by the Corporation)

As per the Accounting Standard on Related Party Disclosures (AS 18) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the related parties/joint ventures of the Corporation are as follows:

### A) Joint Ventures:

Saudi Indian Company for Co-operative Insurance.

### B) Associate Companies

LIC Housing Finance Ltd.  
LICHFL Asset Management Company Ltd.  
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.  
LIC Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.  
IDBI Bank Ltd.  
IDBI Trusteeship Services Ltd.

ग) सहायक कंपनियां:

- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड
- एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
- एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड
- एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी)
- एलआईसी (लंका) लिमिटेड
- एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड

घ) निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति 31.03.2024

निदेशक मंडल		
श्री सिद्धार्थ मोहंती	प्रबंध निदेशक एवं प्रभारी पूर्णकालिक अध्यक्ष	14.03.2023 से 28.04.2023 29.04.2023 से प्रभावी
डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	28.06.2023 से प्रभावी
श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	13.03.2023 से प्रभावी
श्री तबलेश पाण्डेय	प्रबंध निदेशक	01.04.2023 से प्रभावी
श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	20.07.2023 से प्रभावी
श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	01.09.2023 से प्रभावी
डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	29.10.2021 से प्रभावी
प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	20.01.2022 से प्रभावी
श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री राज कमल	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
डॉ. वी एस पार्थसारथी	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
श्री संजीव नौटियाल	स्वतंत्र निदेशक	29.01.2022 से प्रभावी
प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति		
श्री दिनेश पंत	नियुक्त बीमांकक एवं का.नि. (बीमांकक)	17.01.2023 से प्रभावी
श्री पांडियन कुमारेसन	का.नि. (लेखा परीक्षा) एवं मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षा	05.07.2022 से प्रभावी
श्री सुधाकर रविन्द्रनाथ	का.नि. (विपणन/पीडी) एवं मुख्य विपणन अधिकारी	01.08.2022 से प्रभावी
श्री कृष्णा कुमार सुकुमारन नायर	का.नि. (सी जी /आर सी /जी.जे.एफ.) एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी	11.04.2023 से प्रभावी
श्री सुनील अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2022 से प्रभावी
श्री रत्नाकर पटनायक	का.नि. (निवेश एफ ओ) एवं मुख्य निवेश अधिकारी	10.04.2023 से प्रभावी
श्रीमती बेल्ला पॉल	प्रमुख (प्रभारी) बोर्ड एवं सचिवीय विभाग	18.01.2024 से प्रभावी
श्री एस सुन्दर कृष्णन	मुख्य जोखिम अधिकारी	26.12.2023 से प्रभावी
श्री अंशुल कुमार सिंह	कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी	18.01.2024 से प्रभावी

**C) Subsidiary Companies:**

LIC Pension Fund Ltd.  
LIC Card Services Ltd.  
Life Insurance Corporation (Singapore) Pte. Ltd.  
Life Insurance Corporation (Nepal) Ltd.  
Life Insurance Corporation (International) B.S.C. (c)  
Life Insurance Corporation (Lanka) Ltd  
Life Insurance Corporation (LIC) of Bangladesh Ltd.

**D) Board of Directors & Key Persons as at 31.03.2024**

<b>Board of Directors</b>		
Shri Siddhartha Mohanty	Managing Director & In charge	w.e.f. 14.03.2023 to 28.04.2023
	Whole-Time Chairperson	w.e.f. 29.04.2023
Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	w.e.f. 28.06.2023
Shri Jagannath M	Managing Director	w.e.f. 13.03.2023
Shri Tablesh Pandey	Managing Director	w.e.f. 01.04.2023
Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	w.e.f. 20.07.2023
Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	w.e.f. 01.09.2023
Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	w.e.f. 29.10.2021
Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	w.e.f. 29.10.2021
Prof. Anil Kumar	Independent Director	w.e.f. 20.01.2022
Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Mahalingam G	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Raj Kamal	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Dr. V S Parthasarthy	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
Shri Sanjeev Nautiyal	Independent Director	w.e.f. 29.01.2022
<b>Key Persons</b>		
Shri Dinesh Pant	Appointed Actuary & ED (Actl)	w.e.f. 17.01.2023
Shri Pandiyam Kumaresan	ED (Audit) & Chief Internal Auditor	w.e.f. 05.07.2022
Shri Sudhakar Ravindranath	ED (Mktg/PD) & Chief Marketing Officer	w.e.f. 01.08.2022
Shri Krishna Kumar Sukumaran Nair	ED (CG/RC/GJF) & Chief Compliance Officer	w.e.f. 11.04.2023
Shri Sunil Agrawal	Chief Financial Officer	w.e.f. 01.04.2022
Shri Ratnakar Patnaik	ED (INV FO) & Chief Investment Officer	w.e.f. 10.04.2023
Smt. Bella Paul	Chief (In-Charge) Board & Secretarial Department	w.e.f. 18.01.2024
Shri S Sunder Krishnan	Chief Risk Officer	w.e.f. 26.12.2023
Shri Anshul Kumar Singh	Company Secretary & Compliance Officer	w.e.f. 18.01.2024

ड) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(3) के तहत व्यवसाय के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा धारित नाम, विवरण, व्यवसाय और निदेशक पद युक्त विवरण।

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2024 को निदेशकता
1.	श्री सिद्धार्थ मोहंती	प्रबंध निदेशक एवं प्रभारी	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड</li> <li>एलआईसी गोल्डन जुबली फाउन्डेशन</li> <li>एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड</li> <li>एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</li> <li>एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड</li> <li>एलआईसी (लंका) लिमिटेड</li> <li>एलआईसी कार्डस् सर्विसेज लिमिटेड</li> <li>एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बी.एस.सी. (सी) बहरीन</li> <li>एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड</li> <li>केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</li> <li>जीवन बीमा परिषद</li> <li>बीमा लोकपाल परिषद</li> <li>भारतीय बीमा ब्यूरो (IIB) की शासी परिषद</li> <li>भारतीय बीमा संस्थान</li> <li>बीमा सलाहकार समिति (IRDAI अधिनियम, 1999)</li> <li>भारतीय एक्चुअरीज संस्थान की परिषद</li> <li>राष्ट्रीय बीमा अकादमी</li> </ul>
2.	डॉ. मारुति प्रसाद तनिराला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>भारतीय सामान्य बीमा निगम</li> <li>इंडियन बैंक</li> <li>नाबार्ड</li> <li>आई आर डी ए आई (IRDAI) (अंशकालिक सदस्य)</li> </ul>
3.	श्री जगन्नाथ एम	प्रबंध निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी गोल्डन जुबली फाउन्डेशन</li> <li>एलआईसी एचएफएल असेट मैनेजमेंट कं. लि.</li> <li>एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</li> <li>एलआईसी बी.एस.सी. (सी) बहरीन</li> <li>बीएसई लिमिटेड</li> <li>भारतीय बीमा अकादमी</li> </ul>

E) Statement containing names, description, occupations of and directorships held by the persons in charge of management of the business under section 11(3) of the Insurance Act, 1938.

Sr. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 <sup>st</sup> March, 2024
1.	Shri Siddhartha Mohanty	Whole Time Chairperson	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIC Pension Fund Limited</li> <li>• LIC Golden Jubilee Foundation</li> <li>• LIC (Nepal) Limited</li> <li>• LIC Housing Finance Limited</li> <li>• LIC Mutual Fund Asset Management Limited</li> <li>• LIC (Lanka) Limited</li> <li>• LIC Cards Services Limited</li> <li>• LIC (International) BSC (c) Bahrain</li> <li>• LIC (Singapore) Pte Ltd.</li> <li>• Kenindia Assurance Co. Ltd.</li> <li>• Life Insurance Council</li> <li>• Council of Insurance Ombudsman</li> <li>• Governing Council of Insurance Bureau of India (IIB)</li> <li>• Insurance Institute of India</li> <li>• Insurance Advisory Committee (IRDAI Act, 1999)</li> <li>• Council of the Institute of Actuaries of India</li> <li>• National Insurance Academy</li> </ul>
2.	Dr. Maruthi Prasad Tangirala	Government Nominee Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• General Insurance Corporation of India</li> <li>• Indian Bank</li> <li>• NABARD</li> <li>• IRDAI (Part – Time member)</li> </ul>
3.	Shri Jagannath M	Managing Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LIC Golden Jubilee Foundation</li> <li>• LICHFL Asset Management Company Ltd.</li> <li>• LIC Housing Finance Ltd.</li> <li>• LIC BSC (c) Bahrain</li> <li>• BSE Limited</li> <li>• National Insurance Academy</li> </ul>

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2024 को निदेशकता
4.	श्री तबलेश पाण्डेय	प्रबंध निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड</li> <li>एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड</li> <li>एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड</li> <li>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड</li> <li>राष्ट्रीय बीमा अकादमी</li> <li>भारतीय बीमा संस्थान</li> </ul>
5.	श्री सतपाल भानू	प्रबंध निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन</li> <li>राष्ट्रीय बीमा अकादमी</li> <li>एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड</li> <li>भारतीय बीमा संस्थान</li> </ul>
6.	श्री दुरैस्वामि रामचंद्रन	प्रबंध निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>एलआईसी एचएफएल केयर्स होम्स लिमिटेड</li> <li>एलआईसी (लंका) लिमिटेड</li> <li>नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड</li> <li>नेशनल इश्योरेंस एकेडमी</li> <li>एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन</li> <li>एलआईसी ऑफ इंडिया प्रोविडेंट फंड नंबर 1</li> <li>मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी, गुडगांव</li> </ul>
7.	डॉ. रंजन शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
8.	श्री विनोद कुमार वर्मा	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
9.	प्रो. अनिल कुमार	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>उधमोदय फाउंडेशन</li> <li>दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन</li> </ul>
10.	श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिलेट इंडिया लिमिटेड</li> <li>भारत की प्रकृति संरक्षण (सलाहकार बोर्ड सदस्य)</li> </ul>
11.	श्री महालिंगम जी	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>सिटी युनियन बैंक</li> <li>इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनेशियल सर्विसेस लिमिटेड (IL&amp;FS)</li> <li>इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IFSC) लिमिटेड</li> <li>आई एल एंड एफ एस फाईनेशियल सर्विसेस लि.</li> <li>केयर रेंटिंस लि.</li> <li>न्यू तिरुपूर क्षेत्र विकास निगम लि. (NTADCL)</li> <li>सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड</li> <li>डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड</li> <li>तमिलनाडु वाटर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड</li> </ul>

Sr. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 <sup>st</sup> March, 2024
4.	Shri Tablesh Pandey	Managing Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>LIC Cards Services Limited</li> <li>LIC (Nepal) Ltd.</li> <li>LIC Mutual Fund Trustee Pvt Ltd</li> <li>National Stock Exchange of India Limited</li> <li>National Insurance Academy</li> <li>Insurance Institute of India</li> </ul>
5.	Shri Sat Pal Bhanoo	Managing Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>LIC Golden Jubilee Foundation</li> <li>National Insurance Academy</li> <li>LIC of Bangladesh Limited</li> <li>Insurance Institute of India</li> </ul>
6.	Shri Doraiswamy Ramchandran	Managing Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>LIC HFL Cares Homes Limited</li> <li>LIC (Lanka) Ltd</li> <li>National Commodity &amp; Derivatives Exchange Limited</li> <li>National Insurance Academy</li> <li>LIC Golden Jubilee Foundation</li> <li>LIC of India Provident Fund No. 1</li> <li>Management Development Institute Society, Gurgaon</li> </ul>
7.	Dr. Ranjan Sharma	Independent Director	• -
8.	Shri Vinod Kumar Verma	Independent Director	• -
9.	Prof. Anil Kumar	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udhmodya foundation</li> <li>University of Delhi Foundation</li> </ul>
10.	Smt. Anjuly Chib Duggal	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gillette India Ltd</li> <li>The Nature Conservancy India – on the Advisory Board</li> </ul>
11.	Shri Mahalingam G	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>City Union Bank Limited</li> <li>Infrastructure Leasing &amp; Financial Services Limited (IL&amp;FS)</li> <li>India International Bullion Exchange IFSC Limited</li> <li>IL&amp;FS Financial Services Limited</li> <li>CARE Ratings Limited</li> <li>New Tirupur Area Development Corporation Limited (NTADCL)</li> <li>Central Depository Services Ltd.</li> <li>DSP Pension Fund Managers Private Limited</li> <li>Tamil Nadu Water Investment Company Limited</li> </ul>

क्रमांक	नाम	विवरण	31 मार्च, 2024 को निदेशकता
12.	श्री राज कमल	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वतंत्र निदेशक</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसएमआईटी कंसल्टिंग डीएमसीसी, (यूएई में निगमित)</li> <li>ट्रांस-फाई इंक</li> <li>ट्राइडेंट लिमिटेड</li> <li>ट्रांस-फाई पीटीई लिमिटेड</li> <li>ट्रांस-फाई यूएबी</li> <li>ट्रांस-फाई टेक्नोलॉजी एलएलसी</li> <li>पीटी ट्रांस-फाई इंडोनेशिया मेरडेका</li> </ul>
13.	डॉ. वी एस पार्थसारथी	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्वतंत्र निदेशक</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड</li> <li>ग्रासरूट ट्रेडिंग नेटवर्क फॉर वुमेन (GTNFW) धारा 8 की कंपनी</li> <li>किड्स क्लिनिक इंडिया लिमिटेड</li> <li>इंपीरियल ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड</li> <li>आईएआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड</li> <li>ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड</li> <li>गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड</li> <li>एनआईआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड</li> <li>एवरएनवायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड</li> <li>आईआईएम मुंबई (पूर्व राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान) (सोसायटी)</li> <li>पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड</li> </ul>
14.	श्री मुथु राजू परवासा राजू विजय कुमार	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>सेंट्रिको इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सेला इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)</li> <li>हेरिटेज फूड्स लिमिटेड</li> <li>जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड</li> <li>सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नैस्टेक लिस्टेड)</li> </ul>
15.	श्री संजीव नौटियाल	स्वतंत्र निदेशक	<ul style="list-style-type: none"> <li>रोई नेट फॉरेक्स एंड रेमिटेस प्राइवेट लिमिटेड</li> <li>रिलायंस कैपिटल (आईबीसी के तहत) प्रशासक के सलाहकार</li> <li>डाक जीवन बीमा निवेश बोर्ड- विशेषज्ञ सदस्य</li> <li>रोई नेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड- सदस्य- सलाहकार बोर्ड</li> </ul>

Sr. No.	Name	Description	Profile/Directorship held as on 31 <sup>st</sup> March, 2024
12.	Shri Raj Kamal	• Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMIT Consulting DMCC, (incorporated in UAE)</li> <li>• Trans-Fi Inc</li> <li>• Trident Limited</li> <li>• TransFiPte. Ltd</li> <li>• Trans-Fi UAB</li> <li>• TransFi Technology LLC</li> <li>• Pt. TranFi Indonesia Merdeka</li> </ul>
13.	Dr. V S Parthasarathy	• Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUDI Multi Trading Company Limited</li> <li>• Grassroot Trading Network for Women (GTNFW) a Section 8 company</li> <li>• Kids Clinic India Limited</li> <li>• Imperial Auto Industries Limited</li> <li>• IAI Industries Limited</li> <li>• Greencell Mobility Private Limited</li> <li>• Girnar Software Private Limited</li> <li>• NIIT Learning Systems Limited</li> <li>• Everenviro Resource Management Private Limited</li> <li>• IIM Mumbai (ex National Institute of Industrial Engineering) (Society)</li> <li>• Pennar Industries Limited</li> </ul>
14.	Shri Muthu Raju Paravasa Raju Vijay Kumar	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrico India Software Services Private Limited (formerly Sella India Software Services Private Limited)</li> <li>• Heritage Foods Limited</li> <li>• Geojit Financial Services Limited</li> <li>• Sify Technologies Limited (Nasdaq Listed)</li> </ul>
15.	Shri Sanjeev Nautiyal	Independent Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roi Net Forex &amp; Remittance Pvt Ltd.</li> <li>• Reliance Capital (under IBC) Advisor to Administrator</li> <li>• Postal Life Insurance Investment Board– Expert Member</li> <li>• Roi Net Solutions Pvt. Ltd. – Member – Advisory Board</li> </ul>

च) उपरोक्त संबंधित पार्टियों के साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम के लेन-देन की प्रकृति और मात्रा निम्नानुसार थी:

i) सहयोगी और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी					प्रमुख प्रबंधन कार्मिक
	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	एलआईसी एचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी	एलआईसी म्यूचुअल फंड एएम लिमिटेड	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	
इक्विटी, ऋण, बांड और म्यूचुअल फंड की खरीद	-	15.59 (23.38)	17,749.74 (8,854.09)	-	-	-
म्यूचुअल फंड की बिक्री	-	-	17,180.69 (10,126.61)	-	-	-
ऋणों और बांडों / ऋणों का मोचन	2,000.00 (1,500.00)	18.94 (2.19)	-	0.00 (1,450.00)	-	-
निवेश से आय	953.90 (1,306.08)	7.38 (0.81)	0.00 (0.49)	0.00 (133.88)	7.65 (7.65)	-
किराया	12.62 (10.10)	-	2.94 (3.31)	2.17 (1.82)	1.85 (1.64)	-
सिटिंग फीस	-	-	-	0.00 (0.06)	0.00 (0.01)	-
अन्य प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति / भुगतान	2.41 (2.69)	0.21 (0.21)	0.20 (0.16)	11.15 (2.89)	0.05 (0.00)	-
स्टाफ ऋण के लिए पुर्नलेखन प्रभार	0.00 (47.69)	-	-	-	-	-
कमीशन का भुगतान किया गया	-	-	-	75.15 (74.42)	-	-
पेंशन और समूह योजना	26.26 (9.06)	0.02 (0.22)	0.27 (0.27)	109.89 (4.56)	0.04 (0.05)	-
अन्य चार्जेज इत्यादि.	-	0.02 (0.07)	-	13.60	-	-
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	8.74 (9.08)
<b>कुल</b>	<b>2,995.19 (2,875.62)</b>	<b>42.16 (26.88)</b>	<b>34,933.84 (18,984.93)</b>	<b>211.96 (1,667.63)</b>	<b>9.59 (9.35)</b>	<b>8.74 (9.08)</b>

\* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक ( ) में दिखाए गए हैं।

F) The nature and volume of transactions of the Corporation during the year ended on 31<sup>st</sup> March, 2024, with the above related parties were as follows:

i) Associates and Key Management Personals

(₹ in Crore)

Particulars	Associates					Key Management Personnel
	LIC Housing Finance Ltd.	LIC HFL Asset Management Co.	LIC Mutual Fund AM Ltd.	IDBI Bank Ltd.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	
Purchase of Equity, Debts, bonds and Mutual Fund	-	15.59 (23.38)	17,749.74 (8,854.09)	-	-	-
Sale of Mutual Fund	-	-	17,180.69 (10,126.61)	-	-	-
Redemption on Debts & bonds / Loans	2,000.00 (1,500.00)	18.94 (2.19)	-	0.00 (1,450.00)	-	-
Income from Investment	953.90 (1,306.08)	7.38 (0.81)	0.00 (0.49)	0.00 (133.88)	7.65 (7.65)	-
Rent	12.62 (10.10)	-	2.94 (3.31)	2.17 (1.82)	1.85 (1.64)	-
Sitting Fees	-	-	-	0.00 (0.06)	0.00 (0.01)	-
Reimbursement / payment towards other administrative Expenses	2.41 (2.69)	0.21 (0.21)	0.20 (0.16)	11.15 (2.89)	0.05 (0.00)	-
Rewriting charges for staff loan	0.00 (47.69)	-	-	-	-	-
Commission paid	-	-	-	75.15 (74.42)	-	-
Pension and Group Scheme	26.26 (9.06)	0.02 (0.22)	0.27 (0.27)	109.89 (4.56)	0.04 (0.05)	-
Others (Charges etc.)	-	0.02 (0.07)	-	13.60	-	-
Managerial Remuneration	-	-	-	-	-	8.74 (9.08)
<b>TOTAL</b>	<b>2,995.19</b> <b>(2,875.62)</b>	<b>42.16</b> <b>(26.88)</b>	<b>34,933.84</b> <b>(18,984.93)</b>	<b>211.96</b> <b>(1,667.63)</b>	<b>9.59</b> <b>(9.35)</b>	<b>8.74</b> <b>(9.08)</b>

\* Previous year figures are shown in bracket ( ).

## ii) सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहायक कंपनियां						
	एलआईसी पेंशन फंड	एलआईसी कार्ड सर्विसेस	एलआईसी नेपाल लिमिटेड	एलआईसी बांग्लादेश	एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी (सी) बहरीन	एलआईसी (लंका) लिमिटेड	एलआईसी सिंगापुर पीटीई लिमिटेड
इक्विटी, ऋण, बांड और म्यूचुअल फंड की खरीद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (5.65)	0.00
वार्षिक तकनीकी / आई.टी. समाधान शुल्क प्राप्त	0.00	0.00	0.20 (0.20)	0.08 (0.17)	0.00 (2.44)	0.00	0.04 (0.04)
आवेदन राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (9.34)	0.00
किराया	0.80 (0.31)	1.01 (0.73)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभांश से आय	10.00 (5.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति/भुगतान	0.32 (5.77)	5.38 (5.34)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	0.04	0.00	0.24	0.58	1.40	0.36	0.20
<b>कुल</b>	<b>11.16 (11.08)</b>	<b>6.39 (6.07)</b>	<b>0.44 (0.20)</b>	<b>0.66 (0.17)</b>	<b>1.40 (2.44)</b>	<b>0.36 (14.99)</b>	<b>0.24 (0.04)</b>

\* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक ( ) में दर्शाए गए हैं।

## iii) संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि 31.03.2024

क्रमांक	संबंधित पार्टी का नाम	कंपनी के साथ संबंधों की प्रकृति	प्रतिबद्धताओं सहित बकाया राशि की राशि (₹ लाख में)		देय / प्राप्य	
			2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1.	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	सहयोगी	12,907.45	0.12	प्राप्य	देय
2.	एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	सहयोगी	3090.87	0.85	प्राप्य	देय
3.	एलआईसीएचएफएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	सहयोगी	247.23	0.00	देय	लागू नहीं
4.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	सहयोगी	33,776.53	5,375.47	प्राप्य	प्राप्य
5.	एलआईसी कार्डस् सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	0.53	0.69	प्राप्य	प्राप्य
6.	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	सहायक	50.30	0.00	प्राप्य	लागू नहीं
7.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	सहयोगी	0.66	96.40	देय	देय
8.	एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी, प्रा. लिमिटेड	सहयोगी	0.0049	0.00	प्राप्य	लागू नहीं
9.	एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड	सहायक	0.00	1.15	लागू नहीं	प्राप्य

## ii) Subsidiaries

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries						
	LIC Pension Fund	LIC Card Services	LIC Nepal Ltd.	LIC Bangladesh	LIC (International) B.S.C.(c) Bahrain	LIC (Lanka) Ltd.	LIC Singapore Pte Ltd
Purchase of Equity, Debts, bonds and Mutual Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (5.65)	0.00
Annual Technical/ I.T. Solution fees received	0.00	0.00	0.20 (0.20)	0.08 (0.17)	0.00 (2.44)	0.00	0.04 (0.04)
Application Money	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 (9.34)	0.00
Rent	0.80 (0.31)	1.01 (0.73)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividend Income	10.00 (5.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reimbursement / payment towards other administrative expenses	0.32 (5.77)	5.38 (5.34)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	0.04	0.00	0.24	0.58	1.40	0.36	0.20
<b>TOTAL</b>	<b>11.16 (11.08)</b>	<b>6.39 (6.07)</b>	<b>0.44 (0.20)</b>	<b>0.66 (0.17)</b>	<b>1.40 (2.44)</b>	<b>0.36 (14.99)</b>	<b>0.24 (0.04)</b>

\* Previous year figures are shown in bracket ( ).

## iii) Outstanding balances with related parties as at 31.03.2024.

Sl. No.	Name of the Related Party	Nature of Relationship with the Company	Amount of Outstanding Balances including Commitments (₹ In Crore)		Whether Payable / Receivable	
			2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1.	LIC Housing Finance Ltd.	Associate	12,907.45	0.12	Receivable	Payable
2.	LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.	Associate	3090.87	0.85	Receivable	Payable
3.	LICHFL Asset Management Co. Ltd.	Associate	247.23	0.00	Payable	N.A.
4.	IDBI Bank Ltd.	Associate	33,776.53	5,375.47	Receivable	Receivable
5.	LIC Cards Services Ltd.	Subsidiary	0.53	0.69	Receivable	Receivable
6.	LIC Pension Fund Ltd.	Subsidiary	50.30	0.00	Receivable	N.A.
7.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	Associate	0.66	96.40	Payable	Payable
8.	LIC Mutual Fund Trustee Co, Pvt. Ltd.	Associate	0.0049	0.00	Receivable	N.A.
9.	LIC OF BANGLADESH LTD.	Subsidiary	0.00	1.15	N.A.	Receivable

30. प्रावधानों का संचलन(एलआईसीआई):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1. सॉल्वेंसी मार्जिन के लिए रिजर्व का प्रावधान		
प्रारंभिक जमा	14,943.06	14,943.06
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00
जमा शेष	14,943.06	14,943.06

31. प्रबंधन का खर्च (एलआईसीआई):

प्रबंधन के खर्च (बीमाकर्ता के जीवन बीमा कारोबार के प्रबंधन के खर्च) विनियमन 2023 के नियमन के अनुसार हैं।

32. खंडीय रिपोर्टिंग की प्रस्तुति पर प्रकटीकरण:

कंपनी अधिनियम 2013 और नियमों की धारा 133 के तहत अधिसूचित “सेगमेंटल रिपोर्टिंग” पर लेखा मानक 17 के साथ पठित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियम 2002 (‘विनियम’) के तहत पहचाने गए प्राथमिक खंडों के आधार पर और नियम इसके तहत, निगम ने शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के लिए अलग-अलग खंडीय जानकारी को वर्गीकृत और प्रकट किया है। तदनुसार, निगम ने प्राथमिक व्यवसाय खंडों के लिए राजस्व खाता और तुलन-पत्र तैयार की है, जैसे कि सहभागी जीवन व्यक्तिगत, सहभागी पेंशन व्यक्तिगत, सहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी जीवन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी पेंशन (व्यक्तिगत एवं समूह), असहभागी वार्षिकी व्यक्तिगत, असहभागी परिवर्तनीय व्यक्तिगत, असहभागी स्वास्थ्य व्यक्तिगत, असहभागी संबंध एवं पूंजी मोचन निर्धारित वार्षिकी सहित व्यवसाय (CRAC)। निगम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करता है। (अनुबंध-1 खंडीय रिपोर्टिंग पर)

33. विदेशी मुद्रा भंडार:

फिजी, मॉरीशस और यू.के. में किए गए ऑपरेशन गैर-अभिन्न प्रकृति के हैं। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, जिसमें विदेशी बीमा सहायक कंपनियां शामिल हैं, राजस्व खाता आइटम को औसत दर पर अनुवादित किया जाता है और बैलेंस शीट आइटम को समापन विनियम दरों पर अनुवादित किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में दिखने वाला विनियम उतार-चढ़ाव रिजर्व नीचे उल्लिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च तक	
	2024	2023
अनुसूची 6 के अनुसार आरक्षित और अधिशेष (शेयरधारकों) का समेकित विवरण	331.52	310.28
अनुसूची 6ए के अनुसार: बीमा आरक्षित का समेकित विवरण (पॉलिसीधारक)	4,318.94	4,208.94

34. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एलआईसीआई):

प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED ACT) के अन्तर्गत विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर, निगम के पास उक्त अधिनियम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बकाया राशि निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

अनु. विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बकाया मूलधन राशि।	शून्य	शून्य
2. उपरोक्त 1 के अनुसार बकाया मूलधन पर अर्जित ब्याज।	शून्य	शून्य

### 30. Movement of Provisions (LICI):

(₹ in Crore)

Particulars	As at 31 March, 2024	As at 31 March, 2023
<b>1. Provision for reserve for solvency margin</b>		
Opening Balance	14,943.06	14,943.06
Addition during the year	0.00	0.00
Deduction during the year	0.00	0.00
Closing Balance	14,943.06	14,943.06

### 31. Expenses of Management of LICI:

The Expenses of Management are in accordance with the Regulation of IRDAI (Expenses of Management of Insurer transacting life insurance business) Regulation 2023.

### 32. Disclosure on presentation of segmental reporting:

Based on the primary segments identified under IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditors' report of insurance Companies) Regulations 2002 ('the regulations') read with Accounting Standard 17 on "segmental reporting" notified under section 133 of the Companies act 2013 and rules there under, the Corporation has classified and disclosed segmental information separately for shareholders and policyholders. Accordingly the Corporation has prepared the Revenue Account and the Balance Sheet for the primary business segments namely Participating Life Individual, Participating Pension Individual, Participating Annuity Individual, Non Participating Life (Individual & Group), Non Participating Pension (Individual & Group), Non Participating Annuity Individual, Non Participating Variable individual, Non Participating Health individual, Non Participating Unit Linked and Capital Redemption and Annuity Certain Business (CRAC). The Corporation operates in various geographical segments. Segmental Reporting of Consolidated financial statements are given in form of Annexure I.

### 33. Foreign Exchange Reserve:

Operations carried out in Fiji, Mauritius and U.K. are of non-integral nature. While preparing consolidated financial Statements, which includes foreign insurance subsidiaries, revenue account items are translated at average rate and balance sheet items are translated at closing exchange rates. The exchange fluctuation reserve appearing in consolidated financial statements is mentioned below:

(₹ in Crore)

Particulars	As at March 31,	
	2024	2023
As per Schedule 6 Consolidated Statement of Reserves and Surplus (Shareholders)	331.52	310.28
As per Schedule 6A: Consolidated Statement of Insurance Reserves (Policyholders)	4,318.94	4,208.94

### 34. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006:

According to information available with the management, on the basis of intimation received from suppliers, regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED ACT), the corporation has amounts due to Micro and Small Enterprises under the said Act as follows:

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
1.	Principal amount remaining unpaid to Micro, small & medium enterprise.	Nil	Nil
2.	Interest accrued on principal amount remaining unpaid as per 1 above.	Nil	Nil

अनु. विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
3. सेवाओं की सुपुदरमी की तारीख से 15 दिन या सहमत समय के पश्चात वर्ष के दौरान मूलधन की धनराशि एवं भुगतान की गई ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
4. वर्ष के दौरान मूलधन पर देय ब्याज लेकिन अभी तक भुगतान किया जाना शेष है	शून्य	शून्य
5. बाद के वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, जब तक उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है।	शून्य	शून्य

35. परिचालन व्यय प्रकटीकरण (एलआईसीआई):

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आउटसोर्सिंग व्यय	726.09	762.16
व्यापार विकास	1,543.31	1,374.00
विपणन समर्थन	965.90	693.33

36. 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई (एलआईसीआई)

(₹ करोड़ में)

अनु. प्राधिकरण	2023-2024			2022-2023		
	जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया	जुर्माना	जुर्माना भुगतान	जुर्माना माफ/कम किया गया
1. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. जीएसटी/सेवा कर प्राधिकरण	375.42	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3. आयकर प्राधिकरण	153.62	75.81	0.00	12.82	2.62	0.00
4. कोई अन्य कर प्राधिकरण	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5. प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण या फेमा के तहत कोई प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार/एनसीएलटी/सीएलबी/कॉर्पोरेट मामलों के विभाग या कोई प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. दावा निपटान सहित किसी भी मामले के लिए किसी भी न्यायालय/अधिकरण द्वारा दिया गया दंड लेकिन क्षतिपूर्ति को छोड़कर	0.32	0.30	0.00	0.19	0.19	0.00
8. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>529.54</b>	<b>76.19</b>	<b>0.01</b>	<b>13.01</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00</b>

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
3.	Amount of interest paid during the year along with the payment of principal amount made beyond 15 days or agreed time from the date of delivery /rendering of services.	Nil	Nil
4.	Interest due but yet to be paid on principal during the year.	Nil	Nil
5.	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as deductible expenditure.	Nil	Nil

**35. Operating Expenses Disclosure of LIC:**

(₹ in Crore)

Particular	For the year ended 31.03.2024	For the year ended 31.03.2023
Outsourcing Expenses	726.09	762.16
Business Development	1,543.31	1,374.00
Marketing Support	965.90	693.33

**36. Penal action taken by various Government Authorities for the year ended 31.03.2024 (LIC)**

(₹ in Crore)

Sl No.	Authority	2023-2024			2022-2023		
		Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced	Penalty	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	GST/Service Tax Authorities	375.42	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Income Tax Authorities	153.62	75.81	0.00	12.82	2.62	0.00
4.	Any other Tax Authorities	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	0.32	0.30	0.00	0.19	0.19	0.00
8.	Securities and Exchange Board of India	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Competition Commission of India	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Any other Central/State/Local Government / Statutory Authority	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>529.54</b>	<b>76.19</b>	<b>0.01</b>	<b>13.01</b>	<b>2.81</b>	<b>0.00</b>

**गैर अनुपालन/उल्लंघन का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
रिटर्न भरने में देरी और कर के देर से भुगतान	0.11	0.06
पेशेवर कर का देर से प्रेषण	0.07	0.00
पॉलिसीधारकों के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिया गया जुर्माना	0.03	0.15
सरकारी प्राधिकरण द्वारा दिया गया जुर्माना पॉलिसीधारक के अलावा	153.91	12.80
जीएसटी / सेवा कर प्राधिकरण	375.42	0.00
<b>कुल</b>	<b>529.54</b>	<b>13.01</b>

**37. फ्री-लुक अवधि के लिए प्रावधान (एलआईसीआई):**

वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को फ्री-लुक अवधि का प्रावधान क्रमशः अप्रैल 2024 और अप्रैल 2023 के महीने के दौरान वापस किए गए वास्तविक प्रीमियम के आधार पर किया गया है। यह प्रावधान इस धारणा के साथ किया गया है कि अप्रैल 2024 और अप्रैल 2023 के दौरान प्रीमियम की सभी वापसी क्रमशः 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले पूरी की गई पॉलिसियों से संबंधित है।

**38. इंड-एएस के कार्यान्वयन की प्रगति (एलआईसीआई):**

वर्ष के दौरान निगम ने भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन में Gap विश्लेषण और प्रभाव मूल्यांकन किया है। गुणात्मक और Gap विश्लेषण से संबंधित अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और निर्धारित योजना के अनुसार वित्तीय प्रभाव मूल्यांकन प्रगति पर है।

**39. दो कंपनियों को दी गई ऋण के तहत जमानत ₹ 628.60 करोड़ की राशि आंशिक रूप से निष्पादित की गई है और नियत प्रक्रिया के तहत है (पिछले वर्ष दो कंपनियों के तहत, ₹ 628.60 करोड़ की राशि)।**

**40. रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन (एलआईसीआई):**

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2024 तक बकाया
रेपो REPO के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
1. सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	862.89 (2,923.05)	26,097.06 (18,473.99)	8,296.39 (7,612.64)	7,769.50 (15,805.21)
1. सरकारी प्रतिभूतियां				
2. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

\* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक ( ) में दर्शाए गए हैं।

**41. निवेश की हानि:**

अस्थायी हास के अलावा अन्य निवेशों के मूल्य में हानि का आकलन अवधि के लिए किया गया है और तदनुसार हानि प्रावधान प्रदान किए गए हैं। निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (निवल) शीर्षक के तहत राजस्व खाते में मान्यता प्राप्त नुकसान में हानि के लिए प्रावधान/प्रत्याकर्तन।

**Details of non compliance/Violation:**

(₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2022-23
Delay In return filling & late remittance of tax	0.11	0.06
Late remittance of professional tax	0.07	0.00
Penalty awarded by Court in favor of policyholders	0.03	0.15
Penalty awarded by Govt. Authority other than the policyholder matters.	153.91	12.80
GST/ Service Tax Authority	375.42	0.00
<b>Total</b>	<b>529.54</b>	<b>13.01</b>

**37. Provision for free-look period of LIC:**

Provision for free-look period as at year end March 31, 2024 and March 31, 2023 has been made on the basis of actual premium refunded during the month of April 2024 and April 2023 respectively. The provision is made with an assumption that all refund of premium during the month of April 2024 and April 2023 pertained to the policies completed on or before March 31, 2024 and March 31, 2023 respectively.

**38. Progress of implementation of Ind AS for LIC:**

During the year, the Corporation has carried out the Gap Analysis and Impact Assessment of Indian Accounting Standards (Ind AS) implementation. Majority of the qualitative and gap analysis related work has been completed and Financial Impact assessment is in progress as per scheduled plan.

**39. Security under debt extended to two companies amounting to ₹628.60 Crore is executed partially and is under due process (Previous Year under two companies, amounting to ₹628.60 Crore).**

**40. Repo/ Reverse Repo transactions for the year of LIC:**

(₹ in Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31 <sup>st</sup> 2024
Securities sold under REPO				
1. Government Securities	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2. Corporate Debt securities				
Securities Purchased under reversed Repo	862.89	26,097.06	8,296.39	7,769.50
1. Government Securities	(2,923.05)	(18,473.99)	(7,612.64)	(15,805.21)
2. Corporate Debt securities	NIL	NIL	NIL	NIL

\* Previous year figures are shown in bracket ( ).

**41. Impairment of Investments:**

The impairment in value of investments other than temporary diminution has been assessed for the period and accordingly impairment provisions have been provided. Provision/(reversal) for impairment loss recognized in the Consolidated Revenue Account under the head Provision for diminution in the value of investments (net).

42. प्रति शेयर आय (ईपीएस):

विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
	2024	2023
शेयरधारकों के लिए निश्चित की गई आय (₹ करोड़ में)	40,915.85	35,996.65
ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की संख्या	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
मूल ईपीएस (₹)	64.69	56.91
डायल्यूटेड ईपीएस (₹)	64.69	56.91

43. पट्टे:-

निगम ने अपने कार्यालयों के लिए और स्टाफ क्वार्टर के रूप में कुछ संपत्तियों को किराए पर लिया है। 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 421.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 404.80 करोड़) का पट्टा किराया राजस्व खाते में डेबिट किया गया।

44. आय पर कर के लिए लेखांकन:

समेकित विवरण पत्र में आयकर के लिए प्रावधान नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए	
	2024	2023
समेकित राजस्व खाते में प्रभारित	5,956.94	5,381.96
समेकित लाभ और हानि खाते में प्रभारित	140.75	84.29

45. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां:- एलआईसीआई ऋण पोर्टफोलियो

(₹ करोड़ में)

आस्तियां	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	संपत्ति	प्रावधान	संपत्ति	प्रावधान
उप मानक	10.80	6.13	11.44	6.13
संदिग्ध संपत्ति	608.23	607.76	1,700.65	1,700.03
हानि संपत्ति	10,078.50	10,078.50	10,319.27	10,319.27
कुल	10,697.53	10,692.39	12,031.36	12,025.43
मानक	5,21,183.55	2,489.82	4,57,959.19	2,266.49
कुल योग	5,31,881.08	13,182.21	4,69,990.55	14,291.92
	निवेश	एनपीए	निवेश	एनपीए
सकल	5,31,881.08	10,697.53	4,69,990.55	12,031.36
एनपीए प्रावधान	10,692.39	10,692.39	12,025.43	12,025.43
शुद्ध स्थिति	5,21,188.69	5.14	4,57,965.12	5.93
सकल एनपीए%	2.01		2.56	
शुद्ध एनपीए %	0.00		0.00	

नोट: ऊपर दिखाई गई परिसंपत्तियां अनुसूची 8 ए में आईआरडीए द्वारा निर्धारित प्रारूपों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रस्तुत की जाती हैं: निवेश का समेकित विवरण - पॉलिसीधारक अनुसूची, अनुसूची 8 बी: संबंध दायित्व रक्षित करने के लिए परिसंपत्तियों का समेकित विवरण और अनुसूची 9: का समेकित विवरण ऋण।

#### 42. Earnings Per Share (EPS):

Particulars	For the year ended March 31,	
	2024	2023
Profit for the Year attributable to Shareholders (in ₹ Crores)	40,915.85	35,996.65
No. Of equity shares for calculation of EPS	6,32,49,97,701	6,32,49,97,701
Basic EPS (₹)	64.69	56.91
Diluted EPS (₹)	64.69	56.91

#### 43. Leases (LICI)

The Corporation has hired some properties for its offices and as staff quarters. The lease rentals amounting to ₹ 421.96 Crore (Previous year ₹ 404.80 Crore) debited to the Consolidated Revenue Account for the year ended 31.03.2024.

#### 44. Accounting for Taxes on Income:

Income tax charged to Consolidated Revenue Account and Consolidated Profit & loss Account are as below:

(₹ in Crore)

Particulars	For the year ended March 31,	
	2024	2023
Charged to Consolidated Revenue Account	5,956.94	5,381.96
Charged to Consolidated Profit & loss Account	140.75	84.29

#### 45. Non - Performing Assets:- Debt Portfolio (LICI)

(₹ in Crore)

Assets	As at 31, March 2024		As at 31, March 2023	
	Asset	Provision	Asset	Provision
Sub Standard	10.80	6.13	11.44	6.13
Doubtful Assets	608.23	607.76	1,700.65	1,700.03
Loss assets	10,078.50	10,078.50	10,319.27	10,319.27
Total	10,697.53	10,692.39	12,031.36	12,025.43
Standard	5,21,183.55	2,489.82	4,57,959.19	2,266.49
Grand Total	5,31,881.08	13,182.21	4,69,990.55	14,291.92
	Investment	NPA	Investment	NPA
Gross	5,31,881.08	10,697.53	4,69,990.55	12,031.36
NPA Provision	10,692.39	10,692.39	12,025.43	12,025.43
Net position	5,21,188.69	5.14	4,57,965.12	5.93
Gross NPA%	2.01		2.56	
Net NPA%	0.00		0.00	

Note: The assets shown above are presented under various categories in accordance with the formats prescribed by IRDAI in Schedule 8A: Investments – Policyholders, Schedule 8B: Assets Held To Cover Linked Liabilities and Schedule 9: Loans.

**46. प्रति शेयर लाभांश (डीपीएस):**

निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 4 का अंतरिम लाभांश घोषित किया और उसका भुगतान किया। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 6 का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो निगम की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

**46अ. गैर-दावाकृत लाभांश और संबंधित शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करना:**

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में दावा न किए गए लाभांश और संबंधित शेयरों का स्थानांतरण: जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी (5) में यह प्रावधान है कि भुगतान के लिए देय होने की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिए अप्रदत्त लाभांश खाते में शेष रही गैर दावाकृत तथा अप्रदत्त राशि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जाएगी।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 सी (6) के अनुसार, सभी शेयर जिनका लाभांश लगातार सात वर्षों के लिए गैर दावाकृत तथा अप्रदत्त है, निगम द्वारा इन्हे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के नाम पर हस्तांतरित किया जाएगा।

31 मार्च 2024 को आईईपीएफ में स्थानांतरण की देय तिथि के साथ-साथ दावा न किए गए लाभांश का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	अंतरिम / अंतिम	लाभांश प्रति शेयर (₹)	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ में स्थानांतरण की देय तिथि
2021-22	अंतिम	₹ 1.50 प्रति शेयर	सितम्बर 27, 2022	अक्टूबर 26, 2029
2022-23	अंतिम	₹ 3.00 प्रति शेयर	अगस्त 22, 2023	सितम्बर 20, 2030
2023-24	अंतरिम	₹ 4.00 प्रति शेयर	फरवरी 8, 2024	मार्च 08, 2031

**47. पुनर्समूहन या पुनर्वर्गीकरण (एलआईसीआई):**

चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है। पुनर्समूहन का विवरण इस प्रकार है:-

अनु	के लिए पुनर्समूहित	से पुनर्समूहित	राशि (₹ करोड़ में)	कारण
	<b>अनुसूची संख्या 9 (जीवन)</b>	<b>अनुसूची संख्या 9 (जीवन)</b>		
	(2) उधारकर्ता - कार वर्गीकरण	(2) उधारकर्ता - कार वर्गीकरण		
		(घ) कंपनियां	2.62	ऋण और कित्तपोषित
1.	(च) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है) डब्ल्यूएसबी, एसएफसी, पीटीआर, ओटीएच, एलडीबी ईटीसी	(च) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है) सहकारी औद्योगिक संपदा	33.12	आस्तियों के लिए उद्योग कोड के अनुसार उधारकर्ता कार समूहीकरण का पुनर्वर्गीकरण।
		(च) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है) सहकारी औद्योगिक संपदा	4.20	
	(क) केंद्र और राज्य सरकारें	(च) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है) डब्ल्यूएसबी, एसएफसी, पीटीआर, ओटीएच, एलडीबी ईटीसी	2.37	
	<b>अनुसूची संख्या 3 (जीवन)</b>	<b>अनुसूची संख्या 2 (जीवन)</b>		
2.	13 अन्य			बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित नीति के कारण
	1. भत्ते और कमीशन (बीमाकर्ताओं के कमीशन के अलावा)	मध्यस्थों को रिवाई और पारिश्रमिक	486.81	

#### 46. Dividend Per Share (DPS):

The Corporation declared and paid an interim dividend of ₹4/- per equity share of ₹10/- each during the Financial Year 2023-24. The Board of Directors has recommended a final dividend of ₹6 /- per equity share of ₹10 /- each for the Financial Year 2023-24, subject to approval of shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Corporation.

#### 46A. Transfer of unclaimed dividend and corresponding shares to Investor Education and Protection Fund:

Transfer of Unclaimed dividend and corresponding shares to Investor Education and Protection Fund: Section 28C (5) of the Life Insurance Corporation Act, 1956 provides that the amount remaining unclaimed and unpaid for a period of seven year from the date it became due for payment in the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of section 125 of the Companies Act, 2013.

In terms of Section 28 C (6) of Life Insurance Corporation Act, 1956, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Corporation to the Investor Education and Protection Fund.

As on March 31, 2024, the details of unclaimed dividend (if any) along with the due date for transfer to IEPF are given below:

Financial Year	Interim / Final	Dividend per Share (₹)	Date of Declaration	Due date of transfer to IEPF
2021-22	Final	₹1.50 per equity share	September 27, 2022	October 26, 2029
2022-23	Final	₹3.00 per equity share	August 22, 2023	September 20, 2030
2023-24	Interim	₹4.00 per equity share	February 8, 2024	March 08, 2031

#### 47. Regroupings or reclassification of LIC:

Figures of the previous year have been re-grouped whenever necessary, to confirm to current year's classification. The details for regrouping are as follows:

Sr. No.	Regrouped to	Regrouped from	Amount (₹ in Crore)	Reason
	<b>Schedule No. 9 (Life)</b>	<b>Schedule No. 9 (Life)</b>		
	(2) BORROWER - WISE CLASSIFICATION	(2) BORROWER - WISE CLASSIFICATION		
		(d) Companies	2.62	
1.	(f) Others (to be specified) WSB, SFC, PTR, OTH, LDB ETC	(f) Others (to be specified) Municipalities	33.12	
		(f) Others (to be specified) Co-operative Industrial Estates	4.20	
	(a) Central & State Governments	(f) Others (to be specified) WSB, SFC, PTR, OTH, LDB ETC	2.37	
	<b>Schedule No. 3 (Life)</b>	<b>Schedule No. 2 (Life)</b>		
	13 Others:			
2.	1. Allowances and commission (other than commission to insurance agents)	Rewards and remuneration to Intermediaries	486.81	Due to revised Board Approved policy.

#### 48. वेतन संशोधन:

निगम के कर्मचारियों का वेतन संशोधन प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है और वर्तमान वेतन संशोधन 01 अगस्त, 2022 को देय हो गया है। इसका प्रावधान अनुमानित आधार पर 31.03.2024 को किया गया है।

#### 49. निवेश संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन का आधार (एलआईसीआई):

निवेश (किराए पर) संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन वर्षों में एक बार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार निम्नानुसार है:

- निवेश संपत्ति का मूल्यांकन बाजार के किराए को ध्यान में रखते हुए किराया पूंजीकरण विधि द्वारा किया गया है।
- बिना किसी भवन/संरचना के अकेले भूमि वाली निवेश संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया गया है।
- 31 मार्च, 2024 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व की राशि 14,839.06 करोड़ और 31 मार्च, 2023 को 14,835.23 करोड़ थी।

#### 50. स्थानीय कानूनों के तहत की गई जमाराशियां:

एलआईसीआई ने स्थानीय कानूनों के तहत कोई जमा नहीं किया है। तथापि, विदेशी संस्थाओं द्वारा की गई जमाराशियों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विदेशी सहायक/शाखाओं का नाम	31.03.2024	31.03.2023
एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी बहरीन	14.35	15.46
एलआईसी बांग्लादेश लिमिटेड	1.14	1.21
<b>कुल</b>	<b>15.49</b>	<b>16.67</b>

#### 51. कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलआईसीआई):

##### i. जोखिम प्रबंधन संरचना का विवरण:

एलआईसी के पास निगम के सम्मुख आने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए और परिभाषित जिम्मेदारियों और पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के साथ अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से व्यापार करने हेतु मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है।

निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन कार्य पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसमें वार्षिक आधार पर प्रमुख जोखिमों और उपायों पर आवश्यक निरीक्षण प्रदान करना, उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी देना, जोखिम भूख विवरण, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एलएएम) नीति और निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) शामिल है।

आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, निगम ने जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड (आरएमसीबी) का गठन किया है। आरएमसीबी जोखिम प्रबंधन प्रशासन संरचना की देखभाल करता है, जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करता है, जोखिम उठाने की क्षमता और महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए जोखिम कम करने की योजना, कारोबारी माहौल और विनियमों में परिवर्तन से उत्पन्न रणनीतिक जोखिमों की पहचान करता है, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करता है, इससे संबंधित सभी मामले परिसंपत्ति देयता प्रबंधन, वार्षिक आधार पर आईटी सुरक्षा नीति, निगम की व्यवसाय निरंतरता योजना, निगम की सॉल्वेंसी स्थिति, धोखाधड़ी निगरानी आदि के अनुरूप नियमित आधार पर व्यापार निरंतरता पर नियमित अपडेट की समीक्षा करती है। इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण मामले, जिन्हें आरएमसीबी की दृष्टि में, बोर्ड से और अधिक रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, को इसकी जानकारी में समय-समय पर इसकी बैठक में लाया जाता है।

महत्वपूर्ण कार्यात्मक विभागों के कार्यकारी अधिकारियों को, प्रमुखों की जोखिम प्रबंधन पर समिति और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (CERM और ALCO) के रूप में नामित एक आंतरिक स्वतंत्र समिति का गठन किया गया है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और उद्यम जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करता है। जोखिम प्रबंधन और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन पर कार्यकारियों की समिति की सिफारिशें सीआरओ द्वारा आरएमसीबी को रिपोर्ट की जाती हैं। CERM और ALCO उद्यम जोखिम प्रबंधन योजना, ALM पॉलिसी, रिस्क एपेटाइट स्टेटमेंट, जोखिम रिपोर्टिंग / जोखिम नियंत्रण के लिए MIS, रणनीतिक पहलों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख जोखिमों और कारोबारी माहौल या विनियमों में बदलाव,

#### 48. Wage Revision of LICI:

Wage revision of the employees of the Corporation is done every five years and the last wage revision has become due on August 01, 2022. The provision for the same has been made on the estimated basis as at March 31, 2024.

#### 49. Basis of revaluation of investment property (LICI):

Revaluation of investment (rented out) properties is being carried out once in three years as per IRDAI guidelines. The revaluation of properties has been carried out in the financial year 2022-23. The basis adopted for revaluation of property is as under:

- The valuation of investment property has been carried out by Rent Capitalization Method considering the market rent.
- Revaluation of investment properties having land alone without any building/structure has been revalued as per current market value.

The Revaluation Reserve as at March 31, 2024 amounts to ₹14,839.06 Crore and as at March 31, 2023 amounts to ₹14,835.23 Crore.

#### 50. Deposits made under the local laws:

LICI has no deposits made under local laws. However, for deposits made by foreign entities, details are as under:-

(₹ in Crores)

Name Of The Foreign Subsidiary	31.03.2024	31.03.2023
LIC (International) Bsc Bahrain	14.35	15.46
LIC Bangladesh Ltd.	1.14	1.21
<b>Total</b>	<b>15.49</b>	<b>16.67</b>

#### 51. Disclosure requirements as per Corporate Governance Guidelines (LICI)

##### i. A description of the risk management architecture:

LIC has robust Enterprise Risk Management (ERM) framework to conduct business in an orderly fashion taking into account the risks faced by the Corporation and controlling its business effectively with defined responsibilities and adequate risk management procedures.

Board of Directors provide the overall guidance on Risk Management function which includes providing necessary oversight on key risks and measures, approving the Enterprise Risk Management Policy, Cyber security policy, Risk Appetite statement, Asset Liability Management (ALM) Policy and Business Continuity Plan (BCP) of the Corporation on an annual basis.

In line with the IRDAI Guidelines, Corporation has constituted the Risk Management Committee of the Board (RMCB). The RMCB looks after the risk management governance structure, reviews the risk management framework, risk appetite and the risk mitigation plans for significant risks, identifies strategic risks emanating from changes in business environment and regulations, oversees the compliance to regulatory requirements, all matters related to Asset Liability Management, IT Security policy on annual basis, reviews regular updates on business continuity in line with the Corporation's Business Continuity Plan, solvency position of the Corporation, fraud monitoring, etc. on regular basis. Further, all important matters which, in the view of the RMCB, require further strategic intervention from the Board are brought to its knowledge in its meeting on a periodic basis.

An internal independent Committee, named as Committee of Executives on Risk Management (CERM) and Asset Liability Management Committee (ALCO) has been constituted with Heads of key functional departments. Chief Risk Officer (CRO) acts as the custodian of Enterprise Risk Management framework and guides the implementation of the Enterprise Risk Management. Recommendations of the Committee of Executives on Risk Management & Asset Liability Management are reported to RMCB by the CRO. CERM & ALCO supports the RMCB by supervising major functions like establishing Enterprise Risk Management Policy, ALM Policy, Risk Appetite Statement, MIS for risk reporting/risk control, key risks arising from strategic initiatives and changes in business environment or regulations, risk assessment highlighting significant risks and risk mitigation plans thereof, review of operating risk environment

जोखिम मूल्यांकन और जोखिम कम करने की योजना, व्यापार निरंतरता योजना सहित परिचालन जोखिम के माहौल की समीक्षा, नियमित आधार पर निगम की सॉल्वेंसी स्थिति की समीक्षा, आईटी सुरक्षा और धोखाधड़ी की निगरानी से संबंधित जोखिम की समीक्षा जैसे प्रमुख कार्यों की देखरेख करके RMCB की सहायता करता है। CERM और ALCO द्वारा चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों पर एक समेकित रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई को तिमाही आधार पर आरएमसीबी को रिपोर्ट किया जाता है।

सूचना सुरक्षा संचालन समिति (ISSC), जिसमें केंद्रीय कार्यालय के विभागों के प्रमुख, मुख्य जोखिम अधिकारी (CRO) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) शामिल हैं, सभी सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं की देखरेख करते हैं।

ii. व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए अवधि के विवरण के साथ सूचित, निपटाए गए और लंबित मृत्यु दावों की संख्या का विवरण:

विवरण	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	दावों की संख्या	₹ करोड़ में	दावों की संख्या	₹ करोड़ में
वर्ष की शुरुआत में बकाया दावों की संख्या	675	305.87	2,282	360.15
<b>जोड़ें:</b>				
वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए दावों की संख्या	8,44,312	18,461.21	9,19,925	18,967.48
<b>घटाएं:</b>				
वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या	8,29,318	17,861.76	9,08,576	18,397.77
वर्ष के दौरान अस्वीकृत दावों की संख्या	8,857	502.44	8,003	416.92
वर्ष के दौरान खारिज किए गए दावों की संख्या	6,007	15.06	4,326	14.75
वापस लिखे गए दावों की संख्या	530	43.77	627	192.32
अवधि के अंत में बकाया दावों की संख्या	275	344.05	675	305.87
<b>बकाया दावों की अवधि का विवरण</b>				
3 महीने से कम	198	317.75	655	174.27
3 महीने से 6 महीने	77	26.30	20	131.60
6 महीने से 1 साल	0	0.00	0	0.00
1 वर्ष और उससे अधिक	0	0.00	0	0.00
<b>कुल</b>	<b>275</b>	<b>344.05</b>	<b>675</b>	<b>305.87</b>

निगम दावों के निपटान के लिए विभिन्न आईआरडीएआई दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है और दावों की समय पर रिकॉर्डिंग और निपटान के लिए दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया में है।

iii. पॉलिसीधारक निधि से समूह संस्थाओं को किया गया भुगतान:

समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणियों के अंतर्गत संबंधित पार्टी प्रकटीकरण पर नोट 29 देखें।

iv. लेखापरीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्यों पर प्रकटीकरण

आईआरडीएआई द्वारा 18 मई 2016 को जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के खंड 7.1 के अनुसार, लेखा परीक्षकों को दिए गए अतिरिक्त कार्य (सांविधिक/आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा) और शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षक का नाम	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
	जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क	अन्य प्रमाणन शुल्क	जीएसटी प्रमाणन / लेखा परीक्षा शुल्क	अन्य प्रमाणन शुल्क
बाटलीबोर्ड और पुरोहित	-	0.04	-	0.04
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>0.04</b>	<b>-</b>	<b>0.04</b>

including Business Continuity Plan, review of solvency position of the Corporation on a regular basis, review of risk related to IT security and Fraud Monitoring. A consolidated report on various issues discussed by the CERM & ALCO and action taken thereon are reported to RMCB on quarterly basis.

Information Security Steering Committee (ISSC) consisting of heads of departments of Central office, Chief Risk Officer (CRO) and Chief Information Security Officer (CISO) oversees all Information and cyber security related policies and procedures.

**ii. Details of number of Death claims intimated, disposed off and pending with details of duration for Individual Business:**

Particulars	As at 31.03.2024		As at 31.03.2023	
	No. of claims	₹ In Crore	No. of claims	₹ In Crore
No. of claims outstanding at the beginning of the year	675	305.87	2,282	360.15
<b>Add:</b>				
No. of claims reported during the year	8,44,312	18,461.21	9,19,925	18,967.48
<b>Less:</b>				
No. of claims settled during the year	8,29,318	17,861.76	9,08,576	18,397.77
No. of claims repudiated during the year	8,857	502.44	8,003	416.92
No. of Claims rejected during the year	6,007	15.06	4,326	14.75
No. of claims written back	530	43.77	627	192.32
No. of claims outstanding at the end of the period	275	344.05	675	305.87
<b>Details of duration of outstanding claims</b>				
Less than 3 months	198	317.75	655	174.27
3 months to 6 months	77	26.30	20	131.60
6 months to 1 year	0	0.00	0	0.00
1 year and above	0	0.00	0	0.00
<b>Total</b>	<b>275</b>	<b>344.05</b>	<b>675</b>	<b>305.87</b>

The Corporation is adhering various IRDAI guidelines for settlement of claims and is in the process of improving the claim submission process for timely recording and settlement of claims.

**iii. Payments made to group entities from Policyholders Funds:**

Refer Note 29 on Related Party Disclosure (LICI) under Notes to the Consolidated Financial statement.

**iv. Disclosure on additional works given to auditors**

Pursuant to clause 7.1 of Corporate Governance guidelines issued by IRDAI dated May 18, 2016, the additional works (other than statutory/ internal audit) given to the auditors and the fees (excluding GST) are detailed below:

(₹ in Crore)

Name of Auditor	As at 31.03.2024		As at 31.03.2023	
	GST Certification/ Audit Fees	Other Certification Fees	GST Certification/ Audit Fees	Other Certification Fees
Batliboi & Purohit	-	0.04	-	0.04
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>0.04</b>	<b>-</b>	<b>0.04</b>

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण  
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS</b>						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूँजी SHARE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) MINORITY INTEREST (Share Holders)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
उधारी BORROWINGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	2,77,158.91	3,96,133.34	0.00	19,140.71	0.00	151.21
<b>पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES</b>	<b>29,38,689.62</b>	<b>5,15,146.16</b>	<b>40,724.84</b>	<b>7,59,093.95</b>	<b>4,952.54</b>	<b>1,51,972.14</b>
अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) MINORITY INTEREST (POLICY HOLDERS)	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>बंद पॉलिसियों के लिये निधि: FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES:</b>						
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>बीमा आरक्षितनिधि INSURANCE RESERVES</b>	<b>28,520.02</b>	<b>4.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.18</b>
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>32,44,377.22</b>	<b>9,11,283.83</b>	<b>40,724.84</b>	<b>7,78,234.66</b>	<b>4,952.54</b>	<b>1,52,125.53</b>
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS	549.14	0.00	146.52	0.00	489.05	0.00
<b>कुल/ TOTAL</b>	<b>32,44,926.36</b>	<b>9,11,283.83</b>	<b>40,871.36</b>	<b>7,78,234.66</b>	<b>5,441.59</b>	<b>1,52,125.53</b>

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2024

(In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business	कुल Total		शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल GRAND TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,614.03	0.00	76,614.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(192.16)	0.00	(192.16)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.73	0.00	152.73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,899.60	0.00	82,899.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	2,77,158.91	4,15,425.26	111.21	2,77,158.91	4,15,536.47	0.00	0.00	6,92,695.38
101.07	593.79	29,84,367.00	14,26,907.11	140.90	29,84,367.00	14,27,048.01	0.00	182.29	44,11,597.30
0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	8.67
0.00	0.00	0.00	0.00	393.75	0.00	393.75	0.00	0.00	393.75
0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	14.11
0.00	0.00	28,520.02	6.51	0.20	28,520.02	6.71	0.00	0.35	28,527.08
0.00	0.00	0.00	0.00	34,901.53	0.00	34,901.53	0.00	0.00	34,901.53
101.07	593.79	32,90,054.60	18,42,338.88	35,561.70	32,90,054.60	18,77,900.58	0.00	182.64	51,68,137.82
0.00	0.00	1,184.71	0.00	30.01	1,184.71	30.01	0.00	0.00	1,214.72
101.07	593.79	32,91,239.31	18,42,338.88	35,591.71	32,91,239.31	18,77,930.59	82,899.60	182.64	52,52,252.14

अनुबंध - I

फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण  
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS</b>						
<b>निवेश / INVESTMENTS</b>						
शेयरधारकों के / Shareholders	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के / Policyholders	30,08,769.26	9,19,941.62	40,093.69	7,68,490.47	5,474.66	1,49,708.62
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण / LOANS	1,21,097.95	139.53	0.00	0.00	0.00	488.58
अचल सम्पत्तियाँ FIXED ASSETS	4,058.00	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>चालू सम्पत्तियाँ CURRENT ASSETS</b>						
रोकड़ एवं बैंक में शेष Cash and Bank Balances	27,687.41	8,998.57	2.15	1,456.43	12.57	2,216.52
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	1,15,173.66	21,477.64	677.11	13,744.25	47.63	3,111.54
उप-योग (क) / Sub-Total (A)	1,42,861.07	30,476.21	679.26	15,200.68	60.20	5,328.06
<b>चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES</b>	47,088.95	(4,448.99)	(112.18)	3,058.85	93.19	1,553.79
प्रावधान PROVISIONS	3.08	14,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-योग (ख) / Sub-Total (B)	47,092.03	10,494.07	(112.18)	3,058.85	93.19	1,553.79
शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)	95,769.04	19,982.14	791.44	12,141.83	(32.99)	3,774.27
विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>32,29,694.25</b>	<b>9,40,079.10</b>	<b>40,885.13</b>	<b>7,80,632.30</b>	<b>5,441.67</b>	<b>1,53,971.47</b>

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2024

(In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध कुल Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked Business	कुल Total		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल GRAND TOTAL	
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating		सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating				शेयरधारकों की निधियाँ Shareholder's Fund		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,608.36	0.00	62,608.36
90.11	808.96	30,54,337.61	18,39,039.78	1,646.22	30,54,337.61	18,40,686.00	0.00	215.34	48,95,238.95
0.00	0.00	0.00	0.00	35,280.98	0.00	35,280.98	0.00	0.00	35,280.98
3.20	0.00	1,21,097.95	631.31	3.91	1,21,097.95	635.22	11.58	0.00	1,21,744.75
0.00	0.00	4,058.00	15.81	0.00	4,058.00	15.81	0.96	0.00	4,074.77
0.02	6.74	27,702.13	12,678.28	6.94	27,702.13	12,685.22	1,437.11	0.01	41,824.47
2.87	37.15	1,15,898.40	38,373.45	56.05	1,15,898.40	38,429.50	944.72	2.22	1,55,274.84
2.89	43.89	1,43,600.53	51,051.73	62.99	1,43,600.53	51,114.72	2,381.83	2.23	1,97,099.31
(7.29)	224.38	47,069.96	380.74	1,363.28	47,069.96	1,744.02	5.29	29.57	48,848.84
0.00	0.00	3.08	14,943.06	0.00	3.08	14,943.06	0.00	0.00	14,946.14
(7.29)	224.38	47,073.04	15,323.80	1,363.28	47,073.04	16,687.08	5.29	29.57	63,794.98
10.18	(180.49)	96,527.49	35,727.93	(1,300.29)	96,527.49	34,427.64	2,376.54	(27.34)	1,33,304.33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103.49	628.47	32,76,021.05	18,75,414.83	35,630.82	32,76,021.05	19,11,045.65	64,997.44	188.00	52,52,252.14

## अनुबंध - I

### फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

### 31 मार्च, 2023 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण (कुल व्यवसाय के संबंध में)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS</b>						
शेयरधारकों की निधियाँ: SHAREHOLDERS' FUNDS:						
शेयर पूंजी SHARE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आरक्षितनिधि एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अल्पसंख्यक हित (शेयरधारक) MINORITY INTEREST (Shareholders)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
उधारी BORROWINGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों की निधियाँ POLICYHOLDERS' FUNDS:						
जमा/(नामें) सही मूल्य परिवर्तन लेखा CREDIT/(DEBIT) FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT	50,336.18	2,96,344.51	0.00	1,471.91	0.00	71.40
पॉलिसी दायित्व POLICY LIABILITIES	27,07,434.76	4,79,269.63	40,785.90	6,97,068.96	5,169.04	1,38,047.10
अल्पसंख्यक हित (पॉलिसीधारक) MINORITY INTEREST (Policyholders)	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बंद पॉलिसियों के लिये निधि FUNDS FOR DISCONTINUED POLICIES						
प्रीमियम भुगतान ना करने के कारण रोक देना Discontinued on account of non payment of premium	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमा आरक्षितनिधि INSURANCE RESERVES	25,206.05	(0.15)	0.00	0.00	0.00	1.41
संबद्ध दायित्वों के लिए प्रावधान PROVISION FOR LINKED LIABILITIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>27,82,978.83</b>	<b>7,75,613.99</b>	<b>40,785.90</b>	<b>6,98,540.87</b>	<b>5,169.04</b>	<b>1,38,119.91</b>
भविष्य विनियोजनों के लिए निधियाँ FUNDS FOR FUTURE APPROPRIATIONS	4,550.34	0.00	(890.88)	0.00	240.22	0.00
<b>कुल/ TOTAL</b>	<b>27,87,529.17</b>	<b>7,75,613.99</b>	<b>39,895.02</b>	<b>6,98,540.87</b>	<b>5,409.26</b>	<b>1,38,119.91</b>

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2023

(In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked		कुल Total		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	अनाबंटित निधि Unallocated Fund	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders Fund			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,102.84	0.00	0.00	40,102.84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(194.97)	0.00	0.00	(194.97)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.10	0.00	0.00	117.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,349.97	0.00	0.00	46,349.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	50,336.18	2,97,887.82	73.59	50,336.18	2,97,961.41	0.00	0.00	0.00	3,48,297.59
110.26	501.48	27,53,389.70	13,14,997.43	167.61	27,53,389.70	13,15,165.04	0.00	179.99	0.00	40,68,734.73
0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
0.00	0.00	0.00	0.00	162.79	0.00	162.79	0.00	0.00	0.00	162.79
0.00	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	14.43
0.00	0.00	25,206.05	1.26	0.25	25,206.05	1.51	0.00	0.35	0.00	25,207.91
0.00	0.00	0.00	0.00	26,178.93	0.00	26,178.93	0.00	0.00	0.00	26,178.93
110.26	501.48	28,28,933.77	16,12,886.51	26,597.60	28,28,933.77	16,39,484.11	0.00	180.34	0.00	44,68,598.22
0.00	0.00	3,899.68	0.00	18.99	3,899.68	18.99	0.00	0.00	0.00	3,918.67
110.26	501.48	28,32,833.45	16,12,886.51	26,616.59	28,32,833.45	16,39,503.10	46,349.97	180.34	0.00	45,18,866.86

अनुबंध - I  
फार्म ए-बीएस

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 तक के समेकित तुलन पत्र का खंडीय प्रकटीकरण  
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>निधियों का प्रयोग / APPLICATION OF FUNDS</b>						
<b>निवेश / INVESTMENTS</b>						
शेयरधारकों के / Shareholders'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों के / Policyholders'	25,51,506.82	7,79,169.32	39,090.97	6,92,030.31	5,440.51	1,35,495.97
संबद्ध दायित्व रक्षित करने के लिए सम्पत्तियाँ ASSETS HELD TO COVER LINKED LIABILITIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण / LOANS	1,16,513.50	127.90	0.00	6.95	0.00	349.07
अचल सम्पत्तियाँ FIXED ASSETS	3,794.53	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>चालू सम्पत्तियाँ / CURRENT ASSETS:</b>						
रोकड़ एवं बैंक में शेष Cash and Bank Balances	30,602.11	8,343.50	1.35	4,505.76	0.06	1,778.17
अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ Advances and Other Assets	87,875.93	26,312.27	702.00	12,757.79	47.94	2,865.51
<b>उप-योग (क) Sub-Total (A)</b>	<b>1,18,478.04</b>	<b>34,655.77</b>	<b>703.35</b>	<b>17,263.55</b>	<b>48.00</b>	<b>4,643.68</b>
<b>चालू दायित्व CURRENT LIABILITIES</b>						
प्रावधान PROVISIONS	3.16	14,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग (ख) / Sub-Total (B)</b>	<b>38,135.07</b>	<b>10,323.45</b>	<b>(114.95)</b>	<b>8,395.27</b>	<b>79.17</b>	<b>1,043.73</b>
<b>शुद्ध चालू सम्पत्तियाँ (ग) = (क- ख) NET CURRENT ASSETS (C) = (A - B)</b>	<b>80,342.97</b>	<b>24,332.32</b>	<b>818.30</b>	<b>8,868.28</b>	<b>(31.17)</b>	<b>3,599.95</b>
<b>विविध व्यय (जो बट्टे खाते में न डाले गए हो या समायोजित न किये गये हों) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)</b>						
लाभ-हानि लेखा में नामें शेष (शेयरधारकों का खाता) DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT (Shareholders' Account)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>27,52,157.82</b>	<b>8,03,671.40</b>	<b>39,909.27</b>	<b>7,00,905.54</b>	<b>5,409.34</b>	<b>1,39,444.99</b>

## Annexure - I FORM A- BS

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Balance Sheet as at March 31, 2023 (In Respect of Total Business)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked		कुल Total	शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders Fund	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	अनावंटित निधि Unallocated Fund	कुल Total
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating					
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,176.73	0.00	0.00	28,176.73
93.89	573.82	25,96,038.30	16,07,363.31	1,855.69	25,96,038.30	16,09,219.00	0.00	216.35	0.00	42,05,473.65
0.00	0.00	0.00	0.00	26,325.88	0.00	26,325.88	0.00	0.00	0.00	26,325.88
3.81	0.00	1,16,513.50	487.73	4.24	1,16,513.50	491.97	0.00	0.00	0.00	1,17,005.47
0.00	0.00	3,794.53	41.86	0.00	3,794.53	41.86	0.34	0.00	0.00	3,836.73
0.00	16.94	30,603.52	14,644.37	8.57	30,603.52	14,652.94	242.14	0.00	0.00	45,498.60
2.82	35.52	88,625.87	41,973.91	48.53	88,625.87	42,022.44	475.40	2.06	21,048.53	1,52,174.30
2.82	52.46	1,19,229.39	56,618.28	57.10	1,19,229.39	56,675.38	717.54	2.06	21,048.53	1,97,672.90
(7.00)	242.80	38,096.13	5,055.19	1,490.83	38,096.13	6,546.02	5.93	30.20	0.00	44,678.28
0.00	0.00	3.16	14,943.06	0.00	3.16	14,943.06	0.00	0.00	0.00	14,946.22
(7.00)	242.80	38,099.29	19,998.25	1,490.83	38,099.29	21,489.08	5.93	30.20	0.00	59,624.50
9.82	(190.34)	81,130.10	36,620.03	(1,433.73)	81,130.10	35,186.30	711.61	(28.14)	21,048.53	1,38,048.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107.52	383.48	27,97,476.43	16,44,512.93	26,752.08	27,97,476.43	16,71,265.01	28,888.68	188.21	21,048.53	45,18,866.86

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
<b>अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net</b>						
(क) प्रीमियम (a) Premium	2,77,062.71	70,501.69	410.93	1,08,051.58	2.16	14,622.42
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(123.66)	(467.95)	(0.13)	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>2,76,939.05</b>	<b>70,033.74</b>	<b>410.80</b>	<b>1,08,051.58</b>	<b>2.16</b>	<b>14,622.42</b>
<b>निवेश से आय / Income from Investments</b>						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	1,93,163.33	37,750.42	3,052.29	51,449.63	372.46	10,679.95
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	37,395.97	22,723.19	21.34	5,385.38	7.35	13.92
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(2,193.32)	(386.53)	(27.28)	(458.55)	(23.52)	(60.55)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ड) अन्य आय / (e) Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	7,704.70	(0.07)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	6,445.86	374.14	0.00	140.33	0.01	0.00
<b>अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholder's A/c</b>						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (अ) / TOTAL (A)</b>	<b>5,19,538.03</b>	<b>1,30,494.89</b>	<b>3,457.15</b>	<b>1,64,568.37</b>	<b>358.46</b>	<b>25,255.74</b>

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2024 (In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked		कुल Total		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल GRAND TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health								
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
6.36	322.67	2,77,475.80	1,93,504.72	6,539.52	2,77,475.80	2,00,044.24	1.01	4,77,521.05	
0.00	(85.69)	(123.79)	(553.64)	(12.40)	(123.79)	(566.04)	0.00	(689.83)	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.36	236.98	2,77,352.01	1,92,951.08	6,527.12	2,77,352.01	1,99,478.20	1.01	4,76,831.22	
8.22	58.36	1,96,588.08	99,946.58	1,126.99	1,96,588.08	1,01,073.57	16.59	2,97,678.24	
0.13	0.45	37,424.66	28,123.07	1,504.52	37,424.66	29,627.59	0.00	67,052.25	
(0.16)	(0.10)	(2,244.12)	(905.89)	(154.05)	(2,244.12)	(1,059.94)	(0.02)	(3,304.08)	
0.00	0.00	69.46	0.00	3,914.52	69.46	3,914.52	0.00	3,983.98	
0.00	0.00	7,704.70	(0.07)	0.00	7,704.70	(0.07)	0.00	7,704.63	
(0.10)	0.00	6,445.87	514.37	(0.87)	6,445.87	513.50	0.00	6,959.37	
0.00	0.00	12.98	0.00	0.00	12.98	0.00	0.00	12.98	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.45	295.69	5,23,353.64	3,20,629.14	12,918.23	5,23,353.64	3,33,547.37	17.58	8,56,918.59	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	24,374.65	921.59	11.67	0.07	0.05	506.09
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	44,588.85	2,294.41	85.14	245.09	7.45	405.41
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	(866.58)	2.18	0.00	(0.03)	0.00	3.53
कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation	763.06	4,542.18	0.00	349.11	0.00	268.78
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation)						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(1,946.40)	(2.46)	0.00	(3.16)	0.00	0.00
(ख) संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful Debentures & Bonds	99.37	6.72	(1.98)	(67.37)	(0.12)	(3.11)
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>67,012.95</b>	<b>7,764.62</b>	<b>94.83</b>	<b>523.71</b>	<b>7.38</b>	<b>1,180.70</b>
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,17,855.51	58,058.46	2,371.80	99,622.04	318.67	8,304.06
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	2,859.77	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability against life policies in force						
(क) सकल** (a) Gross**	2,31,273.50	35,876.54	(61.06)	62,024.98	(216.50)	13,925.04
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) संबद्ध लिंकड पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserved for Linked Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Funds for Discontinued Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(च) भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय (f) Funds for Future Appropriations - Linked Business	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (ग) /TOTAL (C)</b>	<b>4,51,988.78</b>	<b>93,935.00</b>	<b>2,311.15</b>	<b>1,61,647.02</b>	<b>102.17</b>	<b>22,229.10</b>

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2024 (In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked		कुल Total		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल GRAND TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health								
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
0.18	30.31	24,386.37	1,458.24	219.03	24,386.37	1,677.27	0.02	26,063.66	
0.13	118.69	44,681.44	3,063.73	546.54	44,681.44	3,610.27	1.01	48,292.72	
0.00	0.00	0.00	0.00	134.38	0.00	134.38	0.00	134.38	
0.00	(0.02)	(866.58)	5.66	(150.52)	(866.58)	(144.86)	(0.04)	(1,011.48)	
0.35	5.05	763.06	5,165.47	25.53	763.06	5,191.00	2.88	5,956.94	
0.00	0.00	(1,946.40)	(5.62)	0.00	(1,946.40)	(5.62)	0.00	(1,952.02)	
(0.14)	(0.03)	97.27	(63.93)	0.00	97.27	(63.93)	0.00	33.34	
0.52	154.00	67,115.16	9,623.55	774.96	67,115.16	10,398.51	3.87	77,517.54	
20.71	14.69	2,20,545.98	1,66,019.96	3,169.30	2,20,545.98	1,69,189.26	6.05	3,89,741.29	
0.00	0.00	2,860.18	0.00	0.00	2,860.18	0.00	0.00	2,860.18	
(9.20)	92.32	2,30,995.94	1,11,909.68	(26.71)	2,30,995.94	1,11,882.97	2.30	3,42,881.21	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	8,716.85	0.00	8,716.85	0.00	8,716.85	
0.00	0.00	0.00	0.00	231.42	0.00	231.42	0.00	231.42	
0.00	0.00	0.00	0.00	11.02	0.00	11.02	0.00	11.02	
11.51	107.01	4,54,402.10	2,77,929.64	12,101.88	4,54,402.10	2,90,031.52	8.35	7,44,441.97	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अधिशेष/(घाटा) (घ) = (क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	536.30	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा Add: Share of Profit in Associates	4,102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घटाएं)/जोड़ें: अल्पसंख्यक हित (Less)/Add: Minority Interest	(31.08)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल अधिशेष (इ) Total Surplus/(Deficit) (E)</b>	<b>4,607.78</b>	<b>28,795.27</b>	<b>1,051.17</b>	<b>2,397.64</b>	<b>248.91</b>	<b>1,845.94</b>
अशुद्धि के खाते (गैर तकनीकी खाता) से हस्तांतरित राशि Amount transferred From Shareholder's Account (Non Technical Account)	0.00	2,399.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION</b>	<b>4,607.78</b>	<b>31,194.86</b>	<b>1,051.17</b>	<b>2,397.64</b>	<b>248.91</b>	<b>1,845.94</b>
<b>विनियोजन/ APPROPRIATIONS</b>						
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	4,480.10	31,194.86	13.77	2,397.64	0.08	1,845.94
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	4,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Balance being Funds for Future Appropriations	(4,001.20)	0.00	1,037.40	0.00	248.83	0.00
<b>कुल/ TOTAL</b>	<b>4,607.78</b>	<b>31,194.86</b>	<b>1,051.17</b>	<b>2,397.64</b>	<b>248.91</b>	<b>1,845.94</b>

## Annexure - I

### FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2024 (In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)

(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked		कुल Total		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल GRAND TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health								
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
2.42	34.68	1,836.38	33,075.95	41.39	1,836.38	33,117.34	5.36	34,959.08	
0.00	0.00	4,102.56	0.00	0.00	4,102.56	0.00	0.00	4,102.56	
0.00	0.00	(31.08)	0.00	0.00	(31.08)	0.00	0.00	(31.08)	
2.42	34.68	5,907.86	33,075.95	41.39	5,907.86	33,117.34	5.36	39,030.56	
0.00	0.00	0.00	2,399.59	198.86	0.00	2,598.45	0.00	2,598.45	
2.42	34.68	5,907.86	35,475.54	240.25	5,907.86	35,715.79	5.36	41,629.01	
2.42	34.68	4,493.95	35,475.54	240.25	4,493.95	35,715.79	5.36	40,215.10	
0.00	0.00	4,128.88	0.00	0.00	4,128.88	0.00	0.00	4,128.88	
0.00	0.00	(2,714.97)	0.00	0.00	(2,714.97)	0.00	0.00	(2,714.97)	
2.42	34.68	5,907.86	35,475.54	240.25	5,907.86	35,715.79	5.36	41,629.01	

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण  
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the period

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
	अंतरिम बोनस Interim Bonus	2,859.77	0.00	0.41	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों को बोनस का आबंटन* Allocation of Bonus to policyholders*	52,785.16	0.00	169.80	0.00	0.91	0.00
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	4,607.78	28,795.27	1,051.17	2,397.64	248.91	1,845.94
<b>कुल अधिशेष Total Surplus</b>	<b>60,252.71</b>	<b>28,795.27</b>	<b>1,221.38</b>	<b>2,397.64</b>	<b>249.82</b>	<b>1,845.94</b>

\* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\*\* बोनस आबंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

# पॉलिसीधारकों को बोनस के आबंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

\* Represent the deemed realised gain as per norms specified by the Authority

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

# The details of allocation of bonus to policyholders pertains only to LIC and does not include the details of foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2024 (In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked		कुल Total	पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल GRAND TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating		
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating		
0.00	0.00	2,860.18	0.00	0.00	2,860.18	0.00	0.00	2,860.18
0.00	0.00	52,955.87	0.00	0.00	52,955.87	0.00	0.00	52,955.87
2.42	34.68	5,907.86	33,075.95	41.39	5,907.86	33,117.34	5.36	39,030.56
2.42	34.68	61,723.91	33,075.95	41.39	61,723.91	33,117.34	5.36	94,846.61

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अर्जित शुद्ध प्रीमियम Premiums earned - net						
(क) प्रीमियम (a) Premium	2,71,646.75	55,328.29	464.67	1,29,274.05	2.48	14,604.37
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded	(114.45)	(464.44)	(0.13)	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा स्वीकार (c) Reinsurance accepted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>उप-योग / Sub-Total</b>	<b>2,71,532.30</b>	<b>54,863.85</b>	<b>464.54</b>	<b>1,29,274.05</b>	<b>2.48</b>	<b>14,604.37</b>
निवेश से आय / Income from Investments						
(क) ब्याज, लाभांश एवं किराया, सकल (a) Interest, Dividends & Rent - Gross	1,80,586.00	34,365.51	2,996.74	46,066.07	369.96	9,431.63
(ख) निवेश की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments	28,955.90	14,480.19	3.47	4,337.92	0.35	9.92
(ग) (निवेश की बिक्री / मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/redemption of investments)	(9,349.07)	(3,930.32)	(26.75)	(1,338.93)	(33.56)	(56.14)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/सही मूल्य परिवर्तन पर अंतरण/लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*	(292.09)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य आय / Other Income						
(i) वापस लिखी गई राशियाँ Amounts written back	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) विविध प्राप्तियाँ Sundry Receipts	6,844.22	636.97	0.00	175.28	0.00	0.00
अंशधारकों के खाते से योगदान Contribution from Shareholders' A/c:						
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ख) अन्य (b) Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (क) TOTAL (A)</b>	<b>4,78,290.58</b>	<b>1,00,416.20</b>	<b>3,438.00</b>	<b>1,78,514.39</b>	<b>339.23</b>	<b>23,989.78</b>

## Annexure - I

### FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2023 (In Respect of Total Business)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business				संबद्ध व्यवसाय (ख) Linked Business (B)	कुल (ख) = (क) + (ख) Total (C) = (A) + (B)		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल (ग) + (घ) Total (C) + (D)
परिवर्तनीय Variable Business	स्वास्थ्य Health Business	गैर-संबद्ध व्यवसाय (क) Non-Linked Total (A)						
गैर-सहभागी Non- Participating	गैर-सहभागी Non- Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non- Participating	गैर-सहभागी Non- Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non- Participating		
8.21	354.29	2,72,113.90	1,99,569.21	4,948.45	2,72,113.90	2,04,517.66	1.23	4,76,632.79
0.00	(84.37)	(114.58)	(548.81)	(12.52)	(114.58)	(561.33)	0.00	(675.91)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.21	269.92	2,71,999.32	1,99,020.40	4,935.93	2,71,999.32	2,03,956.33	1.23	4,75,956.88
9.76	37.32	1,83,952.70	89,910.29	1,133.70	1,83,952.70	91,043.99	18.38	2,75,015.07
1.58	4.83	28,959.72	18,834.44	1,791.70	28,959.72	20,626.14	0.00	49,585.86
(0.04)	(0.19)	(9,409.38)	(5,325.62)	(159.64)	(9,409.38)	(5,485.26)	(0.58)	(14,895.22)
0.00	0.00	(292.09)	0.00	(1,925.29)	(292.09)	(1,925.29)	0.00	(2,217.38)
0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	3.96
(0.20)	0.00	6,844.22	812.05	(1.07)	6,844.22	810.98	0.00	7,655.20
0.00	0.00	9.36	0.00	0.00	9.36	0.00	0.00	9.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.31	311.88	4,82,067.81	3,03,251.56	5,775.33	4,82,067.81	3,09,026.89	19.03	7,91,113.73

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
कमीशन Commission	24,896.56	286.32	11.02	0.06	0.05	333.16
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्च Operating Expenses related to Insurance Business	45,647.40	1,437.74	74.78	255.10	6.47	296.44
निधि प्रबंधन प्रभार एवं अन्य प्रभार पर वस्तु एवं सेवा कर GST on Fund Management charges & other charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Provisions for doubtful debts	(1,808.48)	0.80	0.00	0.03	0.00	5.62
कराधान के लिए प्रावधान Provisions for taxation	727.45	4,085.34	0.00	344.31	0.01	192.94
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation):						
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)	(598.57)	(1.38)	0.00	(1.68)	0.00	0.00
(ख) संदिग्ध डिबेंचर और बांड के लिए प्रावधान (b) Provision for doubtful Debenture and Bonds	(7,449.58)	(3,802.07)	(9.86)	(864.84)	(0.38)	(2.00)
<b>कुल (ख) / TOTAL (B)</b>	<b>61,414.78</b>	<b>2,006.75</b>	<b>75.94</b>	<b>(267.02)</b>	<b>6.15</b>	<b>826.16</b>
अदा किया गया लाभ (शुद्ध) Benefits paid (Net)	2,00,645.95	45,938.53	2,353.68	82,733.04	365.17	7,559.76
अदा किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid	3,263.50	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
जीवन पॉलिसियों के संबंध में दायित्व मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability against life policies in force						
(क) सकल** (a) Gross**	2,09,481.35	24,413.51	(990.27)	93,683.70	(88.05)	14,278.78
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) (Amount ceded in Reinsurance)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घ) संबद्ध लिंकड पॉलिसियों के लिए आरक्षित निधि (d) Fund Reserve for Linked Policies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ङ) बंद पॉलिसियों के लिए निधि (e) Fund for Discounted Policies	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(च) भविष्य के विनियोग के लिए निधि - संबद्ध व्यवसाय (f) Funds for Future Appropriations for Linked business	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल (ग) /TOTAL (C)</b>	<b>4,13,390.80</b>	<b>70,352.04</b>	<b>1,363.99</b>	<b>1,76,416.74</b>	<b>277.12</b>	<b>21,838.54</b>

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2023 (In Respect of Total Business)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business				संबद्ध व्यवसाय (ख) Linked Business (B)	कुल (ख) = (क) + (ख) Total (C) = (A) + (B)		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल (ग) + (घ) Total (C) + (D)
परिवर्तनीय Variable Business	स्वास्थ्य Health Business	गैर-संबद्ध व्यवसाय (क) Non-Linked Total (A)						
गैर-सहभागी Non- Participating	गैर-सहभागी Non- Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non- Participating	गैर-सहभागी Non- Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non- Participating		
0.21	48.96	24,907.63	668.71	128.55	24,907.63	797.26	0.02	25,704.91
0.16	171.47	45,728.65	2,160.91	398.66	45,728.65	2,559.57	1.31	48,289.53
0.00	0.00	0.00	0.00	109.48	0.00	109.48	0.00	109.48
0.09	0.00	(1,808.48)	6.54	(140.07)	(1,808.48)	(133.53)	0.00	(1,942.01)
0.00	0.00	727.46	4,622.59	27.68	727.46	4,650.27	4.23	5,381.96
0.00	0.00	(598.57)	(3.06)	0.00	(598.57)	(3.06)	0.00	(601.63)
(0.28)	0.00	(7,459.82)	(4,669.19)	(4.64)	(7,459.82)	(4,673.83)	0.00	(12,133.65)
0.18	220.43	61,496.87	2,786.50	519.66	61,496.87	3,306.16	5.56	64,808.59
37.11	20.91	2,03,364.80	1,36,289.35	2,800.61	2,03,364.80	1,39,089.96	32.61	3,42,487.37
0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	3,264.08
(15.24)	188.54	2,08,403.03	1,32,549.29	(64.48)	2,08,403.03	1,32,484.81	(27.01)	3,40,860.83
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.41	0.00	2,273.41	0.00	2,273.41
0.00	0.00	0.00	0.00	97.49	0.00	97.49	0.00	97.49
0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	0.00	9.81	0.00	9.81
21.87	209.45	4,15,031.91	2,68,838.64	5,116.84	4,15,031.91	2,73,955.48	5.60	6,88,992.99

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण

(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

विवरण Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अधिशेष/(घाटा) (घ)=(क)-(ख)-(ग) SURPLUS/(DEFICIT) (D) = (A)-(B)-(C)	3,485.00	28,057.41	1,998.07	2,364.67	55.96	1,325.08
जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा Add: Share of Profit in Associates	4,181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(घटाएं)/जोड़ें: अल्पसंख्यक हित (Less)/Add: Minority Interest	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल अधिशेष/(घाटा) (ड) TOTAL SURPLUS/(DEFICIT) (E)	7,668.68	28,057.41	1,998.07	2,364.67	55.96	1,325.08
अशुद्धियों के खाते (गैर तकनीकी खाता) से हस्तांतरित राशि Amount transferred from Shareholders' Account (Non- Technical Account)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION	7,668.68	28,057.41	1,998.07	2,364.67	55.96	1,325.08
विनियोजन/APPROPRIATIONS						
शेयरधारकों के लेखा में अंतरण Transfer to Shareholders' Account	3,530.82	28,057.41	14.25	2,364.67	0.08	1,325.08
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves	4,103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भविष्य के विनियोजन निधियों को अंतरण Balance being Funds for Future Appropriations	34.73	0.00	1,983.82	0.00	55.88	0.00
कुल/TOTAL	7,668.68	28,057.41	1,998.07	2,364.67	55.96	1,325.08

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2023 (In Respect of Total Business)

#### Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ करोड़ में)  
(₹ in Crore)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Business				संबद्ध व्यवसाय (ख) Linked Business (B)	कुल (ख) = (क) + (ख) Total (C) = (A) + (B)		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल (ग) + (घ) Total (C) + (D)
परिवर्तनीय Variable Business	स्वास्थ्य Health Business	गैर-संबद्ध व्यवसाय (क) Non-Linked Total (A)						
गैर-सहभागी Non- Participating	गैर-सहभागी Non- Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non- Participating	गैर-सहभागी Non- Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non- Participating		
(2.74)	(118.00)	5,539.03	31,626.42	138.83	5,539.03	31,765.25	7.87	37,312.15
0.00	0.00	4,181.65	0.00	0.00	4,181.65	0.00	0.00	4,181.65
0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	2.03
(2.74)	(118.00)	9,722.71	31,626.42	138.83	9,722.71	31,765.25	7.87	41,495.83
2.74	118.00	0.00	120.74	141.13	0.00	261.87	0.00	261.87
0.00	0.00	9,722.71	31,747.16	279.96	9,722.71	32,027.12	7.87	41,757.70
0.00	0.00	3,545.15	31,747.16	279.96	3,545.15	32,027.12	7.87	35,580.14
0.00	0.00	4,103.13	0.00	0.00	4,103.13	0.00	0.00	4,103.13
0.00	0.00	2,074.43	0.00	0.00	2,074.43	0.00	0.00	2,074.43
0.00	0.00	9,722.71	31,747.16	279.96	9,722.71	32,027.12	7.87	41,757.70

अनुबंध - I  
फार्म ए-आर ए

बीमाकर्ता का नाम : भारतीय जीवन बीमा निगम

पंजीकरण की संख्या 512 तथा तारीख : 01.01.2001

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित राजस्व खाते का खंडीय प्रकटीकरण  
(कुल व्यवसाय के संबंध में)

पॉलिसीधारकों का लेखा (तकनीकी लेखा)

अवधि के दौरान कुल अधिशेष का विवरण

The Break up of Total Surplus during the period

Particulars	गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business					
	जीवन व्यवसाय Life		पेंशन व्यवसाय Pension		वार्षिकी व्यवसाय Annuity	
	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating
अंतरिम बोनस Interim Bonus	3,263.50	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
पॉलिसीधारकों को बोनस का आवंटन* Allocation of Bonus to policyholders#	49,363.27	0.00	175.79	0.00	0.95	0.00
राजस्व लेखा में दर्शाया गया अधिशेष Surplus shown in Revenue account	7,668.68	28,057.41	1,998.07	2,364.67	55.96	1,325.08
<b>कुल अधिशेष Total Surplus</b>	<b>60,295.45</b>	<b>28,057.41</b>	<b>2,174.44</b>	<b>2,364.67</b>	<b>56.91</b>	<b>1,325.08</b>

\* प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार माना हुआ प्राप्य लाभ दर्शाता है।

\*\* बोनस आवंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है।

# पॉलिसीधारकों को बोनस के आवंटन का विवरण केवल एलआईसीआई से संबंधित है और इसमें विदेशी सहायक बीमा कंपनियों का विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय कानूनों या विनियमों के अनुसार इस तरह के विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

\* Represent the deemed realised gain as per norms specified by the Authority

\*\* Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus.

# The details of allocation of bonus to policyholders pertains only to LIC and does not include the details of foreign subsidiary insurance companies as they are not required to provide such details as per their local laws or regulations.

## Annexure - I FORM A- RA

Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India

Registration No. 512 Dated: 01.01.2001

### Consolidated Segmental Revenue Account for the year ended March 31, 2023 (In Respect of Total Business)

Policyholders' Account (Technical Account)

गैर-संबद्ध व्यवसाय Non Linked Business		गैर-संबद्ध व्यवसाय Non-Linked Total		संबद्ध व्यवसाय Linked		कुल Total		पूँजी मोचन (निर्धारित वार्षिकी सहित) व्यवसाय CRAC	कुल GRAND TOTAL
परिवर्तनीय Variable	स्वास्थ्य Health	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating	गैर-सहभागी Non Participating	सहभागी Participating	गैर-सहभागी Non Participating			
0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	3,264.08	0.00	0.00	3,264.08	
0.00	0.00	49,540.01	0.00	0.00	49,540.01	0.00	0.00	49,540.01	
(2.74)	(118.00)	9,722.71	31,626.42	138.83	9,722.71	31,765.25	7.87	41,495.83	
(2.74)	(118.00)	62,526.80	31,626.42	138.83	62,526.80	31,765.25	7.87	94,299.92	


## Results of Indian Embedded Value (IEV) and Value of New Business (VNB) of the Life Insurance Corporation of India as at 31.03.2024

### ANNUALIZED PREMIUM EQUIVALENT (APE) (IN INR CRS)

Line of Business	Amount
Individual Par	31392
Individual Non par	7041
Group	18537
<b>Total</b>	<b>56970</b>


- Embedded Value of the Corporation - ₹ 7,27,344/- Crs (₹ 582,243/- Crs as at 31.03.2023)
- Value of New Business – ₹ 9,583/- Crs (₹ 9,156/- Crs as at 31.03.2023)
- New Business Margin – 16.8% (16.2% as at 31.03.2023)

### MOVEMENT OF IEV (IN INR CRS)



\* Future charge of INR 12,914 crores to shareholder's fund over a period of 3 years starting from FY 2024-25, towards excess of expenses over allowable limits as per regulatory approval

## MOVEMENT OF VALUE OF NEW BUSINESS MARGIN (%)



### Sensitivities

Scenario	Change in em-bedded value	Change in new business margin
<b>Base results</b>	<b>727344</b>	<b>16.80%</b>
<b>Reference rates</b>		
An increase of 100 bps in the reference rates	-0.4%	4.2%
A decrease of 100 bps in the reference rates	-0.3%	-7.7%
<b>Acquisition expenses</b>		
10% increase in acquisition expenses	Not applicable	-0.4%
10% decrease in acquisition expenses	Not applicable	0.4%
<b>Maintenance expenses</b>		
10% increase in maintenance expenses	-0.5%	-0.7%
10% decrease in maintenance expenses	0.5%	0.7%
<b>Persistency</b>		
10% increase in the withdrawal rates	-0.1%	-0.6%
10% decrease in the withdrawal rates	0.1%	0.7%
<b>Mortality/Morbidity</b>		
An increase of 5% in the mortality/ morbidity rates	0.0%	-0.1%
A decrease of 5% in the mortality/ morbidity rates	0.0%	0.1%
<b>Taxation</b>		
Assumed tax rate increased to 25%	-11.1%	-2.2%
<b>Equity</b>		
Equity values decrease by 10%	-7.2%	-0.6%

The methodology, assumptions and the results of Embedded Value have been reviewed by BDO.

# GLOSSARY OF TERMS

AAUM	Average Assets under Management	CRM	Customer Relationship Management
AES	Advanced Economies	CRNHR	Cost of Residual Non-Hedgeable Risks
AGM	Annual General Meeting	CSR	Corporate Social Responsibility
AI	Artificial Intelligence	CTC	Computer Training Centres
AIF	Alternative Investment Fund	DCMC	Deposit Collection & Management Centre
ALM	Asset Liability Management	DRHP	Draft Red herring Prospectus
AMT	Asset Management Tool	EBPP	Electronic Bill Presentation and Payment
ANANDA	Atma Nirbhar Agents New Business Digital Application	ECLGS	Emergency Credit Line Guarantee Scheme
ANF	Automated Non Forfeiture	EDMS	Enterprise Document Management System
APA	Annuity Per Annum	IEM	Independent External Monitors
APE	Annualised Premium Equivalent	EMDEs	Emerging Market and Developing Economies
APPS	Auto Premium Payment System	E-NACH	Electronic National Automated Clearing House
APS10	Actuarial Practice Standard 10	ERM	Enterprise Risk Management
AUM	Assets Under Management	ETC	Employee Training Centre
BAC	Building Advisory Committee	ETCF	Exchange Traded Currency Future
BCM	Business Continuity Measures	ETF	Exchange Traded Fund
BE	Budget Estimate	EV	Embedded Value
BG	Bank Guarantee	FCT	Free Commercial Time
BHIM	Bharat Interface for Money	FDI	Foreign Direct Investment
BoD	Board of Directors	FEDAI	Foreign Exchange Dealers Association of India
BRSR	Business Responsibility & Sustainability Report	FIMMDA	Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India
CERM	Committee of Executives on Risk Management	FPI	Foreign Portfolio Investors
CIBT	Critical Illness Base Table	FYP	First Year Premium
CIN	Corporate Identity Number	FYPI	First Year Premium Income
CISO	Chief Information Security Officer	GAAP	Generally Accepted Accounting Principles
CO	Central Office	GDP	Gross Domestic Product
COVID-19	Coronavirus Disease 2019	GDS	Global Depository Shares
CPGRAMS	Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System	GJF	Golden Jubilee Foundation
CPI	Consumer Price Index	GOI	Government of India
CPSC or CSC	Common Public Service Centre	GRO	Grievance Redressal Officer
CRAC	Capital Redemption and Annuity Certain Business	HCI	Hyper Converged Infrastructure
		HOD	Head of the Department

IAI	Institute of Actuaries of India	MDC	Management Development Centre
IASB	International Accounting Standard Board	MF	Mutual Fund
IBLNPS	IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme	MOF	Ministry of Finance
ICAI	Institute of Chartered Accountants of India	MPLS	Multiprotocol Label Switching
ICDS	Income Computation and Disclosure Standards	MSB	Major Surgical Benefit
ICMS	Integrated Complaint Management System	MSF	Marginal Standby Facility
IEV	Indian Embedded Value	MSMED	Micro, Small and Medium Enterprises Development
IFRS	International Financial Reporting Standards	MSP	Medical Service Provider
IGL	IDBI Gilts Limited	NBV	Net Book Value
IGMS	Integrated Grievance Management System	NCH	National Consumer Helpline
IHFL	IDBI Home Finance Limited	NCO	Notional Cash Option
IMF	International Monetary Fund	NEFT	National Electronic Fund Transfer
IMFs	Insurance Marketing Firms	NRC	Nomination & Remuneration Committee
INGRAM	Integrated Grievance Redress Mechanism	NSO	National Statistical Office
IO	International Operations	OLI	Official Language Implementation
IPP	Individual Pension Plan	P&GS	Pension & Group Schemes
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India	PAN	Permanent Account Number
ISO	International Organization for Standardization	PAT	Profit After Tax
ISSC	Information Security Steering Committee	PE	Provisional Estimates
IT SD	Information Technology – Software Development	PIDPI	Public Interest Disclosure and Protection of Informers
LAF	Liquidity Adjustment Facility	PLI	Production Linked Incentives
LC	Letter of Credit	PMJDY	Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
LCA	Life Cycle Perspective / Assessments	PMJJBY	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
LDB	Land Development Bank	PMKMDY	Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana
LIC CSL	LIC Cards Services Ltd.	PMLVMDY	Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maan Dhan Yojana
LICI	Life Insurance Corporation of India	PMSYM	Pradhan Mantri Shram Yogi Maan Dhan
LICMF BAF	LIC MF Balanced Advantage Fund	PMVVY	Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
LMS	Learning Management System	PPC	Policyholders' Protection Committee
LODR	Listing Obligations & Disclosures Requirement	PRAGATI	Performance Review Application, Growth And Trend Indicator
MAT	Minimum Alternate Tax	PTC	Pass Through Certificate
MCA	Ministry of Corporate Affairs	PTR	Port Turst
MD&A	Management Discussion and Analysis	RBI	Reserve Bank of India
		RCs	Reconstruction Companies

RE	Revised Estimates	TLTRO	Targeted Long-Term Repo Operations
RMCB	Risk Management Committee of the Board	UCS	Ulip Centralization System
RTI	Right to Information	UPI	Unified Payments Interface
SA	Sum Assured	USD	United States Dollar
SAE	Second Advance Estimates	VAW	Vigilance Awareness Week
SASF	Stressed Assets Stabilisation Fund	VNB	Value of New Business
SCs	Securitisation Companies	VRRR	Variable Rate Reverse Repo
SCWF	Senior Citizen Welfare Fund	WFH	Work From Home
SEBI	Securities and Exchange Board of India	WPC	With Profit Committee
SIA	Social Impact Assessments	WPI	Wholesale Price Index
SIEM	Security Information & Event Management	WRP	Weighted Received Premium
SRC	Stakeholders Relationship Committee	WSB	Water State Board
SRs	Security Receipts	YTM	Yield to Maturity
SSS	Salary Saving Scheme	ZMRs	Zonal Medical Referees
STF	State Financial Corporation	ZTC	Zonal Training Centre
TAT	Turn Around Time	ZUS	Zonal Underwriting Section

# Awards & Accolades 2023-24



# Awards & Accolades 2023-24



Finnoviti Awards 2023 Ananda App



FICCI Insurance Industry Awards 2022 Special Jury Award



BFSI National Award for Customer Service Excellence Award



BFSI National Award for Best Mobile Application Award



BFSI National Award for Excellence in Agency Distribution



Digital Marketing campaign of the year



Financial Services Marketing Summit Awards Claims service Leader - Large



Financial Services Marketing Summit Awards Insurance company of the year - Life



4th Emerging Asia Insurance Conclave & Awards, 2023 Best Strategies for Insurance Spreading - India



4th Emerging Asia Insurance Conclave & Awards, 2023 Women in Insurance Leadership presented to LIC Bangladesh



SAP ACE Award 2023



IITF - 2023 PSU'S and PSBS - category silver



2nd Edition Most Preferred Workplace on BFSI 2023-2024



ET Now-Smart Insurer in the Life Insurance-large category, 2023



Navabharat - Certificate of excellence awarded to LIC OF INDIA Most Customer Friendly Insurance Company



Insure Next Awards & Conclave 2024 awarded to LIC OF INDIA for Best Life Insurance Company of the Year



India's Best Life Insurance company Life Insurance Corporation of India, 7th Annual Insurance Conclave & Awards



Dhanam Life Insurer of the year 2023 Presented to Life Insurance Corporation of India Dhanam Business Media



dun&bradstreet BFSI & Fintech Summit 2024 India's Leading Life Insurance Company (Public) Life Insurance Corporation of India

## Shri Siddhartha Mohanty, Chairperson, LIC of India handing over Government's Share of Dividend



Shri Siddhartha Mohanty, Chairperson, LIC of India, presenting the Dividend cheque of ₹ 1831.09 Crore for the year 2022-23 to Smt. Nirmla Sitharaman, Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs in the presence of Dr. Maruthi Prasad Tangirala, Additional Secretary, Dept. of Financial Services, Ministry of Finance, GOI along with Officials from Life Insurance Corporation of India, Shri Jagannath M, Managing Director, Shri Tablesh Pandey, Managing Director, Shri Sat Pal Bhanoo, Managing Director, Shri R. Doraiswamy, Managing Director and Shri J. P. S. Bajaj, Zonal Manager (In-charge), Northern Zone, Delhi.



Shri Siddhartha Mohanty, Chairperson, LIC of India, presenting the Interim Dividend Cheque of ₹ 2441.45 Crore for the year 2023-24 to Smt. Nirmla Sitharaman, Hon'ble Union Minister of Finance and Corporate Affairs in the presence of Dr. Vivek Joshi, Secretary and Dr. Maruthi Prasad Tangirala, Additional Secretary, Dept. of Financial Services, Ministry of Finance, GOI along with Shri J. P. S. Bajaj, Zonal Manager (In-charge), LIC of India, Northern Zone, Delhi.



भारतीय जीवन बीमा निगम  
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA



Scan QR Code to download  
<https://licindia.in/annual-reports>